अष्टम माला, खंड 5, अंक 38

मंगलवार, 7 मई, 1985
17 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 38, मंगलवार, 7 मई, 1985/17 वैशाख, 1907(शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 730 से 732, 735, 736 और 738 से 740	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—301
तारांकित प्रश्न संख्या : 709 से 728 (6.5.85) 729, 733, 734, 737 और 741 से 749 (7.5.85)	24—52
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5226 से 5271, 5273 से 5325, 5327 से 5345, 5347 से 5380, 5382 और 5384 से 5402 (6.5.85) 5403 से 5418, 5420 से 5483 और 5485 से 5541 (7.5.85)	52—301
दिनांक 26 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 और 1161 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण	302
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	316 - 320
स्वतन्त्रता सैनिकों और स्वतन्त्रता सैनिकों की विधवाओं को पेंशन की राशि में वृद्धि करने के संबंध में वक्तव्य	320
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन 320

विधेयक – पुरः स्थापित

चाय कम्पनी (रूग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1985 321

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के बारे में विवरण 322

नियम 377 के अधीन मामले 322—326

(एक) महाराष्ट्र में भण्डारा-तुमसर और गोंदिया में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी 322

(दो) मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा 322

(तीन) त्रिवेन्द्रम स्थित पारपत्र संपर्क कार्यालय में उन सुविधाओं का पुन: उपलब्ध कराने की आवश्यकता जो वहां पहले उपलब्ध थीं

श्री टी० बशीर 323

(चार) उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में पड़े अभूतपूर्व सूखे के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री बलराम सिंह यादव 323

(पांच) समस्तीपुर-बाराबंकी रेल लाइन पर पड़ने वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने और वहां शेडों की व्यवस्था करने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 324

(छः) बिहार में हाजीपुर और सुगौली के बीच रेल लाइन बनाने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह 324

(सात) रेल लाइन को मसलीपत्तनम से विजयवाड़ा ले जाने पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता

श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव 325

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 326—406

(एक) श्रम मंत्रालय (जारी– समाप्त)

श्री के० राममूर्ति 326

श्री दामोदर पाण्डे 329

श्री अमल दत्त 334

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 341

श्री मूल चन्द डागा 343

श्री थम्पन थोमस 348

डा० के० वी० थामस 352

श्री राज कुमार राय 354

श्री सी० कुप्पुस्वामी 356

श्री आर० अन्नानम्बी 356

श्री नन्द लाल चौधरी 361

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 363

श्री इन्द्रजीत गुप्त 366

श्री मदन पाण्डे 376

श्री सी० सम्बु 378

श्री अजीज कुरेशी 381

श्री दिलीप सिंह भूरिया 384

प्रो० सैफुद्दीन सोज 386

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 389

श्री सी० जंगा रेड्डी 391

श्री टी० अंजैया 392

(दो) पर्यावरण और वन, वित्त, सूचना और प्रसारण, विधि और न्याय मंत्रालय आदि आदि । 401

विषय	पृष्ठ
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक	407
विधेयक पुरः स्थापित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	
सभापटल पर रखे गए पत्र	408

लोक सभा

मंगलवार, 7 मई, 1985/17 बैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) .

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदर्भ (महाराष्ट्र) में भारी उद्योग स्थापित करना

[हिन्दी]

*730. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थापित किए गए भारी उद्योगों के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विदर्भ मंडल में कितने भारी उद्योग हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक रूप से पिछड़े मंडलों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भारी उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार विदर्भ मंडल में कौन-से उद्योग स्थापित करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) : सरकार की नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना और इसी उद्देश्य से सरकार देश के उन क्षेत्रों के लिए राज सहायता, रोजकोषीय रियायतें और औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में तरजीह देना है जो पिछड़े हुए हैं । किन्तु किसी विशिष्ट क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और उद्यमी उन क्षेत्रों में जाना पसन्द करते हैं जहां स्थान, कच्चे माल, कुशल जनशक्ति और बाजारों की उपलब्धता के रूप में एककों की स्थापना करने में लाभ हो । इन सभी रियायतों के बावजूद उद्यमी ऐसे कुछ क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते जहां ये लाभ विद्यमान नहीं हैं ।

बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में केन्द्रीय पूंजी निवेश खासकर मूलभूत किस्म का होता है और ऐसी परियोजनाओं के लिए स्थान का निर्णय व्यापक तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों को तरजीह अधिमान दिया जाता है।

विदर्भ क्षेत्र में विद्यमान और कार्यान्वित किए जा रहे उद्योगों की सूची अनुबन्ध-1 में दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वर्ष 1982 से 1984 के दौरान जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1982	9	5
1983	18	15
1984	26	19

जिन पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे उनके नाम और निर्माण की वस्तुओं की सूची अनुबन्ध-2 में दी गई है।

अनुबन्ध-1

विदर्भ क्षेत्र में विद्यमान एककों और कार्यान्वित किए जा रहे औद्योगिक एककों की सूची (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई)

1. मिस्तल गल्वेनाइजिंग
2. नोबेल एक्सप्लोकेम
3. लार्सन एण्ड ट्युब्रो सीमेंट
4. माणिक घर सीमेंट
5. अशोक लीलैंड
6. एम. ए. एम. सी.
7. हरी गंगा स्टील
8. फर्थ स्टील
9. रवीन्द्र स्टील
10. विस्को
11. गौरव पेपर्स
12. हिन्दुस्तान वीवर्स
13. ओरिएन्ट सिंटेक्स
14. वर्धमान सिंटेक्स
15. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास
16. गार्डन रीच
17. बल्लारपुर पेपर
18. ए. सी. सी. सीमेंट फैक्टरी
19. सिम्प्लेक्स पेपर मिल्स
20. एलोरा पेपर मिल्स
21. भंडारा डिफेंस फैक्टरी
22. नागपुर डिफेंस फैक्टरी
23. चन्द्रपुर डिफेंस फैक्टरी
24. महाराष्ट्र एक्सप्लोसिव्स
25. यूनिवर्सल फेरो-अलायज
26. महाराष्ट्र इलेक्ट्रांस्मेल्ट लि०
27. वोल्टास

प्रस्तावित परियोजनाएं

1. सीकम (एस० आई० सी० ओ० एम०) संयुक्त क्षेत्र डेटोनेटर्स
2. सीकम संयुक्त क्षेत्र वेल्डिंग इक्विपमेंट

3. सीकम संयुक्त क्षेत्र सीमेंट
4. सीकम संयुक्त क्षेत्र विशेष कागज
5. सनफ्लैग इंडस्ट्रीज
6. स्टील वर्क्स

अनुबन्ध-2

1982 से 84 के दौरान विदर्भ क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का ब्योरा

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	स्थान	निर्माण की वस्तुएं
1	2	3	4
		1982	
1.	महाराष्ट्र एस्बेस्टास प्रा० लि०, बम्बई	भंडारा	एस्बेस्टास सीमेंट पाइप तथा सहायक सामान।
2.	सिमप्लेक्स मिल्स कं० लि०, बम्बई	भंडारा	लुगदी आदि।
3.	बजाज पोलिपाइप्स लि०, नागपुर	चन्द्रपुर	रिजिड पी० वी० सी० पाइप आदि।
4.	विदर्भ फ्लाउर एण्ड दाल इंडस्ट्रीज, शिवनगर, वर्धा	वर्धा	गेहूँ के उत्पाद।
5.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स कार० लि०, बम्बई।	नागपुर	टू-वे-रेडियो कम्युनिकेशन एण्ड सलाइड इक्विपमेंट।
		1983	
1.	हरिगंगा अलायज एण्ड स्टील लि०, नागपुर	नागपुर	इलेक्ट्राडं क्वालिटी कार्बन स्टील आदि के इनगांट्स।
2.	विदर्भ आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन लि०, बम्बई	नागपुर	स्टील इनगाट्स/कास्ट बिलेट्स
3.	विदर्भ वीनियर इंडस्ट्रीज लि०, नागपुर	नागपुर	ब्लैक बोर्डों, फ्लश डोरों आदि सहित सभी प्रकार की प्लाइवुड।
4.	महाराष्ट्र स्टेट आयल सीड्स कमर्शियल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, बम्बई।	वर्धा	काटन सीड्स, रिफाइन्ड आयल आदि।
5.	शौरदा इंडस्ट्रीज एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०, नागपुर	नागपुर	हाट रिरोल्ड प्राडक्ट्स
6.	हरियाणा मेटल एण्ड रिरोलिंग मिल्स प्रा० लि०, नागपुर	नागपुर	हाट रोल्ड बार्स/राड्स आदि के निर्माण सहित स्टी की रिरोलिंग

1	2	3	4
7.	दि विदर्भ को-आपरेटिव सोसायटी लि०, महाराष्ट्र	अकोला	काटन सीड आयल
8.	झुनझुन वाला रोलिंग मिल्स एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स, महाराष्ट्र	बुल्डाना	राउंड्स, थिन फ्लैट्स तथा फ्लैट्स
9.	विदर्भ रोलर फ्लाउर मिल्स, नागपुर	अकोला	गेहूँ के उत्पाद।
10.	श्री लक्ष्मी फ्लोउर मिल्स, मध्य प्रदेश	भंडारा	गेहूँ के उत्पाद।
11.	मेसर्स महाराष्ट्र स्टील रोलिंग मिल्स, नागपुर	नागपुर	एम० एस० राउंड्स ऐंगल्स आदि।
12.	मेसर्स यू० के० रोलर फ्लाउर मिल्स, नागपुर	नागपुर	गेहूँ के उत्पाद।
13.	प्रभा स्टील इन्डस्ट्रीज लि०, नागपुर	नागपुर	एस० एस० बार्स, राड्स आदि।
14.	आर्ट प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	भंडारा	डेकोरेटिव विनीयर्स।
15.	एन० टी० पावर ट्रांसफार्मर्स, लि०, बम्बई	नागपुर	पावर ट्रांसफार्मर्स
		1984	
1.	अकोला आयल इन्डस्ट्रीज लि०, अकोला	अकोला	आक्सीजन गैस।
2.	महाराष्ट्र एक्सप्लोसिव्स लि०, बम्बई	वर्धा	स्लरी एक्सप्लोसिव्स
3.	श्री राधे रोलर फ्लाउर मिल्स प्रा०लि०, वर्धा	वर्धा	गेहूँ के उत्पाद।
4.	अजन्ता एक्सट्रैक्शन्स, वर्धा	वर्धा	काटन सीड्स, आयल केक आदि।
5.	नोबेल एक्सप्लोकेम लि०, बम्बई	वर्धा	एन० जी० एक्सप्लोसिव्स
6.	मित्तल गल्वेजाइन लि०, कलकत्ता	नागपुर	गल्वेनाइजड प्लेन कारुगेटेड शीट्स आदि।
7.	एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कं० लि०, कलकत्ता	नागपुर	नाइट्रोजन गैस।
8.	दि नागपुर विनकर सहकारी, नागपुर	नागपुर	काटन यार्न।
9.	विदर्भ स्टील रोलिंग मिल्स, नागपुर	नागपुर	एम० एस० राउंड्स, टार स्टील, फ्लैटस आदि।
10.	नागपुर स्टील एण्ड अलायज प्रा० लि०, नागपुर	नागपुर	एम० एस० कोल्ड ट्विस्टेड डिफार्म्ड बार्स आदि।

1	2	3	4
11.	रोजेश स्टील इन्डस्ट्रीज, नागपुर	नागपुर	एम० एस० राउंड्स, बार्स, सी० टी० डी० बार्स आदि ।
12.	गणसंज लि०, बम्बई	नागपुर	कैमिकल मशीनरी ।
13.	नेशनल रिरोलिंग मिल्स, नागपुर	नागपुर	कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, राउंड्स, बार्स आदि ।
14.	यूनी फेरो इंटरनेशनल लि०, बम्बई	भंडारा	प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स ।
15.	सोलर केमिकल्स, चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	सिंगल सुपर फास्फेट सल्फ्युरिक एसिड ।
16.	सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बम्बई	चन्द्रपुर	पोर्टलैंड सीमेंट
17.	वोल्टास लिमिटेड, बम्बई	चन्द्रपुर	डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स ।
18.	आदित्य इन्जीनियरिंग प्रा० लि०, मेरठ	चन्द्रपुर	आक्सीजन गैस आदि ।
19.	हरिगंगा मशीनरीज एण्ड इंजीनियरिंग सर्विस लि०, नागपुर	नागपुर	ई० ओ० टी० क्रेन्स, पोरटेबल जिब क्रेन्स आदि ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह काफी लम्बा विवरण है ।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बहुत लम्बा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : हैवी इन्डस्ट्रीज के मुताल्लिक होगा ।

श्रीमती ऊषा चौधरी : अपने प्रश्न में मैंने लम्बी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहीं थी । जो छोटे उद्योग उन्होंने लगाये हैं, वह भी इस सूची में दे दिये हैं । हम चाहते थे कि सरकारी उद्योग कितने हैं और प्राइवेट सैक्टर के कितने उद्योग हैं ?

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहती थी कि क्या ऐसे उद्योग उन्होंने वहां लगाये हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो ? इस सूची से तो यह भी मालूम नहीं होता कि प्राइवेट इन्डस्ट्रीज कौन-सी हैं और पब्लिक सैक्टर की कौन-सी हैं ?

इसमें विदर्भ की जो सूची दी गई है कि इतने छोटे उद्योग हैं, उससे तो विदर्भ की बेरोजगारी और इन्डस्ट्रियल बैकवंडनेस दूर नहीं हो सकती । मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह भी बताया है कि हम क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना चाहते हैं । अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री जी ने

भी बड़े जोर से बताया था कि हम इस देश में रीजनल इम्बेलेन्स दूर करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जैसा हम देखते हैं बड़े-बड़े उद्योग बंबई, पूना, थाणे, नासिक, औरंगाबाद में ज्यादा लगे हुए हैं और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स भी वहीं पर लगाने के लिए जोर देते हैं।

मेरा सवाल यह है कि इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये क्या सरकार की नई नीति ऐसी रहेगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चरौली क्षेत्रों में सरकारी उद्योग और बड़े उद्योग लगाने की कोशिश हो ? आपने जो नीति बनाई है और बजट में भी जो पेश की है, क्या आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, सरकार की नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करना है। उद्योगों की स्थापना करना मूलतः प्रदेश सरकारों का काम है। हम पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास चाहते हैं और उसमें औद्योगीकरण को महत्त्वपूर्ण माध्यम मानते हैं, लेकिन हम प्रदेश सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता कर सकते हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के लिये सैन्ट्रल इन्वैस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, बेकवर्ड एरिया स्कीम, कन्सैशनल फाइनेंस स्कीम, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम इत्यादि में प्रोत्साहित ही कर सकते हैं। उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन सीधे उद्योग मन्त्रालय द्वारा उद्योग स्थापित करने का फैसला नहीं होता है। हां, हमारे पास जो उद्योग स्थापित करने के लिये आते हैं, उसमें हमारी कोशिश यह होती है कि इन्वैस्टमेंट के लिये डायरैक्ट कर सकें और पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाने के लिये प्रोत्साहित कर सकें। विदर्भ क्षेत्र में विद्यमान ईकाइयां जो इस वक्त कार्य कर रही हैं, उसकी सूची मैंने बताई है। उसमें अगर यह विवरण नहीं है कि कौन निजी क्षेत्र में है और कौन सार्वजनिक क्षेत्र में है, तो वह विवरण मैं माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का जवाब सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। हम इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का विकास नहीं चाहते हैं, हम इन्डस्ट्रीज का विकास चाहते हैं। बेरोजगारी की जो समस्या है....

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को कोई ऐसा काम करने के लिए मैं रोक रहा हूं, जिससे माननीय महिला सदस्य को कोई व्यथा हो।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में न ले जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : दूसरा मुझे यह खेद है, जब हमारी नीति की बात आती है, पालिसी की बात है, हम बजट पर भी बोल चुके हैं और जवाब में भी लिख चुके हैं कि रिजनल इम्बैलेंसिस को दूर करने के लिए हमारी राष्ट्रीय नीति होगी, कोई स्टेट पॉलिसी अलग नहीं हो सकती है। जैसे अमरावती जिले में मालाघाट क्षेत्र है, जहां काफी ट्राइबल्स रहते हैं, जो नंगे भूखे हैं, इस क्षेत्र के लिए हमारी काफी दिनों से मांग रही है कि इस क्षेत्र को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड आप घोषित करें। आप अभी-अभी बोल रहे थे कि स्टेट से लिस्ट आती है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कब तक आप देंगे। विदर्भ इन्डस्ट्रियल बैकवर्ड है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है।

अध्यक्ष महोदय : कब तक देते रहेंगे ?

(व्यवधान)

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष जी, एक मिनट । कितने इन्डस्ट्रियलिस्ट आपके पास आते हैं और कितने लोगों को आप लाइसेंस देते हैं । इसको पूछने का हमारा कोई इरादा नहीं है । यह जवाब भी हम नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन कैसे दूर हो और बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर हो । मेरा एक खास सवाल है........

अध्यक्ष महोदय : ऊषा जी, आपसे मेरी हमदर्दी अब हटती जा रही है ।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन आप हमें पूछने दीजिए। हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं ।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : छोटे यूनिट को जब तक आप ताल्लुका लेवल पर इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित नहीं करते हैं, तब तक बीस प्वाइंट प्रोग्राम का कोई असर ट्राइबल एरियाज में नहीं हो रहा है । इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस क्षेत्र को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दें । मैं इस प्रश्न को यहीं समाप्त करता हूँ ।

[हिन्दी]

अब आप बैठ जाइए, आप ज्यादती कर रही हैं ।

[अनुवाद]

मैं इस प्रश्न को असंगत मानता हूँ ।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हम उसको क्या क्लीयर नहीं करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर न देने के लिए कहूँगा ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को सतर्क करता हूँ कि इस प्रकार की कटु निंदा न करें । मैंने परसों भी कहा और आज भी सतर्क कर रहा हूँ । मैं इस प्रश्न को असंगत मानता हूँ और यदि इसे

जारी रखा जायेगा तो मैं मन्त्री महोदय को कहूंगा इसका उत्तर न दें। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रश्न काल है ना कि वाद-विवाद।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, किसी भी जिला विशेष को पिछड़ा हुआ घोषित करने के संबंध में सरकार की निश्चित नीति है। कुछ आधार मानकर प्रदेश सरकारों को आधार देकर कहा गया था कि वे अपनी संस्तुति करें। किसी भी जिले में जहां कोई बड़ी या मध्यम दर्जे की ईकाई नहीं थी, 1981 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, के निर्देश पर तमाम प्रदेश सरकारों को यह कहा गया था कि वे ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करें और उसकी सूची भेंजे।

प्रदेश सरकारों द्वारा उन जिलों की सूची केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करायी गई और उसी आधार पर उन जिलों को उसी के अनुसार दोहराया। जिन जिलों में कोई बड़ी या मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाई नहीं थी उनको नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट या 'ए' कैटेगिरी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, लेकिन उसके साथ-साथ 'बी' कैटेगिरी और 'सी' कैटेगिरी डिस्ट्रिक्ट जो थे, उनको भी बहुत सारी सुविधायें, बहुत सारी रियायतें और बहुत सारी सहायता पिछड़े जिलों की स्कीम के अन्तर्गत उनको भी उपलब्ध कराई गई।

जिस जिले के लिए माननीय सदस्या ने कहा है, उस जिले का नाम प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन उसके साथ-साथ दूसरा प्रश्न उठता है कि ताल्लुका लेबल पर आप जब तक उसको पिछड़ेपन का आधार नहीं मानेंगे, तब तक इस नीति को कामयाबी के साथ लागू नहीं किया जा सकता।

श्रीमन् पहले ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री पाटिल इस सदन के अन्दर घोषणा कर चुके हैं। इस योजना को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है और एक वर्ष के अन्दर हम इसकी पुनर्समीक्षा कर रहे हैं। इन्टर मिनिस्ट्रयल कमेटी बनायी जा रही है जो इस योजना को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये, इसमें क्या संशोधन किये जायें, उस पर वह कमेटी विचार करेगी।

माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, उसको मैंने नोट कर लिया है। इसको उस पुनर्समीक्षा में शामिल कर लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : उद्योगों इत्यादि के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन की भावना महाराष्ट्र के कई जिलों में, जिनमें विदर्भ, मराठवाड़ा, कोकंण और पश्चिम महाराष्ट्र भी शामिल हैं, बड़े अरसे से व्याप्त है। कुछ अरसा पहले महाराष्ट्र विधान सभा ने एकमत से एक संकल्प पारित किया था जिसमें सरकार के जरिए राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विदर्भ मराठवाड़ा और बाकी महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया था ताकि उपरोक्त क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य हेतु निधि का समान वितरण किया जा सके। इस भावना और एकमत से पारित किए गए संकल्प को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इन तीनों क्षेत्रों के लिए ऐसे विकासीय बोर्ड बनाने का है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से संबद्ध नहीं है।

वायुसेना विमान चालक

[हिन्दी]

*731. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों की संख्या को देखते हुए सरकार के पास पर्याप्त संख्या में विमान चालक हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विमान चालक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकें इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने जवाब में बताया है कि आज हमारी वायुसेना के पास जितने हवाई जहाज हैं, उस प्रमाण में विमान चालक उपलब्ध हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र नये-नये लड़ाकू हवाई जहाज खरीद रहे हैं और आने वाली शक्तियां शस्त्रास्त्र को बढ़ावा दे रही हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने भी नये-नये ढंग से हवाई जहाज यहां इंट्रोड्यूस करने का इरादा रखा है जैसे कि कैम्बरा, मिग, जगुआर। जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए विशेष ढंग से प्रशिक्षण लगता है तो हमारे और विमान चालक लगेंगे। क्या उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विमान चालक उपलब्ध हैं।

हाल ही में अभी प्रशिक्षण लेने वाले जो हवाई जहाज थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या आने वाले दिनों में ऐसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए कोई उपाय हम करने वाले हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंहराव : श्रीमन्, हमारे पास जितनी तरह के वायुयान हैं और आगे होंगे, सबके लिए हमारे पास पायलट मौजूद हैं और पायलट की व्यवस्था की जायेगी। न तो अब कमी है और न आगे कमी होगी।

एक्सीडेंट का जहां तक प्रश्न है, इस प्रश्न के संदर्भ में पूरी तरह उसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन मुझे मालूम है कि एक्सीडेंट के बारे में सदन चिंतित है और सदन के सदस्य भी चिंतित हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा है और लिखा है। मैंने उनको जवाब दिया है। तब भी मैं सदन से यह कहना चाहूंगा कि ऐक्सीडेंटस के बारे में हमारा क्या तरीका रहा है, क्या हम कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं और सावधानी के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह सब मैं सदन को बताने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

प्रो॰ मधु दण्डवते : आप भूतपूर्व पायलटों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

श्री अमल दत्ता : शायद वायुसेना अधिकारी लाफोते की अध्यक्षता में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में जांच कराई गई थी और दुर्घटनाओं का कारण उन्होंने उड़ान के दौरान अनुशासनहीनता बताई। इस अनुशासन हीनता से उनका तात्पर्य यह था कि पायलटों को उस जहाज के चलाने के बारे में समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

श्री पी॰वी॰ नरसिंहराव : उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित अनेक मामलों के सम्बन्ध में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और अन्य उपाय किए भी जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा मैं सभा को विश्वास में लेने के लिए तैयार हूं और उन्हें बता दूंगा कि क्या उपाय किए गए हैं और क्या उपाय करने का विचार है लेकिन अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के दौरान इस सम्बन्ध में विस्तृत उत्तर दे पाना संभव न होगा।

राज्यों में औद्योगिक उपक्रमों के स्थान चयन का मानदंड

*732. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए स्थानों के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में राज्य में जनसंख्या की सघनता और उसके औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राज्य विशेष में उपक्रम की स्थापना करने की पहल करना मुख्यत: उद्यमी पर निर्भर करता है। किन्तु पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार इन जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दे रही है और केन्द्रीय निवेश राज सहायता देकर और वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज की कम दर आदि सुविधाएं/प्रोत्साहन प्रदान करती रही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की शहरी सीमाओं में और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की नगर की सीमाओं के अन्दर नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना और विद्यमान उपक्रमों के विस्तार को प्रोत्साहन न देना भी सरकार की नीति है।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, एकदम घिसा-पिटा उत्तर दिया गया है। यदि आप रिकार्ड देखें तो पाएंगे कि 1980 से ऐसे प्रश्नों के लिए यही उत्तर दिया जा रहा है और कुछ भी नई बात नहीं बताई जाती ......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर कैसे एक समान हो सकता है ?

श्री अमर राय प्रधान :- कुछ प्रगति नहीं हुई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1979-80 में उद्योग रहित जिलों की संख्या 102 थी और अब 1985-86 में ऐसे जिलों की संख्या 90 है। इसका अर्थ यह है कि केवल 12 जिलों में ही उद्योग स्थापित किए गए और अगर रफ्तार यही रही तो बाकी के 90 जिलों का विकास करने में 45 वर्ष लग जाएंगे......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई ज्यादा लम्बा अर्सा नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : हाँ, कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं केवल 45 वर्ष ही लगेंगे। उत्तर में कहा गया है कि पहल उद्यमियों को ही करनी चाहिए। अगर सब उद्यमियों को ही करना है तब तो केन्द्र को राज्यों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए तथा राज्यों को केन्द्र पर आरोप नहीं लगामा चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि आरम्भिक जिम्मेवारी केन्द्र की है। अतः मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इन पिछड़े इलाकों में कुछ उद्योग खासकर सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने के लिए पहल करेगी। वे उद्योग क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं या दक्षिणी क्षेत्र में अथवा देश के किसी और भाग में। कृपया इस मामले को गंभीरता से लें। ऐसा मत सोचिए कि देश में यही भाग पिछड़े हुए हैं और भी हिस्से हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक-सा उत्तर दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि हम निरंतर इस बारे में स्वीकृत नीति का पालन कर रहे हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने में पहल करेगी। सरकार ने पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने में एक नहीं अनेक बार पहले की है और उस नीति का पालन करते हुए पिछड़े इलाकों के विकास की योजना तैयार की गई थी।

पिछड़े इलाकों के लिए केन्द्रीय निवेश सम्बधी आर्थिक सहायता योजना, परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायया योजना, वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्त आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार सरकार अनेक बार पहल कर चुकी है तथा पिछड़े इलाकों के विकास के लिए निवेश करने का यथा संभव-प्रयास कर रही है।

श्री अमर राय प्रधान : यह वास्तविकता है कि जिन जिलों में उद्योग नहीं हैं उनमें से 37 जिले पूर्वोत्तर क्षेत्र, प. बंगाल के उत्तरी हिस्से यानि प. बंगाल और उत्तर बिहार में हैं। सरकार द्वारा बहुत अधिक आर्थिक सहायता तथा प्रोत्साहन देने के बावजूद किसी भी उद्यमी ने उन क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में पहल नहीं की है। अतः क्या मैं जान सकता हूं—मैं माननीय प्रधान मंत्री से भी अनुरोध करूंगा—कि क्या केन्द्र सरकार इन जिलों में लघु इस्पात संयंत्र जैसे कुछ उपक्रम स्थापित करने के लिए पहल करेगी ?

माननीय प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में मुझे भी घसीट लिया है। अतः मैं उन्हें इसका उत्तर दूंगा। प्रश्न यह है कि हम पिछड़े इलाकों, जिन्हें "उद्योग रहित जिले कहा जाता है, के विकास के लिए कुछ प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां उद्योग स्थापित करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये प्रोत्साहन सुविधाओं के एवज में हैं। बहुत से लोगों ने उद्योग रहित क्षेत्रों" में तथा पिछड़े इलाकों में जाकर उद्योग

स्थापित किए हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकारों ने उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए माहौल पैदा किया है जहां उद्योगपति उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं। अगर नहीं तो उस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न क्योंकि उद्योगस्थापित करने के लिए स्थानों से संबंधित है अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जब कभी विभिन्न राज्यों में उद्योग, स्थापित करने के लि' योजना आयोग से संपर्क किया जाता है तो वह हमेशा यह जांच करने की कोशिश करता है कि वहां रेल तथा बन्दरगाह जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं और जब राज्य योजना आयोग से वहां नई रेल लाइनें बिछाने तथा बन्दरगाह बनाने के लिए संपर्क करते हैं तो योजना-आयोग कहता है कि वहां उद्योग नहीं है अतः रेल-लाइनें नहीं बिछाई जाएंगी। इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री हमें आश्वासन देंगे कि वे योजना आयोग के साथ विचार विमर्श करके हमेशा के लिए इस मामले को हल कर लेंगे ताकि राज्यों को हर बार ऐसी दुविधा का सामना न करना पड़े।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस समस्या का हल एक निरन्तर प्रक्रिया है। हम इस पर हमेशा विचार करते रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जैसा अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कई जगहों पर वातावरण नहीं बना है, लेकिन हमारी नीति यह है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहां हम उद्योग नहीं लगायेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह जो असमानता पैदा हुई है इसलिये है कि सारे उद्योग बड़े-बड़े शहरों में खुलते जा रहे हैं जो एक तरह से उन बड़े शहरों पर बोझ बनते जा रहे हैं। जब सरकार की नीति सभी पिछड़े जिलों में उद्योग खोलने की है तो जो जिले आपके लिस्ट में पिछड़े हुए हैं क्या आप प्राथमिकता के आधार पर वहां वे सब साधन जुटायेंगे और ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिनकी वजह से वहां उद्योगों की स्थापना हो सके। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी जानना चाहूंगी कि मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड में छतरपुर और टीकमगढ़ जिले औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, आपकी लिस्ट में भी उनका नाम है। क्या वहां पर उद्योग लगाने की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर सब सुविधायें जुटायेंगे तथा कोई भी उद्योग, चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी, एक लाख रुपये, उससे वृहद या मीडियम, खोलने की पालिसी है ? यदि है तो कब तक खोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो आ चुका है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं जवाब की आशा करती हूं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वोत्तर राज्य ही ऐसे राज्य हैं जहां अधिकतर आदिवासी निवास करते हैं तथा उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी नहीं है कि वे उद्योग लगाने में पहल करें। अतः क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में स्वयं आधारभूत सुविधाएं स्थापित करदे,

सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग लगाने तथा स्थानीय लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं पहल करेगी ताकि वे इन उद्योगों का प्रबन्ध स्वयं चला सकें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जहां तक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का संबंध है, पिछड़े जिलों में उक्त सुविधाएं स्थापित करने के लिए विशेष योजनाएं बनी हुई हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों के लिए ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा मतलब है पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कोई भी पिछड़ा इलाका। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूलतः यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि केन्द्र सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाने की जिम्मेदारी ले ले जिन्हें विकसित किया जाना है। मालूम नहीं राज्य सरकारों को केन्द्र का यह प्रस्ताव स्वीकार है अथवा नहीं। लेकिन योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार 2 करोड़ रुपए, वित्तीय संस्थाएं 2 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारें अपने स्रोतों से 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगी। इसी तरह लघु उद्योग स्थापित करने के लिए हम राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता दे रहे हैं। उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी संस्थाएं हैं, जो उन राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखती हैं जो उद्यम विकास योजनाएं तथा प्रोत्साहन पाठ्यक्रम आयोजित करती हैं।

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में भारी उद्योग

[हिन्दी]

*735. **श्री निर्मल खत्री** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैजाबाद जिला (उत्तर प्रदेश) केन्द्र सरकार द्वारा घोषित केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता योजना के अन्तर्गत आता है; और

(ख) क्या इस पिछड़े जिले में भारी उद्योग स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। फैजाबाद को वर्ग "ख" के अन्तर्गत आनेवाले जिले के रूप में चुना गया है, और यह 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये तक की केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र है।

(ख) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए आशय-पत्रों की स्वीकृति हेतु 4 आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : मान्यवर, संभवतः ये चार उद्योगों के आवेदनपत्र, जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, निजी क्षेत्र के हैं। अपनी इस जानकारी को सही मानते हुए, मैं यह बताना चाहता हूँ कि सार्वजनिक उपक्रम जो भी इस देश में स्थापित हैं, उनमें से सिर्फ पांच प्रतिशत

उत्तर प्रदेश में हैं जबकि उत्तर प्रदेश 1/6 आबादी रखता है पूरे देश में। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो अन्याय होता रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए और फैजाबाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई सार्वजनिक उपक्रम का कोई उद्योग फैजाबाद में स्थापित करने पर विचार करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् बड़ी औद्योगिक परियोजना में केन्द्रीय पूंजी निवेश मूलभूत किस्म का होता है और ऐसी परियोजना के लिए स्थान का निर्णय...

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी क्लिष्ट हिन्दी बोल रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हिन्दी में सवाल पूछा गया है, हिन्दी में जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : डागा जी को इसमें कोई एतराज है।

श्री पी० एम० सईद : हम लोगों के लिए समझना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं साथ-साथ ट्रान्सलेशन करवा रहा हूं। मंत्री जी अब जवाब दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ऐसी परियोजना के लिए स्थान का निर्णय व्यापक तकनीकी, आर्थिक आधार पर किया जाता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता भी दी जाती है। सार्वजनिक उपक्रम लगाने के लिए स्थान का चयन संबंधित मंत्रालय को और उसके साथ-साथ प्लानिंग कमीशन को करना होता है। उसका सीधा संबंध अकेले औद्योगिक विकास मंत्रालय से नहीं होता लेकिन अगर माननीय सदस्य किसी ऐसे मंत्रालय को, जो अपना कोई सार्वजनिक उपक्रम लगाने जा रहा हो, इस बात के लिए तैयार कर लेगें, तो हमारे यहां से तो लाइसेन्स देने की औपचारिकता की जाती है और मैं समझता हूं कि उसमें इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री निर्मल खत्री : मेरे प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सेन्ट्रल सब्सीडी स्कीम फैजाबाद जिले में लागू है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अब इस स्कीम के लिए इकाई या मानक जिले से बदल कर तहसील को बनाया गया है, यदि हां तो कब से और ऐसा क्यों किया गया है? यदि मेरी यह जानकारी सही है तो क्या फैजाबाद जिले से टांडा तहसील को अलग किया गया है? अगर किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिले को मानक न मानकर, तहसील को मानक मान लिया गया हो। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसा मैंने पहले कहा फैजाबाद जिले के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस पूरी योजना की पुनर्समीक्षा के लिए एक इन्टर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप बनाया जा रहा है जो इसमें अपनी संस्तुति करेगा कि कैसे इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

श्री बलराम सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 में उत्तर प्रदेश के लिये भारी उद्योगों के कितने लेटर आफ इन्टेन्ट इशू किये गये और किस-किस जनपद के लिये कितने-कितने दिये गये?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, उत्तरप्रदेश के लिए 1982 में 111 लेटर आफ इन्टेन्ट इशू किये गये जिनमें से 62 पिछड़े हुए जिलों के लिये हैं। वर्ष 1983 में 128 इशू किये

गये जिनमें से 95 पिछड़े जिलों के लिए हैं। वर्ष 1984 में 132 इशू किये गये जिनमें से 97 पिछड़े हुए जिलों के लिए हैं। वर्ष 1985 में 59 जिनमें से 30 पिछड़े जिलों के लिये हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल लाइसेंस 1982 में 22 जिनमें से 5 पिछड़े हुए जिलों के लिये हैं। 1983 में 98 इशू किये गये। बाकी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री बलराम सिंह यादव : मैं जिलों के नाम जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : श्री उमा कान्त मिश्र।

श्री उमा कान्त मिश्र : आप नये उद्यमियों को कुछ सुविधाएं कुछ छूट देते हैं जिससे कि वे अपने उद्योग ऐसे स्थानों पर लगायें जहां पहले उद्योग नहीं हैं। लेकिन ये नये उद्योगपति भी वहीं अपने उद्योग लगाना चाहते हैं जो स्थान उद्योगों के केन्द्र हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जब सरकार लाइसेंस इशू करे तो उन्हें स्थान बताये कि ये पिछड़े जिले या तहसील हैं यहां-यहां आप उद्योग लगाएं? तभी जा कर इसका लाभ पिछड़े जिलों को होगा अन्यथा कोई लाभ पिछड़े हुए स्थानों को नहीं होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : स्थान के चयन की नीति सरकार की है जो कि 1977 से ही इस सम्बन्ध में लागू है। कोई भी लाइसेंस या लेटर आफ इन्टेन्ट देते वक्त हम यह देखते हैं कि इसका स्थान कहां होना चाहिए और इसके लिए उद्योगपति को भी कहते हैं और उसी के लिए रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उद्यमियों को पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया जा सके।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धन का आबंटन

[अनुवाद]

*736. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना में 6000 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20,000 करोड़ रु० का आबंटन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तीन गुना से भी अधिक राशि की मांग करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में पेट्रोलियम मंत्रालय का योजना परिव्यय मूल रूप से पहले 5228 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। योजना मध्यावधि के दौरान मूल्यांकन किये जाने पर संशोधित करके इसे 11043 करोड़ रुपए कर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने लगभग 34078 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय तैयार किया है।

(ख) सातवीं योजना में अधिक आबंटन की मांग में भारी वृद्धि के मुख्य कारण हैं:—

(1) विस्तृत भू-वैज्ञानिक और भू-भौतिकी सर्वेक्षण;

(2) नए तेल तथा गैस क्षेत्रों को खोजने के लिए गहन अन्वेषी खुदाई;

(3) बढ़े हुए उत्पादन के लिए अधिक संख्या में विकास कुओं की खुदाई;

(4) शोधन क्षमता विशेषकर मिडिल डिस्टिलेट्स की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा शोधनशालाओं का विस्तार तथा दो नई ग्रास रूट रिफाइनरियों को बनाना ताकि इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

(5) प्राकृतिक गैस के संसाधन, परिवहन, विपणन आदि की ओर अधिक ध्यान देना।

(6) सुरक्षा उपायों को भी ध्यान में रखते हुए एल. पी. जी. की बढ़ी हुई मात्रा की बाटलिंग तथा विपणन से संबंधित नई स्कीमों को चलाना, तथा

(7) गैस पर आधारित पेट्रो केमिकल्स काम्पलेक्स और परमाणु रिकवरी सुविधाओं की स्थापना।

श्री जी० जी० स्वैल : मुझे जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उससे छठी पंच वर्षीय योजना में आबंटन और सातवीं पंच वर्षीय योजना के अनुमान कहीं अधिक हैं। इसे अद्यतन करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का कृतज्ञ हूं। अब माननीय मंत्री महोदय अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के बारे में बोल रहे हैं।

इसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि बम्बई हाई तेल क्षेत्र में रिगों की 'ड्रिल' का घनत्व विश्व में एक निश्चित क्षेत्र के लिए सबसे कम है।

मैं नार्वे और ब्रिटेन जैसे देशों में तट से दूर तेल क्षेत्रों की तुलना में अपने बम्बई हाई के तट से दूर एक निश्चित क्षेत्र में रिगों का परिमान जानना चाहता हूँ।

किसी अन्य स्थान पर मंत्रालय ने हाइड्रो-कार्बन क्षमता के साथ 17.2 लाख वर्ग कि० मी० का क्षेत्र बताया है। मैं मोटे तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से वे क्षेत्र कहां हैं और क्या एरियल फोटोग्राफी करने वाले हमारे इन्सैट–1बी ने इसके मिलने की सम्भावना वाले और भी क्षेत्रों के बारे में बताया है तथा मंत्रालय ने जो क्षेत्र बताये थे; उनमें कितना क्षेत्र और बढ़ गया है।

तीसरे..........

अध्यक्ष महोदय : नहीं, और कोई प्रश्न नहीं। मैं अनुमति नहीं दूंगा। इसे छोड़ दीजिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह प्रश्न छठी पंचवर्षीय योजना की तुलना में सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए किये गये आबंटन से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने बम्बई हाई में रिगों के घनत्व के बारे में तथा अन्वेषण और 'स्पास्मिक' (अति संकुचन) सर्वेक्षण में इन्सैट क्या कार्य कर रहा है तथा क्या सहायता पहुंचा रहा है, इसके बारे में पूछा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा क्योंकि इसके लिए और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता।

श्री जी० जी० स्वैल : मुझे इन जैसे माननीय मंत्री हमेशा पसन्द हैं। वह हमेशा मित्रता-पूर्ण ढंग से स्पष्ट बात कहते हैं किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि ये सब प्रारम्भिक बातें हैं जिनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए था और आपके मंत्रालय को इसका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल : किसी अन्य स्थान पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे तट दूर क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य करने के लिए विदेशी कम्पनियों के लिए नए और अधिक आकर्षक रखे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तट के सम्बन्ध में भी।

श्री जी० जी० स्वैल : ठीक है। मैं तटवर्ती क्षेत्रों को भी शामिल करता हूँ। इस सभा को इसका पता है कि कल ही चेव्रोन नामक एक बहुराष्ट्रिक तेल कम्पनी सौराष्ट्र तट से हट गई है। माननीय मंत्री महोदय को पता होना चाहिए कि चीन द्वारा उदारतावादी आधुनिकतावादी नीति अपनाये जाने के बाद चीन के तट से दूर क्षेत्रों में रियायत देने के लिए बहुराष्ट्रिक तेल कम्पनियों में एक तरह से होड़—सी लगी हुई है।

मैं माननीय मंत्री महोदय अथवा उनके मंत्रालय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि चीन की कौन-सी शर्तें हैं जो इन बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को अधिक आकर्षित करने वाली हैं और हम लोगों की क्या शर्तें हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसका अध्ययन करेंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : उदारतावादी और आधुनिकतावादी प्रश्न के सम्बन्ध में, यह मंत्रालय भी इसे अपना रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप खोज कार्य तथा ड्रिलिंग के मामले में हम लोगों ने एक नया दृष्टिकोण और एक नया रवैया अपनाया है। इसी विचार से एक समय बद्ध कार्यक्रम के साथ हम लोग कुछ देशों की कुछ कम्पनियों के साथ सहयोग करने तथा उन्हें कुछ क्षेत्रों को देने के बारे में विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इस संबंध में रूस से भी बात-चीत कर रहे हैं। हम लोग कुछ क्षेत्र को रूस को देना चाहते हैं, जिससे कि वह उपकरणों, सेवा और खोज कार्य से संबंधित ड्रिलिंग कार्य का पूर्ण उत्तर-दायित्व उठा सके। निःसन्देह वाणिज्यिक ड्रिलिंग का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जायगा। इसीलिए, हम लोगों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि हमारा विचार है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को इस दिशा में प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और इसीलिए इस दिशा में हमें यह नया दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जहाँ तक 'चेव्रोन' का संबंध है, चेव्रोन ने यहां भी कार्य किया था और इसने तीन कुओं की खुदाई की थी किन्तु उसे तेल प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, अपना ठेका पूरा करने के बाद उसने इस देश को छोड़ दिया।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या मेरे प्रश्न का यही उत्तर है? मैं आपसे अपील करता हूँ, महोदय मैं यह जानना चाहता हूँ कि चीन ऐसा कौन-सा काम कर रहा है जिससे बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां उसके तटदूर क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित हैं और जो हम नहीं कर रहे हैं जिससे वे कम्पनियां हमसे दूर हट रही हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह अध्ययन का विषय है। हम लोग इसका पता लगा रहे हैं। और यदि इससे हमें लाभ होता है तो हम इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 34 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और राजस्थान में ड्रिलिंग का काम भी किया है तो मैं

यह जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो पूरा अंडेजर्ट एरिया है, उसके संबंध में इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे तरीके से एक्सप्लोरेशन करायेंगे, और जहाँ-जहाँ तेल निकलने की पोसीबिलिटिज हैं खासतौर से चुरु जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ तो क्या वहां पर भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक्सप्लोरेशन करायेंगे।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह इस प्रश्न से तो पैदा नहीं होता। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में तेल की खोज के काम को तेज किया जा रहा है और इसीलिए ओ० एन० जी० सी० के साथ-साथ ऑयल इण्डिया पंचवर्षीय योजना में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों के अन्दर······ (व्यवधान)

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : भीलवाड़ा········(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : भीलवाड़ा और जयपुर नहीं आते········(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सीकर तो कर दो।

श्री नवल किशोर शर्मा : सीकर के बारे में सोच सकते हैं। मैं यह कह रहा था कि उसके बारे में तेजी से काम करने की योजना है और काफी बड़ी धनराशि इस काम के लिए निश्चित की गई है। हमें आशा है कि प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति मिलने पर इस काम को तेजी से शुरु किया जा सकेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, चुरु जिले में ऐसी कोई संभावाएं नहीं हैं।

गुजरात में लघु कागज संयंत्र

[अनुवाद]

*738. **श्री अमरसिंह राठवा**
श्री मोहनभाई पटेल } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लघु कागज संयंत्र स्थापित किए गए हैं और गुजरात में इस प्रकार के कितने संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या व्यापक संसाधनों, गुजरात के आदिवासी इलाकों में जंगलों में लकड़ी तथा अन्य कच्चे माल की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार गुजरात में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लघु कागज संयंत्र स्थापित करने का है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कतिपय प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(ङ) देश में और अधिक लघु कागज संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) देश में प्रति वर्ष 10,000 मी० टन तक क्षमता वाले 211 मिनी कागज संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 35 संयंत्र गुजरात राज्य में हैं।

(ख) इस समय केन्द्र सरकार का गुजरात राज्य में कागज का कोई संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) कागज की विभिन्न परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर सिफारिशें मिलती रही हैं। गुजरात राज्य में विद्यमान 35 मिनी कागज संयंत्रों और 3 मझौले कागज संयंत्रों के अलावा, तकनीकी विकास के महानिदेशालय में कागज और गत्ता बनाने के लिए 43 एककों का पंजीकरण किया गया है, जिन्हें अभी उत्पादन शुरु करना है।

(ङ) गैर-परम्परागत कच्चे माल पर आधारित कागज संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी, आप मोनोपोलीज के खिलाफ हैं और फिर आप ये सारे सवाल आगे मोनोपोलाइज करते जा रहे हैं, क्या मसला है ?

श्री अमरसिंह राठवा : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में आदिवासी और पिछड़े इलाके बहुत ज्यादा हैं और इन आदिवासी, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में कागज तैयार करने के लिए कच्चा सामान बहुतायत में प्राप्त होता है तो क्या इसको देखते हुए सरकार ऐसे इलाकों में और खास कर गुजरात के छोटा उदयपुर में कागज बनाने के कारखाने के स्थापित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि माननीय सदस्य पेपर प्लांटस से अलग हट कर एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसे इलाके जहां भी हैं, ज्यादातर पिछड़े हुए इलाकों में ही आते हैं और वे भी उसी योजना के अन्तर्गत शामिल हैं जिन इलाकों में हम इंवेस्टमैंट को आकर्षित करना चाहते हैं, वहां ले जाना चाहते हैं। जैसा मैंने यहां अपने उत्तर में कहा, हमारे पास पेपर प्लांटस स्थापित करने के लिए जितनी दरख्वास्तें आई थीं, उन सभी पर फैसला हो चुका है, काफी विद्यमान हैं और काम कर रही हैं और बहुत-सी अन्डर-इम्प्लीमैंटेशन हैं, जिन्हें अभी उत्पादन शुरु करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही पुरानी बात है।

संसद में प्रथम बार आने वाले तथा अन्य पुराने सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे आयें और प्रश्न करने के बारे में कुछ प्रशिक्षण लें। क्योंकि हमें इस बात का पता लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि किन प्रश्नों को मौखिक उत्तर देने की सूची में रखा जा सकता है। उन्हीं प्रश्नों को दोहराया जा रहा है और हमें प्रश्नों का पता लगाने में दिक्कत हो रही है। यह अच्छा होगा कि हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं और हमें किस प्रकार के और किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिये। हमारे यहां संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो है।

आपका वहाँ स्वागत है। सत्र की समाप्ति के बाद हम आपको आमन्त्रित करेंगे और एक साथ बैठकर ऐसा कोई तरीका निकालने की चेष्टा करेंगे जिससे सभा के समय का सदुपयोग हो सके।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रश्नों की संवीष्ता करना और उनके बारे में निर्णय लेने का काम सचिवालय का है।

अध्यक्ष महोदय : हम यही करते हैं। इसीलिये हमारा कहना है कि हमें परेशानी हो रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब हम पांच प्रश्न पूछते हैं तब हम देखते हैं कि बिना महत्व के प्रश्न तारांकित प्रश्न बन जाते हैं और महत्त्वपूर्ण प्रश्न अतारांकित।

अध्यक्ष महोदय : जिसके बारे में पहले ही उत्तर दिया जा चुका है, उस बात को आप महसूस नहीं करते हैं। इसीलिये हमें संवीक्षा करनी पड़ती है। इसी कारण समस्या है। आपको प्राथमिकता का भी उल्लेख करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, देश में कागज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसा अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि गुजरात में 43 एककों का पंजीकरण हो चुका है परन्तु उनमें अभी उत्पादन शुरु होना है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सारे देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कागज के दामों में वृद्धि होती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि कोई गैर-परम्परागत कागज उद्योग स्थापित करना चाहता है तो क्या उसको सरकार की तरफ से रियायतें दी जाएंगी, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है।

अध्यक्ष महोदय : बता तो दिया है, और कितनी दफा बताएंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, गैस पर आधारित पेपर प्लाण्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, गैर-परम्परागत के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैं वही कह रहा था। श्रीमन्, अगर गैर-परम्परागत साधनों पर आधारित नए पेपर प्लाण्ट के लगाने की बात है, तो उसके लिए न केवल इजाजत है, बल्कि हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि वे लगाए जाएं।

श्री भानुप्रताप शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में मिनी पेपर प्लाण्ट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं और उसके कई अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जहां बगास और वेस्ट पेपर बहुत मात्रा में हैं, इन पर आधारित पेपर कारखानों को स्थापित करने के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है और इस दिशा में विगत दो-तीन वर्षों से अभी तक कितने लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मेरे पास अलग-अलग आंकड़ें तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 119 इकाइयां थीं, जो डी० जी० टी० डी० के साथ रजिस्टर्ड थीं और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में 132 और यूनिटें लगाई गई हैं। इस तरह कुल तादाद बढ़कर 251 हो गई है।

जैसा मैंने पहले कहा, इसका जो परम्परागत साधन है, उसकी कमी होती चली जा रही है और वैसे भी एनवायरनमेण्ट के एंगल से हमारी कोशिश यह है कि जंगल से लकड़ी कम से कम काटी जाए। इसलिए कोशिश करके यह काम किया गया है कि गैर-परम्परागत साधनों पर आधारित नए प्लाण्ट लगाए जाएं। जो अलग-अलग आंकड़े हैं कि उसके ऊपर कितनी यूनिटें रजिस्टर्ड हैं और कितने लैटर आफ इंटेण्ट दिए गए हैं, वह श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को अलग से बता दूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में कागज की कमी है और यदि यह सरकार मानती है कि जहां पर साधन उपलब्ध हैं वहां पर फैक्ट्रियां खोली जाएं, और कागज के लिए बगास जरुरी है, बांस जरुरी है और घास जरुरी है, तो देवरिया जनपद, एक ऐसा जनपद है, जहां 14 चीनी मिलें हैं, वहां पर बगास उपलब्ध है, बांस भी उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है, तो क्या मंत्री महोदय प्रयास करके देवरिया जनपद में कागज की फैक्ट्री लगवाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात बनी नहीं, यह तो स्टेट गवर्नमेण्ट का काम है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य किसी उद्यमी को लाएंगे जो फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हो, तो हम तैयार हैं।

पेट्रोलियम शोधनशालाओं के लिए आरक्षित विद्युत् संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

*739. **श्री वाई० एस० महाजन**
श्रीमती मनोरमा सिंह } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तेलशोधक कारखानों तथा मद्रास स्थित मद्रास तेलशोधक कारखानों में भाप के सह-उत्पादन की सुविधा के साथ आरक्षित विद्युत संयत्रों की स्थापना करने की मंजूरी दी है;

(ख) क्या आरक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना और राज्यविद्युत स्रोतों से बिजली की सप्लाई करने संबंधी सभी आर्थिक पहलुओं पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) क्षमता उपयोग, उत्पादन लागत और लाभ की दृष्टि से इन तेलशोधक कारखानों के समग्र कार्यकरण पर आरक्षित विद्युत संयंत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड में वाष्प के सह-उत्पादन की—जेनरेशन सहित लगभग 10 मेगावाट की क्षमता को बढाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जून, 1984 में स्वीकृति दे दी गई है। बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की शोधनशालाओं में वाष्प के सह-उत्पादन (को-जेनरेशन) की सुविधाओं सहित 30-30 मैगावाट क्षमता के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) रिफाइनरी जैसे निरन्तर प्रक्रिया वाले उद्योग में कैप्टिव विद्युत उत्पादन की आवश्यकता विद्युत सप्लाई के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए होती है। जिससे न केवल उत्पादन की तत्काल हानि होती है बल्कि उपकरणों को भी काफी क्षति पहुंचती है।

श्री वाई० एस० महाजन : महोदय, आरक्षित विद्युत संयंत्र लगाने का विचार बहुत उपयोगी है और उत्तर में यह कहा गया है कि इसके आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जा चुका है। पेट्रोल की हमारी आवश्यकता से हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आरक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने और उदाहरण के तौर पर, भारत पेट्रोलियम की जिसने अपनी क्षमता प्रतिवर्ष 60 लाख टन बढ़ा ली है, आवश्यकता पूरी करने के परिणामस्वरूप क्या विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है?

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य की यह टिप्पणी कि मंत्रालय इसके आर्थिक पहलू का अध्ययन कर रहा है, सही नहीं है। प्रश्न के भाग (ख) के बारे में हमने बताया है कि "जी हाँ, समग्र रूप से आर्थिक पहलू आरक्षित विद्युत संयन्त्रों की स्थापना के पक्ष में है। इसलिये, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उससे मैं सहमत हूँ। जहाँ तक भारत रिफाइनरीज में आरक्षित विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का प्रश्न है, हम इसके पक्ष में हैं और यह सरकार के लिये विचारणीय है और हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री वाई० एस० महाजन : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इन विद्युत संयन्त्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जायगा अथवा इनका वित्त पोषण तेल शोधक कारखाने के आंतरिक संसाधन से किया जायगा?

श्री नवल किशोर शर्मा : वित्त पोषण तेल शोधक कारखाने के आंतरिक संसाधनों से किया जायगा।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से हम संतुष्ट हैं।

कर्नाटक के मंत्रियों को वरीयता के आधार पर बिना बारी टेलीफोनों का आवंटन

[अनुवाद]

*740. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में अगस्त, 1984 से आज तक वरीयता के आधार पर बिना बारी टेलीफोन आबंटन किए जाने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) बिना बारी के टेलीफोन किस आधार पर दिए गये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार के मंत्रीगण बिना बारी वरीयता वाली सूची के अन्तर्गत आते हैं; और

(घ) क्या कर्नाटक सरकार के मंत्रियों को बिना बारी वरीयता के आधार पर टेलीफोन की सुविधा देने से इन्कार कर दिया गया था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अगस्त, 1984 से 30 अप्रैल, 1985 तक बंगलूर में बिना बारी के टेलीफोन आबंटित करने के बारे में 113 अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) एक्सचेंजों की कार्य-भार की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त मामलों में बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

(ग) सरकारी हैसियत में मंत्रियों की टेलीफोन संबंधी मांगें राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा पूरी की जाती हैं जो ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसे टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

(घ) जी नहीं। कर्नाटक सरकार के मंत्रियों की प्राथमिकता मांगें राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ परामर्श करके पूरी की गई थीं।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर सत्य से परे है। मैं यह बात प्रमाण के साथ कह रहा हूं। उस समय मैं सतारूढ़ दल में था और तब मैं मंत्री था। अनेक मंत्रियों को टेलीफोन नहीं मिले थे। कुछ टेलीफोन कुछ अधिकारीयों से वापिस ले लिये गये थे और बाद में मंत्रियों को दे दिये गये थे। मंत्रियों को टेलीफोन देने के संबंध में आपके पास समुचित मार्ग-निर्देश नहीं हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मानदण्ड हैं ? क्या मार्ग-निर्देश हैं ? 'उपयुक्त मामले' का निर्णय आप किस प्रकार करते हैं ? आपने 'उपयुक्त मामलों' के बारे में उत्तर में बताया है। टेलीफोन देने के क्या मार्ग-निर्देश और मानदण्ड हैं ? इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौनसा मामला उपयुक्त है।

श्री राम निवास मिर्धा : बंगलौर के जिस क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं और जिस क्षेत्र में मंत्रीगण तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारी रहते हैं, वह बंगलौर टेलीफोन्स के केन्द्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत आता है। यह एक्सचेंज पुराना है। इसकी क्षमता 13150 लाइनों की है जिनमें से 3300 लाइनों के उपस्कर खराब हो गये हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है। इस एक्सचेंज पर 94.77 प्रतिशत भार है। इसलिये, कभी-कभी यह समस्या खड़ी हो जाती है कि इस एक्सचेंज से हम कितने अधिक टेलीफोन दे सकते हैं। ठीक है, महोदय, राज्य सरकार से 43 अनुरोध प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की सलाह से 18 कनेक्शन दिये गये थे जिसमें से राज्य सरकार तथा मुख्य सचिव ने केवल 10 कनेक्शन

मंत्रियों को दिये थे। पद्धति यह है। हम लोग राज्य सरकार से सदा परामर्श लेते हैं। हम लोग उन्हें यह बताते हैं कि किसी विशेष एक्सचेंज से किसी विशेष समय में हम कितने कनेक्शन दे सकते हैं। इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है कि वह उन्हें किस प्रकार आपस में दे।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : उन्होंने जो बात कही है, वह अधिकारियों के संबंध में है। किन्तु मंत्रियों के आवास के संबंध में स्थिति क्या है? जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ के एक्सचेंज पर कोई भार नहीं था। मैंने अधिकारी को बुलाया था। उसने बताया कि मार्ग निर्देश में मंत्रियों को प्राथमिकता देने की कोई बात नहीं है। किन्तु अब आप कहते हैं कि मंत्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। उस समय उस अधिकारी ने कहा था कि मंत्रियों के लिये कोई प्राथमिकता नहीं है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि सही स्थिति क्या है।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि राज्य सरकार..............

प्रो० के० के० तिवारी : अब वह मंत्री नहीं हैं। वह क्या चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आशा ही जीवन है। जीवन आशा पर निर्भर है।

प्रो० के०के० तिवारी : भाग्यवस, श्री हेगड़े ने इन्हें यहाँ भेज दिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि राज्य सरकार चाहे तो मंत्रियों के आवास पर सरकारी टेलीफोन लगवा सकती है, इसकी कोई समस्या नहीं है। विधान सभा सदस्यों और विधान परिषद् सदस्यों को भी प्राथमिकता दी जाती है। मंत्री को इसे पाने में कोई समस्या नहीं है जब तक राज्य सरकार..............

अध्यक्ष महोदय : जनता ने ही उन्हें प्राथमिकता प्रदान कर दी है। समस्या यह है।

श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर : मंत्री महोदय मुख्य सचिव से जवाब तलब करें। तभी वह स्थिति को समझ सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : तीसरा प्रश्न नहीं, कृपया।

—श्री किशोर चन्द्र देव—अनुपस्थित।

—श्री प्रिय रंजन दास मुंशी—अनुपस्थित।

प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना

[हिन्दी]

*709. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2000 ई० तक देश की सारी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यक्रम बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस समस्या को कैसे हल करने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) बंजर तथा अकृष्य भूमि में सभी अनावर्त सीधी पहाड़ी ढलानें और अत्यधिक बंजर शुष्क पट्टियां शामिल हैं जिनको बहुत अधिक खर्च किए बिना कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की उपयुक्तता और उस पर आने वाली लागत को ध्यान में रखे बिना सारी बंजर भूमि में खेती की व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

तथापि, कृषि योग्य बेकार भूमि और जिस भूमि का भू-क्षरण तथा अवक्रमण होता रहता है उसका उत्पादन कामों के लिए उपयोग करने के लिए सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है :—

(1) 17 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 28 स्रवण क्षेत्रों में नदी घाट परि-योजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदासंरक्षण।

(2) सात राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 8 स्रवण क्षेत्रों में जिन नदियों में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है उनके स्रवण क्षेत्रों में समेकित वन धारा प्रबंध।

(3) 5 राज्यों में मरु विकास कार्यक्रम।

(4) 13 राज्यों के 88 जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

(5) हिमालय क्षेत्र के 12 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण।

(6) 15 राज्यों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों से कुल उत्पादन को स्थिर करने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए जल संरक्षण/उपयोग की तकनीकों का प्रचार।

(7) अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में झूम खेती पर नियंत्रण रखना।

(8) सामाजिक वानिकी जिसमें 157 चुनिंदा जिलों में ग्रामीण जलावन लकड़ी के लिये वृक्षारोपण करना शामिल है।

(9) उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के राज्यों के तंग घाटियों वाले क्षेत्रों का विकास तथा स्थायीकरण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चालू योजनाओं को जारी रखने के अलावा, सर्वेक्षण, श्रेणीकरण तथा पुनर्स्थापन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सुझाए गए हैं :—

(1) चालू परती भूमि के अलावा, कृषि योग्य बेकार भूमि तथा परती भूमि।

(2) जल लग्नता से प्रभावित क्षेत्र।

(3) लवणीय तथा क्षारीय भूमि, और

(4) तटीय लवणीय तथा रेतीले क्षेत्र।

ईंधन तथा चारा रोपण के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय बेकार भूमि विकास बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

फलों और सब्जियों का उत्पादन

*710. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि और ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फलों और सब्जियों का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो भारत में शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन कितना है;

(ग) उनका औसत उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1985-86 के दौरान अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) चूंकि भारत में अधिकतर फलों और सब्जियों के क्षेत्र, उत्पादन और उपज के अधिकृत और व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये भारत के अधिकतर फलों और सब्जियों की उत्पादकता की अन्य देशों में विद्यमान स्तर से तुलना करना संभव नहीं है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 1983-84 के दौरान केला, आलू, प्याज और शकरकन्द की उत्पादकता क्रमशः 14.6, 15.2, 10.1 और 7.1 टन प्रति हेक्टार है। अन्य देशों के साथ केवल आलू और प्याज की तुलना के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। प्याज के प्रति हेक्टार उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है, किन्तु आलू का उत्पादन अमेरिका, फ्रान्स और पश्चिमी जर्मनी के मुकाबले कम है।

2. अनुसंधान कार्य चार केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों, चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और ग्यारह तदर्थ अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। सातवीं योजना में शीतोष्ण बागवानी के लिये एक नया संस्थान और चार राष्ट्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना में बागवानी के विकास की कार्यनीति निम्नलिखित पहलुओं पर केन्द्रित होगी :—

(1) प्रति यूनिट क्षेत्र के उत्पादन को इष्टतम बनाना।

(2) उत्कृष्ट स्तर के पेड़ों वाले क्षेत्र का विस्तार।

(3) सब्जियों के बीजों के उत्पादन पर जोर देना।

(4) शुष्क क्षेत्रों में बागवानी का विकास।

(5) बागवानी उद्योग का एकीकृत विकास जिसमें परिसंस्करण, विपणन और निर्यात शामिल है।

3. भारत सरकार ने 1985-86 में बागवानी पर अनुसन्धान और विकास के लिये निम्नलिखित परिव्यय नियत किये हैं :—

(1) अनुसंधान — 739.5 लाख रु०

(2) विकास — 262 लाख रु०

चीनी के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

*711. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के लिए लेवी चीनी के अखिल भारत औसत निकासी मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जा रही चीनी के समान खुदरा मूल्य 4.00 रुपये से बढ़ाकर पहली अप्रैल, 1985 से 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिए गए हैं।

(ग) यह वृद्धि गन्ने की लागत में वृद्धि और अखिल भारत रूपान्तरण लागत आदि में वृद्धि होने के कारण हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाल श्रम मिशन द्वारा भारत का दौरा

+
712. श्री सुरेश कुरूप : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बाल श्रम परियोजनाओं का क्षेत्र अध्ययन करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से बाल श्रम मिशन 1983 में भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई परियोजनाएं कौन सी हैं;

(ग) क्या परियोजनाओं के लिए कुछ विदेशी दान/ सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्री ए० बीकयूली का एक सदस्यीय बाल श्रम मिशन भेजा। वर्ष 1983 के अंत में, उन्होंने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया जहां बाल श्रमिक अधिक हैं तथा उन्होंने बाल श्रमिकों के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही कुछ परियोजनाओं को भी देखा। अपने मिशन की समाप्ति पर श्री बीक्यूली ने एक्शन प्रोग्राम शुरु करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस परियोजना को शुरु करने हेतु कुछ अनुदान देने का आश्वासन दिया है।

कृषि का यन्त्रीकरण

*713. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि के यंत्रीकरण पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो छठी योजनावधि में कृषि यंत्रीकरण द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) उक्त योजनावधि में इस संबंध में क्या उपलब्धियां हुई हैं; और

(घ) सातवीं योजनावधि में यंत्रीकरण के अन्तर्गत अधिक एकड़ भूमि लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) सरकार ने कृषि के चयनात्मक यंत्रीकरण पर जोर दिया है।

(ख) छठी योजना के दौरान कृषि यंत्रीकरण की दर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) ट्रैक्टर, पावर टिलर, कटाई कम्बाइन, इत्यादि के विनिर्माण के लिए पर्याप्त क्षमताओं का सृजन किया गया है।

(2) पशु और मानव शक्ति के प्रभावी इस्तेमाल के लिए पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले उन्नत कृषि उपस्करों और हाथ के औजारों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए गए। इस प्रयोजन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरु की गयी।

(3) विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उन्नत कृषि उपस्करों और मशीनरी को अभिज्ञात करने के लिए "कृषि उपस्कर पुनरीक्षण और निर्मुक्ति समिति" नामक एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया।

(4) विभिन्न कृषि उपस्करों, मशीनरी और औजारों के लिए मानकों का विकास करने हेतु कदम उठाए गए। कृषि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए घातक मशीन विनियमन अधिनियम, 1983 नामक एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया गया।

(5) किसानों और तकनीशियनों के प्रशिक्षण और कृषि मशीनरी तथा उपस्करों की जांच के रूप में साहाय्य सेवाओं का विस्तार किया गया तथा उन्हें सशक्त बनाया गया।

(6) राज्य कृषि उद्योग निगमों को भी व्यापक पैमाने पर कृषि मशीनरी के विनिर्माण और वितरण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(7) किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त ऋण सुविधाएं सुलभ कराई गईं।

(ग) (1) छठी योजना अवधि के दौरान ट्रैक्टरों की वार्षिक बिक्री 65,000 से बढ़कर 81,000 हो गई।

(2) इसी अवधि के दौरान पावर टिलरों की वार्षिक बिक्री 1990 से बढ़कर 3950 हो गई।

(3) पावर थ्रेसरों की वार्षिक बिक्री 50,000 से बढ़कर 75,000 तक पहुंच गई।

(4) छठी योजना के दौरान राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों ने पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले लगभग 1 लाख बीज व उर्वरक ड्रिल तथा 6 लाख अन्य कृषि उपस्कर वितरित किए।

(घ) (1) सातवीं योजना के दौरान, फार्म यंत्रों और उन्नत कृषि उपस्करों के वितरण को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इनके विनिर्माण के लिए पहले ही पर्याप्त सुविधाएं हैं।

(2) पर्याप्त ऋण सुविधाएं सुलभ कराने के लिए संस्थागत वित्तीय एजेंसियों से सम्पर्क किया गया है।

(3) खासतौर पर बारानी खेती वाले क्षेत्रों में किसानों की सहायता करने के लिए पशु द्वारा खींचे जाने वाले उन्नत उपस्करों और हाथ के औजारों को लोकप्रिय बनाने की योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है।

(4) ट्रैक्टरों और उन्नत उपस्करों के कस्टम भाड़े की एक योजना पर सातवीं योजना के लिए विचार किया जा रहा है।

(5) कृषि यंत्रीकरण और कृषि परिसंस्करण उद्योग के विस्तार के लिए उपयुक्त परियोजनाएं शुरु करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय कृषि औद्योगिक निगम स्थापित किये जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

(6) प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए साहाय्य सेवाओं का विस्तार करने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

केरल और कर्नाटक में कोको का उत्पादन

*714. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णनन्** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और कर्नाटक राज्यों में कुल कितने एकड़ भूमि में कोको की खेती होती है और इस फसल की प्रति एकड़/हेक्टेयर उपज क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों तथा अन्य राज्यों में और अधिक भूमि में कोको की खेती करने की संभावनायें हैं;

(ग) क्या सरकार चाकलेट उद्योग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों की अन्तरावधि में इस फसल की खेती करने के लिए तथा अन्ततः निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इस व्यापारिक फसल के महत्व को समझती है;

(घ) क्या केरल सरकार मूल्यों में गिरावट और देश में अपर्याप्त विपणन सुविधाओं की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करती रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि वर्ष 1983-84 के दौरान देश में लगभग कुल 23,000 हैक्टार क्षेत्र में कोको की खेती हो रही है जिसमें से 18,200 हैक्टार केरल में और 4,300 हैक्टार कर्नाटक में है। कोको के प्रति हैक्टार उत्पादन तथा पैदावार के कोई सरकारी अनुमान नहीं हैं पर यह सूचना मिली है कि 6 वर्ष और उससे अधिक पुराने औसत उद्यान की प्रति हैक्टार पैदावार लगभग 400 कि० ग्राम सूखी फलियां हैं।

देश के कुछ भागों में कृषि जलवायु की परिस्थितियां कोको की खेती के अनुकूल हैं। नारियल तथा सुपारी जैसे बागों में बीच की फसल की तरह कोको का एक वाणिज्यिक फसल के रूप में विस्तार करने की गुन्जाइश है।

सरकार चाकलेट उद्योग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अन्ततः विदेशी मुद्रा उपार्जक के रूप में बागानों में बीच की फसल के रूप में उगाने के लिये इसे एक उपयुक्त फसल के रूप में मान्यता देती है।

मूल्यों में गिरावट तथा देश में अपर्याप्त विपणन सुविधाओं के बारे में केरल सरकार से इस मंत्रालय को हाल ही में कोई पत्र नहीं मिला है।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड

+

715. **श्री अमरसिंह राठवा**
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र में उन श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रही है जो न्यूनतम मजूरी तक प्राप्त करने में प्रभावकारी तरीके से बातचीत करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जिन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने की संभावना है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बोर्डों का कब तक गठन किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मजदूरी बोर्ड गठित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं

716. **श्री अनादि चरणदास** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चावल की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए 1984-85 के दौरान केन्द्र द्वारा कौन-सी प्रायोगिक परियोजनायें शुरु की गई;

(ख) प्रायोगिक परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस बारे में भावी कार्यक्रम/योजनायें क्या हैं; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ विशेष लाभ मिलेगा।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ। 1984-85 के दौरान उड़ीसा के सात खण्डों में चावल की एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई थी।

(ख) इस मार्गदर्शी परियोजना का उद्देश्य चावल के उत्पादन और उत्पादकता में नियमित वृद्धि की राह में खण्ड स्तर पर आने वाली बाधाओं का पता लगाना और जो बाधायें थोड़े समय में दूर की जा सकती हों उन पर काबू पाना था।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान उड़ीसा सहित छह पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये एक विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल उत्पादन में अल्पावधिक और दीर्घावधिक बाधाओं पर काबू पाने के लिये उपाय किये जायेंगे।

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी किसानों को लाभ पहुंचेगा।

उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और सीमांत किसानों को दी गई राशि

*717. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायतार्थ कुछ राशि आबंटित की है ताकि वे कृषि उत्पादन बढ़ा सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है ।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) योजना के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1984-85 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	591.02
2.	असम	211.35
3.	बिहार	823.44
4.	गुजरात	220.90
5.	हरियाणा	139.64
6.	हिमाचल प्रदेश	189.25
7.	जम्मू व कश्मीर	106.27
8.	कर्नाटक	341.45
9.	केरल	275.52
10.	मध्य प्रदेश	1090.85
11.	महाराष्ट्र	740.00
12.	मणिपुर	42.12
13.	नागालैंड	76.52
14.	उड़ीसा	495.68
15.	पंजाब	205.42
16.	राजस्थान	497.58
17.	सिक्किम	5.83
18.	तमिलनाडु	696.92
19.	त्रिपुरा	46.06
20.	उत्तर प्रदेश	1194.94
21.	पश्चिम बंगाल	558.48
	योग	8549.24

		(लाख रुपए)
1	2	3
2.	**विधानमण्डल वाले संघशासित क्षेत्र**	
	1. अरुणाचल प्रदेश	156.66
	2. गोवा, दमन और दीव	20.10
	3. पांडिचेरी	13.65
	4. मिजोरम	98.94
	योग	280.35
3.	**बगैर विधानमण्डल वाले संघशासित क्षेत्र**	
	1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6.90
	2. चण्डीगढ़	1.76
	3. दादरा और नगर हवेली	1.76
	4. दिल्ली	6.90
	5. लक्षद्वीप	16.50
	योग	33.82
	1, 2 और 3 का कुल योग	8872.41 रुपये

श्रमिक कल्याण कार्यक्रम

\+
718. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान उत्पादन में सुधार करने की दृष्टि से श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रमों का क्षेत्र तथा उनके अन्तर्गत आने वाले विषयों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा श्रमिक संघों में बाहर के पेशेवर लोगों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कल्याण निधि संगठन, अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों और बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों को चलाता है। कल्याण योजनाओं को श्रम कल्याण संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनका प्रभारी कल्याण आयुक्त होता है, की तहत लागू और मानीटर किया जाता है। पहली अप्रैल, 1983 से वर्तमान छह कार्यालयों के साथ तीन और कार्यालय खोले गए हैं ताकि इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके और उनकी अधिक प्रभावी मानीटरिंग भी की जा सके।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य उपाय भी किए गए हैं :—

(1) कई चलते-फिरते चिकित्सा यूनिट, स्थाई औषधालय और स्थाई व चलते-फिरते औषधालय स्थापित किए गए हैं जिनमें से कुछ ने पहले से ही काम करना शुरु कर दिया है।

(2) इलाज के लिए भर्ती किए गए मरीजों के भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि की सीमा बढ़ाई गई है। खान और बीड़ी श्रमिकों की स्वास्थ्य देख-रेख की पात्रता के लिए वेतन सीमा को अगस्त, 1984 से बढ़ाकर 1250/- रुपए मासिक कर दिया गया है।

(3) टाइप-I और टाइप-II मकानों के बारे में, सहायता राशि बढ़ाकर क्रमश: 7,500/- रुपए और 15,000/- रुपए या निर्माण की वास्तविक लागत का 75%, इनमें से जो भी कम हो, कर दिया गया है। इसके अलावा, टाइप-I मकानों के मामले में विकास-खर्च 2000/- रुपए और टाइप-II मकानों के मामले में 2250/- रुपए या विकास की वास्तविक लागत की 75% की दर से अदायगी की जा रही है। बीड़ी श्रमिकों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा निर्मित मकानों के लिए दी जाने वाली सहायता की राशि 1,500/- रुपए से बढ़ाकर प्रति मकान के लिए 3,000/- रुपए कर दी गई है।

(4) बीड़ी श्रमिक सहकारी सोसाइटियों को गोदामों तथा वर्कशेडों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजना जनवरी, 1984 से लागू की जा रही है। जिस सहकारी सोसाइटी में 100 या इससे अधिक बीड़ी श्रमिक सदस्य हों, वह इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं।

(5) विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की दर 10/- रुपए से 75/- रुपए की सीमा से बढ़ाकर 15/- रुपए से 125/- रुपए तक कर दी गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बसों की खरीद करने के लिए खान प्रबन्धकों को अदा की जाने वाली सहायता अनुदान की राशि 50,000/- रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है। खान प्रबंधकों को बराबर-बराबर के आधार पर सहायता-अनुदान देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खनिकों को औद्योगिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की सैर करने का अवसर मिलेगा। चूना पत्थर और डोलोमाइट तथा लोह अयस्क कल्याण निधियों से क्रमश: 10,83/- लाख रुपए और 13.01/- लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रदान की गई।

(ग) सरकार ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के लिए 30 अप्रैल, 1982 को लोक सभा में एक विधेयक पेश किया था। तत्कालीन लोक सभा के भंग होने पर वह विधेयक व्यपगत हो गया। उसमें ट्रेड यूनियन की कार्यकारी समिति में बाहरी व्यक्तियों की प्रतिशतता को वर्तमान 50% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव था।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि

*719 श्री चिंता मोहन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतिकरण में शत प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है (टाइम्स आफ इण्डिया 29.3.85);

(ख) क्या खाद्य उत्पादन में वृद्धि उर्वरकों, कीटनाशकों और अधिक उपज देने वाले बीजों जैसे विभिन्न आदानों की आसान उपलब्धता के कारण हुई है;

(ग) क्या यह वृद्धि गेहूं और चावल के सम्बन्ध में हुई है, जिनके उन्नत किस्म के बीजों का विकास तथा उनका आयात किया गया था; और

(घ) क्या सरकार तिलहनों और दालों के लिए भी इसी किस्म के अधिक उपज देने वाले बीजों का आयात करेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां, पिछले पांच सालों के दौरान, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी कई कारकों के कारण हुई, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं—अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल, उर्वरकों, वनस्पति संरक्षण, रसायनों और ऋण इत्यादि जैसे आदानों की समय पर पर्याप्त आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं का विकास, ग्रामीण विद्युतिकरण में बढ़ोत्तरी, किसानों को नई उत्पादन प्रौद्योगिकी सुलभ कराना और मूल्य समर्थन उपाय इत्यादि ।

(ग) सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी अन्य फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, हालांकि यह इतनी प्रभावशाली नहीं हुई, जितनी कि गेहूं और चावल के मामले में हुई ।

(घ) तिलहनों और दलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, इन फसलों को अन्य देशों में विकसित की गई किस्मों की भी, भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत जांच की जा रही है, ताकि उनके निष्पादन और अनुकूलनशीलता का मूल्यांकन किया जा सके ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियां

*720. श्री चित्त महाता }
श्री भोला नाथ सेन } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से नियमित रूप से अपना राशन न लिए जाने का मुख्य कारण वस्तुओं की घटिया किस्म और सप्लाई का अनियमित होना है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ आबादी के कमजोर वर्गों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहे हैं और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के गरीब वर्गों को इसके तहत लाने के मूल उद्देश्य की पूर्ति समुचित रूप से हो रही है। अध्ययन में अन्य बातों के साथ आवश्यक वस्तुओं की "घटिया किस्म", उनकी "अनियमित आपूर्ति" तथा "बाजार में उनकी आसान उपलभ्यता" को उचित दर की दुकानों द्वारा इनके न उठाये जाने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। योजना आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

पांचवीं स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण

*721. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का निर्माण अभी भी प्रारम्भिक चरण में है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये फ्लैट आबंटियों को कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पर रखा है।

विवरण

क्रम सं० स्थान	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	निर्माण की स्थिति
1. राजौरी गार्डन	20	5	—	पूर्ण हो चुका है
2. ईस्ट आफ कैलाश	9×	—	××9 (बहुमंजिला)	×पूर्ण हो चुका है ×× मार्च, 1986 तक तैयार होना है।
3. अलकनन्दा (ए-II)	26	—	—	पूर्ण हो चुका है
4. पश्चिमपुरी	×62	×× 137	××× 388	×जून, 1985 तक पूर्ण किया जाना है। ××पूर्ण होने वाला है। ××× सितम्बर, 1986 तक पूर्ण किया जाना है।

5. वजीरपुर (चरण-4)	—	150	—	दिसम्बर, 1985 तक पूर्ण किया जाना है।
6. विकासपुरी	—	234	—	जून, 1985 तक पूर्ण किया जाना है।
7. त्रिलोकपुरी	41	274	—	जून, 1985 तक पूर्ण किया जाना है।
8. पीतमपुरा	—	183	—	दिसम्बर, 1985 तक पूर्ण किया जाना है।
9. बोडेला विस्तार	—	169	—	पूर्ण हो चुका है।
10. मोतियाखान (बहुमंजिला)	—	—	18	1987 के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।
11. ईस्ट आफ मुखर्जी नगर	—	158	206	शुरु नहीं किया गया।
12. बसन्त विहार (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय)	—	6	4	शुरु नहीं किया गया।
13. सरिता विहार	—	1551	1282	दिसम्बर, 1986 तक पूर्ण किया जाना है।
14. बसन्त कुंज	—	6281	6002	दिसम्बर, 1986 तक पूर्ण किया जाना है।
15. नन्दनगरी	—	18	—	शुरु नहीं किया गया।
16. सुखदेव विहार	—	6	—	जून, 1985 तक पूर्ण किया जाना है।
17. शालीमार बाग	—	—	54	मार्च, 1986 तक पूर्ण किया जाना है।
योग :	158	9172	7963	

पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने हेतु महाराष्ट्र में चीनी जोनों की स्थापना

*722. **श्री बाळा साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सहकारी शक्कर कारखाना संघ ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने हेतु इस राज्य को एक एकक मानने के बजाय पिछड़े क्षेत्रों में चीनी के कारखाने स्थापित करने में सहायता करने के लिए कृषि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार राज्य को तीन जोनों में बाँट दिया जाये;

(ख) क्या भारत सरकार ने यह मामला औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के पास भेजा था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यूरों के क्या निष्कर्ष हैं और क्या राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार योग्य माना गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों में चीनी के नये कारखाने लगाने में किस प्रकार सहायता करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) प्रारम्भ में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ ने महाराष्ट्र को तीन जोनों में विभाजित करने के लिए अनुरोध किया था लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया और 2 जोनों के लिए अनुरोध किया ।

(ख) से (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, जिन्हें अन्य बातों के अलावा जोनों का पुनर्गठन करने की दृष्टि से वर्तमान जोनिंग प्रणाली की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने अपनी रिपोर्ट 1984 में प्रस्तुत कर दी है । औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा जोनों का पुनर्गठन करने विषयक प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव, जिनमें महाराष्ट्र के वर्तमान जोनों से संबंधित कुछ सिफारिशें शामिल हैं, ऐसे स्वरूप के हैं जिन्हें कार्यान्वित करने में कानूनी, प्रशासनिक और संभार तन्त्र विषयक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । इन प्रस्तावों के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से विस्तृत स्पष्टीकरण आदि देने के लिए कहा गया है और इन सिफारिशों को चीनी वर्ष 1985-86 से कार्यान्वित करने अथवा न करने के बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व सरकार द्वारा इसकी बारीकी से जाँच करना अपेक्षित होगा ।

मौंजरोग में 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर चालू करना

*723. श्री जी० जी० स्वैल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खासी पहाड़ियों के शिलांग-चेरा मार्ग पर मौंजरोग में 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर कब चालू किया गया था;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सामरिक महत्त्व के उस सीमावर्ती क्षेत्र के रेडियो नेटवर्क की जो इसके अन्तर्गत आता है कमियाँ क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) शिलांग में 100 किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांसमीटर स्थापित कर दिया गया है और इसका परीक्षण कर लिया गया है । उसे अभी चालू नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

सहकारी समितियों को ऋण देने सम्बन्धी सामान्य नियम

*724. श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत तथा पिछड़े क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए निर्धारित सामान्य नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उक्त नियम एक समान हैं;

(ग) क्या यह मांग की गई है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारत सरकार को उन राज्यों में सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए भिन्न नियम बनाने चाहिए जिनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, छोटे तथा सीमांत किसान तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोग अत्यधिक संख्या में रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) सहकारी ऋण संस्थानों से ऋण का प्रवाह, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रतिमानों द्वारा नियंत्रित होता है। ये प्रतिमान मौसम संबंधी विशेष बातों, वसूली स्तर, गैर-अतिदेय सुरक्षा, जमाराशि स्तर, स्वामित्व वाली निधि और लेखा-परीक्षा वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये प्रतिमान सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए समान हैं। तथापि, सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्यों, खासतौर पर उन राज्यों जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं, और कमजोर वर्गों के किसानों के लिए इनमें से कुछेक प्रतिमानों में ढील दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के दौरान केवल सहकारी दृष्टि से कमजोर राज्यों और ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए ही विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

ग्रामीण और शहरी महिलाओं में बेरोजगारी

*725. श्री अमर सिंह प्रधान : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण और शहरी महिलाओं में बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु विशेष कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार, उक्त काम के लिए जिलों का चयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और उक्त सम्बन्ध में कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) इस मन्त्रालय का केवल ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों से संबंध है। यद्यपि महिलाएं आय सृजित करने वाले ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, तथापि उन पर और अधिक ध्यान देने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक विशेष लघु योजना सितम्बर, 1982 में शुरु की गई थी, जिसका नाम "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 22 राज्यों के पचास जिले चुने गए हैं।

(ग) चुने गए जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। हर जिले के लिए समान केन्द्रीय आबंटन नहीं किया जाता है। निधियों का बंटन हर जिले में बनाए गए ग्रुपों की संख्या पर निर्भर करता है।

विवरण

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" योजना के अन्तर्गत चुने गए जिलों की सूची

राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास के लिए अनुमोदित जिले का नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	1. आदिला बाद
	2. श्रीकाकुलम
	3. कुड्डापह
2. असम	1. कार्बी आंगलोंग
	2. धुब्री
3. बिहार	1. हजारीबाग
	2. मधुबनी
	3. गोपालगंज
	4. समस्तीपुर
4. हरियाणा	1. महेन्द्रगढ़
	2. सिरसा
5. हिमाचल प्रदेश	1. काँगड़ा
6. कर्नाटक	1. बीजापुर
	2. चिकमगलूर
7. केरल	1. विनाड़
	2. पालघाट
8. मध्य प्रदेश	1. शहडोल
	2. छन्दवाड़ा
	3. गुना
	4. रायपुर
9. महाराष्ट्र	1. उस्मानाबाद
	2. भंडारा
10. मणिपुर	1. केन्द्रीय जिला

राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास के लिए अनुमोदित जिले का नाम
11. मेघालय	1. पश्चिमी खासी पहाड़ियां
	2. पूर्वी गारो पहाड़ियां
12. उड़ीसा	1. कालाहांडी
	2. बोलनगीर
	3. ढेंकानाल
	4. सम्बलपुर
13. पंजाब	1. गुरदासपुर
	2. भटिण्डा
14. राजस्थान	1. बांसवाड़ा
	2. पाली
	3. भीलवाड़ा
	4. अलवर
15. सिक्किम	1. पश्चिमी जिला
16. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी
	2. पेरियार
17. त्रिपुरा	1. पश्चिमी जिला
18. उत्तर प्रदेश	1. बस्ती
	2. बांदा
	3. सुल्तानपुर
	4. इटावा
	5. देवरिया
19. पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया
	2. बांकुरा
20. गुजरात	1. अहमदाबाद
	2. जूनागढ़
21. जम्मू और कश्मीर	1. डोडा
22. नागालैण्ड	1. कोहिमा

पूर्ण कालिक रेडियो/दूरदर्शन संवाददाता

*726. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों में पूर्ण कालिक रेडियो/दूरदर्शन संवाददाता नियुक्त कर रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर इस प्रकार के रेडियो/दूरदर्शन संवाददाता नियुक्त नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें संवाददाताओं की नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। सभी जिला मुख्यालयों में नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण जिसमें उन स्थानों के नाम दिए हुए हैं जहां आकाशवाणी के नियमित संवाददाता/दूरदर्शन के रिपोर्टर तैनात हैं, संलग्न है।

(घ) और (ङ) देश के सभी जिलों में संवाददाता रखना आवश्यक नहीं समझा जाता।

विवरण

आकाशवाणी

जिन जिलों में आकाशवाणी के संवाददाता तैनात हैं उनकी राज्यवार सूची—

क्रम सं०	राज्य का नाम	क्रम संख्या	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद
		2.	विजयवाड़ा
		3.	विशाखापतनम
2.	असम	4.	गोहाटी
		5.	सिल्चर
		6.	डिब्रूगढ़
		7.	तेजपुर
3.	बिहार	8.	पटना
		9.	रांची
		10.	धनबाद
		11.	मुजफ्फरपुर
4.	गुजरात	12.	अहमदाबाद
		13.	भुज (कच्छ)
		14.	राजकोट
5.	हिमाचल प्रदेश	15.	शिमला
		16.	धर्मशाला

क्रम सं०	राज्य का नाम	क्रम संख्या	स्थान
6.	हरियाणा	17.	रोहतक
7.	जम्मू और काश्मीर	18.	श्रीनगर
		19.	जम्मू
		20.	लेह
		21.	अन्नतनाग
8.	कर्नाटक	22.	बंगलौर
		23.	धारवाड़
		24.	बेलगांव
9.	केरल	25.	त्रिवेन्द्रम
		26.	कालीकट
		27.	कोचीन
10.	मध्य प्रदेश	28.	भोपाल
		29.	इन्दौर
		30.	रायपुर
		31.	रीवो
11.	महाराष्ट्र	32.	बम्बई
		33.	पुणे
		34.	नागपुर
		35.	औरंगाबाद
12.	मणिपुर	36.	इम्फाल
13.	मेघालय	37.	शिलांग
14.	नागालैंड	38.	कोहिमा
15.	पंजाब	39.	जलंधर
16.	उड़ीसा	40.	कटक
		41.	सम्बलपुर
17.	राजस्थान	42.	जयपुर
		43.	जोधपुर
		44.	उदयपुर
18.	तमिलनाडु	45.	मद्रास
		46.	तिरुचिरापल्ली
		47.	कोयंम्बटूर
		48.	मदुरई
19.	त्रिपुरा	49.	अगरतला

क्र०सं०	राज्य का नाम	क्र०सं०	स्थान
20.	उत्तर प्रदेश	50.	लखनऊ
		51.	गोरखपुर
		52.	आगरा
		53.	कानपुर
		54.	पौड़ी गढ़वाल
		55.	वाराणसी
		56.	इलाहाबाद
21.	पश्चिम बंगाल	57.	कलकत्ता
		58.	कुर्सियांग
		59.	दार्जिलिंग
22.	अंडमान और निकोबार	60.	पोर्ट ब्लेयर
23.	अरुणाचल प्रदेश	61.	इटानगर
24.	चण्डीगढ़	62.	चण्डीगढ़
25.	दिल्ली	63.	दिल्ली
26.	गोवा दमन और दीव	64.	पणजी
27.	मिजोरम	65.	ऐजवाल
28.	पाण्डिचेरी	66.	पाण्डिचेरी
29.	सिक्किम	67.	गंगटोक

दूरदर्शन

दूरदर्शन के रिपोर्टर 9 केन्द्रों अर्थात् (1) दिल्ली, (2) बम्बई, (3) श्रीनगर, (4) मद्रास, (5) जलंधर, (6) कलकत्ता, (7) लखनऊ, (8) अहमदाबाद और (9) हैदराबाद के लिए मंजूर किए गए हैं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के मकानों का रख-रखाव

*727. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की गन्दी बस्तियों में मकानों की मरम्मत और रख-रखाव के बारे में नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में गन्दी बस्तियों के इन मकानों में रहने वालों को मालिकाना हक देने की आड़ में कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या उन्हें यह भी पता है कि यदि इन गन्दी बस्तियों के उचित रख-रखाव के बारे में जल्दी ही कोई कारंवाई नहीं की गई तो इन क्षेत्रों में विभिन्न बीमारियां फैलने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कारंवाई शुरु करेगी ताकि ऐसे मकानों में रहने वालों को मालिकाना हक देने संबंधी कोई निर्णय होने तक उनका उचित रख-रखाव किया जाए ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) मलिन बस्ती टेनामेन्टो के पट्टा अधिकार अतिक्रमणकर्ताओं के अलावा दखलकारों को जून, 1984 में दिए गए हैं जिनको कि अब अपने कब्जे के टेनामेन्टों का अनुरक्षण करना है। तथापि, पानी की नालियों, वर्षा के पानी की नालियों, सीवर वीथि प्रकाश आदि जैसी आम सेवाओं के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का ही बना रहेगा।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य पर्यावरण के अनुरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय स्थानीय निकायों के माध्यम से किए जाएंगे, जो कि आम सेवाओं का भी अनुरक्षण कर रहे होंगे, यद्यपि टेनामेन्टों का अनुरक्षण जारी रखना संभव नहीं होगा।

बिहार में उर्वरकों की सप्लाई

[हिन्दी]

*728. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत वर्ष के दौरान बिहार में किसानों को समय पर उर्वरक और बीज नहीं मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) गत वर्ष बिहार के कुछ हिस्सों में कुछेक अवधियों के दौरान उर्वरकों की मांग पूरी करने में कठिनाइयां आईं। परन्तु, कुल मिलाकर आपूर्ति बहुत सन्तोषजनक रही और 1984-85 के दौरान 1983-84 की तुलना में उर्वरकों की खपत में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जहां तक बीजों का संबंध है, राज्य में विभिन्न फसलों के बीज की पर्याप्त मात्रा ठीक समय पर उपलब्ध थी। वास्तव में, 1984-85 के दौरान 1983-84 की तुलना में इनका अधिक वितरण हुआ।

(ख) इन आदानों की खपत की स्वीकृत मात्राओं के अनुसार राज्य की मांग पूरी करने के लिए उर्वरकों तथा बीजों का पर्याप्त भंडारण किया जा रहा है।

तेल क्षेत्र उपकरणों का स्वदेशीकरण

[अनुवाद]

*729. **श्री बी०बी० देसाई**
श्री के० प्रधानी } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र उपकरणों के स्वदेशीकरण की समूची योजना की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल क्षेत्र के उपस्करों की सम्पूर्ण स्कीम के देसीकरण पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सरकार तेल क्षेत्र के उपस्करों को सुचारु रूप से देसी बनाने को पर्याप्त महत्व दे रही है। इसी के अधीन सरकार ने डीम्ड निर्यात लाभ, घरेलू सप्लायरों को कीमत प्राथमिकता आदि जैसे अनेक उपाय पहले ही घोषित किए हैं। समय-समय पर इनकी पुनरीक्षा की जाती रही है।

सौराष्ट्र में अपतट क्षेत्र में तेल तथा गैस के लिए खुदाई

*733. श्री दिग्विजय सिंह : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र के अपतट क्षेत्र में तेल तथा गैस की खोज के लिए की गई खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इनका अनुमानित भण्डार कितना है;

(ग) इस क्षेत्र में तेल तथा गैस कब तक निकलनी शुरु हो जाएगी; और

(घ) तत्संबंधी गतिविधियों में शिथिलता आने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अभी तक क्षेत्र में कोई तेल या गैस नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) शेवरन ऑयल कम्पनी ने तीन कूप खोदने के बाद मार्च, 1985 में क्षेत्र में इस बेसिन में तेल खोज का कार्य छोड़ दिया था।

आगे खोज का कार्य ओ०एन०जी०सी० शेवरन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की संवीक्षा करने के बाद ही निश्चित किया जायेगा।

एच० डी० पी० थैलों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

*734. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच. डी. पी. थैलों के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध अथवा रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एच. डी. पी. थैलों की तुरन्त आवश्यकता संबंधी जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनका उत्पादन और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जी, हां, एच. डी. पी. ई. बैगों की अभीष्ट उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संगठित तथा लघु एककों को पर्याप्त आशय पत्र/पंजीकरण दे दिए गए हैं।

आर्थिक नीति विकल्पों के सम्बन्ध में विचार गोष्ठी

*737. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में "आर्थिक नीति विकल्पों" के संबंध में कोई विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचारगोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या उक्त विचारगोष्ठी में फ्यूचरिस्टिक यूनिट्स (भविष्य में स्थापित की जाने वाली इकाइयों) की आवश्यकता पर बल दिया गया था, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कदम उठाने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) संकेत संभवतः आर्थिक नीति विकल्पों संबंधी संगोष्ठी की ओर है जिसका आयोजन मार्च 1985 के प्रथम सप्ताह में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में किया गया था। पता चला है कि आर्थिक नीति की सामान्य विषय-वस्तु पर संगोष्ठी में अनेक लेख प्रस्तुत किए गए थे। संगोष्ठी में जो विचार प्रकट किए गए वह भाग लेने वालों के व्यक्तिगत विचार थे। संगोष्ठी में निकाले गए निष्कर्षों/की गई सिफारिशों पर सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डिगबोई तेल शोधक कारखाने का विस्तार

*741. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने डिगबोई तेलशोधक कारखाने का 300 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पूंजी परिव्यय पर 1 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक के उत्पादन के लिए विस्तार करने हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात ध्यान में रखते हुए कि उत्तरी भारत क्षेत्र की अवस्थिति ऐसी है कि यह तेलशोधक कारखाना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और

त्रिपुरा के क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति हेतु सबसे उपयुक्त है और इसके विस्तार से महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे, सरकार परियोजना को मंजूरी देने के लिए शीघ्र निर्णय लेने पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) आई० ओ० सी० ने डिग्बोई रिफाइनरी के 309.09 करोड़ रुपये के परियोजना पूंजीगत परिव्यय सहित 1.0 मि० मी० टन प्रतिवर्ष तक विस्तार के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

काशीपुर और इच्छापुर गन शेल कारखाने के विस्तार के कार्यक्रम

*742. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में काशीपुर और इच्छापुर गन शेल कारखाने के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) क्या उक्त एकक में उत्पादन, प्रबंधक और श्रमिक सम्बन्ध संतोषजनक हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के अन्य कौन-कौन से एकक रक्षा उपकरणों का निर्माण करते हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में से, पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स तथा इंजीनियर्स की यूनिटें हैं। यद्यपि इनमें औद्योगिक संबंध संतोषजनक हैं लेकिन कार्य की अधिकता से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए समुचित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

आई० डी० पी० एल० का कार्यकरण

*743. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री राम समुझावन } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस संस्थान में बड़े पैमाने पर कुप्रबन्ध व्याप्त है और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को 141 करोड़ रुपये से भी अधिक का घाटा हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) सरकार ने इस संगठन के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 7 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है जिसमें आई० डी० पी० एल० के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में आई० डी० पी० एल० से एक रिपोर्ट प्राप्त की गई है और वह सरकार के विचाराधीन है।

(घ) आई० डी० पी० एल० के निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपचारी उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि उत्पाद को युक्तिसंगत बनाना, कार्यकारी पूंजी और महत्वपूर्ण कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के प्रयास।

विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

*744. डा० फुलरेणु गुहा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विवाहों की रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय को कब से लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) सरकार ने सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने का उपबंध करने के लिए कोई विनिश्चय नहीं किया है। देश में निरक्षरता और उन अन्य समस्याओं को, जो जनजाति क्षेत्रों और अल्पसंख्यक समुदायों की विवाह विधियों और रूढ़ियों में उत्पन्न होंगी, ध्यान में रखते हुए विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी विधि का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, कठिन होगा।

एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने पर रोक

*745. डा० जी० एस० राजहंस
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन में भारी धन-राशि के अपव्यय को और उप-निर्वाचन होने के कारण काफी समय तक किसी निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि विहीन रहने को रोकने के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक संसदीय अथवा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण और औचित्य क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) हाल ही में निर्वाचन आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की

धारा 32 में इस आशय का एक परन्तुक जोड़ दिया जाए कि "लोक सभा अथवा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में अथवा लोक सभा या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के एक साथ निर्वाचनों में अथवा लोक सभा या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के दो या अधिक स्थानों के लिए उप-निर्वाचनों की दशा में, किसी व्यक्ति को दो से अधिक स्थान भरने के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ।"

कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करने वाले कारखाने

*746. श्री मूल चन्द डागा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य स्तर पर कीटनाशक दवाओं के प्रयोग को अधिक सुरक्षात्मक तथा उनकी लागत को प्रभावकारी बनाया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) कितने कारखाने कीटनाशक दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) उनमें से कितने कारखाने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अधीन हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पेस्टीसाइड्स के प्रयोग में मानव और पशुओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन्सेक्टिसाइड्स अधिनियम 1968 के अन्तर्गत और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्याप्त प्रावधान है । पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व, उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा सुरक्षा पहलुओं पर विस्तृत जानकारी की जांच-पड़ताल की जाती है । पेस्टीसाइड्स के प्रयोग में सुरक्षा से संबंधित शर्तों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की है ।

केन्द्र और राज्य सरकारें किसानों को पेस्टीसाइड्स के युक्तिसंगत और आवश्यक उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि ऐसे अनिवार्य निवेश की लागत प्रभावकता को विभिन्न केन्द्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से बढ़ाया जा सके, इन्टीग्रेटिड पैस्ट मैनेजमैंट पहलू के प्रचलन के कल्चरल, मैकेनिकल वाई कन्ट्रोल एजेन्टस का सम्मिलित रूप से और पेस्टीसाइड्स का केवल अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है ।

(ख) इस समय संगठित क्षेत्र में 48 एकक तकनीकी ग्रेड पेस्टीसाइड्स के निर्माण में लगे हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 99,300 टन है ।

(ग) उपरोक्त एककों में से 6 फैरा एकक हैं ।

पैट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम उपयोग

*747. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल की कमी और उसकी तुलना में पेट्रोल की आसान उपलब्धि के संदर्भ में पैट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम उपयोग करने की नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशेषज्ञ-दल में कौन–कौन हैं ; और

(ग) उक्त विशेषज्ञ दल पैंट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम उपयोग करने के सम्बन्ध में आर्थिक और नियामक उपायों का कहां तक पता लगायेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। भारतीय परिस्थितियों में मोटरगाड़ी क्षेत्र में डीजल तथा पैंट्रोल के इष्टतम उपयोग के बारे में अध्ययन के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) यह दल हल्के वाणिज्यिक वाहनों के मामले में डीजल इन्जनों के स्थान पर पेट्रोल इन्जनों को लगाने की सम्भावना की जांच करेगा और डीजल वाहनों के निर्माण के बारे में लाइसेंसीकरण नीति का सुझाव भी देगा।

विवरण

भारतीय परिस्थितियों में मोटरगाड़ी क्षेत्र में डीजल तथा पैंट्रोल के इष्टतम उपयोग पर विशेषज्ञ दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1.	संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, तेल समन्वय समिति	सदस्य
3.	औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय	सदस्य
4.	नौवहन व परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	कार्यकारी निदेशक सड़क परिवहन उपक्रम संघ	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय मोटरगाड़ी निर्माता संघ	सदस्य
7.	अध्यक्ष, ट्रैक्टर निर्माता संघ	सदस्य
8.	निदेशक, भारतीय मोटरगाड़ी अनुसंधान संघ	सदस्य
9.	निदेशक, वी० आर० डी० ई०	सदस्य
10.	अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	अध्यक्ष, डीजल इन्जन निर्माता संघ	सदस्य
12.	ऊर्जा सलाहकार मण्डल का प्रतिनिधि	सदस्य
13.	निदेशक, भारी उद्योग विभाग	सचिव
14.	आई० आई० पी० देहरादून का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	पैंट्रोलियम परिरक्षण एवं अनुसंधान संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	एल० सी० वी० निर्माता का प्रतिनिधि	सदस्य

जिल्लेट ब्लेड्स के साथ पोद्दार का सहयोग

*748. श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिल्लेट ब्लेड्स के साथ पोद्दार के सहयोग का कब अनुमोदन किया गया था ;

(ख) परियोजना को प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) पोद्दार घराने को 10 फरवरी, 1982 को आशय-पत्र और विदेशी सहयोग की स्वीकृति जारी की गई थी। विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार को 18 मई, 1982 को अभिलेखबद्ध किया गया था। नवम्बर, 1984 में पूंजीगत माल सम्बन्धी आयात के सम्बन्ध में आशयपत्र में निर्धारित शर्तें हो जाने पर, आशयपत्र को 31 दिसम्बर, 1984 को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को 30 दिसम्बर, 1985 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरु कर देना होगा।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा गैस के उपयोग हेतु प्रस्ताव

*749. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिदिन 320 लाख क्यूबिक मीटर गैस के उपयोग के लिए व्यापक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था; और

(घ) निर्णय किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से जून, 1982 में अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(घ) यह निर्णय पहले ही ले लिया गया है कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक गैस का उर्वरकों, पेट्रोरसायनों आदि के उत्पादन में उपयोग किया जायेगा इनमें से कुछ उपयोग वे हैं जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट गैस की आवश्यकता

परियोजना का नाम	गैस की अधिकतम मांग एम० सी० एम० पी० डी० में
आर सी एफ, ट्राम्बे	2.33
आर सी एफ, थल-वैशहेट	4 46
दीपक फर्टिलाइजर, तलोजा	0.30

एल पी जी उत्पादन व ओ एन जी सी द्वारा स्वःउपभोग	1.20
टाटा थर्मल स्टेशन, ट्राम्बे	3.27
एम एस ई बी, ऊरान	3.68
घरेलू उपभोक्ता, बम्बई	1.00
टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई	1.02
भारत इलैट्रानिक्स व इंडो असहाइ (टी वी शैल्स)	0.09
गैस क्रेकर व पेट्रो कैमिकल कम्प्लैक्स नागो थाने (एम जी सी सी व एम पी सी एल)	1.60
हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, रसायनी	0.48
मेथानोल—3000 टी पी डी	3.00
स्पांज आयरन परियोजना	0.50
नये उर्वरक संयंत्र	
(1) 1350 टी पी डी आफ अमोनिया + डी ए पी	2.40
(2) 900 टी पी डी आफ अमोनिया + डी ए पी	1.60
यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०	0.12
नई परियोजनाएं जैसे मिथाइल मेथाक्राइलेट हाइड्रोसाइनेक एसिड, कलोरोमिथेन आदि	0.86
ग्लास इंडस्ट्रीज	0.30
नासिक, पुणे, थाने, अम्बरनाथ, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण आदि में घरेलू उपभोक्ता	0.60
उपर्युक्त क्षेत्रों में उद्योग	3.00
	31.8

खरीद के दौरान धान की बोरियों को कम भरना

*5226. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि पंजाब में हाल ही की खरीफ खरीद में भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम के 70 किलो की धान की बोरी के अनुदेशों के विपरीत 60-65 किलो की बोरियां स्वीकार की हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब के विभिन्न जिलों में धान की बोरियों के वास्तविक वजन की अचानक पड़ताल करने के लिए व्यवस्था की है;

(घ) क्या पंजाब के चावल सैलरों से भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कारंवाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि फरीदकोट जिले के कुछ केन्द्रों में 65 किलो धान की भराई करने का कार्य शुरु किया जाता है क्योंकि 70 किलो की भराई करना कठिन पाया गया था। तथापि, 65 किलो से कम कोई पैंकिंग नहीं की गई थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय और जोनल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने वसूली के समय पंजाब का दौरा किया था और धान के तौल की जांच करने के लिए अचानक छापे मारे थे।

(घ) और (ङ) कुछ केन्द्रों में बोरियों के वजन में कमी होने के बारे में और राज्य सरकार की मानक कटौती के पैटर्न पर निगम की धान की कस्टम मिलिंग की शर्तों के विरुद्ध पंजाब के चावल मिल मालिकों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मिल मालिकों को अब वास्तविक वजन की जारी की गई धान को उठाने का वैकल्प दिया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में नियोजकों द्वारा भविष्य निधि की धनराशि जमा न करना

52.7. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में, भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने बंगाल के नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और नियोक्ताओं का शेयर जमा न करने के कितने मामले पकड़े हैं और सरकारी विभागों तथा प्राइवेट कम्पनियों के अलग-अलग आंकड़े बताए जायें; और

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भविष्य निधि के संबंध में मुकदमें चलाए गए, इस संबंध में प्राइवेट कम्पनियों तथा सरकारी विभागों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं तथा वे कितनी राशि के सम्बन्ध में हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों ने भविष्य निधि अंशदानों के नियोजकों के हिस्से को जमा नहीं कराया :

		बकाया राशि
1.	मैसर्स हारबर मास्टर (मैरीन)	43,780/-रुपए
2.	मैसर्स हारबर मास्टर (ट्रान्सपोर्ट)	50,153/-रुपये

किसी भी प्राइवेट कम्पनी ने अब तक भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी में चूक नहीं की।

(ख) मैसर्स एलबियन प्लाइवुड लिमिटेड के, जो एक प्राइवेट कम्पनी है, विरुद्ध अभियोजन मामला दायर किया गया है जिसने अगस्त, 1972 से जून, 1975 तक की अवधि

के लिए 1.33 लाख रुपए की भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी नहीं की। कम्पनी ने अब बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के दोषी यूनिटों के विरुद्ध कोई भी अभियोजन मामला दायर नहीं किया गया है।

चोरी छिपे किरायेदारी के संबंध में सर्वेक्षण

5228. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सार्वजनिक एजेंसी ने विभिन्न राज्यों में चोरी छिपे किराएदारी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु की राज्य सरकारों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, गोवा दमन व दीव और पांडिचेरी केन्द्र शासित सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार चोरी छिपे किरायेदारी का पता लगाने के लिए किसी सार्वजनिक एजेन्सी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुष्प विहार में सी० आई० पाईपों और सीवर पाइपों को बदलना

5229. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्प विहार, सैक्टर-1, नई दिल्ली के कई क्वार्टरों में सी० आई० पाईप और सीवर पाइप टूटे हुए हैं और क्षेत्र का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय न तो शिकायतें दर्ज करता है और न ही दूर करता है;

(ख) क्या वर्षों पहले टूटे सी० आई० पाइपों और सीवर पाइपों की न तो मरम्मत की गई है और न ही पूछताछ कर्मचारियों द्वारा उन्हें बदला गया है;

(ग) क्या पिछले तीन मास के दौरान महानिदेशक (निर्माण कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) यह सही है कि बुरी तरह से बन्द होने पर मृदा पाइपों को खोलने और कभी-कभी दुरुपयोग से वे टूट जाते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में दर्ज कराई गई किसी भी शिकायत पर तुरन्त ही ध्यान दिया जाता है।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में पिछले तीन महीनों के दौरान कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें दूर किया गया है।

"हरिजन" और "गिरिजन" जैसे शब्दों के प्रयोग पर विरोध

5230. **श्री सिद्ध लाल मुर्मू :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों के प्रयोग पर विरोध के बारे में 12 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं लोक सभा के चुनावों के अवसर पर सरकार तथा सभी प्रमुख राजनैतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार, समाचारपत्र विज्ञप्तियों और सार्वजनिक भाषणों में हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है;

(ख) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (पंजीकृत) अम्बेदकर भवन, नई दिल्ली ने मन्त्री और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजे गए अपने विरोध पत्रों में उक्त असंवैधानिक और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर विभिन्न आपत्तियाँ उठाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है और सरकार ने इन शब्दों के प्रयोग के विरुद्ध क्या प्रभावी निवारक उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सरकारी जन सम्पर्क माध्यमों में "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों के प्रयोग संबंधी मामले पर 1982 में विचार किया गया था तथा गृह मन्त्री के अनुमोदन के बाद यह निर्णय लिया था कि "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों के स्थान पर केवल "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। तदनुसार, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सभी सरकारी माध्यम एकक इस निर्णय का अनुपालन कर रहे हैं। सरकार का 8वीं लोक सभा के चुनावों के अवसर पर राजनैतिक दलों के चुनाव प्रचार, प्रेस रिलीजों तथा सार्वजनिक भाषणों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय गृह मन्त्री को सम्बोधित दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें श्री बसु भट्टाचार्य द्वारा निर्मित तथा 17.12.1984 को संजाल पर टेलीकास्ट किए गए एक हिन्दी नाटक "अन्वेषण" में "हरिजन" और "अछूत" शब्दों के प्रयोग का विरोध किया गया था। अनुक्रम का उद्देश्य समस्या पर प्रकाश डालना, इसका भांडा फोड़ना और इसकी निन्दा करना था। इन शब्दों का प्रयोग अपमानजनक रूप में नहीं किया गया था। तथापि, दूरदर्शन को सावधान कर दिया गया है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या

5231. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में देश और विदेश में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या कितनी है तथा उनमें से प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उनकी संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व उनके लिए पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

भारतीय कथाचित्रों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान

5232. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय कथा चित्रों और वृत्त चित्रों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं और उनको मिले सम्मान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके निर्माताओं और निर्देशकों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि उन्हें किसी सरकारी एजेंसी से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिली हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा और उसके माध्यम से प्रविष्ट उन फीचर फिल्मों तथा फिल्म प्रभाग द्वारा प्रविष्ट गैर-फीचर फिल्मों, जिनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, के बारे में सूचना दी हुई है।

(ग) जिन फिल्मों को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा देने की दृष्टि से फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण देता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजने के लिए सरकार प्रतिवर्ष देश की विभिन्न भाषाओं में निर्मित अधिक से अधिक 21 सर्वोत्तम फीचर फिल्मों तथा इतनी ही सर्वोत्तम लघु फिल्मों की एक-एक प्रिंट प्राप्त करती है। जब भी फीचर फिल्में इस प्रकार के समारोहों में भेजी जाती हैं संबंधित समारोह के विनियमों के अनुसार प्रिन्टों को भेजने के भाड़ा प्रभारों को फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा वहन किया जाता है। फिल्म समारोह निदेशालय चुनिंदा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के प्रतियोगिता वर्ग में प्रविष्ट फीचर फिल्मों के निर्देशकों का यात्रा व्यय वहन करता है।

विवरण

पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों का ब्यौरा

क्रम सं०	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	निर्देशक का नाम	समारोह का नाम	प्राप्त पुरस्कार
1	2	3	4	5	6
फीचर फिल्में			1980		
1.	गृह प्रवेश	अरोही	बसु भट्टाचार्य	जकारता फिल्म (मलेशिया)	मिश्रा पुरस्कार

1	2	3	4	5	6
2.	अश्वत्थामा	पी० टी० के० मोहम्मद	के० आर० मोहनन	-वही-	-वही-
3.	अक्रामण	सरतकुमार राव	गिरीश कसरावल्ली	-वही-	-वही-
4.	नीम अन्नापूर्णा	बुद्धदेव दास गुप्ता	बुद्धदेव दास गुप्ता	कारलोबी वेरी समारोह चैकोस्लोवाकिया	विशेष पुरस्कार
5.	-वही-	-वही-	-वही-	लोकारनो समारोह	स्पेशल मैन्सन जूरी
6.	जीना यहां	एन०पी० अली	बसु चट्टर्जी	एवेलीन समारोह	सिलवर प्लाक्यू
7.	मोयना तादान्ता	पश्चिम बंगाल की सरकार	उतप्लेन्दु चक्रवर्ती	जौरने सिने प्रतियोगिता	सर्वोत्तम निर्देशक
8.	जोय बाबा फेलुनाथ	-वही-	सत्यजीत रे	साइप्रस समारोह	विशेष पुरुस्कार
गैर-फीचर फिल्में					
9.	एन०एन० काउंटर विद फेसिज	के०के० कपिल	विनोद चोपड़ा	टेमपेर, फिनलैंड में खेल फिल्मो का 10वां अन्तर्राष्ट्रीय समारोह।	ग्रांड प्री
10.	कौंकेस्ट आफ कंचनजुंगा	एन०एस०थापा	प्रेम वैद्य	36वां अन्तर्राष्ट्रीय खेल फिल्म समारोह, रोम	गोल्डन ट्राफी
11.	ए लाइफ रिगेन्ड	मैसर्ज गिरिधर फिल्म्स, बम्बई		चौथा वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास फिल्म समारोह, न्यू योर्क	सार्टिफिकेट आफ मैरिट
12.	परीसियस वाटर	के०के० कपिल	बी०आर० शिन्दे	16वां शिकागो अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह	-वही-
				चौथा अन्तर्राष्ट्रीय एमीनेशन फिल्म समारोह एक्स-फिन्हो, पुर्तगाल	-वही-

1	2	3	4	5	6
13.	मैरी कल्चर	ओम प्रकाश शर्मा	सी०जे० पौलोस	कारटंगोना में अन्तर्राष्ट्रीय नवल की फिल्म सप्ताह स्पेन	

फीचर फिल्में 1981

14.	अकालेर सान्धने	धीरेश चक्रवर्ती	मृणाल सेन	बर्लिन समारोह	दूसरी सर्वोत्तम फिल्म के लिए सिल्वर बेयर
15.	दी नेक्सालाइट्स	के०ए० अब्बास	के० उ० अब्बास	बेरगामी	स्वर्ण पदक
16.	चक्र	मनमोहन शैट्टी एण्ड प्रदीप उप्पूर	रविन्द्र धर्मराज	समारोह लोकरनी	गोल्डन लेपोर्ड
17.	-वही-	-वही-	-वही-	रोट्टरडाम	-वही-
18.	संकराभणम	ई० नागेश्वर समारोह	के० विश्वनाथ	बलविकन फिल्म समारोह	प्राइज आफ पब्लिक
19.	भक्रीय त दुनिया फिल्म्स	अमोल पालेकर		नानट्स फिल्म्स समारोह	स्पेशल मैन्शन
20.	भावनी भवाई	संचार फिल्म कोआपरेटिव सोसाइटी	केतन मेहता	नानटेस फिल्म समारोह	यूनेस्को कल्ब पुरस्कार
21.	नानी मां	एल०बी० प्रसाद	पार्वती मेनन	मास्को फिल्म समारोह	लीला मिश्रा को उपाधि
22.	सयैद वारिस शाह	भारत लक्ष्मी पिक्चर्स	सेवक	ताशकंद फिल्म समारोह	रजत पदक और योग्यता प्रमाण पत्र

गैर-फीचर फिल्में

23.	अरावयल	मुशीर अहमद	मणिकौल	आठवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, नई दिल्ली।	निदेशक को रजत मयूर

1	2	3	4	5	6
24.	दे काल मी चमार	मुशीर अहमद	लोकसेन लालवाणी	11वाँ अंतर्राष्ट्रीय टम्पिरे फिल्म समारोह (फिनलैंड)	योग्यता प्रमाण पत्र
25.	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-	10वां अंतर्राष्ट्रीय लघु और डाकुमैंट्री फिल्म समारोह, जिले फ्रांस	जूरी का विशेष उल्लेख
26.	क्वीकसंद	मैसर्स दुर्गा खोटा प्रोडक्शंस		थिसस्लोनिमा फिल्म समारोह, यूनान	मान-उपाधि
27.	प्रोस्परिटी इन	ओम प्रकाश शर्मा	एम० बी० स्वामी	छठा अंतर्राष्ट्रीय अग्रेरियन्न फिल्म प्रतियोगिता जारोगोजा, स्पेन	ब्रोंजे टावर
28.	ईश्वर चन्द्र विद्यासागर	विजय बी० चन्द्रा	समिरन दत्ता	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, पनामा	योग्यता-उपाधि
फीचर फिल्में		1982			
29.	36चौरंगी लेन	शशि कपूर	अपर्ण सेन	मनीला फिल्म समारोह	गोल्डन ईगल
30.	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-	लंदन फिल्म समारोह	जन्नीफेर कपूर तथा कला निदेशक-बंसी चन्द्र को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ।
31.	आरोहन	पश्चिम बंगाल सरकार	श्याम बेनेगल	कारलोवी वेरी	सर्वश्रेष्ठ निर्देशन

1	2	3	4	5	6
32.	बैसाखी मंच	स्लोगन [illegible] समिति	उतपल दत्त	कुआलालम्पुर	सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले।
33.	त्यागय्या	एन० कृष्णन राजू	बापू	-तथैव-	धार्मिक प्रसंग का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन।
34.	आधार शिला	अशोक अहूजा	अशोक अहूजा	मानहीन समारोह	स्वर्ण पदक और 2000 रुपये नकद पुरस्कार।
35.	इमेजी निनागयम	एक्स-साइन प्रोडक्शन	अरिबम श्याम शर्मा	नानसेन फिल्म समारोह	सर्वोत्तम फिल्म
36.	एलीपटयम	टी० सी० शंकर	अडूर गोपाल कृष्णन	लन्दन फिल्म समारोह	ब्रिटिश फिल्म संस्थान पुरस्कार

गैर-फीचर फिल्में

37.	न्यू एण्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस आफ एनर्जी	एन०एस० थापा	यश चौधरी	वैज्ञानिक फिल्मों का 12वां अंतर्राष्ट्रीय समारोह, बेलग्रेड, युगोस्लाविया	कांस पदक
38.	दी फौर मिनट्स	वी०बी० [illegible]	बी०जी०देवारे	अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रास, मारबुर्ग, 1982	"[illegible]" पुरस्कार
39.	सेसंटोमनी इन मिल्च एनीमेल	ओम प्रकाश शर्मा	बी०के० भान	12वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि समारोह, लेपजिग, पश्चिम बर्लिन।	रजत इयर

1	2	3	4	5	6
40.	एनर्जी फ्राम विंड कटर एण्ड सन	एन० एस० थापा	यश चौधरी	वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर 20वाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, चेकोस्लोवाकिया	ग्रेंड प्रिक्स
41.	दी फोर मिनट्स	वी० बी० चन्द्रन	पी० बी० पेंढारकर	मैडिकल फिल्मों के लिए छटी अंतर्राष्ट्रीय मरबुर्ग, एफ० आर० जी०	सम्मान का विशेष डिप्लोमा
42.	मिस्ट इन क्लीयरिंग	ओम प्रकाश शर्मा	पी०सी० शर्मा	12वाँ अन्तर्राष्ट्रीय कृषि समारोह, लेपजिंग, पश्चिम जर्मन	जूरी द्वारा विशेष सम्मान
43.	स्पटिंग इन सिक्किम	एन०एस० थापा	—	पर्वतीय फिल्मों का 7वाँ वार्षिक समारोह, बांफ, कनाडा।	जूरी का विशेष पुरस्कार
44.	दी स्टोरी आफ व्हीट	के०के० गर्ग	महमूद कुरैशी	12वाँ अन्तर्राष्ट्रीय कृषि समारोह लेपसिंज, पश्चिम जर्मन	रजत इअर
45.	चोख	पश्चिम बंगाल सरकार	उतपलेन्द्रु चक्रवर्ती	बर्लिन फिल्म समारोह	यंग फोरम के अन्तर्गत 12000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
46.	खारीज	नीलकंठ फिल्म्स	मिणाल सैन	कैनस फिल्म समारोह	जूरी का विशेष पुरस्कार
47.	गृहयुद्ध	पश्चिम बंगाल सरकार	बुधादेव दास गुप्ता	वीनस फिल्म समारोह	फिपरैसी पुरस्कार

1	2	3	4	5	6
गैर-फीचर फिल्में					
48.	गिफ्ट आफलव	के०के० गर्ग	मीरा दिवान	भारत का 9वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	जूरी का विशेष पुरस्कार
49.	फेसीस आफ्टर स्ट्रोम	यश चौधरी	प्रकाश झा	-तथैव-	-तथैव-
50.	ओककास्ट गोबर गैस प्लांट	ओम प्रकाश शर्मा	एच०एस० अडवानी	एग्री फिल्म समारोह, ओरबेटलो, इटली	विशेष मेंशन जूरी पुरस्कार
51.	ओम नम: शिवाय:	बी०बी० चन्द्रस	लोकसेन लालवानी	पनयारा-83 समारोह, मास्को	योग्यता का प्रमाण-पत्र
52.	गिफ्ट आफ लव	के०के० गर्ग	मीरा दिवान	29वां पश्चिम जर्मनी लघु फिल्म समारोह, उबेरहमन	सम्मान का डिप्लोमा
53.	ए मैअर आफ लाइफ एण्ड डैथ	बी०बी चन्द्रा	ए०एन० परमेश	इथनोलजिक फिल्मों का सप्ताह, युगोस्लाविया	भाग लेने का विशेष पुरस्कार
54.	मैन वर्सिस मैन	फिल्म और टेलीविजन संस्थान	शशि आनन्द	ओनराष्यिों कनाड़ा	सर्वश्रेष्ठ सामाजिक टिप्पण की ट्राफी
55.	-तथैव-	-तथैव-	-तथैव-	ओबाइसन	लघु फिल्मों की श्रेणी में एक्ज-एगु ग्रेड पुरस्कार
56.	पार स्टोरी	-तथैव-	जैनुद्दीन ए० केहीक	ओनराष्यिों कनाड़ा	दो सितारा रेटिंग
			1984		
फीचर फिल्में					
57.	माया मृग्या	लोट्स प्रोडक्शन	नीरद मोहपात्रा	मानहीम फिल्म समारोह	सर्वोत्तम फिल्म

1	2	3	4	5	6
58.	पार	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	गौतम घोष	वीनस फिल्म समारोह	नसरुद्दीन शाह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
59.	अर्ध सत्य	मनमोहन शेट्ठी और प्रदीप कपूर	गोविन्द निलहानी	कार्लोव वैरी समारोह	ओमपुरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
60.	खण्डर	जगदीश चौकानी और पुष्पा चौकानी	मृणाल सेन	मॉंट्रीयल फिल्म समारोह	जूरी का विशेष पुरस्कार
गैर-फीचर फिल्में					
61.	वाटर हायासिन्दे ए वीड टर्नड टू वेल्थ	ओम प्रकाश डी० शर्मा	गौतम	13वीं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि फिल्म प्रतियोगिता बर्लिन	सिल्वर ईयर
62.	प्लांट टिस्सु कल्चर	प्रेम वैदया	विजय पांडे	वैज्ञानिक फिल्मों का 13वां अंतर्राष्ट्रीय समारोह, बेलग्रेड, युगोस्लाविया	निकोला तेजला ब्रोंज मैडल
63.	कलंक	डा० पी० के० राजहूना	—	सिनेमा और टेलीविजन के लिए 26वां अन्तर्राष्ट्रीय लीपजीगेट, डाकुमेंट्री और लघु फिल्म समारोह	डिप्लोमा आफ मैरिट
64.	दि डिसीजन इस योर्ज	पी०बी० पेडीहकार	चन्द्र शेखर नयर	मैडिकल फिल्मों के लिए 7वीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मरबुर्ग, पश्चिम जर्मनी	डिप्लोमा आफ आनर

1	2	3	4	5	6
65.	नोन कनवेंशनल एनर्जीरिसोसर्ज	डी० गौतम	कुलदीप सिन्हा	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एग्री, फिल्म 84, सलोवाक, प्रयाग, चैकोस्लोवाकिया	दूसरा पुरस्कार
66.	चैंजीस गरीबाल्ल	—	नरेश बेदी	अन्तर्राष्ट्रीय वनप-जीवन, फिल्म और टेलीविजन समारोह	नरेश बेदी को सर्वोत्तम कैमरा मैन के लिए

समुद्री मछली के उत्पादन में गिरावट

5233. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री मछली के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान समुद्री मछली के उत्पादन में कितनी गिरावट आई थी; और

(ग) क्या सरकार ने समुद्री मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री मछली का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है—

	लाख मीटरी टन में
1981-82	14
1982-83	14
1983-84	16

(ग) समुद्री मात्स्यकी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

(1) मत्स्यन कार्यकलापों में विविधता लाने और ऋणों/राजसहायता के जरिए देशी बेड़े का आधुनिकीकरण करने में राज्यों को सहायता देना;

(2) देशी, आयातित और किराये पर लिये गये मत्स्यन-जलयानों के विवेकपूर्ण मिश्रित उपयोग के जरिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मत्स्यन बेड़े में वृद्धि करना;

(3) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले देश में विनिर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत की राजसहायता उपलब्ध कराना;

(4) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना;

(5) मत्स्यकी-सर्वेक्षणों में वृद्धि करना;

(6) बड़े और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन-बन्दरगाहों के निर्माण और छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर जलयानों के उतरने और ठहरने की सुविधाओं के लिये सहायता;

(7) मत्स्यन-जलयानों पर काम करने के लिए मात्स्यकी से संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षण देना;

(8) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन। इस प्रयोजन के लिये, 2 नवम्बर, 1981 से भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 लागू हो गया है।

विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

5234. श्री विजय एन० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सरकारी तौर पर निकाले जाने वाले एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को जारी किए गए विज्ञापनों पर खर्च हुई राशि को छोड़कर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी किए गए विज्ञापनों पर 1979-80 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान कुल हुआ खर्च वर्षवार, इस प्रकार है—

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1979-80	2,83,31,408
1980-81	3,50,55,546
1981-82	3,92,39,879
1982-83	3,99,67,460
1983-84	3,90,43,826

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों को वर्गीकृत/वर्गीकृत सजावटी या सजावटी विज्ञापनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्वोक्त

विज्ञापन उत्तरोन्मुखी होते हैं और वे अधिकांशतः भर्ती, टेन्डर नोटिस आदि के संबंध में होते हैं। सजावटी विज्ञापन राष्ट्रीय एकीकरण, परिवार कल्याण, आदि जैसे विषयों के संबंध में प्रेरक और शिक्षाप्रद होते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आनन्द पर्वत और वेस्ट पटेल नगर में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव

5235. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार आनन्द पर्वत और वेस्ट पटेल नगर में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस की भूमि अधिगृहीत करने का है जैसा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1972-73 के नक्शे में दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार उन बैरकों में वर्षों से रह रहे सिविलियनों का पुनर्वास किस प्रकार करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1985-86 के लिए हुडको द्वारा राज्यों को आबंटित धनराशि

5236. **श्री वी० सोभनाद्री स्वरा राव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार निर्माण सामग्री के मूल्यों में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुये कमजोर वर्ग के लोगों को मकानों का निर्माण करने के लिए राजसहायता तथा ऋण सीमा में वृद्धि करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1985-86 के दौरान, हुडको का 295.00 करोड़ रुपये का अनन्तिम ऋण स्वीकृति के लक्ष्य का प्रस्ताव है। राज्यवार नियतन संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) और (ग) हुडको की वर्तमान वित्त पद्धति की जांच के लिए पहले ही सरकार ने एक कार्यकारी दल की स्थापना कर दी है। दल के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न टाइप के मकानों की अधिकतम लागत सीमा के संशोधन के प्रश्न सहित हुडको से अनुमेय ऋण सहायता की मात्रा में वृद्धि करता है। दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तथापि, अपने मकानों के निर्माणार्थ कमजोर वर्ग के लोगों को हुडको से सहायता की मंजूरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

कार्यों के वर्तमान टाइप का अनुमान लगाकर 1985-86 के दौरान ऋण स्वीकृति के लिए राज्यवार न्यूनतम नियतन

हुडको जोन/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 1985 से मार्च, 1986 के दौरान ऋण स्वीकृति के लिए न्यूनतम नियतन		
	योग	ग्रामीण (करोड़ रुपयों में)	शहरी
1	2	3	4
जोन-I			
असम	4.04	1.28	2.76
बिहार	18.55	3.74	14.81
हरियाणा	4.09	0.74	3.35
हिमाचल प्रदेश	1.38	0.56	0.82
जम्मू कश्मीर	3.83	1.72	2.11
मणिपुर	0.63	0.20	0.43
मेघालय	0.51	0.20	0.31
नागालैंड	0.39	0.14	0.25
उड़ीसा	9.06	2.04	7.02
पंजाब	6.49	0.85	5.64
राजस्थान	19.92	3.43	16.49
सिक्किम	0.13	0.06	0.07
त्रिपुरा	0.45	0.15	0.30
उत्तर प्रदेश	29.50	5.81	23.99
पश्चिमी बंगाल	19.35	2.29	17.06
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.06	0.06
अरुणाचल प्रदेश	1 77	0.59	1.18
चण्डीगढ़	0.47	....	0.47
दिल्ली	5.84	0.02	5.82
मिजोरम	0.53	0.14	0.39
योग	127.05	24.02	103.03

1	2	3	4
जोन-II			
आंध्र प्रदेश	23.66	3.59	20.07
गुजरात	23.72	2.30	21.42
कर्नाटक	19.67	2.40	17.27
केरल	8.87	1.12	7.75
मध्य प्रदेश	20.81	4.77	16.04
महाराष्ट्र	38.43	3.77	34.66
तमिलनाडु	31.57	2.21	29.36
दादर तथा नागर हवेली	0.02	0.01	0.01
गोवा दमण तथा द्वीव	0.74	0.05	0.69
लक्षद्वीप	0.01	....	0.01
पाण्डिचेरी	0.45	0.01	0.44
योग : जोन-II	167.95	20.23	147.72
जोन-I + जोन-II	295.00	44.25	250.75

हरियाणा को खाद्य तेलों की सप्लाई

5237. श्री राम प्रकाश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा को खाद्य तेलों तथा अन्य वस्तुओं की पूर्ति पूरी मात्रा में की गई थी;

(ख) 1985-86 की मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों, गेहूं तथा चावल का आबंटन, उनकी मांग, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध उनके स्टाक, गत समय से उठाई गई उनकी मात्रा, उनकी स्थानीय उपलब्धता आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुये मासिक आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा को इन वस्तुओं के आबंटन भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये किये गये थे। इस संबंध में एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तुओं की मांग, आबंटन तथा उठाई गई मात्रा

(मात्रा हजार मी० टनों में)

वर्ष	मांग	आबंटन	उठाई गई मात्रा
		गेहूं	
1982	195	76	27.8
1983	127	121	52.4
1984	179	175	54.6
		चावल	
1982	18.1	15.8	6.9
1983	33.1	23.4	20.8
1984	39.0	26.4	9.1
		खाद्य तेल	
			(मात्रा मी० टनों में)
*1982-83	5,377	3,020	3,116
*1983-84	30,000	12,700	9,153
*1984-85	30,000	10,500	4,788

*तेल वर्ष नवम्बर से अक्तूबर तक

मिट्टी का तेल

(मात्रा मी० टनों में)

1982-83	...	93,934	96,040
1983-84	....	103,534	101,993
1984-85	....	114,290	114,732(अनन्तिम)

साफ्ट कोक

(मात्रा हजार मी० टन में)

वर्ष	कुल प्रेषण
1982-83	17.0
1983-84	12.7
1984-85 (फरवरी, 85 तक)	15.2

चीनी

(मी० टनों में)

अवधि	कोटा
अप्रैल, 82 से सितम्बर 83	5,462
अक्टूबर, 83 से आगे	5,837

कंट्रोल का कपड़ा

वर्ष	वार्षिक हकदारी	हरियाणा संघ द्वारा जारी किए गए प्रेषण अनुदेश	निर्मुक्त की गई मात्रा
		(लाख वर्ग मीटरों में)	
1982-83	58.32	36.54	33.50
1983-84	45.90	26.71	19.50
1984-85	36.18	68.46	58.29

पश्चिमी जर्मनी से गायों का आयात

5238. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी जर्मनी से 20,000 गायों के आयात की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो आयातकर्ता का नाम क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी तथा आयात करने का प्रयोजन क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) ग्रीस की राजकुमारी माननीया आइरीन द्वारा दान में दी जाने वाली 20,000 गायों को प्रथमतः स्वीकार कर लेने का निर्णय किया गया है ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि उपहार में प्राप्त गायों के आयात और वितरण का सारा कार्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सम्पन्न किया जाएगा । चूंकि दुधारु गायें दान में दी जा रही हैं अतः इसमें विदेशी मुद्रा का कोई व्यय शामिल नहीं है ।

आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 1985-86 के दौरान टी वी. केन्द्र स्थापित करना

5239. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सातवीं योजना के दौरान टी०वी० नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम को वरीयता न देने के क्या कारण हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना के दौरान उक्त आदिवासी क्षेत्रों में "लो पावर ट्रांसमीटर" और "हाई पावर ट्रांसमीटर" स्थापित करने के लिए चुना गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरह ही, टी० वी० के विस्तार के लिए एक बृहद् योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) : दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार के लिए सातवीं योजना के प्रस्तावों में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों सहित आदिवासी क्षेत्रों को उचित अग्रता के साथ देश के कवर न हुए विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए ट्रांसमीटरों की स्थापना की व्यवस्था है। सातवीं योजना अभी अनुमोदित होनी है।

(ख) 1985-86 के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश के निम्नलिखित आदिवासी जिलों में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की कार्रवाई चल रही है :

राज्य	स्थान
1. उड़ीसा	भवानी पटना
2. मध्य प्रदेश	(i) जगदलपुर
	(ii) खंडवा

(ग) से (ङ) इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार को सातवीं योजना के दौरान दूरदर्शन विस्तार के लिए प्रस्तावों को तैयार करते समय समुचित अग्रता दी गई है। तथापि, प्रस्तावित स्कीमों का कार्यान्वयन आवश्यक संशोधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रसिका की बिक्री के लिए अधिक केन्द्रों की मांग

5240. **श्री राम समुझावन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम जनता द्वारा रसिका की बिक्री के लिए अधिकाधिक केन्द्र खोले जाने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या नई दिल्ली/ दिल्ली रेलवे स्टेशनों से आरम्भ होने वाली गाड़ियों में यह पेय उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984 के दौरान और 1985 में अब तक इस उत्पाद की कुल कितनी मासिक बिक्री हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली गोमती एक्सप्रेस में रसिका फल ड्रिंक शुरु किया गया है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मास	बिक्री की राशि (लाख रुपये)
जनवरी, 1984	1.49
फरवरी, 1984	2.52
मार्च, 1984	10.13
अप्रैल, 1984	19.80
मई, 1984	28.27
जून, 1984,	21.77
जुलाई, 1984	14.48
अगस्त, 1984	16.42
सितम्बर, 1984	14.36
अक्तूबर, 1984	13.46
नवम्बर, 1984	5.05
दिसम्बर, 1984	3.22
जोड़ :	150.97
जनवरी, 1985	2.33
फरवरी, 1985	8.05
मार्च, 1985	20.82
अप्रैल, 1985	29.95*

*29 अप्रैल, 1985 तक

आराम बाग में क्वार्टरों का वर्गीकरण

[हिन्दी]

5241. **श्री सत्य नारायण पवार :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. आई. जेड. एरिया, मन्दिर मार्ग और आराम बाग में टाइप "ए" "बी" और "सी" के सरकारी क्वार्टरों का आकृत क्षेत्र बराबर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने टाइप "ए" के क्वार्टरों में एक अतिरिक्त रसोई बनाकर उन्हें टाइप "बी" के रूप में वर्गीकृत कर दिया है तथा तीन कमरे वाले टाइप "बी" के क्वार्टरों को भी टाइप "सी" के रूप में वर्गीकृत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तुकीय विचार से आवश्यक पाए जाने पर मानक फर्शी क्षेत्र दो प्रतिशत तक बढ़ाए जाने के लिए अनुमेय हैं। ऐसा वास्तुकीय आयोजन में कुछ शिथिलीकरण अनुमेय करने के लिए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की मानक विहार कालोनी में पानी की लाइन का बिछाया जाना

[अनुवाद]

5242. **श्री डी० के० नायकर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली की मानक विहार कालोनी में पानी की लाइन बिछाये जाने के बारे में 21 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4769 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान ने मानक विहार कालोनी में पानी के लिए विकास प्रभार 6 रुपये 50 पैसे से प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 8 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि इस कार्य पर वास्तव में खर्च हुई 56,700.37 रुपये की राशि 82,603.66 रुपये की अनुमानित लागत से बहुत कम है; और

(ग) क्या इस प्रकार की अतिरिक्त राशि का अन्य खर्चों के लिए उपयोग करना दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान की नीति है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। अनुमानित लागत के आधार पर 8.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास प्रभारों का हिसाब लगाया गया था।

(ख) और (ग) नीति के अनुसार विकास प्रभारों का हिसाब अनुमानित लागत पर लगाया जाता है और इस लागत से करार नामे पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसलिए किसी प्रकार

की बचत को वापिस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह से अधिक लागत भी वसूल की जाती है।

अनुमानित लागत पर 10 प्रतिशत की छूट (जिन मामलों में निवासी पूरे भुगतान अग्रिम में जमा करते हैं वहां 20 प्रतिशत) दी जा रही है। इसलिए अन्य किसी प्रकार के के लिए अधिक धन के उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

"हुडको" योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

5243. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1979 की "हुडको" पैटर्न योजना के अन्त 31 मार्च, 1985 तक मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता टाइप के फ्लैटों के लि तारीख-वार कितने "ड्रा" आयोजित किए गए और प्रत्येक "ड्रा" में श्रेणीवार कितने फ्ल शामिल किए गए;

(ख) क्या उक्त "ड्रा" में हकदार घोषित किए गए व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित कर दि गए हैं और यदि नहीं, तो फ्लैटों की संख्या कितनी है और यदि नहीं तो कितने फ्लैटों के सम्ब में अभी तक वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है, उसके क्या कारण हैं तथा यह प्रक्रिया कब त पूरी हो जाएगी; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण शेष फ्लैटों के लिए कब तक "ड्रा" आयोजित करे और इनमें प्रत्येक श्रेणी के कितने फ्लैट शामिल किए जाएंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली को आवास का आबंटन

5244. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि 1963 में मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए एक नि के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए शा भण्डार खोलने सहित इसके विभिन्न प्रयोजनों हेतु नाममात्र के किराये पर आवास प्रदान कर आवश्यक है ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इस समिति तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुध विभाग द्वारा विभिन्न निवेदनों के बावजूद उनके मन्त्रालय ने समिति को कोई भी आवास प्रद करने से इन्कार कर दिया है जिसके कारण इसका विस्तार कार्यक्रम ठप्प हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना को पूरा करने के लिए शाखा भण्डार खोलने के लिए समिति को मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुसार आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) समिति के थोक तथा प्राथमिक स्टोरों को नाममात्र के किराये पर उपयुक्त वास के प्रावधान के लिए 1963 में मंत्रिमण्डल ने एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था।

(ख) सामान्य पूल में वास की अत्यधिक कमी के तथा इस तथ्य के कारण कि आबंटन के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी अपनी बारी का दो दशकों से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं समिति को कोई भी रिहायशी वास नहीं दिया जा सका। कार्यालय वास की अत्यधिक कमी के कारण उन्हें इस प्रकार का कोई वास नहीं दिया जा सका।

(ग) इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है। तथापि, यह भी उल्लेख किया जाता है क सरकार ने समय-समय पर समिति को कई रिहायशी एककों/दुकानों का आबंटन किया है।

पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्रों के लिए विज्ञापन

5245. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन समाचार पत्रों के विवरण क्या हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग की विज्ञापन सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 में संघ लोक सेवा आयोग की विज्ञापन सूची में कोई समाचार-पत्र जोड़े गये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उनके नाम और भाषा क्या हैं; और

(घ) पश्चिमी बंगाल के कितने समाचारपत्रों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों हेतु आवेदन किया गया है और क्या उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले उन समाचारपत्रों के नाम और अन्य ब्यौरा दिया हुआ है जो संघ लोक सेवा आयोग सम्बन्धी माध्यम सूची में शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जहां तक पश्चिमी बंगाल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का सम्बन्ध है बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाले दो समाचारपत्रों अर्थात् "उत्तर बंग संवाद" और "आजकल" को अगस्त, 1984 में संघ लोक सेवा आयोग सम्बन्धी माध्यम सूची में जोडा गया था।

(घ) पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होने वाले दस दैनिक समाचारपत्रों से संघ लोक सेवा आयोग संबंधी माध्यम सूची में शामिल किए जाने के लिए निकट भूतकाल में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन पत्रों पर संघ लोक सेवा आयोग संबंधी माध्यम सूची के अगले आवधिक पुनरीक्षण के समय विचार किया जायेगा।

विवरण

क्रम संख्या	प्रकाशन का नाम और स्थान	भाषा
1	2	3
1.	अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता	अंग्रेजी
2.	विश्वमित्र, कलकत्ता	हिन्दी
3.	सनमार्ग, कलकत्ता	हिन्दी
4.	आजाद हिन्द, कलकत्ता	उर्दू
5.	जुगान्तर, कलकत्ता	बंगला
6.	वसुमति, कलकत्ता	बंगला
7.	कालान्तर, कलकत्ता	बंगला
8.	पैगाम, कलकत्ता	बंगला
9.	उत्तर बंग संवाद, सिलीगुड़ी	बंगला
10.	आजकल, कलकत्ता	बंगला

अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

5246. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ एजेंसियों द्वारा अनुमति प्राप्त मलयाली चलचित्रों के नाम पर केरल के बाहर अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन करके सारे मलयालियों को बदनाम किया जा रहा है;

(ख) क्या केरल से बाहर रहने वाले कई मलयालियों और गैरमलयालियों ने गंदी सैक्स फिल्मों के प्रदर्शन पर विरोध प्रकट किया है; और

(ग) अनुमति प्राप्त मलयाली फिल्मों के नाम पर अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों को सजा देने और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कतिपय एजेंसियों द्वारा केरल के बाहर अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन करके सारे मलयालियों को बदनाम किया जा रहा है। तथापि, ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मलयालम की कुछ प्रमाणित फिल्मों को विज्ञापन सामग्री में उत्तेजित और प्राय: अश्लील अंग्रेजी और हिन्दी शीर्षकों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है और कुछ फिल्मों को अन्तर्वेशित सामग्री के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। चलचित्र अधिनियम, 1952 के दांडिक उपबंधों का प्रवर्त्तन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है, क्योंकि फिल्मों का प्रदर्शन राज्य विषय है। फिल्म प्रमाणन

बोर्ड और सरकार ने समय-समय पर सेंसरशिप उल्लंघनों संबंधी समस्या को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के ध्यान में लाया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने सितम्बर, 1983 में सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को एक पत्र लिखा था जिसमें कानून के उपबन्धों का प्रवर्त्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके अलावा, उल्लंघनों के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत वर्जित सजा की व्यवस्था करने के लिए चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1984 (27-8-84 से प्रभावी) द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया था। चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 38 में भी यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया था कि फिल्म संबंधी विज्ञापनों में केवल फिल्मों के प्रमाणित शीर्षक ही दिए जायेंगे।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में भू-कटाव

5247. श्री हरीहर सोरन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले में बारबिल, इयोड़ा और ठाकुराणी क्षेत्रों में, प्रति वर्ष भू कटाव के कारण, कृषि योग्य भूमि को होने वाले नुकसान की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में भू-कटाव रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां। इन क्षेत्रों में यह समस्या मुख्यतः बड़े पैमाने पर खनन कार्य के कारण उत्पन्न होती है। खनन क्षेत्रों से निकाला गया मलबा नीचे की कृषि भूमि में फैल जाता है। इसके अलावा, उचा-नीचा भू-भाग होने के कारण भी मृदा क्षरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है।

राज्य सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में खानों के मलबे के नियंत्रण के लिए सातवीं योजना में प्रस्ताव तैयार किए हैं ताकि क्षरण-प्रतिरोधी कार्य किए जा सकें। इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मोहन विहार और राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन क्षेत्र के बीच अनधिकृत कब्जे

5248. श्री लाला राम केन : क्या निर्माण और आवास मंत्री मोहन विहार और राधेश्याम पार्क एक्सटेंशन क्षेत्र के बीच अनधिकृत कब्जों के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6562 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जों को हटा दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण न्यायालय से स्थगन आदेश तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति के कारण हटाए नहीं जा सके।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को भेजे गये खाद्यान्न

5249. **श्री बिमल कान्ति घोष** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वर्ष 1984 के दौरान पश्चिम बंगाल को रेल और सड़क द्वारा कुल कितनी मात्रा में देशी और आयातित खाद्यान्न भेजे गये; और

(ख) पश्चिम बंगाल को वर्ष 1982 और 1983 के दौरान भेजे गये खाद्यान्नों से ये आंकड़े किस प्रकार तुलनीय हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल को 1984, 1983 और 1982 के दौरान प्रेषित किए गए देशी और आयातित खाद्यान्नों का विवरण नीचे दिया गया है :–

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	देशी (रेल)	आयातित रेल	आयातित सड़क	कुल जोड़
1	2	3	4	5
1984	15.77	0.36	3.06	19.19
1983	25.04	2.29	5.48	32.81
1982	30.01	0.19	2.52	32.72

विभिन्न आमदनी वाले समूहों को विभिन्न दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करना

5250. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्यों के सम्बन्ध में देश में विभिन्न आमदनी वाले समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भवन निर्माण मजदूरों की मंजूरी में संशोधन

5251. **श्री थम्पन थामस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में भवन निर्माण मजदूरों की मजूरी में संशोधन किया है;

(ख) क्या "इंडियन फेडरेशन आफ बिल्डिंग एण्ड वुड वर्कर्स" ने इस संशोधन का कड़ा विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भवन निर्माण मजदूरों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के बारे में फेडरेशन के उक्त अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) फेडरेशन ने यह लिखा है कि श्रमिकों को दिया गया मुआवजा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति प्वाइंट वृद्धि होने पर चार पैसे से कम नहीं होना चाहिए ।

(घ) और (ङ.) फेडरेशन द्वारा उठाए गए मसलों को न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की 9 मई, 1985 को होने वाली 18वीं बैठक की कार्यसूची में शामिल कर दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल में माल उतारने के दौरान खाद्यान्नों की हानि

5252. **प्रो० एम० आर० हाल्दर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में माल उतारने के दौरान भारतीय खाद्य निगम की कुछ मात्रा में खाद्यान्नों की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गन्तव्य स्टेशनों पर खाद्यान्न उतारते समय प्रेषण स्टेशनों से प्रेषित की गई मात्रा के संदर्भ में कुछ मात्रा में हानियां हुई देखी गई हैं और इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के गन्तव्य स्थान कोई अपवाद नहीं हैं ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने इन कमियों को कम करने के लिए कई एक पग उठाए हैं जिनमें बोरियों की मशीन से सिलाई करना, कांटे लगाना, खुले बैगनों में संचलन करने से बचना, लदान/उतरान रेल शीर्षों पर सुरक्षा उपायों को कड़ा करना और विभिन्न परिचालन केन्द्रों पर अचानक छापे मारना शामिल है ।

भारतीय खाद्य निगम में हानि

5253. **श्री शरद दिघे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को इस समय भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हानि को कम से कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम हैंडलिंग लागत को कम करके यथासम्भव न्यूनतम करने और कार्य संबंधी परिणामों में सुधार लाने की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

हिन्दुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी का वार्षिक घाटा

5254. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिनांक 10 मई, 1982 के हिन्दुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी (सहकारी समिति) का अधिग्रहण किए जाने के समय, इस एजेंसी का वार्षिक घाटा क्या था;

(ख) हिन्दुस्तान समाचार सोसायटी को अब तक कुल कितना घाटा हो चुका है;

(ग) घाटा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या उसके महाप्रबंधक ने लगभग एक लाख रुपए का घोटाला किया और भाग गया; और

(ङ.) यदि हां, तो हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों की खून-पसीने की कमाई वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) "हिन्दुस्तान समाचार" न्यूज एजेन्सी (सहकारी समिति) का जून, 1982 तक वार्षिक घाटा 25,29,162.29 रुपए था।

(ख) अब तक कुल घाटा लगभग 85 लाख रुपये का होने का अनुमान है।

(ग) पुनर्वास अनुदान उपलब्ध करने के मामले को सहकारी समितियों के पंजीयक, दिल्ली प्रशासन द्वारा सहकारिता मंत्रालय को भेजा गया है।

(घ) तत्कालीन महाप्रबन्धक श्री यू० एस० गांधी ने लगभग 1.25 लाख रुपये का कथित गबन किया और भाग गया।

(ङ.) गबन के दो विभिन्न मामलों को हिन्दुस्तान समाचार के महाप्रबन्धक द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराया गया है और पुलिस से मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

आवश्यकता से अधिक चराई के कारण पर्यावरणीय समस्यायें

5255. श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यकता से अधिक चराई देश भर में फैली पर्यावरणीय समस्या का एक प्रमुख कारण है;

(ख) क्या इस समस्या का हल ठौर पर चारा खिलाने को बढ़ावा देने में निहित है;

(ग) क्या ठौर पर चारा खिलाना कुछ घरेलू अच्छी किस्म के घरेलू पशुओं के संबधंन के बिना असंभव है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई के फलस्वरूप वन-सम्पदा का उजड़ना तथा मृदा का अनावरण, आवश्यकता से अधिक चराई, औद्योगिक कूड़े-कचरे आदि द्वारा प्रदूषण जैसे कई कारणों से पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। केवल आवश्यकता से अधिक चराई के कारण ही देश में पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं किस हद तक पैदा होती हैं यह बताना कठिन है।

(ख) से (घ) चराई को पूरी तरह से बन्द करना तथा बड़ी संख्या में पशुओं (4100 लाख—1982) की ठौर पर चारा खिलाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अधिक दूध देने वाले पशुओं के रख-रखाव के लिए उनके मालिक उन्हें अधिकतर ठौर पर ही चारा देते हैं। दूध न देने वाले पशुओं की बड़ी संख्या को कम करके आवश्यकता से अधिक चराई की समस्या का समाधान हो सकता है।

हमारे देश में पशुधन विकास के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) जर्सी, हौलस्टाईन फ्रीसियन आदि जैसे विदेशी डेरी नस्लों के साथ अज्ञात नस्ल के पशुओं के चयनात्मक प्रजनन तथा संकर प्रजनन से महत्वपूर्ण देशी नस्लों के गोपशुओं तथा भैंसों की नस्ल में सुधार लाना।

(2) बेहतर किस्म की अधिक ऊन तथा मांस के उत्पादन के लिए भी संकर प्रजनन। चयनात्मक प्रजनन से देशी भेडों की नस्ल में सुधार लाना।

(3) विदेशीय नस्लों के साथ संकरण करके देशी सुअरों की नस्ल में सुधार करना।

(4) अंडों तथा कुक्कुट मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के कुक्कुटों का विकास करना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना और विपणन संबंधी बुनियादी तंत्र को बेहतर बनाना।

(5) आहार तथा चारा संबंधी संसाधनों का विकास करके पशुधन के लिए और अधिक पौषणिक चारे की व्यवस्था करना।

(6) निदान, उपचार तथा टीका उत्पादन के लिए पशु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास करना और पशुप्लेग, खुरपका मुंह पका आदि जैसे रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्यवाही

5256. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एकाधिकार निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए "अनसालिसिटेड गुड्स एण्ड सर्विसेस एक्ट, 1971" और "अनफेयर कान्ट्रैक्ट टर्मस एक्ट, 1977" जैसे ब्रिटिश कानूनों जैसे विधान की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एकाधिकार वाले विनिर्माताओं द्वारा एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार किये जाने के बारे में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं। इन्हें रोकने की दृष्टि से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को अब संशोधित किया जा चुका है और इसमें उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अनैतिक व्यापार पद्धतियों पर नियंत्रण रखने के लिए विशिष्ट उपबन्ध शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, विधि आयोग ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है।

प्रमुख फसलों के लिए बीजों की आवश्यकता

5257. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन असंतुलित है, 2 मार्च, 1985 का टाइम्स आफ इंडिया और गेहूं के बीजों का फालतू उत्पादन हो रहा है और तिलहन, दालों इत्यादि के बीजों की जिनकी अविलम्ब आवश्यकता है अत्यधिक कमी है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने पूरे देश के लिए प्रत्येक प्रमुख फसल के लिए बीजों की अधिकतम राष्ट्रीय आवश्यकता का निर्धारण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका वास्तविक वार्षिक उत्पादन तथा उपलब्धता क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम आयात स्थिति तथा कमी के समय भी खराब बीज न बेचने के लिए हर संभव सावधानी बरत रहा है, जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व किया गया था, जबकि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा करनाल बंट रोगग्रस्त गेहूं का भारतीय खाद्य निगम से लेकर वितरित किया गया था, जिसके विनाशकारी परिणाम निकले थे ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान निम्नलिखित कारणों से देश में गेहूं के बीजों का फालतू उत्पादन हुआ है :—

(1) सूखे और नमी की कमी के कारण महाराष्ट्र राजस्थान आदि में गेहूं के काफी बड़े क्षेत्र में कम जल की आवश्यकता वाली अन्य फसलों की खेती करना।

(2) खराब परिस्थितियों के कारण नवम्बर, 84 के महत्वपूर्ण महीने में सड़क परिवहन में गड़बड़ी मुख्य रूप से किस्म सम्बन्धी समस्याओं के कारण तिलहनों और दालों के बीज की मामूली कमी हुई है।

लेकिन बीजों के उत्पादन को असंतुलित नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामान्य परिस्थितियो में गेहूँ के सारे बीजों की खपत हो जानी थी।

(ख) भारत सरकार बीजों की इष्टतम राष्ट्रीय आवश्यकता का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय बीज निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक राष्ट्रीय संगठन है जो बीजों के उत्पादन और विपणन का कार्य करता है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के पास बीजों के परीक्षण की सभी भौतिक सुविधायें सुलभ हैं और समुचित परीक्षणों के बाद उनकी बिक्री मुहरबंद पैकिंग में की जाती है। वे कमी और आपातकालीन समय में भी संक्रमित बीजों की बिक्री की अनुमति नहीं देते। राष्ट्रीय बीज निगम ने भारतीय खाद्य निगम से कभी भी गेहूँ खरीदकर उसे बीज के रूप में नहीं बेचा है।

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर अपनी बारी के बिना सरकारी आवास का आबंटन

5258. **श्री बी० के० गढवी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को अपनी बारी के बिना आवासों का आबंटन किया गया है;

(ख) उक्त आबंटन किस-किस आधार पर दिए गए;

(ग) क्या कुछ कनिष्ठ अधिकारी तो आवास पाने में सफल रहे हैं परन्तु वरिष्ठ अधिकारी वंचित रह गए हैं जिससे वरिष्ठ अधिकारियों में निराशा व्याप्त है; और

(घ) जब बीमारी के आधार पर बारी के बिना आबंटन किया जाता है तो क्या सम्बन्धित कर्मचारी को चिकित्सा बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1005।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां। तदर्थ आबंटन परिस्थितियों के दबाव में विशेष विमर्श पर किए जाते हैं और इसलिए यह सम्भव है कि कनिष्ठ अधिकारीगण आवास प्राप्त कर लें और वरिष्ठ अधिकारीगण प्रतीक्षारत रहें।

(घ) जी, नहीं। बीमारी के आधार पर आबंटन के लिए, सम्बधित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी अस्पताल के उपयुक्त विशेषज्ञ /डाक्टरों के बोर्ड से या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त केन्द्र अथवा संस्थान से बीमारी का आवश्यक प्रमाण-पत्र पेश करें। सम्पदा निदेशालय द्वारा उन डाक्टरों के बोर्ड/विशेषज्ञों से इन प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र रूप से

सत्यापन भी करवाया जाता है जिन्होंने ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किए हों। तत्पश्चात्, एक विशेष आवास समिति द्वारा इन मामलों पर विचार किया जाता है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अधिकारी तथा संबंधित रोग का एक चिकित्सा विशेषज्ञ भी शामिल होता है।

विवरण

क्र० सं०	वह आधार जिसके अन्तर्गत बिना बारी के आवास का आबंटन किया जाता है
1.	दिवंगत अधिकारियों के आश्रितों को तदर्थ आबंटन।
2.	दिवंगत अधिकारी के आश्रितों के नाम में उसी क्वार्टर को नियमित करना।
3.	सेवा-निवृत्त अधिकारियों के आश्रितों को तदर्थ आबंटन।
4.	सेवा-निवृत्त अधिकारी के आश्रित के नाम के उसी क्वार्टर को नियमित करना।
5.	सामान्य पूल वास के लिए पात्र कार्यालयों में स्थानान्तरण पर विभागीय पूल के दखलकारों को तदर्थ आबंटन।
6.	मंत्री/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य/लोक सभा आदि के उपाध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ को तदर्थ आबंटन।
7.	क्षय रोग (सक्रिय संक्रामक अवस्था में) और असाध्य कैंसर जैसी बीमारी के आधार पर तदर्थ आबंटन।
8.	शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को तदर्थ आबंटन।
9.	विशेष अनुकम्पा के आधार पर तदर्थ आबंटन।
10.	ड्यूटी की किस्म, उप-राष्ट्रपति को स्टाफ आदि जैसे अन्य आधारों पर तदर्थ आबंटन।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूर करने में लिया जाने वाला समय

5259. **श्री ललितेश्वर शाही :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसी अनुसंधान परियोजना को मंजूर करने में औसतन कितना समय लेता है;

(ख) क्या सम्बन्धित व्यक्ति को, जिस विषय पर वह अनुसंधान करना चाहता है उस अनुसंधान की रूप रेखा की 15-17 प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं;

(ग) क्या वहां पर ऐसी प्रकिया और परिस्थितियों के कारण अनुसंधान परियोजनाएं केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो सरकारी अथवा कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुसंधान परियोजना शुरु किये जाने की बहुत कम उम्मीद होती है अथवा बिलकुल भी उम्मीद नहीं रहती है जो सरकारी अथवा विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तदर्थ अनुसंधान प्रायोजनाओं को स्वीकृत करने में औसतन 6 से 9 महीनों का समय लिया।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। परिषद को सभी तरह से पूर्ण प्रस्ताव की 35 प्रतियां देनी होती हैं।

(ग) और (घ) यह योजना भा० कृ० अ० प० के संस्थानों, कृषि और अन्य विश्वविद्यालयों; सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक और निजी संस्थानों, जो अनुसंधान कार्य चलाने की क्षमता रखते हैं, द्वारा प्रायोजित की जा सकती हैं।

काली मिर्च के संबंध में अनुसंधान कार्य के कारण उत्पादकों को लाभ

5260. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय काली मिर्च के संबंध में किस प्रकार का अनुसंधान कार्य चलाया जा रहा है; और

(ख) इन सभी अनुसंधान कार्यों और विस्तार सुविधाओं से लघु उत्पादकों को कितना लाभ हुआ है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) काली मिर्च पर किया जाने वाला अनुसंधान निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों तक सीमित है :—

1. सर्वेक्षण और जर्मप्लाजम का संग्रह एवं नयी उन्नत किस्मों के विकास के लिए संकरीकरण;
2. विभिन्न कृषि जलवायवीय स्थितियों के अन्तर्गत काली मिर्च के उपयुक्त मानक का चयन।
3. अनुकूलतम/आर्थिक उर्वरकों की जरूरतों का निर्धारण।
4. कुशल प्रबन्धक क्रियाओं के द्वारा काली मिर्च के बगीचों को विवक-विल्ट (मुरझान रोग) से बचावा।
5. पोलू "बीटल" और स्लोविल्ट रोगों जैसे —काली मिर्च की कीट—व्याधियों को नियंत्रित करने के लिए कारगर विधियों का विकास।
6. अच्छे गुणों के लिए विभिन्न कल्टीवरों का मूल्यांकन।

(ख) काली मिर्च की खेती केवल छोटे उत्पादकों तक सीमित है। इन छोटे उत्पादकों को क्षेत्र दिवसों, छोटी पत्र-पत्रिकाओं के वितरण और फार्म पर प्रशिक्षण देकर काली मिर्च की उन्नत

उत्पादन प्रौद्योगिकी पर सूचना दी जाती है। एक नयी तीव्र सम्वर्धन तकनीक को अपनाकर अधिक पैदावार देने वाले कल्टीवर्स के एक ग्रंथी जड़ वाला टुकड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तकनीक से बेहतर और तेज गति से काली मिर्च के पौधे खेतों में उगाये जाते हैं। रोग-प्रसित बगीचों के लिए विकसित की गई प्रबन्ध प्रक्रियाओं से छोटे जोतों में भी कम खर्च में पैदावार ली जा सकती है। सिफारिशों के द्वारा "पोलू बीटल" को नियंत्रित करके 30 प्रतिशत तक फसल के नुकसान से बचाया जा सकता है।

आई० डी० ए० द्वारा अनुदान प्राप्त केरल विकास प्रायोजना जो प्रगति पर है, के अन्तर्गत केरल में 17,500 हैक्टेयर क्षेत्र में काली मिर्च के बागान हैं। इस प्रयोजना को श्रेष्ठ रोपण सामग्री, खेती की वैज्ञानिक विधियों की जानकारी तथा ऋण की सहायता प्रदान की जाती है।

गेहूँ का निर्यात

5261. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों को गेहूँ का निर्यात किया जायेगा तथा यह कितनी मात्रा में किया जायेगा तथा यह निर्यात किस मूल्य पर किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : कुछेक सूखा ग्रस्त अफ्रीकी देशों को लगभग एक लाख मीटरी टन गेहूँ सहायता के रूप में भेजा जा रहा है।

भारत-सोवियत व्यापार प्रोटोकोल (जनवरी-दिसम्बर, 1985) के अनुसरण में भारतीय खाद्य निगम ने 5 लाख मीटरी टन गेहूँ का निर्यात करने के लिए एक्सपोर्टक्लेब, मास्को के साथ एक ठेका किया है। यथाव्यवहार्य और निर्यात किया जाएगा।

जहाज तक निष्प्रभार बल्क में गेहूँ का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1,600/- रुपये प्रति मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

खाद्यान्नों के वसूली मूल्य

5262. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ खाद्यान्नों के वसूली मूल्य बढ़ाये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो खाद्यान्न-वार किन-किन खाद्यान्नों के वसूली मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) सरकार ने धान, मोटे कदन्न (ज्वार, बाजरा, मक्का तथा रागी), गेहूँ, जौ, अरहर, मूंग और उड़द की 1984-85 की फसलों के लिए अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की है।

(ख) सरकार कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 1985-86 फसलों के लिए अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों का स्तर निर्धारित करेगी।

खदान श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन

5263. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
डा० जी० विजय रामाराव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खदान श्रमिकों ने 30 मार्च, 1985 को उनके निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में दी गई उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उनकी मांगों पर इस बीच विचार किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मांगें ये हैं—उच्चतम न्यायालय के निदेशों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाटों को तत्काल लागू करना; बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश और खान मजदूर यूनियन के अन्य कार्यकर्त्ताओं को रिहा करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना और श्री घोमी दास को, जो संघर्ष में 17-3-1985 को मारा गया था, उचित मुआवजा देना, उन श्रमिकों को मुआवजा देना, जो घायल हुए थे; 17 मार्च 1985 की घटनाओं की न्यायिक जांच और खदानों का राष्ट्रीयकरण।

(ग) त्रिपक्षीय बैठकें 30 मार्च, 1985 और पहली अप्रैल, 1985, 16 अप्रैल, 1985 और 25 अप्रैल, 1985 को आयोजित की गई, ताकि फरीदाबाद में पत्थर खदानों और क्रशरों के श्रमिकों की शिकायतों का समाधान करने के तरीकों पर विचार किया जा सके। इस बीच, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाए। उच्चतम न्यायालय ने खदान श्रमिकों के लिए निदेश भी जारी किया है जो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचाटों के अनुसार खदान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना के बारे में है।

मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना

5264. **श्री के० राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने, राष्ट्रीय चैनल के लिए नागपुर में 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की स्थापना अलीगढ़ में 250 किलोवाट क्षमता के 2 ट्रांसमीटरों की स्थापना में और वाहन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बंगलौर में 500 किलोवाट क्षमता के शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटरों की स्थापना के कार्य में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछ ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने के कार्य में विलम्ब का कारण उपकरणों का प्राप्त न होना और कुछ मामलों में सिविल निर्माण कार्यों का मुकम्मल न होना है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

नागपुर 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर

नागपुर के 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिए उपकरणों की सप्लाई विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा की जानी थी। उपकरणों की डिलीवरी शुरु हो गई है। अब ट्रांसमीटर के 1986 के मध्य में चालू होने की उम्मीद है।

अलीगढ़ में 250 किलोवाट के दो शार्टवेव ट्रांसमीटर

उपकरण प्राप्त हो गए हैं। 250 किलोवाट के इन दो शार्टवेव ट्रांसमीटरों को अब ट्रांसमीटर से दिशिक बीम तथा एरियल पद्धति के बहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अलीगढ़ के बजाय दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनके 1986-87 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

बंगलौर में 500 किलोवाट के 2 शार्टवेव ट्रांसमीटर

राज्य सरकार द्वारा स्थान का कब्जा आकाशवाणी के अधिकारियों को अभी तक नहीं दिया गया है, यद्यपि इसका भुगतान किया जा चुका है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी स्थान का कब्जा आकाशवाणी को दिए जाने के बारे में स्टे आर्डर दिया है। राज्य सरकार स्टे आर्डर को तुड़वा कर स्थान का कब्जा कब दे देगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच, ट्रांसमीटर, जिसके लिए आर्डर दिया जा चुका है, के अगस्त, 1985 में प्राप्त होने की उम्मीद है।

प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

5265. **प्रो० वाई०एस० महाजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी बनाने की 1983 की योजना अब तक केन्द्रीय सरकार के कितने उपक्रमों में लागू की गई है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम को इस योजना को लागू करने से छूट दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों के उपक्रमों में इस योजना को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस योजना का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रमों ने प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता की योजना को कार्यान्वित कर दिया है, जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में शुरु किया गया था। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को इस योजना को शुरु करने से छूट प्रदान नहीं की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे योजना के पैरा 8 के अनुसार इस योजना को लागू करें जिसमें राज्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में योजना को लागू करने के लिए व्यवस्था है। कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि कुछ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में और कुछ निजी क्षेत्र के उपक्रमों में इस योजना को लागू कर दिया गया है।

दिहाड़ी मजदूरों की सेवाएं नियमित करना

[हिन्दी]

5266. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों की सेवाएं नियमित करने हेतु एक निश्चित अवधि निर्धारित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के भविष्य के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा भर्ती किए गए नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा-शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा विनियमित होती हैं। नियमित ग्रुप-"घ" पर नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए, व्यक्ति की, अन्य बातों के साथ-साथ, नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा या अंश-कालिक नैमित्तिक श्रमिक के रूप में चार वर्ष की सेवा होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष के दौरान 240 या अधिक दिनों की सेवा या उन संस्थानों के मामले में, जहाँ सप्ताह में पांच दिन काम होता है, प्रति वर्ष 206 दिनांक की सेवा होनी चाहिए। चूंकि सेवा को नियमित करने का मामला उपयुक्त रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए सेवा को नियमित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्रम मंत्रालय ने नवम्बर, 1971 में नैमित्तिक श्रमिकों के लिए माडल स्थायी आदेश परिचालित किए जो केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों में इन्हें अपनाने तथा लागू करने के बारे में थे। ये आदेश केवल परामर्शी स्वरूप के हैं। इन आदेशों के अनुसार, किसी भी नैमित्तिक श्रमिक को, जिसने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1946 की धारा 25-ख के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) की परिभाषा के अनुसार उसी प्रतिष्ठान में या उसी नियोजक के अधीन छः माह की लगातार सेवा पूरी कर ली है, प्रतिष्ठान में नियमित कर दिया जाना चाहिए।

अगरतल्ला में राष्ट्रीय बीज निगम उपक्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

[अनुवाद]

5267. **श्री अजय विश्वास :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगरतल्ला में राष्ट्रीय बीज निगम (एन०एस०सी०) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) उक्त कार्यालय खुलने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय बीज निगम (जो एक केन्द्रीय सरकारी उपक्रम है) ने अपने गोहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन अगरतल्ला (त्रिपुरा) में एक नया उप-एकक खोलने का फैसला किया है।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने उक्त उप-एकक के अध्यक्ष के लिए किसी उपयुक्त अधिकारी का नाम सुझाने के लिए कृषि निदेशक त्रिपुरा से सम्पर्क किया है। उक्त निगम ने अपने गोहाटी स्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक से कहा है कि वह कृषि निदेशक, त्रिपुरा के साथ परामर्श करके कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाये। उक्त उप-एकक के अध्यक्ष के लिए अधिकारी उपलब्ध होते ही उस एकक के लिए सहायक स्टाफ की व्यवस्था कर दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम को आशा है कि उक्त उप-एकक अगस्त, 1985 तक खुल जायेगा।

कोचीन में हुए नेहरू गोल्ड कप फुटबाल टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण

5268. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को जानकारी है कि जवाहर लाल नेहरू गोल्ड कप इन्वीटेशन फुटबाल टूर्नामेंट भारत में तथा एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त टूर्नामेंट है; जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन द्वारा जनवरी, 1985 में कोचीन में हुए खेल का सीधा प्रसारण किन कारणों से नहीं किया; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि कोचीन में युगोस्लाविया और सोवियत रूस के बीच हुए विश्व स्तर के फाइनल खेल का सीधा प्रसारण नहीं किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन जवाहर लाल नेहरू गोल्ड कप इन्वीटेशन फुटबाल टूर्नामेंट के महत्व से पूरी तरह सजग है। 1985 में खेले गए इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों का सजीव टेलीकास्ट करने की योजना बनाई गई थी। तथापि, कोचीन से सतपित दूरदर्शन बीयरर माइक्रोवेव सुविधाओं के उपलब्ध न होने और अन्य तकनीकी अड़चनों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। दो सेमी-फाइनल और फाइनल मैचों का विलम्बित कवरेज राष्ट्रीय संजाल पर क्रमश: 3, 5 और 10 फरवरी, 1985 को टेलीकास्ट किया गया था। दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम ने भी मैचों के शुरु के दौरों के रिकार्ड किए हुए मुख्य अंशों को प्रतिदिन 30 मिनट प्रस्तुत किया तथा दो सेमी-फाइनल और फाइनल मैचों को स्थानीय तौर पर पूर्णत: टेलीकास्ट करने का प्रबंध किया।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजसहायता

5269. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजसहायता की इस समय की 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति लाभग्राही परिवार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह छठी योजना में प्रति लाभग्राही परिवार पर व्यय के न्यून स्तर और मूल्यों में वृद्धि की दृष्टि से किया जा रहा है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) आर्थिक सहायता की वर्तमान दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । इस समय आर्थिक सहायता की दर अथवा उच्च सीमा में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सातवीं योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

विवरण

श्रेणी	आर्थिक सहायता की दर	आर्थिक सहायता की उच्च सीमा
छोटे किसान	25 प्रतिशत	सामान्यत: रुपये 3000 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में रुपये 4000 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रुपये 5000
सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर तथा अन्य लोग	33.1/3 प्रतिशत	—वही—
लघु सिंचाई (सामूहिक निर्माण कार्य)	छोटे/सीमान्त किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत	ऊपर दर्शायी गई व्यक्तिगत अधिकतम सीमाएं भी लागू होंगी ।
लाभार्थियों की सहकारी समितियां	50 प्रतिशत	

बजट चर्चा में विशेषज्ञों और विश्लेषकों द्वारा भाग लेना

5270. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बजट सम्बन्धी कार्यक्रम और चर्चाएं आयोजित करते समय उन अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों को वक्ताओं के पैनल में शामिल नहीं किया जाता है जो सरकार की आर्थिक नीतियों की अत्याधिक आलोचना करते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उन विश्लेषकों और विशेषज्ञों के नाम क्या हैं जो सरकार की आर्थिक नीतियों के आलोचक हैं लेकिन उन्हें बजट पर चर्चा करने वाले पैनल में शामिल किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) इन विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों, जिन्होंने 1985 में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बजट परिचर्चा में भाग लिया, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने 17.3.1985 को बजट पर परिचर्चा में भाग लिया :

आकाशवाणी

1. श्री एस० वेंकटरामणन,
सचिव,
वित्त मंत्रालय;
भारत सरकार।

2. श्री डी० एन० पटोदिया,
फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स
आफ कामर्स एण्ड इन्स्ट्रीच्यूट के निर्वाचित अध्यक्ष।

3. डा० पी० आर० पंचमुखी,
निदेशक,
इंडियन, इंस्टीच्यूट आफ एजुकेशन,
पुणे।

4. श्री एन० एस जगन्नाथन
सम्पादक,
फाईनेंसियल एक्सप्रेस।

18.3.1985 को प्रसारित हिन्दी परिचर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम :

1. श्री आई० एस० भट्टी,
निदेशक,
नेशनल कोंसिल आफ एप्लाइड
इकनामिक रिसर्च।

2. श्री सुधाकर पाण्डेय,
संसद सदस्य।

3. श्री विरेन्द्र वर्मा,
संसद सदस्य।

4. श्री बलराज मेहता,

दूरदर्शन

बजट विश्लेषक

1. डा० ए० एन० खुसरो,
भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग

2. प्रो० बी० बी० भट्टाचार्य

3. डा० आई० जेड० भट्टी (जे०एन०यू०)

4. प्रकाश टण्डन

बजट 1985-86

(1) (पत्रकार दृष्टिकोण से)

1. आर० करोए,
सम्पादक,
एकनामिक टाइम्स

2. इन्द्रजीत,
सम्पादक, आई० एन० एफ० ए०

3. एम० एस० जगन्नाथन,
सम्पादक,
फाइनेंसियल एक्सप्रेस

4. एस० नब्वी,
इंडियन एक्सप्रेस

(2) अन्य

1. श्री एन० के० पी० साल्वे,
संसद सदस्य

2. श्री एच० एम० पटेल,
संसद सदस्य

3. श्री कल्याण सुन्द्रम,
संसद सदस्य

4. श्री वाई० एस० महाजन,
संसद सदस्य

5. श्री प्रेम शंकर झा,
दि टाइम्स आफ इंडिया

विकलांग व्यक्ति

5271. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों का 3% कोटा भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 38वें सत्र की "जन शक्ति संसाधनों का सर्वोत्तम उपभोग करने के लिए यह आवश्यक है कि विकलांग व्यक्तियों की कार्य क्षमता को विकसित किया जाय और उस क्षमता को बहाल किया जाए" संबंधी सिफारिश को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः मान लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो किस सीमा तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) वर्ष 1984 के बारे में सूचना सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1104/85]

(ग) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 38वें सत्र में पारित की गई सिफारिश संख्या 99 का मुख्य उद्देश्य जनशक्ति संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है, अतः यह आवश्यक है कि मेडिकल, मनो-वैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नियुक्ति सेवाओं को एक निरन्तर तथा समन्वित प्रक्रिया में जोडकर विकलांग व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं को विकसित किया जाए और उन्हें बहाल किया जाए ।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सेवाओं में निरन्तर विस्तार करके उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

आगरा शहर में दूरदर्शन ट्रांसमीसन टावर का स्थानांतरण

5273. **श्री गंगा राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ट्रांसमिशन टावर को आगरा शहर से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त टावर के निर्माण और स्थापना में कितना व्यय हुआ;

(घ) इसे हटाने का कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) क्या उक्त टावर को आगरा जिले में किसी स्थल पर स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(च) यदि उक्त टावर को किसी तकनीकी कारणों से स्थानांतरित किया जाना है; तो परियोजना तैयार करते समय इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आगरा में दूरदर्शन टावर ताज महल से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पीछे की ओर कुछ स्थानों से दीखता है । तथापि, टावर को इसके मौजूदा स्थान से स्थानांतरित करने के प्रश्न की जाँच की जा रही है ।

(ग) आगरा में लगाए गए दूरदर्शन टावर की लागत 120 लाख रुपए है ।

(घ) और (ङ) इसकी जाँच की जा रही है।

(च) इस संबंध में जाँचे जा रहे प्रस्ताव से कोई तकनीकी कारण सहयोजित नहीं है।

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों का चयन

5274. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा दिखाई जा रही फीचर फिल्मों के स्तर के बारे में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा आलोचनायें की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों के चयन हेतु यदि कोई मापदण्ड हैं तो वह क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने विद्यमान मानदण्ड की पुनरीक्षा की है ताकि दूरदर्शन द्वारा बेहतर फीचर फिल्मों का चयन किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली फीचर फिल्मों के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है, क्योंकि यह वैयक्तिक दर्शकों की अपनी-अपनी पसन्द पर निर्भर करता है। दूरदर्शन का ऐसी फीचर फिल्में टेलीकास्ट करने का प्रयास रहा है जो परिवार के साथ देखने योग्य हों।

(ग) और (घ) निर्माताओं/फीचर फिल्मों के लिए दूरदर्शन अधिकार रखने वाली पार्टियों से प्राप्त पेशकशों की छानबीन की जाती है तथा चयन विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों तथा दूरदर्शन महानिदेशालय में गठित समितियों द्वारा फिल्मों के निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उस क्रम में किया जाता है :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त।

(ख) विषयात्मक महत्व

(ग) सिनेमेटिक महत्व

(घ) मनोरंजन महत्व

(ङ) निर्माण वर्ष

(च) फिल्म दूरदर्शन पर कितनी बार और किन केन्द्रों पर दिखाई गई।

फीचर फिल्मों का चयन केवल उन्हीं फीचर फिल्मों तक सीमित है, टेलीकास्ट किए जाने के लिए जिनकी पेशकश दूरदर्शन को की जाती है।

खाद्य संसाधन संयंत्रों की स्थापना

5275. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बहुत से खाद्य संसाधन संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डिब्बा बन्द फलों और अन्य खाद्य-पदार्थों के निर्यात के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जा रहे खाद्य विधायन संयंत्रों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

1. माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बिहार में स्थित भागलपुर में एक फल विधायन यूनिट और असम में स्थित सिल्चर में एक अनन्नास विधायन यूनिट स्थापित करने में जुटी है। यह कुछ और फल तथा सब्जी विधायन यूनिट स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामाक), जिसकी स्थापना उस क्षेत्र में उत्पादित फलों तथा सब्जियों की वसूली, उनका विपणन और विधायन करने के लिए की गई है, त्रिपुरा में स्थित कुमारघाट में अनन्नास और आरेंज विधायन यूनिट स्थापित करने में जुटा हुआ है।

3. दि हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन नई दिल्ली में एक एक्सट्रूडर संयंत्र स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय बिहार राज्य सरकार के एक उपक्रम, बिहार फल व सब्जी विधायन परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दे रहा है।

(ग) डिब्बाबन्द फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं : कुछेक कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री का आयात करने के लिए आयात भरपाई की अनुमति देना, नकद मुआवजे के रूप में सहायता देना, चुंगी शुल्क वापस करना तथा विशिष्ट खाद्य मेलों में भाग लेना।

आकाशवाणी/दूरदर्शन के अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

5276. **श्री पी॰ पेंचालैया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन संगठनों का स्वरूप परियोजना जैसा है;

(ख) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों की भर्ती अस्थाई कार्यप्रभारित आधार पर की जा रही है;

(ग) इन पदों को नियमित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ढंग पर ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवाओं को, जिन्होंने बिना किसी व्यवधान के 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है, नियमित बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो इन पदों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए कार्यभारित आधार पर नियुक्त किया जाता है। नियमित नियुक्ति के लिए चयन के लिए उन पर विचार किया जाता है बशर्ते कि पद उपलब्ध हों और वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

(घ) 240 दिन कार्य करने के बाद नियमित करने का नियम नैमित्तिक कर्मचारियों पर लागू है, कार्य भारित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के विकास के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

5277. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के समेकित विकास की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नगर के विकास के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रदान की गई वित्तीय सहायता से अब तक कितने निर्माण कार्य शुरु किये गए हैं तथा किये गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई ऐसी सहायता प्रदान नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बाराबंकी नगर को 23 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दी गई है।

(ख) इस योजना के तहत 82.73 लाख रुपये की कुल लागत पर निम्नलिखित कार्य आरम्भ किये गये हैं :

1.	स्थल एवं सेवायें	—	4 योजनायें
2.	वाणिज्यिक	—	5 योजनायें
3.	यातायात परिवहन	—	3 योजनायें
4.	बूचड़खाना	—	2 योजनायें

ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास योजना के तहत अनुमोदनार्थ अनुशंसित कार्यक्रम बाराबंकी नगर—उ० प्र०

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	पहले अनुमोदित लागत	संशोधित कुल लागत	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का भाग	नगर पालिका का भाग	31.3.84 तक किया गया व्यय	84-85 का परिव्यय	टिप्पणी
1.	स्थल तथा सेवायें							
I.	कम्पनी बाग रिहायशी योजना (13,640 वर्ग मी०)	31.54	10.36	10.36	...	3.738	...	कार्य प्रगति पर है।
II.	पीरवतेवान रिहायशी योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए (5209 वर्ग मी०)	8.54	7.05	7.05	....	....	5.05	पहले ही अनुमोदित
III.	स्टेशनसराय रिहायशी योजना (1309 वर्ग मी०)	....	2.19	2.19	...	0.314	....	केवल सिद्धान्त रूप में अनुमोदित नई योजना
IV.	पीरवतेवान बाल्दा रिहायशी योजना (1.125 वर्ग मी०)	....	1.61	1.61	....	....	1.61	अनुशंसित नई योजना
2.	वाणिज्यिक							
I.	नगर पालिका कम्पाउण्ड वाणिज्यिक योजना भाग-I (2527 वर्ग मी०)	16.08	16.90	15.08	1.82	11.917	3.163	कार्य प्रगति पर है।

II. नगर पालिका कम्पाउण्ड वाणिज्यिक योजना भाग-II (2035 वर्ग मी०)	...	12.53	10.50	2.03	....	10.500	अनुशंसित नई योजना
III. कम्पनी बाग वाणिज्यिक योजना	....	2.00	1.50	0.50	....	....	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित नई योजना
IV. पीरवतेवान वाणिज्यिक योजना	....	2.00	1.50	0.50	....	...	—वही—
V. पीरवतेवान बाल्दा वाणिज्यिक योजना	....	2.00	1.50	0.50	....	1.500	अनुशंसित नई योजना
3. यातायात तथा परिवहन							
I. के० डी० सिंह बाबू रोड (381 मी०)	....	5.90	4.50	0.50 *0.90	....	4.50	—वही—
II. सत्य प्रेम नगर रोड (1982 मी०)	....	7.52	6.00	0.52 *1.00	....	6.00	—वही—
III. बेगम गंज रोड (2412 मी०)	...	8.17	6.50	*1.67	...	6.50	—वही—
4. बूचड़खाना							
I. बड़े पशुओं के लिए	...	1.75	1.75	....	...	1.75	—वही—
II. छोटे पशुओं के लिए	...	2.75	2.75	...	.	2.75	—वही—
कुल योग	56.16	82.73	72.79	9.94	15.96	43.323	

*अनुदान के रूप में दिया जाना है।

काश्मीर में सूखा

[अनुवाद]

5278. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर जैसे सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाने के सुझाव दिये जाते है;

(ख) यदि हां, तो काश्मीर और अन्य राज्यों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या नई विकल्प फसलों, विशेषकर बीजों की उच्च किस्म तथा मात्रा सहित नई प्रौद्योगिकी के आदान सरकार अथवा मान्यता-प्राप्त एजेन्सियों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराये जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने सूखा-तीव्र और आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन हेतु काश्मीर का दौरा किया था; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय सम्मन्वित अनुसंधान बारानी कृषि प्रायोजना का केवल एक केन्द्र जम्मू व कश्मीर में है जो कि जम्मू के नजदीक रख ध्यानसर में स्थित है। हमारे अनुसंधान केन्द्र (रख ध्यानसर) में विकसित की गई तकनीक को हमारे बुलेटिन द्वारा प्रकाशित कर प्रचारित किया गया है तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा बारानी खेती की फील्ड मैनुअल भी जानकारी देने हेतु छापी गई है। बुलेटिन का नाम "भारत में बारानी फसलों की सुधरी सस्य क्रियाएं"।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकारों से नई प्रौद्योगिकी के लिए निवेश के संबंध में सूचना मांगी गई है। उत्तर की प्रतीक्षा है। इसके उपलब्ध होते ही इसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ङ) तथा (च) दिनांक 8–10 अक्तूबर, 1984 को केन्द्रीय बागानी कृषि अनुसंधान संस्थान से वैज्ञानिकों ने हमारे अनुसंधान केन्द्र का दौरा किया। विकास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

परिस्करण सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण फलों और सब्जियों की बर्बादी

5279. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि फसलोपरांत लाने और ले जाने तथा प्रोसेसिंग की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग बेकार चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कारणों से फलों और सब्जियों का कितना नुकसान होने का अनुमान है; और

(ग) फलों और सब्जियों की बर्बादी रोकने और फलों और सब्जियों के उत्पादकों को हानि होने से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कटाई के बाद फलों और सब्जियों की हुई हानियों/बर्बादी का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, अनुमान है कि ऐसी हानियां फलों और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हो सकती हैं ।

(ग) ऐसी हानियों/बर्बादी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, जो कि इस मंत्रालय का एक सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, ने अपनी गतिविधियों का विविधीकरण कर दिया है और इसने फलों और सब्जियों का विधायन करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । कम्पनी "रसिका" के ब्रांड नाम से विभिन्न फल ड्रिंक्स का उत्पादन कर रही है और यह बिहार में स्थित भागलपुर में एक फल विधायन यूनिट और असम में स्थित सिल्चर में एक अनन्नास विधायन यूनिट स्थापित करने के कार्य में जुटी हुई है । यह कुछ और फल और सब्जी विधायन यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है ।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामाक) नाम की एक कम्पनी की स्थापना उक्त क्षेत्र में उत्पादित फलों तथा सब्जियों की वसूली, विपणन और विधायन का कार्य आरम्भ करने के लिए की गई है । यह निगम त्रिपुरा में स्थित कुमारघाट में एक अनन्नास और ओरेंज विधायन यूनिट स्थापित करने में जुटा हुआ है ।

(3) यह मंत्रालय बिहार राज्य सरकार के एक उपक्रम, बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम को फल तथा सब्जी विधायन परियोजना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दे रहा है । अन्य राज्य सरकारों के उपक्रमों को ऐसी परियोजनाएं शुरु करने के लिए इसी प्रकार की सहायता सुलभ करने का प्रस्ताव है ।

(4) कुछेक शर्तों पर सरकार ने फल तथा सब्जी विधायन उद्योग को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दे दी है । ताकि इस उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा सके ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों के लिए नियमित रोजगार

5280. **श्री ललित माकन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा काम पर लगाए गए नैमित्तिक श्रमिक कई वर्षों से स्थायी स्वरूप का कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के हजारों श्रमिकों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार स्थायी रिक्तयों पर नियमित नहीं किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । पदों के सृजन एवं रिक्तयों के भरने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । तथापि, नैमित्तिक श्रमिकों का नियमितीकरण सीधी भर्ती कोटे में रिक्तियों की उपलब्धता एवं श्रमिकों द्वारा अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने की अवस्था में होता है ।

बंगलौर में स्थायी दूरदर्शन केन्द्र आरम्भ करना

5281. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में इस समय केवल एक रिले दूरदर्शन केन्द्र है;

(ख) बंगलौर शहर में स्थायी दूरदर्शन केन्द्र कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(ग) क्या बंगलौर के दर्शकों को रंगीन ट्रांसमिशन सुविधा उपलब्ध की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं । बंगलौर में स्थानीय कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अंतरिम स्टूडियो ढांचे के साथ उच्च शक्ति (10 कि० वा०) वाला ट्रांसमीटर काम कर रहा है ।

(ख) और (ग) बंगलौर में रंगीन में प्रचालन की क्षमता रखने वाले स्थायी दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र के 1986-87 के दौरान चालू होने की उम्मीद है ।

पटना में पानी की अत्यधिक कमी

[हिन्दी]

5282. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना शहर के विस्तार के साथ-साथ वहां पीने के पानी की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने पटना में किसी गंभीर जल समस्या की सूचना नहीं दी है । तथापि, राज्य सरकार ने पटना, रांची तथा धनबाद झरिया तीन नगरों में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, जलपूर्ति बढ़ाने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है तथा इस परियोजना के निष्पादनार्थ विश्व बैंक से सहायता मांगी है । यह रिपोर्ट फिलहाल सम्भव सहायतार्थ विश्व बैंक के विचाराधीन है ।

लवणीय बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने हेतु प्रयोग

5283. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लवणीय और बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने हेतु कृषि प्रयोगशालाओं में कुछ प्रयोग किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) काफी लम्बे समय से देश में विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों में लवणीय बंजर भूमि को उर्वरक भूमि में बदलने के लिए परीक्षण प्रगति पर हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन के बाद इन मृदाओं के सुधार के लिए संगठित प्रयास करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, अर्थात केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की करनाल में 1969 में स्थापना की गई।

(ii) पिछले डेढ़ दशक के दौरान इन मृदाओं के सफलतापूर्वक सुधार तथा प्रबन्ध के लिए संस्थान ने एक मुश्त कृषि क्रियाएं विकसित की हैं। निम्न एक मुश्त कृषि क्रियाओं की सिफारिशें की गई :—

(क) उचित बांध तथा भूमि का समकरण (ख) आश्वस्त सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता (ग) उचित जल प्रबन्ध (घ) जिन्क उपयोग के साथ उर्वरकों तथा खादों का पर्याप्त उपयोग, (ङ.) उपयुक्त संशोधको का उपयोग सामान्यतः जिप्सम, उचित मात्रा तथा उचित तरीके से (च) उचित फसल तथा किस्मे तथा फसल अनुक्रम (छ) उचित कृषि तथा सस्य विज्ञान विधियों का उपयोग।

(iii) संस्थान की ओर से परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं साम्पला और मुंडलाना (हरियाणा) गांवों में सफलता से चल रहा है जिनमें नमकीन जमीनों को जल निकास व्यवस्था से सुधारा गया है।

(iv) संस्थान की सफलता को देखकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने अपने यहां बड़े स्तर के भूमि सुधार कार्यक्रम चलाये हैं और संस्थान की तकनीक को अपनाया है। अनुमानतः तीन राज्यों में 2.33 लाख हैक्टर जमीन को ठीक करके खेती योग्य बनाया गया है।

बागवानी का विकास

[अनुवाद]

5284. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बागवानी के विकास पर बहुत महत्व दिया है;

(ख) क्या सरकार ने बागवानी विकास कार्यक्रम तेज करने हेतु पृथक निदेशालय बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे निदेशालय बनाये गये हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में छठी योजना में बागवानी के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) बागवानी निदेशालय बनाने के लिए राज्यों को अलग से कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं भेजा गया है। तथापि, बागवानी के लिए पृथक निदेशालय स्थापित करने की भारतीय बागवानी विकास परिषद की सिफारिश सभी राज्यों को भेजी गयी थी।

(ग) जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों की सरकारों के अपने पृथक बागवानी निदेशालय हैं।

(घ) बागवानी के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए :—

1. सिंचित और असिंचित भूमि में बागवानी क्षेत्र का विस्तार।

2. केला विकास कार्यक्रम।

3. आदिवासी क्षेत्रों में राजसहायता पर केले की अंतः भूस्तरी और नारियल की पौद का वितरण।

4. खण्ड स्तर पर वर्तमान नर्सरियों का विकास और संतति उद्यानों की स्थापना।

5. नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार।

6. बेर और आंवला का अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ्य शीर्षातरण

7. आलू विकास कार्यक्रम।

8. बड़े शहरों के इर्द-गिर्द सब्जियों का विकास।

9. फलों के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु छोटे और सीमांत किसानों के लिए फल वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया।

10. राज्य में बागवानी के विकास पर समुचित जोर देने के लिए 1982-83 में पृथक बागवानी निदेशालय बनाया गया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

5285. **श्री राम भगत पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (उद्यान विभाग) में गत तीन वर्षों के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया;

(ख) उन नैमित्तिक श्रमिकों की डिवीजनवार/विभागवार संख्या क्या है, जिन्होंने नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में मास्टर रोल में दो वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है किन्तु उन्हें अभी तक (डिवीजन-वार/साइडवार) नियमित नहीं किया गया है और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित दैनिक मजदूरों को नियमित किया गया है :—

1982	279
1983	69
1984	290

(ख)	उद्यान केन्द्रीय मण्डल	87
	उद्यान पूर्वी मण्डल	83
	उद्यान दक्षिणी मण्डल	258
	उद्यान उत्तरी मण्डल	61
	उद्यान पश्चिमी मण्डल	167
	उद्यान विकास मण्डल	262
	योग :	918

दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण रिक्तियों तथा मजदूरों द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त पर है।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजदूरों को उन नियमित पदों पर नियुक्त किया जाता है जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है बशर्ते कि रिक्तियाँ उपलब्ध हों और मजदूरों द्वारा अपेक्षित शर्तें पूरी कर ली जाती हों।

सातवीं योजना में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था

5286. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए कितनी धनराशि मंजूर अथवा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या निर्धारित की गई धनराशि पर्याप्त है;

आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में हुआ अग्निकांड

[हिन्दी]

5288. श्री सरफराज अहमद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में जनवारी 1985 में आग लगने की एक दुर्घटना हुई थी, यदि हां, तो उसमें कुल कितना नुकसान हुआ था;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना के बाद सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में समुचित अग्नि-शमन व्यवस्था कर दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। आकाशवाणी भवन के एक कमरे में 7.1.85 को आग लगने की एक छोटी दुर्घटना हुई थी। कुछ पुराने रिकार्ड, जो ज्यादा महत्व के नहीं थे, आंशिक रूप से जल गए।

(ख) सभी आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों पर आग बुझाने वाले उपकरण पर्याप्त रूप से सदा उपलब्ध रहे हैं। फिर भी, आकाशवाणी भवन में और उपकरण उपलब्ध कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

[अनुवाद]

5289. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च, 1985 में कितने कार्यक्रम प्रायोजित किए गए हैं;

(ख) कितने लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया तथा उनके माता-पिता के नाम क्या हैं; और

(ग) इनमें भाग लेने वाले लोगों का चयन किस प्रकार किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1985 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर द्वारा तैयार कर टेलीकास्ट किए गए उन कार्यक्रमों, जिनमें बाहरी लोगों ने भाग लिया था, की सख्या और ऐसे व्यक्तियों के नामों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा/ तथापि दूरदर्शन भाग लेने वाले बाहरी व्यक्तियों के माता-पिता का ब्यौरा नहीं रखता।

(ग) भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन कार्यक्रम के स्वरूप भाग लेने वाले सम्बन्धित व्यक्ति की विशेषज्ञता, उसकी ग्रेडिंग आदि पर निर्भर करता है।

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस बारे में केन्द्र को अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पेय जल पूर्ति के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति के लिए उदिदष्ट समुचित राशि का सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही पता चलेगा।

(ग) जुलाई, 1984 में आयोजित राज्य सरकारों के जलपूर्ति प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में, बिहार सहित सभी राज्यों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में पेयजल पूर्ति के लिए पर्याप्त परिव्यय के प्रावधान के लिए अनुरोध किया था।

(घ) निर्माण और आवास मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत अपनी-अपनी योजना में पर्याप्त प्रावधान करें और योजना आयोग को भी यह प्रस्ताव किया है कि वह समूची ग्रामीण जनसंख्या को मार्च, 1991 तक स्वच्छ एवं पर्याप्त पीने का पानी मुहैया कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था करें।

निर्धनों के लिए कानूनी सहायता का प्रचार

5287. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता का दूरदर्शन या रेडियो पर प्रसारण किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में निर्धन लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानकारी नहीं है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसी योजनाओं की जन प्रचार माध्यमों से घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) समय-समय पर माध्यम सामान्य कार्यक्रमों में और विशेष श्रोता समूहों के लिए निदेशित कार्यक्रमों में श्रोताओं और दर्शकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में सूचना देने वाले कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट करते हैं।

(ख) ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(ग) इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) माध्यम इस समय भी उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट कर रहे हैं।

"आदि शंकराचार्य" फिल्म का रिलीज किया जाना

5290. श्री टी० बशीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसर प्रमाण-पत्र दिये जाने के एक वर्ष बाद भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म "आदि शंकराचार्य" उत्तर भारत में प्रदर्शित नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं;

(ग) क्या इस फिल्म को बहुत देर के बाद दिखाये जाने का उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या उसके संवाद हिन्दी में अंकित करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। "आदि शंकराचार्य" नामक फिल्म वाणिज्यिक रूप से रिलीज नहीं की गई है, किन्तु इसके अनेक गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शन हुए हैं।

(ख) निगम को उत्तरी भारत के वितरकों से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि फिल्म संस्कृत में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस फिल्म को हिन्दी में डब करने का पहले ही निर्णय ले चुकी है ताकि फिल्म को उत्तरी भारत में रिलीज किया सके।

एकीकृत मत्स्य पालन परियोजना, कोचीन को हस्तान्तरित करना

5291. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत मत्स्य पालन परियोजना, कोचीन को भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग, बम्बई को हस्तांतरित करने का कोई विचार है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वीडियो चोरी

5292. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष ने वीडियो चोरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है जिससे भारतीय फिल्म बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि 12 अप्रैल, 1985 के स्टेटस्मैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की चोरी को रोकने संबंधी नियमों को और अधिक कठोर बनायेगी;

(ग) क्या भारतीय फिल्मों के प्रिन्टस विदेश ले जाये जाते हैं और उसके पश्चात् अवैध रूप से वीडियो बनाये जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिये खाड़ी के देशों की सहायता लेगी, जहां पर यह चोरी सबसे अधिक की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। तथापि, 12 अप्रैल, 1985 के "स्टेटस्मैन" के अनुसार, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबन्धक निदेशक ने रिपोर्टरों को यह बताया था कि बढ़ती हुई वीडियो पाइरेसी से भारतीय फिल्मों के लिए निर्यात बाजार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यह कि इस बेईमानी को रोकने के प्रयासों का अब तक कम प्रभाव पड़ा है।

(ख) जहां तक भारत में वीडियो पाइरेसी का सम्बन्ध हैं, भारत सरकार ने पहले ही कुछ उपाय किऐ हैं जिनमें प्रमाणित वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन सम्बन्धी उल्लंघनों तथा किसी रचना के कापीराइट के उल्लंघनों के लिऐ बधित और न्यूनतम सजाओं (कारावास और जुर्माना दोनों) की व्यवस्था करने के लिये क्रमश: चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा कापीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन करना भी शामिल है। कानूनों को और कड़ा करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। जो महत्वपूर्ण बात है वह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की कानून का प्रवर्तन करने वाली ऐजेंसियों द्वारा संशोधित अधिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है।

(ग) क्योंकि विदेशों में वीडियो पाइरेसी के बारे में रिपोर्टें बराबर प्राप्त हो रही हैं; अत: यह संभावित है कि जिन भारतीय फिल्मों की प्रिन्टें कानूनी रूप से विदेशों में ले जाई जाती हैं उनका उपयोग अवैध रूप से वीडियो बनाऐ जाने के लिए किया जाए।

(घ) कापीराइट एक स्वामित्व अधिकार है और कापीराइट के स्वामियों का काम है कि वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त न्यायालय में आवश्यक दिवानी या फौजदारी कार्यवाहियां शुरू करें। खाड़ी के देश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कापीराइट के संरक्षण को विनियमित करने वाले दो कन्वेंशनों अर्थात दि बर्न कन्वेंशन और यूनिवर्सल कापीराइट कन्वेन्शन में से किसी को भी चन्दा नहीं देता है।

सरोजिनी नगर में अनधिकृत निर्माण

5293. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरोजनी नगर, नई दिल्ली में निर्मित दुकान एवं फ्लैट इन यूनिटों के आबंटितियों को किए गए थे और बाद में उन व्यक्तियों को मालिकाना हक दे दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आबंटितियों ने अपनी दुकानों के सामने बरामदे को भी घेर लिया है जिसके कारण विशेष रूप से गरमी और बरसात के मौसम में उपभोक्ताओं को बहुत असुविधा होती है;

(ग) इस अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या फ्लैटों के मालिक अपने रिहायशी फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सरोजिनी नगर में दुकानों/फ्लैटों का मालिकाना हकूक उनके आबंटियों को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) से (घ) कुछ दुकानदारों ने बरामदों में अनधिकृत निर्माण किया हुआ है। अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। उन आंबंटियों के साथ, जिन्होंने अपने परिसर से अतिक्रमण नहीं हटाया है, मालिकाना अधिकार अन्तरित करने के लिये पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किए गए हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहायता

5294 **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देने के मापदण्डों को बदल दिया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को सूखा और अकाल सहायता वितरित करने के दिशा निदेशों की पुनरीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों को दी जाने वाली राहत में क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों को भेजे गये नये दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत की कुछ मदों के संबंध में केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों की समीक्षा करने हेतु 1982 में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने मानदण्डों में संशोधन करने की सिफारिश की और सरकार ने उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया। बाद में आठवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनकी सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 9 अप्रैल, 1985 को अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशों और आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सरकार का प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत हेतु दिशा निर्देशों तथा मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए एक अन्तर मंत्रालीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात के छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का समेकित विकास

5295. **श्री आर०पो० गायकवाड़ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गुजरात के किन-किन शहरों का छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समेकित विकास की केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत लाने का चयन किया गया है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 200 नगरों के लक्ष्य में गुजरात के कितने नगरों का चयन किया गया है; और

(ग) 31 मार्च, 1985 तक उनमें से प्रत्येक नगर को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात को छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 17 नगर नियत किए गए थे। नगरों के नाम तथा 31.3.1985 तक इन नगरों में से प्रत्येक को दी गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

नए नगरों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इनका निर्णय राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाएगा।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना के तहत लाये गये गुजरात के नगर एवं इन प्रत्येक नगरों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	नगर का नाम	31 मार्च, 1985 तक दी गई केन्द्रीय सहायता
1.	आनन्द	30.43
2.	पाटन नार्थ	22.24
3.	पोरबन्दर	28.37
4.	बलसाद	35.00
5.	यारदवल पाटन	14.50
6.	पालबपुर	27.94
7.	अंक्लेश्वर	34.76
8.	दहाद	36.95
9.	मोहम्मदाबाद	14.25
10.	गोधरा	33.38
11.	भुज	12.00

1	2	3
12.	अमरावी	37.00
13.	मेहसाना	24.68
14.	खम्बात	24.25
15.	कलाल सेज	30.00
16.	सानन्द	8.00
17.	देहगम	15.00
		428.68

फ्लैटों के आबंटन के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांग पत्रों का जारी करना

[हिन्दी]

5296. **श्री विष्णु मोदी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटितियों को आबंटन के समय मांग पत्र जारी किये जाते हैं;

(ख) क्या किसी त्रुटि के कारण आबंटन रद्द किये जाने की स्थिति में आबंटिती को पुन: एक नया मांग पत्र भेजा जाता है;

(ग) यदि हां, तो हुडको योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से जनता श्रेणी में कितने मामलों में वर्ष 1984 में पुनः आबंटन किया गया लेकिन मांग पत्र पुन: जारी नहीं किये गये;

(घ) क्या सरकार का ऐसे मामलों में नये मांग पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) मांग व आबंटन पत्र में मांगी गई राशि के भुगतान न करने पर या इस पत्र में बताई गई आबंटन की शर्तों को पूरा न करने पर आबंटनों को रद्द किया जाता है।

(ग) ऐसे आबंटियों से आबंटन बहाली के लिए प्राप्त आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और यदि आबंटी अपेक्षित दस्तावेज पेश कर देते हैं और मांगी गई राशि जमा कर देते हैं या ऐसा करने के लिए तत्काल तैयार हैं और यदि उन्हें आबंटित फ्लैट उपलब्ध है तो निरपवाद रूप से आबंटन बहाली के आदेश पारित किये जाते हैं। इन मामलों में आबंटन की तिथि तथा भुगतान की तिथि वही रहती है और कोई नये पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को केवल इस आशय के पत्र जारी किये जाते हैं कि आबंटन बहाल हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे मामलों का कोई हिसाब नहीं रखता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

किंग्सवे कैम्प क्षेत्र का विकास

[अनुवाद]

5297. श्री भूमर लाल बैठा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मई, 1970 में निकाली गई लाटरी के अनुसार आबंटितियों को 160 वर्ग गज के प्लाट देने के लिए मई 1984 में किंग्सवे कैम्प (आउटरम लाइन और हडसन लाइन का क्षेत्र) दिल्ली का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकास का कार्य शुरू किया गया था, यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या एक कमरे वाले मकान मालिकों को अस्थायी तौर पर जहांगीर पुरी में गंदी बस्ती वाले क्वार्टर दिए गए हैं यदि हां, तो किन शर्तों पर और कितने समय के लिए; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। आउट्रम लाइनों का विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर मई, 1984 में आरम्भ किया गया था तथा स्थल की उपलब्धता की शर्त पर अगस्त, 1985 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। बैरकों तथा अन्य संरचनाओं से उन्मूलन के अभाव में हडसन लाइनों का विकास कार्य रुका पड़ा है।

(ख) जी, हां,। जब तक उनके प्लाट सौंपने के लिए तैयार होते है उस समय तक 150 रुपये प्रतिमाह के भुगतान की शर्त पर लाइसेंस फीस के आधार पर आबंटितियों के लिए ट्रांजिट कैम्प की व्यवस्था की गई थी।

(ग) इस योजना के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी रखी गई है। आउट्रम लाइनों में विभिन्न विकास कार्य अगस्त, 1985 तक पूर्ण होने हैं। हडसन लाइनों के विकास कार्यों को पूर्ण होने में स्थल को साफ करने के बाद लगभग 6 महीने का समय लगने की सम्भावना है।

डी०बी० रिले केन्द्रों की स्थापना

5298. डा० बल्लाल पेरुमाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास दूरदर्शन के अंतर्गत कुल कितने रिले केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य के प्रत्येक जिले में और अधिक डी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रिले केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास से कोई दूरदर्शन रिले केन्द्र सम्बद्ध नहीं है।

(ख) और (ग) कोडैकनाल के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 10 किलोवाट करने की कारंवाई चल रही है। इस ट्रांसमीटर को दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास से जोड़ने के लिए एक माइक्रोवेव सर्किट के लिए भी आर्डर दे दिया गया है। नेवेली में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना करना जून, 1985 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित स्कीम है। तमिलनाडु के भागों सहित देश के कवर न हुए विभिन्न भागों में अतिरिक्त दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करना भावी योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सुअर की उन्नत नस्ल का विकास करने की योजना

5299. **श्री डी० एम० रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में सुअरों की उन्नत नस्ल का विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए किन राज्यों का चयन किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सुअरों की उन्नत नस्ल का विकास करने के लिए सुअर संबंधी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास आर्थिक दृष्टि से सुअरों की नस्ल सुधारने की योजनायें हैं।

(ख) सुअर संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के राज्यों में चल रही है। देशी सुअरों की नस्ल को आर्थिक पहलुओं से बेहतर बनाने के लिये उनका विदेशी सुअरों के साथ संकरण किया गया है। विभिन्न योजना अवधियों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर तथा नगर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, मिजोरम, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 82 सुअर प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं।

दुग्ध उत्पादन के लिए घास उगाने वाली मशीन

5300 **श्री हुसेन दलवाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोंकण विकास निगम ने बम्बई में आरे डेयरी में अपनी बुल मदर परियोजना स्थल पर घास उगाने वाली मशीन के प्रयोग का परीक्षण किया है,

(ख) क्या उक्त मशीन द्वारा उत्पादित चारे से इस परियोजना के अन्तर्गत दूध के उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दूध की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से डेयरी के लिए इस प्रकार की घास उगाने वाली मशीन की सिफारिश करने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना औषधालय किशनगंज-II
दिल्ली में जांच की सुविधायें

5301. श्री पीयूष तिरकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना औषधालय किशनगंज II में रोग विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो कब से और वहां पर किस प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध है; और

(ग) क्या यह सच है कि वहाँ पर रक्त, मधुमेह, गर्भावस्था की जाँच जैसी मामूली जांच सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण गरीब रोगियों को पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर स्थित ई०एस०आई० अस्पताल जाना पड़ता है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औषधालय में प्रयोगशाला शुरू से ही रक्त, मूत्र, पाखाना आदि की सामान्य जांच करती आ रही है। कुछ अधिक सुविधाओं के साथ यह प्रयोगशाला 8-3-1983 से पैथोलोजिस्ट की देख-रेख में काम कर रही है। इसे कैलोरीमीटर भी प्रदान किया गया है ताकि रक्त-मधुमेह आदि का पता लगाने जैसे बायो-कैमीकल परीक्षण किए जा सकें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बोडेल्ला में विकास कार्य

5302. डा० बी० राजेश्वरन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 21 सहकारी सामूहिक आवास समितियों जिन्हें बोडेल्ला (चरण-II) पश्चिम दिल्ली में भूमि का आबंटन और कब्जा दिया गया है, वहाँ निर्माण कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्हें आबंटित यह भूमि नीची है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक इस भूमि के विकास का कार्य हाथ में नहीं लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा विकास कार्य, अर्थात प्लाटों/क्षेत्र को समतल बनाने पानी/मल निकासी लाइनें बिछाने, सड़कों का निर्माण करने आदि कितने समय में पूरा हो जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) बोडेला (चरण-II) में 21 सहकारी ग्रुप आवास समितियों में से 19 समितियों को भूमि का कब्जा दे दिया गया है।

मिट्टी भरने का कार्य, जहाँ भी अपेक्षित था तथा सड़कें बिछाने के कार्य को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1985-86 के दौरान पूर्ण कर लिए जाने की सम्भावना है। जलपूर्ति तथा

मल निर्यात की योजनाओं को अभी तक दिल्ली नगर निगम ने अनुमोदित नहीं किया है। यह कार्य दिल्ली नगर निगम से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में नालियों की व्यवस्था करने के लिए निविदाय आमंत्रित करने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

केरल में धान के उत्पादन में गिरावट

5303. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से केरल में धान के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पांच वर्षों के दौरान केरल में धान के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसानों को जो मूल्य मिलता है वह उत्पादन लागत से कम है; और

(ङ) यदि हां, तो केरल में छोटे और मध्यम किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) जी, हां, केरल में धान के उत्पादन में 1980-81 के मुकाबले 1984-85 में 3.2 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट आई है। गत 5 वर्षों में केरल में धान के उत्पादन के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादन (हजार मी० टन)
1980-81	1936 0
1981-82	3039.2
1982-83	1988.1
1983-84	1891.7
1984-85	1874.9

धान के उत्पादन में आई गिरावट का कारण सम्भवतः धान की खेती वाले क्षेत्र पर अन्य फसलों की खेती करना है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा घोषित खरीद समर्थन मूल्य, कृषि मूल्य आयोग अब जिसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी० ए० सी० पी०) रख दिया गया है, की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। अपनी सिफारिश करते समय यह आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में जिन्सों के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखता है। केरल में 1980-81 से 1982-83 के दौरान नीचे दिए गए धान के फार्म कटाई मूल्यों के साथ खरीफ मूल्यों की तुलना से यह पता चलता है कि फार्म कटाई मूल्य सरकार द्वारा प्रस्तावित खरीद समर्थन मूल्यों से काफी अधिक हैं।

वर्ष	फार्म कटाई मूल्य	अधिप्राप्ति मूल्य
	(रुपए प्रति क्विटल)	(रुपए प्रति क्विटल)
1980-81	152.06	105.00
1981-82	178.78	115.00
1982-83	208.16	122.00

उपर्युक्त को देखते हुए, लघु और सीमान्त किसानों के हितों का, उनके उत्पादन के लिए उनको मिलने वाले मूल्यों के सम्बन्ध में, समुचित ध्यान रखा जाता है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योजना

5304. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीड़ी श्रमिकों की भविष्य निधि योजना के संबंध में कुछ मामले उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 से उपबंधों को 31 मई, 1977 से बीड़ी श्रमिकों पर लागू किया गया था। कुछ बीड़ी निर्माताओं ने बाद में इस अधिनियम को बीड़ी उद्योग पर लागू करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इस अधिनियम के उपबंधों को बीड़ी उद्योग पर लागू करने वाली अधिसूचना के प्रचालन को स्थगित रखा जाए। इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

खाद्यान्न बचाओ अभियान विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

5305. **श्री अनादि चरण दास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न बचाओ अभियान विभाग में विशेषकर उड़ीसा में 1 मार्च, 1982 और 1 मार्च, 1985 को कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए रोस्टर बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो यदि इन समुदायों के आरक्षित कोटे से इनके कर्मचारियों की संख्या कम है तो उनकी संख्या कम होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस अवधि में कितने आरक्षित पद समाप्त हो गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

निम्न तारीख को	अन्न सुरक्षा अभियान संगठन में कर्मचारी		अन्न सुरक्षा अभियान, उड़ीसा में कर्मचारी	
	कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
1.3.1982	323	99	19	7
1.3.1985	348	97	23	6

(ग) जी, हां।

(घ) इस अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दो रिक्तियों को आगे लाया गया है।

(ङ) इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्तयाँ समाप्त नहीं हुई हैं।

पश्चिम बंगाल में हड़तालों और ताले बन्दियों पर रोक लगाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करना

5306. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में हड़तालों और तालाबंदियों पर रोक लगाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में विद्यमान प्रावधानों को लागू करने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को कोई पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में हड़तालों और तालाबन्दियों को विलम्बन घोषित करने के केन्द्र के सुझाव के प्रति राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1985 में, श्रम मंत्री ने देश में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में उनके द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति सहमति प्रकट करते हुए, सुझाव दिया, कि हड़तालों, तालाबन्दियों और कामबन्दियों को रोकने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के उपबंधों का स्वच्छ और कारगर रूप से प्रयोग किया जाए। ऐसा करते समय इस तथ्य पर बल दिया गया कि हालांकि श्रमिकों को हड़तालें न करने के लिए प्रेरित किया जाए, जब उनकी शिकायतों पर बात-

चीत चल रही हो, लेकिन नियोजकों को भी तालाबन्दियां और कामबन्दियां नहीं करनी चाहिए और उन्हें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क करना चाहिए ताकि तालाबन्दियों और कामबन्दियों के कारणों को समय पर दूर किया जा सके।

(ग) मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र की पावती सूचना भेजते हुए, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने सूचित किया कि राज्य स्तर पर श्रम सलाहकार बोर्ड के माध्यम से बातचीत तथा पारस्परिक समझौते के वातावरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसमें नियोजकों तथा केन्द्रीय ट्रेड-यूनियनों के महत्वपूर्ण संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तनों का सुझाव दिया ताकि संक्रियाओं को एकतरफा आस्थगित करने, कामबंदी या तालाबंदी को रोका जा सके।

पुष्प विहार में मार्किट भवन

5307. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पुष्प विहार, नई दिल्ली के सभी सैक्टरों में मार्किट भवन आबंटन के लिए तैयार हैं परन्तु उनका आबंटन नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो प्रत्येक सैक्टर में मार्किट भवनों का निर्माण कब पूरा हुआ तथा मार्किटों को न खोलने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन मार्किटों के न खुलने के कारण वहां अन्धाधुन्ध झुग्गी मार्किटें बनती जा रही हैं और उनसे उस क्षेत्र में हर प्रकार की मुसीबतें पैदा हो रही हैं तथा इन्होंने पूरे क्षेत्र का वातावरण दूषित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र को प्रदूषण रहित और अस्वास्थ्यकर स्थितियों से मुक्त करके वहां पारिस्थिति सन्तुलन कायम करने हेतु सरकार का विचार इस क्षेत्र से इन झुग्गी मार्किटों तथा अन्य अनाधिकृत दुकानों को कब तक हटाने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) पुष्प विहार, नई दिल्ली के सेक्टर I, III तथा V के सुविधा बाजार केन्द्र में दुकानों तथा स्टालों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया था और भूमि तथा विकास कार्यालय को इन्हें बेचने के लिए क्रमशः फरवरी 81, फरवरी, 82 तथा अप्रैल, 1983 में सूचित किया था। कुछ दुकानों को नीलामी के लिए रखा गया था परन्तु बोली लगाने वालों के आभाव में इन्हें बेचा नहीं जा सका। दुकानों के लिए आरक्षित मूल्य की समीक्षा की जा रही है और संशोधित आरक्षित मूल्य का निर्धारण हो जाने पर भूमि तथा विकास कार्यालय पुनः इन दुकानों की नीलामी की व्यवस्था करेगा।

(ख) और (ग) कुछ अनधिकृत निर्माण था और यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

फालतू भूमि के आबंटियों को वित्तीय सहायता

5308. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम भूमि सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को कोई वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो नियमों के अनुसार प्रत्येक आबंटिति को कितनी धनराशि दी जाती है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा में कितने व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई; और

(घ) क्या प्रभावित व्यक्तियों को देय धनराशि का भुगतान करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को बकाया धनराशि देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां। अधिकतम भूमि सीमा से फालतू भूमि के आबंटियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) अधिकतम भूमि सीमा से फालतू भूमि के आबंटियों को इस योजना के अन्तर्गत 1.4.1984 से प्रति हेक्टेयर 25,00/- रुपए के अनुदान का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। 1.4.1984 से पहले सहायता का प्रतिमान प्रति हेक्टेयर 1,000 रुपये का था।

(ग) और (घ) निधियां उपलब्ध होने पर वर्षानुवर्ष धनराशि बंटित की जाती है। योजना के आरम्भ से लेकर उड़ीसा राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश के रूप में 167.92 लाख रुपए बंटित किए गए हैं। 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय अंश के रूप में 45.53 लाख रुपए की धनराशि बंटित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च के केन्द्रीय अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को कोई बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

5309. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने किन-किन जिलों में ग्रामवासियों और किसानों से भेंट की; और

(ग) उक्त राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में इस दल द्वारा दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) जी हां। एक केन्द्रीय दल ने जून, 1983 में पुरी जिले का दौरा किया और कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

1. **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम** :

   1. 1982-83 के दौरान राज्य के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था।

2. सिंचाई के क्षेत्र को पर्याप्त सहायता प्रदान की गई थी।
3. आधारभूत सहायता के अभाव में दुधारु पशु योजनाओं को हानि रही।
4. बैंकों द्वारा प्रतिभूति पर जोर देने के उदाहरण देखने में आए।
5. ऋण की वसूली संतोषजनक नहीं थी। दुधारु पशुओं के अधिकांश लाभार्थी बाकीदार पाए गए थे।

2. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण :

1. गलीचा बुनाई, पत्थर तराशना, नारियल के रेशों की रस्सी बनाना, बुनाई और सिलाई आदि में प्रशिक्षण दिया गया था।
2. प्रशिक्षण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी।
3. कुछ व्यवसायों की प्रशिक्षण-अवधि प्रर्याप्त नहीं थी।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

1. ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यों को निष्पादित करने के लिए ग्रामीण नेताओं के वेश में ठेकेदार लगाए गए हैं।
2. खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी।

4. भूमि सुधार :

लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें किसी अन्य ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध नहीं की गई तथा उन्हें दी गई जमीन खराब किस्म की है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों का सर्वेक्षण

5310. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों के बारे में दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि अधिकांश दर्शक मुख्य कार्यक्रमों में काफी समय तक बाधा उत्पन्न करने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों से ऊब महसूस करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण से यथार्थ वास्तविक निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा हाल ही में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लोकप्रिय कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी संख्या में वाणिज्यिक विज्ञापनों को आकर्षित करते हैं। तथापि, इस प्रकार के विज्ञापनों की कुल अवधि किसी भी केन्द्र के किसी भी दिन के कुल प्रेषण समय का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

गहरे समुद्र से मछली पकड़कर समुद्री उत्पाद बनाना

5311. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तट क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ कर बनाए गए समुद्री उत्पादों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) कितने भारतीय जहाज गहरे समुद्र से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बेड़े में कितने और जहाज सम्मिलित किए गए; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान कितने और जहाज इस बेड़े में सम्मिलित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय एक मात्र आर्थिक क्षेत्र से कुल सामुदिक मत्स्य उत्पादन में गहन समुद्र मत्स्यन जलयानों का योगदान लगभग 1 प्रतिशत है।

(ख) इस तारीख को भारतीय जल क्षेत्र में 76 वाणिज्यिक गहन समुद्र जलयान कार्यरत हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् जनवरी, 1982 से अप्रैल, 1985 तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान शामिल किए गए हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल किए जाने वाले जलयानों की संख्या को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कपास के संबंध में अनुसंधान कार्य

5312. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कपास के संबंध में क्या अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(ख) इस अनुसंधान कार्य और वहाँ उपलब्ध कराई गई विस्तार सुविधाओं से छोटे कपास उत्पादकों को कितना लाभ हुआ है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) परिषद निम्नलिखित संस्थानों और परियोजनाओं के माध्यम से कपास अनुसंधान को चला रही है।

(1) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर जो किस्म सुधार, फसल उत्पादन तथा फसल रक्षा तकनीक का काम करता है।

(2) कपास तकनीक अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई क्वालिटी टैस्टिंग प्रोसेसिंग तथा उत्पादन तथा उपजात उपयोग पर काम करती है।

(3) अखिल भारतीय समन्वित कपास विकास परियोजनाएं 33 केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत किस्म और नई तकनीकों के परखने का काम करती है ।

(4) समग्र कपास विकास प्रायोजना, सात केन्द्रों के द्वारा अनुसंधान, विस्तार सेवा व किसानों को खेतों पर कपास उत्पादन का प्रशिक्षण देने का काम करती है । यह केन्द्र पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में हैं ।

(5) कुछ अस्थायी निश्चित समय में पूरी होने वाली प्रायोजनाएं भी हैं । पिछले दो दशकों में 60 विभिन्न रेशे वाली ज्यादा पैदावार की किस्म तथा 15 संकर लम्बे रेशे वाली किस्में निकाली गईं या प्रचलित की गईं । बहुफसली तकनीकें निकाली गईं और बागानी खेती में फसल रक्षा की तकनीकें विकसित की गईं । कीड़े मार दवाओं के प्रयोग में किफायत बरतने के लिए समग्र कीट रोधी प्रबंध को उच्च प्राथमिकता दी गई । आग से बचाने के लिए रासायनिक प्रयोग द्वारा असानी से रख रखाव के गुण का कपास में मानकीकरण किया गया । उप-जात प्रयोगों में से छीजन से वायोगैस बनने तथा डंठलों से गत्ता बनने में सफलता प्राप्त की गई ।

(ख) सिंचित और बारानी खेती में नई किस्मों से कपास का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली । आई०सी०डी०पी० के अंतर्गत महाराष्ट्र में बरानी कपास का उत्पादन बढ़ा ।

गहन कपास विकास कार्यक्रम में भी समग्र कार्यक्रम की भांति उन्नत बीज हवाई छिड़काव/भुरकाव पर किसानों को सहायता राशि दी गई । बॉलवर्म कीड़े के नियंत्रण के लिए, उपकरणों व प्रदर्शनों हेतु भी कपास किसानों को सहायता दी गई । ये सहायता छोटे/अति छोटे सभी किसानों को दी गई ।

बारानी खेती तकनीक तथा समग्र कीट व्याधि प्रबंध विधि से छोटे किसानों को लाभ हुआ है । कपास की संकर किस्मों ने भी जो विपरीत स्थितियों की रोधी है, विभिन्न श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया है ।

पुष्प विहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय

5313. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्प विहार, नई दिल्ली के सभी सैक्टरों के अनेक क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिविजनों ने पूछ-ताछ कार्यालयों के प्रयोजन के लिए कब्जा कर रखा है जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों के भवन तैयार हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्वार्टरों को कब्जे में रखने के क्या कारण हैं और सरकार का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इन सरकारी क्वार्टरों को खाली करने के कब तक आवश्यक निर्देश जारी करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। सैक्टर-III के तीन क्वार्टर तथा सैक्टर-V के चार क्वार्टर ।

(ख) सैक्टर-V में स्थायी पूछताछ कार्यालय का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए सिविल पूछताछ कार्यालय रिहायसी क्वार्टरों में कार्य कर रहा है। जब तक उस सैक्टर में स्थायी पूछताछ कार्यालय के भवन का निर्माण नहीं होता है तब तक यह नितान्त अस्थायी प्रबन्ध है।

सैक्टर-III में निर्माण मण्डल द्वारा अस्थायी तौर पर तीन रिहायती क्वार्टरों को उक्त मण्डल के अधीन क्वार्टरों के अनुरक्षण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे ही सैक्टर-III के सभी क्वार्टरों का अनुरक्षण कार्य अनुरक्षण मण्डल को सौंप दिया जाएगा, इन क्वार्टरों को शीघ्र ही खाली कर दिया जाएगा।

स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भेंट वार्ताओं का रिकार्ड किया जाना

5314. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भेंट वार्ता रिकार्ड करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए उनके अनुभवों को रिकार्ड किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से भेंट-वार्ताओं की रिकार्डिंग शुरू हुई है तथा राज्य-वार किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों के अनुभव रिकार्ड किए जा चुके हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का विस्तार करने तथा वर्ष 1985 में और अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी केन्द्र 1972 से समय-समय पर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भेंट वार्ताएं रिकार्ड कर रहे हैं। उन 301 स्वतंत्रता सेनानियों, जिनकी रिकार्डिंग आकाशवाणी के संग्रहालय में सुरक्षित हैं; की सूची विवरण-एक के रूप में संलग्न है।

दूरदर्शन केन्द्र भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भेंटवार्ताएं रिकार्ड कर रहे हैं। विवरण दो संलग्न है।

(ग) और (घ) स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भेंटवार्ताओं की रिकार्डिंग करना और उनको प्रसारित/टेलीकास्ट करना एक सतत प्रक्रिया है और वह 1985 के दौरान भी जारी रहेगी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

उन स्वतंत्रता सेनानियों की सूची जिनकी रिकार्डिंग आकाशवाणी के संग्रहालय में सुरक्षित हैं—

क्रम सं॰	नाम	भाषा
1	2	3
1	श्री मुन्ना लाल पंचोलिया	हिन्दी
2	श्री मुन्ना लाल पंचोलिया	तथैव
3	श्री साली ग्राम	तथैव
4	श्री सीता राम	तथैव
5	श्री जदू गोपाल मुखर्जी	अंग्रेजी
6	श्रीमती सावित्री देवी	हिन्दी
7	श्री सूर्य प्रसाद सिंह	तथैव
8	श्री महामाया प्रसाद सिंह	तथैव
9	श्री मुरेवान पाठक	तथैव
10	श्री दीप नारायण सिंह	तथैव
11	श्री कैलाश नाथ द्विवेदी	तथैव
12	श्रीमती जारा देवी	तथैव
13	श्री देवी दत्त खंडपाल	तथैव
14	श्री शंकरराव मलदापुरदार	तथैव
15	श्री बेनी कानूनगो	तथैव
16	श्री फकीर चन्द साहू	हिन्दी
17	श्री जत्थेदार मोटा सिंह	तथैव
18	श्रीमती रामोबाई	हिन्दी
19	श्रीमती सावित्री शर्मा	तथैव
20	श्री भूपाराव केशरराव कोयारेहर	तथैव
21	श्री माली रीवा	तथैव
22	श्री अनवर लखनवी	तथैव
23	श्री सज्जन सिंह	तथैव
24	श्री चौधरी रणवीर सिंह	तथैव
25	डा॰ उषा मेहरा	अंग्रेजी
26	श्री सोलीश राम अग्रवाल	हिन्दी
27	श्री हरीपदा भट्टाचार्जी	बंगाली
28	श्री गुरुवक्स राय	
29	श्री लक्ष्मी चन्द्र मेहरा	
30	श्री एम॰ एस॰ शिवाराम सिंह	

1	2	3
31	श्री ए० के० केरालयनायान	
32	श्री क्षितीष बासु	बंगाली
33	श्री जगल चौधरी	
34	सरदार हरीहर सिंह	
35	श्री के० पी० केशवमेनन	मलयालम
36	श्री धन्नु भीसमोगरे	हिन्दी
37	श्री प्राण लाल शाह	गुजराती
38	श्री खेम चन्द शर्मा	सिंधी
39	श्री आर० पी० पुरुषोत्तमा रेड्डयार	
40	श्री अप्पाजी गांधी	हिन्दी
41	श्री बी० एल० त्स्मा गुरुडा	तमिल
42	श्री मोनडर (आर० मुतीयाल)	तमिल
43	श्री अरुण (के० अरुणाचलम)	अंग्रेजी
44	श्री पी० एस० चिन्नादुयई	तमिल
45	श्री एस० आर० एन० शेहसा अक्तार	तमिल
46	डा० एन० चन्द्रकान्त मुडलीयार	तमिल
47	श्री ए० आर० सवाई	तमिल
48	श्री चरण दास	हिन्दी
49	श्री लक्ष्मी चन्द मेहरा	पंजाबी
50	श्रीमती मनोबाई	हिन्दी
51	श्री डी० एन० जोशी	गुजराती
52	श्री गोपाल भाई	
53	श्री माधा देव प्रसाद	हिन्दी
54	श्री के० पी० चट्टर्जी	अंग्रेजी
55	श्री टी० यू० काशीराज	तमिल
56	श्री के० एन० कृष्णनन	हिन्दी
57	श्री लालाहर दयाल	अंग्रेजी
58	श्री बिक्रराम सिंह	
59	श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी	हिन्दी
60	श्री गोपाल लाल अशावा	तथैव
61	श्री राम कर्ण जोशी	तथैव
62	श्री सुरेश भट्टाचार्जी	तथैव
63	श्री मणिलाल गुरुदेव	हिन्दी

1	2	3
64	श्री ए० एन० इश्वाली साहिब	अंग्रेजी
65	श्री सदानन्द मिश्रा	हिन्दी
66	श्री बिसराम सिंह	
67	श्री नहर सिंह	
68	श्री आर० एस० कुमार स्वामी	
69	श्री आर० एस० कृष्णन	
70	श्री के० टी० रामलिंगमम	
71	श्री आर० सावो	
72	श्री उधम सिंह	हिन्दी
73	श्री मखानन्द मिश्रा	हिन्दी
74	श्री प्रतिवादी भयंकराचारी	अंग्रेजी
75	श्री बी० रंगा नयाकली वारंगल	तेलुगु
76	तथैव	अंग्रेजी
77	श्री शाह	उर्दू
78	श्री उमाखान पठान	उर्दू
79	कुमारी मनीबहर	हिन्दी
80	श्री शंकर नारायण जोशी	अंग्रेजी
81	श्री डिविस बसु	बंगाली
82	आचार्य के० सारलिंगम	अंग्रेजी
83	श्री ए० आर० सवाई	अंग्रेजी
84	श्री सालीगराम	हिन्दी
85	श्री सीता राम	
86	मास्टर आदितेन्द्र	हिन्दी
87	श्री राम गिनडोली	अंग्रेजी
88	ज्ञानी वीर सिंह	पंजाबी
89	राम विद्यादेवी	हिन्दी
90	सुमती घोष	हिन्दी और अंग्रेजी
91	श्री रणवीर सिंह	हिन्दी
92	श्री बाल कृष्ण विट्ठल	हिन्दी
93	श्री हंस लेमा	अंग्रेजी
94	श्री एस० पी० अलायल	—
95	श्री के० एल शर्मा	तमिल
96	श्री बी० एन० गोपालाचार्य	तमिल
97	डा० टी० मसकेरेह्रीयन	अंग्रेजी

1	2	3
98	श्री लक्ष्मण दत्त	हिन्दी
99	श्री ब्रजभूषणराय गांधी	हिन्दी
100	श्री रघुवंश नारायण सिंह	हिन्दी
101	श्री रमेश शर्मा	हिन्दी
102	श्री श्याम कृष्ण अग्रवाल	हिन्दी
103	श्री मनोरंजन नन्दी लासन	—
104	श्री निवारण दत्त	—
105	श्रीमती स्नेहलता देव	—
106	श्री वी० एम० विष्णुभारतीयन	—
107	श्री चन्द्रमा सिंह	हिन्दी
108	श्री राम पांडे	हिन्दी
109	श्री छवि नाथ पांडे	हिन्दी
110	श्रीमती देव रानी	—
111	श्री कर्पूरी ठाकुर	हिन्दी
112	श्री सूर्य नारायण सिंह	हिन्दी
113	श्री के० पी० केशवमेनन	अंग्रेजी
114	श्री एन० जी० फलोदी	हिन्दी
115	श्रीमती ए० वी० कुट्टलीमालु अम्मा	—
116	श्री गिरधारी सिंह सेनानी	हिन्दी
117	श्री कृष्णा स्वामी	कन्नड
118	श्रीमती निरंजन कौर	पंजाबी
119	श्री गंगाचरण मौर्य	हिन्दी
120	श्री करतार सिंह	पंजाबी
121	श्री आर० एस० कुमारास्वामी	तमिल
122	श्री सिजा राम	हिन्दी
123	श्री ए० बाला गोपाल	मलयालम
124	श्री कमल नाथ तिवारी	हिन्दी
125	डा० उषा मेहता	अंग्रेजी
126	श्री बी० पी० सिंहा	हिन्दी
127	श्री चन्द्रिका शर्मा	,,
128	श्री जगननाथ प्रसाद सिंह	,,
129	श्री केदार मणि शुक्ल	,,
130	श्री एम० पेस्वथा राव	मलयालम

1	2	3
131	श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता	हिन्दी
132	श्री महन्त भगवतराव	हिन्दी
133	श्री ताराबल कृष्णन	"
134	श्रीमती सावित्री देवी	नेपाली
135	श्री अघोरी नारायण सिंह	हिन्दी
136	श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु	"
137	श्री विद्यानाथ चौधरी	"
138	श्री चवन प्रसाद साहू	"
139	श्री सरयू प्रसाद मिश्रा	"
140	देव सरण	"
141	श्री राम भजन दत्त	
142	श्री जय नन्दन झा	
143	श्री महेन्द्रा शास्त्री	हिन्दी
144	श्री बलदेव चौधरी	हिन्दी
145	मौलाना सयैद हाजिउर रहमान	उर्दू
146	श्री गुलजार पटेल	
147	श्री इन्द्रदीप सिंह	हिन्दी
148	श्री जगेश्वर प्रसाद कैलाश	
149	श्री सूर्यनाथ चौबे	
150	श्री परफुलरमणन रहा	बंगाली
151	श्री चप्पू नायर	
152	श्री के० शंकरन नायर	
153	श्री भभूती भूषण देव	बंगाली
154	श्री मक्खन लाल देव	बंगाली
155	श्री वी० के० अलथन वेदयार	मलयालम
156	श्रीमती अनु कुटटम्या	मलयालम
157	श्री एम० के राघवन	
158	श्री अविनास दास	बंगाली
159	श्री वीरेन्द्र कुमार बसु राय चौधरी	बंगाली
160	श्री देव नाथ भट्टाचार्य	बंगाली
161	श्री सरल कुमार सेन गुप्ता	बंगला
162	श्री माया कोटिम	नेपाली
163	श्री राम ऋषि देव	हिन्दी

1	2	3
164	श्री जगन्नाथ प्रसाद	हिन्दी
165	श्री ठाकुर प्रसाद मन्चला	हिन्दी
166	श्री मनिक चन्द गुप्त	हिन्दी
167	श्री काशीनाथ मालवीया	हिन्दी
168	श्री रामपित सिंह	
169	श्री प्यारे लाल गुप्ता	
170	श्री रामजतन सिंह	
171	श्री कैलाश प्रसाद	
172	श्री लालदास गुप्ता	
173	श्री रामचरित्र मेहता	
174	श्री अवधनारायण सिंह	
175	श्री प्रवेशचन्द्र राय	बंगाली
176	श्री शिव मंगल सिंह	नेपाली
177	श्रीमती कोयाम्मिल्ली देवकी	मलयालम
178	श्री जयदेव राय	मलयालम
179	श्री मोहम्मद कोया	मलयालम
180	श्री बीरेन्द्र आचार्या	
181	श्री हरीशरंजन दास	
182	श्री बी० दत्त राय	
183	श्री बेना भूषण चौधरी	
184	श्री उपेन्द्र नाथ देव	
185	श्री चितरंजन दास	
186	श्रीमती चारोशिला देव	
187	श्री प्रनेश चन्द्र देव	
188	श्री सुरेश कुमार बदार	
189	श्री हीरालाल	हिन्दी
190	श्री रति भगत तन्ना	हिन्दी
191	श्री रतनलाल जैन	"
192	श्री सर्वानन्द मिश्र	"
193	श्रीमती राधिका कृष्ण प्रसाद	"
194	श्री समर तन्ना भगत	"
195	श्री पांडे वीरेश्वर नाथ राय	"
196	श्री देवराज तिवारी	"

1	2	3
197	श्री महेन्द्र झा	हिन्दी
198	श्री नांझी सिंह	"
199	श्री राम जी प्रसाद	"
200	श्री सुखदेव	"
201	श्री मुकुटधारी	"
202	श्री लाल तन्ना भगत	"
203	श्री सोहराय राम	"
204	श्री सैयद अली रजिया	"
205	श्री गोपाल राम	"
206	श्री राम प्रसाद दूबे	"
207	श्री राजेन्द्र सिंह	"
208	श्री नारायण चन्द्र लाहिड़ी	"
209	श्री मंगल सिंह होनहाँगा	"
210	श्री गंगा प्रसाद	"
211	श्री गोवर्धन राम	"
212	श्री सीताराम दूबे	"
213	श्री उपेन्द्र प्रसाद	"
214	श्री रामपूजन तिवारी	"
215	श्री शंभूनाथ तिवारी	"
216	श्री रामदेवी राम	"
217	श्री रासी भगत तन्ना	"
218	श्री सरगंधार सिंह	"
219	श्री सूर्य प्रसाद गुप्त	"
220	श्री सरस्वती प्रसाद मिश्र	"
221	श्री भोलानाथ वर्मा	"
222	श्री हरपाल यादव	"
223	श्री योगेश्वर मिश्र	"
224	श्री उस्मान गनी	"
225	श्री कृष्णमोहन सहाय	"
226	श्री जगन्नाथ प्रसाद	"
227	श्री नुकुलप्रसाद राम	हिन्दी
228	श्री रामप्रसाद राम	हिन्दी
229	श्री निकुन्जु गोस्वामी	हिन्दी

1	2	3
230	श्री सत्यनारायण खांडवाल	हिन्दी
231	श्री राम चन्द्र चौरसिया	हिन्दी
232	श्री हर्षदेव	अंग्रेजी
233	श्रीमती कुमुद ऋषि	हिन्दी
234	श्री आर० के० सिन्हा	अंग्रेजी
235	श्री किरण दास	"
236	श्री हजारे सिंह	"
237	श्री निसिथा नाथ कुन्डु	बंगाली
238	श्री नगेश्वर बेरेक	हिन्दी
239	श्री विमल कुमार दास गुप्ता	हिन्दी
240	श्री रामदेव तिवारी	"
241	श्री रमनुग्रह प्रसाद	"
242	श्री सजुप्रसाद पोद्दार	"
243	श्री शान्ति गोपाल सेन	बंगाली
244	श्री श्याम लाल प्रसाद	हिन्दी
245	श्रीमती भुवनेश्वरी देवी	हिन्दी
246	श्री परतुल चन्द्र मित्रा	हिन्दी
247	श्री जिलु राम किशन	"
248	श्री जगनसिंह	"
249	श्री हरीहर सिंह क्रमयोगी	"
250	श्री सत्य नारायण सिंह	"
251	श्री निसिथा नाथ कुन्डु	अंग्रेजी
252	श्री एस० जी० अलीयास भूसाहिब रनाडे	मराठी
253	श्री हरिहर गुरुनाथ सलगारकराली अलीआस कवि कुंज बिहारी	"
254	श्री बाबूराव भूराव कचरे	मराठी
255	श्री टटिया राव देवरास देसाई	"
256	श्री दत्ता जी राव बलवन्त पाटिल	"
257	श्री श्रीनिरकाशा शंकरराव खोट	"
258	श्री विष्णुवामननाने	"
259	डा० उत्तमाराव गिरधर पाटिल	"
260	श्री दत्ता राया गणेश काले	"
261	श्री दादा अप्पा जी बारडे	"
262	श्री के० एल० वेषमपायन	"

1	2	3
263	श्री श्रीधर पुरुषोत्तम लिमये	बंगाली
264	श्री शिवराम रघु मारडने	"
265	श्री सुरेन्द्र नाथ घोष	"
266	श्री दमोदर विष्णु एकबोते	मराठी
267	श्री रामचन्द्र विट्ठल निसाल	मराठी
268	श्री श्रीनिवास विरेन्द्रचारी अहंकारी	"
269	श्री नरहलक्ष्मण राव कुलकर्णी	"
270	श्री मारुति विष्णु कुलकर्णी	
271	अलीयास बाबूराव चरणकर	मराठी
272	श्री बाबूमिया दादू मिया बांडवाले	मराठी
273	श्री डी० गेंदा तमल	
274	श्री परस स्वामी प्रभोधन	नेपाली
275	श्री गया प्रसाद चौधरी	हिन्दी
276	श्री तनुक लाल यादव	"
277	श्री ललन शुक्ल	"
278	श्री सिंह भवर सिंह	"
279	श्री राजा ठाकुर	हिन्दी
280	श्री श्याम नारायण तिवारी	हिन्दी
281	इण्टर व्यू विद एफ० एफ० सोने	नेपाली
282	श्री गरीब दास	हिन्दी
283	श्री सोने लाल भगत	हिन्दी
284	श्री रती लाल मिश्र	हिन्दी
285	श्री खुशेवर झा	हिन्दी
286	श्री चन्द्रीका मिश्र	हिन्दी
287	श्री जाटव अली मस्तान	
288	श्री जनाब अब्दुल रहमान साहिब	"
289	श्रीमती पुतली देवी	नेपाली
290	श्री उत्तम राव पाटिल	मराठी
291	श्री सीता राम गोविन्द अलीयास भाओ साहिब रनाडे	मराठी
292	श्री क्रिती नारायण शर्मा	हिन्दी
293	श्री मदन मोहन सिंह	हिन्दी
294	श्री मेजर अबीट हसन साफरानी	अंग्रेजी
295	कर्मवीर नवीन चन्द्र भरदोली	"

1	2	3
296	श्री विजय नारायण सिन्हा	हिन्दी
297	सरदार कुलतर सिंह	हिन्दी
298	श्रीमती दुर्गा भाभी	हिन्दी
299	श्री यशपाल	हिन्दी
300	श्री मनमथनाथ गुप्त	हिन्दी
301	श्री हबीबुर रहमान	उर्दू

विवरण-दो

उन स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची जिनके साथ दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा भेंट वार्तायें रिकार्ड की गई हैं :—

(15-8-84 से 15-1-85 तक)

केन्द्र का नाम	स्वतन्त्रता सेनानी का नाम	टेलीकास्ट की तारीख
बम्बई	श्री मनुभाई भीमानी	22-8-84
	श्री विट्ठन झावेरी	
	श्री वाई० वी० जावेदकर	29-8-84
	श्री राजाराम पतकर	14-8-84
	श्री हिन्दूराव पाटिल	
	श्रीमती हीराबाई भटवाडिकर	
	श्रीमती लीला पारेख	13-9-84
	श्री एन० एन० गुरजर	
	श्री पोपत सेहसाह	19-9-84
	श्री महादेव राव	13-9-84
	श्री मारुती पंतालकर	
	डा० बी० डी० चितनिस	
	श्री आर० डी० संकपाल	
	श्रीमती मृनालनी देसाई	
	श्री मोहन लाल मेहता	2-10-84
	आचार्य श्रीधर हरी थाटटे	2-10-84
	श्रीमती मालती थाटटे	
	श्री बसंत वाते	10-9-84

केन्द्र का नाम	स्वतंत्रता सैनानी का नाम	टेलीकास्ट की तारीख
	श्रीमती लज्जारानी गोयल	
	लक्ष्मीनारायण मुद्राभारती	14-8-84
	विमल चन्द्र दास	
	डा० उषा मेहता	
कलकत्ता	श्रीमती बीना देवी	15-8-84
	श्रीमती कल्पना दास गुप्ता	15-8-84
	श्रीमती माया घोष	
	निकुंजा सेन	6-9-84
	श्री दिनेश घतक	
	श्री पुरणेन्द्र दास गुप्त	
मद्रास	श्री एम० वक्तवत्सलम	15-8-84
	डा० एन० चन्द्रकान्त	7-9-84
	श्री एन० एस० वर्दाचारी	5-10-84
	श्री टी० कानन	23-11-84
	श्रीमती रंगनायकी अम्भाल	7-12-84
	श्री ए० एन० शिवरामन	
	श्री के० बशयाम	
	योगी सुदर्शन भारती	
	श्री टी० सदाशिवम	
	श्री के० राजवेली	
जालंधर	श्री कान्त आप्टे	10-8-84
	श्री उत्तम चन्द	24-8-84
	श्री सोहनलाल ओबराय	7-9-84
	श्री बलदेव मित्र बिजली	6-10-84
	श्री कृपाल सिंह	20-10-84
	श्री संतोख सिंह	3-11-84
	श्री हंसराज धई	4-1-85
	श्री साधूराम शर्मा	5-1-85
कटक	श्री विनोद कानूनगो	21-1-85
बंगलोर	श्री तगादुर रामचन्द्र राव	8-10-84
	श्री अदय रंगचार	17-10-84

केन्द्र का नाम	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	टेलीकास्ट की तारीख
अहमदाबाद	श्री मधुभाई पटेल	5-9-84
	श्री रामाचमन बावाजी	16-1-85
	श्री रमनलाल साह	23-1-85
हैदराबाद	श्री के० वेंकटरामनाम्मा	15-9-84
दिल्ली	कामरेड रामकिशन	22-8-84
	श्रीमती एवं श्री के० सुब्रामणियम	10-9-84
	श्री विनोद कानूनगो	21-1-85
	श्री अमृतलाल नानवती	6-2-85

कार्यक्रम सलाहकार समिति

5315. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के शिमला केन्द्र/जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र के लिए कोई कार्यक्रम सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो ठीक ठीक किस तारीख को इसका गठन किया गया था, इस समय इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस समिति का कार्यकाल क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक इस समिति का गठन किए जाने की संभावना है तथा बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी, शिमला और दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर के लिए समितियों का गठन शीघ्र किया जायेगा ।

इंडियन डेयरी कारपोरेशन का कार्य निष्पादन

5316. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन डेयरी कारपोरेशन के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है;

(ख) इस निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दूध इकट्ठा करने, वितरण करने और उत्पादन करने पर राज्यवार और वर्षवार किए गए खर्च का क्या ब्यौरा है; और

(ग) दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सप्लाई किए गए पाउडर से तैयार किए गए दूध की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय डेरी निगम दूध को एकत्र करने, उसका वितरण करने और उसका उत्पादन करने का कार्य नहीं करता। दूध को एकत्र करने, उसका परिसंस्करण करने और दूध तथा दुग्ध उत्पादों का विपणन करने की जिम्मेदारी जिला सहकारी दुग्ध संघों/राज्य डेरी महासंघों की है। तथापि, इस काम के लिए भारतीय डेरी निगम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आपरेशन फ्लड-II के तहत वित्तीय सहायता देता है। आपरेशन फ्लड-II के तहत वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वितरित की गई राशियों (अनंतिम) की स्थिति एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास की महानगरीय डेरियों ने जनवरी, 1982 से फरवरी, 1984 की अवधि के दौरान क्रमशः 0 से 39 प्रतिशत, 25 से 78 प्रतिशत, 62 से 85 प्रतिशत और 16 से 55 प्रतिशत तक दुग्ध चूर्ण और बटर-आयल का प्रयोग करके पुनर्मिश्रित दूध तैयार किया है।

विवरण

आपरेशन फ्लड-II के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों की स्थिति

(अनंतिम) (लाख रु०)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84
1	अंडमान और निकोबार	—	14.18	2.96
2	आंध्र प्रदेश	727.08	362.80	592.13
3	असम	77.92	22.07	53.13
4	बिहार	4.31	62.34	222.70
5	दिल्ली	86.05	132.56	2.13
6	गोवा	56.04	40.04	6.05
7	गुजरात	475.27	1,427.40	562.65
8	हरियाणा	0.37	105.03	151.44
9	हिमाचल प्रदेश	—	—	10.67
10	कर्नाटक	—	—	308.00
11	कश्मीर	—	—	8.56
12	केरल	66.10	139.20	235.64
13	मध्य प्रदेश	345.06	187.17	483.72
14	महाराष्ट्र	275.21	424.24	337.08
15	नागालैण्ड	—	1.83	[—] 0.83

16	उड़ीसा	79.94	178.57	195.95
17	पांडिचेरी	2.88	10.74	12.17
18	पंजाब	360.58	353.04	711.22
19	राजस्थान	36.99	87.71	1.10
20	सिक्किम	8.92	3.82	18.47
21	तमिलनाडु	216.24	325.62	378.52
22	त्रिपुरा	5.00	6.68	2.50
23	उत्तर प्रदेश	2.00	121.96	158.41
24	पश्चिम बंगाल	53.95	200.65	261.94

फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन

5317. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में काम की प्रगति संतोषजनक रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के लक्ष्य की तुलना में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर फसल का बीमा किया गया; और

(ग) योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) छठी योजना के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 5 लाख हैक्टार क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया था। खरीफ, 1984 मौसम तक इस योजना के अन्तर्गत 3,24,645 हैक्टार क्षेत्र लाया गया। रबी, 1985 के दौरान नियत किए गए कार्य को देखते हुए छठी योजना के 5 लाख हैक्टार क्षेत्र के लक्ष्य को पार कर लिया जाएगा, जिसके सम्बन्ध में पक्के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

5318. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 20 जनवरी, 1985 को फेडेरेशन आफ आल इंडिया फूड ग्रेड्न्स डीलर्स एसोसिएशन, दिल्ली द्वारा प्रधान मंत्री को भेजे गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की परिचालन कार्यक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा इसके कार्यनिष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है। चूंकि भारतीय खाद्य निगम सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए एक तंत्र है इसलिए निजी व्यापार के साथ इसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती है।

टी० वी० सैट रखने वाले और दूरदर्शन कार्यक्रमों में दर्शकों की रुचि के बारे में सर्वेक्षण

5319. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के बारे में जनता की राय जानने के लिये देश में टेलीविजन रखने वाले लोगों की संख्या और उसके कार्यक्रमों में दर्शकों की रुचि तथा विभिन्न आयु, लिंग और आय वर्गों के अनुसार दर्शकों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने टेलीविजन रखने वाले घरों की संख्या, उसके कार्यक्रमों में दर्शकों की रुचि, वैयक्तिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या आदि जानने के लिए 1980 में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया था। यह सर्वेक्षण 12 स्थानों अर्थात् दिल्ली, देहरादून, चन्डीगढ़, बम्बई, पुणे, जालन्धर, अमृतसर, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास और श्रीनगर से लिए गए नमूनों पर आधारित था। इन स्थानों पर प्रश्नावली के माध्यम से 13,000 से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग दूरर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों के लिए किया गया था। दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध मूल्यांकन सेल और श्रोता अनुसंधान यूनिट ने 1980 से लेकर अब तक कई विशिष्ट सर्वेक्षण किए हैं। यह प्रकिया चलती रहती है।

भारतीय खाद्य निगम में संघों की सदस्यता का सत्यापन

5320. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों द्वारा संघों की सदस्यता के सत्यापन हेतु अनुशासन संहिता की प्रक्रिया की उपेक्षा करके मनमाने रूप में अपनाई गई "चैक आफ प्रक्रिया" के विरुद्ध उनके मंत्रालय को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या 11 अक्तूबर, 1984 को संसदीय परामर्शदात्री समिति को उनके इस आश्वासन के बावजूद कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों ने श्रम मन्त्रालय की उपेक्षा करके मनमानी कार्यवाही की, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) जी, हां। यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन हेतु भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र की "चैक आफ प्रक्रिया" शुरू करने की कार्यवाही को श्रमिकों की यूनियनों ने केरल, कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके और उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव याचिका दायर करके चुनौती दी है। यह मामला न्यायाधीन है।

इंडियन जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन की मांगे

5321. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की 23 मार्च, 1985 को कलकत्ता में हुई वार्षिक आम बैठक में की गई मांगों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का विशेषकर समाचार पत्रों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अन्तिम सहायता देने, समाचार-पत्रों का दर्जा बढ़ाने, वेतन में वृद्धि करने, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता बढ़ाने और पेंशन योजना के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) केन्द्रीय सरकार (श्रम मंत्रालय) के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कटिहार (बिहार) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय का भवन

[हिन्दी]

5322. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कटिहार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास अपने स्थानीय कार्यालय के लिए अपना पक्का भवन कई वर्षों से तैयार है;

(ख) क्या अपना पक्का भवन होने के बावजूद भी कटिहार में यह कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थानीय कार्यालय इसके अपने भवन में कब तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य लोक निर्माण विभाग प्राधिकरणों ने कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों को कहा कि वे स्थानीय कार्यालय भवन को जनवरी, 1984 में अपने कब्जे में ले लें। तथापि, निरीक्षण करने पर इस भवन को लो-लाइंग स्थल पर पाया गया जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान घुटनों तक पानी भर सकता है। अतः कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरण भवन के निकटवर्ती स्थल का अब भराव कर रहे हैं। जैसे ही भराई कार्य पूरा हो जाता है, स्थानीय कार्यालय नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस बीच, स्थानीय कार्यालय किराए के भवन में कार्य करता रहेगा।

दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियां/ भंडार

[अनुवाद]

5323. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984–85 में केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंजीकृत उपभोक्ता सहकारी समितियों/भंडारों की संख्या क्या है और उनकी सदस्यता तथा वार्षिक बिक्री और लाभ के आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या स्वास्थ्य कर्मचारी एन० ए० सी० सहकारी भण्डार लि०, कृष्णा नगर सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि० और प्रीति उपभोक्ता और सहकारी भंडार लि० के नाम से कोई पंजीकृत समितियां हैं; और

(ग) इन तीन समितियों की शेयर पूंजीलाभ और आरक्षित पूंजी क्या है और वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983–84 के दौरान इन समितियों ने बैंकों से कितनी राशि के ऋण प्राप्त किये ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दर्ज उपभोक्ता सहकारी सम्मितियों/भंडारों का विवरण, उनकी सदस्य संख्या, वार्षिक बिक्री और लाभ के साथ, नीचे दिया गया है :—

	1982-83	1983-84	1984-85 (30-4-85 तक)
(i) समितियों/ भंडारों की संख्या	634	648	676
(ii) सदस्य संख्या	219422	221894	424353
(iii) वार्षिक बिक्री (लाख रुपयों में)	22821.70	22821.93	22822.01
(iv) लाभ (लाख रुपयों में)	466.23	466.24	466.22

(ख) जी, हां ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(राशि रुपयों में)

1	2 भंडार का नाम	3 वर्ष	4 अंश पूंजी	5 आरक्षित पूंजी	6 लाभ	7 बैंक से प्राप्त पेशगियां
1.	हेल्थ एम्पलाईज	1981-82	1190.00	—	165.15	शून्य
	एन०ए०सी० कंज्यूमर्स	1982-83	1190.00	5387.42	6028.56	शून्य
	कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड	1983-84	1190.00	5387.42	569.88	शून्य

1	2	3	4	5	6
2. कृष्णा नगर	1981-82	31050.00	शून्य	2730.29	शून्य
कोआपरेटिव	1982-83	31050.00	शून्य	1653.09	शून्य
कंज्यूमर्स स्टोर लि०	1983-84	31050.00	शून्य	8869.89	शून्य
3. प्रीति कंज्यूमर	1981-82	5030.00	41.00	410.50	शून्य
कोआपरेटिव	1982-83	5030.00	128.70	1281.70	शून्य
स्टोर लि०	1993-84	5030.00	1196.00	11962.80	शून्य

नये चीनी एककों के लिये आशय-पत्र जारी करना

5324. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये चीनी एककों के लिये जारी किये गये आशय-पत्रों में यह विशेष रूप से उल्लिखित है कि संपत समित द्वारा उल्लिखित रियायतें नये एककों को तभी उपलब्ध होंगी जबकि वे 39 महीनों के भीतर उत्पादन करना प्रारंभ कर दें; और

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया है कि नये एकक वास्तव में 39 महीनों के भीतर उत्पादन करने में समर्थ हैं और ऐसे कितने एकक उक्त समिति द्वारा सिफारिश की गई रियायतों का लाभ उठा रहे है और इनका लाभ प्राप्त न कर सकने वाले एककों की संख्या कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) नयी चीनी परियोजनाओं के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है कि एसे यूनिटों के लिए संशोधित प्रोत्साहन योजना की रियायतें तभी उपलब्ध की जाएंगी जब वे 39 महीनों के अन्दर उत्पादन शुरु कर देते हैं।

(ख) लाइसेंस शुदा नयी चीनी परियोजनाओं (अक्तूबर, 1980 से अर्थात् छठी योजना की शुरुआत से) और जो अब तक स्थापित की गई है, के बारे में एक मूल्यांकन किया गया है। स्थिति यह है कि 19 परियोजनाओं में से, 10 ने संशोधित प्रोत्साहन योजना में परिकल्पित निर्धारित अवधि के अन्दर परियोजना के पूरा हो जाने के बारे में सूचित किया है । इनमें तीन पहले से ही संशोधित प्रोत्साहन योजना के लाभ उठा रही हैं और शेष 7 मामले सरकार के विचाराधीन हैं ताकि संशोधित प्रोत्साहन योजना के पैरामीटरों के अधीन उनकी पात्रता अथवा अन्यथा के बारे में पता लगाया जा सके। शेष मामले ऐसी नयी चीनी फैक्ट्रियों के हैं जोकि उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित इस अवधि के अन्दर अपनी परियोजना पूरी नहीं कर सकी थीं और इस प्रकार के इस योजना के लाभ नहीं उठा पायी हैं।

विझिनजम में एक शुष्क पत्तन का निर्माण

5325. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विझिनजम में एक शुष्क पत्तन के निर्माण का विचार है;

(ख) क्या इस योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से विझिंजम में एक शुष्क गोदी का निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । 1 अक्तूबर, 1983 में प्राप्त हुए प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार परियोजना की लागत 478.30 लाख रुपये होगी । इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि इसमें आवश्यक मरम्मत संबंधी सुविधाओं में प्रति वर्ष लगभग 150 मत्स्यन जलयान आ सकें । तथापि, सातवीं योजना की मात्स्यकी क्षेत्र की योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

प्रकाशकों को आबंटित अखबारी कागज

5327. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशकों को वर्ष 1984-85 में कुल कितने मीट्रिक टन अखबारी कागज का आबंटन किया गया;

(ख) क्या प्रकाशकों को अखबारी कागज के अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रकाशकों की अखबारी कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1984-85 के दौरान भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा 4,55,742 मीट्रिक टन अखबारी कागज का आबंटन किया गया था ।

(ख) से (घ) जी, नहीं । अखबारी कागज की समग्र उपलब्धता संतोषजनक रही । 1985-86 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक अखबारी कागज की निर्विघ्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए गए हैं ।

विभिन्न देशों से ताड़ के तेल का आयात

5328. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किस वर्ष से विभिन्न देशों में ताड़ का तेल आयात कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में कुल कितने ताड़ के तेल का आयात किया गया है; और

(ग) उन देशों से वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितने टन ताड़ तेल का आयात करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्य तेलों, जिसमें ताड़ का तेल भी शामिल है, का आयात 2.12.78 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई ताड़ के तेल की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	आयात की गई मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1982-83	5.16
1983-84	6.08
1983-85 (अनन्तिम)	7.04

(ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान ताड़ के तेल सहित खाद्य तेलों का आयात, देशी तेलों की वास्तविक उपलभ्यता, खाद्य तेलों की सम्भावित मांग, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य-स्थिति आदि बातों पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न की सप्लाई

5329. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न सप्लाई किए जाते हैं, के लिए अधिक खाद्यान्न की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति जन दिवस के लिए खाद्यान्नों की वर्तमान मात्रा को बढ़ाया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो प्रति जन-दिवस मात्रा में कितनी वृद्धि की जानी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) व (ख) नियमित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में एक किलोग्राम प्रति श्रमदिन की दर से खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 हेतु विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केवल इसी मानदंड पर तैयार किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाजों तथा दालों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की समिति

5330. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में पैदा किए जाने वाले अनाजों तथा दालों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने समिति के निष्कर्षों के अनुसार अनाजों तथा दालों के समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए समिति के निष्कर्ष केन्द्रीय सरकार तथा कृषि मूल्य आयोग को भेज दिए हैं;

(ग) समिति के अनुसार वर्ष 1982-83, 1983-84 और लामक 1984-85 के दौरान अनाजों तथा दालों की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत क्या थी और कृषि मूल्य आयोग ने इन वर्षों के लिए अनाजों तथा दालों के क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किए;

(घ) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्यों से बहुत कम थे; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर): (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सरकार को समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने के लिये वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिये धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, तुर और मूंग के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के आंकड़े कृषि मूल्य आयोग, जिसका नाम बदल कर अब कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया है, को सप्लाई किये थे ।

(ग) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिये राज्य सरकार द्वारा भेजे गये अनाज और दलहनों के उत्पादन लागत सम्बन्धी अनुमान तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये समर्थन मूल्य संलग्न विवरण एक और दो में दिये गये हैं ।

(घ) और (ङ) कृषि लागत और मूल्य आयोग राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये उत्पादन लागत सम्बन्धी अनुमानों की जांच करता है । तथापि, मूल्य नीति की सिफारिश करते समय आयोग, प्रमुख फसलों की खेती/उत्पादन की लागत का अध्ययन करने सम्बन्धी वृहत योजना, जिसे 16 राज्यों में चलाया जाता है, द्वारा दिये गये उत्पादन लागत सम्बन्धी अनुमानों पर निर्भर करता है । इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के संदर्भ में सन्तुलित समेकित मूल्य संरचना को तैयार करना है । इससे पता चलता है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों को मूल्य निरुपण प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करते समय आयोग उत्पादन और मूल्यों के रुख, आदान मूल्यों में परिवर्तन, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे विभिन्न अन्य घटकों पर विचार करता है यह देखा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने 1984-85 के लिये सभी जिन्सों और विशेषकर धान और गेहूँ जैसे आवश्यक धान्यों के लिये उच्च मूल्यों की सिफारिश की, जो कि अधिक से अधिक क्रमशः 274.22 और 373.85 रुपये प्रति क्विंटल थे । इन उच्च मूल्यों को स्वीकार करने से अर्थव्यवस्था पर हानिकर प्रभाव पड़ेगा, जिससे अत्यधिक मुद्रास्फीति, जीवन निर्वाह की उच्च लागत और वेतन स्तर में वृद्धि होगी, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी नहीं है ।

विवरण-एक

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई उत्पादन लागत (रुपये प्रति क्विंटल में)

फसल	1982-83 (फसल)		1983-84 (फसल)		1984-85 (फसल)	
	उत्पादन लागत	उत्पादन लागत जमा लाभ जमा परिवहन और विपणन व्यय	उत्पादन लागत	उत्पादन लागत जमा लाभ जमा परिवहन और विपणन व्यय	उत्पादन लागत	उत्पादन लागत जमा लाभ जमा परिवहन और विपणन व्यय
धान	159.47	196.22	193.97	252.53	211.86	274.22
ज्वार	148.97	184.51	184.62	240.40	197.33	256.02
बाजरा	252.40	300.89	301.95	381.47	324.69	408.80
गेहूं	254.42	320.82	290.02	366.11	296.81	373.85
चना*	416.40	516.38	446.95	554.35	486.20	603.20
तुर**	268.87	344.04	261.23	336.52	315.52	453.00
मूंग***	364.40	एन. ए.	392.70	492.66	449.16	611.22

एन. ए. उपलब्ध नहीं।

* कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा और उपभोग किये गये संयुक्त आदानों के अनुपात, 1980-81 और अब तक क्षेत्र के आधार पर अन्य फसलों के अनुपातिक रूप से 1980-81 मौसम के दौरान खेती सर्वेक्षण की लागत पर स्थायी योजना के अन्तर्गत एकत्र किये गये आंकड़ों के आधार पर उत्पादन लागत का अनुमान लगाया गया।

** 1975-76 और अब तक जलगांव जिले में सी. ए. डी. ए. गिरन परियोजना में एम. पी. के. वी. राहूरी द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर उत्पादन लागत का अनुमान लगाया गया।

*** तुर खेती की लागत पर राज्य में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, खरीफ मौसम 1980-81 के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला द्वारा कपास की फसल के लिये एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग किया गया है क्योंकि नागौर क्षेत्र में तुर की फसल कपास की फसल के साथ उगायी जाती है।

विवरण दो

अनाज और दलहनों के अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)

फसल/किस्म	1982-83 (फसल)		1983-84 (फसल)		1984-85 (फसल)	
	जैसी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई है।	जैसा कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है	जैसी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई है	जैसी कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है।	जैसी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई है।	जैसा कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है।
1	2	3	4	5	6	7
सामान्य धान	122.00	122.00	132.00	132.00	137.00	137.00
ज्वार, बाजरा	118.00	118.00	124.00	124.00	130.00	130.00
मक्का, रागी एफ. ए. क्यू. गेहूं एफ. ए. क्यू.	151.00	151.00	155.00	152.00	157.00	157.00
जौ एफ. ए. क्यू.	116.00	122.00	119.00	124.00	124.00	130.00
(भूसीरहित)	127.00	(भूसीरहित)	130.00			
चना एफ. ए. क्यू.	235.00	235.00	240.00	240.00	245.00	—
अरहर एफ. ए. क्यू. (तुर)	215.00	215.00	245.00	245.00	275.00	275.00
मूंग एफ. ए. क्यू.	240.00	240.00	250.00	250.00	275.00	275.00
उड़द एफ. ए. क्यू.	230.00	230.00	245.00	245.00	275.00	275.00

एफ. ए. क्यू. : औसत अच्छी किस्म

राज्यों में बाल श्रमिकों सम्बन्धी सलाहकार बोर्डों का गठन

5331. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों को बाल श्रमिकों सम्बन्धी बोर्डों के गठन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के निर्देश कब जारी किए;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस प्रकार के सलाहकार बोर्ड का गठन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) जुलाई, 1980 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे बाल श्रमिकों के बारे में राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करें।

(ग) और (घ) केरल सरकार से सूचना प्राप्त होनी है।

बाल श्रम सम्बन्धी सर्वेक्षण

5332. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम कक्ष ने आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ोदा और मद्रास इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा शिवकाशी स्थित माचिस उद्योग में बाल श्रम सम्बन्धी सर्वेक्षण शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं और क्या सिफारिशें की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) मंत्रालय ने दो अध्ययन करवाए, अर्थात-(1) आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ोदा द्वारा भारत में कामकाजी बालक और (2) मद्रास इन्सटिट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज, मद्रास द्वारा रामनाथपुरम जिले में माचिस उद्योग में अध्ययन।

एक विवरण संलग्न है जिसमें आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा भारत में कामकाजी बालकों सम्बन्धी मुख्य सिफारिशें दी गई हैं। मद्रास इन्सटिट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

विवरण

कामकाजी बच्चों के अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर आधारित मुख्य सिफारिशें :—

1. बच्चे की आयु या लिंग कुछ भी होते हुए यदि नियोजित किए गए बच्चे को कठिन काम दिया जाता है तो इसे प्रतिषिद्ध किए जाने की आवश्यकता है चाहे वह काम समाज या परिवार के लिए कितना ही लाभकारी या कम अवधि वाला या तत्काल स्वरूप का ही क्यों न हो।

2. बच्चे को काम देते समय आयु-पाबंदी के साथ, काम की अवधि पर भी पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि किसी भी कार्य में उसकी अन्तर्गस्तता सामान्यतः एक दिन में तीन घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. घरेलू काम के बहाने किसी भी बच्चे को उसके वैध विकास अधिकारों और मां-बाप की देख रेख मे अपनी पसंद का काम करने की स्वतन्त्रता से वंचित नहीं करना चाहिए।

4. बाल श्रम कानूनों को सामान्यतः बच्चों की देख-रेख तथा कल्याण पर ध्यान देना चाहिए और निष्ठापूर्वक इन कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।

5. पारिवारिक कल्याण पर अधिक ओर देना चाहिए ताकि बच्चे की आवश्यक देख-रेख की जा सके और बाल श्रम की विद्यमानता को रोका जा सके।

6. कामकाजी बच्चों को ऐसा काम दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें अपनी सरलता तथा सादगी के बावजूद भी श्रम के महत्व को समझने में सहायता मिलती हो।

7. कामकाजी बच्चों को कोई जोखिमपूर्ण काम नहीं देना चाहिए और उनका काफी बड़ी राशि का जोखिम-बीमा किया जाना चाहिए।

8. प्रत्येक अपंग और अनाथ बच्चे को उसके किसी प्रकार के शोषण से बचाया जाना चाहिए। उन्हें कभी बिक्री योग्य वस्तु जैसे बाल-वैश्या, गलियों में कलाबाजी दिखाने वाले, अनुकूल स्थानों या चलती गाड़ियों में भीख मांगने वाले, आदि नहीं बनाया जाना चाहिए।

9. कार्य पर्यावरण के गुण और अवगुणों का निर्धारण करते समय, ग्रामीण और शहरी कामकाजी बच्चों में अन्तर किया जाना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः बच्चे अपने माँ-बाप की देख-रेख से यदि पूर्णतः नहीं तो काफी हद तक अवश्य वंचित रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे किशोरावस्था में अपराध करने लग जाते हैं।

भूमि की चकबन्दी के लिए विशेष कार्यक्रम

5333. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमि की चकबन्दी, भू-संरक्षण और जल प्रबन्ध व्यवस्था के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरु करने का है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) वर्ष 1985-86 में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भूमि की चकबन्दी के लिए विशेष कार्यक्रम शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चालू कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अलावा, जल प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। चालू भूमि संरक्षण कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में कुछेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) व (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का निर्यात

5334. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार चावल का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में कौन से देशों को चावल का निर्यात किया जाएगा;

(ग) वर्ष 1985-86 में अन्य कौन से खाद्यान्नों का निर्यात करके का विचार है; और

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के निर्यात के बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकारी खाते पर चावल का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकारी खाते पर केवल गेहूं का निर्यात करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1985 के दौरान लगभग छ: लाख मी० टन गेहूं का निर्यात करने के लिए वचन दिया जा चुका है । यथाव्यवहार्य और निर्यात किया जाएगा ।

मछली पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन लोगों का पुनर्वास

5335. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मछली पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के निर्धन वर्गों के लोगों के आर्थिक पुनर्वास करने के प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां छठी योजना में खारा पानी मछली पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त लोगों का आर्थिक पुनर्वास किया गया है; और

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के अन्तर्गत आर्थिक पुनर्वास किए जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र विकास अवधारण के आधार पर खारे पानी में मछली पालन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बगाल नामक समुद्रतलीय राज्यों में ऐसे कार्यक्रम शुरु करने के लिए स्वीकृति दे दी गयी है । इसके अतिरिक्त, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में नमक की अधिक लवणीय भूमिगत जल क्षेत्र के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हरियाणा में एक प्रायोजित कार्यक्रम शुरु किया गया है ।

छठी योजना के दौरान उपर्युक्त राज्यों में खारे पानी में मछली पालने की योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए क्षेत्र विकास कार्य पूरा होने पर अनुमान है कि निर्धन मत्स्य पालकों के 600 परिवारों को आर्थिक पुनर्वास का लाभ पहुँचेगा।

ढोर परियोजनायें

5336. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाम (आंध्र प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), रहूड़ी, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) और हिसार (हरियाणा) में किन प्रयोजनों से ए० आई० सी० आर० पी० ढोर परियोजनाएं स्थापित की गई थीं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या "लाम" केन्द्र के मामले में भारतीय कृषि परिषद् द्वारा 1 अप्रैल, 1985 से सहायता वापस लिए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लाम केन्द्र को सहायता जारी रखने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है क्योंकि यह ओंगोल नस्ल सम्बन्धी कार्य करने वाला दक्षिण भारत का अपनी किस्म का एकमात्र केन्द्र है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) विभिन्न केन्द्रों में जिन उद्देश्यों के लिए अखिल भारतीय समन्वित गो पशु अनुसंधान प्रायोजनाओं की स्थापना की गई थी वे निम्न प्रकार हैं :

1. संकर प्रजनन द्वारा स्थानीय नस्लों से डेयरी गो पशुओं की एक नस्ल/प्रजाति का विकास करना जो विशेषीकृत डेरी फार्मों, अधिक दूध उत्पादक क्षेत्रों एवं व्यावसायिक दूध उत्पादन के अन्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हों। जिस गाय को तैयार करना है वह प्रति ब्यांत कम से कम 2000 किलो दूध दे सके तथा सामूहिक पशुओं का औसत दूध उत्पादन एक ब्यांत काल में 3200 किलो० दूध होना चाहिए, और उसमें वसा की मात्रा 3.5 प्रतिशत से कम न हो। तैयार की गई नस्ल/प्रजाति पर्यावरण में अच्छी तरह रह सके और उसमें प्रजनन की क्षमता हो।
2. इस उपरोक्त कार्य के लिए गोपशुओं के तीन विदेशी नस्लों के साथ चुनी गई भारतीय नस्लों के विभिन्न प्रकार की संकर नस्लें तैयार करना और उनकी बढ़वार, उत्पादन, पुनरोत्पादन क्षमता और कम खर्च में उत्पादन के लिए उनकी जाँच करना।
3. इस कार्यक्रम की सहायता के लिए पोषण, शरीरक्रिया विज्ञान, प्रबन्ध और रोग नियन्त्रण पर सहायक अध्ययन शुरु करना।

नतीजों से पता चला है कि होलेस्टीन क्रासेज जिन पर कृषि जलवायु का असर नहीं होता है और जो देशी नस्ल है, सबसे अधिक दूध दिया। इसके बाद ब्राउन स्वीस और जर्सी नस्लों का है। एक या दूसरे विदेशी नस्लों से 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी वंशानुगतता को प्रयोग में लाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित मवेशी प्रजनन अनुसंधान प्रयोजना से लाभ सेन्टर को निकालने का प्रस्ताव है। जुलाई, 1985 तक अन्तिम रिपोर्ट मांगी गई है किन्तु प्रायोजना से इसे किस तिथि को निकाला जाय, यह निर्णय अभी किया जाना है। इस प्रस्ताव के निम्नलिखित कारण हैं।

1. पशुओं को हरे चारे की उपयुक्त आपूर्ति से इस प्रायोजना के तकनीकी कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

2. पिछले 3-4 वर्षों में संकर नस्लों के कार्य में गिरावट आई है।

3. मध्यावधि समीक्षा समिति ने कहा कि जब तक सिंचाई की सुविधाओं को अच्छी भली-भांति बढ़ाया नहीं जाता तब तक पशुओं को अधिक संख्या में रखा जाना संभव नहीं होगा।

4. इस स्थिति पर जनवरी, 1985 में इज्जतनगर में हुई लघु समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए अध्यक्ष महोदय 3 माह देने के लिए सहमत हो गए थे फिर भी, प्रायोजना समन्वयक (पशु प्रजनन) ने कोई सुधार नहीं पाया।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित होने वाले प्रस्तावित मवेशी निदेशालय के अन्तर्गत "देशी मवेशियों का सुधार" नामक प्रायोजना में लाभ केन्द्र शामिल किए जाने का एक प्रस्ताव है।

लक्षद्वीप के लिए कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना

5337. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लक्षद्वीप समूह के लिए एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) फिलहाल संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कतिपय कार्य परियोजनाओं का शामिल किया जाना

5338. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा हाल में आयोजित विचार गोष्ठी में तिलहन, दालें आदि के उत्पादन से सम्बन्धित कतिपय फार्म परियोजनाओं को उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव का अध्ययन किया है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया (ए०एस०एस०ओ०सी०एच०ए०एम०) ने 28 मार्च 1985 को "कृषि विकास के लिए निगमित क्षेत्र का योगदान" पर मद्रास में एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी । इस विचार गोष्ठी ने उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में फार्म परियोजनाओं को शामिल करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की । मोटे तौर पर इस विचार गोष्ठी ने यह निष्कर्ष निकाला कि सब्जियों, फलों, फूलों, मांस उत्पादों आदि, तिलहनों तथा दलहनों के निर्यात जैसे कतिपय कृषि संबंधी क्षेत्रों में आधुनिक प्रबंध तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में "मिनी वाटर शैड" का पता लगाया जाना

5339. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विभिन्न आवाह (कैचमेंट) क्षेत्रों में वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान अनेक मिनी वाटर शैडों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ "मिनी वाटर शैडों" में पिछले दो वर्षों के दौरान भूमि और जल संरक्षण हेतु कोई उपाय किए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां ।

(ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन-स्तर को ऊंचा उठाने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से लगभग 341 सूक्ष्म पनधाराओं, जिनके अंतर्गत 64, 8000 हैक्टार क्षेत्र है, का विस्तृत विकास शुरू किया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) लगभग 5589 हैक्टार क्षेत्र को भूमि विकास के लिए चुना गया है जिसमें मृदा संरक्षण उपाय भी शामिल हैं और लगभग 608 जल उपयोग/भण्डारण संरचनाएं प्रतिष्ठापित की गई हैं ।

पश्चिम बंगाल को गेहूं, चावल और दालों की सप्लाई

5340. श्री चित्त महाता : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के लिए गेहूं, चावल और दालों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की मांग कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मांग को पूरी तरह पूरा करने का है; और

(ग) इस राज्य को सप्लाई की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की मात्रा कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 22.60 लाख मीटरी टन गेहूं और 13.20 लाख मीटरी टन चावल आबंटित किया गया था जबकि कुल मांग क्रमश: 23.10 लाख मीटरी टन और 18.50 लाख मीटरी टन थी। केन्द्रीय पूल से आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं। केन्द्रीय पूल से दालें आबंटित नहीं की जाती हैं।

चीनी एककों के सम्बन्ध में सम्पत समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

5341. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 से 4 वर्ष की नियमित पिराई के पश्चात् भी नए चीनी एककों को सम्पत समिति में परिकल्पित रियायतें नहीं मिली हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप यह नए एकक वित्तीय संस्थानों को अपने ऋणों की वापसी अदायगी करने में असमर्थ हैं;

(ग) क्या इन एककों ने यह ऋण रियायतों को ध्यान में रखते हुए लिए थे और ये रियायतें देने में और अधिक विलम्ब करने से उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) नयी चीनी फैक्ट्रियों को सम्पत समिति द्वारा और संशोधित प्रोत्साहन योजनाओं में परिकल्पित नियमावली के अधीन अपनी पात्रता को सिद्ध करना होगा। अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए नयी चीनी फैक्ट्रियों को संशोधित प्रोत्साहन योजना में उल्लिखित रियायतें परियोजना को पूरा हुई समझा जाने तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उसकी पात्रता सिद्ध हो जाने के तुरन्त बाद उनकी हकदारी से नीचे के एक अथवा दो स्लेब पर अनन्तिम आधार पर दी जाती हैं। सामान्यतया नयी चीनी परियोजनाओं को संशोधित प्रोत्साहन योजना के अधीन ऐसी परियोजना के लिए जो प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे उनकी सम्भावित मात्रा को ध्यान में रखते हुए उनकी समूची आर्थिक सक्षमता को दृष्टि में रखकर केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं और अन्यों द्वारा ऋण दिए जाते हैं। यदि नयी परि-

योजना पात्रता की सभी कसौटियों पर खरी उतरती है तो उस दशा में अनन्तिम प्रोत्साहन देने में कोई विलम्ब नहीं किया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्थर खदान मजदूरों के विवाद को हल करने के लिए त्रिपक्षीय समिति की बैठक

5342. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री ने 20 मार्च, 1985 को सभा में यह आश्वासन दिया था कि फरीदाबाद में पत्थर खदान मजदूरों जिनमें से अधिकांश बाहर से आए बंधुआ मजदूर हैं, के विवाद को हल करने के लिए शीघ्र एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से मजदूरों के विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह विवाद कब तक हल हो जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने के बारे में आश्वासन दिया गया था । त्रिपक्षीय बैठकें 30 मार्च, 1985, पहली अप्रैल, 1985, 16 अप्रैल, 1985 और 25 अप्रैल, 1985 को हुई थीं । इस बीच, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि उसके द्वारा वर्ष 1983 में जारी किए गए निदेशों के सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाए । उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाटों के अनुसार खदान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना के संबंध में एक निदेश भी जारी किया है ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए एक स्वायत्त निगम

5343. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री बी० बी० रमैया } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे जन प्रचार साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार वर्गीज समिति की सिफारिशों के प्रति अपने दृष्टीकोण की पुनरीक्षा करेगी और दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रबंध एक स्वायत्त निगम को सौंपेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) माध्यमों को ये स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हुए हैं कि उनका मार्गदर्शन वस्तुनिष्ठता और निष्पादिता द्वारा किया जाना चाहिए तथा उनका उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना होना चाहिए । माध्यम इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन कर रहे हैं । इसके आलावा, दोनों माध्यमों को सभी व्यावसायिक पहलुओं में स्वतंत्रता और कार्यात्मक स्वायत्ता प्राप्त है ।

उक्त को देखते हुए इस निर्णय का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा जाता कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगम में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है ।

रेडियो और टी० वी० कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में भारत सोवियत संघ के बीच समझौता

5344. श्री राम प्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो और टी० वी० के कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के संबंध में हाल ही में भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग और आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम पर नई दिल्ली में 29 मार्च, 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे । कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(1) महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के अवसर पर कार्यक्रमों का आदानप्रदान;

(2) एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों को मनाना और भारत-सोवियत मैत्री के महीनों को कवर करना;

(3) सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घटनाओं के सम्बन्ध में सामग्री तैयार करने के लिए फिल्मी दलों का आदान-प्रदान;

(4) राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय वर्षों को मनाने सम्बन्धी मामलों पर कार्यक्रमों का आदान-प्रदान;

(5) सोवियत और भारत के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं, इनके देशों में प्रगति के विभिन्न पहलुओं तथा सोवियत संघ और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्धों और सहयोग को प्रतिबिम्बित करने वाले रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान; तथा

(6) अनुभव का आदान–प्रदान करने, कार्यक्रम तैयार करने और सहयोग के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए टेलीविजन और रेडियो सम्बन्धी विभिन्न घटनाओं में भाग लेने के लिए रेडियो और टेलीविजन के प्रतिनिधि मंडलों या अधिकारियों का आदान-प्रदान ।

हरियाणा में गेहूं का उत्पादन

5345. श्री राम प्रकाश : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में इस समय गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज क्या है; और

(ख) हरियाणा में निकट भविष्य में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) फसल वर्ष 1983-84 के दौरान हरियाणा में गेहूं का प्रति हैक्टार उत्पादन 2499 कि० ग्राम था। वर्ष 1984-85 के लिए गेहूं के अन्तिम अनुमान अभी राज्य से देय नहीं हुए हैं।

(ख) निकट भविष्य में हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करने के कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) कृषि आदानों जैसे प्रौद्योगिकी बीजों, उर्वरकों, उपस्करों, पौध संरक्षण रसायनों, ऋण इत्यादि की ठीक समय पर, आसान और समुचित आपूर्ति,

(2) अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना,

(3) समेकित पौध संरक्षण उपाय अपनाना,

(4) अनुसंधान और विस्तार प्रयासों को तेज करना ताकि, नई प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिक किसानों तक पहुंचाया जा सके,

(5) फसल बीमा इत्यादि के माध्यम से समुचित जोखिम उठाना; और

(6) मूल्य और बाजार समर्थन

उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला

5347. **श्री के० राममूर्ति** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 11 और 12 मार्च, 1985 को उपभोक्ताओं के संरक्षण के बारे में आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला से क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ख) देश के उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के बारे में 11 तथा 12 मार्च, 1985 को आयोजित की गई दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सरकार, व्यापार तथा उद्योग और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जायें और इस कार्य में विभिन्न प्रचार माध्यमों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए।

(क) उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों को लागू करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ सरकार उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहन दे रही है।

तिलहनों का उत्पादन

5348. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू रबी फसल के दौरान तिलहन की एक और रिकार्ड फसल होने की आशा है, जो पिछले सीज़न के 55 लाख टन के उत्पादन से अधिक होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरी क्षेत्र में शरद/शीत कालीन वर्षा न होने के कारण तिलहन उत्पादन की संभावनाओं के बारे में चिंता पैदा हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो वर्षा न होने का तिलहन उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार को खराब मौसम के कारण फसल को हुई कुछ क्षति के बावजूद तिलहन उत्पादन के समग्र उत्पादन के सम्बन्ध में राज्यों से नवीनतम जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ङ) तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) तिलहन उत्पादन से विदेशों के खाद्य तेलों का आयात कितना कम हो जाएगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) राज्यों से 1984-85 की अवधि तक के रबी तिलहनों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि राज्यों आदि से प्राप्त हुई आरंभिक रिपोर्टों के आधार पर, हाल ही में यह मूल्यांकन किया गया है कि 1984-85 के दौरान रबी तिलहनों का उत्पादन गत वर्ष के 55 लाख मीटरी टन के स्तर से अधिक होगा। कुल मिलाकर उत्तरी क्षेत्र में शरत/शीतकाल को अपर्याप्त वर्षा का तिलहनों के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) 1983-84 तक चालू तिलहन विकास की योजनाओं का नवीकरण तथा एकीकरण करके 1984-85 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना मंज़ूर की गई है। इस परियोजना को सातवीं योजना के दौरान जारी रखे जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत् आने वाले क्षेत्र में वृद्धि करके उन्नत पैकेज की पद्धतियां अपनाकर मूल आदानों की आपूर्ति तथा बड़े पैमाने पर बीज तथा उर्वरक के मिनिकिटों का निशुल्क वितरण आदि करके परम्परागत तथा गैर–परम्परागत, दोनों प्रकार के तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त एक लाभकारी मूल्य नीति भी तैयार की जा रही है ताकि कृषकों को तिलहनों की खेती आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

(च) विदेशों से खाद्य तेलों के आयात का निर्णय करते समय तिलहनों के वर्धित उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है।

असामयिक बरसात के कारण हरियाणा में गेहूं की फसल को क्षति

5349. **श्री बी०बी देसाई :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनचाही बरसात और तेज हवाओं के कारण केवल हरियाणा में ही गेहूं की फसल को 10-15 प्रतिशत तक क्षति पहुंचने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनचाही बरसात और आंधी ने गेहूं के उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाया है;

(ग) यदि हां, तो गेहूं उत्पादक राज्यों को मार्च/अप्रैल, 1985 के दौरान कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) चालू वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य सरकारों द्वारा बीज योजनाएं

5350. **श्री बी०वी० देसाई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अगले तीन वर्षों के लिए तुरन्त बीज योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है ताकि केन्द्रीय सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से "ब्रांडर" "फाउण्डेशन" और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के बारे में निर्णय ले सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी बीज योजनाओं के बारे में सूचित किया है; और

(ग) क्या कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, ताकि इन्हें सातवीं योजना के लक्ष्यों में शामिल किया जा सके ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी बीज-योजना के बारे में सूचित किया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्मरण कराया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने प्रस्तावित बीज प्रतिस्थापन दरों के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक अंतरिम बीज वितरण कार्यक्रम तैयार किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने विचार/स्वीकृति भेजने का अनुरोध किया गया है। उनके विचार प्राप्त होने के बाद सातवीं पंचवर्षीय बीज योजना संबंधी लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार

5351. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक संबंधों के वातावरण को बेहतर बनाने और औद्योगिक रुग्णता में हो रही भारी वृद्धि, जिससे देश में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, को रोकने हेतु कोई कदम उठाये हैं और अग्रेतर उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उठाये गये प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को क्या सुझाव दिए हैं;

(घ) मजदूर संघों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की ओर से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ङ) इस मामले में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ख) कुछ उद्योगों में रुग्णता के मामलों को छोड़कर देश में औद्योगिक संबंध स्थिति में सुधार हुआ है। इन रुग्ण यूनिटों को पुनर्वासित करने के लिए दांडिक ब्याज को माफ करने, ब्याज के लिए रुपया लगाने, ब्याज और मारजिन की दर में कमी, अधिशोध्य दायित्व की पुनः सूची तैयार करने और आवश्यकता पर आधारित कामकाज पूंजी और मीआद ऋण सुविधाएं प्रदान करने जैसी रियायतें दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ 9 और 10 अप्रैल, 1985 को हुए विचार-विमर्शों से देश में औद्योगिक संबंध स्थिति में और सुधार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सामान्य महत्व का पता लगा।

कर्नाटक में कृषि विश्वविद्यालय

5352. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में बंगलौर शहर के बाहर की तरफ कोई कृषि विश्वविद्यालय है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के उत्तरी भागों की आवश्यकता पूरी करने हेतु धारवाड़ में एक अन्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है अर्थात कर्नाटक राज्य में बंगलौर स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। फिर भी, बंगलौर (कर्नाटक) स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के अपने दो परिसर हैं जो धारवाड़ और मंगलोर में हैं और बंगलौर शहर के बाहर स्थित हैं।

(ग) जी नहीं श्रीमान।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

महाराष्ट्र में नारियल की पौध का उत्पादन और वितरण

5353. **श्री आर०एम० भोये** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से उस राज्य में नारियल की पौध का उत्पादन करने और उसका वितरण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने एक क्षेत्रीय पौधशाला और संकर बीज उद्यान की स्थापना करने के लिए नारियल विकास बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था। नारियल विकास बोर्ड द्वारा 19.38 लाख रुपये से क्षेत्रीय पौधशाला संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया गया है और 1984-85 में 1 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिये हैं। संकर बीज बाग संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड विचार कर रहा है।

फसल बीमा योजना

5354. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों द्वारा फसल बीमा कराने के लिए क्या व्यवस्था है और कृषि कार्यों में लगे किसी पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने हेतु सौ जिलों का चयन करने के लिए क्या मानदंड है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्यसरकारों के बीच कोई बैठक आयोजित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकार) : (क) गेहूं, धान, मक्का, दलहन और तिलहनों के लिये हाल ही में एक व्यापक फसल बीमा योजना को अन्तिम रूप दिया गया है। यह योजना उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू होगी जो इसके लिये सहमत होंगे। इस योजना में ऋण लेने वाले वे सभी किसान शामिल होंगे जो अपनी फसलों के लिये सहकारी बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेते हैं। यह योजना 1985 की खरीफ फसल से शुरू होगी और इसे भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जायेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की एक बैठक पहली मई, 1985 को हुई जिसमें 1985 की खरीफ फसल से इस योजना को लागू करने से संबंधित बातों पर पूर्ण विचार विमर्श किया गया।

पश्चिम बंगाल में उचित दर की दुकानों में बेचे गये चावल का मूल्य

5355. **श्री प्रिय रंज दास मुन्शी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में किस भाव पर (प्रति किलोग्राम) चावल बेचा गया था और उनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान उनकी मात्रा कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : पश्चिम बंगाल सहित, सभी राज्य सरकारों को चावल एक-समान निर्गम मूल्य पर बेचा जाता है । यह मूल्य 1.10.1982 से साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के लिए क्रमश: 188 रुपये, 200 रुपये और 215 रुपये प्रति क्विंटल और 16.1.1984 से इन्हीं किस्मों के लिए यह मूल्य क्रमश: 208 रुपये, 220 रुपये और 235 रुपये प्रति क्विंटल था ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल ने निम्नलिखित चावल उठाया है :—

	हजार मीटरी टन में
1982-83	1592.5
1983-84	1290.5
1984-85	869.6 (अनन्तिम)

गन्ने की खरीद के लिए स्थान निर्धारित करना

5356. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ने की खरीद के लिए तीन विभिन्न स्थान निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के किसानों ने भी केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश की भांति गन्ने की खरीद के लिए महाराष्ट्र में तीन अलग-अलग स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र में इसी प्रकार की व्यवस्था कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग में विविधता लाना

5357. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग से विविधता लाकर नये क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग को कहां तक लाभ होगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं।

सौराष्ट्र में मूंगफली की उपज में कमी आना

5358. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में, पिछले पांच वर्षों के दौरान मूंगफली की प्रति हेक्टेयर औसत उपज में कमी आ रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस समस्या की जांच करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत एक जांच समित बिठायी है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली की प्रति हैक्टार औसत-उपज में हर वर्ष मूंगफली उत्पादन की अवधि के दौरान मौसमी स्थितियों के कारण उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(ख) और (ग) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जूनागढ़ में मूंगफली संबंधी अनुसंधान कार्य तेज़ी से किया जा रहा है गोज-10, जे० 11, जे० एल० 24, जैसी मौजूदा उन्नत किस्मों जो फैलाव वाली और अच्छे गुच्छे देने वाले वर्ग की अधिक उपज देने वाली किस्में हैं, के अलावा जी० जी० 1 और जी० जी० 2 जैसी दो और किस्में विकसित की गई हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जूनागढ़ में एक राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है ताकि ऐसे प्रजनक सामग्री तैयार की जा सके जो रोग और कृमि अवरोधी हो, सूखा और शीत आदि सह सके तथा अधिक उपज देने वाली हो।

10वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान कुप्रबन्ध

[हिन्दी]

5359. **श्री सरफराज अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 10वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुप्रबन्ध और अव्यवस्था हुई थी और क्या उन्होंने इस मामले में कोई जांच कार्यवाई की है;

(ख) यदि हां, तो जांच करने वाले अधिकारी का नाम क्या है ? और उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कुप्रबन्ध के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भारत के दसवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन समारोह के अन्त में उस समय कुछ भ्रांति हो गई

थी जब इस अवसर पर उपस्थित महत्वपूर्ण फिल्मी हस्तियों का दर्शकों से परिचय कराने का प्रयास किया गया था। कुछ बातों के बारे में कुप्रबंध के बारे में प्रेस रिपोर्ट भी थी। तथापि, सरकार द्वारा किसी जांच का आदेश नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

एशियाड फ्लैटों के बिक्री की योजना

5360. **श्री सरफराज अहमद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेलगांव के फ्लैटों को बेचने के बारे में क्या योजनाएँ बनाई हैं और ये योजनाएं किन-किन तारीखों को बनी थी तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख क्या-क्या थी;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास आवेदकों की कितनी धनराशि जमा है;

(ग) आवेदकों को फ्लैट कब तक आबंटित किये जाने की सम्भावना है और यदि ये फ्लैट आबंटित करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हर बार योजनाओं को बदलने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) एशियाई खेल ग्राम परिसर में निर्मित 853 फ्लैटों को निम्न प्रकार बेचा जाना था :

(i) सरकार के दिनांक 6-6-1983 के निर्णय के अनुसार 599 फ्लैटों को विदेशी मुद्रा के बदले में प्रवासी भारतीयों को बेचा जाना था। नवम्बर, 1983 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1983 को निश्चित की गई थी जिसे कि दो बार क्रमशः जनवरी तथा फरवरी, 1984 के अन्त तक बढ़ाया गया था।

(ii) सरकार के दिनांक 6-12-1983 के निर्णय के अनुसार 254 फ्लैटों को राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को बेचे जाने थे।

(ख) (i) प्रवासी भारतीयों से कुल मिला कर 95 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और धरोहर राशि के रूप में 4,75,000 अमेरिकी डालर प्राप्त हुए थे। 67 आवेदन पत्र हाल ही में वापस ले लिये गये हैं। शेष जिन 28 आवेदकों को फ्लैट आबंटित किये गये उनमें से विदेशी मुद्रा में पूर्ण भुगतान के बाद 8 फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को बेचे जाने वाले 254 फ्लैटों में से 190 फ्लैट विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को आबंटित किये गये हैं और 21.32 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। शेष 64 फ्लैटों को शीघ्र ही बेचे जाने की सम्भावना है। राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के लगभग 277 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं।

(ग) शेष फ्लैट शीघ्र ही बेच दिये जायेंगे ।

(घ) प्रवासी भारतीयों से बहुत ही कम समर्थन मिलने के कारण केवल एक बार परिवर्तन की परिकल्पना की गयी है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का मकानों के लिए निर्माण के लक्ष्य

5361. **श्री सरफराज अहमद :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रति वर्ष एक लाख मकानों का निर्माण करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं और यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्माण सामग्री खरीद ली गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रति वर्ष 1 लाख मकानों के निर्माण की योजना बना रहा है ।

(ख) 59019 मकान निर्माण के विभिन्न सोपानों में हैं और 1985-86 के दौरान इनके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । 30,219 मकान प्रक्रियाधीन हैं जिनके निर्माण कार्य का 1985-86 के दौरान आरम्भ किये जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त कई नए आवास पाकिटों का पता लगाया गया है जिनमें 1985-86 के दौरान लगभग 70 मकान बनाए जायेंगे ।

(ग) मूलतः दिल्ली विकास प्राधिकरण ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्यों का निष्पादन करा रहा है और सीमेंट, इस्पात, पाइप इत्यादि जोकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी करने के लिए निर्धारित हैं, को छोड़ कर मकानों के लिए बाकी कच्चा माल प्रबन्ध ठेकेदारों द्वारा खुद ही किया जाता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है कि अनपेक्षित आकस्मिक खर्चों की शर्त पर इन सभी सामग्रियों को वह भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों के सहयोग से अपेक्षित मात्राओं में प्राप्त कर लेंगे ।

मूषक नियन्त्रण सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

[अनुवाद]

5362. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मूषक नियंत्रण सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राज्य सरकार के कृषि, खाद्य और पूर्ति विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का तरीका क्या होगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मई, 1974 में एक केन्द्रीय कृन्तक नियंत्रण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। दिसम्बर, 1979 में सचिव (कृषि और ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक अधिकारिक स्तरीय समिति स्थापित की गई। मार्च, 1982 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया जिसके अध्यक्ष सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, हैं। इस समिति में 17 सदस्य हैं जो संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति के कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. कृन्तक खतरे का उन्मूलन करने के लिए समेकित और सहकारी प्रयासों की योजना बनाना;
2. कृन्तक नियंत्रण कार्यक्रमों के संगठन में प्रशासन, वित्त इत्यादि से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना;
3. कृन्तक नियन्त्रण हेतु अपनाई जाने वाली नीतियों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना; और
4. राज्य कृन्तक नियन्त्रण समितियों के प्रयासों का समन्वयन करना।

(ग) इस समिति में राज्य सरकारों को क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य के कृषि और खाद्य तथा आपूर्ति विभागों के कृन्तक नियन्त्रण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन केन्द्रीय स्तर पर उपर्युक्त समिति तथा राज्यों में राज्य स्तर की कृन्तक नियन्त्रण समितियों द्वारा समन्वित किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण और रख-रखाव में दोषों का दूर किया जाना

5363. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मध्य आय वर्ग (फ्लैट) की विभिन्न कालोनियों के निवासियों के कल्याण संघों की आम शिकायत क्या है;

(ख) क्या उन शिकायतों में उल्लिखित निर्माण के दोषों और रख-रखाव की समस्याओं को दूर करने के लिये इंजीनियरिंग विभाग का कोई विशेष खण्ड है; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान निवासियों के कल्याण संघों की शिकायतों के अनुसार कालोनियों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) आम शिकायतें निम्न प्रकार हैं :—

1. मकानों के विभिन्न भागों में रिसन, निस्पन्दन तथा नमी।
2. पाइपों तथा नालियों में अवरोध तथा रिसन।

3. घटिया पलस्तर ।

4. ऊपरि जलटंकी के घटिया ढक्कन ।

5. फर्श की घटिया फिनिश ।

6. भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा के बारे में आशंका ।

7. बिजली के तारों की कोटि ।

8. घटिया काष्ठ कार्य ।

(ख) जी, नहीं । निर्माण तथा अनुरक्षण समस्याओं की त्रुटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग का सम्बन्धित डिवीजन ठीक करता है ।

(ग) त्रुटियों के सुधार का व्यय बहुधा योजनाओं पर लिया जाता है अतः त्रुटियों के सुधार पर किए गए व्यय का कोई पृथक हिसाब नहीं रखा जाता है ।

चावल और गेहूँ की सघन खेती

5364. श्री सोमनाथ रथ : } श्री हरिहर सोरन : } क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में चावल और गेहूँ की सघन खेती के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहाँ पर इस प्रकार की प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) उड़ीसा में इस प्रकार की परियोजनाएं कब से आरम्भ की गई हैं;

(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में चावल तथा गेहूँ की सघन खेती के कुल कितने क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1984-85 में असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्यों तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में चावल की सघन खेती के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है ।

(ग) और (घ) 1984-85 के दौरान उड़ीसा में चावल मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई और इस परियोजना को सात ब्लाकों में कार्यान्वित करने के लिए 66.01 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई ।

(ङ) 1984-85 के दौरान, उड़ीसा के चुनिंदा खण्डों में लगभग 1.13 लाख हैक्टार क्षेत्र चावल मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत लाया गया ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के रखरखाव आदि पर आने वाली लागत

5365. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों के रख-रखाव आदि की लागत वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) 1980 और 1984 के बीच की अवधि में खाद्यान्न के रख-रखाव आदि की वर्षवार प्रति टन लागत कितनी थी; और

(ग) गैर-सरकारी व्यापारियों की खाद्यान्नों के रख-रखाव आदि पर आने वाली लागत की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्यान्नों के भंडारण, संचलन और वितरण के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की हैंडलिंग लागत में वर्ष प्रतिवर्ष कुछ मामूली वृद्धि होती रही है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम की प्रति मीटर टन हैंडलिंग लागत नीचे दी जाती है :

क्र०	वर्ष	दर, प्रति मीटरी टन
1.	1980-81	290.50
2.	1981-82	378.70
3.	1982-83	439.10
4.	1983-84	393.50*

*मार्गस्थ और भंडारण हानियों के बिना

(ग) भारत सरकार को निजी व्यापार में खाद्यान्नों पर होने वाली हैंडलिंग लागत के बारे में जानकारी नहीं है। इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम की हैंडलिंग लागत की निजी व्यापार की हैंडलिंग लागत के साथ तुलना करना संभव नहीं है।

कृषि इंजीनियरों और कृषि तकनीशियनों को वित्तीय सहायता

5366. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1982-83 में कृषि इंजीनियरों और कृषि तकनीशियनों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या उनके पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1982–83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने इंजीनियरों/तकनीशियनों को सहायता दी गई;

(घ) यदि योजना आरम्भ नहीं की गई है, तो उसके कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का कब तक उक्त योजना को कार्यान्वित करने अथवा एक नई योजना आरम्भ करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) 1982-83 के दौरान कृषि इंजीनियरों और कृषि तकनिशियनों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना आरम्भ नहीं की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई थी, अत: वित्तीय सहायता का प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) क्योंकि कोई योजना आरम्भ नहीं की गई थी, अत: योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) भारत सरकार ने 1971-72 में कृषि सेवा केन्द्र योजना आरम्भ की थी। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित 17 कृषि औद्योगिक निगमों के द्वारा क्रियान्वित की गई। यह योजना 1 अप्रैल, 1979 से राज्य क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दी गयी। इस सम्बन्ध में कोई नयी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

कर्नाटक में अभाव संबंधी राहत के बारे में केन्द्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट

5367. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभाव सम्बन्धी राहत का अध्ययन करने अर्थात् विभिन्न राज्यों में अभाव की स्थिति के मूल्यांकन के लिए छ: सदस्यों के एक अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) सूखा, बाढ़, समुद्री तूफान, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण हुई क्षति और इन आपदाओं से निपटने के लिये आवश्यक केन्द्रीय सहायता का मूल्यांकन करने के लिये विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे जाते हैं। प्रत्येक दल के सदस्यों की संख्या सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता के स्वरूप के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। प्रत्येक विपदा के लिये सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य में दल को भेजने सम्बन्धी निर्णय करने के पश्चात् ज्ञापन के प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय दल का गठन किया जाता है। प्रत्येक दल संबंधी राज्य का दौरा करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उक्त रिपोर्ट पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के मामले में सितम्बर, 1984 में राज्य सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। अक्तूबर, 1984 में एक छः सदस्यीय केन्द्रीय अध्ययन दल उक्त राज्य में भेजा गया था। उक्त रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये 22-11-84 को 3273 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर की गई थी। अप्रैल, 1985 के दौरान राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर राज्य में एक अन्य केन्द्रीय दल भेजा गया। दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

उड़ीसा में अधिकतम भूमि सीमा से फालतू भूमि के लिए पुनरीक्षित भुगतान दर

5368. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने के कारण उड़ीसा में अधिकतम भूमि सीमा से फालतू भूमि तथा इसकी देय बकाया धनराशि का पुनरीक्षित दर भुगतान में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) भूमि के प्राप्तकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता की संशोधित दरें 1-4-1984 से लागू की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के बंटन निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं।

1. राज्य सरकार द्वारा अपने निजी संसाधनों में से राज्य बजट में बराबर के अंश के रूप में सदृश प्रावधान किया जाये, और
2. पिछले वर्षों के दौरान बंटित निधियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये। 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने अंश के रूप में 45.539 लाख रुपये का प्रावधान किया था। भारत सरकार ने भी अपने अंश के रूप में राज्य सरकार को 45.53 लाख रुपए बंटित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए केन्द्रीय अंश की कोई राशि बकाया नहीं है।

कृषि और ग्रामीण प्रगति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण

5369. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएसन ने भारत को अपनी कृषि तथा ग्रामीण परियोजनाओं के लिये ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि तथा ग्रामीण परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से कुल कितनी धनराशि का ऋण मिलने की संभावना है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के ऋण से किन-किन राज्यों में ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं और इनके अंतर्गत राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अन्तर्गत राज्य	अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा ऋण (अमरीकी दस लाख डालर)
1	राष्ट्रीय डेरी परियोजना	सभी राज्य	150.0
2	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना-2	मध्य प्रदेश	37.0
3	मिश्रित कृषि विस्तार परियोजना	कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा	25.0
4	केरल कृषि विस्तार परियोजना	केरल	10.0
5	महाराष्ट्र कृषि विस्तार परियोजना	महाराष्ट्र	23.0
6	तमिलनाडु कृषि विस्तार परियोजना	तमिलनाडु	28.0
7	आंध्र प्रदेश कृषि विस्तार परियोजना	आंध्र प्रदेश	6.0
8	अंतर्देशीय मात्स्यिकी परियोजना	बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	20.0
9	द्वितीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना	पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	125.0
10	द्वितीय राष्ट्रीय बीज परियोजना	बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	16.0
11	केरल कृषि विकास परियोजना	केरल	30.0
12	काजू परियोजना	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा	22.0

13	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-3 परियोजना	उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश	220.0
14	वर्षासिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास की मार्गदर्शी परियोजना	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र	31.0
15	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना	उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान	39.1
16	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना	सभी राज्य	27.0
17	जम्मू व कश्मीर बागवानी	जम्मू व कश्मीर	14.0

मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में अवरोध

5370. **कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य अवरोधों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन अवरोधों को समाप्त करने और अधिक भूमि में खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये सातवीं योजना में क्या नीति अपनाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने में पेश आयी प्रमुख बाधायें ये हैं : धान्यों और कदन्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत कम क्षेत्र का लाया जाना, रसायनिक उर्वरकों का कम उत्पदन, किसानों द्वारा पर्याप्त पौध संरक्षण उपायों को न अपनाना, विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की कम प्रतिशतता, आदि। सातवीं योजना के दौरान नीति का उद्देश्य इन बाधाओं को समाप्त करना और राज्य में खाद्यान्नों के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करना होगा।

(ग) मध्य प्रदेश में फसलों का कुल क्षेत्र 1984-85 के दौरान 222.15 लाख हैक्टार से से बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 232 लाख हैक्टार हो जाने का अनुमान है। क्षेत्र में यदि वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य फसलों के अन्तर्गत होगी। इसमें निम्नलिखित चुनींदा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सहायता मिलेगी :—

कार्यक्रम	एकक	1984-85 (सम्भावित)	सातवीं योजना
1 उर्वरक की खपत (एन०पी०के०)	(लाख मीटरी टन में)	3.80	9.45
2 अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	(लाख हैक्टार)	50.50	60.89

3	बढ़िया किस्म के बीज उत्पादन	(हजार मीटरी टन में)	2.78	4.08
4	बढ़िया किस्म के बीजों का वितरण	(हजार मीटरी टन में)	2.20	15.10
5	पौध संरक्षण के लिए कृमिनाशी शुद्ध सामग्री	(हजार मीटरी टन में)	3.0	4.00

एल्गिन टैक्सटाइल मिल, कानपुर के विरुद्ध श्रमिक न्यायाधिकरण में लंबित पड़े मामले

[हिन्दी]

5371. **श्री सत्यनारायण पवार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्गिन टैक्सटाइल मिल, कानपुर के विरुद्ध श्रमिक न्यायाधिकरण में कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ख) यह मामले किस प्रकार के हैं तथा उन्हें कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से जो समुचित प्राधिकरण है, मांगी गई है । यह यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

संसद् सदस्यों के लिए सहकारी आवास समिति

5372. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों के लिए सहकारी आवास समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या इस समिति के सदस्यों को भूमि दी गई है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) कितनी सहकारी समितियों को भूमि दी जानी शेष है और उनके विवरण क्या हैं; और

(घ) उनको कब तक जमीन दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफ़ूर) : (क) और (ख) पंजीकार सहकारी समिति ने सूचित किया है कि दिल्ली में ऐसी कोई समिति नहीं है जिसकी सदस्यता संसद् सदस्यों तक सीमित हो ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1982 के पहले पंजीकृत सामूहिक आवास समितियों में से 14 समितियों भुगतान न करने तथा औपचारिकताएं पूरी न करने जैसे

कारणों से भूमि आबंटन किए जाने के लिए शेष थी। इन समितियों को हाल ही में रोहिणी परियोजना में भूमि की पेशकश की गई है। नई समितियों का पंजीकरण 1983 में आरम्भ किया गया था। यह अनुमान है कि नए पंजीकरण के अन्तर्गत लगभग 1500 नई समितियां पंजीकृत की गई हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नई समितियों को आबंटनार्थ भूमि का चयन सभी नई समितियों के सदस्यों की सूचियों को सत्यापित करने तथा भूमि की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जा सकता है।

कपास और गन्ने की फसल को फसल बीमा योजना में शामिल करना

5373. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना को कपास और गन्ने की फसलों पर लागू नहीं करने के क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार कपास और गन्ने की फसलों को फसल बीमा योजना में शामिल करने हेतु इस वर्ष में पुनर्विचार करना चाह रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) शुरूआत में, विस्तृत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रमुख अनाज अर्थात् धान, गेहूं, कदन्न तथा दलहन और तिलहन जैसी बारानी फसलों को शामिल किया जाएगा। उपर्युक्त फसलों के सम्बन्ध में योजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद के चरणों में कपास और गन्ना जैसी अन्य फसलों को इस योजना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

बम्बई में मत्स्य उद्योग की "मदर शिप" परियोजना

5374. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई के गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग की "मदर शिप" परियोजना शुरू करने की अनुमति देने का है;

(ख) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के पश्चिमी तट पर मछली पालन के विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से इस प्रस्ताव को प्रोत्साहित करने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव के प्राप्त होने पर गुणानुगुण आधार पर उसकी जांच की जाएगी।

रत्नागिरी जिले में मिरकारवाड़ा मत्स्य पत्तन

5375. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क रत्नागिरी जिले में मिरकारवाड़ा स्थित मत्स्य पालन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उक्त परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए कितना धन दिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) मीरकरवाड़ा मात्स्यिकी पत्तन के मुख्य घटकों में कणन जल और क्वेस/जेटीस शामिल हैं। मार्च, 1985 के अन्त तक कणन जल पर लगभग 40% और क्वेस/जेटीस से संबंधित 70% कार्य पूरा हो चुका है। कार्य की अन्य मदों जैसे ड्रेजिंग, स्लिपवे, नीलामी घर, आंतरिक सड़कों आदि को, कणन जल और सुधार कार्य पूरा करने के बाद शुरू किया जा सकता है।

(ख) मीरकरवाड़ा स्थित मत्स्यन बंदरगाह के लिए अप्रैल, 1977 में मूलतः 344.25 लाख रुपए स्वीकृत किए गये थे जिसमें संशोधन करने की जरूरत है।

(ग) लघु पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सहायता की स्वीकृत पद्धति के आधार पर अब तक राज्य सरकार को कुल 164 लाख रु० की धनराशि दी गई है।

बैलगाड़ी का आधुनिकीकरण

5376. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैलगाड़ी में रबड़ के टायर लगाने का विचार था;

(ख) बैलगाड़ियों के सदियों पुराने पहियों के स्थान पर अन्य वाहनों के बेकार हुए रबड़ के टायर प्रयोग करने के बारे में मूल रूप से योजना आयोग द्वारा प्रायोजित योजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बैलगाड़ी के महत्व को दृष्टि में रखते हुए सदियों पुराने रूप में चली आ रही बैलगाड़ी को आधुनिक बनाने के लिए सरकार का कोई कारगर कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से उन्नत बैलगाड़ी के डिजाइन पर अनुसंधान के लिए वित्त व्यवस्था करता रहा है :—

(1) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर।

(2) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक अनुसंधान संस्थान। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) भी अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तथा केन्द्रीय इंजीनियरी संस्थान के माध्यम से अनुसंधान कार्य में लगा है। सार्वजनिक और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विनिर्मित उन्नत बैलगाड़ियां देश में उपलब्ध हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कार्यरत डाक्टरों के वेतनमानों में गतिरोध

5377. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन सात वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले मेडिकल डाक्टर 700-1300 रुपये के वेतनमान में ही रुके हुए हैं जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में डाक्टरों की बहुत पहले पदोन्नति कर दी जाती है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1982 में एक रिट याचिका के सन्दर्भ में निर्णय दिया था कि राज्य कर्मचारी बीमा योजना के डाक्टरों को पांच वर्ष की सेवा के बाद अगले उच्चतर ग्रेड पर स्वतः पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो उस निर्णय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन पांच वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वाले डाक्टरों का विवरण क्या है और उन्हें कब पदोन्नत कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का सांविधिक दायित्व है, सिवाय दिल्ली के, जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा देख-रेख की व्यवस्था स्वयं करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनुसार, दिल्ली में सात वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले ऐसे अनेक बीमा चिकित्सा अधिकारी हैं लेकिन उनमें से कोई भी वेतनमान की अधिकतम स्टेज पर रुका हुआ नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पांच वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले बीमा चिकित्सा अधिकारियों के ब्यौरे देने वाला विवरण संलग्न है। इन अधिकारियों में से 46 अधिकारियों को जुलाई, 1984 में तदर्थ आधार पर अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया था लेकिन उनमें से केवल 22 अधिकारियों ने पदोन्नति को स्वीकार किया। तदर्थ नियुक्ति को नियमित करने तथा शेष रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही के शीघ्र पूरे होने की आशा है।

विवरण

क्रमांक	चिकित्सा अधिकारी का नाम	नियमित नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1	डा० जी. पी. साराभाई	20-9-1972
2	डा० ए. के. दुग्गल	21-9-1972
3	डा० (श्रीमती) एस. पी. चड्ढा	13-10-1972
4	डा० पी. एन. हंस	18-10-1972
5	डा० एस. के. आनन्द	1-1-1983
6	डा० आई. एम. गुलाटी	9-1-1983
7	डा० एन. डी. खुराना	27-8-1973
8	डा० (श्रीमती) नसरीन खान	8-4-1974
9	डा० (श्रीमती) ए. मार्टीम्स मैथ्यू	30-5-1974
10	डा० (श्रीमती) शारदा शर्मा	1-6-1974
11	डा० ए. के. कथूरिया	27-6-1974
12	डा० (श्रीमती) हेमांगनी नाथ	9-8-1974
13	डा० (श्रीमती) उर्मिल मात्रे	16-9-1974
14	डा० (श्रीमती) हरजीज कौर	18-4-1975
15	डा० (श्रीमती) पी. एल. बिदानी	6-5-1975
16	डा० अमर दास मणिराम पाटिल	9-5-1975
17	डा० (श्रीमती) निर्मल सिंह	23-5-1975
18	डा० (श्रीमती) करुणा बोहरा	9-6-1975
19	डा० शान्तिमय चक्रवर्ती	9-6-1975
20	डा० (श्रीमती) कौशल्या त्यागी	18-7-1975
21	डा० आर. के. माथुर	5-8-1975
22	डा० जे. एन. मोहन्ती	23-10-1975
23	डा० (कु०) स्नेहलता राजपूत	5-11-1975
24	डा० बी. के. तलवार	7-11-1975
25	डा० (श्रीमती) आभा गर्ग	24-11-1975
26	डा० (श्रीमती) नलिनी टण्डन	15-12-1975
27	डा० काकी रमानैया	1-1-1976

1	2	3
28	डा० (श्रीमती) सुमन महरोत्रा	18-3-1976
29	डा० भूपेन्द्र कुमार	28-5-1976
30	डा० (श्रीमती) उषा राणा	1-6-1976
31	डा० (श्रीमती) चाँद सेठी	2-6-1976
32	डा० ए. के. खोखर	3-6-1976
33	डा० (श्रीमती) अभा भावल	29-6-1976
34	डा० एस. के. कुकरेजा	1-7-1976
35	डा० टी. के. गोयल	5-7-1976
36	डा० सी. एम. जैन	5-7-1976
37	डा० सुरेन्द्र कुमार	17-7-1976
38	डा० हरदयाल सिंह	21-7-1976
39	डा० (श्रीमती) सुनिता वधवा	26-7-1976
40	डा० (श्रीमती) बीना बंसल	31-7-1976
41	डा० (श्रीमती) किरण	16-8-1976
42	डा० (श्रीमती) पूर्णिमा लूम्बा	19-8-1976
43	डा० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी आर्य	21-8-1976
44	डा० एस. सी. वाधवा	7-9-1976
45	डा० (श्रीमती) एस. के. घाघा	23-9-1976
46	डा० (श्रीमती) निर्मला देवी	28-9-1976
47	डा० (श्रीमती) बीना दुआ	4-10-1976
48	डा० जे. पी. एस. वर्मा	4-10-1976
49	डा० अशोक कुमार	6-10-1976
50	डा० (श्रीमती) रश्मी अरोड़ा	17-12-1976
51	डा० (श्रीमती) नीलम राना	21-3-1977
52	डा० अरयेन्दर कुमार	14-4-1977
53	डा० जोगेन्द्र लाल	24-4-1977
54	डा० नरेश खन्ना	25-4-1977
55	डा० गुरदीप सिंह	30-4-1977
56	डा० मधु सूदन अग्रवाल	5-5-1977
57	डा० (श्रीमती) ऊषा वर्मा	11-5-1977

1	2	3
58	डा० (श्रीमती) शारदा सेठी	1-6-1977
59	डा० प्रेम चन्द्रा	2-6-1977
60	डा० (श्रीमती) रमा शर्मा	13-7-1977
61	डा० (श्रीमती) पुष्पा अरोड़ा	14-7-1977
62	डा० रामेश्वर शाह	22-7-1977
63	डा० आर. के. वर्मा	27-7-1977
64	डा० ए. के. जैन	10-8-1977
65	डा० (श्रीमती) वीना सचदेवा	7-10-1977
66	डा० (श्रीमती) सुधा सहगल	3-2-1978
67	डा० हरीश कुमार सेतिया	3-2-1978
68	डा० नरेन्द्र नाथ	24-2-1978
69	डा० आर. के. पाधी	1-3-1978
70	डा० नरेन्द्र कुमार	4-3-1978
71	डा० प्रमोद गांधी	4-3-1978
72	डा० (श्रीमती) एस.एल. खेत्रपाल	6-3-1978
73	डा० (श्रीमती) मुकुल जैन	6-3-1978
74	डा० आर. एस. सोबती	8-3-1978
75	डा० आर. के. चन्धोक	8-3-1978
76	डा० आर. सी. शर्मा	13-3-1978
77	डा० उमेश कुमार जैन	23-3-1978
78	डा० एस. के. गर्ग	1-4-1978
79	डा० (श्रीमती) इन्द्रा रानी तयाल	1-4-1978
80	डा० (श्रीमती) आशा अग्रवाल	3-4-1978
81	डा० (श्रीमती) सतीषबाला अरोड़ा	5-4-1978
82	डा० (श्रीमती) दीपिका खन्ना	5-4-1978
83	डा० एस. एन. दास	10-4-1978
84	डा० (श्रीमती) नन्दिनी शेवेदा	10-4-1978
85	डा० (श्रीमती) श्याम गोयल	11-4-1978
86	डा० (श्रीमती) अनीता श्रीवास्तव	11-4-1978

1	2	3
87	डा० (श्रीमती) लता रानी	15-4-1978
88	डा० बी. जे. एस. सारंग	15-4-1978
89	डा० सुमन मुखर्जी	17-4-1978
90	डा० (कु०) कमला रानी	20-4-1978
91	डा० (श्रीमती) रश्मि शर्मा	22-4-1978
92	डा० (श्रीमती) सत्या बंसल	29-4-1978
93	डा० (श्रीमती) सुदेश अग्रवाल	1-5-1978
94	डा० (श्रीमती) चित्रा मेहता	20-5-1978
95	डा० वी. रंगा स्वामी	15-6-1978
96	डा० (श्रीमती) वीरा गुप्ता	22-6-1978
97	डा० सीता राम	6-7-1978
98	डा० गंगा प्रसाद	19-9-1978
99	डा० (श्रीमती) सुमन सेठ	28-10-1978
100	डा० (श्रीमती) बिमला रानी	2-11-1978
101	डा० एस. सी. शर्मा	4-11-1978
102	डा० एस. के. तनेजा	6-11-1978
103	डा० (श्रीमती) रेणुका कौल निगम	8-11-1978
104	डा० (श्रीमती) पदमा खोखार	15-11-1978
105	डा० एन. के. जेटली	20-11-1978
106	डा० (श्रीमती) सरिता डोगरा	29-11-1978
107	डा० (कु०) सुमन मेरी पशाह	4-12-1978
108	डा० बी. पी. सिन्हा	12-12-1978
109	डा० दिनेश प्रसाद गुप्ता	4-1-1979
110	डा० राकेश गर्ग	16-1-1979
111	डा० (कु०) इन्दु कौशिक	24-1-1979
112	डा० जसमीत सिंह	25-1-1979
113	डा० एच. पी. सिंह	29-1-1979
114	डा० वी. पी. ठकराल	1-2-1979
115	डा० एस. ए. मुस्तफा	2-2-1979

1	2	3
116	डा० वी. के. अग्रवाल	15-2-1979
117	डा० (श्रीमती) ललिता मिधा	17-2-1979
118	डा० (श्रीमती) के. लल्हा	17-2-1979
119	डा० रवि भूषण गुप्ता	24-2-1979
120	डा० एस. के. बन्दयोपाध्याय	7-3-1979
121	डा० (श्रीमती) निशा ढींगरा	6-4-1979
122	डा० (श्रीमती) सुनील बाला	30-6-1979
123	डा० एस. के. हंस	30-6-1979
124	डा० नरेश पुरी	2-7-1979
125	डा० पुरशोत्तम ममतानी	6-7-1979
126	डा० सुनील कुमार जैन	6-7-1679
127	डा० (कु०) मन्जु कुमारी कुमार	7-7-1979
128	डा० अनिल कुमार अग्रवाल	7-7-1979
129	डा० (श्रीमती) रीता अग्रवाल	21-8-1979
130	डा० कमलेश चौधरी	27-3-1980

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय किशनगंज-II, दिल्ली के पास खाली पड़ा आवास

5389. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, किशनगंज-II, के ऊपर काफी बड़ा आवास, जिसमें दो बड़े कमरे और एक बहुत बड़ा हाल है, गत दो दशकों से भी अधिक समय से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस स्थान का औषधालय का विस्तार करने, जैसे प्रसूति केन्द्र, निदान आदि बनाने, अथवा लम्बी लाइन में निवास-स्थान की प्रतीक्षा कर रहे डाक्टरों को आबंटन करने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करने की कोई योजना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ग) ई० एस० आई० औषधालय की पहली मंजिल में एक बड़ा हाल पिछले सात वर्षों से खाली पड़ा है । इस जगह को डाइगनोस्टिक केन्द्र के रूप में प्रयोग करने हेतु खाली रखा गया था जो फिलहाल भूमि तल में है । पहली मंजिल में डाइगनोस्टिक केन्द्र को स्थानांतरित करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन किए जा रहे हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय, किशनगंज-II, दिल्ली में बेकार पड़े चिकित्सा उपकरण

5379. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय, किशनगंज II, दिल्ली में तीन वर्ष से खरीदे गए कई लाख रुपये के चिकित्सा उपकरण उदाहरणार्थ 'कंट्राक्ट सर्जरी एन्ड रिफैक्शन' 'ई सी जी मशीन, एयर कंडीशनर' और अन्य छोटे शल्य चिकित्सा और 'आपरेशन' उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं;

(ग) क्या यह उपकरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभग्राहियों के लिए एक रोग निदान केन्द्र खोलने की योजना के अन्तर्गत खरीदे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह योजना त्याग दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों के अनुसार, ई० सी० जी० मशीनों और एयर कंडीशनर को छोड़कर बाकी सभी उपकरणों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है । ई० सी० जी० मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि पहले से चुने गए अंशकालिक चिकित्सा विशेषज्ञ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । एक और अंशकालिक चिकित्सा विशेषज्ञ का हाल ही में चयन हुआ है । उसके कार्य-भार ग्रहण करने के पश्चात, इस मशीन को काम में लाया जाएगा एयर कंडीशन को उस एक्स-रे कमरे में लगाया जाना है जिसमें कुछ परिवर्तनों की जरूरत है और आवश्यक इलैक्ट्रीकल लोड की व्यवस्था की जानी है । निगम इन मामलों की भवन के मालिक और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से पैरवी कर रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं । एक रोग निदान केन्द्र 8.3.1983 से पहले ही काम कर रहा है ।

गोदामों के निर्माण के लिये व्यापारियों को केन्द्रीय सहायता

5380. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज मंडियों में गेहूं की अभूतपूर्व भरमार के कारण भण्डारण की संकटमय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनाज व्यापारियों को गोदामों के निर्माण के लिए सस्ती दरों पर भूखण्ड आबंटित किये जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन व्यापारियों को ब्याज की सस्ती दर पर ऋण देने का है जो गोदामों का निर्माण करने के इच्छुक हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का उन व्यापारियों को किस तरह की रियायतें देने का विचार है क्योंकि गोदामों और भाण्डागारों के निर्माण पर काफी धनराशि खर्च होती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

फेरी लगाने वालों के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वच्छता के नियम

5380. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान ने एक संहिता तैयार की है जिसमें फेरी लगाने वालों के लिए उनके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को स्वच्छ रखे जाने के लिए नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो नई संहिता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त संहिता कब तक कार्यान्वित की जाएगी; और

(घ) भारतीय मानक संस्थान संहिता के उचित पालन की जांच किस प्रकार करेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस संहिता में खाद्य पदार्थ विक्रेता फेरी वालों के लिए अनुकूलतम स्वच्छता बनाये रखने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) यह संहिता स्वैच्छिक है ।

फसल पैदावार के आंकड़े

5384. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विभिन्न फसलों की संभावित और वास्तविक पैदावार के राज्यवार आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों की वास्तविक और संभावित पैदावार के बीच क्या अन्तर है;

(घ) इस अन्तर को शीघ्रता पूर्वक दूर करने में क्या बाधाएं हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में उक्त अन्तर को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई किस्मों की उपज देने की क्षमता, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश भर में किए गए राष्ट्रीय प्रदर्शनों के नवीनतम आंकड़े वर्ष 1981-82 से संबंधित हैं । तदनुसार, सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्यों की औसत उपज की तुलना में राष्ट्रीय प्रदर्शनों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का की औसत उपज तथा 1981-82 के दौरान दोनों तरह की उपज के बीच अन्तर संलग्न विवरण एक से पांच में दिया गया है ।

(घ) वास्तविक उपज और फसलों की विभिन्न किस्मों की उपज की क्षमताओं के बीच का अन्तर नीचे उल्लिखित विभिन्न कारणों से है—

(1) बहुत से क्षेत्रों में विस्तार प्रणाली के संचालन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है; विस्तार कर्मचारियों द्वारा किसानों के खेतों पर किए जाने वाले दौरे, कई क्षेत्रों में नियमित होने की सूचना मिली है। (2) कार्य स्तर की कई ऐसी बाधाएं हैं जिनका प्रभाव किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनानेपर पड़ता है। इन बाधाओं के कारण ही किसान के लिए संस्तुत की गई सारी तकनीकों को अपनाना संभव नहीं हो पाता।

(ङ) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न फसलों के वास्तविक उत्पादन और उत्पादन क्षमता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) लगभग सभी राज्यों में पुनर्गठित कृषि विस्तार प्रणाली; (2) कृषि आदानों जैसे प्रौद्योगिकी, बीजों, उर्वरकों, उपस्करों, पौध संरक्षण रसायनों, ऋण इत्यादि की ठीक समय पर, आसान और समुचित आपूर्ति; (3) अधिक उपज देने वाली किस्मों वाले क्षेत्र में वृद्धि करना; (4) समेकित पौध संरक्षण उपाय अपनाना; और (5) अनुसंधान प्रयासों को तेज करना ताकि कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके, किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त अनुसंधान सिफारिशें आदि।

विवरण-एक

सिंचित परिस्थितियों (1981-82) के तहत राज्य की औसत की तुलना में राष्ट्रीय प्रदर्शनों में धान का औसत उत्पादन

(क्विंटल/हैक्टार में उत्पादन)

	राज्य	राष्ट्रीय प्रदर्शनों में उत्पादन	सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य का औसत उत्पादन	अन्तर
1	आंध्र प्रदेश	60.9	33.3	27.6
2	असम	46.5	19.4	27.1
3	बिहार	44.6	उ. न.	—
4	हरियाणा	63.7	उ. न.	—
5	हिमाचल प्रदेश	32.9	21.8	11.1
6	कर्नाटक	44.6	28.2	16.4
7	केरल	40.6	24.8	15.2

8	मध्य प्रदेश	46.6	16.8	29.8
9	महाराष्ट्र	38.5	23.1	15.4
10	उड़ीसा	42.2	उ. न.	—
11	पंजाब	78.7	44.9	33.8
12	तमिलनाडु	30.3	उ. न.	—
13	उत्तर प्रदेश	46.1	21.9	24.2
14	पश्चिम बंगाल	32.6	22.1	10.5

उ. न.=उपलब्ध नहीं।

विवरण-दो

सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत की तुलना में राष्ट्रीय प्रदर्शनों में गेहूँ की फसल का औसत उत्पादन

(क्विंटल/हैक्टार में उत्पादन)

	राज्य	राष्ट्रीय प्रदर्शनों में उत्पादन	सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत उत्पादन	अन्तर
1	बिहार	37.5	उ. न.	—
2	गुजरात	39.0	24.2	14.8
3	हरियाणा	38.7	24.0	14.7
4	हिमाचल प्रदेश	28.1	16.7	11.4
5	मध्य प्रदेश	30.4	16.1	14.3
6	महाराष्ट्र	26.6	11.6	15.0
7	पंजाब	43.7	30.2	13.5
8	राजस्थान	41.6	18.9	22.7
9	उत्तर प्रदेश	49.7	17.5	32.2
10	पश्चिम बंगाल	20.8	14.2	6.6

उ. न.=उपलब्ध नहीं।

विवरण-तीन

सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत उत्पादन की तुलना में राष्ट्रीय प्रदर्शनों में ज्वार की फसल का औसत उत्पादन

(क्विंटल/हैक्टार में उत्पादन)

राज्य		राष्ट्रीय प्रदर्शनों में उत्पादन	सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत उत्पादन	अन्तर
1	कर्नाटक	35.1	11.0	24.1
2	मध्य प्रदेश	31.4	9.3	22.1
3	महाराष्ट्र	31.1	उ. न.	—
4	राजस्थान	35.3	उ. न.	—
5	तमिलनाडु	16.5	उ. न.	—

उ. न.=उपलब्ध नहीं ।

विवरण-चार

सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत की तुलना में राष्ट्रीय प्रदर्शनों में बाजरे की फसल का औसत उत्पादन

(क्विंटल/हैक्टार में उत्पादन)

राज्य		राष्ट्रीय प्रदर्शनों में उत्पादन	सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत उत्पादन	अन्तर
1	आंध्र प्रदेश	उ. न.	13.5	—
2	गुजरात	32.3	12.5	19.8
3	हरियाणा	33.4	9.0	24.4
4	महाराष्ट्र	31.6	8.4	23.2
5	राजस्थान	19.5	10.4	9.1
6	तमिलनाडु	26.6	उ. न.	—
7	उत्तर प्रदेश	23.0	उ. न.	—

उ. न.=उपलब्ध नहीं ।

विवरण-पांच

सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत की तुलना में मक्का का औसत उत्पादन

(क्विंटल/हैक्टार में उत्पादन)

	राज्य	राष्ट्रीय प्रदर्शनों में उत्पादन	सिंचित परिस्थितियों के तहत राज्य औसत उपज	अन्तर
1	आंध्र प्रदेश	50.9	26.1	24.8
2	बिहार	38.0	उ. न.	—
3	गुजरात	21.6	21.1	0.5
4	हिमाचल प्रदेश	31.0	16.0	15.0
5	कर्नाटक	51.2	उ. न.	—
6	महाराष्ट्र	16.3	11.8	4.5
7	पंजाब	32.5	19.0	13.5
8	राजस्थान	40.8	11.3	29.5

उ. न.=उपलब्ध नहीं ।

विकलांग व्यक्तियों को औद्योगिक भूखण्डों का आबंटन

5385. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की औद्योगिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1976 की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना के अन्तर्गत विशिष्ट मामलों में शारीरिक रूप से प्रति विकलांग व्यक्ति को एक औद्योगिक भूखण्ड दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखण्ड आवंटित करने के लिये विकलांग व्यक्तियों से वर्ष 1984 में आवेदन पत्र प्राप्त किये थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर आबंटन हेतु विचार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन, उसके विकास तथा विक्रय की योजना, 1961 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, उद्योगों

को अनुरूप क्षेत्रों से अनुरूप क्षेत्रों में स्थानान्तरण की योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक प्लाटों के आबंटनार्थ सन् 1976 में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे। आवेदकों से कहा गया था कि वे आवेदन-पत्रों के साथ प्लाट के आकार के आधार पर 250 रुपये से 2000 रुपये तक धरोहर राशि जमा करें। इसके अतिरिक्त आवेदकों से यह भी कहा गया कि वे 500 वर्गमीटर तक के प्लाटों के लिए 200 रुपये प्रति वर्गमीटर, 500 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक के प्लाटों के लिए 180 रुपये प्रति वर्गमीटर और 1000 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र वाले प्लाटों के लिए 160 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर प्रीमियम का 30 प्रतिशत भुगतान करें।

(ख) तथा (ग) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए प्लाटों का कोई आरक्षण नहीं था। यदि किसी अपंग व्यक्ति को उक्त योजना में औद्योगिक प्लाट का आबंटन हुआ था, तो वह आबंटन योजना के तहत उसके/उसकी पात्रता के आधार पर किया गया था और न कि उसके/उसकी शारीरिक रूप से अपंगता के आधार पर।

(घ) से (छ) चूंकि वर्ष 1984 में विशेषकर शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों से कोई आवेदन-पत्र नहीं मांगे गये थे इसलिए शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों से अन्यथा प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास तुरन्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

मल्कागंज में गांधी स्कवेयर के पीछे सीवर लाइन

5386. श्री अनादि चरण दास : क्या निर्माण और आवास मंत्री मल्कागंज में गांधी स्कवेयर के पीछे सीवर लाइन के बारे में 9 मार्च, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2691 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मल्कागंज में गांधी स्कवेयर के पीछे की सीवर लाइन अब भी प्रायः बन्द हो जाती है और इस कालोनी के निवासियों से इस बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का यह तर्क कि वर्तमान सीवर पर्याप्त है और इसके स्थान पर अधिक क्षमता वाले पाइप डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत सिद्ध हुआ है;

(ग) क्या इसके बन्द होने का कारण कार सर्विस स्टेशन से आने वाली गाद तथा अन्य प्रकार की चिकनाई है जिसके लिए अभी तक कोई भी उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इस समस्या को स्थायी आधार पर हल करने के लिए कार सर्विस स्टेशन और धोबी घाट के लिए पृथक सीवर लाइनें डालने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पेट्रोल पम्प के प्रबन्धकों ने म्युनिसिपल सीवर में बहाव करने से पहले कैचपिट के निर्माण पर सहमति दे दी है।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) कैमपिट के निर्माण हो जाने पर ग्रीस की सामग्री तथा कीचड़ दब जायेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता

[हिन्दी]

5387. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई कालोनियों में पेय जल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी कालोनियां हैं और सरकार उन्हें सभी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा देगी;

(ग) क्या सरकार ने इन कालोनियों के निवासियों से विकास-प्रभार वसूल कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि वसूल की गई है और उन कालोनियों के नाम क्या हैं जहां से विकास-प्रभार वसूल किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 155 अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण के लिये पता लगाया गया है, 91 कालोनियां पूर्णतया विद्युतिकृत हैं, 48 कालोनियां आंशिक रूप से विद्युतिकृत हैं और 6 में कालोनाइजिंग अभिकरण/निवासियों के संघ द्वारा अभी तक बिजली नहीं लगवाई गई है।

2. जहां तक जलपूर्ति, मल निर्यास, सड़कों, नालियों इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कई कालोनियों के मामले में यहां तक कि विकास पश्चात् के प्रभार लाभभोगियों द्वारा अभी तक जमा नहीं कराये गये हैं, नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में कुछ विकास कार्य किया जा रहा है।

3. नियमित अनधिकृत कालोनियों में सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभार अदा करने पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) इन कालोनियों के कुछ निवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास प्रभार जमा करा दिये हैं। प्राप्त राशि के ब्यौरे तथा इन कालोनियों के नाम संलग्न विवरण-एक से तीन तक में दिये गये हैं।

विवरण-एक

फरवरी, 1984 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विभिन्न अनधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में प्राप्त विकास प्रभार की राशि

क्र०	कालोनियां	कुल राशि
1	दिल्ली नगर निगम को अन्तरित	4,92,652-80
2	दक्षिणी अंचल	40,32,498-74
3	विभिन्न अंचल	1,49,687-21
4	यमुनापार क्षेत्र	9,51,385-36
5	विविध	1,45,995-47
	कुल योग	57,72,219-18

विवरण-दो

दिल्ली नगर निगम को अन्तरित की गई कालोनियां

क्रम संख्या	कलोनी का नाम	राशि
1	अमृम नगर	85,225-10
2	प्रकाश मोहल्ला	835 00
3	अमृतपुरी	840-00
4	गोविन्दपुरी	2,88,828-32
5	हरिनगर	4,612-00
6	लाजवन्ती गार्डन	18,211-00
7	शिवनगर	5,921-15
8	वीरेन्द्र नगर	500-00
9	रानीबाग	725-68
10	महेन्द्र पार्क	86,154-55
11	ऋषिनगर	800-00
	योग	4,92,652-80

विवरण-तीन

एकत्रित विकास प्रभार का विवरण

क्रम संख्या	कालोनी का नाम		राशि
दक्षिणी अंचल			
1	अर्जुन नगर		8,93,910-12
2	कृष्णानगर		5,20,483-03
3	गौतम नगर		12,81,885-19
4	सांवल नगर		53,939-30
5	संत नगर		1,04,36,08-04
6	भारत नगर		19,687-02
7	जोगाबाई विस्तार		3,152-80
8	बाटला हाऊस		9,401,50
9	जाकिर नगर		1,05,126,39
10	गफूर नगर		10,992-45
11	जामिया नगर		5,352-70
12	श्याम नगर		51,268-15
13	सिंघल विस्तार		33,691-75
		योग	40,32,498-74
दक्षिणी अंचल			
14	गफ्फार मंजिल		1,016-55
15	करतार मार्किट		650-00
पश्चिम अंचल			
16	कैलाश पार्क		16,227-00
17	बजान बस्ती		35,659-25
18	गाँव नांगर राय विस्तार		29,685-00
19	मनोहर नगर		36,582-00
केन्द्रीय अंचल			
20	प्रेम नगर		12,153-00
उत्तरी अंचल			
21	गाँव आजादपुर विस्तार		278-70
22	गूजर डेरी		1,782-39
23	संजय नगर		15,733-32
			1,49,687-21

लक्ष्मी नगर काम्पलैक्स

24	कुन्दन नगर	2,840-00
25	गुरुनानकपुरा	5,809-45
26	कृष्ण कुंज	45,672-75
27	दयानन्द ब्लाक	250-00
28	गुरु अंगद नगर विस्तार	60,482-15
29	गुरु रामदास नगर	23,641-55
30	लक्ष्मी नगर	1,43,480-41
31	विजय ब्लाक	2,201-10
32	रमेश पार्क	17,775-90
33	ललिता पार्क	21,978-35
34	गुरु अमरदास नगर	4,349-60
		3,28,481-26

पांडव नगर काम्पलैक्स

35	पांडव नगर	2,41,431-46

मण्डावली फाजलपुर काम्पलैक्स

36	गाँव मण्डावली फाजलपुर	3,350-00
37	विनोद नगर	54,539-45

शकरपुर काम्पलैक्स

38	गाँव शकरपुर	7,894-00
39	शकरपुर	72,581-07
40	स्कूल ब्लाक	13,719-35
41	गणेश नगर	64,263-63
42	वीर सावरकर ब्लाक	9,105-00
43	सुन्दर ब्लाक	4,034-00
44	उपाध्याय ब्लाक	835-40
45	अरुणा पार्क	12,885-88

पटपड़गंज काम्पलैक्स

46	प्रताप नगर	22,051-70
47	प्रीति गार्डेन	4,426-90
48	आचार्य निकेतन	77,465-53
49	समता गार्डेन	34,380-73
		9,51,385-36

विविध कालोनियां

50	अनार कली	850-00
51	भजनपुरा	19,017-40
52	चन्द्र लोक	1,380-00
53	चन्द्र नगर	385-00
54	दुर्गापुरी	315-00
55	दिलशाद गार्डेन	2,780-00
56	दीपक एन्कलेव	3,960-00
57	ईस्ट अर्जुन नगर	25,306-17
58	गोल्डन पार्क	500-00
59	इन्द्रा पार्क	861-00
60	जगतपुरी विस्तार	9,660-00
61	ज्योति कालोनी	690-00
62	कान्ति नगर	216-00
63	लक्ष्मण पार्क	295-00
64	मानसरोवर पार्क	1,260-00
65	मौजपुर घोंडा	36,461-60
66	मनोहर पार्क	3,397-00
67	नत्थू कालोनी	886-00
68	पंजाबी मोहल्ला	810-00
69	राधेपुर	1,340-00
70	राम नगर विस्तार	1,531-75
71	रामनगर कालोनी	910-00
72	रानी गार्डेन	850-00
73	रंगपुरी (मोहल्ला)	1,065-00
74	शालीमार पार्क	4,298-20
75	शंकरपुरी	14,206-95
76	सरोजिनी पार्क	627-10
77	सुन्दर गार्डेन	2,800-00
78	शास्त्री पार्क	920-00
79	विश्वास नगर	10,728-00
80	जियाउद्दीन पार्क	4,344-20
		1,45,995-47

तिलहनों के उत्पादन में "क्लूजा" और कनाडा की सहकारिताओं द्वारा सहायता

[अनुवाद]

5388. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री तिलहनों के उत्पादन में "क्लूजा" और कनाडा की सहकारिताओं द्वारा सहायता के बारे में 22 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सोयाबीन का क्षेत्र और उत्पादन 1982-83 और 1984-85 के दौरान एक जैसा ही रहा, जैसाकि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया जबकि मध्य प्रदेश में तदनुरूप उत्पादकता में वृद्धि हुई है;

(ख) 1983-84 और 1984-85 के दौरान किस स्रोत से उपहारस्वरूप परिष्कृत "रेपसीड आयल" मिला और वर्षवार उसकी कितनी सप्लाई की गई और 1985-86 में परिष्कृत रेपसीड आयल की कितनी मात्रा उपहार में मिलने की संभावना है;

(ग) राज्य स्तर के तिलहन उत्पादक सहकारी संघों ने उन्हें बेचे गए उपहार के तेल का किस तरह छठी योजना में वर्षवार उपयोग किया तथा तत्संबंधी राज्यवार क्या ब्योरा है; और

(घ) सरकार 1985-86 और 1986-87 के लिए उपहार के तेल के अन्य किन प्रस्तावों का अनुसरण कर रही है और उनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत कितनी मात्रा में तेल मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) 22 अप्रैल, 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3989 के भाग (ग) उत्तर में उत्तर प्रदेश के संबंध में 1983-84 के लिए क्षेत्र तथा उत्पादन के आंकड़े अस्थायी हैं और ये राज्य सरकार को जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में 1982-83 की तुलना में 1983-84 के दौरान सोयाबीन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ख) "खाद्य तेल का पुनर्निर्माण तथा तिलहन और विपणन" नामक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना के लिए उपहार स्वरूप दिए गए तोरिया तेल का स्रोत कनाडा का सहकारी संघ है। कनाडा सरकार तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते के ज्ञापन के अनुसार कनाडा 1.4.83 से 31.3.1987 की अवधि के दौरान 650 लाख कनाडा डालर के मूल्य का तोरिया तेल कनाडा सहकारी संघ के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी बोर्ड को मुहैय्या करेगा।

(ग) गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र के राज्यों में गठित तिलहन उत्पादक सहकारी संघ ने दो स्तरीय सहकारी संरचना जिसमें ग्राम स्तर पर तिलहन उत्पादक सहकारी समितियाँ और राज्य स्तर पर सहकारी संघ शामिल हैं, के माध्यम से तिलहन तथा वनस्पति तेल का उत्पादन, अधिप्राप्ति परिसंस्करण और विपणन शुरू करके तिलहन विकास के लिए उपहार स्वरूप प्राप्त तेल की बिक्री से अर्जित धनराशि का उपयोग किया है।

31-1-1985 तक राज्य स्तर के तिलहन उत्पादक संघों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया धनराशि का राज्यवार संवितरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	(करोड़ रुपए) संवितरण कुल धनराशि ×
गुजरात	34.22
मध्य प्रदेश	7.23
तमिलनाडु	1.18
आन्ध्र प्रदेश	2.36
उड़ीसा	2.61
महाराष्ट्र	1.17
कर्नाटक	0.09
केन्द्रीय कार्य मदें	10.51
	59.37

× इसमें अधिप्राप्ति समर्थन ऋण कार्यकारी पूंजी अग्रिम आदि से संबंधित 52.40 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है। इसमें कुल संवितरण राशि 11.77 करोड़ रुपए हो जाती है।

(घ) सरकार के सामने तिलहन विकास के संबंध में उपहार स्वरूप तेल का आयात करने के लिए इस समय कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

प्याज और उसके निर्यात के लिए उचित मूल्य

5389. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्याज के उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित और प्याज का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ख) क्या इस बात की निगरानी का कोई प्रस्ताव है कि प्रत्येक मौसम में कुल कितनी भूमि में प्याज की खेती की जाए ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार प्याज के लिये मण्डी में हस्तक्षेप करने की स्वीकृति देती है और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) तथा राज्य सहकारी संघों को स्वीकृत मूल्यों पर किसानों से प्याज की खरीद के लिये मंडी में प्रवेश करने का अधिकार देती है। मंडी में हस्तक्षेप करने संबंधी कार्यों से होने वाली हानि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन की जाती है। अभी यह योजना महाराष्ट्र में चल रही है और इस योजना को किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा। प्याज का निर्यात नाफेड के माध्यम से किया जाता है। परम्परागत मंडियों के अलावा भारतीय प्याज के लिए नई मण्डियों का भी पता लगाया जा रहा है।

(ख) इस समय ब्याज की खेती के क्षेत्र का विनियमन करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा में नारियल बागान

5390. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड नहर के किनारे पर नारियल लगाने के लिए उड़ीसा सरकार को राज सहायता दे रहा है;

(ख) क्या नारियल विकास बोर्ड का विचार तटीय राहत क्षेत्र में बागान लगाने के लिए इस प्रकार की राजसहायता उड़ीसा समुद्र तटीय और चिलका क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड को देने का है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हां। नहरों के किनारे नारियल के पेड़ लगाने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) नारियल विकास बोर्ड ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में मिल्क बूथ

5391. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–23 में दिल्ली दुग्ध योजना के कितने मिल्क बूथों को गिरा दिया गया है;

(ख) इन मिल्क बूथों को कब गिराया गया था;

(ग) इन बूथों को बनाने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इन बूथों को कब तक फिर से बनाए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) सरोजनी नगर में एक दूध का बूथ 28.5.1984 को गिराया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जिसे दूध के बूथ का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया था बताया है कि निकटवर्ती क्षेत्र के दुकानदारों की आपत्तियों तथा अवरोधों के कारण विलम्ब हुआ है। इसे देखते हुए यह बतलाना कठिन है कि निर्माण किस तारीख तक पूरा हो जायेगा, वैसे उस स्थान पर लोगों को दूध का वितरण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा गायों का आयात

5392. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध चूर्ण और बटर आयल के आयात से दुग्ध क्रांति लाए जाने के बावजूद सरकार ने अब 20,000 विदेशी गाएं आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड गायों के आयात के संबंध में समन्वय का कार्य करेगा और समूचा कार्य देखेगा;

(ग) क्या यह निर्णय जनसंख्या में होने वाली भारी वृद्धि अथवा आपरेशन फ्लड-1 और 2 संबंधी परियोजनाओं की कमियों के आधार पर है;

(घ) क्या समिति के निष्कर्षों के अनुसार तैयार की गई आपरेशन फ्लड-3 परियोजना के अन्तर्गत पशुओं का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) किन नस्लों का आयात किया जा रहा है उनकी न्यूनतम और अधिकतम आय क्या है। उनके परिवहन पर आने वाली लागत सहित उनका मूल्य विदेशी मुद्रा में कितना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने ग्रीस की राजकुमारी माननीया आइरीन का दुधारू गायों को दान देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। झा समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपरेशन फ्लड-3 परियोजना शुरू करने की सिफारिश नहीं की है।

(ङ) विभिन्न अपेक्षाओं, जिन पर उपहार में प्राप्त गायों को पूरा उतरना चाहिए, को राजकुमारी आइरीन को प्रस्तुत किया गया है। तथापि, उनकी तरफ से दान में दी जाने वाली दुधारू गायों की नस्लों और उनकी न्यूनतम तथा अधिकतम आयु के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि दूधारू गायों को दान में दिया जाना है, अतः इसमें परिवहन की लागत सहित विदेशी मुद्रा का कोई खर्चा शामिल नहीं है।

भारत और अन्य एशियाई देशों में उर्वरकों की खपत

5393. श्री विमल कांति घोष : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उर्वरकों की खपत बढ़ाने हेतु कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में किस सीमा तक सफलता मिली है; और

(घ) कोरिया जनवादी गणराज्य, जापान, चीन, बंगला देश, थाईलैंड, पाकिस्तान और एशिया के अन्य विकासशील देशों में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों की खपत की तुलना में भारत में इस समय उर्वरकों की खपत का स्तर क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए उठाये गये विभिन्न कदम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) देश में उर्वरकों की खपत 1980-81 के 55.16 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में लगभग 83.74 लाख मीटरी टन हो गई है।

(घ) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1982-83 में भारत और संदर्भित अन्य देशों में प्रति हैक्टार खपत नीचे दी गई है :—

देश	कृष्य भूमि का प्रति हैक्टार किलोग्राम
भारत	36.9
कोरिया गणतन्त्र	281.7
जापान	412.1
चीन	157.5
बंगला देश	51.2
थाइलैंड	उपलब्ध नहीं
पाकिस्तान	61.6
फिलिपाइन	28.8

विवरण

उर्वरक की खपत में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम :

1. घरेलू उत्पादन और आयात के द्वारा उर्वरकों की समुचित और ठीक समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
2. चुनींदा जिलों, जहां खपत क्षमता विद्यमान है और इस समय खपत कम है, में एक गहन उर्वरक सम्बर्द्धन अभियान आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत आवृत्त किए गए जिलों की संख्या 1981 के 67 से बढ़ाकर इस समय 104 कर दी गई है।
3. देश भर में रेल-शीर्ष गन्तव्य की बजाए ब्लाक स्तर तक उर्वरकों को सरकारी खर्च से भेजा जाता है।
4. 15-8-1981 से वितरक एजेंसियों को वितरण लाभांश बढ़ा कर लगभग 22 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे 20-5-1983 से और बढ़ा दिया गया है।

5. कृषि आदानों, जिसमें उर्वरक भी शामिल है, की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों की मात्रा 1979-80 में 136 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1980-81 में 200 करोड़ रुपए, 1982-83 में 250 करोड़ रुपए और 1983-84 तथा 1984-85 के लिए 260 करोड़ रुपए कर दी गई।

6. उपभोक्ता केन्द्रों के निकट उर्वरकों की आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बिक्री केन्द्रों की संख्या 30-11-1981 के 1.11 लाख से बढ़ाकर 31-3-1984 से 1.47 लाख कर दी गई है।

7. सभी किस्मों के उर्वरकों के मूल्य 29-6-1983 से लगभग 7.5 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं।

8. उर्वरक के मूल्यों में बढ़ोत्तरी को प्रतिबिंबित करने के लिए फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके अनुकूल लागत लाभ अनुपात सुनिश्चित किया गया। 1982-83 में 4.19 किलोग्राम धान के लिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन पोषक खरीदने की आवश्यकता थी, इस समय, 29-6-1983 से उर्वरकों के मूल्यों में कमी और धान के समर्थन मूल्य के बढ़ने के कारण केवल 3.41 किलोग्राम की आवश्यकता होगी।

9. छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत की एक योजना को स्वीकृति दी गई है जिसका एक महत्वपूर्ण घटक उर्वरकों के मिनिकिटों का वितरण करने का है।

10. भारतीय खाद्य निगम के पास पड़े दो साल पुराने स्टाक को किसानों को 15 प्रतिशत रियायत पर बेचने का निर्णय किया गया। यह छूट सरकार द्वारा सभी किस्मों के उर्वरकों के मूल्यों में 29-6-1983 से की गई 7.5 प्रतिशत की कमी के अतिरिक्त होगी।

11. किसानों को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और अन्य आदान सुलभ कराने के लिये दो प्रमुख फसल मौसमों से पहले आदान पखवाड़े मनाये गये।

1979 की 'हुडको योजना' के अन्तर्गत निकाले गए ड्रा

5394. श्री वाई० पी० योगेश
श्री राम पूजन पटेल } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई पद्धति की हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत अब तक निकाले गए ड्रा में घोषित सफल आवेदकों को क्षेत्र बदलने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन आवेदकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत अब तक 4 ड्रा निकाले जा चुके हैं;

(घ) यदि हाँ, तो ड्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त (ग) में निकाले गये सामान्य ड्रा के सम्बन्ध में, अब तक विशेष ड्रा नहीं निकाले गये हैं; और

(च) यदि उत्तर सकारात्मक है तो देरी के ब्यौरा-वार कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पत्र सूचना कार्यालय से टेलीफोन का कनेक्शन काटा जाना

5395. **श्री एस०एम० गुरड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र सूचना कार्यालय में अनेक टेलीफोनों के कनेक्शन काट दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कनेक्शनों के काटे जाने का कारण देयराशि का भुगतान न किया जाना अथवा समय पर भुगतान करने में विभाग की अकुशलता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(ङ) टेलीफोन के कनेक्शन कटे रहने की अवधि के दौरान समाचार संवाददाताओं के कितने प्रेस-ब्रीफिंग दिये और सम्मेलन बुलाये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां ।

(ख) 23 टेलीफोनों के कनेक्शन 19 मार्च, 1985 से 23 मार्च, 1985 तक की अवधि दौरान कटे रहे ।

(ग) और (घ) देय राशि का भुगतान न किए जाने पर टेलीफोनों के कनेक्शनों को डाक तार विभाग द्वारा काट दिया गया था । बिलों का भुगतान कतिपय अपरिहार्य कारणों से समय पर नहीं किया जा सका । अतः जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठा ।

(ङ) रिपोर्टरों द्वारा कोई प्रेस कांफ्रेंस/ब्रीफिंग आयोजित नहीं की गई ।

वनस्पति एककों के लिए उत्पाद-मिश्र

5396. **श्री राम समुझावन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वनस्पति एककों के लिए उत्पाद मिश्र की एक नई नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ वनस्पति एककों ने विगत में आर०बी०डी० पाम आयल को वनस्पति के रूप में बेचा था और काफी मुनाफा कमाया था, यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या, अचानक नमूना भरने की कोई प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाम आयल का उपयोग वनस्पति उत्पादन में नहीं किया जाये बल्कि तैयार माल में कोई हानिकारक पदार्थ भी न हो; और

(ङ) क्या इसका परीक्षण करने के लिए कोई केन्द्रीय प्रयोगशाला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वनस्पति एककों के लिए तेल-मिश्रण व्यापक विभिन्नताओं के अधीन होता है, जो राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध आयातित तेल की किस्म पर निर्भर करता है।

(ग) किसी भी वनस्पति एकक द्वारा आर०बी०डी० ताड़ का तेल वनस्पति के रूप में पैक करने की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) नमूने एकत्र करने के लिए नियमित रूप से अचानक निरीक्षण किये जाते हैं जिनका वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय की प्रयोगशाला में पारम्परिक तथा आधुनिक दोनों तकनीकों से यह देखने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि क्या वे निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

पूर्वी दिल्ली में केन्द्रीय भाण्डागार निगम की बाहर दिवारी का गिरना

5397. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के चारों ओर की बाहर दिवारी राजधानी में 9 अप्रैल, 1985 को आए अन्धड़ से गिर गई थी जिसमें दो ग्रामीण मारे गए थे;

(ख) क्या उक्त दीवार के बनाने में प्रयोग की गई सामग्री घटिया पाई गई है और केन्द्रीय अपराध विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला ने उसका नमूना लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 9-4-1985 को जब शहर में अन्धड़ आया था तब सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पटपड़गंज स्थित भाण्डागार की चारदीवारी का एक हिस्सा गिर गया था। दो व्यक्ति, जिन्होंने दीवार की तरफ आश्रय ले रखा था, मारे गये थे।

(ख) और (ग) दीवार में लगी निर्माण-सामग्री के नमूने दो प्रयोगशालाओं को भेजे गए हैं जिन्हें दोवार बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री की क्वालिटी के बारे में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कारपोरेशन द्वारा यथावश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रेस परिषद की गतिविधियों का प्रचार

5398. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि उसकी गतिविधियों को समुचित प्रचार नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परिषद् ने जो कदम उठाए हैं उनको वह पर्याप्त समझती है और इस मामले में सरकार के विरुद्ध उसकी कोई शिकायत नहीं है।

भविष्य निधि के मामलों की पैरवी हेतु राज्यों के लिए वकीलों की नियुक्ति

[हिन्दी]

5399. श्री रामबहादुर सिंह
श्री विजय कुमार मिश्र } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि से सम्बद्ध मामलों की पैरवी के लिए वकील नियुक्त किए जाते हैं, यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वकीलों को कम शुल्क का भुगतान किया जाता है जिसके कारण वे मामलों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसका शुल्क बढ़ाने और अन्य वेतनभोगी वर्गों की तरह उन्हें भी महंगाई भत्ता देने का है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मामलों की पैरवी करने के लिए प्रत्येक राज्य में वकीलों का एक पैनल तैयार किया गया है। वकीलों संख्या के संबंध में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों में मामलों की पैरवी करने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा निर्धारित फीस और निचली अदालतों के मामले में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फीस वकीलों को दी जाती है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	पैनल में लिए गये वकीलों की संख्या: लोअर कोटर्स	उच्च न्यायालय	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2	4
2.	बिहार	सहायक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सेवाएं ली गई हैं।	4	4

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली	4	2	6
4.	गुजरात	कोई पैनल नहीं है। केन्द्रीय सरकार के स्थायी कान्सलस और सरकार के प्लीडरों द्वारा मामलों की पैरवी की जाती है।		
5.	पंजाब और हरियाणा	19	1	20
6.	कर्नाटक	6	केन्द्रीय सरकार के स्थायी विधि-वक्ताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।	6
7.	केरल	67	—यथोक्त—	67
8.	मध्य प्रदेश	पैनल में लिए गए वकीलों, जैसा कि कालम 4 में दर्शाया गया है, द्वारा पैरवी की जाती है।	9	9
9.	महाराष्ट्र	15	3	18
10.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	12	3	15
11.	उड़ीसा	13	3	16
12.	राजस्थान	सरकारी वकीलों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।	2	2
13.	तमिलनाडु	पैनल में लिए गए वकीलों, जैसा कि कालम 4 में दर्शाया गया है, द्वारा पैरवी की जाती है।	5	5
14.	उत्तर प्रदेश	12	2	14
15.	पश्चिम बंगाल	20	22	42
	कुल :	170	58	228

सूखा प्रवण क्षेत्र

[अनुवाद]

5400. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को जानकारी है कि भारत के सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण भारी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कुल कितना सूखा प्रवण क्षेत्र है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया बांकुरा और पश्चिम दीनाजपुर सूखा प्रवण जिलों के लिए सातवीं योजना में क्या विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) निम्न-कोटि की पारिस्थितिक पद्धति के अलावा, सिंचाई की सुविधाएं न होने से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हानि पहुंचती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत इन बातों पर जोर दिया गया है : लघु सिंचाई का विकास, भूमि और जल संरक्षण, वानिकी और चारागाह तथा पशु-पालन। यह कार्यक्रम वर्षा के औसत और सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर चुने हुए खंडों में 1970-71 से लागू किया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों के 88 जिलों के 615 खंडों का लगभग 5.53 लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इस कार्यक्षेत्र के बारे में विशेष सूचना इस प्रकार है :—

राज्य	जिले का नाम	शासित खंडों की संख्या
1. पश्चिम बंगाल	1. बांकुरा	7
	2. पुरुलिया	20
	3. मिदनापुर	7
	योग :	34
2. उत्तर प्रदेश	1. जालौन	3
	2. हमीरपुर	5
	3. मिरजापुर	10
	4. इलाहाबाद	1
	5. बांदा	10
	6. झांसी	3
	7. ललितपुर	2
	8. बहराइच	14
	9. गोंडा	4
	10. लखीमपुर खेरी	2
	11. सीतापुर	3
	12. चमोली	4
	13. पौड़ी गढ़वाल	10
	14. टेहरी गढ़वाल	3
	15. अल्मोड़ा	8
	16. पिथौरागढ़	5
	योग :	87

3. उड़ीसा	1. फूलबनी	14
	2. कालाहांडी	11
	3. बोलनगीर	8
	4. सम्बलपुर	6
	योग :	39

(ग) चूंकि इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को फिर से बनाना और समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों की उत्पादकता को सुधार करके लोगों की आय में वृद्धि करना है, इसलिए आमतौर पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यभूमि और जल संरक्षण, पौधरोपण और चरागाह विकास, लघु सिंचाई, शुष्क भूमि पर खेती तथा पशुधन विकास से संबंधित होते हैं। इसके दृष्टिकोण का सातवीं योजना में भी अनुसरण किया जाता रहेगा। जहां तक पश्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट योजनाओं का संबंध है, कार्यक्रम वाले जिलों की योजनाएं राज्य सरकार से अभी प्राप्त होनी हैं।

पश्चिम बंगाल का पश्चिमी दीनाजपुर जिला इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

बिहार के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त जल पूर्ति योजना

5401. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 1984-85 के दौरान कुछ अतिरिक्त जल पूर्ति योजनाएं अनुमति और केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम में शामिल करने के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1985 तक उनमें से कितनी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1984-85 के दौरान बिहार शासन द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं, जिसमें 1041,89 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 2929 समस्याग्रस्त ग्रामों में 1087 लाख जनसंख्या का लाभान्वयन शामिल है, इस मन्त्रालय के सी० पी० एच० ई० ई० ओ० द्वारा तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित कर दी गयी है।

उर्वरकों का उत्पादन और खपत

5402. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रमशः वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कृषि क्षेत्र में उर्वरकों की कुल खपत कितनी हुई;

(ख) किस राज्य में सबसे अधिक खपत हुई;

(ग) उक्त वर्षों में उर्वरकों का कुल उत्पादन कितना रहा; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान उर्वरकों के लिए कुल कितनी राज सहायता दी गयी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) उर्वरकों की वर्षवार कुल खपत नीचे दी गई है :—

[लाख मीटरी टन पोषक तत्व]

वर्ष	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (अनुमानित)
खपत	60.64	63.88	77.10	83.74

(ख) उर्वरकों की सर्वाधिक खपत उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है ।

(ग) तथा (घ) उर्वरकों का कुल देशी उत्पादन और उन पर राजसहायता निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
देशी उत्पादन (लाख मी० टन पोषक तत्व)	40.93	44.04	45.33	51.80
राज सहायता (करोड़ रु०)	375	605	1042	1932

जनजाति क्षेत्रों में न्याय-प्रशासन

5403. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने देश के जनजाति क्षेत्रों में न्याय-प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उन राज्यों ने, जिनमें जनजाति क्षेत्र हैं जनजाति क्षेत्रों में न्याय-प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सातवें और आठवें वित्त आयोग ने अनुच्छेद 275(1) के अधीन प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने की सिफारिश की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) से (ग) किन्हीं विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अभाव में "जनजाति क्षेत्रों में न्याय प्रशासन के लिए उठाए गए कदम" के अधीन कोई जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है। न्याय का प्रशासन देश के, जिसके अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र भी हैं, विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से, किया जाता है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय-प्रशासन मुख्यतः राज्य सरकार से संबंधित है संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है।

(घ) जी, हां। विधि और न्याय मंत्रालय का सम्बन्ध, सातवें वित्त आयोग और आठवें वित्त आयोग की केवल उन सिफारिशों से है जो न्यायिक प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण उद्योगों का विकास

5404. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए एक योजना बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उद्योगपतियों के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, कॅयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, विकास आयुक्त (हथकरघा), अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और लघु उद्योग विकास संगठन जैसे अपने विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों की सहायता करती है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को कई प्रोत्साहन/रियायतें दी जाती हैं।

12 तकुओं वाले नये माडल के चरखे के लिये राज सहायता

5405. **श्री वी॰ सोमनाद्री सबरा राय** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में हाथ से बुनाई करने हेतु विकसित किए गए 12 तकुओं वाले नए माडल के चरखे की मुख्य बातें क्या हैं; और प्रत्येक एकक पर अनुमानित लागत कितनी आती है;

(ख) इस नए माडल को हथकरघा बुनकरों में लोकप्रिय बनाने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दस्तकारों की सहायता करने हेतु इस 12 तकुओं वाले नए माडल के चरखे की बिक्री में राज सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी तथा कब ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 12 तकुओं वाले नए माडल के चरखे की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं—

(1) चरखे का स्टैंड एंगलो से बना है और इसका फ्रेम 10 गेज की धातु की चद्दर का बना हुआ है।

(2) मजबूत होने के कारण ये चरखे ज्यादा समय तक चलते हैं।

(3) यह चरखा पैडल से चलता है और ट्रेडिल ढलवें लोहे के बने हुए हैं।

(4) 10 बाल बियरिंग प्वाइंट का होने के कारण यह चलने में हल्का है।

(5) 1/10 अश्व शक्ति से कम भार बनाये रखने के लिए बी० एस० आई० मानक के अन्तर्गत भार के लिए इन चरखों का परीक्षण किया जाता है।

यह चरखा उन एककों की कार्यरत एजेंसियों को स्वीकृत किया जाता है जिसमें 25 चरखे और 4 फ्लाई फ्रेम होते हैं जो चरखे पर कताई में आवश्यक पोनियों की पूर्ति करते हैं। 12 तकुओं और 4 फ्लाई फ्रेमों वाले 25 चरखों के एक एकक की लागत 1.20 लाख रु० आती है।

(ख) नए माडल के 12 तकुओं वाले चरखा एकक खादी के उत्पादन में लगे संस्थानों को स्वीकृत किये जाते हैं। इन संस्थानों को चरखे की कीमत के लिए 100 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। खादी के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे संस्थानों को भी संस्थानों में पंजीकृत हथकरघा बुनकरों के माध्यम से बुनाई के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे संस्थानों को 12 तकुओं वाले नए माडल के चरखा एककों की कीमत के लिए 100 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराता है। नए मांडल के चरखा एककों के लिए राजसहायता देने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार अथवा आयोग के विचाराधीन नहीं है।

काजू छिलका द्रव्य का उत्पादन

5406. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू छिलका द्रव्य का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) इसमें से कितना द्रव्य देश में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) काजू छिलका द्रव्य के वास्तविक उत्पादन के बारे में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु काजू छिलका द्रव्य का अनुमानित उत्पादन 23,000 मी० टन प्रति टन प्रति वर्ष है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के पेन्ट्स बनाने, इन्सुलेटिंग बार्निशों (बिजली उद्योग के लिए) विशेष प्रकार के योजक पदार्थों (एडेसिब्ज), आटोमोबील्स की ब्रेक लाइनिंग, फेनोलिक रिजिनों आदि में होता है।

तालुक मिट्टी तेल डिपो

[हिन्दी]

5407. श्री महेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य-वार तालुक मिट्टी तेल डिपो (टी० के० डी०) खोले हैं और उनमें वे कितने डिपो सुचारु रूप से चल रहे हैं; और

(ख) क्या उक्त कम्पनियों को उक्त डिपुओं से कोई मुनाफा हो रहा है अथवा घाटा हो रहा है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) आई० ओ० सी० एल०, एच० पी० सी० एल०, बी० पी० सी० एल० और आई० बी० पी० कम्पनी ने विभिन्न राज्यों में तालुक मिट्टी तेल डिपो (टी० के० डी) खोले हैं जो निम्न प्रकार हैं—

	आई०ओ०सी०एल०	एच०पी०सी०एल०	बी०पी०सी०एल०	आई०बी०पी०
यू०पी०	11	1	1	—
उड़ीसा	2	2	—	—
एम० पी०	4	—	2	—
गुजरात	1	—	—	—
तमिलनाडु	1	—	—	—
केरल	1	—	—	—
कर्नाटक	1	—	—	—
महाराष्ट्र	—	4	—	—
एच० पी०	3	—	1	1
जे० एण्ड के०	1	—	—	—
	25	7	4	1

(ख) तालुक मिट्टी तेल डिपो तेल कम्पनियों द्वारा स्वयं अथवा ठेकेदारों द्वारा पहाड़ी और दूर-दराज क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर मिट्टी के तेल की सप्लाई करने के लिए चलाये जा रहे हैं। तालुक मिट्टी तेल डिपो लाभ/हानि के आधार पर नहीं चलाये जाते हैं। उनके कार्यचालन पर उन कम्पनियों सहित सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है जो अपनी लगाई गई पूंजी पर नियत लाभ पाती है और उनके व्यय को कार्य चालन के जरिये समान दर पर अदायगी देकर पूरा किया जाता है।

महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण घटनाओं के बारे में स्मारक डाक टिकट जारी करना

[अनुवाद]

5408. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "जलियांवाला बाग घटना" बंदी स्वतन्त्रता सेनानियों पर गोली चलाना, आजाद हिन्द क्रांतिकारी, आंदोलन आदि जैसी महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण घटनाओं पर स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जलियांवाला बाग की घटना और आजाद हिन्द आंदोलन पर स्मारक डाक टिकट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। फिलहाल, इन विषयों पर और डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करने के लिए एक डाक टिकट श्रृंखला आरंभ की है। यह श्रृंखला 1997 तक चलेगी और इसमें भारत के स्वाधीनता संग्रास के विविध पहलुओं को चित्रित किया जाएगा।

आनन्द पर्वत, दिल्ली में रक्षा विभाग के सीमांकन पत्थरों का हटाया जाना

5409. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उसके द्वारा 1972 में आनन्द पर्वत, दिल्ली में रक्षा विभाग की सम्पत्ति के सीमांकन हेतु लगाए गए पत्थरों को हटाये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को आनन्द पर्वत, दिल्ली में स्थित रक्षा विभाग की सम्पत्ति के सीमांकन हेतु लगाए गए पत्थरों को हटाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह सूचना मिली है कि दो सीमांकन खम्भे उखड़े हुए तथा 16 खम्भे अलग निकाले हुए पाए गए।

सेना अधिकारियों और रक्षा भूमि एवं छावनी महानिदेशक को इस क्षेत्र का तत्काल सर्वेक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिलों में डाक सेवायें

[हिन्दी]

5410. **श्री मोहर सिंह राठौर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिलों में प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर गावों अथवा चेकों में, जो इन्द्रा नगर से सिंचित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, डाक सेवाएं शुरु करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर डाक सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों पर डाक घर कब तक खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) सामान्य, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में डाक घर खोलने के मौजूदा मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जो ग्राम इन मानदंडों को पूरा करते हैं वहां चरणबद्ध तरीके से डाकघर खोलने का प्रस्ताव किया जाता है बशर्ते कि सामान्य रूप से निधियां उपलब्ध हों।

विवरण

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड :—

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

1. **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :—**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :-

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :-

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तककी आय होने की आशा हो।

2. **आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :—**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :-

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसर डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-पंचायती ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 105 कि०मी० के घेरे के अंदर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० के घेरे में कोई अन्य डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना हो ।

उपरोक्त के अलावा, पोस्टमास्टर जनरल प्रत्येक वर्ष डाकघर खोलने के लिए 10 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त किसी भी मानदंड में (आंतरिक वित्त-सलाहकार के साथ परामर्श करके) छूट दे सकते हैं ।

महानगरों की टेलीफोन सेवाओं में सुधार

[अनुवाद]

5411. **श्री एन० डेनिस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी ढांचा सम्बन्धी उपसमिति ने हाल ही में उनके विभाग को कुछ महानगरों की टेलीफोन सेवाओं को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त काम के लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रयोग-कर्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, । औद्योगिक आधारभूत ढांचा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अभी हाल में विभाग को इस प्रकार के कोई निदेश नहीं दिए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विभाग ने चार महानगरों में टेलीफोन सेवाओं के सुधार के लिए एक उन्नत कार्यक्रम तैयार किया है । इस कार्यक्रम को तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है जो विभाग के सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग है तथा जिस पर योजना आयोग अभी विचार कर रहा है ।

बम्बई हाई में छिद्रण कार्य

5412. **श्री आर० एन० मोई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान बम्बई हाई से खनिज पेट्रोलियम के उत्पादन के क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ;

(ख) इस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में कितने नए तेल कुओं का छिद्रण कार्य किया गया; और

(ग) क्या देशी टैक्नोलोजी अथवा विदेशी टैक्नोलोजी की सहायता से कुछ अतिरिक्त छिद्रण कार्य अभी किया जाना शेष है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान, तट दूर कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 51.3 मि०मी० टन था ।

(ख) 253 (अस्थायी)

(ग) देशी और विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आगे और खुदाई जारी रखी जायेगी ।

भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार देना

5413. **श्री राजेश पायलट** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः नौकरी में लिए गए भूतपूर्व सैनिकों की संवर्ग-वार और क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार रोजगार नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों को सरकार की नीति के अनुसार रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फिर से नौकरी पर लगे भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में 1978 से 1984 तक नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की वार्षिक नियुक्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) यह सामान्यतः ठीक है कि सरकारी क्षेत्र के कई केन्द्रीय उपक्रमों में ये नियुक्तियां निर्धारित प्रतिशतता से कम हुई हैं ।

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम इस प्रकार उठाए हैं :—

(I) भूतपूर्व सैनिकों को उच्च आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित मानदण्डों में छूट ।

(II) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिये भेजने वाली एकमात्र एजेंसी इम्पलाइमेंट एक्सचेंजेज के स्थान पर यह शक्ति राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों/पुनर्वास महानिदेशालय को सौंपना ।

(III) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के संगठन में नियुक्त सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति पर व्यापक रूप से नजर रखना ।

(IV) ऐसे पदों का पता लगाने के प्रयास किए गए जो भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हों।

(V) संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन ताकि अन्य बातों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों को वैतनिक रोजगार के लिये प्रभावी रूप से प्रतियोगी परीक्षायें पास करने के योग्य बनाया जा सके।

विशेष नियुक्ति अभियान के बारे में उच्च स्तरीय समिति के कतिपय सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की वर्षवार नियुक्ति के विवरण।

वर्ष	ग्रुप "ग"	ग्रुप "घ"	जोड़
1984	1441	1511	2952
1983	969	1198	2167
1982	1480	1394	2874
1981	1229	1436	2665
1980	विवरण उपलब्ध नहीं है।		1446
1979	विवरण उपलब्ध नहीं है।		1541
1978	विवरण उपलब्ध नहीं है।		1985

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड की मशीनरी का नवीकरण

5414. **श्री अमल दत्ता** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड के आधुनिकीकरण, उसकी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने तथा संयंत्र और मशीनरी के नवीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और ऐसा कब किया जाएगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैसर्स भारत ब्रेक एण्ड वाल्व्स लिमिटेड ने संयंत्र नवीकरण, प्रौद्योगिकी-अद्यतन और उत्पादन के तरीकों में सुधार करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। कम्पनी ने एल०पी०जी० सिलेन्डरों, औद्योगिक वाल्वों, स्लैक एडजेस्टरों तथा एयर ब्रेकों जैसे कुछ विविधीकृत उत्पादों का परीक्षण उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एल०पी०जी का उत्पादन

5415. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में खाना पकाने की गैस (एल०पी० जी०) का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए इसके कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) यह निम्न प्रकार है :— एल०पी०जी० उत्पादन (000" मी०टन०)

वर्ष	कच्चे तेल से	प्राकृतिक गैस से		योग
1982-83	406	169	=	575
1983-84	514	224	=	738
1984-85*	596	276	=	872

* अस्थाई

(ख) प्रारम्भिक तेल अर्थ व्यवस्था बजट प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1985-86 के दौरान, 1.247 मि०मी० टन एल०पी०जी० के उत्पादन होने का अनुमान है।

भारतीय तेल निगम और अन्य प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों का अनुपात

5416. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय तेल निगम और इसके प्रतिष्ठानों में श्रेणी-वार महिला कर्मचारियों के अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय तेल निगम और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा अपने एककों में, प्रतिष्ठान-वार पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच समानता लाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) जहां तक रोजगार में परिलब्धियों और पदोन्नति के अवसरों का प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं में समानता रखी गई है।

अधिग्रहण के बाद मारुति उद्योग द्वारा निर्मित कारें तथा उनका वितरण

[हिन्दी]

5417. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग के अधिग्रहण के बाद, उसके द्वारा कितनी कारों का निर्माण किया गया;

(ख) उनमें से कितनी कारें अति विशिष्ट व्यक्ति कोटा के अन्तर्गत वितरण के लिए आरक्षित की गई;

(ग) कितने आबंटितियों ने ये कारें अन्य व्यक्तियों के नामों में अन्तरित कर दी हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों की आय के स्रोत के बारे में किसी जांच के आदेश दिए हैं, जिन्होंने बेनामी सौदों में ये कारें खरीदी हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 31-3-1985 तक 21,197 कारों का निर्माण किया था।

(ख) कम्पनी ने निर्माताओं के विवेकाधीन कोटे से अब तक 165 कारें दी हैं।

(ग) सरकार अथवा मारुति उद्योग लिमिटेड के पास इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) वित्त मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा लघु क्षेत्र के एककों से निर्मित उत्पादों को प्राप्त करके ब्रांड नामों का दुरुपयोग किया जाना

[अनुवाद]

5418. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षा अनुमति लिये बिना ही लघु एककें स्थापित करके, और विभिन्न लघु एककों, जिन पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, उनके द्वारा निर्मित ब्रांडों को खरीदकर और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड को विभिन्न लघु एककों में अपने ब्रांडों का उत्पादन करने की और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उनके एककों की मंजूरशुदा क्षमता को बढ़ाने की मंजूरी दी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रकाशित लघु और बड़े व्यापार से सम्बन्धित रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स इण्डियन टोबेको कम्पनी ने लघु क्षेत्र के कुछ एककों का संवर्धन करने की सूचना दी है। किन्तु सरकार के पास ऐसी कोई विशेष सूचना नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि इण्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड ने उद्योग (विकास और विनिमयन) अधिनियम और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन किया हो। इसके अलावा, सरकार ने मैसर्स इण्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड को अलग-अलग लघु एककों में अपने ब्रांडों को उत्पादन करने की भी अनुमति नहीं दी है।

स्वीकृत क्षमता से अधिक क्षमता के उद्योग को नियमित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस

5420. श्री दौलत सिंहजी जडेजा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नये पूंजी निवेश सहित/रहित स्वीकृत किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता के प्रयोग को नियमित किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एककों के नाम क्या हैं, उनके द्वारा कौन-कौन से उत्पाद बनाये जाते हैं उनकी मूल स्वीकृत क्षमता कितनी है और कितनी अतिरिक्त क्षमता को नियमित किया गया है और लघु क्षेत्र के एककों के पूर्ण उत्पादन आंकड़ों पर विचार किये बिना अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने के कारणों का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख) कंपनियों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण भारतीय निवेश केन्द्र के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। औद्योगिक लाइसेंस औषध नीति 1978 के साथ पठित सामान्य लाइसेंसिंग नीति के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाते हैं।

सरकार द्वारा अगस्त, 1980 में घोषित योजना के अन्तर्गत क्षमताओं को मान्यता प्रदान करने वाले मामलों का विवरण संलग्न है। इन मामलों पर नीति-मापदण्डों के अनुसार निर्णय किये गये थे।

विवरण

अनुबन्ध

क्रमांक	कम्पनी का नाम	मद का नाम	पृष्ठांकित क्षमता
1.	मै० एलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो० आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता	कोर्टिमाइड	65 टन
2.	—वही—	प्रोपानोलोल	2 टन
3.	मै० एसोसिएटेड केपसूल्स प्रा० लि०, बम्बई	इम्पटी हार्ड जिलेटिन केप०	1400 मिलियन सं०
4.	मै० बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा० वर्क्स लि०, कलकत्ता	तीन फार्मूलेशन्स	1980 की नीति के अन्तर्गत उपयुक्त उत्पादन स्तर के लिये प्रपुंज औषध आवश्यकताओं के अनुसार क्षमताएं अनुमेय की गई हैं।

5.	मै० जे० एल० मोरिसन सन एण्ड जोनस (आई) लि० कर्नाटका	1. प्लास्टर आफ पेरिस प्रोडक्टस सर्जिकल एडिसिव प्रोडक्टस	19.17 लाख यूनिट 106.72 लाख यूनिट
6.	मै० रेपटेक्स ब्रीट एण्ड कं० लि०, बम्बई	5 फार्मूलेशन	1980 की नीति के अन्तर्गत उपयुक्त उत्पादन स्तर के लिए प्रपुंज औषध आवश्यकताओं के अनुसार क्षमतायें अनुमेय की गई हैं।
7.	ईस्ट इण्डिया फार्मा० लि०, कलकत्ता	12 फार्मूलेशन्स	—वही—
8.	मै० औरियन्ट फार्मा० (प्रा०) लि०	9 फार्मूलेशन्स	—वही—
9.	मै० गफर लि०	18 फार्मूलेशन्स	—वही—
10.	मै० ज्योफरी मैनर्स एण्ड कं० लि०, बम्बई	मेडियेन मलहम	—वही—
11.	मै० बोहरिंगर लील	27 फार्मूलेशन्स	—वही—
12.	मै० डेज मेडिकल स्टोर्स (एम० एफ० जी० लि० कलकत्ता	8 फार्मूलेशन्स	—वही—
13.	मै० आर्गेनन (आई) लि०	1. आस्ट्राडियल फिनाइल प्रोपियोनेट	1.4 किग्रा०
		2. आस्ट्राडियल वेन्जोएट	8.0 किग्रा०
		3. टेस्टास्टीरोन फिनायल प्रोपियोनेट	41.5 किग्रा०
		4. टेस्टास्टीरोन आइसोकेप्रेट	37.5 किग्रा०
		5. टेस्टास्टीरोन डेकोनेटस	22.5 किग्रा०

पटना में हृदय रोगियों के लिए आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता

5421. श्री विजय कुमार यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "केलसिगार्ड" "परसेनटिन" "डिर्सेनटोल" और "केयरडिवेल" हृदय रोगियों के लिए आवश्यक औषधियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पटना में पिछले कई महीनों से "परसेनटिन" "डिसेंनटिल" और "केयरडिवेल" उपलब्ध नहीं है जिसके कारण हृदय रोगियों को अपने इलाज में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पटना में इन आवश्यक औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) रसायन और उर्वरक मन्त्रालय राज्य औषधिनियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त रिपोर्टों तथा जनता की शिकायतों के आधार पर अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधों की बाजार में उपलब्धता को मानीटर करता है। पिछले तीन महीने के दौरान हृदय रोगों के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली केलसिगार्ड, परसेनटिन, डिसेंनटोल तथा केयरडिवेल की पटना में अनुपलब्धता दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जब कभी किसी स्थान में किसी आवश्यक औषध की कमी की सूचना मन्त्रालय के मानीटरिंग सेल को दी जाती है तो संबंधित उत्पादकों को तत्काल तथा निरपवाद रूप से प्रभावित क्षेत्र में भण्डार भेजने की सलाह दी जाती है। तथापि डिकाकार्ड तथा डीपेलेटोल जैसी समकक्ष औषधें बाजार में उपलब्ध होने की सूचना है।

कोटा-चित्तौड़गढ़ बेल्ट में सीमेंट उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

5422. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोटा-चित्तौड़गढ़ पट्टी में चूने के पत्थर के प्रचुर भंडार हैं, जो कि पश्चिम और उत्तर भारत की सम्पूर्ण सीमेंट की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे उद्योग लगाकर इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विस्तार करके और वहां गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर सीमेंट के आयात में कमी करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राजस्थान की कोटा-चितोड़गढ़ पट्टी में चूने के पत्थर के प्रचुर भंडार हैं और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कई सीमेंट कारखाने लगाये गये हैं जिनका विस्तार किया जा रहा है। इन कारखानों में सीमेंट के उत्पादन से देश के उत्तरी और पश्चिम क्षेत्रों की सीमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलने की आशा है। देश में (गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में) सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से सीमेंट के आयात में पहले ही कमी हो गई है, जिसमें और भी कमी हो जाने की आशा है।

स्व-रोजगार योजना

[अनुवाद]

5423. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से स्व-रोजगार योजना का लोगों को कम लाभ हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सहायता के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अति विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों को बजाज स्कूटरों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन

5424. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का अति विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर दो पहियों वाले बजाज स्कूटरों का आबंटन कोटा, जिसे कुछ वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था, पुनः बहाल करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : जी, नहीं।

विदेशी सहयोग से स्थापित उद्योग

[हिन्दी]

5425. **श्री डाल चन्द जैन :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इस प्रकार स्थापित उद्योगों के नाम तथा स्वरूप क्या हैं; और

(ग) सरकार के पास इस हेतु अभी भी कितने मामले लंबित पड़े हैं और उन पर निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1982 से 1984 के दौरान विदेशी सहयोग के 2015 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। स्वीकृत किये गये सभी विदेशी सहयोग करारों का ब्यौरा अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी विनिर्माण की वस्तु, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके मन्थली न्यूज लेटर के परिशिष्ट में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। इन स्वीकृतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और उनके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालय की है। औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उन विदेशी सहयोग करारों की संख्या के बारे में जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती जो फलीभूत हो गए हैं।

(ग) सरकार के पास विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या जनहित को ध्यान में रखते हुए नीति विषयक मामला होने के कारण प्रकट नहीं की जाती।

कलकत्ता और मिदिनापुर जिले में पंसकुरा और बालीचक के बीच टेलीफोन सेवा

[अनुवाद]

5426. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के मिदिनापुर जिले के पंसकुरा, बालीचक के टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ कलकत्ता से सम्पर्क करना बहुत कठिन है और उक्त एक्सचेंजों से कलकत्ता के साथ कदाचित ही कभी कोई सम्पर्क जुड़ पाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। पंसकुरा-कोलाघाट और खडगपुर-बालीचाक ओवरहैड लाइनों में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण बुक की गई ट्रंक कालों में से प्रतिदिन केवल 50 प्रतिशत काल ही भारी विलम्ब से लग पाती हैं।

(ख) ट्रंक सेवाओं में सुधार करने के लिए खड़गपुर के ट्रांजिट स्टेशन को अलग करते हुए कलकत्ता के लिए सीधे ट्रंक सर्किट के साथ बालीचाक में एक टी-43 टाइप का ट्रंक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। पांसकुरा और कोलाघाट के बीच एक दूसरा ट्रंक जंक्शन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

मिट्टी के तेल के लिए राज सहायता

[हिन्दी]

5427. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में यह उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या लोगों को हो रही कठिनाई और व्यापारियों में लाभ कमाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर सरकार का विचार तेल के बढ़े हुए मूल्यों में राज सहायता देने का है ताकि उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल उचित दरों पर मिल सके ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) बिहार के कुछ भागों में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर बिहार को आबंटन में वृद्धि कर दी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरण सहित खुदरा बिक्री का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) मिट्टी के तेल की बिक्री कीमत को, लागत के आधार पर जो कीमत होती है उससे कम रखा जाता है। इसे और कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में टेलीफोन सेवा

[अनुवाद]

5428. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में आमतौर पर और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से टेलीफोन सेवाएं दिन प्रति दिन खराब होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केवल जोधपुर को छोड़कर जहां शिकायतों की दर कुछ अधिक है, राजस्थान के सामान्य और विशेषकर रेगिस्तानी इलाकों में टेलीफोन सेवाओं की कार्य प्रणाली आमतौर पर संतोषजनक है ।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान जोधपुर और बाड़मेर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

सरकारी मामलों का संचालन करने के लिए वकीलों की नियुक्ति

5429. श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के स्थायी काउन्सेलों/पिनल काउन्सेलों के सहायकों को सरकार द्वारा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों में सरकारी मामलों में उपस्थित होने और उनका संचालन करने की अनुमति है;

(ख) क्या कोई सहायक अभी तक कभी उपस्थित हुआ है; यदि हां, तो ऐसे सहायकों द्वारा कितने मामले जीते अथवा हारे गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पैनल काउन्सेलों और स्थायी काउन्सेलों से भिन्न कितने काउन्सेल नियुक्त किए गए और उनको किए गए संदाय के वर्षवार आंकडे क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं । जब केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेल/पिनल काउन्सेल को मामला सौंपा जाता है तो स्थायी काउन्सेल/पिनल काउन्सेल के कनिष्ठ काउन्सेलों को केंद्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेल/पेनल काउन्सेल की ओर से उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में भूमि-विवादों से संबंधित लम्बित मामले

5430. श्री गदाधर साहा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 और उसके पूर्व से कलकत्ता उच्च न्यायालय में भूमि विषयक अनेक सिविल नियम और सिविल आदेश संबंधी विवाद लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा की गई जानकारी, संलग्न विवरण सं० एक में दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित अन्य उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए साधारणतः जो उपाय किए गए हैं वे संलग्न विवरण सं०दो में दर्शित किए गए हैं।

विवरण–एक

	लम्बित रिट् याचिकाओं की संख्या								
लंबित रिट् याचिकाओं की कुल संख्या	एक वर्ष से कम से	1 से 2 वर्ष से	2 से 3 वर्ष से	3 से 4 वर्ष से	4 से 5 वर्ष से	5 से 6 वर्ष से	6 से 7 वर्ष से	7 से 10 वर्ष से	10 से अधिक वर्ष से
39	23	5	6	3	2	....	....	...	....

विवरण–दो

उच्च न्यायायलों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है :–

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से, लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधित किया गया (देखिए धारा 100क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता का अधिनियमन वर्ष 1973 में किया गया और उसे 1978 और 1980 में संशोधित किया गया।

(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय, मामलों के बेहतर निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रक की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन आने वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना ।

(5) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन नियुक्ति पर विचार किया जाए ।

(6) सरकार ने देश में न्याय-प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है । विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :–

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय-प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से–

(I) इस आधार भूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चत करने, के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(II) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें; और

(III) न्याय-प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्याय-प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, विरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

(7) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारशों की समीक्षा की गई है अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है, इसलिए, वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

महाराष्ट्र का उद्योग विहीन जिले के लिये मानदंड बदलने का अनुरोध

5431. **श्री डी०बी० पाटिल :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से उद्योग विहीन जिलों का निर्धारण और घोषणा करने के मानदंड को बदलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस समय उद्योग विहीन जिले का निर्धारण और घोषणा करने संबंधी मानदंड क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अभ्यावेदन दिया था कि जिला गढ़चिरौली जिसे दिनांक 15.8.82 को चंद्रपुर जिले से अलग कर दिया गया था, उसे "उद्योग रहित जिलों" की सूची में शामिल किया जाये।

(ग) और (घ) गढ़चिरोली जिले को 1-4-1985 से उद्योग रहित जिलों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(ङ) 31.3.1983 तक बनाये गये वे जिले जिनमें 1979-80 तक बड़े अथवा मध्यम उद्योग नहीं थे, उद्योग रहित जिलों की सूची में शामिल किए जाने के पात्र हैं।

मारुति कारों के मूल्य में वृद्धि

5432. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों में आयातित पुर्जों की लगातार उच्च प्रतिशतता के कारण मारुति कारों के मूल्य में वृद्धि की गई है; और

(ख) क्या सरकार की ऊर्जा के पुनः प्रयोग में लाये जा सकने वाले स्वदेशी स्रोत पर पूर्ण निर्भरता की ओर देश को आगे ले जाने में सहायता देने के लिए शत-प्रतिशत अल्कोहल से चलायी जाने वाली मारुति गाड़ियाँ तैयार करने की कोई योजना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में खोई पर आधारित कागज के कारखाने स्थापित करना

5433. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी बनाने वाले अनेक सहकारी कारखानों ने अपनी फालतू खोई से कागज तैयार करने के कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे सरकारी वित्तीय संस्थान ऐसे उपक्रमों को अग्रिम ऋण देने से इन्कार कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिए इस मामले में नये सिरे से अध्ययन कराने का है क्योंकि इस सम्बन्ध में पहले किये गये अध्ययन में गलत बातों पर जोर दिये जाने अथवा उसके अधूरा/अपर्याप्त रह जाने के कारण उद्योग की गति अवरुद्ध हो रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) महाराष्ट्र राज्य के सहकारी क्षेत्र में कुछ चीनी कारखानों ने खोई पर आधारित कागज संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थानों नें अधिशेष/दी गई खोई पर आधारित ऐसे कागज एककों का वित्तीपन करने का नीति विषयक निर्णय लिया है, जो जीव्यता-सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करते हों । चीनी बनाने वाली 4 सहकारी समितियों को, जिन्होंने जून, 1984 से पूर्व संस्थानों से सम्पर्क स्थापित किया था, वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी गई है । पहले से सहायता प्राप्त कर रहे एककों की संख्या पर विचार करते हुए संस्थानों ने सहायता प्राप्त चारों परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और चीनी बनाने वाली अन्य सहकारी समितियों द्वारा खोई पर आधारित की जाने वाली प्रस्तावित और अधिक परियोजनाओं को सहायता देने से पूर्व प्रौद्योगिकी की सफलता और संचालन की अर्थव्यवस्था से अपने आपको संतुष्ट कर लेने का निर्णय लिया है ।

(घ) जी, नहीं ।

गोपालगंज, सीवान और पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन (बिहार) को दिल्ली और पटना के साथ एस० टी० डी० (सीधे ट्रंक डायल सेवा) से जोड़ना

[हिन्दी]

5434. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोपालगंज, सीवान और पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन (बिहार) में एस०डी०डी० सुविधाएं न होने के कारण दिल्ली और पटना के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन से बात करने के लिए 5 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त स्थानों को दिल्ली और पटना के साथ एस०टी०डी० से जोड़ने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिर भी, गोपालगंज, सिवान और पश्चिमी चम्पारन (बेतिया) को पटना और दिल्ली के साथ एस०टी०डी० सुविधा द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है। पूर्वी चम्पारन (मोतीहारी) पहले से ही एस०टी०डी० द्वारा पटना और दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के लिये निर्धारित धन राशि

[अनुवाद]

5435. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिये कौन से मुख्य कार्यक्रम शुरु किये गये हैं;

(ग) उन तेल कम्पनियों के आंतरिक स्रोतों से कितनी धनराशि उपलब्ध किये जाने की संभावना है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिये बाह्य सहायता के रूप में कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पेट्रोलियम मंत्रालय की सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वीर सुरेन्द्र साए के सम्मान में स्मारक टिकट जारी करना

5436. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और वीर सुरेन्द्र साए निधन शताब्दि समिति ने देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेन्द्र साए के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त टिकट को इस वर्ष जारी करने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) स्मारक और विशेष डाक टिकट जारी करने तथा अन्य फिलैटलिक मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए विभाग में एक फिलैटलिक सलाहकार समिति कार्य करती है। वीर सुरेन्द्र साई के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने से संबंधित प्रस्ताव इस समिति के सामने रखा गया था परन्तु समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की। भारत के स्वाधीनता संग्राम

पर जारी की जा रही डाक टिकट शृंखला में विशिष्ट व्यक्तियों और विषयों को चित्रित करने के उद्देश्य से सरकार को सलाह देने के लिए जो कार्यकारी ग्रुप गठित किया गया है, उसने भी इनके नाम की सिफारिश नहीं की।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1985 में डाक टिकट जारी करने का जो कार्यक्रम बनाया गया, उसे 1984 में अंतिम रूप देकर घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम में वीर सुरेन्द्र साई का नाम शामिल नहीं है। फिर भी इस प्रस्ताव को फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष पुनः विचार करने के लिए रखे जाने का प्रस्ताव है।

बम्बई से बसई और विरार तक के लिये एस०टी०डी० सेवा

5437. श्री अनूप चन्द शाह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से वसई और विरार तक सीधी डायल सेवा (एस०टी०डी०) का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) विरार में पहले से ही एक आटोमेटिक एक्सचेंज है। वसई में इस समय मैनुअल एक्सचेंज है तथा इस मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। विरार और वसई को बम्बई के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ने के लिए एक उपयुक्त संचारण लिंक स्थापित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर संबंधी समिति का गठन

[हिन्दी]

5438. श्री सरफराज अहमद : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं और प्रयोक्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मई, 1984 में एक टायर सम्बन्धी समिति, का गठन किया गया था और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसे कितने समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था;

(ख) क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसकी रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) आटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब्स समिति का गठन श्री एम० सत्यपाल (भूतपूर्व सचिव, तकनीकी विकास) की अध्यक्षता में मई, 1984 में किया गया था। डा० एस० चन्द्रशेखर, सदस्य, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, श्री एस० चन्द्रशेखरन, निदेशक भारतीय मानक संस्थान, श्री एम० शिवगुरु, अपर महानिदेशक, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और श्री जी० आर० ईनामदार, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी व विकास महानिदेशालय समिति के सदस्य थे। समिति से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। किन्तु समिति का कार्यकाल जनवरी, 1985 तक बढ़ा दिया गया था। समिति ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. कच्चे माल का मूल्य स्थिर रखने के लिए अग्रुपाय करना जिसमें कच्चे माल की देशी उत्पादन क्षमता का विस्तार करना शामिल है।

2. उत्पादों का आई० एस० आई० प्रमाणीकरण और उत्पादों पर सूचनात्मक लेबल लगाना जिसमें आकार, विनिर्माण की तिथि, अधिकतम अनुमत भार, न्यूनतम शेष अवरोध गहराई की जानकारी दी गई हो।

3. गति प्रतिमानों (ट्रीड पैटर्न) टायरों का वर्गीकरण और प्लाई रेटिंग की सीमा को शामिल करते हुए संस्था के मानदण्ड बनाना।

4. व्यापारियों तथा उद्योग द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी गई छूट सहित खुदरा मूल्यों की आवश्यक अधिसूचना।

5. इस प्रकार के टायरों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को चयन के लिए पर्याप्त किस्म उपलब्ध कराने हेतु उद्योग द्वारा कम प्लाई के टायरों का उत्पादन जारी रखना।

6. क्षमता के बेहतर उपयोग द्वारा विशेषकर निर्यात बढ़ाकर और बेहतर प्रबंध व्यवस्था द्वारा टायरों के उत्पादन की लागत कम करना।

7. विद्यमान क्षमता विस्तार के लिए प्रोत्साहन देना।

8. उद्योग और सरकार द्वारा उपकर लगाकर एकत्रित होने वाली राशि से आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए देश में केन्द्रीय अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना करना।

9. सामग्री जांच सुविधाओं की स्थापना।

10. उद्योग द्वारा सिलिका द्वारा कार्बन ब्लैक को बदलने, टायर कोर्ड फेब्रिक के लिए न्यू फैब्रिक का उपयोग करने और रेडियल टायरों का उत्पादन करना और इन क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकीय आरंभ निर्भरता प्राप्त करना।

11. विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाना।

12. सड़कों का सुधार और रख-रखाव।

13. अधिकतम भार, संचालन और सुरक्षा विनियमनों के बारे में सांविधिक मानदण्डों का प्रभावी रूप से पालन करना।

14. बहु-एक्सल वाले वाहनों की शुरूआत करना।

15. टायरों की संख्या देने की बजाए सामग्री के भार के अनुसार लाइसेंसीकृत क्षमता की जानकारी देना तथा उद्योग को उत्पाद-मिश्र बदलने अथवा बाजार मांग के अनुसार उत्पाद का विविधीकरण करने की अनुमति देना।

16. टायरों और कच्चे माल पर वित्तीय लेवी लगाई जाने की समीक्षा करना।

17. टायरों के मूल्यों और उनके वितरण में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करना।

डाक तार विभाग में केरल सर्किल के अन्तर्गत आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारी

[अनुवाद]

5439. प्रो० के० वी० थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तार विभाग के केरल सर्किल में कितने आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उनको स्थायी पदों पर नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) दूरसंचार : केरल दूरसंचार सर्किल में आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारियों की संख्या निम्नप्रकार हैं :

(एक) टेलीफोन आपरेटर	247
(दो) टेलीग्राफिस्ट	42
(तीन) तार सहायक	41
(चार) तकनीशियन	96

डाक : जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ख) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों को भविष्य में होने वाली रिक्तियों में, जब कभी वे बनती हैं खपाया जाता है। इस समय उन्हें नियमित पदों पर खपाने में विलंब पदों के सृजन/पदों के भरने पर लगी रोक के कारण हो रहा है।

आन्ध्र प्रदेश के लिए "हैवी अर्थ मूविंग" मशीनरी, बनाने हेतु आशय-पत्र की मंजूरी

5440. श्री एम० वेंकट रत्नम : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार अपने किसी पिछड़े क्षेत्र में हैवी अर्थ मूविंग उपस्करों के निर्माण के लिए वर्ष 1984 में आशय-पत्र हेतु आवेदन किया था;

(ख) क्या देश में किसी भी फर्म में भारी क्षमता वाले अर्थ मूविंग उपस्कर नहीं बनाए जाते हैं और उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर आन्ध्र प्रदेश को आशय-पत्र मंजूर करने पर विचार करेगी; और

(ग) क्या देश में उद्योगों के बढ़ने से इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) विद्यमान एककों द्वारा मिट्टी हटाने के उपकरणों की मांग पूर्णरूप से पूरी की जा रही है। अतः आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का आवेदन क्षमता संबंधी अड़चनों के आधार पर रद्द कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टेलेक्स सेवा

[हिन्दी]

5441. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिला मुख्यालयों में चालू वर्ष के दौरान टेलेक्स सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इसकी व्यवस्था किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मन्त्रालय का विचार टेलेक्स सेवा के अभाव में हो रही असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से क्या वैकल्पिक उपाय करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) टेलेक्स एक्सचेंज की स्थापना के लिए पर्याप्त मांग नहीं है।

(घ) इच्छुक पार्टियों को नजदीकी टेलेक्स एक्सचेंज से लंबी दूरी के टेलेक्स कनैक्शन दिए जा सकते हैं।

आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति

[अनुवाद]

5442. **श्री अप्पया डोरा हनुमन्तु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छोटे टेलीफोन एक्सचेंज कितनी संख्या में हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में छोटे टेलीफोन एक्सचेंज कितने हैं;

(ग) क्या श्रीकाकुलम में आपरेटरों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) क्या नये आपरेटरों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1542।

(ख) 32।

(ग) सभी मंजूर किए गए पदों को भर दिया गया है।

(घ) और (ङ) इससे अधिक टेलीफोन आपरेटर नियुक्त करने का औचित्य बनता है लेकिन पाबन्दी आदेशों के कारण अतिरिक्त पदों का सृजन करके उन्हें भरा नहीं जा सकता है। जब पाबन्दी हटा दी जाएगी, तो औचित्य पाए गए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिए कारंवाई की जाएगी।

बम्बई हाई में उपलब्ध गैस को गुजरात में बिजली पैदा करने के लिए उपयोग में लाना

5443. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम मंत्री बम्बई हाई में उपलब्ध गैस का गुजरात में बिजली में पैदा करने के लिए उपयोग के बारे में 19 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को एसोसिएटेड प्राकृतिक गैस को अस्थाई आधार पर सप्लाई कब से की जा रही है;

(ख) क्या इन उपक्रमों को एसोसिएटेड गैस की सप्लाई के लिए किए गए किसी समझौते में उसकी अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी निर्धारित अवधि समाप्त कब होने वाली है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के यूनिटों के लिए एसोसिएटेड गैस का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इससे पूर्व कोई प्रस्ताव रखा था; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की यूनिटों के नाम क्या हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एशोसिएटिड प्राकृतिक गैस अस्थायी आधार पर टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को जुलाई 1978 से, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को जुलाई 1982 से और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन को दिसम्बर 1972 से दी जा रही है।

(ख) टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को एशोसिएटिड गैस सप्लाई अवधि के बारे में एक करार किया गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में ऐसा कोई करार नहीं किया गया है।

(ग) टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी के मामले में ठेका 31 मार्च 1983 को समाप्त हो गया है।

(घ) और (ङ) जी हां, गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य बिजली बोर्ड, गुजरात औद्योगिक निवेश निगम, गुजरात राज्य उर्वरक निगम और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को एशोसिएटिड गैस देने का अनुरोध किया है।

प्राकृतिक गैस के स्त्रोत

5444. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के स्रोतों के भण्डारों के बारे में नवीनतम अनुमान क्या लगाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : दिनांक 1 जनवरी, 1984 को देश में प्राकृतिक गैस के शेष वसूली योग्य भण्डारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	(बि० घन मीटर)
पश्चिमी क्षेत्र	19.14
पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	81.30
अपतटीय क्षेत्र	377.81

डाक और तार विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों में काडरों को पुनर्गठित करना

5445. श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक और तार विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों में काडरों के पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है जैसा कि रेल विभाग के मामले में किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। डाक तार विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों में संवर्गों का पुनर्गठन करने का कोई ठोस प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए जारी किए लाइसेंस

[हिन्दी]

5446. श्री नरसिंह मकवाना : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किए गये हैं;

(ख) राज्य वार कुछ संयंत्रों द्वारा निर्धारित समयानुसार उत्पादन शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक लघु सीमेंट संयंत्र में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है, तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन संयंत्रों के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अब तक 33 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें से 12 एककों ने उत्पादन शुरु कर दिया है और 18 एकक औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने के लिए स्वीकृत दो वर्ष की पनपने की अवधि के अन्तर्गत चल रहे हैं। तीन एककों ने जिनके सम्बन्ध में दो वर्ष से अधिक समय पूर्व औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं, अभी उत्पादन शुरु नहीं किया है। इनमें से दो एकक कर्नाटक में हैं, जबकि तीसरा एकक महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के दोनों एककों के मामले में लगभग तीन महीने की देरी हो जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के एकक के मामले में लगभग 21 महीने की देरी हो देरी हो जाने की संभावना है। एकक के अनुसार यह देरी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में विलम्ब हो जाने और तदनुरूप अत्यावश्यक मशीनों की पूर्ति के लिए क्रयादेश देने में विलम्ब के कारण हुई है।

(ग) प्रत्येक मिनी सीमेंट संयंत्र में किए गए पूंजीगत निवेश और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऐसे प्रत्येक एकक को दिए गए पेशगी ऋणों से सम्बन्धित सूचना इस मन्त्रालय में नहीं रखी जाती किन्तु, मिनी सीमेंट संयंत्रों में किया जाने वाला पूंजीगत निवेश अलग-अलग संयंत्र में भिन्न-भिन्न होता है, जो उसकी प्रौद्योगिकी और अन्य बातों जैसे कारखाने का स्थापना-स्थल, कच्चे माल और ईंधन का कहां तक इस्तेमाल होता है और उसकी किस्म कैसी है इस पर निर्भर करता है। वर्तमान मूल्य स्तरों के अनुसार, वर्टिकल शाफ्ट किल्न प्रौद्योगिकी पर आधारित 200 मी. टन प्रतिदिन की क्षमता वाले मिनी सीमेंट संयंत्र में लगभग 4.5 करोड़ रुपये के कुल निवेश की आवश्यकता होती है। रोटरी किल्न प्रौद्योगिकी वाले इसी क्षमता के एक संयंत्र में 9 करोड़ रुपये से 11 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है।

असम में निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत

[अनुवाद]

5447. **श्री ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के बारे में इस वर्ष जनवरी में निर्वाचक आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में परिवर्तन किए गए हैं, यदि हां, तो मार्गदर्शक सिद्धान्तों का मूल पाठ क्या था और उनमें बाद में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ आपत्ति की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) आयोग ने असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के बारे में जनवरी, 1985 में, असम

के मुख्य निर्वाचन आफिसर को केवल कुछ अनुदेश जारी किए थे। इस पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1105/85]। आयोग ने सूचित किया है कि उसने इस पत्र द्वारा दिए गए अनुदेशों में कोई तात्विक परिवर्तन नहीं किया है। आयोग ने मार्च, 1985 में मुख्य निर्वाचन आफिसर को निर्वाचक कार्डों की संवीक्षा और रजिस्ट्रीकरण तथा दावों और आक्षेपों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया के बारे में इन अनुदेशों के विस्तारण और स्पष्टीकरण के रूप में एक संसूचना भेजी थी। इस पत्र की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1105/85]। आयोग ने असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षा के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को भी मार्च, 1985 में अनुदेश जारी किए थे। इन अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1105/85]

(ग) आयोग ने बताया है कि उक्त अनुदेशों के बारे में उसे कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। किन्तु आयोग को राज्य की पुलिस, राजस्व और वन विभाग द्वारा घर-घर जाकर प्रगणना करने और सत्यापन करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों के बारे में ब्यौरेवार विवरण, जैसा कि आयोग ने भेजा है, सभा पटल पर रख दिया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1105/85]

न्यायाधीशों के वेतन का पुनरीक्षण

5448. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 35 वर्षों के दौरान न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग (घ) के साथ पठित अनुच्छेद 125 (1) और 221 (1) में विहित हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मन्त्रियों के सम्मेलन में, जो शीघ्र ही होने वाला है, अन्य विषयों के साथ-साथ, इस विषय पर भी विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता में सर्विस टेलीफोन 198 और 199 का कार्यकरण

5449. **प्रो० बिमल कांति घोष** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता शहर की टेलीफोन प्रणाली में सर्विस टेलीफोन सं० 198 और 199 के कार्यकरण के बारे में व्याप्त व्यापक असन्तोष की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में सर्विस टेलीफोन सं० 198 और 199 की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) अन्य शहरों की तुलना में कलकत्ता में, सर्विस टेलीफोन सं० 198 और 199 के लिए किए गए टेलीफोन के उत्तर में आपरेटरों द्वारा औसतन कितना समय लिया जाता है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) 198 और 199 सेवाओं के कार्य न करने के बारे में अक्सर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) 198 और 199 सेवाओं की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) समय-समय पर परीक्षण किया जाता है और सख्ती से पर्यवेक्षण कार्य किया जाता है,

(ii) खराब सर्किटों को अविलंब ठीक किया जाता है,

(iii) जब कभी भी उचित होता है सर्किटों में वृद्धि की जाती है।

(ग) कलकत्ता में आपरेटर 198 और 199 पर की गयी कालों का उत्तर देने में क्रमशः 17 और 9 सेकेंड का समय लेते हैं जबकि अन्य महानगरों अर्थात बम्बई, दिल्ली और मद्रास में 10 सेकेंड का समय लिया जाता है।

तमिलनाडु में दक्षिण अरकोट के भुवानागिरी में मिट्टी के तेल हेतु सर्वेक्षण

5450. डा० पी० वल्लभ पेरुमन : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मिट्टी के तेल के लिए तमिलनाडु में दक्षिण अरकोट जिले के भुवानागिरी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास उस क्षेत्र में मिट्टी के तेल का वाणिज्यिक उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल के लिए भुवनगिरी क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है। मिट्टी का तेल कच्चे तेल के से प्राप्त किया जाता है।

(ख) और (घ) सर्वेक्षण के आधार पर खुदाई के लिए दो क्षेत्रों को चुना गया है। हाइड्रोकार्बन के वाणिज्यिक उत्पादन का प्रश्न तभी उठेगा जब हाईड्रोकार्बन की वाणिज्यिक मात्रा में प्राप्ति तथा निकासी होगी।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

5451. श्री हुसैन दलवाई
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् } : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): 1.5.1985 को यथा विद्यमान जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	1.5.1985 को स्वीकृत संख्या स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
1	इलाहाबाद	54	6	60
2	आंध्र प्रदेश	24	2	26
3	बंबई	40	3	43
4	कलकत्ता	39	—	39
5	दिल्ली	25	2	27
6	गोहाटी	8	1	9
7	गुजरात	18	3	21
8	हिमाचल प्रदेश	5	1	6
9	जम्मू-कश्मीर	5	2	7
10	कर्नाटक	24	—	24
11	केरल	15	3	18
12	मध्य प्रदेश	21	8	29
13	मद्रास	25	—	25
14	उड़ीसा	11	—	11
15	पटना	35	—	35
16	पंजाब और हरियाणा	23	—	23
17	राजस्थान	18	—	18
18	सिक्किम	3	—	3
		393	31	424

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली के पुस्तकालय में मूल सुविधाओं का अभाव

5452. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के पंचकुइया रोड, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में शुद्ध पेय जल, गर्मियों में ठंडे पानी कैंटीन या दोपहर के भोजन के लिए उपयुक्त स्थान, गर्मियों/सर्दियों में ठंडा/गर्म करने की व्यवस्था जैसी मूल सुविधाएं भी नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने यह सूचना दी है कि उसके रानी झांसी रोड, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में शुद्ध पेयजल, गर्मियों में ठंडे पानी और शीतकारी व्यवस्था जैसी सभी मूल सुविधाएं हैं। तथापि, सर्दियों में गर्म करने के प्रबन्धों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है। स्थान की कमी के कारण, कोई कैन्टीन सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई हैं। तथापि जहां छात्र अपना मध्याह्न-भोजन कर सकें, उसके लिए टेबिल एवं बैठने के स्थान सहित उचित क्षेत्र उद्दीष्ट किया गया है।

(ख) संस्थान ने पहले ही अपनी पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूखण्ड के लिए आवेदन किया है।

बिहार में कोयले पर आधारित रसायन उद्योग स्थापित करना

5453. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रसायन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें कोयले या इसके उत्पादों से चलाया जा सकता है; और

(ख) क्या बिहार में ऐसे कुछ उद्योगों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रसायन और उर्वरक कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कार्बनीकरण, गैसीकरण, हाईड्रोजनीकरण, इलैक्ट्रो थर्मल न्यूनीकरण तथा कार्बन प्रतिप्राप्ति जैसी अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा कोयले से बड़ी संख्या में रसायन निकाले जाते हैं। गैसीकरण, हाइड्रोजनीकरण, आक्सीडेशन यथा कार्बन प्रतिप्राप्ति जैसी प्रक्रियाएं विस्तृत रूप से प्रयुक्त नहीं की जाती। कोक को मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पादित करने के लिए स्टील संयंत्रों में कोयला कार्बनीकरण का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस, अमोनीकल शराब, कच्चा लाईट तेल तथा कच्चा तारकोल उप उत्पाद हैं। अमोनिकल शराब से निर्मित किए जाने वाले रसायन हैं—अमोनिया, अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम थियोसाईनेट। आंशिक आसवन द्वारा लाईट तेल के संसाधन द्वारा बेंजीन, एक्सीलिन तथा टोलून जैसे सुगन्धित हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन किया जाता है। कच्चे तारकोल के आंशिक आसवन से नेफथालिन एन्थ्रासीन क्रेसिल्स, एक्सलीनीलज पाईरिडिन, पिकोलिन्स आदि की प्राप्ति होती है।

(ख) जी नहीं। सरकार ने बिहार में उक्त कारखाने स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया है तथापि यदि बिहार में ऐसे एकक स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो योग्यता के आधार पर उनकी जांच की जाएगी।

टार्टरिक एसिड का उत्पादन

5454. **श्री सुन्दर लाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने टार्टरिक एसिड का उत्पादन कर रहे हैं और उनका चार्टड और वास्तविक उत्पादन क्या है;

(ख) देश में टार्टरिक एसिड की घरेलू वार्षिक मांग क्या है;

(ग) उन पार्टियों के नाम व पते क्या हैं जिन्हें आशय पत्र/लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में टार्टरिक एसिड का आयत किया गया तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ.) सरकार का उन उद्यमियों को, जो आयात प्रतिस्थापक के रूप में इस रसायन के लिये उद्योग लगाना चाहेंगे, क्या रियायतें देने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) टार्टरिक एसिड के उत्पादन के लिए संगठित क्षेत्र में कोई एकक स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, यह पता चला है कि दो लघु उद्योग एकक, अर्थात् ओखला कैमिकल्स लि०, 25 कम्युनिटी सेण्टर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली तथा मैसर्स विम्पैक्स डाई कैम (प्रा०) लि०, ए-40/1, जीटी करनाल रोड, इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली टार्टरिक एसिड का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी वार्षिक क्षमता 450 मी० टन है।

(ख) अनुमान है कि टार्टरिक एसिड की वार्षिक स्वदेशी अपेक्षा लगभग 500 टन है।

(ग) टार्टरिक एसिड के उत्पादन के लिए कोई आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टार्टरिक एसिड का आयत निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1980-81	395	103.25
1981-82	297	97.15
1982-83	320	74.64
(दिसम्बर, 82 तक)		

(ङ) संसार में टार्टरिक एसिड का उत्पादन वाइन यार्ड वेस्ट पर आधारित है, जो भारत में वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तथापि टमरिंड की तरह के स्वीकार्य कच्चे मालों का उपयोग करके टार्टरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए देश में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। अन्य उद्योगों के लिए उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन टार्टरिक एसिड के लिए भी उपलब्ध है। टार्टरिक एसिड के उत्पादन के लिए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव की सरकार गुण-दोष के आधार पर जांच करेगी।

दिल्ली छावनी बोर्ड कार्यालय में लम्बित मामलों का निपटान

5455. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के कार्यालय में नामांतरण/पट्टे के हस्तांतरण के बहुत से मामले काफी समय से लम्बित हैं बावजूद इसके कि हस्तांतरण करने वालों तथा जिनके नाम हस्तांतरण किया जाना है उन दोनों के द्वारा इसके लिए आवेदन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बित मामलों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) दिल्ली छावनी बोर्ड के पास पांच प्रार्थना-पत्र ऐसे शेष पड़े है जिनमें अभी नामान्तरण किया जाना है। नामान्तरण की कारंवाई नहीं की जा सकी क्योंकि पट्टेदार/सह-पट्टेदार तथा उत्तराधिकारी इस भूमि के और टुकड़े कराने की कार्रवाई में लगे हुए हैं तथा पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के अलावा अन्य कार्य के लिए कराना चाहते हैं तथा उस पर अनधिकृत निर्माण कर लिया है। रक्षा भूमि तथा छावनी महानिदेशक से इन मामलों को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने को कहा गया हैं।

अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्ताव

5456. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 के दौरान और 19 अप्रैल, 1985 तक अनिवासी भारतीयों से औद्योगिक निवेशों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण क्या है और उनमें से कितनों को अभी तक मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या बिहार में विशेषकर पिछड़े आदिवासी जिलों में कोई उद्योग लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय राष्ट्रीयता वाले/भारतीय मूल प्रवासी भारतीयों से प्राप्त विभिन्न औद्योगिक प्रस्तावों, (शत प्रति–शत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों को छोड़कर) जिनमें आशयपत्र/अनुमति/औद्योगिक लाइसेंस, पूंजीगत माल के आयात और विदेशी सहयोग की स्वीकृति शामिल है पर विचार करने वाली विशेष अनुमोदन समिति (प्रवासी भारतीय) का गठन नवम्बर 1983 में होने के बाद भारतीय राष्ट्रीयता वाले/भारतीय मूल प्रवासी भारतीयों को 66 आशयपत्र/अनुमति औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1983 (नवम्बर - दिसम्बर)	6
1984	39
1985 (31.3.85 तक)	21

इन आंकड़ों में भारतीय राष्ट्रीयता वाले/मूल प्रवासी भारतीयों के शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव शामिल नहीं हैं। इन आशयपत्रों/अनुमति/औद्योगिक लाइ-सेंस के प्रस्तावों में दिया गया ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

नवम्बर, 1983 से 31-3-1985 तक अनिवासी भारतीयों से आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस/अनुमति के सम्बन्ध में प्राप्त तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के ब्योरे

क्र.सं.	आवेदक का नाम	विनिर्माण की वस्तु	स्थापना-स्थल
1	2	3	4
1	श्री पी० बी० भारद्वाज	माइल्ड और अलॉय स्टील रोल्ड उत्पाद	जिला विघर्व (मध्य प्रदेश)
2	श्री डी० के० मिश्र	अखबारी कागज	पेरादीप, जिला कटक (उड़ीसा)
3	श्री कुलदीप सिंह भुल्लर	टी० वी० पिक्चर ट्यूब	जिला लुधियाना, पंजाब
4	मैं० मद्रास हाइड्रालिक होज प्रा० लि०	हाई प्रेशर हाइड्रालिक होज	गुम्मिडी-पूनदी, जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
5	श्री एस० एल० चेलाराम	बी०एण्ड डब्ल्यू०टी०वी० पिक्चर ट्यूब	तहसील गाँधीनगर, अहमदाबाद के निकट (गुजरात)
6	मै० मबेलेक, फ्रांस	एनर्जी कंजर्वेशन आदि के आप्टिमाइजेशन के लिए उपकरण	जिला अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)
7	श्री वी० एस० सी० कोवता	सूती/सिंथेटिक ब्लेंडेड यार्न	जिला मेडक (आन्ध्र प्रदेश)
8	श्री एल० एन० मित्तल	पी०वी०सी० कोटेड शीट	तमिलनाडु का पिछड़ा जिला
9	श्री धर्मवीर गुप्त	औषध	जिला पुणे, महाराष्ट्र
10	श्री दिलीप भार्गव	सबमर्जडआर्क वेंडेड स्टील पाइप	जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
11	श्री शेक कालेशा	डिटर्जेंट पाउडर	जिला बिदार, कर्नाटक
12	श्री मनमोहन चोपड़ा	इलैक्ट्रानिक टाईपराइटर	जिला गुड़गाँव, हरियाणा
13	श्री गोपाल के० कपूर	सफेद सीमेंट	जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश
14	श्री परेश एस० परेख	हाइड्रोएक्सीप्रोपील शोर	जिला बड़ोदा, गुजरात
15	श्री के० रामेशम	विंचेस्टर डिस्क ड्राइव	जिला मेडक, आन्ध्र प्रदेश
16	श्री जय राम राम चन्द मूरजानी	मेसज प्रोपरेशन वर्क स्टेशन और टाइम सेयरिंग टर्मिनल	श्री नगर जम्मू तथा कश्मीर

1	2	3	4
17	श्री लतीफ एम० खान	हाई स्पीड आइडोकेसेट डुपलिकेटिंग सिस्टम	जिला मेढक, आन्ध्र प्रदेश
18	श्री जी० सत्यनारायण रेड्डी	पोली एल्यूमीनियम लेमिनेट	जिला मेढक, आन्ध्र प्रदेश
19	मै० बिनाटोन इलैक्ट्रानिक्स	विडियों डिसपले मॉनिटर	जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
20	श्री सी० एस० राव	प्रिंटेड सर्कट बोर्ड	जिला मेढक आन्ध्र प्रदेश
21	श्री टी० के० गाँधी	फल उत्पाद और रस आदि	जिला नागपुर, महाराष्ट्र
22	श्री आर० एन० हतीरमणी	औषध	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
23	श्री एन० दक्षिणामूर्ति	रंगीन टी० पी० ट्यूनर	जिला पोंदा, गोआ, दमन और दीव का संघ शासित क्षेत्र
24	श्री एम० एम० चौपड़ा	प्रतिलिपि करने वाला सादा कागज	जिला गुड़गांव, हरियाणा
25	श्री आर० नारायणन	मेडिकल डिसपोजेल सिरिंज	जिला बिदार, कर्नाटक
26	श्री के० मुहम्मद फारूख खान	प्रिंटेड सर्कटबोर्ड	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
27	मै० थदानी होल्डिंग्स प्रा० लि०	एच० डी० एफ०/पी०पी० वोवन फेबरिक	जिला नंदेद, महाराष्ट्र
28	डा० योगेन्द्र सिंह	कोल्ड ड्रान वेलडेड ट्यूब	जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
29	श्री के० टी० थामस	टैक्सचर्ड कोटिंग	जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र
30	श्री एन० के० रावत	स्ट्रक्चरल फोम थर्मोप्लास्टिक उत्पाद	जिला पुणे, महाराष्ट्र
31	श्री एस० मंधाराम	वीडियो कैसेट	जिला फरीदाबाद, हरियाणा
32	श्री सी० एल० सिसौदिया	हाई स्पीड एलाय मैंटल मै० मेपक मैटल पाउडर लि०	जिला धार, मध्य प्रदेश
33	प्रिंस सी०आर०बी०आर० जाधव खेडकर	कृषि परिवहन मशीनें	जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र
34	श्री पिशु गंगलानी	वीडियो कैसेट	बंगलौर, कर्नाटक

1	2	3	4
35	श्री प्रेम खैतानी	वीडियो कैसेट	जिला मोहिन्दरगढ़
36	श्री आर० आर० सूद	टीन के कनस्तर	जिला सोनीपत, हरियाणा
37	श्री एम० एम० मजीठिया	स्टेनलैस स्टील की कलाई घड़ियों के पट्टे	जिला भड़ौच, गुजरात
38	श्री मोफतराज पी० मुनोत	प्रैशर सेन्सीटिव आसजक टेप	जिला बलसाड़, गुजरात
39	श्री एम०एम० मजीठिया	कलाई घड़ियों के पट्टों की गोल्ड प्लेटिंग	जिला भड़ोच गुजरात
40	श्री राघवबीर साहनी	ए०सी०/डी०सी० ड्राइव	दिल्ली
41	श्री गुलशन के० आरोड़ा	वीडियो टेपें	हरियाणा/उत्तर प्रदेश
42	मैं० इण्डो० यू० एस० इन्वेस्टमेंट इन्क.	मेथानोल	जिला रायगढ़
43	श्री एस० के० हनुमन्त राव	मिथाइल डोपा और अन्य औषधियां	जिला मेढक, आन्ध्र प्रदेश
44	श्री पी० एस० साहनी	पोलीएथर पोलीओल	गुजरात
45	श्री रामचन्द्र एन० गाला	स्टोरेज बैटरियां	जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश
46	सन्तोष एस० गोपलानी	प्लास्टिक मोल्डेड टी०वी० केबिनेट	दिल्ली
47	डा० धरमबीर सूद	रंगीन टी०वी० डिफ्लैक्शन हिस्से-पुर्जे	जिला गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश
48	मैं० कोडी एलकाट लि०	अल्ट्रासेनिक स्केनर्स	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
49	श्री मलविन्दर सिंह	ओडियो और वीडियो टेपें	जिला धार (म० प्र०)
50	मैं० विमपैक्स इन्वेस्टमेंट	फ्लोरोसेंट ट्यूबे आदि	जिला डांग, गुजरात
51	-वही-	औषधियां	श्रेणी "ग" जिला, गुजरात
52	श्री ए०वी०के० रेड्डी	आटोमोबाइल कूलेन्ट्स	जिला नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश
53	श्री वी० पंचपाकेसन	प्रोसेस नियंत्रण उपकरण	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
54	श्री वी० एम० पटेल	एल्युमिनियम एलाय इनगाट्स आदि	दादरा और नगर हवेली के संघ शासित प्रदेश
55	श्री आर०जी० नारायणस्वामी एण्ड एसोसिएट्स	सिरेमिक टाइलें	जिला अंकलेश्वर गुजरात
56	श्री के० के० जोशी	टेलीफोन इन्वेस्टमेंट	हरियाणा

1	2	3	4
57	मै० मैन्युफैक्चरिंग टैक्नालोजीज इन्क० यू. एस. ए.	टेलीफोन इन्वेस्टमेंट	हिमाचल प्रदेश
58	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	-वही-	हरियाणा
59	मै० बिनाटोन इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	टेलीफोन उपकरण	उत्तर प्रदेश
60	श्री गिरि डी० खाडोड	ई०पी०ए०बी०एक्स	महाराष्ट्र
61	श्री बिपिन कुमार अग्रवाल	सार्वजनिक टेलीफोन	राजस्थान
62	डा० लीलाप्रसाद माधव रेड्डी	टेलीफोन का जवाब देने और रिकार्ड करने वाली मशीन	आन्ध्र प्रदेश
63	डा० राघववीर साहनी	प्रोक्सीमिटी सेन्सर	नई दिल्ली
64	मैसर्स फ्युजन पोलीमर्स लि.	रोटेशनली माल्डेड प्लास्टिक उत्पाद	दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र
65	श्री प्रभात के० एन्डले	मिनी कम्प्युटर/माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम	तहसील नोएडा, उत्तर प्रदेश
66	श्री अवतार सिंह सेली	-वही-	-वही-

दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत पट्टा करारों का नवीकरण

5457. **श्री के० मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत हुए पट्टा-करारों के बहुत से मामलों में पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनका नवीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या बहुत से पट्टा धारियों ने अपने पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदन किया है लेकिन दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा उनके पट्टों के नवीकरण के बारे में अभी तक कारंवाई नहीं की गई है;

(ग) नवीकरण की कारंवाई को स्थगित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली छावनी बोर्ड का विचार उन पट्टा-करारों का कब तक नवीकरण करने का है जिन पट्टों की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) पट्टे की अवधि समाप्त होने के 16 ऐसे मामले हैं जिनमें नवीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। एक मामले में भूमि की जरूरत रक्षा प्रयोजनों के लिए है और उसमें पट्टा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है। एक अन्य मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपत्ति उठाई है। इस मामले की जांच की जा

रही है। शेष 14 मामलों में पट्टों का नवीकरण नहीं किया गया है क्योंकि पट्टेदार इस भूमि के और टुकड़े करना चाहते हैं इस भूमि का प्रयोग अन्य कार्य के लिए कराना चाहते हैं। उस पर अनधिकृत निर्माण कर दिया है तथा उन्होंने छावनी बोर्ड द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन मामलों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के बारे में रक्षा भूमि तथा छावनी महानिदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

छोटे पूर्तिकर्ताओं से ग्रामीण चिकित्सा सामग्री (किट) की खरीद

5458. **श्री सिद्धलाल मुरमु** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण चिकित्सा सामग्री (किट्स) की सप्लाई के लिए प्राप्त क्रयादेशों का राज्यवार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्होंने जिन पूर्तिकर्ताओं के माध्यम से उक्त कंपनी ने यह सामान खरीदा है/विभिन्न राज्यों को ग्रामीणी सामग्री (किट) सप्लाई की है उनके नाम क्या हैं; उनसे कितना सामान खरीदा है तथा उन्हें कितने मूल्य की अदायगी की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इस समान की छोटे पूर्तिकर्ताओं से सीधे खरीद न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) विवरण-एक संलग्न है।

(ख) विवरण-दो संलग्न है।

(ग) एवं (घ) ग्रामीण सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनी इच्छानुसार आर्डर दिए गए हैं।

विवरण-एक

राज्य	1982-83 के दौरान प्राप्त कुल विजलेस	1983-84 के दौरान प्राप्त कुल विजलेस	1984-85 के दौरान प्राप्त कुल विजलेस
उत्तर प्रदेश	62941 किटस	46940 किटस	76335 किटस
राजस्थान	—	1150 ,,	400 ,,
दादर नागर हवेली	—	100 ,,	—
सिक्किम	—	812 ,,	1092 ,,
कर्नाटक	—	8146 ,,	14070 ,,
मध्य प्रदेश	—	33312 ,,	—
हिमाचल प्रदेश	—	4000 ,,	9037 ,,

दिल्ली	1000 फिटस	800 फिटस	500 फिटस
हरियाणा	—	—	20157 ,,
बिहार	—	240 ,,	660 ,,
आन्ध्र प्रदेश	—		28684 ,,
त्रिपुरा	—		470 ,,
चण्डीगढ़	30140 फिटस	—	—
योग	94081 फिटस	95500 फिटस	151405 फिटस

विवरण-दो

फर्म का नाम	मात्रा	अदा किया गया मूल्य (रु०/ लाख)
1982-83 :		
1. मै. सिवालिक ड्रग्स हरिद्वार	62,953	56,03
2. मै. नेस्टर फार्मा० (प्रा०) लि० फरीदाबाद	29057	25.21
	92,010	81.24
1983-84 :		
1. मै. सिवालिक ड्रग्स हरिद्वार	55999 30717	56.33 30.00
2. मै. नेस्टर फार्मा. (प्रा.) लि. फरीदाबाद	34041	33.99
3. मै. अरोड़ा फार्मा. (प्रा.) लि. नई दिल्ली	4001	3.99
	124758	124.98
1984-85 :		
1. मै. सिवालिक ड्रग्स हरिद्वार	33918	43.41
2. मै. नेस्टर फार्मा. (प्रा.) लि. फरीदाबाद	58378	74.72
3. मै. अरोड़ा फार्मा. (प्रा.) लि. नई दिल्ली	15662	20.05
	107958	138.18

सीमा सड़क संगठन द्वारा पश्चिम बंगाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ-साथ सड़कों का निर्माण

5459. **श्री वेवी घोषाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने सीमा चौकियों पर अधिक गतिशीलता तथा वहां आसानी से पहुंचने के लिए पश्चिम में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ-साथ सड़क बनाने और/या वर्तमान सड़कों को सुधारने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा सड़क संगठन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में रेडियो संचार सेवा

5460. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के भूकम्प की आशंका वाले क्षेत्रों में रेडियो संचार सेवा प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा भूकम्प की आशंका वाले उक्त क्षेत्रों में अब तक प्रदान की गई रेडियो संचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिर भी, हमने उड़ीसा में अनेक मार्गों (रूट) का सर्वेक्षण किया है, जिसमें तटीय स्थान भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) यू. एच. एफ/एम. ए. आर. आर. प्रणाली के लिए सर्वेक्षण किए गए मार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन सभी मार्गों का समान प्रणालियों के लिए सर्वेक्षण किया गया था। क्रम संख्या 1 से 13 तक के मार्गों का डिजिटल प्रणाली के लिए अब पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त मार्गों का छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में समान प्रणालियों के लिए सर्वेक्षण किया गया था। उड़ीसा में निम्नलिखित रेडियो प्रणालियां तटीय इलाकों में कार्य कर रही हैं। उनकी स्थापना की जा रही है—

1. कटक—भुवनेश्वर माइक्रोवेव प्रणाली
2. कटक—पारदीप यू. एच. एफ. प्रणाली
3. कटक—बेहरामपुर माइक्रोवेव प्रणाली

} कार्य कर रही हैं

विवरण

जिन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया :—

1	कटक—अथगढ़	यू. एच. एफ. प्रणाली
2	जेयपोर—क्योंझर	,, ,,
3	बालासोर—बाड़ीपाड़ा	,, ,,
4	बालासोर—मालगिरी	,, ,,
5	चंदहाली—भाद्रक	,, ,,
6	कटक—जयपुर	,, ,,
7	कटक—केन्दरपारा	,, ,,
8	कटक—बर्धाकिबारी	,, ,,
9	कटक—खुर्द	,, ,,
10	खुर्द—नयागढ़	,, ,,
11	क्योंझर—तालचेर	,, ,,
12	तालचेर—अंगूल	,, ,,
13	कोरापुट—सूनाबादा	,, ,,
14	उदाला— बस स्टेशन	एम. ए. आर. आर. प्रणाली
15	सुन्दर गढ़—,, ,,	एम. ए. आर. आर. प्रणाली
16	बारीपारा ,, ,,	एम. ए. आर. आर. प्रणाली

पश्चिम बंगाल में डाकघर और तारघर खोलना

5461. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1985-86 के दौरान कुल कितने डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) पश्चिम बंगाल में 1985-86 के दौरान कुल कितने तारघर खोलने का विचार है; और

(ग) उपरोक्त डाकघरों और तारघरों में से कितने डाकघर और तारघर पिछड़े जनजातीय पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की कुल संख्या के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(ख) 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल में खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों की कुल संख्या के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ डिवीजन में रसायन उर्वरक संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

5462. **श्री धर्म वीर सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यानों के उत्पादन और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन में रसायन उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात ही नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने तथा उनके स्थान के प्रश्न आदि पर विचार किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैण्ड के जिला मुख्यालयों का कोहिमा के साथ सम्पर्क स्थापित करना

[अनुवाद]

5463. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के और अधिक जिला मुख्यालयों का राज्य की राजधानी कोहिमा तथा अन्य प्रमुख स्थानों के साथ ट्रंक सेवा के जरिये सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रंक सेवा के द्वारा कब तक सम्पर्क स्थापित कर दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) 6 जिला मुख्यालयों (राज्य की राजधानी कोहिमा को छोड़कर) में से केवल 3 अर्थात् मोन, जुनाबोरी और तुइंगसांग से राज्य की राजधानी कोहिमा के लिए सीधे ट्रंक सर्किट नहीं हैं। इन स्थानों से कोहिमा के लिए 1985-86 के दौरान सीधे ट्रंक सर्किट प्रदान कर दिए जाएंगे।

कोचीन नौसैनिक अड्डे का विकास

5464. **श्री के० मोहन दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन नौसैनिक अड्डे के विकास के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। नौसेना मुख्यालय ने जहाजों और विमानों के संचालन में सहायता के लिए कोचीन नौसैनिक अड्डे के विकास के लिए

एक परिप्रेक्ष्य योजना बनायी है। कुछ जहाजों के लिए मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान बेस मरम्मत संगठन का विस्तार करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। 1200 फीट के एक घाट का निर्माण किया जा रहा है जिससे अतिरिक्त शाखिकाओं की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कोचीन का नौसेना के लिए एक बड़े प्रशिक्षण अड्डे के रूप में भी विकास किया जा रहा है।

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में जामिन हुसैनाबाद गांव में डाक-घर खोलना

5465. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक निदेशक लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जामिन हुसैनाबाद गांव में डाक-घर खोलने के आदेश जारी किए थे;

(ख) क्या वहां पर यह डाकघर अभी तक नहीं खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह डाक-घर कब तक खोल दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मितव्ययिता के लिए नए पदों के सृजन पर लगी मौजूदा पाबंदी के कारण यह डाकघर नहीं खोला जा सका।

सायंकाल 5 बजे से प्रातः 7 बजे तक के बीच साधारण तारों की बुकिंग

5466. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०टी०ओ० तथा सी०टी०ओ० के काम के घंटे कम कर दिए गये हैं और पांच बजे शाम के पश्चात् एक्प्रेस टेलीग्राम विलम्ब शुल्क की अदायगी पर स्वीकार किए जाते हैं जबकि पहले कार्यालयों के कार्य के घंटों के दौरान साधारण टेलीग्राम तक भी स्वीकार किए जाते थे;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले तार कार्यालयों के काम के घंटे निर्धारित करते समय भेजने के लिए प्राप्त तारों, पारेषण और डिलीवरी के लिए प्राप्त तारों की संख्या को ध्यान में रखा जाना था; और

(घ) देश में कितने कार्यालयों पर प्रतिबंधित बुकिंग के इन आदेशों का प्रभाव पड़ा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। विभागीय तारघरों और केन्द्रीय तारघरों के कार्य घंटों में कमी नहीं की गई है। हालांकि, मृत्यु, गंभीर बीमारी, आगमन, प्रस्थान, साक्षात्कार, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना देने वाले निजी वैयक्तिक श्रेणी के तारों को छोड़कर साधारण तार 17.00 से 07.00 बजे के बीच स्वीकार नहीं किए जाते। तारघर के कार्य घंटो के दौरान सभी एक्सप्रेस तार 17.00 से 07.00 बजे के बीच बिना विलम्ब शुल्क के स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। तारघरों के कार्य घंटे निर्धारित करने के लिए परियात की गति/बुकिंग, प्रेषण और वितरण के लिए प्राप्त तारों को मद्देनजर रखा जाता है।

(घ) साधारण तारों की बुकिंग पर रोक लगाने से देश में प्रभावित हुए तारघरों की संख्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डी०बी०सी० के लिए पंजीकरण

[हिन्दी]

5467. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में पहले से पंजीकृत गैस-उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर (डी०बी०सी०) लेने के लिए पुनः पंजीकरण कराने के लिए कहने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार पुराने पंजीकरण के आधार पर ही भुगतान पर दूसरा सिलेंडर देने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) चूंकि मौजूदा सभी उपभोक्ता दूसरे सिलिण्डर पर व्यय करना नहीं चाहेंगे अतः उपभोक्ताओं को अपना नाम पंजीकृत करने का विकल्प दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

तेल भण्डारों का पता लगाने के लिए गंगा घाटी में खोज कार्य

[अनुवाद]

5468. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तेल के भण्डारों का पता लगाने के लिए कुछ समय पहले गंगा घाटी के कुछ हिस्से में खोज कार्य शुरु करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस कार्य के लिए कुछ धनराशि भी निर्धारित कर दी थी तथा खोज कार्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में निदेश भी जारी कर दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गंगा बेसिन में अन्वेषण का काम कर रहा है तथा लगभग सारा क्षेत्र भूविज्ञानिक तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर सात कुएं खोदे गये हैं किन्तु अभी तक वाणिज्यिक दृष्टि से किसी में भी तेल नहीं मिला है।

एम०ई०एस० बैरकों पर असैनिक कर्मचारियों द्वारा गैर-कानूनी कब्जा

5469. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/रक्षा मुख्यालयों को एम०ई०एस० बैरकों पर असैनिक कर्मचारियों द्वारा गैर-कानूनी कब्जा करने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) प्रत्येक शिकायत का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजस्थान में खजुआला और मोहनगढ़ के बीच टेलीफोन सेवा

[हिन्दी]

5470. श्री मोहनसिंह राठौर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में इन्दिरा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र खजुआला और मोहनगढ़ के बीच प्रति बीस कि० मी० के बाद टेलीग्राफ (तार) सेवा उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1990 तक देश के अधिकांश आबाद गांवों में 5 कि० मी० के भीतर टेलीफोन/तार सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी बशर्ते कि वित्तीय संसाधन और सामग्री उपलब्ध हो जायें। यह नीति राजस्थान में इन्दिरा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र खाजूवाला और मोहनगढ़ के बीच के क्षेत्रों पर भी होती है।

तेल की खोज सम्बन्धी नीति

[अनुवाद]

5471. श्री आर० एम० भोये : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के संबंध में कोई भावी नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावित अन्वेषण नीति में तट पर और समुद्र में नये क्षेत्रों की खोज करके तेल और गैस के अतिरिक्त भण्डारों की स्थापना की परिकल्पना है। इसमें अपेक्षाकृत अल्पज्ञात भूगर्भीय क्षेत्रों और संचार-तंत्र की दृष्टि से कठिन क्षेत्रों में अन्वेषण तेल करना शामिल किया जायेगा।

महाराष्ट्र को बाम्बे हाई गैस का आबंटन

5472. श्री एस० एम० भोये : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र को उसके आबंटित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए की गई बाम्बे हाई गैस की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र को उसके औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सप्लाई की जा रही बाम्बे हाई गैस पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सप्लाई में कितनी कमी रहती है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों को बम्बई हाई गैस की दी जा रही मात्रा/मान्य मात्रा नीचे दिखाई गई है :

		(मात्रा प्रतिदिन दस लाख घन मीटर मे)
1.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर, ट्राम्बे	2.20
2.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर, थाल	3.00
3.	दीपक फर्टिलाइजर व पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, तलोजा	0.30
4.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, तलोजा	0.06
5.	हैवी वाटर प्लांट, थाल	0.15
6.	महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्प्लैक्स, नागोथाने	0.90

(सी-2, सी-3 फेक्सन का)

"फाल-बैक" ग्राहक भी हैं जैसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, टाटा वैद्युत कम्पनी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम जिन्हें आजकल प्राकृतिक गैस दी जा रही है।

(ख) और (ग) उपलब्धता और ग्राहकों के उठान के अनुसार महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस ईरान से दी जा रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खाना पकाने की गैस, पेट्रोल आदि से कमाया गया मुनाफा

5473. **श्री वी० सोभनाद्री श्वरा राव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में परिष्कृत "हाई स्पीड डीजल" तेल और पेट्रोल का औसत मूल्य कितना-कितना था और हमारे देश में उपरोक्त वर्षों में इन मदों के औसत मूल्य क्या-क्या थे;

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में उपभोक्ताओं से खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के क्या दाम लिए जाते थे; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस, औद्योगिक प्रयोजन संबंधी गैस, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से कितना-कितना उत्पादन किया और काधान से पूर्व कितना-कितना मुनाफा कमाया ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में परिष्कृत हाई स्पीड डीजल तथा पेट्रोल की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालरों में प्रति मीट्रिक टन औसत कीमत इस प्रकार है :

1. **हाई स्पीड डीजल** :

	ए जी/पी जी डालर/एम टी	एस जी पी डालर/एम टी	एम ई डी इटली डालर/एम टी	
1981-82	302.53	298.44	292.54	ए जी/पी जी—(अरबियन/परसियन गल्फ)
1982-83	286.76	289.42	279.18	एस जी पी—सिंगापुर
1983-84	241.80	245.63	245.76	एम ई डी—मेडिटेरियन

2. **पेट्रोल** :

	डालर/एम टी
1981-82	329.17
1982-83	298.16
1983-84	282.89

3. **बंबई में एच एस डी और एम एस की एक्स-मेन एम आई कीमत इस प्रकार है** :

से	रुपए/मी० टन एच एस डी	एम एस
13-1-1981	2818.76	6925.29
11-7-1981	3205.96	7673.12
15-2-1983	3447.96	7673.12
1-9-1983	3447.96	7814.22
1-4-1983	3447.96	7814.22

(ख) दिल्ली में एल पी जी की खुदरा बिक्री कीमतें इस प्रकार हैं :

दिनांक	रुपये/प्रति सिलिंडर
13-1-1981	45.43 (15 कि०ग्रा०)
11-7-1981	50.78 (15 कि०ग्रा०)
1-4-1982	50.78 (15 कि०ग्रा०)
1-9-1982	47.09 (15 कि०ग्रा०)
6-9-1982	44.58 (14.2 कि०ग्रा०)
1-4-1983	45.09 (14.2 कि०ग्रा०)
1-4-1984	45.09 (14.2 कि०ग्रा०)
1-6-1984	45.47 (14.2 कि०ग्रा०)

(ग) कच्चे तेल के अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एल पी जी, गैस (एसोसिएटेड और नान एसोसिएटेड) कन्सन्ट्रेट, वैक्स और एन जी एल का उत्पादन करता है न कि हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल का। 1981-82 से 1983-84 के बीच इन उत्पादों का कारोबार इस प्रकार है :

करोड़ रुपये

उत्पाद	1981-82	1982-83	1983-84
1. एल पी जी	12.67	29.50	36-58
2. गैस	80.68	129.87	184.75
3. कंडेन्सेट	1.53	1.84	1.28
4. वैक्स	0.19	0.17	0.07
5. एन जी एल	—	6.40	9.77
योग	95.07	167.78	232.55

1982-84 के बीच तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कर से पूर्व कुल लाभ इस प्रकार हुआ :

	करोड़ रुपये
1981-82	573.04
1982-83	1182.87
1983-84	1607.66

पेरेचेंरला, गुन्टूर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में अधिक लाइनें लगाने की आवश्यकता

5474. श्री वी० सोभना द्रीस्वरा राव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुन्टूर जिले में पेरेचेरला टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ताओं से अधिक लाइनों वाले एक्सचेंज लगाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में दिनांक 28 मार्च, 1983 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था क्योंकि यह एक्सचेंज गुन्टूर कस्बे के नजदीद स्थित है जहां पर तेजी से औद्योगिक प्रगति हो रही है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। मार्च 83 में 100 लाइनों के वर्तमान एम० ए० एक्स०-III एक्सचेंज के स्थान पर 200 लाइनों का एक्सचेंज लगाया गया है। इस समय 85 कनेक्शन काम कर रहे हैं और प्रतीक्षा सूची में किसी आवेदक का नाम लम्बित नहीं है।

उच्च न्यायालयों में निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा

5475. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में लोक सभा के आसीन सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती देने के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई निर्वाचन याचिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिये उच्च न्यायालयों ने पूर्विकता दी है;

(ग) उक्त याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिये सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) लोक सभा के 1984 में हुए साधारण निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन याचिकाओं के बारे में निर्वाचन आयोग से उपलब्ध जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। अन्य जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा, 86 में उपबन्ध है कि निर्वाचन अर्जियां यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएंगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा। हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने यह भी अनुरोध किया है कि लंबित निर्वाचन अर्जियों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते हैं। सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव, लंबित मामलों की संख्या और वर्ग को ध्यान में रखते हुये संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से आने चाहिये। इस आधार पर आयोग ने उच्च न्यायालयों के सभी रजिस्ट्रारों को लिखा है कि वे इस विषय को मुख्य न्यायमूर्तियों के समक्ष प्रस्तुत करें।

विवरण

(निर्वाचन आयोग के पास 3-5-1985 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम		निर्वाचन अर्जियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	बिहार	5
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	2
5.	कर्नाटक	1
6.	केरल	1
7.	जम्मू-कश्मीर	1
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	2
10.	उड़ीसा	1
11.	उत्तर प्रदेश	15
12.	पश्चिमी बंगाल	6
13.	लक्षद्वीप	1
14.	दादरा और नागर हवेली	1
15.	दिल्ली	4
	योग :	49

टिप्पणी : अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, लोक सभा साधारण निर्वाचन, 1984 से संबंधित कोई निर्वाचन अर्जी फाइल नहीं की गई है।

रिफाइनरी टैक्नोलोजी के बारे में सम्मेलन

5476. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में रिफाइनरी टैक्नोलोजी के बारे में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) उसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) यह सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल, 1985 को बम्बई में हुआ था न कि दिल्ली में।

2. सभी भारतीय रिफाइनरियों से वरिष्ठ तकनीकी कार्मिकों, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, इंडियन इंट्रीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून, इंडियन आयल कारपोरेशन (अनुसन्धान एवं विकास) तेल समन्वय समिति के प्रतिनिधियों तथा यू० ओ० पी० के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया तथा 21 तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किये। भारतीय रिफाइनरियों के विभिन्न महाप्रबन्धकों ने 10 तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता की। विभिन्न रिफाइनरियों तथा तेल उद्योग से सम्बन्धित अन्य संगठनों के लगभग 80 प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कार्य संचालन कठिनाइयों, सुरक्षा, तथा डिजायन पर सूचना का आदान-प्रदान किया। "विश्लेषण द्वारा उत्तर" अर्थात देश में रिफाइनरियों के बीच कार्य चालन अनुभावों का आदान-प्रदान को सम्मेलन का विषय रखा गया। प्रस्तुत किये गये तकनीकी दस्तावेजों में कार्यचालन सुरक्षा तथा विभिन्न रिफाइनरियों के संसाधन अनुभवों विशेष रूप से प्रौद्योगिक जांच-पड़ताल तथा भारतीय रिफाइनरियों में लागू किए गए परिवर्तनों पर विशेष बल दिया गया।

3. यह सूचना का आदान-प्रदान करने तथा अपने अनुभवों को वितरण के लिए तेल शोधन शिल्प वैज्ञानिकों परामर्शदाताओं इत्यादि की सभा थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मोम पर आधारित यूनिटों को स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

5477. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोम पर आधारित कितने लघु एकक कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य-वार उनकी संख्या क्या है और इन एककों की मोम की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) उनकी मांगों की पूर्ति हेतु प्रत्येक राज्य को सप्लाई किए गये वार्षिक कोटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मोम पर आधारित एककों की स्थापना हेतु नए लाइसेंस केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जारी करने का है; और

(ङ) मांग की पूर्ति हेतु देश में मोम का अधिक उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) चूंकि मोम पर आधारित नई यूनिटों की स्थापना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतः यूनिटों की संख्या तथा उनकी मांग का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

(ग) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जैसाकि उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है। यूनिटों की स्थापना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ङ) देश में पैराफिन मोम की वर्तमान मांग को घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में मांग में होने वाली वृद्धि को बढ़े हुए घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा किये जाने की आशा है।

विवरण

वर्ष 1984 के दौरान पैराफिन मोम का आबंटन

क्रम सं०	राज्य का नाम	आबंटन (एम० टी०)
1	आन्ध्र प्रदेश	1520
2	असम	2120
3	अरुणाचल प्रदेश	84
4	बिहार	1000
5	गुजरात	2718
6	हरियाणा	400
7	हिमाचल प्रदेश	120
8	जम्मू और कश्मीर	320
9	कर्नाटक	2400
10	केरल	3000
11	महाराष्ट्र	9608
12	मध्य प्रदेश	8002
13	मणिपुर	700
14	मेघालय	180
15	नागालैण्ड	440
16	उड़ीसा	660
17	पंजाब	400
18	राजस्थान	600
19	सिक्किम	32
20	तमिलनाडु	8000
21	त्रिपुरा	424
22	उत्तर प्रदेश	4000
23	पश्चिम बंगाल	9830
24	अण्डमान और निकोबार द्वीप	44

25	चण्डीगढ़ प्रशासन	120
26	दादर और नागर हवेली	52
27	दिल्ली	2400
28	गोआ दमन और दीयू	360
29	मिजोरम	116
30	पाण्डिचेरी	140
		52580

मैसर्स टाटा आयल मिल्स तथा अन्य कम्पनियों द्वारा लघु क्षेत्र के एककों में उत्पादन करा कर ब्राण्ड नामों का दुरुपयोग

5478. **श्री राम भगत पासवान :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैसर्स टाटा आयल मिल्स, टाटा कैमिकल्स तथा मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड अप्रत्यक्ष रूप में लघु क्षेत्र में एकक स्थापित करके अपने ब्राण्ड नाम से उत्पादन करा रहे हैं और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मैसर्स टाटा आयल मिल्स और टाटा कैमिकल्स परोक्ष रूप से छोटे एककों की स्थापना करके अपने ब्राण्ड नामों की वस्तुएं बनवा रहे हैं। किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को 31.1.1985 को कन्ज्यूमर फोरम (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली की ओर से अभिकथित अनुचित व्यापारिक व्यवहार के बारे में एक शिकायत मिली है कि "सेफालेक्सिन कैप्सूल" नामक दवा के पैकिंग के पतों (स्ट्रिप्स) पर विभिन्न स्थानों पर मोटे अक्षरों में "ग्लैक्सो" शब्द लिखा है जबकि वास्तव में यह दवा मैं० कैप्सूलेशन सर्विसेज लिमिटेड, बम्बई की बनी हुई है और इस कम्पनी का नाम जानबूझ कर पैकिंग पत्ते पर मोटे अक्षरों में नहीं छापा गया है जिससे व्यापारियों, केमिस्टों और उपभोक्ताओं को यह लगता है कि उक्त उत्पादन ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इण्डिया) लिमिटेड का बना हुआ है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग इस शिकायत की जांच कर रहा है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० का आधुनिकिकरण और उत्पादन में विविधता लाया जाना

5479. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के, जिसने 1984 के दौरान अभूतपूर्व लाभ और उत्पादन प्राप्त किया था, आधुनिकीकरण और उत्पादन में विविधता लाने हेतु नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० पहले 6 महीनों के दौरान इसके तीन एककों के सामने आने वाली कठिनाई के बावजूद अपना अभूतपूर्व कार्य निष्पादन प्राप्त कर सका था;

(ग) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० में नई प्रौद्योगिकी लागू करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या इस बारे में विदेशों के साथ कोई समझौते किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन. एफ. एल.) पुराने इलेक्ट्रोलाइसिज संयंत्र को नंगल स्थित नैफ्था पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव हेतु परामर्श और सेवाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बोलियों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

(ख) जी, हां। कंपनी ने 1983-84 में 497901 मी. टन नाइट्रोजन उत्पादन की तुलना में वर्ष 1984-85 में प्रथम 6 महीनों में कमी के बावजूद भी, 500935 मी. टन नाइट्रोजन का उत्पादन प्राप्त करके अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में सोडा ऐश संयंत्र की स्थापना

5480. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1000 टन दैनिक क्षमता वाला एक सोडा ऐश संयंत्र लगाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र भारत में संयुक्त क्षेत्र परियोजना का सबसे बड़ा संयंत्र होगा;

(ग) इस सोडा ऐश संयंत्र की स्थापना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता की मांग की गई है; और

(ङ) उक्त संयंत्र में कब तक उत्पादन शुरु होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। भारत में सोडा ऐश उत्पादन करने वाली यह सबसे बड़ी संयुक्त क्षेत्र की परियोजना होगी।

(ग) कंपनी के अनुसार, परियोजना का पूंजी परिव्यय 160 करोड़ रुपए है।

(घ) एक मुश्त भुगतान पर कंपनी ने एक विदेशी तकनीकी सहयोग का करार किया है।

(ङ) कंपनी के अनुसार, परीक्षण उत्पादन के 1987 की तीसरी तिमाही में आरंभ होने की संभावना है।

तटीय क्षेत्र में तेल की खोज में गैर सरकारी क्षेत्र को भागीदार बनाना

5481. श्री वी०बी० देसाई
श्री जी०जी० स्वैल
श्री महेन्द्र सिंह
: क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से तटीय क्षेत्र के तेल की खोज में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्बद्ध करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की उड़ीसा में 10 खोज कुओं की खुदाई के लिए 10 विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन कम्पनियों को कब तक भारत में तेल हेतु खुदाई कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी; और

(च) उन पर क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देसी क्षमताओं के विकास को देखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड को संविदा के आधार पर तेल क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रतिष्ठित विदेशी तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए बढ़ावा देने का निर्णय किया गया था।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड ने उड़ीसा में चार तटवर्ती कुओं की खुदाई के लिए सम्पूर्ण कार्य देने के लिए भारतीय कंम्पनियों से प्रिक्वालिफिकेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी; नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) तथा (च) इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि खुदाई कब तक आरंभ होगी तथा संविदा में कौन-कौन सी शर्तें लगाई जायेंगी।

सन्त कंवर राम की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

[हिन्दी]

5482. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिन्धी समुदाय के एक महान सन्त और एक अमर शहीद कंवर राम की स्मृति में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त टिकट कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) विभाग में एक फिलैटली सलाहकार समिति कार्य कर रही है जो स्मारक/विशेष तथा अन्य फिलैटलिक मामलों पर डाक टिकट जारी करने के बारे में सलाह देती है । संत कंवर राम का प्रस्ताव इस सीमिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था लेकिन समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की । अब इस प्रस्ताव को समिति की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

बजाज स्कूटरों की गुणवत्ता

[अनुवाद]

5483. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजाज स्कूटरों की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और इसके निर्माता इसके स्तर को कायम नहीं रख पा रहे हैं; और

(ख) सरकार का विचार स्कूटरों के किस्म नियंत्रण को बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृत्रिम रबड़ बनाने वाले कारखानों की स्थापना

5485. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम रबड़ बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उन कारखानों का कृत्रिम रबड़ का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या कोई बहुराष्ट्रिक कम्पनी भी कृत्रिम रबड़ बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में इस प्रकार के और कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय दो एककें एक बड़ौदा (गुजरात) में तथा दूसरी बरेली (उत्तर प्रदेश) में सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों में उनका उत्पादन लगभग इस प्रकार है :—

1982-83	30760 मीट्रिक टन
1983-84	32580 मीट्रिक टन
1984-85	38100 मीट्रिक टन

(ख) कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी भारत में सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन के वास्ते दो संयंत्रों की स्थापना के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए हैं इनमें से एक महाराष्ट्र में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले में बीकापुर में कैंपिंग ग्राउन्ड का टाउन एरिया कमेटी को प्रस्तावित हस्तांतरण

[हिन्दी]

5486. श्री निर्मल खत्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) में बीकापुर तहसील में कैंपिंग ग्राउंड रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में है;

(ख) क्या यह ग्राउंड कई वर्षों से अनुपयुक्त है; और

(ग) क्या सरकार इसका राज्य सरकार के माध्यम से फैजाबाद जिले में बीकापुर टाउन एरिया कमेटी को देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कुल 30.14 एकड़ क्षेत्र में से 8.04 एकड़ क्षेत्र 1960 में राज्य सरकार को स्थानान्तरित किया जा चुका है। सरकार को शेष क्षेत्र के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) के रसूलाबाद बाजार में तार-घर स्थापित करना

5487. श्री निर्मल खत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फैजाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) के रसूलाबाद बाजार में एक तार घर स्थापित करने का है; और

(ख) जहां इस समय तारघर बना हुआ है उस स्थान से रसूलाबाद बाजार कितनी दूरी पर है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रसूलाबाद में इस समय तार घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) रसूलाबाद बाजार से नजदीकी तारघर पुरा बाजार में स्थित है जो रसूलाबाद से 5-6 कि०मी० की करीब दूरी पर है ।

भोपाल में यूनियन कारबाइड को बन्द करना

[अनुवाद]

5488. **श्री बी०जी० स्वैल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कारबाइड कारपोरेशन ने भोपाल में अपने संयंत्र को बन्द करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त कारपोरेशन की आस्तियों के संचालन पर रोक लगा दी है ।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

पश्चिमी बंगाल को खाना पकाने की गैस का आबंटन

5489. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान पश्चिमी बंगाल को खाना पकाने की गैस की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया और वर्ष 1985-86 में कितनी मात्रा का आबंटन किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को खाना पकाने की गैस की कमी के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) क्या निकट भविष्य में कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) राज्यों को एल०पी० जी० आबंटन किए जाने की कोई पद्धति नहीं है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल में एल०पी०जी० की कमी 1984-85 को तीसरी तिमाही में बताई गई थी क्योंकि उस क्षेत्र के उत्पादन केन्द्र से पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाई थी। ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए वैकल्पिक साधनों से सप्लाई बढ़ाने के तुरन्त कदम उठाये गये थे। आजकल पश्चिमी बंगाल के सभी बाजारों में सप्लाई सामान्य है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प खोलना

5490. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल उद्योग द्वारा समय-समय पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किये जाते हैं ताकि निर्धारित मात्रा-दूरी मानदण्डों के आधार पर नये खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) खोले जा सकें। ऐसे निर्दिष्ट स्थानों को तेल उद्योग की विपणन योजना में वार्षिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से खुदरा पेट्रोल पम्प खोलने के लिए शामिल किया जाता है। मानदण्डों के अनुसार, नये पेट्रोल पम्पों के 40% पम्प कम लागत के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं। तेल उद्योग ने अपनी 1984-85 की विपणन योजना में 7 कम लागत के खुदरा पेट्रोल पम्प खोलने की योजना बनाई है जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन हो रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "फील्ड" उपकरणों की खरीद

5491. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने "फील्ड" उपकरणों तथा अन्य सेवाओं की खरीद पर लगभग 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की है ;

(ख) इस अवधि के दौरान खरीदे गए "फील्ड" उपकरणों तथा अन्य सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए भारत को इनका निर्यात किया है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुमानतः कितने कितने मूल्य का आयात किया गया तथा वर्ष 1985-86 के लिए आयात की क्या योजना है;

(घ) क्या पश्चिमी जर्मनी स्थित किन्हीं फर्मों/कम्पनियों से कोई खरीदारी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पश्चिमी जर्मनी से कौन-कौन से उपकरणों का आयात किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सामग्री और सेवाओं पर 815 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आशा है कि वर्ष 1984-85 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपस्करों और सेवाओं के आयात पर लगभग 940 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी। 1985-86 के दौरान इस काम पर लगभग 1439 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विवरण	देश का नाम
प्रयोगशाला उपकरण	फ्रांस, यू एस ए, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा
कैमिकल्स	यू ए ई, सिंगापुर, जापान, यू एस ए, फ्रांस. कनाडा
रिग उपकरण	यू एस एस आर, यू एस ए, रूमानिया, इटली
बी एस विलेस	यू एस ए
पम्पस	यू एस ए
कूप शीर्ष	यू एस ए, जापान
वर्क्स ओवर रिग	यू एस एस आर
हैंडलिंग टूल्स एण्ड फ्लोटिंग उपकरण	यू एस ए, सिंगापुर
केसिंग	चैकस्लोवाकिया, जापान, इटली, बेल्जियम, यू एस एस आर, यू के, रूमानिया
प्रोफोर्मेशन मैटिरियल	यू एस ए
बिटस	यू एस ए, जापान, सिंगापुर, हालैण्ड
रेमर स्टेबलाईजर	यू एस ए, यू के, फ्रांस
मुड लोज्जिग यूनिटस	कनाडा
डाउन होल टूल्स	यू के, यू एस ए
बी ओ पी	यू एस ए, सिंगापुर
सियसमिक यूनिट	यू एस ए
सी डी पी केबल्स	यू के, हालैण्ड
ड्रिल पाइप	फ्रांस, जापान

विवरण	देश का नाम
टूबींगस	अर्जेनटाइना, जापान, पश्चिमी जर्मनी, सिंगापुर
गैस लिफटिंग उपकरण	यू एस ए
बिक्रोसीस यूनिट	यू एस ए/फ्रांस
सी एण्ड के मेनीफोल्ड	फ्रांस
रिगस	यू एस एस आर
वर्क्स ओवर रिगस	यू एस ए
सैमेंटींग यूनिट	यू एस एस आर
प्रोडेक्शन लोग्गींग	यू एस ए, फ्रांस
फेब्रीकेशन एस एच प्लेटफार्म	जापान
सीमेंट	जापान
रिजंवोर उपकरण	यू एस ए, सिंगापुर, जर्मनी
लाइन पाइप	इटली, जापान
कैस जेनरेटर	यू के
होसेन	यू के, जापान
ड्रिलशिप	जापान
डूयल कम्पलीएशन उपकरण	यू एस ए, यू के
ओ एस वी	कोरिया, सिंगापुर
गैस कम्प्रेशर	जापान
जैक-अप रिगस	जापान
अपतटीय प्लेटफार्म	कोरिया, जापान
सेयसमिक	फ्रांस
हीरिंग आफ हैलीकाप्टर	यू एस ए, कनाडा, नीदरलैंड, यू के
लोग्जिग और प्रफोमेंस सर्विस	यू के
मैनेजमेंट कंटरेक्ट	यू एस ए
ए पी आर टूल हीरिंग	यू एस ए
प्रोडेक्शन टेस्टींग	सिंगापुर
अपतटीय ड्रिलिंग रिग हीरिंग	यू एस ए
सीमेंट सर्विस	यू एस ए, कनाडा
मुड लोजिंग	यू के, सिंगापुर
हीरिंग लैंड रिग फार के जी	पश्चिमी जर्मनी
लेयइंग आफ पाइप लाइन	यू एस ए
हीरिंग आफ ओ एस वी	यू एस ए, दुबई
भूविज्ञान उपकरण	पश्चिमी जर्मनी, सिंगापुर

छठी योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विशेषतः आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को दी गई वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

5492. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु क्षेत्र उद्योग निगम द्वारा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधायें/लाभ उपलब्ध कराये गये;

(ख) इन लाभार्थियों में आदिवासी और अनुसूचित जातियों में व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन सुविधाओं को पर्याप्त समझती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के व्यक्तियों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। अभिलेख (रिकार्ड) के अनुसार छठी योजना की अवधि में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के एककों सहित 2,005 एककों को 2380.50 लाख रुपये मूल्य की मशीनों की आपूर्ति की। इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के 21 एककों को 14.50 लाख रुपये मूल्य की मशीनों की सहायता दी गई। ओखला राजकोट, हावड़ा और मद्रास में स्थित उनके चार आदिरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों में छठी योजनावधि के दौरान ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के 793 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई।

(ग) और (घ) निगम लघु उद्योगों के विकास में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के उद्यमियों द्वारा आगे बढ़ाये गये एककों को अपनी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार जोरदार प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में गहन अभियान भी चलाये जा रहे हैं।

पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि

[अनुवाद]

5493. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि की गई है कि पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से तेल और गैस के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी;

(ख) यदि हाँ, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के उपलब्ध अनुमान क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि उक्त क्षेत्र से प्रति वर्ष 435 लाख घन मीटर, गैस और 390 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल उपलब्ध होगा;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसी से महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों को संशोधित करने के लिए दूसरा टर्मिनल लगाने का पूरा औचित्य सिद्ध हो गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ। 1980-85 की अवधि में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में कच्चे तेल तथा गैस के वास्तविक उत्पादन तथा 1980-90 की अवधि में प्रस्तावित उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

1980-85 के दौरान उत्पादन	1985-90 के दौरान प्रस्तावित उत्पादन
कच्चा तेल 63.4 लाख मीट्रिक टन	102.3 लाख मीट्रिक टन
गैस 12 (विलियन क्यूबिक मीटर)	45 विलियन क्यूबिक मीटर

(ग) से (ङ) भारत सरकार को इस प्रकार के अनुमान की कोई सूचना नहीं है। फिर भी उपयुक्त स्थान पर दूसरा टर्मिनल बनाने के प्रश्न पर, यदि हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के लिए आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा उचित समय पर विचार किया जाएगा।

पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

5494. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पर एक कल्याण गतिविधि के रूप में विचार करने का है और इन क्षेत्रों के लिए इन सुविधाओं के विस्तार हेतु निर्धारित मानदण्डों में उचित संशोधन करने का है;

(ग) क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वायरलैस का उपयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सातवीं योजना में 177421 लाइनों वाले 955 छोटे एक्सचेंज, 63 यू०एच०एफ० प्रणालियाँ, 2841 लम्बी दूरी के पी०सी०ओ०, 2500 संयुक्त डाक-तार घर, टेलेक्स की 830 लाइनें स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि साज-सामान एवं अन्य साधन उपलब्ध हो सकें।

उदार नीति के अंतर्गत, 25 लाइनों का एक्सचेंज तभी खोला जा सकता है जब कम से कम 10 उपभोक्ता, टेलीफोन के लिए अपनी मांग दर्ज करा लें तथा राजस्व वार्षिक व्यय के 40 प्रतिशत हो। इसी प्रकार, 50 और 100 लाइनों का एक्सचेंज तभी खोला जा सकता है जब क्रमश: 23 और 46 उपभोक्ता अपनी मांग दर्ज करा लें तथा राजस्व वार्षिक व्यय के 60 और 70 प्रतिशत के बराबर हो।

खोई पर आधारित कागज का उत्पादन

5495. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री खोई पर आधारित कागज के उत्पादन के बारे में 19 मार्च, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1985-86 के दौरान 52,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज का आयात किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो 19 मार्च, 1985 को दिये गए उत्तर से यह किस प्रकार मेल खाता है तथा इस बारे में सही स्थिति क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) 19 मार्च, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 82 के भाग (ङ) के उत्तर में दी गई जानकारी, विभिन्न किस्मों के कागज के आयात से संबंधित थी जबकि "नवभारत टाइम्स का संदर्भित समाचार, मांग और देशी उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किये जा रहे अखबारी कागज का आयात से संबंधित है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में अशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के दोहन का प्रस्ताव

5496. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे नये क्षेत्रों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है, जहां से अशोधित पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस प्राप्त की जा सके;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त प्रयोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (च) सातवीं योजना अवधि के लिए नये क्षेत्रों में अन्वेषी कार्यक्रम और इसके लिए निधियों के आवंटन संबंधी ब्यौरे सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

छठी योजना के दौरान, तेल और गैस के उत्पादन और अन्वेषण के लिए मूल परिव्यय 2873.58 करोड़ का था। इसके विपरीत लगभग 6600 करोड़ रुपये के प्रत्याशित व्यय की सम्भावना है।

सातवीं योजना में पेट्रोलियम उत्पादों के लिये निर्धारित लक्ष्य

5497. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली आयल इण्डिया लिमिटेड ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ज्ञात तेल क्षेत्रों से 169 लाख टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क), (ख) और (ग) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिएं जाने के बाद ही आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा सातवीं योजना के दौरान कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य और कार्यक्रम के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त हो सकेगा।

श्री के० एल० सहगल की याद में स्मारक डाक टिकट जारी करना

5498. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से श्री के० एल० सहगल की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अभी हाल ही में इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

एर्णाकुलम टेलीफोनस के अन्तर्गत पानमबिल्ली नगर और पलरीवत्तम एक्सचेंज चालू करना

5499. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एर्नाकुलम सेकेन्डरी स्विच क्षेत्र को एक साथ मिलाने और केरल के इस महत्वपूर्ण भाग की दूरसंचार सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए इसे महाप्रबन्धक के अधीन लाने का प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) एर्नाकुलम टेलीफोन में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन बकाया पड़े हैं; और

(घ) एर्नाकुलम टेलीफोन के अन्तर्गत पनमबिल्ली नगर और पलरीवत्तम एक्सचेंज को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) इस समय ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) 1.4.1984 को एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन के लिए 6664 आवेदन प्रतीक्षा सूची में थे ।

(घ) पनमपल्ली नगर में 5000 लाइन ई-10 बी एक्सचेंज की स्थापना के लिए एक परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति दे दी गयी है और इलेक्ट्रानिक उपस्कर के प्रस्तावित दूसरे आयात में से उपस्कर आबंटित कर दिया गया है। भवन का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। पलारीवट्टम एक्सचेंज के लिए 6000 लाइनों वाले आई सी पी क्रास बार की स्थापना करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए उपस्कर को भारतीय टेलीफोन उद्योग के 1986-87 के सप्लाई कार्यक्रम में शामिल किया गया है। भवन का निर्माण पूरा हो जाने के बाद संस्थापना कार्य शुरू किया जाएगा।

मोमबत्ती उद्योग

5500. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोमबत्ती बनाने वाले एकक पैराफीन वैक्स की कीमतों में वृद्धि के कारण हानि उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्योग की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार को कुछ राज्यों के कैंडल मैन्युफेक्चरर्स से पैराफीन वैक्स के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 1985-86 के बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप सभी पेट्रोलियम उत्पादों (एच. एस. डी. को छोड़कर) के आधारित मूल्यों में 15 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हुई थी। इसलिए, पैराफीन वैक्स के तीन ग्रेडों, जिसमें मोमबत्तियां बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली माचिस वैक्स सम्मिलित हैं, के आधारिक मूल्यों (उत्पादन शुल्क सहित) में भी वृद्धि हुई थी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के भावी कैडेटों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

5501. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राष्ट्रीय कैडेट कोर के कितने युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर के भावी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के आरम्भ होने से अब तक इसमें प्रशिक्षित किए गए लड़के-लड़कियों की कुल संख्या के आंकड़े नहीं रखे गए हैं। फिर भी 31-3-1984 को राष्ट्रीय कैडेट कोर में भर्ती कैडेटों की सदस्य संख्या इस प्रकार थी :—

लडके—8,68,596
लड़कियां—1,13,917

(ख) और (ग) इस समय कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा शीट ग्लास के उत्पादन के लिए आशय-पत्र

5502. **श्री एन० वी० रत्नम्** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने महबूब नगर क्षेत्र में जहां कच्चा माल (क्वाकेत) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है शीटग्लास के उत्पादन के लिए आशय पत्र हेतु आवेदन किया है; और

(ख) उस उक्त आशय-पत्र को मंजूर न करने के क्या कारण हैं हालांकि इसके लिए आवेदन 16 मार्च, 1983 को किया गया था ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) : जी हां।

(ख) रंगा रेड्डी जिले में शीट ग्लास बनाने के लिए एक नए एकक की स्थापना किए जाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु मैसर्स आंध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद का आवेदन निम्नलिखित आधार पर अनुमोदित नहीं किया गया था :

(1) इस उद्योग में पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस/अनुमोदन पहले ही दिए जा चुके हैं।

(2) वर्तमान नीति के अनुसार उपक्रमों द्वारा ग्लास शीट बनाने के लिए नई क्षमता की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन के केबिलों का उत्पादन

5503. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गुंटकाल में टेलीफोन केबिलों का उत्पादन करने हेतु आशयपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए अनेक गैर-सरकारी पार्टियों को आशय-पत्र मंजूर किए हैं यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्हें मंजूरी कब दी गयी है और क्या उन्होंने केबिलों का उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) केबिलों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर और आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुरम जिले का गुंटकाल स्थान इस हेतु एक आदर्श स्थान होने के कारण क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार को शीघ्र आशय-पत्र जारी करने पर विचार करेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित प्रत्येक पार्टी को 5 लाख सी०के०एम० जैलीफिल्ड केबलों की क्षमता के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी किया है :—

कम्पनी का नाम	लाइसेंस संख्या और तिथि
1. मैसर्स डेल्टन केबल्स	सी.आई.एल. : 284(83) दिनांक 11-8-83
2. मैसर्स स्टरलाइट केबल्स	सी.आई.एल. : 382(83) दिनांक 17-11-83
3. मैसर्स फाइनोलेक्स केबल्स	सी.आई.एल. 187(84) दिनांक 22-5-84
	आशय पत्र सं० और तिथि
4. मैसर्स एशिया केबल्स लिमिटेड	एल.आई. : 982(82) दिनांक 31-12-82
5. मैसर्स अल्युमीनियम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	एल.आई. : 514(82) दिनांक 20-7-82
6. मै० प्रीमियर केबल्स लिमिटेड	*एल.आई. : 518(82) दिनांक 22-7-82

*अब व्ययगत हो गया है।

इन फर्मों में से किसी ने भी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सूचना नहीं दी है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को आन्ध्र प्रदेश राज्य में टेलीफोन केबल बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया गया है। उद्योगों का छितराव करने सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखते हुए, आन्ध्र प्रदेश में एक और एक एकक की स्वीकृति देना संभव नहीं है।

"हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन कम्पाउन्ड के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगा गया आशय-पत्र

5504. **श्री एम० वेंकटरत्नम : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के किसी पिछड़े क्षेत्र में "हाट मेटल डिसल्फराइजेशन कम्पाउन्ड" के निर्माण हेतु आशयपत्र के लिये आवेदन किया था;

(ख) क्या इस उत्पाद की विशाखापत्नम और अन्य यूनिटों में भी भारी मांग है;

(ग) क्या इससे 14 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(घ) अब तक आशयपत्र मंजूर न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार आशयपत्र शीघ्र मंजूर करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी ने बताया है कि उत्पाद की विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को आवश्यकता है और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

(घ) और (ङ) चूंकि दि सल्फराइजेशन कम्पाउन्ड के उत्पादक के लिए पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं, अतः सरकार द्वारा आवेदन को प्रथम दृष्टया रद्द कर दिया गया था। कम्पनी ने आवेदन को रद्द करने के विरोध में अभ्यावेदन दिया है, जिसकी इस समय जांच की जा रही है।

पश्चिमी गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) में नारियल उद्योग समूह हेतु आशयपत्र जारी किया जाना

5505. **श्री एम० वेंकटरत्नम : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने 1981 में पश्चिमी गोदावरी जिले में नारियल उद्योग समूह के लिये आशयपत्र हेतु आवेदन किया था;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने मंत्रालय द्वारा मांगी गई अग्रेतर जानकारी भी दे दी थी; और

(ग) यदि हां, तो आशयपत्र जारी करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में रिफाइंड खाद्य नारियल तेल, आदि के उत्पादन के औद्योगिक लाइसेंस के हेतु आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिए एक आवेदन को जनवरी, 1982 में पंजीकृत किया गया था। प्रथम दृष्टि में आवेदन को क्षमता सम्बन्धी बाधाओं

के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था। आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा अभ्यावेदन करने पर, इस मामले की पुनरीक्षा की गई थी और 24-4-85 को एक आशय-पत्र जारी किया जा चुका है।

सीमा सड़क महानिदेशालय में दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना

5506. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क महानिदेशालय में दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) ये कर्मचारी कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनकी सेवा अवधि कितनी हो चुकी है;

(घ) क्या उनको विभाग में नियमित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी सेवाएं कब तक नियमित कर दी जाएंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) लगभग 77,000।

(ख) और (ग) ये दिहाड़ी कर्मचारी सीमा सड़क संगठन में अलग-अलग समय से कार्य कर रहे हैं। इनकी सेवा में सीमा सड़क संगठन की शर्तों के अनुसार छः महीने की सेवा के बाद ब्रेक दिया जाता है।

(घ) और (ङ) अपेक्षित ट्रेड अर्हताएं एवं मेडिकल स्तर को पूरा करने वाले कुछ अर्ध-कुशल और कुशल दिहाड़ी मजदूरों की सेवाएं नियमित की जा चुकी हैं। जहां तक अकुशल मज-दूरों का सम्बन्ध है उनकी सेवाओं की रिक्तियों की कमी के कारण भी नियमित करना संभव नहीं है। महिलाएं सीमा सड़क संगठन में नियमित आधार पर भर्ती होने की पात्र नहीं हैं। फिर भी इस संगठन में दिहाड़ी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा विधि मंत्रालय से सलाह करके जांच की जा रही है।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत जेनरेटिंग सेटों का निर्माण

5507. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने विद्युत जेनरेटिंग सेटों का निर्माण करने का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और अब तक 'भेल' ने कितने विद्युत जेनरेटिंग सेटों का निर्माण किया है;

(ग) 1984-85 में विद्युत जनरेटरिंग सेटों के निर्माण का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था; और

(घ) उक्त वित्तीय वर्ष में 'भेल' ने कितने विद्युत जेनरेटिंग सेटों का निर्माण किया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) बी०एच०ई०एल० ने टर्बाइन और जनरेटर युक्त पहला विद्युत जनित्रण सेट 1967-68 में निर्मित किया था। तब से कम्पनी ने मार्च, 1985 तक 346 टर्बाइनों और 346 जनरेटरों का निर्माण किया है।

(ग) से (घ) 1984-85 में थर्मल और हाइड्रो सेटों के लिए टर्बाइनों और जनरेटरों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	टर्बाइन		जनरेटर	
	थर्मल	हाइड्रो	थर्मल	हाइड्रो
लक्ष्य	13	14	11	14
वास्तविक उत्पादन	12	15	8	16

यूनिट संचार, भुवनेश्वर में डाक एवं तार कालोनी के जल की पूर्ति

5508. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाडाकपाल, उड़ीसा द्वारा यूनिटों-वार, भुवनेश्वर स्थित डाक एवं तार कालोनी को पेयजल पूर्ति हेतु लोक स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक महीने नियमित रूप से पेयजल पूर्ति के बिलों की अदायगी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले कई वर्षों से जल पूर्ति, जिसके लिए बिलों की अदायगी की जाती है अदायगी के अनुरूप न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा मंडल ने डाक एवं तार कालोनी में जल की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस मामले को लोक स्वास्थ्य विभाग के साथ उठाया है; और

(घ) डाक एवं तार कालोनी की सीधी पाइप लाइन काट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जल सप्लाई की मात्रा के आधार पर भुगतान किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) डाक-तार कालोनी के लिए जो सीधी पाइप लाइन आती है उसे काटा नहीं गया।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान परियोजनाओं की स्वीकृति

5509. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने भारत में प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संबंधी कुछ परियोजनाओं की स्थापना हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, (बी०एच०ई०एल०), हरिद्वार में एक प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है। वायु, द्रव, ठोस और शोरगुल वाले क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण संबंधी अनुसंधान कार्य करने और औद्योगिक प्रदूषण के बारे में उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना का डिजाइन बना लिया गया है। परियोजना का दीर्घकालीन उद्देश्य औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यह परियोजना तीन वर्षों में पूरी की जानी है और इसकी कुल लागत 497 लाख रु० है जिसमें 28.50 लाख अमरीकी डालर का यू. एन. डी. पी. योगदान भी सम्मिलित है। इस योगदान में तकनीकी विशेषज्ञता, अध्ययन संबंधी दौरे, शोधवृत्ति और उपकरणों की लागत शामिल है। युनिडो यू०एन०डी०पी० की ओर से परियोजना के लिए कार्यकारी अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

कोचीन तेल शोधनशाला, में आग की दुर्घटनायें

5510. **डा०के०जी० थामस** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधनशाला केरल में मार्च, 1985 में भीषण अग्नि काण्ड के पश्चात इस शोधनशाला में अग्नि काण्ड रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि मार्च, 1984 में हुए अग्निकाण्ड के पश्चात कोचीन शोधनशाला में अनेक बार अग्निकाण्ड हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कोचीन तेल शोधनशाला में भीषण अग्निकाण्ड रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड सुरक्षा तथा अग्निशमन सुविधाओं में भारी परिवर्तन कर रहा है जिनके 1986-87 में पूरा होने की आशा है।

(ख) 8 मार्च, 1984 के पश्चात इसे दुबारा चालू करने/निर्माण कार्य कराने के दौरान कुछ मामूली दुर्घटनायें हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) कार्यक्रम के कार्यान्वित होने पर आग लगने से होने वाली प्रमुख दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम की आशा है।

तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले के पोर्टोनोवो क्षेत्र में तेल और खाना पकाने की गैस के लिए सर्वेक्षण

5511. डा०पी० वल्लल पेरुमन : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और खाना पकाने की गैस के लिए तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले के पोर्टेनोवो क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में वाणिज्यिक महत्व की खाना पकाने की गैस मिली है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अशोधित तेल के संबंध में और अनुसंधान करने के लिए कोई अग्रसर तैयारियां कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है। एल. पी. जी. शोधन के बाद मिलती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अरियाल पाण्डिचेरी गर्त जिसका पोर्टो नोवो क्षेत्र एक भाग है में भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी है।

पेट्रोलियम उत्पादन के आयात से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डियन लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

5512. डा० पी० वल्लल पेरुमन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने पेट्रोल का उत्पादन होता है;

(ख) कुल कितने कच्चे तेल का आयात होता है;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया, लिमिटेड ने प्रतिवर्ष कितना लाभ कमाया ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान 2.10 मी०मी० टन अस्थायी।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान 14.1 मि० मी० टन।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए 2290 करोड़ रुपये ।

(घ) वर्ष 1983-84 में कर के पश्चात् शुद्ध लाभ :

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	=	805.66 करोड़ रुपये
आयल इण्डिया लिमिटेड	=	66.18 करोड़ रुपये

इन्स्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया लाइब्रेरी, नई दिल्ली में अस्वास्थ्यकर स्थिति

5513. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में पंचकुइंया रोड स्थित इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज और इसकी लाइब्रेरी में असंतोषजनक और अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ख) क्या लाइब्रेरी में तो बहुत ही अस्वच्छता की स्थिति है जैसे शौचालय से बदबू आना, वाटरकूलरों के पास पानी का जमा होना, पानी के टैंक आदि की कोई सफाई न किया जाना;

(ग) क्या लाइब्रेरी में लगाया गया वाटरकूलर प्रायः खराब रहता है और जब वह काम कर रहा होता है, तो उसमें ताजा पानी भरने से पूर्व उसकी सफाई नहीं की जाती है और इसके परिणामस्वरूप कई बार पीने के पानी में कीड़े पाये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों/शिकायतों के बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) और (ग) इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा यह सूचना दी गई है कि इंस्टीट्यूट और कम्पनी सेक्रेटरीज में और उसके रानी झांसी रोड, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में स्वच्छता की स्थिति बहुत अच्छी है तथा शौचालय में बदबू और वाटरकूलरों के पास पानी जमा नहीं है । पानी की टंकी को नियमित रूप से साफ किया जाता है । वाटरकूलर कभी-कभी अपेक्षित छोटी मरम्मत को छोड़कर, हमेशा चलता रहता है तथा जब कभी भी इसकी मरम्मत की जाती है तो इसमें स्वच्छ पानी भरा जाता है ।

(घ) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज के नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में अध्ययन के लिए स्थान की कमी

5514. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है;

(ख) क्या इस संस्थान ने पुस्तकालय सुविधायें उपलब्ध की हैं और यदि हाँ, तो यह पुस्तकालय किस जगह पर है और छात्रों के अध्ययन के लिए इस पुस्तकालय में कितना स्थान है; और

(ग) यदि यह स्थान अपर्याप्त है तो क्या सरकार का विचार इस पुस्तकालय के लिए एक ऐसा आफिस स्थान वाला भवन देने का है जो किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थित हो ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट में प्रविष्ट वर्तमान छात्रों की संख्या 4100 है। इंस्टीट्यूट ने, 1 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में अध्ययनार्थ, एक समय पर 50 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता सहित पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था की है। चूंकि इंस्टीट्यूट छात्रों के लिये पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं में विस्तार करना चाहता है इसलिए उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूखण्ड के लिए आवेदन किया है।

पारावूर, कोचीन में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण

5515. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारावूर, कोचीन में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस भवन में संस्थापित किये जाने वाले नये उपकरण तैयार हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। सैनिटरी फिटिंग, सड़कों और जल निकासी का कार्य अभी किया जाना है।

(ख) उपस्कर की सप्लाई आरंभ हो गई है।

दो पहिया स्कूटरों/मोपेडों/मोटर साइकिलों का उत्पादन

5516. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कम्पनियों द्वारा दो पहिया स्कूटरों/मोपेडों/मोटर साइकिलों का पृथक-पृथक कितना वार्षिक उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या देश में दो पहिया स्कूटरों/मोपेडों/मोटर साइकिलों की मांग उनके उत्पादन से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1985 तक देश में दो पहिया स्कूटरों/मोपेडों/मोटर साइकिलों की डीलर-वार बुकिंग, डिलीवरी और बकाया मामलों की स्थिति क्या थी; और

(घ) इन वाहनों की जल्द डिलीवरी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दुपहियों के प्रमुख निर्माताओं से संबंधित वार्षिक उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) दुपहियों का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। फिर भी, दुपहियों के लिये कुछ लोकप्रिय माडलों की प्रतीक्षा सूचियां हैं।

(ग) सरकार ऐसी विस्तृत सूचना नहीं रखती है। फिर भी, दुपहियों के कुछ लोकप्रिय माडलों के लिये बकाया पड़े आर्डरों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :

1.	बजाज आटो लि०	9 लाख
2.	महाराष्ट्र स्कूटर्स	17 लाख
3.	लोहिया मशीन्स	21 लाख
4.	आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०	5 लाख

(घ) दुपहियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 37 लाख दुपहिये प्रति वर्ष करने की मंजूरी दी गई है। इसमें नये एककों की स्थापना के साथ-साथ मात्रा के अनुसार बचत करने के लिए विद्यमान एककों के विस्तार की योजनायें शामिल हैं,

(ii) सम्पूर्ण लाइसेंस क्षमता में किसी भी प्रकार के दुपहियों के निर्माण के लिए पूरी छूट दी गई है,

(iii) देशी अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी के चयनात्मक आयात के द्वारा उत्पादों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना,

(iv) उत्पादन और सीमा शुल्क में रियायतें देना।

विवरण

(आंकड़े हजार में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	उत्पादन 1982	1983	1984
	दुपहिये स्कूटर :			
1	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया	24	15	9
2	बजाज आटो लि०	140	169	187
3	स्कूटर्स इण्डिया लि०	37	26	24
4	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०	32	53	56
5	आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०	10	5	10
6	लोहिया मशीन्स लि०	—	0.2	11

मोपेड :				
1	काइनेटिक इंजी० लि०	57	132	157
2	मैजेस्टिक आटो	77	110	95
3	सुन्दरम क्लेटन	53	70	100
मोटर साइकिलें :				
1	इनफिल्ड इण्डिया लि०	29	28	42
2	आइडियल जावा	29	33	27
3	बजाज आटो लि० (एम-50)	9	25	27
4	इन्ड-सुजकी मोटर साइकिल्स लि०	—	—	10
5	एस्कार्टस लि०	58	67	82

विश्व के प्रमुख व्यापार नेताओं की बातचीत

5517. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली गोल मेज में भारत के बारे में विश्व के प्रमुख व्यापार नेताओं की बातचीत की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारतीय प्राथमिकताओं और नीतियों से विदेशी शिष्टमण्डलों को परिचित कराने के प्राथमिक उद्देश्य से नई दिल्ली में एक गोल मेज सभा का आयोजन 15-16 अप्रैल 1985 को जेनेवा के यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम द्वारा किया गया था। शिष्टमण्डलों को भारतीय औद्योगिक विकास नीति का प्रत्यक्ष आभास हो सका था। चर्चाओं की व्यवस्था अनौपचारिक रूप से की गई थी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गैस-एजेंसियों, पेट्रोलियम तथा डीजल बिक्री केन्द्रों और मिट्टी के तेल के डिपुओं का आबंटन

5518. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जनजातियों के लोगों के लिए गैस एजेसियों, पेट्रोलियम तथा डीजल बिक्री केन्द्रों और तालुक मिट्टी के तेल के डिपुओं का कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को अब तक गैस एजेंसियां, बिक्री केन्द्र और मिट्टी के तेल के डिपो आबंटित किए गए हैं;

(ग) उक्त कोटा आरक्षित करते समय क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कोटा/प्राप्त करने के लिए यदि कोई सुविधायें दी गई हैं, तो वे कौन सी हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को एजेंसियां देने के लिये क्या संबंधित कम्पनियों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ङ) विद्यमान नीति के अन्तर्गत तेल कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् एलपीजी, एमएस/एचएसडी और एसकेओ/एलडीओ की समस्त डीलरशिप/वितरक का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तालुक केरोसीन डिपो के लिए कोई आरक्षण नहीं है जिन्हें तेल कम्पनियां द्वारा किसी डीलर को नहीं सौंपा जाता है।

(ख) आरक्षण की नीति लागू करने से अब तक राज्य-वार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सामान्यतया अपनाई गई कसौटी यह है कि वे स्थान जो आरक्षित विधानसभाई/संसदीय क्षेत्र में आते हैं या जिन क्षेत्रों में इन जातियों के अधिक व्यक्ति रहते हैं वे उनके लिए आरक्षित किए जाते हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 1984 से ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सोशल आवजेक्टिव केटेगरी के अन्तर्गत चुने हुए डीलरों को उनकी आवश्यकता का 75 प्रतिशत तक के वित्त पोषण की एक स्कीम आरम्भ कर दी है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य	एलपीजी		बिक्री केन्द्र		1-1-1985 को एसकेओ/एलडीओ	
		अ०जा०	अ०जन०	अ०जा०	अ०जन०	अ०जा०	अ०जन०
1.	हरियाणा	7	....	13	...	7	....
2.	हिमाचल प्रदेश	2	1	....	....	...	....
3.	जम्मू व काश्मीर	...	....	...	....	1	...
4.	पंजाब	16	....	15	...	1	....
5.	राजस्थान	7	4	15	6	6	1
6.	उत्तर प्रदेश	24	...	25	....	5	...
7.	दिल्ली संघ राज्य	11	...	2	...	4	...
8.	चंडीगढ़	3	....	....	....	....	...
9.	अरुणाचल प्रदेश	...	1	1	10	...	5
10.	असम	6	3	4	4	12	7
11.	बिहार	10	2	17	4	4	1

12.	मध्य प्रदेश	5	7	4	3	9	1
13.	मणिपुर	...	3	...	3	....	6
14.	मेघालय	...	3	...	7	1	8
15.	मिजोरम	....	1	...	2	...	1
16.	नागालैंड	...	3	....	1	...	2
17.	उड़ीसा	2	3	3	2	3	....
18.	त्रिपुरा	...	1	....	2	....	...
19.	पश्चिमी बंगाल	13	...	31	1	17	2
20.	गुजरात	10	9	11	4	6	2
21.	महाराष्ट्र	13	16	22	9	31	9
22.	गोआ, दमन व दीव	1	...	...	....	....	....
23.	आन्ध्र प्रदेश	16	6	31	4	13	2
24.	कर्नाटक	19	1	11	3	8	...
25.	केरल	10	....	7	....	1	...
26.	तमिलनाडु	27	1	49	...	11	....
27.	पांडिचेरी	1	...	2	....	...	....
	योग :	203	65	263	65	140	47

बिहार में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

[हिन्दी]

5519. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) एवं (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य कुशलता पर बिजली की कटौती और बिजली के गुल होने का प्रभाव

[अनुवाद]

5520. श्री देवी घोषाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार बिजली की कटौती और बिजली के गुल होने से पश्चिमी बंगाल में विशेषकर, कलकत्ता शहर में टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य कुशलता पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली की कटौती और बिजली के गुल होने को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है जिससे कि एक्सचेंजों को उचित तापमान पर तथा धूल से मुक्त रखा जा सके?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :—

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों में विशेषतः क्रासबार और ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज में अनेक इलेक्ट्रानिक पुर्जे होते हैं जो निरन्तर और लम्बे समय तक बिजली उपलब्ध न होने पर वातानुकूलन संयंत्रों के कार्य न करने के कारण गड़बड़ी शुरू कर देते हैं ।

ii) छोटे आटोमेटिक एक्सचेंजों में विंडो टाइप वातानुकूलन की व्यवस्था होती है और वह भी बिजली फेल होने के दौरान कार्य नहीं करते ।

(iii) अधिक तापमान और धूल से वातानुकूलन संयंत्र के कार्य न करने के कारण आटोमेटिक एक्सचेंजों के कार्य निष्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है ।

(ग) निरन्तर बिजली उपलब्ध न होने तथा बिजली खराब होने की समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं/किये जा रहे हैं :—

(1) टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए यथासंभव पृथक फीडर की व्यवस्था की जा रही है ।

(2) अधिक क्षमता के इंजिन आलटरनेटर की व्यवस्था की जा रही है ।

(3) छोटे आटोमेटिक एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर अधिक क्षमता की बैटरियों और इंजन आलटरनेटर की भी व्यवस्था की जा रही है ।

अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा सीधी डायल सुविधा का दुरुपयोग

5521. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके सीधी डायल सुविधा का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीधी डायल सुविधा के इस प्रकार के दुरुपयोग के अवसर न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हाँ।

(ख) एस० टी० डी० सुविधा का अनधिकृत दुरुपयोग करने तथा उसमें दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा गुप्त रूप से सहयोग देने के बारे में दिल्ली के टेलीफोन उपभोक्ताओं से केवल 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यह देखा गया है कि इस मामले में दूरसंचार कर्मचारियों की कोई मिली भगत नहीं थी।

(ग) इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए पहले से ही जो कुछ कदम उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(एक) वितरण प्वाइंटों को ऊपर उठाना।

(दो) वितरण प्वाइंटों को ताला लगाना।

(तीन) टेलीफोन एक्सचेंज के मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना।

(चार) उन उपभोक्ताओं के टेलीफोनों पर निगरानी रखना, जो इस बात की शिकायत करते हैं कि अन्य अनधिकृत उपभोक्ताओं द्वारा उनकी लाइन का एस० टी० डी० सेवाओं के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है।

(पांच) सतर्कता संगठनों का गठन करना जो शिकायतों की पुष्टि व उनकी जाँच करता है। इनमें एस० टी० डी० सुविधा का अनधिकृत उपयोग किए जाने की शिकायतें भी शामिल हैं।

विदेशी कंपनियों का पूंजी निवेश/प्रदत्त पूंजी

5522. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन-कौन से क्षेत्र/उद्योग हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी विदेशी कम्पनियों की भागीदारी/पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों की अवधि में भारत में व्यापार के स्थान संस्थापित करने वाली 25 विदेशी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इन कम्पनियों के नामों, उनके विनिगमन के राष्ट्रों, भारत में व्यापार संस्थापित के वर्षों और उनकी गतिविधियों के वर्गीकरण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया जाता है। इन कम्पनियों का भारत में कोई पूंजी आधार नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	विनिगमन का देश	भारत में व्यापार संस्थापित करने का वर्ष	भारत में शाखा गतिविधियों का वर्गीकरण
1	2	3	4	5
1	मै०यूकेपको लिमिटेड (31-5-1984 से अस्तित्व समाप्त)	यूनाइटेड किंगडम	1982-83	सम्पर्क कार्यालय
2	वैस्टर्न कम्पनी आफ नार्थ अमेरिका (31-1-1985 से अस्तित्व समाप्त)	यू०एस०ए०	1982-83	परियोजना कार्यालय
3	बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनैशनल (ओवरसीज) लि०	केमैन द्वीप	1982-83	बैंकिंग
4	सी० जी० ई० अत्सतन	फ्रांस	1982-83	बिजली, इलैक्ट्रोनिक्स गैस हीट आदि के औद्योगिक प्रयोग
5	ग्रिफिम अलेकजेन्डर ड्रिलिंग कम्पनी	यू०एस०ए०	1982-83	ओ०एन०जी०सी० के साथ ड्रिलिंग कन्ट्रैक्ट का निष्पादन और कन्ट्रैक्ट के निष्पादन के लिए समरूपी गतिविधि
6	ओवरसीज जेम्स लिमिटेड	यू०के०	1982-83	हीरों और अन्य बहुमूल्य धातुओं का आयात एवं निर्यात
7	डिक्सिलीन फील्ड इन्टर नैशनल ड्रिलिंग कम्पनी	यू०एस०ए०	1982-83	ओ०एन०जी०सी० के साथ कन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ड्रिलिंग-परिचालन सम्पन्न करना
8	टोयोडा तशुश कैशा लिमिटेड	जापान	1982-83	सम्पर्क कार्यालय
9	थोमस डफ एण्ड कम्पनी लिमिटेड	स्काटलैण्ड	1982-83	सम्पर्क कार्यालय
10	निपन एक्सप्रैस कम्पनी लि०	जापान	1983-84	सम्पर्क कार्यालय
11	सोनट ड्रिलिंग इन्क, (16-2-1984 से अस्तित्व समाप्त)	यू०एस०ए०	1983-84	सम्पर्क कार्यालय ओ०एन०जी०सी० के साथ कन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग का निष्पादन के लिये समरूपी गतिविधि

1	2	3	4	5
12	केबल वैल्डस लिमिटेड	स्काटलैण्ड	1983-84	सम्पर्क कार्यालय
13	रेमन्ड इन्टरनैशनल आफ दिलावरे इंक	यू०एस०ए०	1983-84	सामान्य निर्माण एवं सिविल इंजीनियरिंग
14	फूजीत्सा लिमिटेड	जापान	1983-84	सम्पर्क कार्यालय
15	बारबेर शिप मैनेजमैन्ट लिमिटेड	हांगकांग	1983-84	सम्पर्क कार्यालय
16	स्टेन इन्डस्ट्रीज	फ्रांस	1984-85	""यथोपरि""
17	दि बैंक आफ नोवा स्कोटिया	कनाडा	1984-85	बैंकिंग सेवा
18	डोवैल स्कम्बरजर (वैस्टर्न) एस० ए०	पनामा	1984-85	परियोजना कार्यालय
19	डयटस्के स्काचलबन टाइप बोरगोज-पकपट, (डी०एस०टी०)	जर्मनी संघीय गणतंत्र	1984-85	ओ०एन०जी०सी० के साथ कन्ट्रैक्ट हुई परियोजना
20	जे०जी०सी० कारपोरेशन	जापान	1984-85	एच०पी०एल० लिमिटेड के साथ कन्ट्रैक्ट परियोजना कार्य
21	ग्लोबल मैरीन डीपवा टरड्रिलिंग इंक	यू०एस०ए०	1984-85	चवरोन आयल कम्पनी आफ इण्डिया के माध्यम से ओ० एन०जी०सी० के लिये परियोजना कार्य
22	फ्लोपैट्रोल इन्टरनैशनल, एस०ए०	पनामा	1984-85	आइल इंडिया लिमिटेड सहित कन्ट्रैक्ट के लिये परियोजना कार्यालय
23	सल्जर ब्रादर्स पब्लिक लिमिटेड	स्विटजरलैण्ड	1984-85	सम्पर्क कार्यालय
24	स्पीडफाम कंपनी लि०	जापान	1984-85	""यथोपरि""
25	डयूब्रावा गैस, एम०बी०एच० एण्ड कंपनी के० जी०	आस्ट्रिया	1984-85	परियोजना कार्यालय

कलकत्ता में टेलीफोन की खराबी को ठीक करने के लिए लिया गया समय

5523. **श्री विमल कान्ति घोष** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औसत की तुलना में, कलकत्ता के टेलीफोनों में आने वाली खराबी/दोष को ठीक करने के लिये औसतन कितना समय लिया जाता है और अन्य राज्यों की राजधानियों में टेलीफोन प्रणाली में खराबी को ठीक करने के लिये औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(ख) कलकत्ता में टेलीफोनों की खराबी ठीक करने के औसतन समय के औसत को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता टेलीफोन में किसी खराबी को दूर करने के लिये लिया जाने वाला समय 31 घण्टे है जबकि राष्ट्रीय औसत 11.4 घण्टे हैं तथा अन्य राज्यों की राजधानियों का औसत 6.7 घण्टे हैं।

(ख) मरम्मत के उद्देश्य से लिये जाने वाले औसत समय में कमी करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) पुराने केबिलों को उत्तरोतर बदलना ।

(2) थर्मो श्रिक ज्वाइंटिंग तकनीक अपनाना ।

(3) केबिल रिकार्ड और/दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण करना ।

(4) लाइन स्टाफ के उपयोग के लिये पोर्टेबल टेस्टर्स ।

(5) खराब टेलीफोन उपकरणों की स्थल पर ही मरम्मत करने के बजाय उन्हें बदल देना ।

(6) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लंबी अवधि तक रहने वाली खराबियों को मानीटर करना ।

कलकत्ता टेलीफोन्स की ट्रंक बुकिंग सेवा संख्या 180

5524. प्रो० विमल कान्ति घोष : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कलकत्ता में उपभोक्ताओं को ट्रंक काल बुक कराने के लिये ट्रंक सेवा संख्या 180 प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) कलकत्ता में टेलीफोन विभाग द्वारा निर्धारित मानक समय की तुलना में सेवा संख्या 180 काल का उत्तर देने में कितना समय लगता है ;

(ग) भारत के अन्य शहरों की तुलना में कलकत्ता में टेलीफोन आपरेटरों की संख्या और ट्रंक सर्किटों की संख्या का अनुपात कितना है; और

(घ) कलकत्ता टेलीफोन की सेवा संख्या 180 सेवा को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) 60 प्रतिशत ट्रंक कालों का जवाब 10 सैकिंड के भीतर दे दिया जाता है जबकि इसके लिये विभागीय मानदंड 90 प्रतिशत है । कलकत्ता में 90 प्रतिशत ट्रंक कालों का जवाब 16 सैकिंड के भीतर दे दिया जाता है ।

(ग) कलकत्ता में टेलीफोन आपरेटरों और ट्रंक सर्किटों का अनुपात भारत के अन्य शहरों के समान ही है । यह अनुपात मौजूदा मानदंडों के अनुसार है ।

(घ) "180" सेवा के लिए स्थानीय जंक्शन बढ़ाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो ट्रंक परियात के अध्ययन पर आधारित है।, "180" ट्रंक बुकिंग के लिये अतिरिक्त पोजीशनों की स्थापना करने पर भी विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता में टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतों का औसत

5525. प्रो॰ विमल कान्ति घोष : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औसत तथा भारत के अन्य शहरों में टेलीफोन व्यवस्था संबंधी शिकायतों की औसत की तुलना में कलकत्ता में टेलीफोन संबंधी शिकायतों का प्रति 100 टेलीफोन मासिक औसत क्या है; और

(ख) कलकत्ता के किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में शिकायत दर, औसत दर से अधिक है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता में प्रति माह प्रति 100 टेलीफोनों पर शिकायतों की औसत संख्या 48.3 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 39 है। अन्य महानगरों अर्थात बम्बई, दिल्ली और मद्रास में यह औसत संख्या 44.2 है।

(ख) उन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जहां शिकायत दर औसत दर की तुलना में अधिक है।

विवरण

कलकत्ता टेलीफोन जिले के उन एक्सचेंजों के नाम जहाँ शिकायत दर औसत दर से अधिक है :—

1	सेन्ट्रल	14	जाधवपुर
2	तिरेत्ताबाजार	15	बेहाला
3	जोरासांको	16	अंटोला
4	एवेन्यू	17	अन्दुल
5	पूर्व	18	बैरेकपुर
6	सर्कस	19	बरासात
7	रूसा	20	बाटपारा
8	कासीपोर	21	चन्दन नगर
9	दम-दम	22	चिनसुरा
10	पानीहाटी	23	कल्याणी
11	श्रीरामपुर	24	नरेन्द्रपुर
12	सालकिया	25	गीबाची
13	शिम्पोर		

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात

5526. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में समझौता हो जाने के बाद गत तीन वर्षों के दौरान किसी समय विदेशों से उनका आयात करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय वस्तुतः कौन-सी तारीख को लिया गया था और अब तक कितने एक्सचेंजों का आयात किया गया है और उन्हें लगाया गया है;

(ग) उन कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं जिनसे इन एक्सचेंजों को खरीदा गया था उनकी लागत आदि तथा इस उद्देश्य के लिए समझौता में निर्धारित अन्य शर्तों सहित इन एक्स-चेंजों के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उनकी कौन-सी तारीख तक आयात किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इसमें देरी के क्या कारण हैं और समझौते में उल्लिखित खरीद की शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी,हां ।

(ख) 1. फ्रांस से 200000 लाइनों के ई–10 बी लोकल एक्सचेंज 24-7-1982/23 एक्सचेंजों में से 10000 लाइनों का पहला एक्सचेंज चालू किया जा चुका है। अन्य एक्सचेंजों का स्थापना कार्य विभिन्न चरणों में है ।

2. फ्रांस से 22000 लाइनों के ई–10 बी ट्रंक स्वचल एक्सचेंज (टी ए एक्स) 15-11-1983 उपस्कर भेजने से पूर्व भारतीय दूरसंचार विभाग के अधिकारी फ्रांस की फैक्टरी में उपस्कर का निरीक्षण और जांच कर रहे हैं ।

16 में से 10000 लाइनों के 5 ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की मार्च 1986 तक सप्लाई होने की संभावना है ।

3. जापान से 85,000 लाइनों के फेटेक्स 100 एल लोकल एक्सचेंज 31-8-1982 ऐसी संभावना है कि ये एक्सचेंज 1986 के दौरान कार्य करना शुरु कर देंगे ।

4. हालैंड से 60000 लाइनों के पी आर एक्स कंटेनराइज्डएक्स चेंज 30-4-1983/25 में से 6 एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं । ऐसी संभावना है कि शेष एक्सचेंज भी 1986 के दौरान उत्तरोतर चालू हो जाएंगे ।

5. जापान से 30000 लाइनों के एन० ई० ए० एक्स 61 एस छोटे ग्रामीण डिजिटल एक्सचेंज 2-4-85 : केवल स्वीकृति पत्र दिया गया है ।

(ग) 1. ई 10 बी प्रणाली (लोकल एक्सचेंज) — सी आई टी अल्कातेल; फ्रांस

200,000 लाइनों और संबंधित सेवाओं के लिए 314.7 मिलियनफ्रैंच फ्रैंक्स एफ ओ बी + 7.45 मिलियन भारतीय रुपये ।

2. ई–10 बी प्रणाली (टी ए एक्स) — सी आई टी आल्काटेल, फ्रांस

22000 लाइनों और सम्बन्धित सेवाओं के लिए 141.39 मिलियन फ्रैंच फ्रैंक्स एफ ओ बी + 1.978 मिलियन भारतीय रुपये

3. फेटेक्स 100 एल (लोकल एक्सचेंज) — मित्सो इशाई कारपोरेशन, जापान

85000 लाइनों और सम्बन्धित सेवाओं के लिए 4 बिलियन जापानी येन।

4. पी आर एक्स कंटेन्राइज्ड—फिलिप्स, हालैंड। 60000 लाइनों और सम्बन्धित सेवाओं के लिए 41.2 मिलियन डच गुल्डीर गुल्डीयर्स एफ ओ बी।

5. एन ई ए एक्स 61-एस — निप्पन इलेक्ट्रिक कारपोरेशन; जापान

30000 लाइनों और सम्बन्धित सेवाओं के लिए 18 बिलियन जापानी येन।

मुख्य शर्तें :

—एक वर्ष का आश्वासन

—अतिरिक्त पुर्जों की पयाप्त के बारे में तीन वर्ष की गारंटी।

—साफ्टवेयर और हार्डवेयर की दीर्घकालीन सहायता।

(घ) कृपया प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखें।

(ङ) कोई विलंब नहीं है। खरीदने की मुख्य शर्तें प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दी गई है।

क्योंझर, उड़ीसा, में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस जारी करना

5527. श्री हरिहर सोरन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न, राज्यों में कितने पेट्रोलियम पम्पों के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन वर्षों में, उड़ीसा में कुछ पेट्रोल पम्पों के "सेल काउन्टर" बन्द किये हैं और तत्संबंधी एजेंसियों को रद्द कर दिया है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में भी कुछ पेट्रोल पम्पों के 'सेल काउन्टर" रद्द किये हैं;

(घ) यदि हां, तो उन सेल काउन्टरों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्योंझर जिले में पेट्रोल पम्प खोलने के लिये नये लाइसेंस जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रालय द्वारा दिल्ली और अन्य स्थानों पर किराए पर लिए गए मकानों की लाइसेंस शुल्क की देर में अदायगी

5528. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली और अन्य स्थानों पर किराए पर लिए गए मकानों के लिए मकानों के मालिकों को लाइसेंस शुल्क की अदायगी काफी देर में यहाँ तक कि दो-दो महीनों के बाद की जा रही है जबकि यह उसी महीने में की जानी चाहिए;

(ख) अदायगी में उक्त विलम्ब से प्रभावित कितने मकान-मालिकों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) लाइसेंस शुल्क की समय पर अदायगी करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मकान मालिकों से लाइसेंस शुल्क की अदायगी देर से किए जाने के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कई मामलों में देरी मकान मालिकों द्वारा पूर्व प्राप्ति रसीद गलत/देर से पेश किए जाने के कारण होती है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) किराए की अदायगी के लिए पद्धति को संशोधित और युक्तिसंगत किया जा रहा है ताकि लाइसेंस शुल्क की अदायगी समय पर हो सके।

प्लास्टिक आयोग की स्थापना

[हिन्दी]

5529. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग संगठनों ने सरकार से प्लास्टिक आयोग की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के आयोग की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) ऐसे आयोग की स्थापना को उचित नहीं समझा गया है।

खाना पकाने की गैस (एल०पी०जी०) के सिलेंडरों का निर्माण

[अनुवाद]

5630. श्री सुन्दर लाल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एल०पी०जी० सिलेंडरों के निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ख) उनकी संस्थापित क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों में प्रति माह और कारखाने-वार इनका कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीरा का आयात और एल्कोहल का निर्यात

5531. श्री सुन्दर लाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीरा के आयात की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भारत से एल्कोहल उत्पादों का निर्यात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1985-86 की आयात नीति में "सीरे" के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि उक्त नीति के परिशिष्ट 6 के क्रमांक 1 के अनुसार उसमें निर्धारित शर्तों पर कच्चे माल के रूप में इसका आयात वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए ओजीएल के अन्तर्गत रहेगा।

(ग) और (घ) पंजीकृत निर्यातकर्ताओं हेतु आयात निर्यात नीति, 1985-88 के परिशिष्ट 17 में किए गए प्रावधान के अनुसार, निर्यात उत्पाद "अल्कोहलिक मदिरा पेय, क्रमांक जी 5.2 पर है। अतः निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत निर्यातकर्ता "अल्कोहलिक मदिरा पेय" का निर्यात करने से वे निर्यातों के एफओवी मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से पुनः पूर्ति आयात लाइसेंस जारी किए जाने के लिए पात्र है। ऐसे आरईपी लाइसेंसों पर आयात हेतु अनुमति दिए जाने वाली मदें निम्न प्रकार हैं :—

(1) अधिकतम 18 प्रतिशत तक अल्कोहलिक अंश के साथ फ्लेवरिंग एसेन्स आफ एम, जिन व्हीस्की, ब्राण्डी और वोडका

(2) पैकिंग सामग्री अर्थात् कार्टन्स, कार्ड बोर्ड के बक्से, क्राफ्ट पेपर्स, ईजीओपन/फिलप पोर इण्डस ।

(2) अधिकतम 18 प्रतिशत अल्कोहलिक अंश के साथ वल्क में माल्ट स्प्रिट/ग्रेपस्प्रिट ।

तस्करों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना

5532. श्री अमर सिंह राठवा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तस्करी गतिविधियों से लगे हुए व्यक्तियों के विचारण के लिए सीमा शुल्क विभाग के प्राधिकार के अधीन विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज) : (क) और (ख) तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की बाबत कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, संघ सरकार के अनुरोध पर, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने बारह विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन अनन्यतः आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए पृथक न्यायालय स्थापित किए हैं या उन्हें इस प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा गया है। उक्त बारह केन्द्रीय अधिनियमों के नाम इस प्रकार हैं: केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944; आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947; धन-कर अधिनियम, 1957; आय-कर अधिनियम, 1961; सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962; स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1963; विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम 1973; कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964; दान-कर अधिनियम, 1958; निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम। गुजरात और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों से भी ऐसे न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

विदेशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग

5533. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान अब तक सरकार द्वारा किन-किन दूसरे देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने हेतु हस्ताक्षर किये गये; और

(ख) उक्त सहयोगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1984 में विदेशी सहयोग के 752 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्त्ता, विनिर्माण की वस्तु सहयोग की किस्म आदि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मन्थली न्यूज लैटर में परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1984 के प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

सीमेंट का आयात

5534. **श्री बब्बन चौधरी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के आयात के बारे में कोई निश्चित नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के अलावा अन्य कोई एजेन्सियां है; और

(घ) आयातित सीमेंट के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड हैं और क्या इसके मूल निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है अथवा उस देश द्वारा अंकित मूल्य रखा जाता है जहां से सीमेंट का आयात किया गया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विद्यमान आयात नीति में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

"क्लिंकर सहित सीमेंट के मामले में, किन्तु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड, द्वारा तेल कुओं के लिए अपेक्षित सीमेंट को छोड़कर, सीमेंट का आयात केवल भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एस.टी.सी.) द्वारा ही सामान्य खुले लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत सरकार द्वारा इसके हक में जारी की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर किया जाएगा। उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में सरकार की सम्बद्ध नीति के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा सीमेंट का आयात, वितरण और मूल्य निर्धारित किया जाएगा"

(घ) विद्यमान आयात नीति के आधार पर सीमेंट का आयात करने की योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। ऐसी स्थिति में आयातित सीमेंट के मूल्य संबंधी मानदण्ड निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन द्वारा अगरतला में रक्षित गोदाम स्थापित करना

5535. **श्री अजय विश्वास** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया काम्पलेक्स ग्रेड और राक फास्फेट के भंडारण के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन द्वारा अगरतला में रक्षित गोदाम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) एच.एफ.सी. ने अगरतला में पहले ही उर्वरक भंडार करने के लिए 500 टन क्षमता का एक गोदाम स्थापित कर दिया है। एच.एफ.सी. राक फास्फेट को हैंडल नहीं करती।

नारियल जटा उद्योग द्वारा कच्चे माल की कमी का सामना

5536. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में इस उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्वायर जट्टा उद्योग को कच्चा माल उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) केरल सरकार ने राज्य के भीतर हस्क लाना-ले जाना उदारीकृत कर दिया है और अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में हुस्क ले जाने के लिए सुगमतापूर्वक परमिट दिए जा रहे हैं। कयर उद्योग को अधिक मात्रा में नारियल हस्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में बिक्री के लिए हस्क की कीमतों में संशोधन किए गए हैं।

उर्वरकों के लिए बजट में राजसहायता में वृद्धि

5537. **श्री के० प्रधानी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में बजट में उर्वरकों के लिए राजसहायता में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के लिए बजट में राजसहायता में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 में उर्वरकों के लिए कितनी राजसहायता मन्जूर की गई है, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी जा रही आर्थिक सहायता के अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

आर्थिक सहायता की राशि (रु० करोड़ों में)

वर्ष	स्वदेशी उर्वरक	आयतित उर्वरक	योग
1980-81	170	335	505
1981-82	275	100	375
1982-83	550	55	605
1983-84	900	142	1042
1984-85	1200	728 (अनुमानित)	1928

(ग) और (घ) स्वदेशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिए 1985-86 के दौरान 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है जबकि 1985-86 के दौरान आयातित उर्वरकों पर 600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का अनुमान है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम

5538. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज का प्रतिषेध करने वाला केन्द्रीय अधिनियम सभी राज्यों में लागू है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या दहेज के प्रतिषेध के संबंध में राज्यों के अपने कोई अधिनियम हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) केन्द्रीय अधिनियम, अर्थात्, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों में लागू है । जम्मू-कश्मीर राज्य में डाउरी रेस्ट्रैंट एक्ट, 1960 (दहेज अवरोध अधिनियम, 1960) नामक उनका अपना अधिनियम लागू है ।

रिलायन्स टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज को औद्योगिक लाईसेंस मंजूर करना

[हिन्दी]

5339. श्री महेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज को लगभग 800 करोड़ रुपये की सात योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी और उक्त कम्पनी को गत दो वर्षों के दौरान नियमों का उल्लंघन करके 45000 टन पोलिस्टर फाइवर प्लांट तथा टी०पी०ए० प्लांट पटल गंगा के लिए मदद दी गयी थी;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को अक्तूबर-दिसम्बर 1984 में पांच नये विदेशी सहयोगों को लाभ किया गया था और दो मामलों में केवल तीन महीने पहले आशय पत्र जारी किए गये थे, जबकि सामान्यतः इसमें बारह महीने लगते हैं;

(ग) क्या रिलायन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज को इतने बड़े पैमाने पर सहायता दिए जाने के संबंध में तत्काल जाँच कराने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा पोलिस्टर स्टेपल फाइबर में एकाधिकार को खत्म करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ). मैसर्स रिलायन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के लगभग रु० 600 करोड़ के निवेश वाले पालिस्टर स्टैपल फाइबर प्लांट और टी०पी०ए० प्लांट लगाने सहित पांच प्रस्ताव हाल ही में मंजूर किए गये हैं । गुणावगुण के आधार पर पद्धति और नियमों के अनुसार इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था ।

आशय पत्र जारी करने से पूर्व एम०आर०टी०पी० अधिनियम 1969 के अन्तर्गत भी इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था ।

विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को भी गुणावगुण के आधार पर पर्याप्त विचार करके ही जारी किया गया था।

(ग) सरकार का विचार है कि ऐसी कोई जाँच करने की जरूरत नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी

[अनुवाद]

5540. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की क्या प्रतिशतता है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 31.12.1983 को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में 4150 नियमित कर्मचारी कार्यरत थे।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रतिशत क्रमश: 8.12 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत थे।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे

5541. **श्री देबी घोषाल :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुछ विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किए, गए अपराधों के लिये मुकदमे चलाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध 1982, 1983 और 1984 के दौरान, इसके पूर्ववर्ती तीन वर्षों, 1979, 1980 और 1981 की तुलना में कितने मुकदमे चलाये गये;

(ग) इस प्रकार के कितने मुकदमों में निर्णय हो चुका है और उन कम्पनियों पर कुल कितना जुर्माना किया गया है; और

(घ) 31 मार्च, 1985 को इन विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध कितने मुकदमे बकाया थे ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जायेगी और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिनांक 26 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : 26 मार्च 1985 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1085 के भाग (घ) का उत्तर इस प्रकार दिया गया था :—

"(घ) ऐसा कोई सामान्य विचार नहीं किया गया है। फिर भी, क्या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीकृत किये जाने वाले किसी प्रस्तावित एकक की पहले से की गई देयताओं को उनके द्वारा पूरा किया जायेगा, यह ऐसी देयताओं के स्वरूप पर निर्भर करता है।"

राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय बैंकों और वित्तीय संस्थानों की अभिग्रहण पूर्व की देनदारियों की रक्षा की जानी है, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर कृपया निम्नलिखित के अनुसार ठीक कर लें :—

"(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले किसी प्रस्तावित एकक की अभिग्रहण से पूर्व की देयताओं की उनके द्वारा रक्षा की जानी है, यह उन देयताओं की किस्म पर निर्भर होगा।"

त्रुटि के लिये खेद है।

दिनांक 26 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : 26 मार्च, 1985 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1161 के भाग (क) का उत्तर इस प्रकार दिया गया था :

"(क) सिद्धान्त रूप में औद्योगिक उपक्रम को अपने हाथ में लिए जाने पर प्रबन्ध ग्रहण से पहले की देनदारियों को जो कि कम्पनी की है, सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, किसी विशेष मामले में प्रबन्ध ग्रहण से पहले की देनदारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए अथवा नहीं यह प्रत्येक मामले के गुणा-व-गुणों तथा देनदारियों के स्वरूप पर निर्भर करता है।"

राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अभिग्रहण पूर्व की देनदारियों की रक्षा की जानी है वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रश्न के भाग (क) का उत्तर कृपया निम्नलिखित के अनुसार ठीक कर लें : –

"(क) विशिष्ट मामले में अभिग्रहण से पूर्व की देयताओं की रक्षा की जांय अथवा नहीं यह देयताओं की किस्म के आधार पर अलग-अलग मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करता है।"

त्रुटि के लिए खेद है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आज के समाचार-पत्र में यह खबर छपी है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मामला क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह उच्चतम न्यायालय का बहुत गम्भीर निर्णय है और यह निर्णय .... ** ... . (व्यवधान) सम्पूर्ण न्याय प्रणाली ** ... ... है। सम्पूर्ण न्याय प्रणाली .... ** .... पर प्रहार है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ... ... **। वह जनता पार्टी की सरकार के दौरान नियुक्त किए गए थे। वह ऐसे निर्णय दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ।

प्रो० के०के० तिवारी : वह भी इसी प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किये गए थे। इस सदन को इसपर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूँ। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान लें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्रोधित इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको बैठ जाना चाहिए। मैं पुनः सभा को स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ निश्चित नियम हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं ?

प्रो० पी०जे०कुरियन : महोदय, आप स्कूल मुख्याध्यापक की तरह क्यों बोल रहे हैं ? हम संसद सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप अनुरोध कर सकते हैं और हम हमेशा आपकी बात मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारे साथ स्कूल के बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करिए।

अध्यक्ष महोदय : हम पूरा जीवन हमेशा विद्यार्थी रहते हैं। मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ। मैं हमेशा एक विद्यार्थी रहूँगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं भी।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बनने से पहले विद्यार्थी बनना ही पड़ता है। यदि आप यह नहीं सीखते हैं तो आप कभी भी अच्छे प्रोफेसर नहीं बन सकते। मुझे चिल्लाना पड़ा क्योंकि आपने मेरी बात नहीं सुनी। चिल्लाना मेरे लिए असंगत है, लेकिन मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूँ। यह आवश्यक है कि हमें मालूम होना चाहिए कि नियम क्या है? चाहे वह राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जो भी हों'''(व्यवधान) मैं यहां स्पष्ट कर रहा हूँ। जिससे एक-दूसरे को समझने में कठिनाई नहीं होगी। मैंने वह निर्णय पढ़ा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : निर्णय पर सभा में चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मैंने निर्णय पढ़ा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसिरहाट) : यह निर्णय नहीं है, यह केवल एक टिप्पणी है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हाँ। यह निर्णय नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप अपनी टिप्पणी करने से पहले, कृपया हमारी बात भी सुने।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। पहले आप मुझसे बात कीजिए। मैं समझता हूँ बेहतर यह होगा। इस पर पहले मुझसे मेरे कक्ष में चर्चा कर लें कि हम किस संबंध में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले किए गए निर्णय का उल्लेख कर रहा क्योंकि पहले भी जब आपने कुछ मुद्दे उठाए थे, मैंने आपको बताया था कि सभा में राष्ट्रपति का नाम लेकर या उनके पद पर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिए यह स्पष्ट है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य : श्री तिवारी किन्हीं अन्य व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ अन्य लोगों का उल्लेख कर रहे थे। (व्यवधान) मैंने पहले भी कहा है कि राष्ट्रपति का नाम सभा की चर्चा में प्रयुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने कहा यदि उन व्यक्तियों के बारे में, जिनका आपने हवाला दिया, आपको कुछ कहना है तो उससे पहले यह पता लगाया जाना है कि क्या हम राष्ट्रपति के पद को बीच में लाए बिना उस पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने उन टिप्पणियों को पढ़ा है। मैंने प्रोफेसर साहब आपके स्थगन प्रस्ताव को भी पढ़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सरकार की कार्य प्रणाली की चर्चा सभा में करना चाहता हूँ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, हम कैसे समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे जब अनेक सदस्य बीच में बाधा डाल रहें हैं?

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मुझे चिल्लाना पड़ता है। केवल एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि यह टिप्पणियां सरकार के कुछ हवालों, साथ ही कुछ लोगों के बारे में हैं जो ऊंचे पदों पर हैं और जिनकी कार्य-प्रणाली पर चर्चा नहीं की जा सकती''''''

यहीं मैं कह रहा हूँ । मैंने इसे पढ़ा है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इन हवालों या टिप्पणियों में कुछ लोगों का भी उल्लेख है । वह भी ऊंचे पदों पर हैं । मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता । इसी कारण मैं अपने कक्ष में पहले इस पर चर्चा करना चाहता था । पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात् मैं इस पर गौर करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अकेले में इस पर चर्चा क्यों चाहते हैं ? सबके सामने इस विषय को लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कहा है मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं । सर्वप्रथम मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लोक सभा में कार्य प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के नियम 353 और संविधान के अनुच्छेद 121 को ध्यान में रखते हुए हम आक्षेप नहीं लगा सकते, और साथ ही ऊंचे पदों वाले व्यक्तियों पर चर्चा नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको पूर्वोदाहरण दूंगा । पांचवी लोक सभा में जब न्यायाधीशों का अतिक्रमण किया गया था तब इस सभा में न्यायाधीशों के अतिक्रमण पर नियम 193 के अधीन मेरे प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और वाद-विवाद 6 घण्टे तक चला था । मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ कि अन्यों की बात तो अलग है देश में उच्चतम न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सरकार की नीति पर आक्षेप किये हैं ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह आपको अनुमति नहीं दे सकता । आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सभा में प्रक्रिया पर चर्चा किये जाने की अनुमति नहीं देते हैं; पूर्वोदाहरण से यह स्पष्ट होगा । मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दें··· ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, श्री कुरियन अब पुनः कहेंगे कि मैं चिल्ला रहा हूं । मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बैठ जायं तो मैं जवाब दे दूं । मैं सुन लूं तो उनको जवाब दे दूं, आप क्यों बीच में बोलते हैं ? अब आप बैठिए ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप मुझे स्पष्टीकरण मांगने के लिए अनुमति देते हैं तो कृपया मुझे श्री तिवारी, सभी सदस्यों से बचायें ।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके मित्र हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खड़ा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, आप जिद् करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

मैं मुख्य मामले से गुमराह नहीं होना चाहता। मैं आपके तर्क को पूर्णतः स्वीकार करता हूं, यह लोक सभा में कार्य प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के नियम 353 और संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुकूल है। मेरा तर्क केवल यह है कि यद्यपि हम उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में आक्षेप नहीं लगा सकते, हम उच्च न्ययालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में उचित मानदंड अपनाने के लिए सरकार की असफलता की चर्चा कर सकते हैं, जिससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता सुरक्षित की जा सके।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए, मैं अपना निर्णय दूंगा। मैं इन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। कृपया स्थान लें। मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : अपना निवेदन पूरा करने से पहले मैं दो और वाक्य कहना चाहूंगा। मैं कह रहा था कि पांचवी लोक सभा में, नियम 193 के अन्तर्गत मैंने न्यायाधीशों के अतिक्रमण और सरकार की असफलता पर चर्चा आरम्भ की थी और इस पर वाद-विवाद हुआ था...

(व्यवधान)

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उचित मानदण्डों के विषय में सरकार की विफलता के विषय में हमें चर्चा करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप समझे नहीं हैं। मैं इसी के लिए आपसे बात करना चाहता था। इस अब्जेरवेशन में एक चीज ऐसी है, जो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कह देता हूं। आपने मुझे कहने के लिये मजबूर कर दिया। आपने कहा है कि किसी के कहने पर या उस पालिसी के मुताल्लिक उन्होंने कहा है कि ऐसे जज करे जाते हैं, साइकोफैन्ट्स हैं या वह हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये, इन लोगों को भी तो किसी ने बनाया होगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा नहीं लगता है।

[अनुवाद]

यह नकारात्मक दृष्टिकोण है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर तो कहीं नहीं होगा। लोगों ने हमें बनाया होगा। कोई तो किसी को बनायेगा। किसी ने किसी को बनाया होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : न तो गवर्नमेंट कोई पैराशूट्स से उतरी है और न वह कुछ पैराशूट्स से उतरे हैं। इसी धरती के वे बेटे हैं और इसी धरती के हम बेटे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है।

वे आसमान से नहीं उतरे हैं।

[अनुवाद]

उनके लिए कोई चीज अलग नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप नहीं जानते आपने क्या कहा है। आप न्यायपालिका की व्याख्या इस प्रकार नहीं कर सकते। आप न्यायपालिका की बराबरी····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं कहा है।····(व्यवधान)····मैं किसी चीज की बराबरी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि भारत के लोग पैराशूट से नहीं उतरे हैं। हम सब को मां ने जन्म दिया है और सभी समान रूप से अच्छे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि सरकार कोई भारी गलती करती है तो हम उसकी न्यायिक जांच करवा सकते हैं। हम उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च आसन पर है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : (व्यवधान)····मैंने कब कहा है, मैंने तो कभी नहीं कहा है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : जहाँ तक सरकार का प्रश्न है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार को कभी भी चुनौती नहीं दी है। मैंने उन्हें हमेशा उच्च आसन पर रखा है। यही मैंने हमेशा कहा है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया रिकार्ड देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि क्या गलती है । मैंने कभी कोई राय जाहिर नहीं की । मैंने केवल यही कहा है कि यदि कोई न्यायाधीश (व्यवधान) यही मैंने कहा था क्योंकि आपने मुझसे पूछा था । मैं यह बता रहा था । ···(व्यवधान) मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ । मैं इसकी जांच करूंगा; इसमें कोई कठिनाई नहीं है । मैंने हमेशा कहा है कि सभी लोग इन्सान हैं । कभी-कभी वे गलती करने में प्रवृत होते हैं और वे गलती कर सकते हैं क्योंकि गलती मनुष्य से ही होती है । ···(व्यवधान) कुछ मुश्किल नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने कहा है कि वे स्वर्ग से पैराशूट द्वारा नीचे नहीं उतरे हैं । यह कहना कि न्यायपालिका स्वर्ग से नीचे नहीं उतरी है सरासर आक्षेप लगाना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सबके बारे में बता रहा हूँ । यही मैंने कहा था ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी के लिए नहीं कहा है;

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : न्याय पालिका के बारे में मत कहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह नहीं कहा । मैंने कहा था कि कोई भी आसमान से नहीं उतरा है । हम सभी इस धरती के लोग हैं । हम सभी समान रूप से अच्छे और समान रूप से बुरे हैं । आक्षेप लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।····(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये । मैं उस न्याय-पालिका पर कभी भी आक्षेप नहीं लगा सकता जिस पर कि हम सबको गर्व होना चाहिए । मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता । मैंने हमेशा यही कहा है कि हम सब एक दूसरे के अनुपूरक और प्रतिपूरक हैं । मेरा दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप रिकार्ड देखेंगे ···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, उनको किसी ने बनाया है । वह कहते हैं कि साइकोफैंट्स हो गया । उनको जज बना दिया । उनको भी तो किसी ने बनाया होगा । यह बात किसी पर लागू हो सकती है । यह अच्छा नहीं लगता है ।

[अनुवाद]

कोई बात नहीं, मैं इसे देखूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके बजाए अगर आप मेरे से सलाह कर लेते तो बात हो जाती ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा था। मैं यह बात नहीं होने देना चाहता""(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपत्तिजनक कोई भी बात रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : पांचवीं लोकसभा में हमने सरकार की असफलता के बारे में चर्चा की थी। हम इस पर चर्चा करना चाहते थे ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको अपने पास आने के लिए कहा था""

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार की असफलता के बारे में चर्चा करने के लिए हमें अनुमति दी जाए""

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं"'

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके बजाय आप मेरे से सलाह कर लेते तो बात हो जाती ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : आपको यह पूर्व कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हम उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप इस पर पहले मेरे साथ चर्चा करलें। यदि मैं सन्तुष्ट हो गया तो मैं विचार कर लूंगा ।

प्रो. मधु दण्डवते : हम इस पर चर्चा कर लेंगे। इसे अस्वीकार न कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा खुले मन से बात करता हूं ।

प्रो मधु दण्डवते : मैं तो यह मानता हूं कि उच्चअधिकारियों की अनुमति के बिना किसी मामले की अच्छाइयों पर चर्चा की मनाही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कभी नहीं होता है, आज कोई नई बात नहीं है ।

[अनुवाद]

ऐसा हमेशा होता है। कोई समस्या नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : शान्तिपूर्ण बन्द के होते हुए भी···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। अप्रासंगिक है। सब एक एक करके।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री बसुदेव आचार्य : रक्षा विभाग का एक वरिष्ठ वैज्ञानिक पिछले छः महिने से लापता है। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति बनाए रखिए। हम इस पर विचार कर लेंगे। आप मुझे सूचित कीजिए। कोई परेशानी नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है इस प्रकार से मत चिल्लाइए। यह ठीक है। आप इसे मुझे दे दीजिए।

(व्यवधान)**

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : मुझे आपसे एक निवेदन करना है। जब आपने अन्य लोगों को बोलने की अनुमति दे दी है तो आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ या तो आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए नहीं तो मैं अपना विरोध कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहता हूँ। आप प्रमुख विपक्षी दलों को बोलने से रोक नहीं सकते। यह आप क्या कर रहे हैं ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? आपको अवसर मिलेगा।

श्री एस० एम० भट्टम : कृपया मुझे अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार करते रहेंगे तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। मैं कहता हूँ कि मैं आपकी ही बात सुनने वाला हूँ।

श्री एस० एम० भट्टम : आपने मुझे चुप क्यों कर दिया ? आपने मुझे अनुमति नहीं दी है। मैंने आपको प्रस्ताव भेजा है। आपको मुझे अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाने से आपका क्या मतलब है ? चिल्लाने से आपको क्या मिलता है ? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक एक करके आ रहा हूँ। आप गैर-जिम्मेदार बनते जा रहे हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं बहुत जिम्मेदार हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर जिम्मेदारी से वर्ताव कीजिए।

श्री एस० एम० भट्टम : आप विपक्ष के सदस्यों को चुप नहीं रख सकते। वे भी निर्वाचित होकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार क्यों कर रहे हैं ? मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। मुझे समझ नहीं आती कि यह आदमी कर क्या रहा है। यह एक समझदार व्यक्ति प्रतीत होता है। ये वही है जो चिल्ला रहा है। मैं नहीं हूं। लोग यह नहीं समझते कि यदि आप अध्यक्ष पीठ को धमकी दे सकते हैं तो आप किसी को भी धमकी दे सकते हैं तथा वह भी एक बड़े गैर-जुम्मेदाराना तरीके से। मैं किसी भी व्यक्ति से, वह चाहें कोई भी है, किसी भी प्रकार की धमकी वर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपके अधिकारों का सम्मान कर सकता हूं। मैं आपको सुन रहा हूं, तथा मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। मैंने आपको बता दिया है कि श्री रेड्डी के बाद मैं आपको बुलाने जा रहा हूं।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं शुरू से इन्तजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री एस० एम० भट्टम : मैं शुरू से इन्तजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है ? श्री भट्टम, आपको एक चीज, समझनी चाहिए। आप सदा के लिए अन्तिम रूप से एक बात समझ लीजिए कि मैं किसी भी प्रकार की धमकी सहन करने वाला नहीं हूं। यहां तक कि अपनी जिन्दगी को भी। आप एक माननीय सदस्य हैं, आप एक मित्र हैं। परन्तु यदि आप मुझे धमकी देंगे, आप मेरी जिन्दगी को धमकी देंगे, तो मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता क्योंकि जिन्दगी भगवान ने दी है। इसे समझ लीजिए। मैंने अपनी जिन्दगी में कोई धमकी सहन नहीं की है। माननीय सदस्य ऐसा कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं मैं एक सम्माननीय व्यक्ति हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बारी बारी करके आप पर आ रहा हूं। मैंने यह कहा था कि श्री रेड्डी के बाद मैं आप पर आऊंगा। हां, श्री भट्टम। अब मैं आपको बुलाता हूं।

श्री एस० एम० भट्टम : प्रश्न यह है। ····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम नये सदस्य हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : नए आए हैं तो क्या है। परन्तु इन्हें सभा के नियम तो सीखने चाहिए ···**(व्यवधान)** ये····** ये ··**परेशान हैं उस ओर से किसी समझदार व्यक्ति को खड़े होकर आपसे उनकी तरफ से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री एस० एम० भट्टम : बात बिल्कुल स्पष्ट है मैं निवेदन करता हूं। मैंने आपको देखा, मैंने एक प्रस्ताव पेश कर दिया तथा यह आपके सामने है। आज प्रातः भी मैंने अपनी बात रखी थी। आपने श्री तिवारी को बोलने की अनुमति दे दी तथा केवल यही नहीं उन्हें यह भी कहने की अनुमति दे दी····**वे कुछ बोलते चले गए। यह एक ऐसा मामला है जिसका मैं जबर्दस्त विरोध

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूँ तथा हमें इस मंच (सभा) का प्रयोग व्यक्तिगत की निन्दा करने के लिए नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री भट्टम आप अपनी बात कहे जा रहे हैं। मैंने कहा कि हम चर्चा करेंगे। यह व्यक्ति...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे सुनिए। आपने यह सुना नहीं कि मैंने यहां क्या रिकार्ड किया है। मैंने कहा है कि कोई भी आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा बस यही बात है, यदि आपने ध्यान से सुना है।

श्री एस० एम० भट्टम : क्या यह आपत्तिजनक है ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ मिनट पहले आप उत्तेजित हो रहे थे तथा यदि वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाता तो···?

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : जो उन्होंने कहा है वह ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं यह कहता हूँ तो आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जब मैंने कह दिया कि मामले पर चर्चा समाप्त कर दी है, मैंने आपसे चैम्बर में बात करनी थी। मैं आपसे चैम्बर में बात करता। यही हमने निर्णय लिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनने वाला व्यक्ति केवल मैं ही हूँ। बोलने वाले आप 30 व्यक्ति हैं। एक ओर केवल मैं अकेला व्यक्ति हूँ, तथा दूसरी ओर आप 30 हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष तो हमेशा एक ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा अकेला हूँ।

श्री एस० एम० भट्टम : क्या यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की गई है क्या यह वृत्तान्त से निकाल दिया है मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कितनी बार यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति आपत्ति जनक है तो वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री एस० एम० भट्टम : क्या इसे आपत्तिजनक समझा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने कहा है वैसा ही मैंने इसे समझा है।

श्री एस० एम० भट्टम : आप अपना विनिर्णय सुरक्षित रखें।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह आदमी आपको मजबूर कर रहा है। केवल थोड़ी सी झल्लाहट दिखा कर यह आपको मजबूर नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता।

प्रो० के० के० तिवारी : ये·····** ये ··बनने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, इस जमीन पर कोई भी मुझे धमकी नहीं दे सकता । मैं केवल भगवान से डरता हूं । मेरी जिन्दगी में मुझे कोई भी धमकी नहीं दे सकता । मैंने वह चीज किसी की भी सहन नहीं की है ।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : चर्चा का इस तरह का गन्दा वातावरण स्वयं श्री तिवारी ने पैदा किया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को दोबारा क्यों ला रहे हैं ?

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : मैं उसी बात पर आ रहा हूं । उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई विशेष निर्णय ·· था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय की चर्चा पहले ही समाप्त कर चुका हूं । यह अप्रासंगिक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अप्रासंगिक है । मैंने पहले ही सभी चीजों पर चर्चा कर ली है । यह बिल्कुल ठीक है । हम इस पर चर्चा कर लेंगे ।

श्री के०बी० शंकर गौड़ा (शिमोगा) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है । जब हम गलती करते हैं तो आपको हमें रोकने का अधिकार है । जब हम कोई असंसदीय टिप्पणी करते हैं तो आपको हमें दंड देने का हक है । परन्तु जब भी हम कुछ बोलने को खड़े होते हैं तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता, कि सत्ताधारी दल के लोग सब एक साथ खड़े होकर शोर क्यों मचाना शुरू कर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे भी बात कीजिए । वे आपके मित्र हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी को एक बात समझनी पड़ेगी कि सभा में किसी भी चर्चा करने की रोक नहीं है । वह 10 या 15 मिनट के लिए केवल इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए है तथा...

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आप चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे विचाराधीन रखा हुआ है । बस यही मैं कह रहा हूं । मेरा दिमाग खुला है, जैसा कि यह सदैव रहता है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक मोशन आपके सामने रखा है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : सोच लेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : इस समय देश में एक खतरनाक मामला ट्राइबल लोगों का भी है।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं देख रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विषय यहां चर्चा करने का नहीं है। हम उस पर विचार करेंगे। कोई परेशानी नहीं है। इस पर इस प्रकार से चर्चा नहीं की जाती। अनुमति नहीं दी जाती। मैं इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं होने दूंगा। पहले मैं देखूंगा तथा मैं फिर इसकी अनुमति दूंगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न। नीति सम्बन्धी मामलों पर निर्णय लेना सरकार का अधिकार है या न्यायालयों का ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे देखना पड़ेगा। हम इस पर निर्णय लेने वाले हैं।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : दो दिन पहले समाचार पत्रों में रिपोर्ट आई थी कि अमरीकी सरकार दोबारा हमारे आन्तरिक मामलों पर चर्चा करना चाहती है। हमने नियम 193 के तहत इस मामले पर चर्चा कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे से आप क्या कराना चाहते हैं।

श्री कमल नाथ : मैं नहीं समझता हूं आपने इसे पढ़ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे कोई ऐरा-गैरा आदमी कहता है तो क्या हम इस पर ध्यान देंगे ?

(व्यवधान)**

श्री थम्पन थॉमस (मवेलिकरा) : कलकत्ता में कुछ यूरेनियम पाया गया है...........

अध्यक्ष महोदय : हम पता कर लेंगे। ये चीजें इस प्रकार से यहां नहीं करनी चाहिए। आपने इस समय के बारे में गलत धारणा बना ली है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमें कुछ मानदंडों का पालन करना पड़ता है। माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा किए जाने वाले तथा पूछे जाने वाले इन सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को मुझे यहां स्पष्ट करना चाहिए—क्या यह उचित है ? आपको पता होगा कि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। यदि वे महत्वपूर्ण हैं तो उन पर चर्चा करने के लिए सदैव आपका स्वागत है तथा यह कह दीजिए कि यह महत्वपूर्ण है। मैं हर विषय का महत्व समझ सकता हू। मैंने सदन में कभी भी किसी भी विषय पर चर्चा को

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं रोका है। प्रश्न केवल समय उपलब्धि का है। हमने कितना किया है? आपने जितने भी विषयों का उल्लेख किया है उन सभी पर चर्चा हो चुकी है। यदि 10 या 15 सदस्य खड़े होकर यह कहने लगें कि "मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव", इसका मतलब केवल प्रेस का ध्यान आकर्षित करना है। यही इसका अर्थ है। इसके लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित है।

प्रो० मधु दण्डवते : जब आप किसी को भी वक्तव्य देने के लिए कहते हैं, अन्य सभी को चुप रहना चाहिए तथा शान्ति बनाए रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा हो जाए तो मैं भी बच जाऊंगा।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : जब आप सत्ता में थे तो उन्होंने वही प्रश्न उठाया था। मैं सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप इसे भली-भांति जानते हैं। जब आप सत्ता में थे तो वे कह रहे थे कि हेरा-फेरी हुई है। अब, आप कह रहे हैं कि यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं कह सकते।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कम से कम जीरो आवर में.........

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर जैसी कोई चीज नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री भगत आप कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, मैं बड़े आदरपूर्वक आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि शून्य काल गुस्से के काल में बदलता जा रहा है। मैंने हाल ही में एक पत्रिका में पढ़ा है कि सन् 1985 का वर्ष क्रोध का वर्ष होगा। लोगों, राष्ट्रों, मित्रों तथा पड़ौसियों में आपस में गुस्से का वातावरण रहेगा तथा सलाह यह थी कि लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब मैंने देखा कि प्रो० मधु दंडवते को भी गुस्सा आ रहा है तो मैंने सोचा..... (व्यवधान)। केवल

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कभी-कभी, आप पर कोई आक्षेप नहीं... (व्यवधान)। मैं सदन के सभी वर्गों से अपील करूंगा कि वे मामले उठा सकते हैं परन्तु गुस्से में नहीं क्योंकि इससे सदस्यों तथा अध्यक्ष पर बेकार में बोझ पड़ता है। सदन के सभी वर्गों से मेरी यही अपील है।

अध्यक्ष महोदय : न तो मुझे गुस्सा आता है तथा न ही प्रोफेसर को गुस्सा आता है। यह हमारा केवल दुर्भाग्य है कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए बहुत तेज चिल्लाते हैं। बस बात यही है। मैंने इसे केवल सुनाना है, बस बात समाप्त हुई तथा मैं समझता हूं कि ऐसा करने से मेरे फेफड़ों की शक्ति कुछ कम हो गई है।

प्रो० के०के० तिवारी : केवल गुस्से के भावों से, गुस्से...(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, अपील तो बहुत अच्छी है परन्तु उस दिन संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में श्री तिवारी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान हस्तक्षेप करते चले गए....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.32 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

निर्माण और आवास मंत्रालय से 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री अब्दुल गफूर की ओर से निर्माण और आवास मंत्रालय की 1985-86 की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 847/85]।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा समीक्षा, नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंकस् लिमिटेड बम्बई के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाले विवरण

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : महोदय, मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 369 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक

प्रति, जो 19 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अमोनियम क्लोराइड के मूल्य–निर्धारण के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 848/85]

(2) (एक) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 849/85]

(4) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 850/85]

व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अन्तर्गत व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 मार्च 1985 को भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्या का०आ० 171 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 851/85)

शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 23 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 220 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 221 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 23 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा पेंटर (सामान्य) और पेंटर (सामुद्रिक) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अभिहित व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 753 की एक प्रति, जो 23 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अभिहित व्यवसायों के लिये अकुशल कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों के मुकाबले में व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात निर्धारित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 852/85]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें तथा भारतीय समाचार पत्र पंजीकार के "भारत में प्रेस" संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 853/85]

(2) भारतीय समाचार पत्र पंजीकार के 'भारत में प्रेस' पर वर्ष 1983 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 854/85]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 855/85]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेपों का स्वीकारण) दूसरा संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 372 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 856/85]

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 857/85]

भारतीय विधि आयोग का 107 वीं, 108 वीं और 109 वीं प्रतिवेदन विधान सभाओं के लिए आम चुनाव, 1982, खंड 2 तथा विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पटल पर रखता हूँ :—

(1) विधि आयोग के नागरिकता विधि सम्बन्धी 107वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 858/85)

(2) विधि आयोग के वचनपत्र विवंध संबंधी 108वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 859/85]

(3) विधि आयोग के अश्लील तथा अशोभनीय विज्ञापनों तथा प्रदर्शनों : भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 292-29१, संबंधी 109वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 860/85]

(4) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के लिए आम चुनाव 1982—खण्ड 2 (सांख्यिकीय) भाग—1 संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 861/85]

(5) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 1985-86 से संबंधित अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 862/85]

युवा कार्य तथा खेल विभाग की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं युवा कार्य तथा खेल विभाग की वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 863/85]

12.35 म० प०

स्वतन्त्रता सैनिकों और स्वतन्त्रता सैनिकों की विधवाओं को पेंशन की राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, सदन में यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की देय मासिक पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमास करने का निश्चय किया है। पेंशन की बढ़ी हुई दरें 1 जून, 1985 से लागू होंगी।

12.36 म. प.

समिति के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, के 20 अप्रैल, 1985 के संकल्प संख्या 32/10/84-एम० के पैरा 1 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से,

जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, के 20 अप्रैल, 1985 के संकल्प संख्या 32/10/84-एम० के पैरा 1 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.38 म०प०

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक*

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मैं श्री विश्वनाथप्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ : कि रुग्ण चाय यूनिटों का उचित पुनर्गठन और प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे विभिन्न प्रकार की चाय के, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, उत्पादन और विनिर्माण की वृद्धि करके जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी चाय यूनिटों के और उक्त चाय यूनिटों की बाबत चाय कम्पनी के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रुग्ण चाय यूनिटों का उचित पुनर्गठन और प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे विभिन्न प्रकार की चाय के, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, उत्पादन और विनिर्माण की वृद्धि करके जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी चाय यूनिटों के और उक्त चाय यूनिटों की बाबत चाय कम्पनी के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण तथा उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० ए० संगमा** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*दिनांक 7-5-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

12.40 म०प०

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह की ओर से मैं चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1985 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.41 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) महाराष्ट्र में भंडारा—तुमसर और गोन्दिया में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने के लिये कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रमुख शहर गोन्दिया,,भंडारा, तुमसर हैं जिनमें भंडारा और तुमसर के टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कम रहने के कारण सन् 1981 से वेटिंग लिस्ट पर कई लोग हैं जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह गोन्दिया, भंडारा, तुमसर तीनों टेलीफोन एक्सचेंज एस० टी० डी० चालू करने के वास्ते काफी दिनों से मांग चली आ रही है। नागपुर से लाइन भी डाली गई है, कुछ काम बाकी है। भंडारा और तुमसर दोनों एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने बाबत और गोन्दिया, भंडारा, तुमसर एक्सचेंजों से एस०टी०डी० करने बाबत पहले बताया गया था कि यह काम दिसम्बर, 1984 तक पूरा हो जायेगा। लेकिन अभी तक यह काम हुआ नहीं है···

12.42 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय·· पीठासीन हुए)

इस वजह से यहां के टेलीफोन ग्राहकों को बहुत परेशानी हो रही है। अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि उपरोक्त कार्य जल्दी पूरा करवा के यहां की जनता को राहत प्रदान करें।

(दो) मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भोपाल के आस-पास विदिशा, सांची, उदयगिरी, उदयपुर, भोजपुर एवं भीमबेटिका आदि प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के कई दर्शनीय स्थल हैं जिनको आकर्षक पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा

सकता है। अतः इन स्थानों के समुचित विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा एक एकीकृत विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत पुरातत्व महत्व के स्मारकों की सुरक्षा पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग के अन्तर्गत पर्यटकों के आवागमन हेतु ट्रांसपोर्ट सुविधायें, विदिशा एवं साची में दिवस बसेरा का निर्माण आदि प्रमुख हैं।

सांची अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र है जिसके विकास में पं० नेहरू जी की भी विशेष रुचि रही थी। यहां पर एक हवाई पट्टी का निर्माण होना अतिआवश्यक है जिसके बारे में हमारे युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी भी आश्वासन दे चुके हैं। सांची में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये यहाँ पर एक टूरिस्ट बस एवं टूरिस्ट गाइड की भी नितांत आवश्यकता है। अतः केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त स्थानों के विकास एवं पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

(तीन) त्रिवेन्द्रम स्थित पारपत्र सम्पर्क कार्यालय में उन सुविधाओं को पुनः उपलब्ध कराने की आवश्यकता जो पहले उपलब्ध थीं।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिराटिंकिल) : केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है। केरल के कई हजार लोग खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपनी यात्रा त्रिवेंद्रम से करनी पड़ती है। त्रिवेंद्रम से लगभग 16 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें जाती हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने त्रिवेंद्रम में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की लोगों की सही माँग को स्वीकार नहीं किया है।

वहाँ के लोगों की लम्बे समय से माँग है कि त्रिवेन्द्रम में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए। आखिरकार, हालांकि पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खोलने की माँग को पूरा नहीं किया गया, लगभग दो वर्ष पहले त्रिवेंद्रम में एक संपर्क कार्यालय खोला गया।

पासपोर्ट में व्यवसाय में परिवर्तन, बच्चों के नाम दर्ज कराना, आदि का काम इस कार्यालय में हो रहा है। परन्तु अब अचानक ये सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। इन सभी के लिए लोगों को कोचीन कार्यालय में जाना पड़ता है या वहाँ की स्वीकृति के लिए कई सप्ताहों तक इन्तजार करना पड़ता है।

व्यावहारिक रूप से त्रिवेंद्रम में संपर्क कार्यालय अब बन्द हो गया है।

मैं संपर्क कार्यालय, त्रिवेंद्रम में उन सभी सुविधाओं को, जो पहले उपलब्ध थीं बहाल करने के लिये संबंधित माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं।

(चार) उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में पड़े अभूतपूर्व सूखे के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के 17 जिलों की ओर आकृष्ट कर रहा हूं जहां पेयजल का संकट है और वर्षा की कमी से फसलों

[श्री बलराम सिंह यादव]

को भारी नुकसान हुआ है । ये जिले निम्नलिखित हैं—मैनपुरी, इलाहाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, एटा, सहारनपुर, हमीरपुर, मथुरा, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमौली, उत्तर काशी, पौड़ी और देहरादून । उत्तर प्रदेश में इस साल जाड़े में असाधारण रूप से बारिश कम हुई । प्रदेश के उपरोक्त नौ मैदानी जिलों में पीने के पानी की भारी कमी है जिससे जनता की परेशानी बढ़ गई है और आठ प्रभावित जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा खाद्यान्न फसल सूखे की चपेट में आ गई है । इन सूखाग्रस्त जिलों में अभी तक कोई राहत कार्य आरम्भ नहीं किये गये ।

इस साल राज्य में पिछले साल से ज्यादा भयानक सूखा पड़ा है । पिछले साल मिर्जापुर, वाराणसी, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, जौनपुर, इलाहाबाद, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मथुरा, आगरा, झांसी और गाजीपुर में सूखे की स्थिति गंभीर थी । कुल मिलाकर 36 जिलों के 43 हजार 786 गांव और 3 करोड़ 40 लाख लोग इससे प्रभावित थे । इस भीषण सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यरत होने की नितांत आवश्यकता है । उपाध्यक्ष जी, मैं संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हालात से निपटने के लिये कारगर कदम उठाए जायें तथा इस दिशा में राज्य सरकार की भी सहायता की जाए ।

(पांच) समस्तीपुर-बाराबंकी रेल लाइन पर पड़ने वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने और वहां शैडों की व्यवस्था करने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि देश में ऐसे बहुत से रेलवे प्लेटफार्म हैं जिन पर आज भी शेड नहीं बन पाये हैं । समस्तीपुर से बाराबंकी तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तो बदल दिया गया है किन्तु इस लाइन पर पड़ने वाले सभी प्लैटफार्म, विशेष रूप से मगहर, खलीलाबाद, मुन्डेरवा, चुरेब, बस्ती, वाल्टरगंज, टिनिच, गौर और गोंडा जंकशन, के प्लेटफार्म पहले की भांति नीचे हैं जिसके कारण यात्रियों को चढ़ने-उतरने में भारी परेशानी होती है और दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है । विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को काफी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । न ही इन प्लेटफार्मों पर यात्रियों के धूप और वर्षा से बचने के लिये कोई शेड है ।

अतः मेरा रेल मन्त्री जी से अनुरोध है कि लोकहित में समस्तीपुर-बाराबंकी लाइन पर पड़ने वाले सभी प्लेटफार्मों को ऊंचा किया जावे तथा जिन पर शेड की व्यवस्था नहीं है, शेड की अविलम्ब व्यवस्था कराई जावे ।

(छः) बिहार में हाजीपुर और सुगौली के बीच रेल लाइन बनाने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन यह बताना चाहती हूँ कि आवागमन की असुविधा के कारण वैशाली, मुजफ्फरपुर और मोतीहारी जिलों के लाखों किसानों, मजदूरों तथा व्यवसायियों एवं सामान्य नागरिकों के विकास की संभावनाएं अवरुद्ध हैं । पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र की जनता रेलवे लाइन की मांग कर रही है ।

1912 में लालगंज को हाजीपुर से रेलपथ द्वारा जोड़ने का प्रयास किया गया था। विदेशी व्यापारियों ने भी तत्कालीन अधिकारियों से लालगंज में एक रेलवे स्टेशन की मांग की थी। इसका उल्लेख बिहार गजट में भी है।

हाजीपुर से सुगौली तक, वैशाली-लालगंज होकर नई रेल लाइन के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से छानबीन की गई थी। यह रेल लाइन वैशाली जिला के तीन, मुजफ्फरपुर जिला के तीन और मोतीहारी जिला के पांच प्रखण्डों से होकर गुजरेगी। इससे एक हजार पांच सौ पैंतीस गांव, तेरह लाख चवालीस हजार छः सौ पचपन ग्रामीण लाभान्वित होंगे तथा प्रतिदिन इन इलाकों के लगभग ग्यारह हजार यात्री रेलपथ से यात्रा करेंगे।

इस रेल लाइन के बन जाने से नेपाल और अन्य इलाकों से भी व्यापारिक संबंध आसानी से स्थापित हो सकता है।

19 अगस्त, 1971 को संसद् सदस्य स्वर्गीय श्री नवल किशोर सिंह ने यह सवाल संसद में उठाया था। एक नवम्बर, 1972 को 18 संसद् सदस्यों के साथ तत्कालीन रेल राज्य मन्त्री वैशाली गये थे तथा संभावनाओं का अध्ययन किया।

प्रस्तावित रेल मार्ग सांस्कृतिक, आर्थिक एवं अन्य कारणों से राष्ट्रहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

मुजफ्फरपुर के समाहर्त्ता ने सहायक राज्य यातायात आयुक्त को सितम्बर, 1969 में ही हाजीपुर-सुगौली रेल मार्ग के संबंध में अपनी सिफारिश करते हुए लिखा था कि यह रेलमार्ग हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, सरैया, पारु, साहबगंज, केसरिया, गोविन्दगंज, पहाड़पुर और सुगौली होकर गुजरेगी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 6, 23, 205 एकड़ होगी, जिसके अन्तर्गत 1,335 गांव होंगे और 20, 42, 655 निवासी लाभान्वित होंगे। यह रेल लाइन ऐसी भूमि से गुजरेगी जो बहुत उपजाऊ है और लगभग एक करोड़ मन अनाज पैदा होता है।

इस रेलमार्ग से बड़े-बड़े बाजारों एवं हाटों से संपर्क आसानी से होगा जिसके कारण किसानों को बड़ी सुविधा होगी। आर्थिक विकास सुलभ एवं सुगम हो जायेगा।

हर दृष्टि से यह रेल लाइन बड़े महत्व की होगी। इसलिए रेलमन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह करती हूं कि इस रेल लाइन को बनाने का आदेश दें।

(सात) रेल लाइन को मसलीपत्तनम से विजयवाड़ा ले जाने पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वो० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मसलीपत्तनम से विजयवाड़ा तक रेलवे लाइन विजयवाड़ा नगर निगम के घनी आबादी वाले क्षेत्र सत्यनारायणपुरम से होकर जाती है और वहां 5 रेल फाटक हैं। इसके परिणामस्वरूप इन रेल फाटकों के नजदीक यातायात रुका रहता है और दुर्घटनाएं होती हैं। अतः विजयवाड़ा नगर निगम ने प्रस्ताव किया है कि इस लाईन को शहर के पूर्व की ओर आगे ले जाया जाए। रेल अधिकारियों ने पहले से ही एक बैक-

[श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव]

ल्पिक लाइन बना दी है। सभी एक्सप्रेस और माल गाड़ी इस लाइन पर चलती हैं जबकि यात्री गाड़ियां मौजूदा लाइन पर चलती हैं। रेल आधिकारियों ने सुझाव दिया है कि रेल लाइन को हटाने की लागत, जो लगभग 3.52 करोड़ रुपए है, निगम द्वारा वहन की जानी चाहिए और 10.25 हेक्टर भूमि रेलवे को दी जानी चाहिए।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि स्थापना व्यय को पूरा करने के बाद नगर निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि यह नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कर सके। अतः रेल लाइन को हटाने के लिए यह 3.5 करोड़ रुपया जमा नहीं करा सकता। मैं सरकार से इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और रेलवे अधिकारियों को रेलवे लाइन अपने खर्च पर हटाने के लिए आवश्यक हिदायतें देने का अनुरोध करता हूँ। मुझे विश्वास है कि निगम सीमेंन्ट फैक्ट्री के पास रेलवे लाइन के कहीं निकट 10.25 हैक्टर भूमि अर्जित करके देगा। यद्यपि यह एक कठिन काम होगा फिर भी विजयवाड़ा के लाखों नागरिकों के हित में यह इस काम को पूरा करेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्यवाही करे।

12.49 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-86
(एक) श्रम मन्त्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्रम मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान के मामले को लेगा। श्री राममूर्ति।

श्री के० राममूर्ति (कृष्ण गिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

पिछले वर्ष श्रम दिवसों की क्षति को कम करके स्थिति को कुशलता के साथ-साथ रखने के लिए मैं माननीय श्रम मंत्री को बधाई देता हूँ।

सबसे पहले इस देश के श्रमजीवी वर्ग की ओर से मैं सरकार को बधाई देता हूँ जिसका उत्तरदायित्व युवा और गतिशील प्रधान मंत्री ने लिया है जिन्होंने श्रमिकों के देय प्रभार के बारे में बजट प्रस्तावों में घोषणा की जिसकी हमेशा से उपेक्षा की जा रही थी। जब कोई उद्योग या प्रतिष्ठान बन्द होता था तो श्रमिकों के देय राशि को चौथी या पांचवीं प्राथमिकता दी जाती थी। अब सरकार ने घोषणा की है कि जब कम्पनी या प्रतिष्ठान बन्द होता है तो उसकी परिसम्पत्ति पर सबसे पहले भुगतान श्रमिकों को दिया जाएगा। बजट प्रस्तावों में भी सरकार ने यह घोषणा की है कि संचित 50.000 रु० सेवानिवृत्त लाभ या उपदान में आय-कर से छूट होगी। श्रमजीवी वर्ग के लिए यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों की महंगाई भत्ते की भी समस्या थी। पिछले कुछ वर्षों में इसे 1.30 रुपये निर्धारित किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था लेकिन समिति कोई निर्णय नहीं ले सकी। इस मामले पर कोई सर्वसम्मति नहीं हुई। अतः सरकार ने यह मामला लिया और 1.65 रुपए प्रति अंक के हिसाब से इसकी घोषणा की जबकि राजनैतिक रुपये अभिप्रेरित पश्चिम बंगाल में इन ट्रेड यूनियनों ने इसे 1.50 रुप से के रूपये पहले ही स्वीकार कर लिया है।

बोनस की अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना एक दूसरी स्वागतयोग्य बात है। बोनस अधिनियम 1965 के अनुसार अधिकतम सीमा 750 रुपए थी। इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में सरकार ने घोषणा की है कि अधिकतम सीमा को 750 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दी गयी है। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि मौजूदा बोनस अधिनियम 1965 के अन्तर्गत पहले से ही दो अधिकतम सीमायें हैं। राज्य सभा में सरकार बोनस अधिनियम 1965 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश कर रही है। 1600 रुपये की केवल अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई श्रमिक 1601 रुपए प्राप्त कर रहा है तो वह बोनस अधिनियम की सीमा से बाहर हो जाएगा। यह सही नहीं है। मैं इसके लिए अनुरोध करता हूं और इस देश के श्रमिक वर्ग की यह इच्छा है कि मौजूदा बोनस अधिनियम में 1600 और 2500 रुपए की कुछ और अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

हाल ही में मई दिवस की बैठक में जो धनबाद में हुई थी हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हमारे देश के श्रमिक वर्ग के लिए श्रमवीर पुरस्कार दिए जायेंगे। मैं उन्हें श्रमिक वर्ग की ओर से बधाई देता हूं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभी मैं खुद महसूस करता हूं कि श्रम को कम प्राथमिकता दी जा रही है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1980 के शुरू में हुआ था और हमारे देश के इतिहास में इसमें कुल मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए थे जो औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सनत मेहता समिति बनाई गई। तब राज्य सरकारों के विचार लिए गए थे और कुछ राज्य उस समिति के भी सदस्य थे। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कुछ सर्वसम्मति से निर्णय और सिपारिशें की गई थीं। सरकार इस मामले को लेकर चुपचाप बैठी है और इन सर्वसम्मति निष्कर्षों के आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बहुत दुःख होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों या औद्योगिक संबंधों पर एक व्यापक विधेयक पेश करने के लिए आगे आना चाहिए।

अन्य मुद्दा उपदान के बारे में है। माना कि कोई श्रमिक प्रबन्धक की आज्ञा के बिना छुट्टी पर चला जाता है या गैरहाजिर होता है तो उपदान अधिनियम के अनुसार यदि उसे दण्ड दिया जाता है और उपदान के प्रयोजन के लिए वह अवधि निरन्तर सेवा के रूप में नहीं ली जाती है तो यह बहुत खतरनाक बात है। यह बहुत अवांछनीय है। उपदान अधिनियम 1972 में इस असंगति को दूर करना चाहिए। मैं श्रम मंत्री जी से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

[श्री के॰ राममूर्ति]

महोदय, मेरे जैसे लोगों के लिए जो दक्षिण से आते हैं दूसरी मुश्किल यह है कि देश के केवल उत्तरी भाग में केन्द्रीय सरकार के बहुत से औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। दक्षिण में भी केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से प्रतिष्ठान हैं जैसे खान, इस्पात, बैंक तथा रेलवे। वहां पर कई विवाद अनिर्णीत पड़े हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि देश के दक्षिण भाग में कम से कम 10-15 औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहिये।

जहां तक राष्ट्रीय वेतन नीति के लम्बे समय से लम्बित मामले का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि सरकार को कहां तक इस मामले की जानकारी है परन्तु यह आवश्यक है। यदि आप इस पर विचार करें कि एक ही काम के लिए विभिन्न वेतनमान निर्धारित किए जा रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। सरकार को यह देखने के लिए प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रीय वेतन नीति बनायी जाये।

खेतिहर मजदूरों की लम्बे अरसे से उपेक्षा की जा रही है। माननीय मंत्री को याद होगा कि जब वह 1980 में श्रम मंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि खेतिहर मजदूरों के लिए एक व्यापक विधान होगा और वह भी केरल के नमूने पर होगा। यह बहुत आवश्यक है। श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का मैं एक बहुत लम्बे समय से अर्थात् 1977 से सदस्य हूँ। उसके बाद मुझे बताया गया कि राज्य सरकारें केन्द्रीय अधिनियम के पक्ष में नहीं हैं। यह बहुत अनोखी बात है। हम मांग कर रहे हैं कि खेतिहर मजदूरों के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए। यह केरल में पहले से ही है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही एक अधिनियम पास किया गया है। अन्य राज्यों को क्या हुआ है। चूंकि वे इस पर खमोश बैठे हैं अतः हम चाहते हैं कि एक केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए। इस क्षेत्र को देखना बहुत आवश्यक है जिसकी बहुत उपेक्षा की जाती है। अतः मैं मांग करता हूँ कि खेतिहर श्रमिकों के लिए तुरंत केन्द्रीय विधान आगे लाना चाहिए। हमारे देश में कुल श्रमिक वर्ग का 90 प्रतिशत खेतिहर श्रमिक है। अतः हम जो कुछ विधान स्वीकृत करते हैं वह हमारे देश में श्रमिक वर्ग के केवल 5 प्रतिशत पर लागू होता है। मैं आशा करता हूँ कि श्रम मंत्री जी इस विषय पर गम्भीरता से अपना ध्यान देंगें।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय कर्मचारी राज्य बीमा निगम और भविष्य निधि के बारे में है। पहले ई एस आई बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता श्रम मंत्री जी, राज्य या उप मंत्री जी करते थे। अब नौकरशाही ने इस पर अपना प्रभुत्व पूरी तरह से जमा लिया है। अब ई एस आई बोर्ड की बैठकों या स्थायी समितियों में आप केवल सचिव, अपर सचिव और उपसचिव को ही देख सकते हैं। मैंने कई बार इस मामले को उठाया है। उन्हें इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह बात इन संगठनों के महत्व को कम करती है। संसद के निर्वाचित सदस्य इन बैठकों में संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः सरकार को चाहिये कि पुरानी स्थिति बहाल की जाये।

अन्य मुद्दा जिस पर मैं दबाव डालना चाहता हूँ वह यह है कि 1975 से आगे हमने त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया है। मैं समझता हूँ कि आपातकालीन समय में हमने बहुत सी औद्योगिक समितियां और त्रिपक्षीय समितियां बनाई थी जिसमें सरकार, श्रम तथा उद्यमी को शामिल किया गया था। इस समितियों को यह देखने का काम सौंपा गया था कि विशेष क्षेत्रों में जैसे वस्त्र, खानों और विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संबंध किस प्रकार ठीक बनाए जा सकते हैं।

लेकिन अब मैं अनुभव करता हूँ कि इन समितियों को फिर से प्रचलित नहीं किया गया है। इन समितियों के गठन को पीछे छोड़ दिया है। हमारा विशाल देश है जिसमें विशाल औद्योगिक स्थापनाएं और बहुत समस्याएं हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम उन समितियों को फिर से प्रचलित करें और यह देखें कि अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित किए जाएं ? मैं सरकार से इन औद्योगिक समितियों को फिर से प्रचलन में लाने के लिए अनुरोध करता हूँ।

1.00 म०प०

महोदय जब कभी हमारे प्रधान मन्त्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित या वहां शिष्ट मण्डल ले जाते हैं तो उस शिष्ट मण्डल में संसद सदस्यों को शामिल किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है और त्रिपक्षीय समिति भी है जिसमें सरकार, श्रमिक तथा नियोजक शामिल किए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए इस सरकार के शिष्ट मण्डल में किसी भी संसद सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह मेरी इच्छा नहीं है। मैंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कुछ महासभा के सत्रों में भाग लिया है और मुझे पता चला है कि अतिरिक्त निजी सचिवों को भी पर्यवेक्षक या सलाहकार के रूप में इस सरकार के शिष्ट मण्डल में शामिल किया जाता है। उन्हें श्रम या आई०एल०ओ० या नियोजक-कर्मचारी के संबंध के बारे में कुछ नहीं करना होता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उसे संसद को विश्वास में लेना चाहिए और आई०एल०ओ० में जाने के लिए सरकारी शिष्ट मण्डल में संसद सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए।

मैंने यह महसूस किया है कि संगठित क्षेत्र में विशेषकर सरकारी क्षेत्र और अन्य मुख्य उद्योगों में इस समय अधिक समस्या नहीं है तथा अब वहां अधिक औद्योगिक विवाद नहीं है और श्रम दिवसों की हानि को भी बहुत कम कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इसे जारी रखा जाना चाहिए और आने वाले वर्षों में औद्योगिक सामंजस्य को रखा जाना चाहिए। मैं उनकी सफलता की आशा करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पाण्डेय (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग की मांग का समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि यह बहुत कठिन काम है जो श्रम मन्त्री जी ने अपने हाथ में लिया है। उनकी गतिशीलता पर पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है। श्रम विभाग को हम किस रूप में चलाते हैं, यह निश्चय करेगा कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को क्या दिशा मिलती है ? आज पूरे देश में जो स्थिति है उसका मूल्यांकन अगर नहीं करें तो हम समझते हैं कि हमारी चूक होगी। हमारे रोजगार के जो साधन हैं उसमें जो उपलब्धियां हुई हैं उस पर जरा गौर करें तो देखा जाएगा कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में हर साल लाइव-रजिस्टर में उतरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन यह सिर्फ उन आंकड़ों को देखने से मालूम नहीं होगा। उसका दूसरा रूप क्या है इस को सोचना पड़ेगा। जिनको आप एम्पलायड कहते हैं उनकी हालत क्या है ? आज 78368 लघु उद्योग बन्द पड़े हुए हैं। 491 बड़े उद्योग बन्द पड़े हुए हैं। लाखों लाख लोग जो हमारे लाइव-रजिस्टर में नहीं हैं लेकिन बेकार हैं उनकी जीविका

[श्री दामोदर पाण्डेय]

का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा क्लोजर अलग है। इस प्रकार की स्थिति हमारी अर्थ व्यवस्था को कहां ले जाती है कौन इसको दूर करेगा और कैसे हम इसका निदान निकालेंगे, इसके बारे में श्रम विभाग को सोचना पड़ेगा ! जो भी उद्योग बन्द पड़े हुए हैं, उनमें तीन हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा पूंजी लगी हुई है। सिर्फ बड़े उद्योगों में दो हजार करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। यह जो उद्योगपति की क्लास है, बैंकों से कर्जा लेती है और इस पैसे को उद्योगों में न लगाकर दूसरी मदों में खर्च करके पैसे बर्बाद किए जाते हैं। उस पर हम अंकुश नहीं लगाते हैं और देखते रहते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इस दिशा में कुछ करें। जो उद्योग बन्द पड़े हुए हैं, उनको किस प्रकार से चलाया जाए। यदि उद्योगपति उनको चालू नहीं कर सकते हैं, तो मैं एक सुझाव इस दिशा में देना चाहता हूं।

हम सब यह जानते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। करीब ग्यारह हजार करोड़ रुपया मजदूरों का प्रोविडेंन्ट फण्ड का है, जो देश की अर्थ व्यवस्था को गतिशीलता देता है। यदि हम इसका एक साल का भी सूद लगायें तो हम पूरे उद्योग को टेक-ओवर कर सकते हैं और उद्योग को मजदूरों के सुपुर्द करके चला सकते हैं। यह कोई ठेकेदारी प्रथा हो गई है कि एक बार कोई उद्योग धन्धा खड़ा किया गया, जेब से पैसा नहीं लगा, बैंकों का पैसा है, सेठ तो मोटे होते गए और मजदूर बेचारे मारे गए। इस व्यवस्था को देखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसको हमें सुधारना चाहिए।

जब हम औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने की बात करते हैं, लोक आउट की बात करते हैं, तो बात पुराने इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट पर आकर रुक जाती है। हमारे पुराने बुजुर्ग नेता बैठे हुए हैं। उस समय कुछ एक सिलसिला चला था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी में यदि गतिशीलता नहीं होती तो वह गन्दा पानी कहा जाता है। हमारे श्रम विभाग में भी कुछ यही हालत हो गई है। वही पुराने इन्डस्ट्रियल डिस्पयूट्स एक्ट्स हैं, जो कि इन्होंने बनाए हैं और वे अभी तक चल रहे हैं। उनमें कुछ सुधार नहीं हुआ है यदि सुधार हुआ है। तो सिर्फ नाम मात्र को हुआ है। वही पुराने ट्रेड यूनियन्स एक्ट्स, जो अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए बनाकर दिए थे। क्या हमारा कुछ कर्त्तव्य नहीं है कि हम कुछ इस दिशा में करें। यह श्रम विभाग का काम है कि वह इसके बारे में कुछ करे।

श्रम मंत्रालय में जैसा राममूर्ति जी ने कहा है, इस विभाग में कुछ दकियानूसी विचार धारा के लोग हावी हो गए हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमको कुछ करने नहीं देना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत सरकार ने जांच करने के लिए एक कमीशन बैठा दिया। कमीशन बैठा कर लाखों रुपया खर्च किया गया कि वह अपनी रिपोर्ट सब्मिट करे और फिर आगे का कार्यक्रम बनाया जाए। उस कमीशन में बड़े मानिन्द लोग थे, श्री गजेन्द्र गडकर साहब उसके चेयरमैन थे और उसमें बहुत ऊँचे दर्जे के लोग थे। कोई सरकारी अधिकारी नहीं थे, जिसकी वजह से उस कमीशन की रिपोर्ट जहां की तहां रखी हुई है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने जो कुछ भी सुझाव दिया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि आज हम उनके सुझाव पर चलते तो शायद यह रोना न रोना पड़ता। जैसा श्री राममूर्ति जी ने कहा साउथ में एक ट्रिब्यूनल खड़ा किया गया, इन्डस्ट्रियल लेबर कमीशन, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने उसपर अमल किया होता तो यह दिन देखने

को नहीं मिलता। जनता पार्टी ने अपने शासन काल में यह काम सबसे पहले किया कि औद्योगिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों को तोड़ा और जो कुछ भी इस काम में मान्यता थी, उसको समाप्त कर दिया। सबको चटाई बिछा दिया। जो डिजायरेबिल है अनडिजायरेबिल है, जिसके पांच सदस्य हैं, सबको आलइण्डिया का लेबिल लगा दिया, सबको कह दिया कि बराबर के हो। पुरानी लीक पर चलने वाली अफरशाही के लोग उसी को सार्वभौम सत्ता मानते हैं। वही पुरानी परम्परा श्रम विभाग में चल रही है। आप सब जानते हैं कि ट्रेड यूनियन में कहां ताकत है, किसकी ताकत है, क्या ताकत है, कहाँ मान्यता देनी चाहिये, किसको इन्कार करना है। पिछले साल एक ट्रिपार्टाइट कमेटी बैठी थी, इण्डियन लेबर कान्फरेंस, उसमें इन सारी बातों का भी जिक्र हुआ था। मजदूर आन्दोलन के इतिहास में, भारत सरकार के इतिहास में, पहला मौका था जब सब पक्षों के लोगों ने एक मत से सुझाव दिया – औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने का। लेकिन उस सुझाव की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ– जो पुरानी रिपोर्ट आती थी, जो उसमें पुरानी घिसी-पिटी बातें थीं, उन्हीं को पेश कर दिया गया, सिर्फ आंकड़े बदल गये, लैंग्वेज उसकी वही है। हम यह मानते हैं कि जो गतिशीलता हम देना चाहते थे वह दे नहीं पाये हैं। जिसकी वजह से हमारे औद्योगिक सम्बन्ध जिस हद तक सुधरने चाहिये थे, जितना अच्छा काम होना चाहिये था, उस दिशा में हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी जरा कड़ा दिल करके उनको जो कुछ कहना हो वह देश के सामने रखें कि वह क्या करना चाहते हैं। सिर्फ घिसी पिटी बातों पर चल कर श्रम विभाग ठीक से नहीं चल सकता है, उसको गतिशीलता देनी पड़ेगी और जो रोड़े उसके रास्ते में आते हैं, चाहे जिस क्षेत्र से आयें, यदि देश को मजबूत करना है, तो उन रोड़ों को तोड़ने के लिये आपके विभाग को सक्षम होना पड़ेगा। यदि सक्षम नहीं है तो उस लायक बनायें कि वह सक्षम बन सके। ऐसा न करने से देश की अर्थ-व्यवस्था कमजोर होगी।

अब मैं दो-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। बोनस एक्ट में आप अमेण्डमेन्ट लाये हैं, जो इस समय राज्य सभा के विचाराधीन है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम बोनस के लिये सीमा 750 से 1600 रुपये कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने एक भूल कर दी। पिछली बार जो 750 रुपये पर बोनस मिलता था तो वह 1600 रुपये तक तनख्वाह पाने वालों को मिलता था। अब 1600 रुपये कर दिया है तो 1600 रुपये पाने वालों तक मिलेगा। इसमें विसंगति खड़ी हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो 1600 की सीलिंग बोनस देने के लिये है उसके लिये हम अभी ऐतराज नहीं करते हैं, उसको आप जरूर कीजिये लेकिन जो हकदार हैं उनकी सीलिंग को समाप्त कर दीजिये। अन्यथा जो विसंगति खड़ी होगी उसको सम्भालने में दिक्कत होगी। बाद में झगड़ा होने पर सुधारने से क्या फायदा है, जो करना हो अभी कर दीजिये इस तरह की व्यवस्था करने से बोनस एक्ट में सुधार होगा।

हमारी अर्थ व्यवस्था का सबसे बड़ा साधन गरीब वर्ग के बैंक डिपाजिट और मजदूरों के प्राविडेन्ट फण्ड से आता है जिसमें 11 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। इसके लिये हर तरह की स्कीम बनाते हैं, कभी सोचते हैं कि इसको फेमिली वेलफेअर स्कीम बनायें, कोई स्टेट इंशोरेंस स्कीम बनायें। मजदूर जमायतें भी दिशा नहीं दे पा रही हैं कि किस तरह से काम करना चाहिये। हमने जब बड़े बड़े उद्योगों से एग्रीमेन्ट किया, खास तौर से कोयला, स्टील क्षेत्रों में तो हमने बहुधा कहा है कि प्राविडेन्ट फन्ड और ग्रेचुइटी जो अलग अलग हिस्से हैं, ये मजदूरों को खुशहाली

[श्री दामोदर पाण्डेय]

नहीं दे सकते हैं, उनको आश्वस्त नहीं कर सकते हैं, उनको गरदिश के दिनों राहत नहीं दे सकते हैं। इसलिये हमने कहा कि एक इन्टीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनायें और उसमें मजदूरों ने भी कन्ट्रीब्यूट करने का तय किया। मजदूरों ने कहा कि हम दो परसेन्ट कन्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वह स्कीम अभी तक नहीं बना पाये हैं। क्या लेबर डिपार्टमेन्ट इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता है कि एक इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम सबको मिला कर बनाये और उसमें मजदूरों का भी योगदान हो ? क्या हम मजदूरों को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि मजदूरों की जिन्दगी में ऐसा दिन जो गरदिश का दिन कहा जाता है, वह कभी उनके परिवार पर न आये। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनको चोट लगती है और इससे उनको परेशानी होती है, तो यह जो प्राबीडेन्ट फण्ड होता है ग्रेच्युटी होती है, यह गरदिश के दिनों के लिए होती है। आप क्यों नहीं उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके लिए इन्टेग्रेटेड सोशल सैक्यूरिटी स्कीम बनाएंगे और सभी के लिए यह बनाएंगे। जो उद्योग धंधों में काम करते हैं, खदानों में जोखिम का काम करते हैं, जिनकी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है, वे खदानों से जिन्दा निकलेंगे या नहीं, इसका भरोसा नहीं है और जो कठिन काम करते हैं, गन्दा और मेहनत का काम करते हैं, क्या आप उनको आश्वस्त नहीं कर सकते कि हम उनके परिवारों को भूखा नहीं मरने देंगे और उनको संकट में नहीं पड़ने देंगे। इस व्यवस्था पर विचार करना चाहिए और श्रम मंत्री जी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें।

प्राबीडेंन्ट फंड के बारे में मुझे यह कहना है कि 48 करोड़ रुपया मालिकों के यहाँ बकाया पड़ा हुआ है दिसम्बर 1984 तक। ये फीगर्स इनके दिये हुए हैं और कुछ उद्योग धंधों को इन्होंने एगजम्पशन दिया है। जो 48 करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है, वह मालिकों ने ट्रस्टी को ट्रान्सफर नहीं किया। मतलब यह है कि अपनी पूंजी समझ कर मालिक इसको लिये बैठे हुए हैं। इस तरह से जो हमारा कमाया हुआ पैसा है, जो मजदूरों का कमाया हुआ पैसा है, उसका मिसएप्रोप्रियेशन हो रहा है और मैं इसको ब्रीच आफ ट्रस्ट मानता हूं। आपने इन्डियन पीनेल कोड बनाया है। अगर कोई ब्रीच आफ ट्रस्ट करता है और 100 रुपये की भी चोरी करता है, तो उसको 6 महीने की कैद की सजा हो सकती है। ये पूंजीपति तो करोड़ों रुपये की चोरी कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ नहीं किया जाता है। ये लोग स्वीडन और इंगलैंड में जाकर मौज मारते हैं और यह जो पैसा है, इसको अपने काम लाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एक नीति निर्धारण हो। जो मजदूरों का कमाया धन है, उसको उद्योगपति स्वीन्डिल कर जाते हैं, खा जाते हैं और जिनको एगजम्पशन मिला है, वे अपने बोर्ड में इस पैसे को नहीं रखते हैं। इस तरह से यह एक ब्रीच आफ ट्रस्ट के लिए आपको कोई कार्यवाही करनी चाहिए। आपको दृढ़ निश्चय से कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बारे में एक निश्चय होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, और इसके बारे में विचार होना चाहिए और निर्णय होना चाहिए।

अब मैं सेफ्टी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सेफ्टी के बारे में कितना बड़ा मखौल हो रहा है, इसको हमारा देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जान गई है। जो भोपाल कांड हुआ, उसमें क्या सेफ्टी स्टैन्डर्ड था, क्या इस्पेक्शन का स्टैन्डर्ड था, वह सब जाहिर हो गया है। आज जो खतरनाक उद्योगों में मजदूर काम करते हैं, जोखिम भरे कामों में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का आश्वासन आप नहीं दे सके हैं। हम सुरक्षा का आश्वासन कैसे देंगे

जबकि एक इंस्पेक्टर जो उनकी सेक्यूरिटी देखने के लिए है, का क्या स्टैन्डर्ड है। वह इंसपेक्टर जब किसी उद्योग में या पब्लिक सैक्टर में इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है, तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है क्योंकि जिनके काम को वह इंस्पेक्टर करता है, उनकी तनख्वाह उससे ज्यादा होती है और वह लोअर केटेगिरी का होता है। उसकी बात को कोई सुनता नहीं है और वहां पर लोग अपनी मनमानी करते हैं। पब्लिक सैक्टर में सिर्फ टेम्परेरी एफीशियेन्सी की बात रह गई है। वहां पर उनका प्रोमोशन हो जाता है और वे ऊपर चले जाते हैं और नीचे जो काम करने वाले होते हैं उनको काम की चिन्ता नहीं है। जो टेम्परेरी काम करने वाले लोग हैं, वे उद्योग को बरबाद कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय को इन सब बातों को देखना पड़ेगा और जो सेफ्टी स्टैन्डर्डस ले डाउन किये हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। उसमें बिना व्यवधान के पूरा पालन किया जाना चाहिए। इसका न खदानों में पालन होता है और न कारखानों में पालन होता है। खदानें तो 80 प्रतिशत सरकार के कब्जे में हैं। वहां आप सेफ्टी स्टैण्डर्ड क्यों नहीं लागू कर सकते हैं। वहां आपको इसको लागू करने के लिए कौन मना करता है? लेकिन इसमें भी विसंगतियां हैं। जो सेफ्टी स्टैण्डर्ड हम चाहते हैं वह होता नहीं है और इसके बिना बहुमूल्य जीवन चले जाते हैं। लोग मर जाते हैं, इन्जर्ड हो जाते हैं। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

दूसरा सुझाव मेरा ट्रेनिंग के बारे में है। आप जानते हैं कि करीब ढाई करोड़ लोग लाईव रजिस्टर में नौकरी के लिए दर्ज हैं जिनमें से आधे लोग एजूकेटिड हैं। इनमें एक चीज का जिक्र जो अब तक नहीं हुआ है वह यह है कि आपके ट्रेंड लोग बेकार बैठे हैं जिनको कि आप कहते हैं कि हमने ट्रेंड कर दिया है। जरा आप अपने आई० टी० आई० का मुआयना कराइये। आप देखेंगे कि वहां किस प्रकार की अव्यवस्था है। आप इसके बारे में कहेंगे कि यह तो स्टेट सब्जेक्ट है, सेन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये आई० टी० आई० आपके योगदान से चलते हैं। इन आई० टी० आई० को आपने एक बार करोड़ों-करोड़ों रुपयों की मशीन खरीद कर दे दीं, वहां उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह होता है कि वे खराब हालत में पड़ी रहती हैं। ऐसी मशीनों से लड़कों को आप क्या ट्रेनिंग देंगे। नतीजा यह होता है कि उनको ट्रेनिंग तो मिलती नहीं, सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको यह समझ में नहीं आता है कि वह आगे क्या करें क्योंकि उसमें सेल्फ कांफिडेंस नहीं आ पाता है। उसको कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं होती है।

आपको आई० टी० आई० की ट्रेनिंग की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। आपको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिये कि ट्रेनिंग लेने वाले में सेल्फ कांफिडेंस आ सके और वह अपना कोई काम कर सके। आप आई० टी० आई० को प्रोडक्शन सेन्टर डिक्लेअर कीजिये और वहां रखी हुई मशीनों के लिये, उनके रख-रखाव के लिये भी व्यवस्था कीजिए जिससे कि उनसे प्रोडक्शन हो सके। वहां प्रोडक्शन होगा तो उससे आमदनी भी होगी और फिर मशीनों को भी ठीक हालत में रखा जा सकेगा। आप इस व्यवस्था को वहां लागू कर सकते हैं।

आपने एडवांस्ड ट्रेनिंग सेन्टर बड़े-बड़े कास्मोपोलिटन सिटीज में खोले हैं। ये कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली जैसी जगहों में ही नजर आते हैं। क्या अनएम्प्लाएमेंट केवल बड़े-बड़े शहरों में ही है? वहां तो कुछ रोजगार के साधन पहले से ही हैं लेकिन छोटे-छोटे शहरों में

[श्री दामोदर पाण्डेय]

तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बेकार बैठे हैं। उनकी वहां कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। वहां वही पुराना ट्रेनिंग का सिलसिला जो बहुत पहले शुरू हुआ था वही चलता चला आ रहा है। क्या उसके बारे में आप वहां कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। आप वहां ट्रेनिंग की व्यवस्था में सुधार कीजिये। आपके यहां तो यह भी प्रोविजन है कि इस काम के लिये आपको इन्टरनेशनल हेल्प भी मिल सकती है और इसमें आप काफी सुधार कर सकते हैं। आपको इसमें सुधार करना चाहिये।

एक सवाल वेज बोर्ड बिठाने का आया है। यह वेज बोर्ड का सिलसिला छठे दशक से चल रहा है। आप पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड बिठाना चाहते हैं। पता नहीं आप आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं। यह जो सिलसिला सिक्सटीज में शुरू हुआ था जिसको कि मालिकों ने कभी नहीं माना। वे कहते हैं वे इसको मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। अब हम फिर वेज बोर्ड बिठायेंगे। उसको भी वे स्वीकृति नहीं देंगे। तो फिर वेज बोर्ड बिठाने का क्या फायदा है? हम समझते हैं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेरे विचार से द्विपक्षीय वार्ता का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिये। इसमें कुछ विसंगतियां हैं। उनको दूर कर हम इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर हम द्विपक्षीय वार्ता से समस्याओं को सुलझायेंगे तो फिर बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा।

मेरा सुझाव है कि इन सब बातों पर श्रम मन्त्री जी विचार करें। उनके सामने काम बहुत हैं। सभी काम उनको करने हैं और वे इन सभी कामों को करने में सक्षम है। क्योंकि वे काफी दिनों से ट्रेड यूनियनों को देखते आ रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने वाले भी कुछ लोग देश में हैं जो विरोधी दल की राजनीति के नाम पर ट्रेड यूनियनों को खड़े किये हुये हैं। राजनीतिक लाभ कमाने के लिए ट्रेड यूनियन खड़े किये हुए हैं। इनसे श्रम मन्त्रालय को बचना पड़ेगा और इनके बारे में सोचना पड़ेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में व्यवधान पड़ेगा, इसलिये इस तरफ से हमें गफलत में नहीं रहना चाहिये। इन लोगों का जेनविन इंट्रेस्ट ट्रेड यूनियन में नहीं है, इनका इंट्रेस्ट उद्योग-धन्धों को ठप्प करने में है। इसलिये इनसे बचकर के ट्रेड यूनियन का ग्रोथ हो, इसके बारे में काम करना पड़ेगा, चैक आफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में ठोस व्यवस्था करनी होगी। जो रैसपासिबल लोग हों, जो विश्वास रखते हों इस व्यवस्था में, उनके माध्यम से ही काम हो। यह न हो कि अन्दर आकर व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करें, इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, श्रम विभाग के अनुदान जिस पर चर्चा हो रही है, वह स्पष्टरूप से 18.9 करोड़ रुपये की राशि के लिये है; यह कोई बहुत कम राशि नहीं है लेकिन यदि हम इस पर सावधानी पूर्वक विचार करें तो हमें पता चलेगा कि भारत सरकार को श्रमिक के लाभ के लिये बहुत सी राशि देनी पड़ती है। लेकिन इसे श्रम विभाग के माध्यम से दिया जाता है इसलिए यह राशि विभाग के अनुदान के अन्तर्गत आती है। उस राशि में कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन, अंशदान और श्रमिक के लिये बीमा के साथ-संबंधित जमा की कुल

राशि 118.36 करोड़ रुपये होती है। अतः यदि इस राशि को इस अनुदान में से निकाल लिया जाये तो विभाग का कुल बजट केवल 62.5 करोड़ रुपये होता है।

मेरा पहला अनुरोध यह है कि 74 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे देश के श्रम विभाग के लिये जहाँ इस आँकड़े की कम से कम आधी संख्या श्रमिकों की होगी, यह राशि बहुत कम है। क्योंकि श्रम विभाग का कार्य संगठित क्षेत्र के उद्योगों में जहां हजारों श्रमिक काम करते हैं, बड़े विवादों में हस्तक्षेप करना है और वे उसे करते हैं तथा कभी-कभी इस कार्य में असफल भी होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लोग और सरकार भी इसके कार्य को उसके वैध कार्य के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। लेकिन इस विभाग के इन कार्यों को बन्द नहीं करना है और बन्द करना भी नहीं चाहिये तथा इसके कार्यों को कृषि क्षेत्र, उद्योगों के अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ाया जाना चाहिये। ग्रामीण उद्योगों के साथ-साथ वे शहरी उद्योग जो संगठित नहीं हैं वहां अभी श्रम विभाग द्वारा इन गतिविधियों को व्यावहारिक रूप से नहीं किया जा रहा है। वे इन्हें अपने मुख्य या प्राथमिक कार्यों के रूप में नहीं मानते मैं थोड़ी देर बाद उस पर आऊंगा। भारत सरकार तथा विशेषकर श्रम विभाग की ओर से इसका एक कारण जो मुझे पता चला है या इस तरह के गैर जिम्मेदार रवैयों के लिये जो जिम्मेदार हैं, मैं समझता हूँ कि वह यह है कि मन्त्रियों का अनेक बार बदला जाना जो 1980 से हुआ है जब श्रीमती गांधी की सरकार विजय हुई थी। उसके बाद 1980 और दिसम्बर 1984 के बीच एक के बाद 5 श्रम मन्त्री आये। श्री अंजैया भी इनमें से एक थे। लेकिन इस कार्यालय के अन्तिम पदधारी को छोड़कर बाकी सभी 240 दिनों के लिये भी नहीं रहे जो कि इतने दिनों की मजदूरी दैनिक मजदूर को पूरी करनी पड़ती है ताकि उसकी सेवाएं स्थायी किये जाने के लिये दावा कर सकें। अतः इस तरह के श्रम विभाग के दैनिक श्रम मन्त्री किसी भी स्थिति में गंभीरता से कार्य नहीं कर सकते हैं और नीति में कोई निरंतरता नहीं ला सकते हैं।

वास्तव में मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण मामलों में यह विभाग किसी भी नीति को नहीं बना सका है। सरकार द्वारा या सरकार के सरकारी क्षेत्र द्वारा श्रमिकों के बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली. इस नीतियों के बारे में इस विभाग से सलाह नहीं ली जाती है। उदाहरण के लिये सरकारी क्षेत्र को कम्प्यूटरीकरण और मशीनीकरण के लिए उन्हें कहां तक काम करना होगा, के बारे में श्रम मन्त्रालय से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यह वार्षिक प्रतिवेदन इस प्रकार की सलाह के बारे में नहीं बताता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार के बड़े नियोजित विभाग और सरकारी क्षेत्र मौजूदा स्थितियों और भविष्य में श्रम पर प्रभाव डालने की नीतियों को बनाने में श्रम मन्त्रालय के साथ सलाह नहीं करते हैं। अतः सरकार के लिए यह श्रम विभाग बहुत बड़ा मजाक है। उसके पास केवल एक विभाग है और वे उसकी सलाह नहीं लेते हैं।

आज उद्योग के संगठित क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र प्रधान हो गया है। यह वास्तव में इसलिये है क्योंकि पिछले 30 वर्षों से सरकार ऐसी नीतियों का पालन कर रही है जिसमें सरकारी क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 70 प्रतिशत लोग सरकारी क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में कार्य करने के अलावा सरकार द्वारा चलाए गये उद्योगों में काम करते हैं। इसके लिये श्रम विभाग को यह निर्धारण करने के लिए मुख्य भूमिका निभानी चाहिये कि विभिन्न मामलों में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति होनी चाहिये जैसे कि क्या ऐसे उपाय होने चाहिए

[श्री अमल दत्त]

जिनसे श्रम में बचत हो, उन्हें शुरू किया जाए या नहीं। यदि उन्हें शुरू किया जाता है तो जहाँ तक श्रम का संबंध है क्या बचाव होने चाहिए ताकि श्रमिकों की संख्या कम न हो। वास्तव में

1.33 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुई)

वर्षों से उद्योग के संगठित क्षेत्र में मजदूरी सस्ती हो रही है। श्रम विभाग को यह देखना चाहिए था कि इसको रोकने के लिए ऐसी कोई स्थाई नीति बनाई जाए कि श्रमिकों की संख्या कम न हो और मजदूरी सस्ती न हो।

हम सभी यह बात करते हैं कि भारत सस्ती मजदूरी का देश है और इसलिए श्रम प्रधान उद्योग होने चाहिए। लेकिन जब यह व्यावहारिक नीति में आती है तो सरकारी क्षेत्र अपने आप भारी मात्रा में कम्प्यूटरीकरण, मशीनीकरण आदि के बारे में निर्णय लेते हैं और इस बारे में श्रम विभाग चुपचाप दर्शक की तरह होता है। यह बैंकों में हो रहा है। बैंक कम्प्यूटरीकरण के लिए विशाल क्षेत्र में जा रहे हैं। इसका यह मतलब होगा कि श्रम को घटाया जाएगा किन्तु इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें मानव द्वारा किया जाना है और जो कम्प्यूटर नहीं कर सकते हैं इसके लिए सिर्फ एक उदाहरण देना है एक बैंक की शाखा में जहां 25 व्यक्ति काम कर रहे थे, मैंने यह पूछताछ की थी कि महीनों से ऋण के लिए कई आवेदन पत्रों पर विचार क्यों नहीं किया गया, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास पर्याप्त व्यक्ति नहीं थे। मैंने पूछा "क्या आपकी संख्या शक्ति के अनुसार आपके पास सभी लोग नहीं हैं" उन्होंने कहा "हैं तो सही लेकिन इन 25 में से अधिक लोग वही खातों का रख रखाव करते है और केवल 1.1/2 लोग लोगों के आवेदनों पर विचार करने के लिए उपलब्ध होते हैं जिनका काम यह होता है कि वे उन पर जो निवेश के लिए ऋण लेना चाहते हैं, जांच करना तथा ये लोग क्या कर रहे हैं, का पता लगाते हैं" हालांकि कम्प्यूटीकरण अनिवार्य हो जाए फिर भी यह संभव है कि वे लोग जो बेकार हो गए हैं उन्हें कहीं और लगा दिया जाएगा। लेकिन एक स्थिर नीति होनी चाहिए या एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि कर्मचारियों को पारियों में लगा दिया जाये लेकिन उनकी संख्या में कमी न हो। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे ऐसी आशंकाएं जो पहले से ही पैदा हो गई हैं दूर हो सकें और श्रम विभाग उसमें भूमिका अदा करे जो इस समय वह नहीं निभा रहा है।

सौदा करने वाले एजेन्ट की मान्यता के बारे में पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक कानून की स्वीकृति दी है कि इसे गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। यह कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए बहुत दिनों से पड़ा हुआ है यह क्या श्रम विभाग का कार्य नहीं है कि वह इस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करें उन्हें अनिश्चित काल के लिए इन्तजार नहीं करना है यह विधेयक दो वर्षों से भी अधिक समय से पड़ा हुआ है।

श्री के० राममूर्ति : आप भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

श्री अमल दत्त : इस व्यवधान का कोई मतलब नहीं है। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारे जैसे देश में जहां इतनी अधिक बेरोजगारी है वहां सरकार ने लगभग 1½ वर्ष

पहले नई भरती पर पूरा प्रतिबन्ध लगाने की नीति अपनाई थी और उस नीति को 31 मार्च 1985 तक बढ़ा दिया गया था लेकिन इसे बाद में और आगे बढ़ा दिया गया है क्या श्रम मन्त्री जी का इस बारे में कुछ कहना है ? इस वार्षिक प्रतिवेदन में उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है । भारत जैसे देश में सरकार इस तरह का प्रतिबन्ध क्यों लगाना चाहती है जबकि सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है । उद्योगपति के रूप में और सरकार के रूप में । हमारी सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ सरकार ने दोनों जगह नई भरती पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है । हालांकि हम जानते हैं कि राजनैतिक कारणों से इस प्रतिबन्ध को कभी कभी मजाक में लिया जा रहा है । नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन, कलकत्ता में अनियमित नियुक्तियां की गई हैं हम जानते हैं कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन में 1000 या इससे अधिक लोगों को अनियमित रूप से नियुक्त किया गया है लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद श्रम विभाग ने इस बारे में कुछ नहीं किया है ।

अब इसके बाद रुग्ण उद्योग के प्रति सरकार के रवैये का प्रश्न आता है । पिछले छः महीनों में रुग्ण उद्योगों के प्रति हमने सरकार के रवैये में परिवर्तन देखा है । जबसे यह सरकार आई है वे कहते आ रहे हैं कि उन्हें सहायता देने से कोई लाभ न होगा । वे उद्योग जो अपनी क्षमता को अधिक समय तक नहीं बनाये रख सकते हैं उन्हें बन्द करने की अनुमति दी जानी चाहिए । क्या इसका यह मतलब है कि जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं उन्हें भी मरने दिया जाए या उन लोगों का क्या होगा ? मैं यह समझ सकता हूँ कि वह विशेष गतिविधि जिस तरीके से पिछले 50 वर्षों से चल रही है अब नहीं चल सकती । यह बात तो समझ में आ सकती है । नई मशीनरी की आवश्यकता हो सकती है, विविध प्रकार के उत्पादन की आवश्यकता हो सकती है, नई वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं अथवा निमार्ण के नए तरीकों को अपना या जा सकता है परन्तु उन कामगारों का क्या होगा जो इन आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त उद्योगों में कार्य करते हैं ? किसी ने भी यह नहीं बताया कि उनका भविष्य क्या होगा । उनके लिए क्या व्यवस्था है ? क्या यह श्रम विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इसमें हाथ बटाए, नीति बनाए, तथा उन विभिन्न मन्त्रियों को बताए जो इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं ? चाहे वह प्रधान मन्त्री हैं, चाहे उद्योग मन्त्री तथा चाहे वित्त मन्त्री जिसके भी सामने संकटग्रस्त उद्योगों की समस्या आती है वे हमेशा यही कहते हैं कि "नहीं, हम इस संकटग्रस्त उद्योग को सदा नहीं चला सकते ।" किसी संकटग्रस्त उद्योग को हमेशा चलाने के लिए, या कुछ समय के लिए चालू रखने के लिए उनसे किसने कहा है ? संकटग्रस्त उद्योग का उपचार वह इस प्रकार से करते रहे हैं कि वह कभी भी ठीक नहीं होगा । इन समस्याओं को लेकर मैं खुद श्रम मन्त्री से मिला था । मुझे यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सहानुभूति दिखाई, परन्तु सभी मन्त्रियों ने नहीं । वे यह बात नहीं समझते कि यद्यपि एक संकट-ग्रस्त उद्योग को 10 वर्ष पूर्व अपने हाथों में लिया गया था परन्तु उस उद्योग में केवल मजूरी की अदायगी ही की गई तथा उसमें कोई पूंजी नहीं लगाई गई उस उद्योग की बीमारी का कभी भी इलाज नहीं हो सकेगा । यह एक मामान्य सी बात है जिसे एक साधारण आदमी भी समझ सकता है परन्तु दुर्भाग्यवश, भारत सरकार के मन्त्री इसे नहीं समझते, विशेष रूप से यदि उन्हें उद्योग या वाणिज्य विभाग सम्भालना पड़ जाए तो वे कहते हैं कि यह आर्थिक दृष्टि से संटकग्रस्त उद्योग है, यह पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहा है, सरकार ने इसका प्रबन्ध 5 या 6 या 10 वर्ष पहले अपने हाथों में लिया था, वे अब भी घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं । इस प्रकार का रवैया है । मैं कहता हूँ कि यह श्रम विभाग की जिम्मेदारी है कि वह

[श्री अमल दत्त]

इन मन्त्रालयों के साथ बैठकर संकटग्रस्त उद्योगों के बारे में नीति बनाए, ताकि लोगों को पता लगे कि संकटग्रस्त उद्योगों का क्या होने वाला है। अब वित्त मन्त्री ने कहा है कि यदि यह पाया गया कि उद्योग के प्रबन्धक ने उसकी निवल सम्पत्ति को घटाकर शून्य कर दिया है तो उन लोगों के विरुद्ध, जो उस उद्योग को लोक वित्तीय संस्थाओं से ऋण न दिला करके उद्योग को चला रहे हैं, कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बहुत अच्छा विचार है। परन्तु इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसे आप कैसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं? क्या आप तभी निदान का प्रयास करते हैं जबकि उद्योग की सम्पत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है या क्या तभी आपकी आंखें खुलती हैं जब नियोक्ता अपने दरवाजे बन्द कर देता है तथा कहता है कि उस दिन से वह कर्मचारियों को वेतन देने का जिम्मेदार नहीं है? उसकी निगरानी रखने के लिए कि किसी उद्योग की निवल सम्पत्ति कम होती जा रही है, आपने कौनसे तरीके अपनाए हैं? श्रम मन्त्रालय में निगरानी रखने का कोई तन्त्र नहीं है। उन विभिन्न यूनिटों की बहुत शिकायतें आ रही हैं जो संघ सरकार ने अपने हाथों में ले ली हैं, कि उनके उद्योगों में सरकार कोई पैसा नहीं लगा रही है एक या दो शिकायतें मैंने खुद मन्त्री को दी हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मन्त्रालय इस पर गम्भीर रूप से विचार कर रहा है या नहीं, परन्तु मैं देखता हूँ कि मन्त्रालय कुछ भी करने में असमर्थ है या कुछ भी नहीं करना चाहता। परन्तु यह सच है कि पूंजी नहीं लगाई जा रही है कामगार बहुत सतर्क तथा वे इस बारे में बहुत चिन्तित हैं कि उनका भविष्य संकट में है। उनके भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ महिनों या एक दो वर्ष बाद सरकार कहेगी कि "वे पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वे कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं या वे लगातार घाटा उठा रहे हैं, इसीलिए हम उस उद्योग को बन्द करते हैं।" परन्तु वर्ष, प्रतिवर्ष कामगार जो चेतावनी दे रहे हैं तथा सरकार से उन उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए कह रहे हैं, अन्यथा वे बर्बाद हो जायेंगे तो सरकार इन चेतावनियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। श्रम मन्त्रालय इस प्रकार की घटनाओं के प्रति मूक दर्शक बनना बनी हुई है।

पिछले दो वर्षों की अवधि में बहुत से उद्योग बन्द हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में सूती कपड़े के 80 मिल आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 16 पटसन मिल बन्द होने वाले हैं। यहां तक कि कुछ उससे पहले ही बन्द कर दिए गए हैं। पटसन की कथित कमी के कारण मिलों के बन्द होने की वर्तमान स्थिति यह है। सदन में जब इस प्रकार के उद्योग के बारे में वाद-विवाद होता है तो प्रशासनिक मन्त्रालय कुछ रुचि दिखाते हैं परन्तु उन्हें श्रमिकों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। वे बस केवल यही कहते हैं कि जब पटसन ही उपलब्ध नहीं है तो वह उद्योग कैसे चल सकता है, जब कपास ही उपलब्ध नहीं है तो कपड़ा मिल कैसे चल सकती है। यदि प्रशासनिक मन्त्रालयों का ऐसा ही रवैया है तो यह और भी आवश्यक है कि श्रम मंत्रालय, श्रमिकों के संरक्षक के रूप में ऐसा रवैया अपनाये और उन मंत्रालयों को मजबूर करे जिनके पास इन उद्योगों में समुचित पूंजी निवेश करने के लिए निवेश का कार्यभार होता है जिसकी कमी के कारण ये उद्योग बन्द हो जाते हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप कामगार बेरोजगार हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त आजकल एक चीज और देखने में आती है कि जहां उद्योग पुराने हैं तथा ऐसे स्थानों में हैं जहां भूसम्पत्ति का मूल्य अधिक है वहां उन उद्योगों के मालिक किसी न

किसी कारण से उन्हें बन्द करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भूसम्पत्ति को बेचकर तथा किसी अन्य रूप में उसका विस्टान कर जो लाभ उन्हें मिलेगा उनसे वे अपनी सहायता कर सके। उस दिन हमने दिल्ली कपड़ा मिल (डी०सी०एम०) के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इसी प्रकार की बात दिल्ली के बिरला मिल तथा बम्बई की अन्य मिलों में भी हुई है। सभी महानगरों में इसी प्रकार की बातें हो रही हैं तथा होंगी। यहां पर भी श्रम मंत्रालय की एक नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी है। यदि भूसम्पत्ति का विकास किया जाता है तो तब क्या होना चाहिए? किस सीमा तक इस भूसम्पत्ति के विकास की अनुमति दी जा सकती है? उन्हें इन सभी चीजों पर विचार करके नीति निर्धारित करनी चाहिए। फिलहाल कोई नीति नहीं है।

सभापति महोदया : श्री दत्त, आपने 20 मिनट ले लिए हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अमल दत्त : केवल एक या दो मिनट, महोदया।

अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मजदूर संघवाद को न केवल तिरछी निगाह से देखा जाता है बल्कि, नियोक्ताओं द्वारा कड़ाई के साथ पूरी तरह से रोका जाता है। वे जब किसी राज्य विशेष के मंत्रालय में जाते हैं तो उन्हें वहां कोई न्याय नहीं मिलता। राज्य का श्रम मंत्रालय उन्हें कहता है, "आप केन्द्र के पास जाइए क्योंकि यहां हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ मालिक का राज्य सरकार के साथ राजनीतिक सम्बन्ध होने के कारण उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होता है ताकि हम हस्तक्षेप नहीं कर सके।" इस प्रकार के मामले जैसे फरीदाबाद में ऊषा स्पिनिंग मिल, दिल्ली में मोहन मशीनस, फरीदाबाद में एक अन्य कम्पनी है जिसका नाम प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स है जो वास्तव में पुलिस का शिविर बना हुआ है क्योंकि मालिक मुख्य मंत्री के परम मित्र हैं, इसीलिए मालिक ने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, कर्मचारी फैक्ट्री में नहीं जा सकते तथा इसी बीच पुलिस की सहायता से कर्मचारियों को दूर रखते हुए, नियोक्ता नए लोगों की भर्ती कर रहा है। हरियाणा का श्रम विभाग कहता है कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते, उसका कहना है कि केन्द्र सरकार के पास जाओ, परन्तु केन्द्र सरकार भी मूक दर्शक है, वह चुप्पी साधे है। दिल्ली की मोहन मशीनस की समस्या को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या श्रम मन्त्री को वह बात मालूम है। मालिक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जिससे समुदायों के बीच शीघ्र झगड़ा होगा, क्योंकि वह एक समुदाय के कुछ लोगों को ले आया है तथा यदि कामगर अपना काम करने का प्रयास करेंगे तो तब दोनों समुदायों के बीच झगड़ा होगा। इसीलिए, श्रम विभाग को वहां की स्थिति से होशियार रहना चाहिए। यहां तक कि वह तब भी मूक दर्शक बने रहे जबकि दिल्ली में घटनाएं घटीं, जहां ब्रिटेनिया बिस्कुट जैसी सार्वजनिक उपयोगिता कम्पनी में बिना कोई सूचना दिए ताला बन्दी कर दी गई। तब श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, परन्तु उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वह कार्रवाई नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता। इसकी कोई नीति नहीं है इसके पास कोई पैसा नहीं है, यह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता इसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर यह विभाग है क्यों?

महोदया, खान सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ मामले हैं। मुझे वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि खानों से सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगों के लिए खानों की सुरक्षा इनके हित की बात है।

[श्री अमल दत्त]

इस प्रयोजन के लिए आंकड़े बहुत ही आवश्यक हैं परन्तु श्रम विभाग ने बतायी जाने योग्य दुर्घटनाओं के नाम की एक श्रेणी शुरू करके आंकड़ों की बाजीगरी शुरू की है। यदि एक कामगार किसी दुर्घटना के कारण 72 घण्टे से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो केवल तभी वह दुर्घटना बताये जाने योग्य है। अतः दुर्घटनाओं की संख्या घट जाती है। यदि कोई कामगार 72 घण्टे के भीतर भी नहीं आता है तो उसे लगभग 48 घन्टे के बाद उपस्थित दिखा दिया जाता है इस तरह से दुर्घटनाओं के आंकड़ें कम हो जाते हैं। श्रम विभाग ने यह बड़ा अजीब तरीका अपनाया है, जो यह दिखाने के लिए है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी होती जा रही है। वास्तव में खानों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग बहुत कम कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में भी, महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, जो 20 सूत्री कार्यक्रम का पांचवां मद है, तथा जो श्रम विभाग का जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है, को लागू करने के लिए इसने 30 लाख रुपए नियत किए हैं। भारत जैसे देश में, जिसकी आबादी 74 करोड़ है, जहां 80 प्रतिशत लोग कृषक हैं तथा 40 प्रतिशत कामगार हैं, मुझे समझ में नहीं आता केवल 30 लाख रुपए ही कैसे आबंटित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे विभिन्न राज्यों से आंकड़े इकट्ठे करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता।

सभापति महोदया : आप कृपया भाषण समाप्त कीजिए। आपने अपने समय से भी अधिक समय ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : कर्मचारी राज्य बीमा तो एक धोखे बाज बन गया है। किसी श्रमिक की इससे कोई समस्या हल नहीं होती है तथा उन्हें प्राइवेट डाक्टर के पास जाना पड़ता है। इस बीच क्या हुआ है कि, उन्होंने एक बड़ी आरक्षित निधि बना ली है तथा उस आरक्षित निधि का एक भाग, कम से कम उसका आधा भाग, औषधालय तथा अस्पताल बनाने के लिए है। वह एक या दो वर्षों से नहीं बल्कि वर्षों से संचित हो रही है। यह निर्माण कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू किया गया? अकेले निर्माण कार्य के लिए ही यह निधि 200 करोड़ रुपए से कम नहीं है। यह 10 वर्ष से संचित हो रही है तथा इन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।

स्वास्थ्य के लिए खतरा न केवल संगठित क्षेत्र में ही है बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र में भी है। जो विभिन्न रिपोर्टें, केवल श्रम विभाग से बल्कि गैर-सरकारी स्रोतों से, निजी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने जाकर अनुसंधान कार्य किया है, प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि बहुत कार्य करना बाकी है। श्रम विभाग को इस पर विचार करना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि कुटीर तथा लघु उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों (कामगारों) को भी संरक्षण प्रदान किया जाए। उनका स्वास्थ्य भी बहुत मूल्यवान है तथा कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि जिन निरीक्षणालयों ने जिन्हें संगठित क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण कार्य करना शायद छोड़ दिया है तथा आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् ने, जो सरकार से अनुदान लेती है भोपाल दुर्घटना से दो महीने पहले यूनियन कारबाइड को यह कहते हुए प्रमाण पत्र दिया था कि आप अपनी फैक्ट्री में बहुत अच्छी सुरक्षा-प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। स्थिति

यह है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार से संरक्षण प्राप्त संस्थानों के पास या तो निधि नहीं है या वे लापरवाह हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे बिल्कुल कार्य नहीं कर रही हैं।

अतः श्रम मंत्री से, तथा आमतौर पर सरकार से मेरा आग्रह है कि इसे अधिक निधि दी जानी चाहिए तथा वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सभी कार्यों को गंभीर रूप से शुरू किया जाना चाहिए।

परन्तु रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखने से ही यह पता लग जाता है कि यह बहुत ही लापरवाह तरीके से किए जा रहे हैं तथा ना के बराबर किया जा रहा है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं तथा इन्हें उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

मेरा आग्रह है कि उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए तथा पर्याप्त निधि दी जानी चाहिए, तथा समुचित कार्मिकों की भर्ती की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदया, मैं श्रम मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूं। मुल्क की तरक्की के लिए मुख्य रूप से दो शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक मैन पावर और दूसरा एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर।

आजादी के पहले श्रमिकों की जो दशा थी, जो समस्यायें थीं वह हमारे आपके सामने रही हैं। आजादी के बाद इस दिशा में सरकार ने बड़े व्यापक कार्यक्रम बनाये हैं। उनकी तमाम समस्याओं से निपटने की योजनायें बनी हैं। मैं बधाई दूंगा श्रम मन्त्री जी को, सरकार को कि हर क्षेत्र में श्रमिकों को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए उनसे 18-20 घंटे काम लिये जाते थे। अब काम के घंटे नियत किये गये, मिनियम वेजिस का एक्ट बनाया गया। पहले उन्हें पेंसन नहीं मिलती थी उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए मकान नहीं थे, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी। उनको समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। यह सारा कुछ आजाद भारत में किया गया।

कुछ सुझाव मैं माननीय श्रम मन्त्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। इस विशाल देश में दो किस्म की लेबर है एक अर्गनाइज्ड और दूसरी अन-अर्गनाइज्ड जहां तक अन-अर्गनाइज्ड लेबर समस्याओं का प्रश्न है, काफी कुछ किया गया है, लेकिन अभी कुछ करना बाकी भी है।

अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर जो बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में हिन्दुस्तान में है, उनके लिए जितना किया जाना चाहिए, अभी नहीं किया जा सका है। हालांकि भारत सरकार ने तमाम योजनाओं के माध्यम से हिन्दुस्तान के कुछ तीन-चार सौ ब्लाकों को इसमें शरीक किया है, लेकिन जहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक हजार ब्लाक आते हैं, यह संख्या बड़ी कम है। इस सेक्टर की लेबर की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने चाहियें।

जो एक्ट 1948–1970 में पास किए गए थे कांट्रेक्ट लेबर से संबंधित या मिनियम वेजिस एक्ट से संबंधित या रिआर्गनाइज्ड इम्पलायमेंट सर्विस से सम्बन्धित या बांडिड लेबर जिन्हें बन्धुआ मजदूर कहते हैं, उनसे संबंधित जो कानून 1947-48 में बने थे, उसमें यह देखा गया कि वह

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

ना-काफी हैं। और उसमें व्यापक रूप से संशोधन किए गए। बीड़ी वर्कर्स जो एक बड़ी तादाद में हिन्दुस्तान में हैं गरीब लोग जिसमें काम करते हैं उनके भी कल्याण के लिए बीड़ी वर्कर्स वेल-फेयर फण्ड एक्ट 1976 में पास किया गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को 1984 में अमेंड किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि गत वर्षों की तुलना में पिछला वर्ष जो रहा है उसमें इंडस्ट्रियल अनरेस्ट तुलनात्मक ढंग से काफी कम रहा है। आज उत्पादन का सबसे ज्यादा सेबोटेज इंडस्ट्रियल अनरेस्ट करता है। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जो मामले होते हैं उन पर काफी चौकसी रहनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रूस जैसे देश में जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं या असंतोष प्रकट करते हैं या रिजेंटमेंट प्रकट करते हैं तो उत्पादन को रोकते नहीं हैं। उदाहरण के लिए कोई जूते का कारखाना है तो उसमें बायें पांव का जूता बनता रहता है, और दाहिने पांव का जूता बनाना बन्द कर दिया जाता है, असन्तोष के परिणामस्वरूप, ताकि उत्पादन न गिरे और जैसे ही सैटिलमेंट हो जाता है दाहिने पांव का जूता बनना शुरू हो जाता है। इससे राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है, उत्पादन का लोस नहीं होता है।

1.56 म०प्र०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि गिव ऐंड टेक की पालिसी को बड़ी मजबूती से इस देश में लागू किया जाना चाहिए। अगर हम एक पक्षीय बात करते हैं कि मजदूरों को सारी सुविधायें दी जायें, बहुत ज्यादा वेतन दिया जाय, और तमाम सुविधायें दी जायें लेकिन उत्पादन वह नहीं करेंगे तो अर्थ व्यवस्था निश्चित रूप से लड़खड़ा जायगी और तरक्की नहीं हो पाएगी। इस कांटेक्स्ट में कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि हम अपनी ट्रेड यूनियन्स को, श्रमिकों को शिक्षित करें, ट्रेनिंग दें कि जब वह उत्पादन बढ़ायेंगे तभी उन्हें सुविधायें मिल पायेंगी। अगर एकांगी मांग उनकी सुविधाओं तक ही सीमित रहेगी तो मेरा ख्याल है कि ये सुविधायें उत्पादन के अभाव में मिल नहीं पायेंगी।

एक प्राबलम और जो डे टु डे लाइफ में मिलती है वह यह है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के मुकदमे लेबर कोर्ट्स में या ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो वह बड़े टाइम टेकिंग होते हैं। चार पांच वर्ष उसमें लग जाते हैं और उन समस्याओं को न्यायालय या लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स हल नहीं कर पाते हैं। मैं श्रम मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में ऐसे ठोस कदम उठाए जायें कि जितने इस तरह के विचाराधीन वाद से सम्बन्धित मामले हों उनको लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जितनी शीघ्रता से हों निपटायें। इसी सन्दर्भ में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो लेबर लाज बनाए गए हैं श्रमिकों के लिए उन्हें मुस्तैदी से लागू भी किया जाय।

मैं अपने क्षेत्र की छपाई मिल और कताई मिल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, उसके दण्ड विधान की भी व्यवस्था है। लेकिन एम्पलायर्स उन मजदूरों को डेली वेजेज पर रख कर उनका शोषण करते हैं। अगर आंकड़े इकट्ठा किए जायें तो आपको ज्ञात होगा कि जितने मजदूर एम्पलायड हैं उनके 90 प्रतिशत आज भी डेली वेजेज पर हैं। 80-85 दिन के बाद उनको हटा दिया जाता है और फिर रख लिया जाता है जिससे उनकी सेवा नियमित नहीं हो पाती है और उसका लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें वह

सारी सुविधायें नहीं मिल पाती हैं जो सरकार देना चाहती है। इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट या फैक्ट्रीज ऐक्ट का उलंघन कर रहे हैं। जो एम्पलायर्स इसका कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं और वह है श्रमिकों की चिकित्सा और सुरक्षा। निश्चित रूप से इस दिशा में आजादी के बाद प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं लेकिन श्रमिकों की भारी संख्या को देखते हुए जो भी सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं वह आज भी नाकाफी हैं। आज भी कोल माइन्स में जो मजदूर काम करते हैं उनमें से अधिकांश टी० बी० और ब्रौंकाइटिस के पेशेंट्स हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा के लिए अलग से विस्तार किया जाना चाहिए।

2.00 म०प०

एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है शीशे की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, जिन्हें लैंड पायजनिंग की बीमारी हो जाती है। जिसमें उनको उनकी जान का भी खतरा हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इन लो-पेड मजदूरों के लिए भी सुरक्षात्मक उपाय सोचे जाने चाहिए।

एक निवेदन मैं अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम कर रहे मजदूरों के बारे में करना चाहता हूं। सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से तमाम ऐसी योजनाओं को लागू किया है, जिनके माध्यम से श्रमिकों को ज्यादा काम करने के अवसर मिलेंगे। उन्हें मजदूरी मिलेगी और उनके रहने का स्तर भी बेहतर होगा। जैसे एन आर ई पी, आर एल ई जी पी और आई आर डी पी योजनाओं के माध्यम से इनको कार्यान्वित किया है। असल में जिस भावना से सरकार ने इन योजनाओं को कार्यान्वित किया है, उस रूप में यह कार्यान्वित नहीं हो रही हैं। ज्यादातर काम कान्ट्रैक्ट सिस्टम पर होते हैं, जिससे ज्यादा लाभ ठेकेदारों को होता है और मजदूरों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। मैं चाहूंगा कि जितने भी कानून मजदूरों के हितों के लिए बनाए गए हैं, उनका बड़ी सख्ती के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए। उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके परिवार की तरक्की के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आपने मुझे श्रम मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे संविधान को बने हुए काफी साल हो गए हैं। कल हमने कांग्रेस शताब्दी समारोह भी मनाया, लेकिन कानून की अनुपालना कौन करेगा। मन्त्री जी काफी मजदूरों के हितों की बात सोचते हैं। आर्टिकल-43 कहता है

[अनुवाद]

"उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह मजूरी, शिष्ट जीवन स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली, काम की दशाएं तथा

[श्री मूल चन्द डागा]

सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा"

[हिन्दी]

कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के लोगों को स्वाभिमानी रहना चाहिए। लेकिन जो दमन है, शोषण है, वह अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ है। ये जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, ये अपने घरों के अन्दर जो नौकर लोग रखते हैं, यह भी कानून के खिलाफ है। इनके खिलाफ आपके द्वारा मुकद्दमा चलाया जाना चाहिये। बहुत से अधिकारी लोग तो चतुर्थ श्रेणी में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा काम करवाते हैं, जो कि कार्यालय से भिन्न होते हैं। कोई कहने वाला नहीं है, इस पर हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता बड़े हिमायती हैं। घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ जो जुल्म और अत्याचार होता है, उनका दमन और शोषण किया जाता है उनकी हालत के बारे में भी तो आपको ध्यान देना चाहिए। ये लोग घरेलू नौकरों का इतना शोषण करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, बल्कि 12 बजे तक और अगर कोई पीने वाला है तो रात 3 बजे तक बराबर उससे काम लिया जाता है। आज उसकी क्या हालत है ? ये गरीब छोटे-छोटे बच्चे, जो भारत का भविष्य हैं, जिनमें भारत छुपा हुआ है आज उनकी क्या हालत है। क्या कल्याणकारी राज्य में इस तरह का काम होगा ?

आप जब पहले लेबर मिनिस्टर थे तब आपने एग्रीकल्चरल लेबर के लिए कानून का एक ड्राफ्ट बनाया था। मैं भी उस कमेटी में जाता था, लेकिन आपके जाने के बाद उस कानून को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया...

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वहां से उसको निकालो।

श्री मूल चन्द डागा : कैसे निकालेंगे, जब आप जैसे लोग बैठे हुए हैं। आज सवाल यह है कि इन घरेलू नौकरों का कोई रक्षक है या नहीं ? उनके साथ क्या टीटमेन्ट होता है—क्या कभी कोई देखता है ? वे भी स्वाभिमानी नागरिक हैं, उनसे भी हिन्दुस्तान बनता है। इन लोगों के साथ जो जुल्म होता है उसको मैंने भी कई दफा देखा है। हमारे यहां जो छोटे-छोटे अधिकारी होते हैं, फोर्थ क्लास एम्पलाइज को अपने घरों पर काम करने के लिए भेज देते हैं, चलो हमारी धर्मपत्नि की साड़ी को धोओ, बच्चों को खिलाओ, यह काम करो, वह काम करो। यह लेबर-प्रेक्टिस के खिलाफ है। उनको तनख्वाह सरकारी खजाने से मिलती है, दफ्तर में काम करने के लिए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन काम अधिकारियों के घरों में लिया जाता है। इसके खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, इस तरह के शोषण और दमन को रोका जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अगर वह शिकायत करेगा तो निकाल दिया जायगा।

श्री मूल चन्द डागा : अगर वह शिकायत करेगा और हम लोग उसको मदद देगें, कानून उसको मदद देगा तो सब कुछ हो सकता है।

आपका जो 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट है इसको बदल दीजिये। उस पुराने एक्ट के मुताबिक कोई सात आदमी मिले और संस्था बन गई।

एक माननीय सदस्य : जितनी पुरानी चीजें हैं, अगर उनको बदल देंगे तो कैसे चलेगा ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं सभी पुरानी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो सिर्फ ट्रेड यूनियन एक्ट के लिये कह रहा हूं कि इसको खत्म किये बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि इस एक्ट के कारण आज हजारों की संख्या में ट्रेड यूनियनें बन गई हैं ।

[अनुवाद]

"मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अधीन पंजीकृत मजदूर संघों की संख्या 35,750 है ।"

[हिन्दी]

ये दादा लोग जो बाहर काम करते हैं, कभी फैक्टरीज में नहीं जाते हैं, कभी मशीन को हाथ नहीं लगाया, जिन्हें कोई काम करना नहीं आता, ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बन जाते हैं । मजदूरों का चन्दा बटोर कर घूमते हैं । ये चन्दा खाने वाले लोग उनके नेता बन गये हैं, इनके एकाउन्ट को कौन देखता है । भारतीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर संघ······

श्री नारायण चौबे : आई०एन०टी०यू०सी० का नाम भी लो ।

श्री मूल चन्द डागा : उसका नाम तो सबसे पहले लो । वह नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आ सकता है, क्योंकि वह पवित्र जुबान पर ही आता है ।

श्री नारायण चौबे : आज डागा साहब बड़े मूड में हैं, क्या बात है ?

श्री मूल चन्द डागा : अब ये सीटू या और दूसरी संस्थाएं हैं, इनका क्या किया जाए । 35 हजार यूनियनें बन चुकी हैं और इनमें कितने दादा लोग बैठे हैं । दादाओं को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ।

[अनुवाद]

1926 के पुराने मजदूर संघ अधिनियम, जिसके अन्तर्गत अपने संघ को पंजीकृत कराने के लिए कोई भी सात मजदूर, संघ बना सकते हैं, इससे भी संघों की संख्या काफी हद तक बढ़ी है । स्वतन्त्रता के बाद राजनैतिक विचार धारा पर आधारित संघ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है । राजनैतिक निष्ठा की वजह से वर्तमान संघों को तोड़कर अलग संघ बनाने के परिणाम स्वरूप संघ विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

ये सारी संस्थाएं बन जाती हैं और किसी न किसी यूनियन से एफीलियेटेड हो जाती हैं । इसलिए कृपा करके इस ट्रेड यूनियन एक्ट को आप बदलिये । इसको आपको बदलना होगा । जो खेतिहर मजदूर हैं, वे ट्रेड यूनियन बना कर काम कर सकते हैं और उनकी ट्रेड यूनियन बनने में आप पूरी मदद दीजिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग ट्रेड यूनियन में नहीं रहना चाहते और बहुत से लोग डर के मारे चन्दा देते हैं । यह भी होता है कि बहुत से मालिक ट्रेड यूनियन बनवा

[श्री मूलचन्द डागा]

देते हैं और इन सेठों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। ये बैंक का 80 पर सेन्ट पैसा ले लेते हैं और जब चाहा मिल को बन्द कर देते हैं और मजदूरों को कोई कम्पेंसेशन नहीं देते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। जो इस तरह से रुपया लेते हैं और उद्योग का क्लोजर कर देते हैं, उनकी काली लिस्ट निकाली जाए और ऐसे आदमी को कभी लोन नहीं देना चाहिए। जो पैसा खाए बैठा है और क्लोजर का नोटिश लगा देता है, उसको फिर से धन्धा शुरु करने के लिए लोन नहीं मिलना चाहिए। और यह 43 (ए) क्यों बनाया है कि मैनेजमेंट में पार्टीसिपेशन होगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है कि पार्टीसिपेशन होगा। ये बड़े नेता हैं. हिन्दुस्तान को इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ :

[अनुवाद]

"प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार उचित कानून के अन्तर्गत कदम उठाएगी।"

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स में कितने और किन लोगों का चालान किया है। जितने मंत्री लोग हैं और जितने मैनेजर हैं, इन सबका चालान करो। पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स में लेबर का पार्टीसिपेशन नहीं है.........

एक माननीय सदस्य : मंत्री का चालान कौन करेगा ?

श्री मूल चन्द डागा : पार्लियामेंट करेगी।

अब 43 (ए) के अन्दर हमने यह रखा है कि मैनेजमेंट में पार्टीसिपेशन होना चाहिए लेकिन मजदूरों का पार्टीसिपेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इनके एकाउन्टस कौन आडिट करता है. मालूम ही नहीं है। इस तरह से क्या हम कल्याणकारी राज्य ला सकते हैं। भाषण देते हो कि मजदूरों, किसानों एक हो जाओ और हम तुम्हारे लिये हैं लेकिन दूसरी तरफ उनका शोषण होता है। कितना धन इन्होंने कमाया है और कितना मुनाफा उसे मिलना चाहिए। उसका अधिकार है कि मुनाफे में उसे हिस्सा मिले। आन्ध्र प्रदेश में जमीन ले ली नागार्जुन सागर के लिए और जिनकी जमीन ली गई उनके लिए क्या किया गया। बड़े-बड़े लोग और रूरल रिच पार्लियामेंट में आ गये। मजदूरों का शोषण होता है और उनकी हालत खराब है और उनके कपड़े फटे हैं और बड़ी दयनीय स्थिति उनकी है। इसलिए अंजैया साहब, इस सबको आप देखिये कि उनकी हालत कैसे ठीक हो। आज एसवेस्टोस में जो लोग काम करते हैं, उनकी क्या हालत है।

आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत-सी फेक्ट्रीज को हिन्दुस्तान के लोग लगाये बैठे हैं जिनको कि वेस्टन कन्ट्रीज ने बेकार कर दिया है। जिनका बायकाट कर दिया है उन फेक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, तन्दुरुस्ती खराब हो जाती है। वेस्टर्न कन्ट्रीज के लोग उनमें काम नहीं करते हैं। वेस्टर्न कन्ट्रीज में ऐस्बेस्टोज शीट्स की फेक्ट्रीज में काम नहीं करते हैं।

भोपाल गैस की बात तो अलग है। मैंने नोएज पाल्युशन के बारे में पढ़ा है। फैक्ट्रीज में कितना नोएज पोल्युशन होता है। आपने फेक्ट्री एक्ट की परिभाषा कर दी है कि जहां दस मजदूर होंगे वह फेक्ट्री एक्ट में आयेगी। लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर दस मजदूर नहीं दिखाते हैं। काम दस से भी ज्यादा मजदूरों से करा रहे हैं लेकिन दिखाते हैं कि आठ मजदूर काम कर रहे हैं। ये पूंजीपति लोग सारी तरकीबे जानते हैं। ये पूंजीपति आपके लेबर डिपार्टमेंट के लोगों से मिले रहते हैं। यहां बातें तो समाजवाद की बहुत होती है लेकिन अमल में कुछ नहीं होता है। आपका लेबर कमिश्नर माऊंट आबू जाता है। वह सेठ की गाड़ी में जाता है। फिर वह क्या लेबर डिस्प्यूट को तय करेगा ? उसने तो पहले ही डिस्प्यूट तय किया हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए दस रुपये महीना बंधे हुए हैं।

मेरे यहां पर बहुत-सी इंडस्ट्रीज हैं। भगवान जानता है कि उनकी क्या हालत है। वहां आपके लोग काम तो क्या करते हैं, हरेक से चन्दा बटोरते फिरते हैं। उनका महीने में बस एक काम है। फिर आप चाहते हैं कि समाज कल्याणकारी हो। जब हम मजदूरों के बीच भाषण देने जाते हैं, उनसे वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं कि मजदूर देश की दौलत पैदा करता है, मजदूर देश का निर्माण करता है, मजदूर पर ही देश टिका हुआ है। बड़ी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं ऐ मजदूरों एक हो जाओ, तुम नींव के पत्थर हो। तुम्हारे ऊपर देश को आगे ले जाने का भार है।

आप यहां कहते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। आप ऐसे सब्जेक्ट को क्यों नहीं ले लेते जो कि इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो मजदूरों से सम्बन्धित है ?

मैं आपको ठीक कहता हूं कि यह समाजवाद आ कर रहेगा। अगर यह समाजवाद इन भाषणों से नहीं आयेगा तो क्रांति से आयेगा। क्योंकि आदमी अन्धा नहीं है। उसकी पैनी नजरें हैं। उसकी पैनी नजरों से कोई नहीं बच सकता। ये ढोंगी लोग भी नहीं बच सकते। अगर यह कानून लागू नहीं हुआ तो आने वाले समय में क्या होने वाला है वह आप दीवारों पर पढ़ लीजिये। चौबे जी बहुत समाजवाद की बात करते हैं। इस साल तो आप आ गये, अगले साल यह भी मामला गायब हो जायेगा। मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि आपकी पार्टी ने बड़े समाजवादी भाषण दिये लेकिन वेस्ट बंगाल में मजदूरों का जो किया वह सबको मालूम है। सब उसको देखते हैं।

सभापति जी मैं नोएज पोल्यूशन की बात कर रहा था—

[अनुवाद]

कार्य स्थल पर शोर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से बहुत से मजदूर इस बात को जानते होते हुए भी कि भारी शोर उनकी श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, यह अनुभव नहीं करते कि लगातार शोर हानिकारक माना जाता है परन्तु उद्योग में या काम के दौरान जो एक सामान्य बात है, से श्रवण शक्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंच सकता है।

[हिन्दी]

यहां पर तो आप हल्ला करते हैं लेकिन वहां पर बिचारे मजदूर किस हालत में काम करते हैं, उस हालत को कोई रोकने वाला नहीं है। वहां नौएज पोल्युशन है, एयर पोल्युशन है।

[श्री मूलचन्द डागा]

सब जगह पोल्युशन है। वहाँ काम करने वाले मजदूर इस पोल्युशन में काम करते हैं। अभी हरियाणा और पंजाब वालों ने भी काफी जुल्म ढाये हैं.... (व्यवधान)।

[अनुवाद]

देश के कृषि जगत में 'थ्रेशर' से होने वाली दुर्घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। वास्तव में हाल के वर्षों में इन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती रही है। तथा सरकार और किसानों के लापरवाही पूर्ण रवैये से उन प्रवासी खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है जो थ्रेसरों को चलाते हैं। अभी समाप्त हुई गेहूँ की कटाई अवधि के दौरान दो कृषि-प्रधान राज्य, पंजाब और हरियाणा में लगभग 400 खेतिहर मजदूरों ने अपना कोई न कोई अंग गंवा दिया है।

[हिन्दी]

अब आपने कानून बनाया है, बहुत बड़ी आपने कानून की हिफाजत की है, फर्क देखिए, हवाई जहाज में सफर करने वाले आदमी के लिए मृत्यु होने पर एक लाख रुपया, ट्रेन में 50 हजार रुपया और इसमें मरने वाले के लिए आप क्या देते हैं, कितना फर्क है। इसमें किसी आदमी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़िए, कितना फर्क है, कितना जुलम हो रहा है। कानून बने हैं, लेकिन उनको अमली रूप नहीं दिया जा रहा है। आप जांच करके बताइए कि आज तक कितने लोगों को सजा दी गई है [व्यवधान]

अन्त में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मजदूरों का हित करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को स्टेट से हटाकर सेंटर में ले लीजिए और सारे देश के मजदूरों के लिए कानून बनाना चाहिए और उन पर सख्ती से पालन करना चाहिए। मजदूर और मालिक का भेद मिटा देना चाहिए और जब तक यह भेद रहेगा तब तक सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता। नहीं तो मजदूर अपनी ताकत से इस भेद को मिटाएगा और वह ताक़त होगी खूनी क्रांति।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि भारत के मजदूरों के प्रति सरकार का क्या रवैया है। मैं प्रधान मन्त्री की घोषणा का तथा समय-समय पर घोषित की गई सरकार की नीतियों का अध्ययन कर रहा था परन्तु मुझे उनमें मजदूरों के बारे में तथा इस देश के मजदूर-वर्ग के प्रति सरकार के मौलिक रवैये के बारे में एक शब्द भी पढ़ने को नहीं मिला।

मजदूरों के प्रति इस सरकार का रवैया मालिक और नौकर में संबंध जैसा है। भारत में मजदूर को उचित सम्मान और उचित दर्जा भी नहीं दिया जाता है। इस सन्दर्भ में, मैं इस सदन का ध्यान उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूँ, एक मामले में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम एक पार्टी था, उच्चतम न्यायालय ने कहा है :—

> "किसी कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे किसी उद्यम में केवल उन शेयर होल्डरों का ही हित निहित नहीं है जिन्होंने इसके लिए पूंजी दी है परन्तु उन मजदूरों का भी अधिक नहीं तो उतना ही हित निहित है जिन्होंने अपना श्रम इसमें लगाया है क्योंकि उद्यम द्वारा जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह पूंजी और श्रम का ही परिणाम है।'

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय देश के मजदूरों को अधिक नहीं तो बराबर का दर्जा और बराबर का सम्मान प्रदान करता है। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने उन्हें वह दर्जा नहीं दिया है। मजदूर को अभी भी एक नौकर समझा जाता है तथा नियोक्ता और मजदूर के बीच अभी भी मालिक और नौकर का रिस्ता कायम है।

सरकार की विभिन्न घोषणाओं के अनुसार सरकार अधिक उत्पादन करना चाहती है और वह हमेशा राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी, उत्पादन में वृद्धि, युक्तिसंगत बनाने, आदि की बात करती है परन्तु मजदूरों के बारे में उनके जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए तथा उन्हें कैसे उचित मजदूरी दिलाई जाए आदि बातों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाता। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 43 तथा निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार मजदूरों को उचित मजदूरी दी जानी चाहिए। परन्तु क्या भारत के मजदूरों को उचित मजदूरी मिल रही है ? इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ मेटल वर्क्स एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार एक भारतीय औद्योगिक मजदूर को 12 घण्टे से अधिक काम करना पड़ता है जबकि अमरीकी मजदूर उतना ही भोजन खरीदने के लिए इतने समय में काफी अधिक कमा लेता है। एक अमरीकी फैक्ट्री मजदूर एक किलो० मांस, एक लीटर दूध, 500 ग्राम डबल रोटी तथा मछली, मक्खन, आलू, चीनी संतरा आदि खरीदने के लिए एक घण्टा 50 मिनट में पर्याप्त धन कमा सकता है परन्तु भारतीय मजदूर को इतना सामान खरीदने के लिए 22 घण्टे 38मिनट तक कार्य करना पड़ेगा। निर्देशक सिद्धान्तों की उस घोषणा, कि मजदूरों को उचित मजदूरी दी जाए, का क्या हुआ ? मजदूर वास्तव में उचित मजदूरी के बिना न्यूनतम निर्वाह मजदूरी के बिना गुजारा कर रहे हैं। उसे जो मजदूरी दी जाती है, वह न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम होती है। इसलिए सबसे पहले मेरा यह निवेदन है कि सरकार को मजदूरों के दर्जे को मान्यता देने तथा उत्पादन तन्त्र में उसे समान हिस्सा देने के संबंध में एक नीति बनानी चाहिए तथा मानव के गौरव को मान्यता देनी चाहिए। मजदूरों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न घोषणा-पत्रों को स्वीकार किया है। यद्यपि भारत भी इसमें शामिल है तो भी येयहां लागू नहीं किए गए हैं। मैं आपके ध्यान में एक ऐसा उदाहरण लाना चाहता हूँ जिसमें मानव की गरिमा और श्रम के महत्व की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। भारत में श्रमिकों की सप्लाई करने का एक तरीका है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरों की व्यवस्था करने में समर्थ है तो वह लाभ कमा सकता है। क्या मानव एक वस्तु है ? क्या इस देश का मजदूर एक वस्तु मात्र है ? एक व्यक्ति जो काम नहीं करता है तथा अपने सिरों पर बोझा ढोने के लिए भारतीय खाद्य निगम को हजारों मजदूरों की सप्लाई करता है, उसकी सभी मजदूरों की सम्मिलित मजदूरी से भी अधिक आमदनी होती है। इस देश में यही व्यवस्था चल रही है। यहां संविदा उत्पादन अधिनियम भी है। पर क्या इसे लागू किया गया है ? क्या कोई ऐसा देश, जो मजदूरों को उचित सम्मान देता है, श्रम को उचित महत्व देता है, इस रवैये का समर्थन करेगा ? सबसे पहले सरकार को ठेके पर मजदूर सप्लाई करने पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाना चाहिए तथा सरकार को मानवता के आधार पर मजदूरों को उचित सम्मान देना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार एक व्यक्ति अपने सिर पर अधिकतम 50 कि०ग्राम वजन रख कर ले जा सकता है। भारत में एक सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम मजदूरों की पीठ पर 100 कि०ग्राम गेहूँ लाद रहा है। 100, 100 कि०ग्राम गेहूँ

[श्री थम्पन थॉमस]

के 18, 19 बोरे गोदाम में रखने के लिए उन्हें बहुत ही कम दर पर मजदूरी दी जाती है। इस तरह से वहाँ हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। यदि सरकार इन लोगों का कुछ महत्व समझती है तो वह कोई विनिमय क्यों नहीं बना सकती ? सरकार उनको ऐसी सामग्री क्यों नहीं दे सकती जिससे माल लादने और उतारने का काम आसान बनाया जा सके ? एक पशु भी इतना बोझा नहीं ढो सकता। यदि किसी गधे की पीठ पर 100 कि०ग्राम वजन लाद दिया जाए तो पशुओं के प्रेमी व्यक्ति न्यायालय में जाकर इसके सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस देश में मनुष्यों के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का उल्लंघन किया जा रहा है।

इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए मेरा पहला निवेदन यह है कि भारतीय मजदूरों को उचित सम्मान दिया जाना होगा। अब मैं मूल मुद्दों पर आता हूँ। हमारे यहाँ बोनस अधिनियम है। बहुत पहले लाए गए बोनस अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। बोनस क्या है ? मेरे हिसाब से बोनस मजदूर वर्ग के लिए एक तरह का मूल्य ह्रास है। मजदूर को मूल्य ह्रास के रूप में, जिसे प्रबंधक मशीनों के लिए देते हैं, इसे प्राप्त करने का हक है। प्रबंधक निवेश की गई पूंजी को तुलन-पत्र में वसूल न किए जाने वाले ऋण के रूप में बट्टे खाते डाल सकते हैं। अपने तुलन पत्र में प्रबंधक विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए 10 से 25प्रतिशत तक का मूल्य ह्रास दे सकते हैं। एक मनुष्य को जो कि अपने श्रम का दान करता है और पूंजी वाद के सिद्धान्त के अनुसार भी उत्पादन पूंजी और श्रम के परिणामस्वरूप होता है; क्या उसे वांछित मात्रा में बोनस दिया जाता है? इसलिए बोनस पर सभी तरह की सीमायें, सभी प्रकार के उल्लंघन और सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा दिये जाने चाहिए। यह सभी वर्गों के मजदूरों को दिया जाना चाहिए, चाहे वह सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का मजदूर हो। जो व्यक्ति राष्ट्र को अपनी सेवायें देता है वह बोनस का हकदार है। किसी भी वर्ग के मजदूर के लिए बोनस पर कोई भी पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

हाल ही में बोनस की अधिकतम सीमा को 750/- रुपये से 1600/- रुपये करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उसका क्या परिणाम निकला ? इस सीमा को 750/- रुपये से 1600/- रुपये करने के फलस्वरूप जो लोग बोनस के हकदार हो गये हैं केवल उनके संबंध में बहुत ही थोड़ा सुधार हुआ है। केवल इतनी बात हुई है कि बोनस की रकम 750/-रुपये से बढ़कर 1600/- रुपये हो जायेगी। वास्तव में इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रुपये का मूल्य घट गया है। रुपये का मूल्य अब मात्र 11.25 पैसे है। 750/- रुपये की रकम 1964 में निर्धारित की गई थी तथा अब इसके अनुरूप यह रकम 1600/-रुपये से बहुत अधिक बैठती है। अतः बोनस अधिनियम में किए गए संशोधन से कोई परिणाम नहीं निकला है।

मेरा निवेदन है कि बोनस को मजदूरों की आस्थगित मजदूरी के रूप में, मजदूरों के मूल्य ह्रास के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। इस देश के प्रत्येक मजदूर को बिना किसी भी भेदभाव के कि वह सरकारी सेवा में, फैक्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में है अथवा किसी निर्माण कार्य में है, बोनस देना पड़ेगा, क्योंकि वह श्रम-दान करता है।

और बहुत सी अनेक बातें है जिन्हें सरकार मजदूरों के हित के लिए करती है। परन्तु मूल प्रश्न यह है कि क्या इस देश के मजदूरों के लिए कोई व्यापक कानून है ? 1947 से चला आ रहा औद्योगिक विवाद अधिनियम पुराने सामन्तवादी ब्रिटिश समाज का ही अवशेष है। 1935 में व्यापार विवाद अधिनियम बना था यह उसी अधिनियम का परिणाम है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के संबंध मे भी उच्चतम न्यायालय ने अनेक परिवर्तन किए हैं और उन पर अपने निर्णय दिये हैं। कलकत्ता जिमखाना, बम्बई मिल मजदूर सभा, बंगलौर जल तथा मल आदि के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को रद्द किया है तथा नये प्रावधान बनाए हैं। तो भी सरकार ने मजदूरों के गौरव को स्वीकार करते हुए तथा मजदूर वर्ग के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था करने वाला कोई व्यापक औद्योगिक संबंध विधान देश में लागू नहीं किया है। इसके अलावा इस देश का मजदूर वर्ग सामूहिक सौदेबाजी पर 'एस्मा', 'आंसुका' आदि के द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबन्धों का सामना कर रहा है। सरकार का वर्तमान रवैया संविधान के तहत किए गए सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को सभी प्रकार से कम करने तथा मजदूर संघ आन्दोलन की गति को कम करने तथा अपनी मांगों के लिए संगठित होने के मजदूरों को अधिकारों से वंचित रखने का रहा है।

अब मजदूरी बोर्ड गठित करने के हाल के प्रस्तावों को ही लें। इसके पीछे क्या उद्देश्य है ? चीनी उद्योग के लिए इस सरकार ने एक मजदूरी बोर्ड बनाने का सुझाव दिया है। क्या मजदूर संघ अपने अधिकारों के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं अथवा क्या आप एक ऐसा मजदूरी बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें नौकरशाह और अन्य लोग निर्देशक सिद्धान्तों का प्रतिपाद न करें ? क्या इससे इस देश के मजदूरों का कोई हित होगा।

यह सामूहिक सौदेबाजी के मामले में इस देश के मजदूर वर्ग के अधिकारों का अतिक्रमण और उत्पादन है। आप जीवन बीमा निगम अथवा साधारण बीमा निगम संशोधन अधिनियमों सहित इस सरकार द्वारा लाए गए किसी भी कानून को देखें जिनमें सरकार ने सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को कम करने का प्रस्ताव रखा है। मुझे याद है कि जब मैंने उस वाद-विवाद में भाग लिया था तब माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि एसे कानूनों को लाने में गरीब लोगों का भारी जनादेश उनके साथ है।

सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का अतिक्रमण करना इस देश में स्वतन्त्र मजदूर संघ आन्दोलन के विरुद्ध है। इसलिए मेरा निवेदन है कि द्विपक्षीय बातचीत का अधिकार, जो पहले विद्यमान था, स्वीकार कर लिया जाना चाहिए अर्थात मजदूर संघों को अपने अधिकारों की सौदेबाजी करने तथा इन बातों को सरकार के सामने लाने तथा अधिकतम अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस सिद्धान्त को सभी तरह से प्रोत्साहित किया जाना होगा। परन्तु सरकार मजदूर वर्ग के स्वतन्त्र मजदूर संघ अधिकारों को कम कर रही है।

कुछ अन्य पहलू और भी हैं जिन्हें मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। उदाहरण के लिए कैंटीन सुविधाओं को ही लें। इस सरकार ने इस संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए हैं। क्या ये अनेक कल्याणकारी उपाय इस देश के मजदूरों की मदद कर रहे हैं। कैंटीन सुविधाओं के संबंध में मैंने जो एक बात देखी है वह यह है कि कैंटीन भी निजी क्षेत्र और

[श्री थम्पन थॉमस]

प्राईवेट ठेकेदारों की ही मदद करती है। घटी दरों पर खाना सप्लाई किए बिना ही वह कूपन इकट्ठे कर सकता है तथा उन्हें प्रबन्धक के सामने प्रस्तुत करके धन प्राप्त कर सकता है, अर्थात् भोजन दिए बगैर ही धन प्राप्त कर सकता है। मंशा यह होती है कि मजदूर को खाना दिया जाए परन्तु अन्तोगत्वा ठेकेदार बिना खाना दिए ही धन प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को केवल तभी परिवर्तित किया जा सकता है जबकि एक समुचित कैंटीन व्यवस्था तथा लोगों को यह सुविधा दी जाए अर्थात मजदूरों को खाना दिया जाय। इसी प्रकार से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। इस अधिनियम का अब क्या अर्थ रह गया है। पांच दिन की छुट्टी अथवा दो दिन की छुट्टी के लिए 50/- रुपये ? इसके अलावा मजदूरों को ई० एस० आई० से क्या मिलता है। यह सही है कि वे परिवार पेंशन और दुर्घटना लाभ देते हैं। मजदूरों के एक वर्ग द्वारा ऐसा शोर मचाने के बावजूद कि वे ई०एस०आई० की सुविधा नहीं चाहते तथा उनके लिए इसके बदले किसी और योजना को चुनने की अनुमति होनी चाहिए। कठोर नियमों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सरकार मंजूरी दे सकती है। जहां इस समय कोई स्कीम नहीं है वहां श्रमिकों के साथ परामर्श करके ई० एस० आई० स्कीम को कार्यान्वित करना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि ये सभी उपाय हैं, ये सभी कल्याणकारी उपाय हैं तथा सरकार को इन पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन परम्परा के बारे में है क्योंकि इस देश में जहां पर श्रमिक असंगठित हैं, जहां पर लोग रोजगार प्राप्त तथा कम रोजगार प्राप्त हैं, विभिन्न नौकरियों में, सरकार को उचित दिशा में देनी होगी तथा ध्यान देना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप श्रमिकों को पूर्ण रूप से विश्वास में ले लें तथा उनको समाज में उचित स्थानदे दें तो वे अधिक अच्छा महसूस करेंगे। 5 प्रतिशत लोग अब भी देश की 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आय का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए, इस सरकार को इस देश के श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए उचित सुझावों के साथ सामने आना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : प्रो० के० वी० थामस।

प्रो० के० वी० थामस (एरना कुलम) : इस देश की श्रमनीति पर वाद-विवाद करते समय हमें अपने राष्ट्र की नींव रखने वाले लोगों की विचारधाराओं तथा धारणाओं का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। महात्मा जी ने लोकतन्त्र को जन समूह का स्वराज्य कहा। उन्होंने कहा, "कि जिस लोकतन्त्र की कल्पना मैंने की है उसमें सभी को समान अधिकार मिलेंगे। सभी अपने स्वामी स्वयं होंगे।"

पंडित जी तथा इन्दिराजी, महात्माजी के सिद्धान्तों का पालन निकटता से कर रहे थे तथा इन कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास कर रहे थे जो श्रमिक वर्ग के लिए लाभकारी होंगे।

अब 39 वर्ष बीत चुके हैं। विभिन्न विनियम आ चुके हैं। परन्तु, जब हम श्रमिक वर्ग को देखते हैं, विशेषरूप से असंगठित क्षेत्र में, तो मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि श्रमिक वर्ग घाटे में है। उनकी उन्नति बहुत धीरे हो रही है। अब, जब हम उन विभिन्न श्रमिक अधिनियमों को देखते हैं जो प्रख्यापित तथा कार्यान्वित हो चुके हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के बारे में एक बात याद है। वास्तव में यह वर्षों पहले बने ब्रिटिश अधिनियम का भार-

तीय रूपान्तर है। यह ठीक है कि इसमें संशोधन हुए हैं परन्तु ये संशोधन भारतीय श्रमिक को न्याय नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि श्रमिक वर्ग, उनके नेताओं तथा अन्य वर्गों से परामर्श करके औद्योगिक विवाद अधिनियम को पूर्णरूप से बदला जाये।

श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाने के बारे में सभी बातें करते हैं। परन्तु यह केवल नारा है। वास्तव में इस लक्ष्य के प्रति हमें एक लम्बी दूरी तय करनी होगी। परन्तु एक सांत्वना देने वाली बात यह है कि पिछले मई दिवस समारोह में हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों की हिस्सेदारी होगी। मेरा अनुरोध है कि, ऐसा सभी गैर सरकारी उपक्रमों में भी होना चाहिए।

अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सम्बन्धी द्विपक्षी कार्य समितियों में श्रमिकों को भागीदार बनाया गया है। परन्तु जब हम इन कार्य समितियों का कार्य निष्पादन देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं।

भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति, तथा एक समय के श्रमिक नेता श्री वी०वी० गिरी, ने कहा था कि कारण चाहे जो कुछ भी हो, परन्तु यह सच है कि कार्य समिति जिसे औद्योगिक विवाद तथा ना समझी को काम करने का कार्य सौंपा गया था, इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से संयुक्त प्रबन्ध परिषद भी असफल रही थी। कारण यह है कि प्रबन्धक यह सोचता है कि कार्य समिति तथा डी०सी०एम० मजदूर संघो के विकल्प हैं। मजदूर संघो को यह डर है कि ये निकाय मजदूर संघो के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए इन निकायों के बारे में कुछ स्पष्ट संकल्पनायें होनी चाहिए।

अब जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रमिकों के निदेशक होते हैं। मेरा अनुरोध है कि इन निदेशकों की नियुक्ति उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को करनी चाहिए जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अब, जब श्रमिकों के इन निदेशकों की नियुक्ति की जाए तो उन्हें नामित न करके श्रमिकों द्वारा चुने जाने चाहिए। अब, मजदूर संघो की भरमार है। जब आप श्रमिकों को बात-चीत (समझौते) के लिए बुलाते हैं तो प्रतिनिधियों की संख्या काफी होनी चाहिए। आप संख्या कम नहीं कर सकते। इसीलिए, जब श्रमिक बुलाए जाएँ तो केवल मान्यता प्राप्त मजदूर संघो से श्रमिकों के प्रतिनिधियों को ही बुलाया जाए तथा मान्यता देने के लिए मापदण्ड होने चाहिए। इसीलिए, मापदण्ड समान होने चाहिए।

एक अन्य पहलू, जो हास्यास्पद है, वह यह है कि कई राज्यों के मन्त्रिमंडल के मन्त्री मजदूर संघो के पदाधिकारी हैं। लोगों को या अन्य श्रमिकों को क्या न्याय मिल सकता है? कुछ राज्यों में तो गृह मन्त्री या श्रम मन्त्री कुछ मजदूर संघो के पदाधिकारी हैं। श्रमिकों को क्या न्याय मिल सकता है? इसीलिए इन मन्त्रियों को इन मजदूर संघो का पदाधिकारी बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मजदूर संघों के विवादों को हल करने में लगने वाले समय के सम्बन्ध में बताता हूँ, आप हमें बुलाते हैं, मामले पर एक महीने चर्चा करते हैं। यदि यह हल नहीं होता तो, यह न्यायाधिकरण में, लेबर कोर्ट तथा फिर सिविल कोर्ट में जाता है। इसमें प्रायः बहुत समय लग जाता है उसके लिए समयावधि की कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। श्रमिकों की समस्या के हल के लिए आप अलग विभाग रख सकते हैं।

[प्रो० के० वी० थामस]

जब हम, हड़ताल, तालाबन्दी तथा फैक्ट्री बन्द होने के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की ओर देखते हैं, तो भारत जैसा विकासशील देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं संगठित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए राज्यों की ओर, जहां कार्य दिवस नष्ट हो रहे हैं। सूची में पहले पश्चिम बंगाल आता है तथा फिर मेरा राज्य, केरल, आता है। ऐसा सोचा जाता है कि पश्चिम बंगाल तथा केरल में श्रमिक अधिक संगठित हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सन् 1981 में केरल में 23 लाख कार्य दिवस नष्ट किए गए। अब, श्री करुणाकरन की सरकार के शासन में आने के बाद यह घट कर 8 लाख रह गए हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ राज्य श्रमिकों को केन्द्र के विरुद्ध लड़ाने के लिए उनका प्रयोग हथियारों के रूप में कर रहे हैं। नीति यह नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा देश है। जहां हम अधिक उत्पन्न करना चाहते हैं तथा इसके साथ साथ श्रमिकों को भी उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए यह इस सन्दर्भ में है कि राज्य सरकारों को श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करना पड़ता है।

दूसरी, चीज जो मैं कहना चाहता था वह ई०एस०आई स्कीम के बारे में है। यह श्रमिकों के कल्याण की स्कीम है तथा श्रमिकों पर थोपी नहीं जानी चाहिए।

इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ तथा श्रम मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ कि आपने माननीय श्रम मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर बोलने का मुझे मौका दिया। श्रम का देश की एकोनामी में बड़ा महत्व है। लेकिन हमारे श्रम मंत्री ने जिनका ट्रेड यूनियन्स से बड़ा सम्बन्ध रहा है, उसकी महत्ता को बहुत कम आंका है। इसीलिए गत वर्ष जो धनराशि श्रम के लिए उपलब्ध कराने की बात थी उससे बहुत ही थोड़ी ज्यादा धनराशि इस वर्ष मांगी गई है यद्यपि वेतहासा महंगाई बढ़ी है और दूसरी सर्कमस्टांसेज भी देश की और दुनिया की ऐसी है जिनमें उम्मीद की जाती थी कि इसमें और ज्यादा धनराशि मांगी जाती जिससे श्रमिकों का और ज्यादा कल्याण हो पाता।

जैसा कि आप सबको विदित है, किसी भी देश को समुन्नत बनाने के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे राष्ट्र नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आजादी मिलते ही उन्नीसवीं सदी के यूरोप को देखते हुए इस बात का अहद् किया था कि जब तक इस देश का पूर्ण उद्योगीकरण नहीं होगा तब तक इस देश का उचित विकास नहीं होगा और उन्होंने बहुत जोर देकर और चीजों के साथ-साथ उद्योगों की उन्नति के लिए बहुत कुछ करने की बात सोची थी। कोई भी उद्योग बिना मैन-पावर और बिना एनर्जी के नहीं चल सकता। मैन पावर अर्थात् श्रम उस को बढ़ाने के लिए और उसको ठीक रखने के लिये सबसे उपादेय और सबसे महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो बातें श्रमिकों के लिए पहले कही गई और जो उनकी उपेक्षा पहले होती रही वह आज भी यथावत् ठीक वैसी ही हो रही है। बहुत पुरानी कमेन्ट्स थीं :

[अनुवाद]

पिछले बहुत से वर्षों से औद्योगिक क्षेत्रों में पौरुष को नष्ट किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है तथा बचपन को जहर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम ठीक से देखें तो वह स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है यद्यपि हमने अपने बढ़ने की ओर जन-कल्याण करने की बहुत सारी हामियां भरी हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जब यहां बैठे हों तो हम यहां विचार करें कि कैसे हम श्रमिक का कल्याण कर सकें, मानवता की रक्षा कर सकें, श्रमिक को दिन भर काम करने के बाद उसकी मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने लायक सुविधाएं दे सकें। एजूकेशनल फैसि-लिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और रेजीडेंशियल एकमोडेशन की फैसिलिटीज जो मिनिमम उसके लिए होनी चाहिए वह इस देश के श्रमिक के लिए नहीं मिल पा रही है। इसलिए समय आ गया है, समय की सबसे बड़ी पुकार है कि ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है वह सबसे पहले इस बात पर विचार कर ले और इस बात की गारन्टी दे कि हम अपने श्रमिक के लिए मिनिमम आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा करेंगे।

हम उन्नीसवीं सदी की बात कर रहे थे यूरोप की जबकि बीसवीं सदी अब करीब-करीब पार हो रही है। हमारे युवा प्रधान मंत्री ने देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने की बात कही है और उन्होंने इस बात का अहद् किया है कि हम इस देश को इतना समृद्ध बनाएंगे, सारी चीजों और सारे संसाधनों का इतना विकास करके, उसे ठीक करके इक्कीसवीं सदी में दुनिया के सामने हम इसे एक ऐसी मिसाल के रूप में रखेंगे ताकि भारत एक समुन्नत, विकासशील और विकसित देश दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर श्रमिक की उपेक्षा की गई तो लाख चाहे हम विकास के काम करते रहें, उनका कोई मतलब नहीं होगा। श्रमिक उद्योग धन्धों का केन्द्र हैं, श्रमिक व्यापारिक केन्द्र हैं और श्रमिक भी खेती का केन्द्र हैं, चाहे वह स्कोल्ड लेबर हो या अनस्कोल्ड लेबर हो। सबकी स्थिति एक जैसी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें। हमारे मजदूरों के बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। इन्डस्ट्रियल डिस-प्यूट एक्ट बना, बाण्डेड लेबर एक्ट बना, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जोर देकर इम्पलीमेंटेशन के लिए कहा था। इसके बाद सरकार बहुत कसमें खा रही है कि हम उन नीतियों का पालन करेंगे, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। यदि हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो आज भी बाण्डेड लेबर देश में मिल जायेंगे। मिनिमम वेज एक्ट का माखौल उड़ाया जा रहा है। हमारी राज्य की सरकारें और विभिन्न संस्थायें इस कानून का खुला उल्लंघन कर रही हैं। मैं पूर्वी जिलों का रहने वाला हूं, आजमगढ़ मेरा जिला है। यदि आप सर्वेक्षण करायें, तो आपका पता चलेगा सही स्थिति के बारे में। सरकार के नीचे प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में काम करने वाले लोग आजादी के इतने दिनों के बाद भी 10 रु० या 20 रु० माह पर काम कर रहे हैं। हमने मिनिमम वेज एक्ट पास कर दिया और उसको लागू कर दिया, लेकिन कोई काम उस एक्ट के द्वारा नहीं किया जाता है। आज भी चपरासी 10-12 रु० महीने पर काम करते हैं। जब हम इस बात को विधान सभाओं या संसद में उठाते हैं, तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

[श्री राज कुमार राय]

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ही इस एक्ट का खुला उल्लंघन कर रही है। सरकार द्वारा कह दिया जाता है कि यह आंशिक मजदूर हैं, अंशकालिक मजदूर हैं, मेरे विचार में दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं है। आज सन् 1985 में जूनियर हाई स्कूल में काम करने वाली दायी और चपरासी को 10 रु० मिलता है, यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। यदि इस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया गया, निचले स्तर पर इन चीजों को नहीं देखा गया तो इस कोप का भाजन सबको बनना पड़ेगा। गरीब कब तक चुप रहेगा, एक न एक दिन वह अपनी मांगों के लिए जरूर उठेगा। वह सोचता है कि यदि ज्यादा कमाई हो जाए तो शाम को वह अपने कपड़ों की धुलाई कर लेगा। एक बट्टी साबुन की मिल जाएगी इसलिए वह काम करने जाता है।

बीड़ी मजदूरों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इतनी कम मजदूरी पर वे काम करते हैं, यह स्थिति सिर्फ निजी स्तर पर ही नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से भी इस मामले की खुली छूट है। मैं आपका ध्यान मिर्जापुर की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जहां प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों में काम होता है। इस बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पैरिनियल लेबर है, लेकिन उनको रैगुलर नहीं करते हैं। वहां पर बिरला की फैक्ट्री भी है और दूसरी फैक्ट्रीज भी हैं। इन लोगों को हमेशा कैज्युअल लेबर के रूप में रखा जाता है। दस रुपए और 12 रुपए मजदूरी पर इन मजदूरों को रखकर इनके नाम सालों चलते रहते हैं। इन लोगों के पास मुंह नहीं है, जवाब नहीं है, शाम को काम करने के बाद आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि यदि इन्होंने हमको निकाल दिया तो रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं मांग करूंगा—खासतौर से मिर्जापुर यूनिट्स के बारे में, प्रायवेट सैक्टर में हो या पब्लिक सैक्टर में हों, आप यह मालूम करें कि किस तरह से कितने पेरिनियम मजदूरों की उनको जरूरत है और कितने उन्होंने रखे हुए हैं।

मैं आजमगढ़ से आता हूं। मऊ में सूती मिलें हैं। घोसी में शुगर मिल हैं। वहां एक साल तक मिल का चलना दिखलाया गया लेकिन एक भी मजदूर परमानेन्ट नहीं है, जबकि वह मिल कोआपरेटिव सैक्टर की है। आज एक आदमी को रखते हैं तीसरे दिन निकाल देते हैं। यह खेल कब तक होता रहेगा ? जहां लेबर, आर्गेनाइज्ड है वहां दादा सामंत जैसे लोग कुछ करा लेते हैं, लेकिन जहां अर्गेनाइज्ड नहीं हैं, जैसे एग्रीकल्चर लेबर, डोमेस्टिक लेबर, बाण्डेड लेबर, इनके सामने इस तरह की समस्यायें हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनकी मानिटरिंग करावें सर्वे करायें और इनका कोई समाधान करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और जितनी कटमोशन्ज आई हैं उनका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की, अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समस्त भारत में कोयम्बटूर सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है तथा इस सम्मानीय सदन में मुझे ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त है। यहाँ 100 से अधिक कपड़ा-मिलें तथा कताई-मिलें आदि हैं तथा इसे भारत का मान-चेस्टर कहा गया है। तिरुप्पुर, जो कोयम्बटूर के बाजू में है, वहाँ होजरी की सैंकड़ों यूनिट हैं। इन दोनों औद्योगिक शहरों में लगभग 10 लाख औद्योगिक श्रमिक हैं। माननीय श्रम मन्त्री कोयम्बटूर तथा तिरुप्पुर के श्रमिकों की समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत हैं।

कपड़ा मिलों, कताई मिलों तथा बोरी मिलों में अधिकांश श्रमिक महिलायें हैं। परन्तु पुरुष श्रमिकों को जो मजूरी दी जाती है उसका 50 प्रतिशत भी महिला श्रमिकों को मजूरी नहीं दी जाती। वर्तमान में समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू है। मुझे यह कहते हुये संकोच-सा हो रहा है कि कानून में जो लिखा है तथा जो वास्तव में कार्यान्वित हो रहा है उसके बीच बहुत अन्तर है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि महिला श्रमिकों को उतना वेतन नहीं दिया जाता जितना कि उसी काम पर लगे पुरुष श्रमिकों को दिया जाता है। मैं मांग करता हूं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जाये। मेरी यह भी मांग है कि महिला श्रमिकों को उनके कार्य करने के स्थान पर न्यूनतम सुविधायें दी जानी चाहिए। उन्हें प्राथमिक सुविधायें भी नही दी जा रहीं। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री जी व्यक्तिगत रुचि लें तथा यह सुनिश्चित करें कि महिला श्रमिकों को उनका उचित वेतन दिया जाना चाहिए तथा उन्हें प्राथमिक सुविधाओं से वंचित न रखा जाए।

मैं मांग करता हूं कि कोयम्बटूर में एक राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान की स्थापना की जाये। इसी प्रकार से, मैं चाहता हूं कि श्रमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर में होना चाहिए। महोदय, इस अवसर का प्रयोग, मैं कोयम्बटूर स्थित कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की दयनीय दशा से सदन को अवगत करने के लिए कर रहा हूं। कपड़ा मिलों के लम्बे समय तक बन्द रहने के कारण वे गलियों के भिखारी बन गए हैं। मेरा सुझाव है कि कोयम्बटूर में कपड़ा-मिल श्रमिक पुनर्वास केन्द्र खोला जाना चाहिए तथा सार्थक पुनर्वास योजना को लागू किया जा सके ताकि वस्त्र उद्योग में लगे श्रमिक नष्ट होने से बच जायें।

31 मार्च 1984 को ई०एस०आई० स्कीम के तहत बीमे की राशि के 52.32 करोड़ रुपये बाकी हैं। इनमें से 12.75 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से लेने हैं तथा 6 करोड़ रुपये कपड़ा मिलों से। ये आंकड़े मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस लम्बे समय से रुके पैसे की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

इसी प्रकार से, भविष्य निधि अधिनियम के तहत औद्योगिक उपक्रमों से 48.41 करोड़ रुपए लेने हैं। मैं आभारी रहूंगा यदि माननीय मन्त्री इस पैसे की वसूली के लिए किए गए उपायों को गिनवा दें। बीमे की राशि तथा भविष्य निधि का पैसा श्रमिकों से तो ले लिया गया है परन्तु उद्योगपतियों ने उसे भविष्य निधि लेखा तथा ई० एस० आई० लेखा में जमा नहीं कराया है। कपड़ा मिलों के संकटग्रस्त होने के कारण इस पैसे की वसूली करना बहुत कठिन है। ई० एस० आई० प्राधिकारियों तथा पी० एफ० प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार से पैसों को संचित नहीं होने देना चाहिए। मुझे यह आशंका है कि ये दोनों संगठन, सुस्ती से कार्य कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि ई० एस० आई० संगठन तथा पी० एफ० प्राधिकरण के कार्य की जाँच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा उसे श्रमिक कल्याण के लिए बने इन दोनों संगठनों के पूर्ण नवीनीकरण के लिये सुझाव देना चाहिए।

[श्री सी० के० कुप्पुस्वामी]

मई दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने श्रमिकों के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। देश के समस्त श्रमिक वर्गों ने इसका स्वागत किया है। मुझे विश्वास है कि देश की औद्योगिक प्रगति के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा अधिकतम काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

यह पता लगाने के लिये कि केन्द्रीय कानूनों को कहां तक कार्यान्वियन किया गया है, मुख्य श्रम आयुक्त औद्योगिक एककों का निरीक्षण कर रहे हैं। जनवरी-दिसम्बर 84 की अवधि के दौरान श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में 4.80 लाख अनियमिततायें पाई गईं। परन्तु केवल 7,470 अनियमितताओं के मामलों में ही मुकदमा चलाया गया है। क्योंकि सम्भवतः ये अनियमिततायें केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में पाई गई हैं इसलिए मुख्य श्रम आयुक्त ने अनियमितताओं के सभी मामलों में मुकदमा नहीं चलाया। यदि केन्द्र द्वारा बनाये श्रम कल्याण कानून को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया तो इससे श्रमिकों को ही नुकसान पहुंचता है। मजूरी संदाय अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वियन में बहुत-सी अनियमिततायें हैं। राज्य सरकारों द्वारा इनमें से कुछ कानूनों को कार्यान्वित किया जा रहा है। यद्यपि यह नियम लागू है फिर भी कृषि-श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही। महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी नहीं मिलती। उन्हें समान मजूरी नहीं मिलती जबकि इस बारे में स्पष्ट अधिनियम है। मैं सुझाव देता हूं कि केन्द्रीय श्रम कानून तथा राज्य श्रम कानून के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण करने के लिए श्रम मन्त्रालय में एक स्वतन्त्र विभाग होना चाहिए या एक स्वायत्तशासी निकाय होना चाहिए। जब तक श्रमिक वर्ग को संतुष्ट नहीं रखा जायेगा देश बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकता। इसको दिमाग में रखते हुये माननीय श्रम मन्त्री, जो श्रमिक वर्ग के हैं को श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। हजारों श्रमिकों को भूखे मरने से बचाने के लिये श्रम मन्त्री को कोयम्बटूर के कपड़ा मिलों को दोबारा चलाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म०प०

*श्री आर० अन्नानम्बी (पोल्लाची) : अध्यक्ष महोदय, 1985-86 के लिये श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मुझे कुछ कहने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, औद्योगिक विकास के लिए तीन मूल आवश्यकतायें अर्थात् पूंजी, तकनीकी जानकारी तथा श्रम शक्ति होती है। अत्याधुनिक मशीनरी और उपस्कर के आधुनिक दिनों में भी कुशल श्रम शक्ति के बिना कोई औद्योगिक विकास नहीं होगा। 1886 में शिकागो में श्रम सम्मेलन हुआ था और इस सभा ने श्रमिकों के लिये 8 घंटे का काम तथा 8 घंटे आराम करने का जोरदार समर्थन किया था। औद्योगिक एकाधिकारियों ने उन श्रमिकों को, जो अपना अस्तित्व बनाए रखने और स्थिति के सुधार के लिये संघर्ष में लगे हुए थे उन पर निकट से गोली चलाने में कोई संकोच नहीं किया। श्रमिक वर्ग के खून के इस बलिदान को प्रत्येक वर्ष मई दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जिन्होंने श्रमिकों के दुःखों के

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

साथ अपने को जोड़ लिया है, ने इस वर्ष के मई दिवस में श्रमिकों के लिये 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। देश के पूरे श्रमिक वर्ग ने इसका सर्व-व्यापी रूप से अभिवादन किया है। भारतीय श्रमशक्ति ने अपना विश्वास हमारे गतिशील प्रधानमंत्री में व्यक्त किया है। जो श्रम शक्ति में अटल तथा असीम विश्वास रखते हैं और केवल उन्हीं के खून और पसीने से हम 21वीं सदी का भारत बना सकते हैं।

महोदय, इन सभी वर्षों में हम प्रबंध में श्रमिकों के भाग लेने के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में दुःख की बात है कि हमने इस दिशा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में भी कोई प्रगति नहीं की है। हमने 1975 की योजना बेकार में घोषित की और प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग लेने के लिये 1977 में योजना बनाई। हमने प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के लिये एक नई योजना बनाई। मैं चाहता हूँ कि इस योजना को सांविधिक मंजूरी देकर प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए ताकि वास्तविकरूप से प्रबन्ध में श्रमिकों को सहभागिता मिल सके। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय श्रम मन्त्री इसको सुनिश्चित करेंगे।

महोदय, केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के उपक्रमों में 90 प्रतिशत औद्योगिक विवाद होना भी चिंता का विषय है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को औद्योगिक सामंजस्य के लिये आदर्श संस्थान होना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक विवाद को समाप्त करने के लिये हमें कदम उठाने चाहिये। यह तभी किया जा सकता है जब केन्द्रीय उपक्रमों में केन्द्रीय श्रम कानून को उद्देश्यपूर्वक कार्यान्वित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, बागान श्रम अधिनियम, 1951 में बनाया गया था। 1984 में दक्षिण में बागानों में एक सर्वेक्षण यह जानने के लिये किया गया था कि यह अधिनियम किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है। रचनात्मक सुझावों सहित एक रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन बागानों में इन सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं वलपराई जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पोल्लाची का एक भाग है। बागान श्रम की स्थिति से घनिष्ट रूप से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि इन सुझावों के कार्यान्वियन के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रथमतः यह स्पष्ट है कि बागान अधिनियम 1951 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। दूसरा इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने परिस्थितियों को नहीं देखा है और कई बागान श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री इसे देखें और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में सुधारों के लिये सुझाये गये सम्बन्धी रिपोर्ट को कार्यान्वित करें।

हम अब कई वर्षों से राष्ट्रीय मजदूरी नीति के बारे में बात कर रहे हैं। इस बारे में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन होता है और वह सिफारिशें करता है। 1982 में राष्ट्रीय श्रम सभा ने राष्ट्रीय मजदूरी नीति को बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय मजदूरी समिति के गठन के बारे में सिफारिश की थी। मुझे दुःख है कि अभी तक श्रम मंत्रालय ने इस त्रिपक्षीत मजदूरी समिति का गठन नहीं किया है। महोदय, हमारे श्रम मंत्री जी श्रमिक वर्ग की आशा और महत्वकांक्षा को साकार करते हैं। यह श्रम शक्ति के सौभाग्य की बात है कि वह श्रम मंत्री जी हैं जिन्हें श्रम कल्याण के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वियन का काम सौंपा गया है मुझे विश्वास है कि श्रमिक वर्ग को उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार होगी तथा इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा केवल तभी हमारा देश औद्योगिक विकास में तेजी से प्रगति कर सकेगा।

[श्री आर० अन्नानम्बी]

हमारे पास कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम और शहरी श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण कार्यक्रमों की अन्तहीन सूची है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 22 करोड़ असंगठित श्रमिकों की भलाई के लिए एक भी श्रम कानून न होना हमारी निष्ठुरता को प्रमाणित करता है। मछली पकड़ने वाले, चमड़े उद्योग में लगे श्रमिक, विद्युत करघा के श्रमिक और हथकरघा क्षेत्र के लिए कोई श्रम कल्याण योजना नहीं है। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण असंगठित श्रम पर केन्द्रीय स्थायी समिति की बैठकें होती हैं और अनेक सिफारिशें की जाती हैं जो किसी भी तरह से लागू नहीं किए जाते। कृषि को उद्योग के रूप में घोषित करने में क्या समस्या है, मैं नही जानता हूँ। जबतक कृषि को उद्योग के रूप में मानने की घोषणा नहीं की जाती तब तक खेतिहार श्रमिक के भाग्य में सुधार नहीं आ सकेगा। मैं मांग करता हूँ कि कृषि को उद्योग घोषित किया जाये

हथकरघा उद्योग के श्रमिकों के दुःखों को कम करने के लिए तमिलनाडु के हमारे प्रिय नेता और मुख्य मंत्री पुरातची थलाइवर डा० एम० जी० आर० द्वारा प्रशासनिक और वैधानिक दोनों प्रकार के अनवरत प्रयास किये जाने का उल्लेख मैं इस अवसर पर करता हूँ। उन्होंने उनके उत्पादन को बेचने के लिए सहकारिता संस्थाओं को गठित किया है। लगभग 15 वर्ष पहले यह उद्योग हानि पर चल रहा था और अब 30/40 करोड़ रुपए के हथकरघा वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है उनमें प्रयासों के लिए मैं श्रम मंत्री जी का सक्रिय समर्थन चाहता हूँ।

महोदय, इस अवसर पर मैं औद्योगिक सुरक्षा नियमों के विलम्ब से कार्यान्वित किये जाने के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे 11 प्रमुख बंदरगाह और विभिन्न गोदियों में औद्योगिक सुरक्षा उपायों को किसी भी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस तरह की सुरक्षा उपायों के अभाव में श्रमिक गंभीर चोट के शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में बहुत से सुरक्षा नियम हैं और मैं चाहता हूँ कि उन सबको संहिता बद्ध किया जाना चाहिए और एक ही स्थान पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। उद्योगों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अधिनियम बनाने का सुझाव मैं देना चाहता हूँ।

केन्द्रीय श्रम ब्यूरो शानदार कार्य कर रहा है। उसने बीड़ी उद्योग की कार्य करने की दशा में अनुसंधान किया है। बागानों और कारखानों तथा खानो में महिला श्रमिकों की कार्य करने की दशा के बारे में उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसी तरह, केन्द्रीय श्रम ब्यूरों ने चीनी उद्योग में श्रमिकों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। मुझे दु:ख है कि ये सभी रिपोर्टें श्रम मंत्रालय के ब्यूरो में धूल चाट रही है मैं चाहता हूँ कि श्रम मंत्री जी द्वारा इन रिपोर्टों में निर्धारित सुझावों को संबधित श्रमिकों की भलाई के लिए कार्यान्वित किया जाये, इसको देखें।

मैं यह भी मांग करता हूँ कि सभी श्रम कानूनों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक वर्ग इन नियमों की जटिलता को समझ सकें। वे अपने आप को बेईमान ट्रेड यूनियनों द्वारा भी शोषित किए जाने से बचा सकें।

मैठूर, तमिलनाडु में एलेक्जेण्डर ग्रेड मिल के निरन्तर बन्द होने के कारण सैंकड़ों श्रमिकों के दुःखों का भी उल्लेख करने के लिए मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूँ। मैंने इस प्रश्न को पहले भी तीन-चार बार उठाया था। मैं इस मिल को दुबारा से खोलने के लिए मंत्री जी की सद्भावना

चाहता हूँ ताकि श्रमिकों की कठिनाईयों को कम किया जा सके। इसी तरह मैठूर क्लोथ मिल भी समस्याओं का सामना कर रही है जो अनिश्चित समय के लिए बन्द हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों श्रमिकों को काम से निकाल दिया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि इस मिल को बन्द होने से रोकने के लिए माननीय श्रम मंत्री सबसे पहले कदम उठाएं। कोयम्बटूर में कई वस्त्र उद्योग कई महीनों से बन्द पड़े हैं। श्रमिकों को गली के भिखारी बना दिया गया है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अपनी भूख को शांत करने के लिए कोई साधन नहीं है। इन श्रमिकों को विनाश से बचाने के लिए श्रम मंत्री जी से सद्भावना का अनुरोध है। श्रम मंत्री जी द्वारा श्रम शक्ति को माँ की तरह प्यार प्रदान करना है जो इन मिलों को दुबारा से खोलने के लिए सब कुछ करेगा।

हमारे शुभचिंतक मुख्य मंत्री जिन्होंने श्रमिकों के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, है इन बन्द वस्त्र मिलों को खोलने के लिए कई विकल्पों का प्रस्ताव किया है। उन्होंने श्रमिक वर्ग के रोजगार के लिए कई औद्योगिक प्रस्ताव और तमिलनाडु में निरन्तर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी कई प्रस्ताव पेश किये हैं।

इन औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकार और तमिलनाडु राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अधिक राशि के आबंटन के लिए मैं माननीय श्रम मंत्री का सहयोग चाहता हूँ ताकि राज्य में श्रम शक्ति को अन्तिम रूप से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

3.16 म०प्र०

(श्री एम० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : माननीय सभापति महोदय, मैं, बीड़ी मजदूर और खेतीहर मजदूरों के सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की दशा अत्यन्त ही दयनीय हो गई है। कुछ वर्षों पहले तो बीड़ी मजदूरों की दशा कुछ अच्छी थी लेकिन अब बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में अवश्य जांच करवा लें क्योंकि उनकी दशा गरीबी रेखा से भी नीचे हो रही है। बीड़ी मजदूरों को तम्बाकू, जर्दा या पत्ती वगैरह जो कच्चा माल दिया जाना चाहिए, वह भी उनको नहीं दिया जाता है। एक महीने में दस-पन्द्रह दिन तक तो उनको बेरोजगार ही बैठना पड़ता है। उनको कोई काम-धंधा भी नहीं मिल पाता है। बीड़ी मजदूरों को जो निर्धारित रेट मिलना चाहिए वह भी उनको कहीं नहीं मिल रहा है। देहाती क्षेत्रों में भी बहुत कम रेट उनको दिया जाता है। साप्ताहिक मजदूरी के लिए भी उनको तीन-तीन या चार-चार सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा-बहुत पैसा उनको मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। उन लोगों का भोजन वगैरह की व्यवस्था के लिए जितना पैसा चाहिए, वह भी नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से उनको भूखों मरना पड़ता है। मैंने देखा है कि बीड़ी मजदूर के छोटे-छोटे बच्चे रात के बारह-बारह, दो-दो बजे तक काम करते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, उन बच्चों को पूरा समय बीड़ी बनाने में लगाना पड़ता है। आप एक सर्वे करायेंगे तो

[श्री नन्द लाल चौधरी]

पता चलेगा कि अधिकांश बीड़ी मजदूरों के बच्चे फेल हो जाते हैं। प्राईमरी पास करने के बाद वे हायर सेकेन्डरी तक भी नहीं पहुंच पाते और हायर एजुकेशन तो उनके लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नाना प्रकार के रोग भी उनको लग जाते हैं। तम्बाकू से रोग हो जाते हैं।

बीड़ी मजदूरों को, बीड़ी सिगार एक्ट के अन्तर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। बीड़ी मजदूरों का बड़ा शोषण हो रहा है। आप देखेंगे कि जो बीड़ी मालिक हैं, वे हजारोंपति, लखपति, करोड़पति और अरबपति हो रहे हैं और बीड़ी मजदूर की दशा गरीबी रेखा से भी नीचे की तरफ जा रही है।

मैं अपने क्षेत्र सागर संभाग की बात कहूंगा कि वहां बीड़ी मजदूर लाखों की तादाद में हैं और यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां लाखों मजदूर हों, वहां एक भी कम्युनिटी सेन्टर या मनोरंजन के लिए कोई सेण्टर नहीं बना है, ताकि वे अपना मनोरंजन कर सकें। वहां एक भी सेण्टर आप नहीं बना पाए हैं मजदूरों को कहीं भी सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां लाखों की तादाद में बीड़ी मजदूर हों, वहां आप कम से कम मनोरंजन के लिए सेण्टर या कम्युनिटी सेंटर जरूर बनवाएं।

मैं, माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रण देता हूं, वे बीड़ी मजदूरों की दशा देखने के लिए मेरे क्षेत्र में आएं और यदि वे मेरे निवेदन और आमंत्रण को स्वीकार कर वहां आएंगे और वहां बीड़ी मजदूरों की दशा देखेंगे तो उनकी दशा देखकर मंत्री महोदय की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहां उनकी दशा बहुत ही दयनीय है।

दूसरे प्रदेशों में बीड़ी उद्योग को कई सहूलियतें हैं किंतु मध्य प्रदेश में नहीं हैं। दूसरे प्रदेशों में जैसे दक्षिण में जो बीड़ी के ऊपर टैक्स इत्यादि लगता है, उससे अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में बीड़ी इंडस्ट्री में कई प्रकार के टैक्स लगा दिए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश का बीड़ी उद्यमी संकट में है। बीड़ी उद्योग के मालिकों का यह कहना है कि हमारे उपर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कई प्रकार के टैक्स ज्यादा लगा दिए गए हैं। इस कारण वे बीड़ी इंडस्ट्री को धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसके कारण उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना काम काफी कम कर दिया है। इससे मध्य प्रदेश के बीड़ी मजदूरों में बेरोजगारी व्याप्त हो गई है।

बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में, जो बीड़ी मजदूर कल्याण फण्ड के नाम से व्यवस्था है, उसके मुताबिक पहले तंबाकू पर टैक्स लगता था। जो पैसा तम्बाकू पर सैस लगने से आता था वह काटकर के बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए फण्ड बनाया जाता था जिससे उनके कल्याण के कार्य किए जाते थे। किन्तु अब यह व्यवस्था की है कि बीड़ी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। यह ठीक व्यवस्था नहीं है। पहले जो तम्बाकू पर टैक्स लगाने की व्यवस्था थी वह अच्छी व्यवस्था थी और उसमें ज्यादा फण्ड उनके कल्याण के लिए इकट्ठा हो जाता था। अब बीड़ी पर टैक्स लगाने से उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा और इसके हिसाब रखने में भी सहूलियत नहीं है। पहले जो तम्बाकू पर टैक्स लगता था उसका सही अकाउण्ट रहता था। जिसके मुताबिक टैक्स का पैसा बीड़ी कामगारों के फण्ड में आता था और उनके कल्याण के लिए वह उपयोग हो सकता था। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले वाली व्यवस्था ही चालू रखी जाए ताकि तम्बाकू

पर टैक्स लगकर जो पैसा बीड़ी कामगारों के फण्ड में इकट्ठा हो उससे मजदूरों का कल्याण हो। इस फण्ड के उपयोग की जो व्यवस्था है वह भी ठीक नहीं है। इसकी कमेटी में और सदस्य बढ़ाए जाएं और फण्ड का जो दुरुपयोग हो रहा है, वह रोका जाए।

जिस प्रकार से बीड़ी मजदूर कल्याण फण्ड बना है, उसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि खेतीहर मजदूरों के कल्याण व विकास के लिए भी एक फण्ड बनाया जाए और पर बैग, प्रत्येक बोरे पर टैक्स या सैस के रूप में कम से कम पचीस पचास पैसे लिया जाए जिससे खेतीहर मजदूरों के लिए एक फण्ड बनाया जाए और उनके कल्याण के लिए काम किए जाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हुआ आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की माँगों के समर्थन में उठता हूँ। प्रारम्भ में, मैं औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में इस समय प्रचलित वातावरण के लिए श्रम मंत्रालय को बधाई देता हूँ। तुलनात्मक रूप से मानवदिवस की कम हानि तथा कम हड़तालें और कम तालाबन्दी की घटनाओं सहित अब औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसे श्रम मंत्रालय द्वारा परिचालित निष्पादन बजट में दिखाया गया है और पैरा 2 में आँकड़े दिए गए हैं तथा यह बताया गया है कि हड़तालों और तालाबन्दी की घटनाओं को किस प्रकार कम किया गया है और मानवदिवस की हानि को भी कम किया गया है। यह सुखद कार्य है।

साथ ही इस वर्ष के बजट में श्रमिक समुदाय के कल्याण से सम्बन्धीत कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं जो बहुत अच्छा कार्य है। उदाहरण के लिए बोनस की राशि को वेतन की अधिकतम राशि के अनुरूप बढ़ाया गया है। कुछ मामलों में न्यूनतम क्षतिपूर्ति की है को बढ़ाया गया है। ये सभी अच्छे कार्य हैं तथा इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

श्रम मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रमिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मोटे शब्दों में श्रमिक किसी भी अर्थ व्यवस्था में सभी उत्पादक गतिविधियों का स्रोत है। जो सरकार अर्थ व्यवस्था का प्रबंध दक्षतापूर्वक करना चाहती है उसके लिए उत्पादन के इस मुख्य क्षेत्र के कुशल उपयोग का अनिवार्य कार्य है एक अर्थ व्यवस्था में, एक राज्य में, जहाँ प्राकृतिक साधन, वन, खनिज, धन तथा अपेक्षित पूँजी, औजार और यंत्र होने के बावजूद यदि मुख्य क्षेत्र अर्थात् श्रमिक नहीं हैं तो उत्पादन संभव नहीं हो सकती है। देश की प्रभावी श्रमिक शक्ति द्वारा उत्पादन क्षमता को निर्धारित किया जाता है।

हमारे देश में श्रमिक शक्ति बहुत है। इसका कोई अभाव नहीं है। पूरे विश्व में दूसरे नम्बर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा है। श्रमिक की समस्या नहीं है लेकिन बेरोजगार क्षमता का उपयोग न होना या इसकी श्रमिक शक्ति का कम उपयोग होने की समस्या है। प्रश्न यह है कि श्रमिक शक्ति को किस प्रकार लगाया जा सकता है। इसे किस प्रकार सक्रिय, प्रभावी बना कर इसे कैसे उत्साहित किया जा सकता है ताकि वह क्षमतानुसार पूरा कार्य कर सके और वे संतुष्ट भी रह सकें। उसके लिए कई नियम, विनियम तथा कानून हैं। श्रम कानून और औद्योगिक कानून बनाने के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आगे है। मैं समझता हूँ कि हम इस मामले में

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

कई तथा कथित विकसित देशों से अधिक आगे बढ़े हुए हैं उनसे अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि यह कानून बनाने का प्रश्न नहीं है कि इस देश में इनकी कमी नहीं है परन्तु सभी श्रम कानून, औद्योगिक कानून को सही दिशा और कथित संदर्भ में कार्यान्वित करने में जो कमी हो रही है, वह गंभीर है। इस कारण उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि सरकार उच्च स्तर पर पूरी तरह गंभीर है, पूरी तरह सद्भावपूर्ण है लेकिन विभिन्न कारणों से यह सद्-भावना और गंभीरता, दुर्भाग्यवश कार्य क्षेत्र स्तर पर प्रतिबिंबित नहीं कर पाई है जहां इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मंत्रालय तथा हमारे नेतागण, क्षेत्रीय स्तर पर इसके कार्यान्वियन के प्रति गंभीर नही हैं जहां कि इसको वस्तुतः अमल में लाया जाना चाहिए। इसलिये, महोदय, मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय मौजूदा कमियों और त्रुटियों की सावधानीपूर्वक जांच करायें और उन सभी कमियों को दूर करने की चेष्टा करें। उन श्रमिकों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन तथा सुधारने वाले नियमों और विनियमों के कार्यान्वियन के प्रति कड़ी निगरानी रखनी चाहिये जो उपेक्षित हैं अथवा जिन्हें अपर्याप्त या कम पारिश्रमिक दिया जाता है। श्रमिकों का, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आज कोई मानवीय अस्तित्व नहीं रह गया है।

दो प्रकार के श्रमिक हैं, संगठित और असंगठित। संगठित श्रमिक कुल असंगठित श्रमिकों के दसवें भाग के बराबर हैं संगठित श्रमिक क्षेत्र में, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यद्यपि श्रमिकों को कुछ लाभ मिल रहे हैं, तथापि कानूनों का कार्यान्वित न किए जाने के कारण अथवा पूरी तरह से कार्यान्वित न किए जाने के कारण उन्हें वे लाभ या तो नहीं मिल पा रहे हैं अथवा पूरी तरह नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे। किन्तु असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कठिनाइयां अवर्णनीय हैं। सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। वास्तव में सरकार प्रयत्नशील तो है। उसने क्षेत्र निरीक्षक जैसे कुछ व्यक्ति नियुक्त किये हैं। मैं उड़ीसा का उदाहरण दूंगा। उड़ीसा में 65 क्षेत्र निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है वहां लाखों खेतिहर मजदूर हैं। ये थोड़े से 65 क्षेत्र निरीक्षक उनकी परेशानियों और समस्याओं की निगरानी नहीं कर सकते। यह बहुत ही बड़ा कार्य है और इस दिशा में समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और आर्थिक क्षेत्र में मांग और पूर्ति की समस्या बनी रहती है। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास दो या तीन एकड़ जोत भूमि है और वे भी मजदूर ही हैं। अनेक बार उन्हें अपने उस वेतन पर आश्रित रहना पड़ता है, जिसे वे किसी संगठन में काम करके प्राप्त करते हैं। यही उनकी परेशानी है। इसलिए, अपने कृषि प्रधान देश में, उन्हें कुछ अच्छा भोजन उपलब्ध कराने तथा उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, हम लोगों को सिंचाई पर अधिकाधिक ध्यान देना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, ऐसे क्षेत्रों के कुछ अंचलों में व्यस्त समय में श्रमिकों को 20 या 25 रुपये रोज का पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत, सूखाग्रस्त और शुष्क क्षेत्रों में मजदूरों को 5 रुपये रोज भी नहीं दिए जाते। यह वस्तु स्थिति है।

श्रमिक कानूनों के बारे में मैं कह चुका हूं उनके कार्यान्वियन के प्रति गम्भीर रुख अपनाने की आवश्यकता है। सरकारी परियोजनाओं में कार्यरत सरकारी उपक्रमों अथवा ठेकेदारों को आदर्श नियोक्ता होने की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए अत्याधिक खेद है कि कभी-कभी वे

लोग श्रमिकों-नैमित्तिक और ठेका मजदूरों को निर्धारित दर पर वेतन नहीं देते हैं। यह बड़ी ही आपत्तिजनक और मर्मनाक बात है। आप देख सकते हैं कि पुलों, भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के लिए दी गई कुछ निविदाओं में दैनिक मजदूरी 5 रुपये की दर से उद्धरित की जाती है। उन्हें पता है कि उन्हें इतने से अधिक नहीं देना पड़ता है। यद्यपि वे अनुसूचित दरों से 50 या 60 प्रतिशत अधिक दर पर ठेका लेते हैं, किन्तु जैसा कि निविदा में 5 रुपये अंकित किये जाते हैं, वे इससे अधिक राशि का भुगतान नहीं करते। राऊरकेला इस्पात संयन्त्र, जो एक सरकारी उपक्रम है, के बारे में यह शिकायत है कि वहां के कुछ ठेकेदार उतराई और चढ़ाई के लिए प्रबन्धकों से अधिक प्रभार लेते हैं किन्तु श्रमिकों को बहुत कम देते हैं। ये गम्भीर बातें हैं और इनकी ओर हमारे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। ठेका श्रमिक प्रणाली और एन० एम० आर० प्रणाली को तत्काल समाप्त किया जाए।

हो सकता है कि अधिकारी कम हों किन्तु मैं देखता हूं कि वे कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं हैं। उनमें से अधिकांश प्रबन्धकों के समर्थक होते हैं। श्रमिकों की परेशानियों और शिकायतों की छान-बीन करने के लिए जब वे जाते हैं तब वे लोग बंगलों में उतरते हैं और गैर सरकारी प्रबन्धकों अर्थात् उद्योगपतियों का आतिथ्य का उपयोग करते हैं। अधिकारियों पर इसका प्रतिबन्ध होना चाहिए।

बीड़ी श्रमिकों और साल बीज श्रमिकों को कार्य करने के समय के अनुसार मजदूरी नहीं दी जाती अपितु उन्हें पत्ते और बीज एकत्र करने की संख्या के अनुपात से मजदूरी दी जाती है। इन क्षेत्रों में यदि परिवार के 4 या 5 व्यक्ति काम करते हैं तो वे लोग दिन भर में मुश्किल से 10 या 15 रु० कमा पाते हैं। मंत्रालय को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं आपका ध्यान 2 या 3 और मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय योजना है तो अच्छी किन्तु यह योजना उड़ीसा के सभी क्षेत्रों में लागू नहीं है। वहां केवल 3 या 4 अस्पताल हैं। न तो वे पर्याप्त हैं और न ही पूर्ण सज्जा युक्त। न वहां विशेषज्ञ हैं और न वहां पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और औषधियां उपलब्ध हैं। इसका नतीजा यह है कि वहां श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त है।

माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान मैं एक और मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और वह है मेरे निर्वाचन क्षेत्र के झारसुगड़ा में भास्कर टैक्सटाइल मिल्स का बन्द किया जाना। हमारे क्षेत्र में यह कपड़ा मिल था जिसमें 2000 श्रमिक कार्य करते थे। सरकार, श्रमिक संघ और स्थानीय सामान्य जनता के अनुरोध पर कोई ध्यान न देते हुए इस मिल के मालिकों ने इसे बन्द कर दिया। इसे बन्द करने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से इसकी मशीनों को बाहर अर्थात् कलकत्ता तथा अन्य स्थानों को स्थानान्तरित कर दिया है। उसके बन्द हो जाने से इसके 2000 श्रमिक भिखारी बन गए हैं और अब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने इस मिल को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। इस मिल का बन्द होना न केवल श्रमिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है अपितु उस स्थान की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उस मिल को पुनः चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाए जायें। इससे न केवल 2000 श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा अपितु इस पिछड़े इलाके की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

यह सरकार श्रमिकों की हित साधक है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति वचन-बद्ध है। श्रमिक हितकारी अनेक कानून पारित किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनु-रोध है कि एक सद्भाव पूर्ण कार्य किया जाय और यह निर्णय लिया जाय कि न्यायाधिकरण के उन

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

श्रमिक संगठनों के विरुद्ध, जो श्रमिकों के हित में दिए गये हों, कोई अपील नहीं की जाएगी। यदि सरकार ही निर्णयों के विरुद्ध उच्चन्यायालय में केस लड़ेगी तो श्रमिक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध किस प्रकार लड़ सकते हैं। अनेक मामलों में, वे लोग अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं और उन्हें अपनी उचित मांगों के लिए लड़ना पड़ता है। सरकार इस अनुरोध पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करे तथा यह निर्णय ले कि श्रमिकों के हित में किए गए न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा। पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच सदा से ही संघर्ष चलता आया है और श्रम मन्त्रालय की भूमिका अग्नि शमनक के समान रही है जो दोनों के बीच मैत्री भाव स्थापित कराती है।

कहने के लिये और भी अनेक बातें हैं। हमारे यहां अनेक श्रमिक समर्थन तथा अच्छे कानून हैं। यदि उन्हें ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रह जायगी। किन्तु चूंकि उन्हें ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, और जिस कार्यान्वयन तंत्र को इसे कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है वह कार्यान्वयन तंत्र उनके कार्यान्वयन के प्रति गम्भीर नहीं है। इसीलिये, मेरे विचार से श्रमिक क्षेत्र में सर्वत्र असंतोष व्याप्त है। जब तक श्रमिक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता। यह श्रमिक ही हैं। जो राष्ट्र की खुशहाली के लिये इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें इतना अधिक संघर्ष करना पड़ता है तथा कभी-कभी अपना खून तक बहाना पड़ता है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक उन्हें कारखानों तथा सरकारी उपक्रमों के प्रबंध में साझीदार नहीं बनाया जायगा तब तक हम उनसे संतोषजनक कार्य करने की आशा नहीं कर सकते। इसलिये प्रबंध में उनकी वास्तविक साझेदारी सुनश्चित होनी चाहिये इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं जो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और जनता के कल्याण के विचार से बहुत ही महत्पूर्ण है। बोलने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : सभापति महोदय, दलगत विचाधारा का विचार किये बिना अनेक सदस्यों ने यहां इस देश के श्रमिकों के मामले की जोरदार वकालत की है। और मुझे पता है कि माननीय मंत्री महोदय, जो बहुत पहले किसी-समय स्वयं भी एक श्रमिक रहे हैं, जीवन के कठोर अनुभवों और कठिनाइयों के झेलने के बाद आज की इस स्थिति तक उठ पाये हैं मैं उन्हें व्यक्तिशः जानता हूं। श्रमिकों के प्रति उनका बहुत ही सहानुभूति पूर्ण रवैया रहा है और वह एक भले और ईमानदार व्यक्ति हैं जो सदा श्रमिकों को यादगार रहेंगे। इसलिये, आलोचनात्मक ढंग से मैं जो कुछ भी कहूंगा और यदि मन्त्रालय के वर्तमान स्वरूप की यदि मैं कोई आलोचना करूं तो उसे निश्चित रूप से व्यक्तिशः न समझा जाय बल्कि मैं तो चाहता हूं कि वह आगे आयें और उस मन्त्रालय में व्याप्त नकारेपन को दूर करने की चेष्टा करें। यदि मैं यह कहता हूं यह मन्त्रालय नकारा है तो इसके लिये वह दोषी नहीं हैं। यह नकारापन वर्षों की देन है। वास्तविकता यह है।

एक माननीय सदस्य : यह संसदीय भाषा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे अधिक अंग्रेजी नहीं आती है आप सभापति महोदय से पूछें कि 'नकारा' शब्द संसदीय है अथवा नहीं। मेरे विचार से यह एक शिष्ट शब्द है।

एक माननीय सदस्य : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाय ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह नकारेपन का एक ही अर्थ लगा रहे हैं मुझे नहीं पता कि उन्हें इस बारे में किस बात की चिंता है ।

सभापति महोदय : भाषा की चिंता न करें । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा क्यों है । मैं इसे नकारा क्यों कहता हूं क्योंकि इस मंत्रालय की स्थिति यह है कि इस मंत्रालय से विविध श्रम कानूनों, श्रम विधियों का प्रारूप तैयार करने और उनके बारे में पहल करने की आशा की जाती है किन्तु इस विषय का जो प्रमुख कार्य है, यह मन्त्रालय इन कानूनों को प्रयत्क्ष रूप से कार्यान्वियन कराने के प्रति उत्तारदायी नहीं है । इसका कारण यह है कि कार्यान्वियन का पूरा कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है अथवा जहाँ कार्यान्वियन के प्रति स्वयं केन्द्र प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है ऐसी स्थिति में भी कार्यान्वियन तंत्र की स्थिति यह है कि या तो अमला पूर्णतः अपर्याप्त अथवा कम है, वह प्रशिक्षित नहीं है और उसे कम वेतन मिलता है और इसीलिये यह दुर्भाग्य की बात है कि वह प्रायः भ्रष्टाचार और लोभ का सवंरण नहीं कर पाता है । दूसरे, मेरा अनुभव है कि यह मन्त्रालय गैर सरकारी क्षेत्र पर कोई भी नियम लागू करने में असमर्थ रहा है । इस समय मैं असंगठित लघु क्षेत्र के उपक्रमों की बात नहीं कर रहा हूं । उसके बारे में बाद में कहूंगा । उस क्षेत्र के बारे में अनेक सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वह सच है । किन्तु संगठित क्षेत्र में, जहाँ सु-व्यवस्थित कम्पनियाँ आदि हैं, वे भी श्रम मन्त्रालय अथवा श्रम प्रशासन के किसी भी आदेश का पालन करने के प्रति चिंतित नहीं हैं । वे जिस आदेश का पालन करना चाहें अथवा न चाहें यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है क्योंकि वास्तविक नियमों में जिस आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है, वह इन कम्पनियों के लिये कुछ भी नहीं है । इन कानूनों में 1000/ या उससे कुछ अधिक या कम रुपये का जुर्माना उनके लिये कुछ भी नहीं है । आज, जैसा कि आपको पता है, हमारे श्रमिकों के वेतन का करोड़ों रुपया, जो नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि खाते में और कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा किये जाने चाहिये थे, चुरा लिये गये हैं । इस प्रकार की यह राहजनी डकैती दिन दहाड़े डाली जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है इसको रोकने का कोई साधन नहीं है । श्रम मंत्रालय के प्रतिवेदन में पृष्ठ 16 से 18 पर यह बात स्वीकार की गई है कि भविष्य निधि अर्थात वह धन जो श्रमिकों के वेतन में से काटा जाता है, की बकाया राशि श्रमिकों के भविष्य निधि खाते में जमा नहीं की जा रही है । यह धनराशि 48.41 करोड़ रुपये है । श्रमिकों के वेतन से इस राशि को ऐसे चुराया गया है । इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है क्या कार्यवाही की जा सकती है, सरकार इन उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने में सक्षम है ? यहां तक की दो समाचार एजेंसियाँ—हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती—जो सरकारी प्रोत्साहन से शुरू की गई थीं वे भी अपना भविष्य निधि अंशदान नहीं दे रही हैं । ये समाचार एजेंसियाँ अब बिल्कुल खस्ता हालत में हैं । ये किसी भी दिन बन्द हो सकती हैं । आर्थिक दृष्टि से वे बुरी हालत में हैं क्योंकि उन्हें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा वैसा समर्थन नहीं मिलता जैसा कि अन्य एजेंसियों, जैसे पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० को मिलता है और ये किसी भी दिन बन्द हो सकती हैं । यहाँ तक कि वहाँ पर नियोजकों द्वारा अपना अंशदान नहीं दिया गया है जिसके लिए वे कानूनी तौर पर बाध्य हैं श्रम मन्त्रालय की अपनी रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) की बकाया राशि 52.32 करोड़ रुपये है । इससे

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वर्तमान योजना के अन्तर्गत कम से कम सरकार शक्तिविहीन है ? यदि कुछ लोगों को नपुंसक शब्द अच्छा नहीं लगता तो मैंने शक्तिविहीन शब्द का प्रयोग किया है। इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है जैसा कि वहां के सदस्यों में ऐसा सोचा जाता है या इसके बारे में उनकी मानसिक स्थिति है। दुर्भाग्य से, जैसा कि मन्त्री महोदय को भी मालूम है तथा मेरी उनके साथ हर तरह से सहानुभूति है, जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, वस्तुतः मंत्रालय कुछ भी नहीं कर सकता है। नियोजन करने वाले तथा प्रशासन करने वाले मन्त्रालय है। वे भी श्रम मंत्रालय को उन क्षेत्रों में दखल देने से रोकते हैं। वे औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में, वेतन ढांचा क्या हो आदि अपने-अपने क्षेत्र के मामलों में विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन स्वतंत्र हैं श्रम मन्त्रालय केवल उन्हें सलाह दे सकता है। कभी-कभी ये कुछ सिफारिशें कर सकता है लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने की कोई शक्ति नहीं है।

एक कैबिनेट मंत्री ने, जो आजकल सरकारी क्षेत्र में, इस्पात, खान तथा कोयला का महत्वपूर्ण पद संभाले हुए हैं, कुछ माह पहले एक पुस्तक लिखी है—उन्होंने मुझे एक मानार्थ प्रति भेंट की थी, मुझे अफसोस है कि मैं उसे अपने साथ लाना भूल गया, मै उसे घर पर छोड़ आया हूं. मैं उसे उद्धत करता—जिसमें उन्होंने बहुत ही जोरदार ढंग से दो बातों के लिए वकालत की है—एक है श्रमिकों की प्रबन्ध में अर्थपूर्ण भागीदारी। इसका अर्थ यह नहीं है कि निदेशक मंडल में ट्रेड यूनियन का केवल एक प्रतिनिधि रखना और उस पर सब कुछ छोड़ देना। उन्होंने कहा है कि निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए अन्यथा कम से कम सरकारी क्षेत्र में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। मैं आशा नहीं करता हूं कि प्राइवेट प्रबन्धक इस पर सहमत हो जायें परन्तु हमें कम से कम सरकारी क्षेत्र में शुरुआत करनी चाहिए। इसकी उन्होंने वहां इतनी जोरदार वकालत की है कि मुझे उनसे यह पूछने के लिए मजबूर कर दिया, क्यों, अब जबकि वह इस्पात, खान तथा कोयला मंत्री हैं जिस बात की उन्होंने उस पुस्तक में इतनी वकालत की है उसको उन्होंने उस क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया है जिसके वे अब मंत्री हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा है कि वह दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर भी इस बात से सहमत हैं कि श्रमिकों की भागीदारी के बिना सम्पूर्ण कार्य प्रणाली तथा सरकारी क्षेत्र को चला रहे लोगों की मानसिकता को कभी बदला नहीं जा सकेगा। कुछ भी नहीं किया गया है ! 1983 में योजना बनाई गई थी और इस योजना को प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाना था तथा उनसे इसको लागू करने के बारे में एक समयबद्ध कार्यक्रम भेजने के लिए कहा गया था परन्तु तब से कुछ भी नहीं हुआ है ! मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासनिक मंत्रालय. नौकरशाही तथा इन प्रशासनिक मंत्रालयों के मंत्री ही श्रमिकों की भागीदारी के मामले में बुनियादी तौर से विरुद्ध हैं और इसलिए श्रम मन्त्रालय को इनके पास से कोई भी चीज वापस नहीं आ रही है। इसी प्रकार से, इन मंत्री महोदय ने अपनी पुस्तक में बहुत ही जोर शोर से वकालत की है। मुझे यह पढ़कर खुशी हुई है कि उन्होंने इस बात की वकालत की है कि जहाँ पर कई संघ है वहाँ पर किस यूनियन का प्रतिनिधित्व अधिक है पता लगाने के लिए केवल गुप्त मतदान ही एक तरीका है। उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। और अपने माननीय श्रम मंत्री, जो यहाँ पर बैठे हैं, कई वर्षों तक आन्ध्र प्रदेश के श्रम मन्त्री रह चुके हैं। यह एक ऐसा राज्य है जिसमें उन्होंने एक श्रम मंत्री के तौर पर गुप्त

मतदान की प्रक्रिया को शुरु किया तथा क्रियान्वित किया है। यह वहां पर सामान्य तौर से प्रचलित है। मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के मेरे मित्र इससे परिचित होंगे। वार्ता प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यूनियन का पता गुप्त मतदान द्वारा लगाया जाता है। अतः मैं मजाक के तौर पर श्री अंजैया से पूछता रहा हूं कि "अगर आप आन्ध्र प्रदेश में अपने श्रम मंत्री के कार्य-काल में ऐसा कर सके तो अब आप इस महत्वपूर्ण केन्द्रीय मंत्रालय पर पदासीन होते हुए क्यों नहीं अपनी सारी शक्ति तथा प्रयास इस प्रकार के कानून तथा योजना को समूचे देश में शुरु करने के लिए लगाते ? कम से कम हम सरकारी क्षेत्र से श्री शुरु करें।" परन्तु मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं। वह हमें नहीं बताते हैं। मेरे विचार में शायद कुछ विरोध हो रहा है। हमें मालूम है कि कुछ ट्रेड यूनियनें विरोध कर रही हैं। कम से कम एक केन्द्रीय ट्रेड यूनियन, अर्थात्, आई०एन०टी०यू०सी० (इंटक) इस गुप्त मतदान के विचार के विरुद्ध है। गुप्त मतदान को इस देश में और किसी भी मतदान में ठीक समझा जाता है। पंचायत से लेकर नगर पालिकाओं तथा निगमों से विधानमंडलों और संसद तक में गुप्त मतदान स्वीकार्य तरीका है जिसके द्वारा लोग चुने जाते हैं परन्तु जब केवल यूनियनों में से बहुसंख्यक यूनियन या वार्ता एजेंट को चुनने का प्रश्न आता है तब यह अविवेकी विरोध गुप्त मतदान के मामले पर होता है और कई यूनियनें चल रही हैं जिसे मैं बिल्कुल पसन्द नहीं करता हालांकि मैं भी....(व्यवधान)।

श्री दामोदर पांडे (हजारी बाग) : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, अवश्य।

श्री दामोदर पांडे : इंटक ने कभी भी गुप्त मतदान का विरोध नहीं किया है, इंटक ने सिर्फ इतना कहा है कि केवल किसी भी यूनियन के सदस्य अपना प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन चुन सकते हैं। जो लोग यूनियनों में विश्वास नहीं रखते जो किसी भी यूनियन के सदस्य नहीं हैं, किस तरह से यूनियन के भाग्य का फैसला कर सकते हैं ? अतः इंटक का सिर्फ यह कहना है कि आप यह पता करें कि क्या कोई व्यक्ति किसी यूनियन का सदस्य है या नहीं। अगर वह सदस्य है तो उसे यूनियन का चुनाव करने का पूरा हक है। जो लोग यूनियन में विश्वास नहीं करते, जो किसी भी यूनियन के सदस्य नहीं हैं, वे यूनियन का चुनाव कैसे कर सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : व्यवधान मेरे भाषण से अधिक लम्बा है। फिर भी ... (व्यवधान)।

श्री दामोदर पांडे : इंटक का सचिव होने के नाते यह मेरा फर्ज था....(व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, यह आपका फर्ज है और मैं यह बात श्रम मन्त्री पर आपको बताने के लिए छोड़ता हूं। वे मेरे दल के सदस्य नहीं हैं, आपको यह बात समझाने के लिए मैं उन पर छोड़ता हूं .. (व्यवधान)। ओह ! मैंने जब आप बोल रहे थे तो हस्तक्षेप नहीं किया था। और मैं आपको बताऊं कि अगर श्रमिकों को यह मालूम हो कि गुप्त मतदान की ऐसी योजना सब जगह गम्भीरता के साथ लागू होने जा रही है आपको यह बात यूनियनों के लोग सदस्य नहीं हैं देखने को नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति किसी न किसी यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर लेगा। वर्तमान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पांच-छः यूनियनें भी हों, वे उनकी परवाह नहीं करते। इससे देश में श्रमिक संवाद को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है।

दूसरी बात जिसका उल्लेख यहां किया गया है वह विशाल बेरोजगारी से था जिसका सीधा कारण उद्योगों का बन्द होना तथा उनकी तालाबन्दी करना है। इस समय, इस प्रतिवेदन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

के अनुसार, 491 बड़े एकक हैं जिन्हें रुग्ण माना गया है, 1256 मध्यम एकक हैं जो रुग्ण माने जाते हैं तथा 78,363 लघु एकक हैं जो रुग्ण माने जाते हैं। ये सभी एकक हमारे देश में बन्द पड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी स्थिति किसी अन्य देश में है चाहे वह कम विकसित या विकासशील देश ही क्यों न हो। परन्तु यहाँ, हमारे देश में, इतने बड़े पैमाने पर, लगभग 80,000 एकक मिल मालिकों ने इस आधार पर बन्द कर रखे हैं कि वे रुग्ण हैं। और कितना धन बैंकों का फंसा हुआ है ? इनके बन्द होने के कारण न केवल बेरोजगारी का प्रश्न जुड़ा हुआ है बल्कि 3,000 करोड़ रु० से अधिक बैंकों का पैसा फंसा हुआ है। मुझे मालूम है स्वयं श्रम मंत्रालय इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सरकार की औद्योगिक नीति तथा वित्तीय नीति से जुड़ा हुआ है।

प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने कई बार बहुत ही जोरदार शब्दों में कहा है कि वे कुप्रबंधों की, जो उद्योगों को रुग्ण घोषित करके उन्हें बन्द कर देता है, अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि वह इस प्रकार की स्थिति को जारी नहीं रहने देंगे। कुप्रबन्धक को समाप्त करना होगा। परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाये गये हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब 16 जूट मिलें पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी हैं। इस प्रश्न पर सदन में चर्चा होती रही है। हमने कहा है कि राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, मिल मालिकों तथा ट्रेड यूनियनों का एक उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें इकट्ठे बैठकर इन मिलों को फिर से चालू करने का रास्ता ढूंढा जाये। यह न केवल इन मंत्री महोदय ने बल्कि पूर्ति तथा कपड़ा मंत्री ने भी यह मान लिया था कि एक ऐसा सम्मेलन अविलंब आधार पर बुलाया जायेगा। एक माह गुजर चुका है और इस पर आगे कार्य· वाही के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है।

अब, जूट उद्योग के श्रमिकों ने, इंटक से सम्बद्ध यूनियन सहित, संयुक्त रूप से यह निर्णय किया है—मुझे नहीं मालूम कि उनको इससे मदद मिलेगी—कि इस महीने की 17 तारीख को, दस दिन के समय में, वे निरंतर इन्हें बन्द करने तथा मिल मालिकों द्वारा जानबूझकर इस उद्योग को बिलकुल तबाह करने की साजिश के खिलाफ विरोध प्रगट करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक दिन की आम हड़ताल करेंगे। 17 तारीख की उस हड़ताल के होने से पहले मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम वह यह घोषणा करें कि वह वास्तव में वैसा सम्मेलन करने जा रही है। सरकार यह भी घोषणा करे कि वह कब और कहाँ इस सम्मेलन को करने जा रही है। अगर सरकार सम्बन्धित पार्टियों के साथ इस संकट पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो श्री अंजैया इसमें क्या कर सकते हैं ?

फिर भी, अगर श्री अंजैया बुरा न मानें तो मैं उनसे एक बात कहूंगा। इस बारे में बहुत चर्चा है कि हमें देश को बीसवीं सदी से इक्कीसवीं सदी में ले जाना है। हमें 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ना होगा। यह अच्छी बात है। मेरा इससे कोई विवाद नहीं है। किसी भी स्थिति में इतिहास हमें 21वीं सदी में ले जायेगा चाहे हम उसे पसन्द करें अथवा नहीं। परन्तु जहाँ तक वेतन नीति का सम्बन्ध है. हमें कम से कम उस क्षेत्र में 20वीं सदी से 19वीं सदी में नहीं जाना चाहिए। मेरे विचार में श्री अंजैया को गलत सलाह दी गई है अगर वह यह निर्णय ले रहे हैं कि भविष्य में मजूरी निर्धारण का मुख्य तरीका फिर से मजूरी बोर्ड होगा। हम उस दौर को तथा मजूरी बोर्डों के दौर को पार कर चुके हैं। एक समय था जब हमारे यहाँ मजूरी बोर्ड व्यव-

हार्यतः सभी बड़े उद्योगों में थे परन्तु उनका अनुभव ऐसा था कि सभी ट्रेड यूनियनें इस बात पर सर्वसम्मत हुई थीं कि हमें सामूहिक सौदेबाजी तथा द्विपक्षीय वार्ता के सिद्धान्त को मानना चाहिए। गत तीन या चार वर्षों में बहुत से उद्योगों में, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सहित, इस प्रकार के समझौते सफलता के साथ हुए हैं। श्री दामोदर पांडे को इसका पता है। वह इन वार्ताओं, सामूहिक सौदेबाजी, द्विपक्षीय वार्ताओं तथा सामूहिक संधियों में एक भागीदार थे। यह मजूरी बोर्डों की अपेक्षा 21वीं सदी के अधिक करीब है। मजूरी बोर्ड ऐसे उद्योगों में बनाए जा सकते हैं जहां पर एक असंगठित प्रकार का उद्योग हो जो सारे देश में बिखरा हुआ हो और प्रत्येक एकक में थोड़ी संख्या में श्रमिक हों तथा उन्हें एकत्रित करना कठिन हो। इन विशेष मामलों में मजूरी बोर्डों पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि, अगर कर्मचारी स्वयं मजूरी बोर्ड चाहते हों, जैसा कि मुझे बताया गया है, पत्रकारों ने स्वयं इसकी मांग की है। अगर वे चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है परन्तु आम सिद्धान्त के तौर पर मजूरी बोर्ड की पसन्द उस प्रक्रिया की तुलना में जो सारे देश में चल रही है, उन उन्नत देशों में जिनकी तरक्की तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक पीछे धकेलने वाला कदम है। इसी कारण मजूरी बोर्ड या न्यायाधिकरण या न्याय निर्णय या आवश्यक पंच फैसला, द्विपक्षीय वार्ताओं तथा सामूहिक समझौतों की तुलना में पीछे धकेलने वाले कदम हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस तरीके से पीछे न जाएं जो पूर्णतया सफल सिद्ध हो चुका है तथा औद्योगिक शांति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है।

4.00 म०प०

मेरे विचार से एक कानून ऐसा है जिसे निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि यह बेकार सिद्ध हुआ है। मेरे विचार से, एक प्रतिक्रियात्मक कानून तथा श्रम-विरोधी कानून के अतिरिक्त, बिल्कुल बेकार सिद्ध हुआ है, और वह है, आवश्यक सेवा अधिनियम .... इसके अनुसार, किसी भी हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है। कोई भी उद्योग, किसी भी प्रकार के पेशे या व्यवसाय को उस कानून के अन्तर्गत एक आवश्यक सेवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और अपने आप ही उसके अन्दर होने वाली हड़ताल गैर-कानूनी हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति तथाकथित गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेता है तो उस पर कई प्रकार के जुर्माने लगाये जा सकते हैं जिसमें कारावास, जुर्माना, नौकरी से बर्खास्तगी आदि सम्मिलित हैं। उस समय जब यह विधेयक यहाँ लाया गया था तब जो विचार हमारे समक्ष व्यक्त किया गया था वह था कि वह हड़तालों को रोकने में बहुत ही प्रभावी होगा। यह हड़तालों को रोकने में बिलकुल भी प्रभावी नहीं रहा है। अगर आप इस देश के बुनियादी असंतोष के कारणों को दूर नहीं करते, आप चाहे सौ कानून बना लीजिए जो बहुत ही सख्त शक्तिशाली तथा दमन करने वाले हो मगर श्रमिक इनकी परवाह नहीं करेंगे। वे जेल जाने के लिये तैयार हैं, वे अपनी नौकरी खोने के लिये तैयार हैं, परन्तु अगर उनके असन्तोष को दूर नहीं किया जाता है तो यह कोई तरीका नहीं है जिससे हड़तालों पर रोक लगाई जाये अथवा उन पर सजा दी जाये। अतः मैं यह कहूंगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के द्वारा भी, जिसके बारे में हमें उसे स्वीकृत करते समय कहा गया था, और जिसका हमने पूरी तरह से विरोध किया था, कि इसे कभी भी श्रम संघों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, यह उन लोगों के लिये है जो देश की सुरक्षा को आघात पहुँचा रहे हैं और इसे कभी भी श्रम संगठनों के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसे इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल किया जा रहा है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इसका ताजा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। टाटा आयल मिल यूनियन बम्बई के महासचिव माइकल डिसूजा को बिना मुकदमा चलाये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार तथा बंदी बनाया गया और नासिक जेल में अपराधियों के साथ रखा गया। इसके खिलाफ मैंने अभ्यावेदन भेजे तो कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा किया गया। प्रशासन को वैध मजदूर संघकर्त्ता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने का क्या हक था? माइकल डिसूजा देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला तो कोई काम नहीं कर रहे थे। प्रशासन उनके खिलाफ कोई आरोप भी सिद्ध नहीं कर पाया। महज इसलिये कि कोई नियोक्ता—इस मामले में टाटा बंधु—उनके खिलाफ शिकायत कर रहे थे। वे तो विरोध करने वाले हर मजदूर संघ नेता की शिकायत करते हैं तथा पुलिस उनसे मिली हुई थी इसलिये झूठे आरोप लगा कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

महोदय, मुझे केवल दो-तीन मुद्दों पर बोलना है। देश में मजूरी के आम स्तर में भिन्नता है। हम चाहते हैं कि जीवन-स्तर में वृद्धि करके उन्नत देशों तथा हमारे देश में दी जाने वाली मजूरी के स्तर के अंतर को पाटा जाये। यह खाई, यह अंतर और बढ़ गया है। इसलिये बहुत से विदेशी निवेशकर्त्ता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को एक ऐसा आदर्श स्थान समझती हैं जहां पूंजी निवेश किया जा सकता है क्योंकि यहां श्रम बहुत सस्ते में उपलब्ध है। ऐसा सस्ता श्रम उन्हें और कहां मिलेगा? उन्हें यह अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या कहीं और तो मिलेगा नहीं इसलिये वे कम्पनियां यहां पूंजी निवेश कर रही हैं। वे यहां आकर पूंजी निवेश करके लाभ कमाना चाहती हैं और यहां से निर्यात भी करना चाहती हैं। भारत में सस्ती दरों पर श्रम उपलब्ध होने का प्रमुख कारण—हम अधिक मजूरी के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। आजकल इसकी बहुत चर्चा नहीं होती लेकिन कुछ सालों पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों की बहुत चर्चा होती थी क्योंकि उनकी मजूरी बहुत अधिक है और जो सभी सुविधाओं आदि का फायदा उठा रहे हैं। वस्तुतः उन्हें यह सब उदारतावश नहीं दिया गया है। उन्होंने संगठित होकर तथा संघर्ष करके इसे प्राप्त किया है। लेकिन इस विशाल असंगठित क्षेत्र का क्या करें? बहुत से सदस्यों ने इन लोगों की जीवन दशा के बारे में यहां बहुत हृदय विदारक ढंग से उल्लेख किया है। मैं उस सबको दोहराना नहीं चाहता। इस रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई है कि इमारत तथा निर्माण उद्योग में भी कोई कानून नहीं है। दिल्ली के फुटपाथों पर आप सर्वाधिक शोषित लोगों को देखते ही होंगे। अगर आप दिल्ली में घूमें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आसपास के गांवों से आए इन गरीब लोगों, उनके बीबी-बच्चों को फुटपाथों पर देखेंगे क्योंकि वहां कोई बड़ा पांच-सितारा होटल या कोई बड़ी इमारत बन रही है। वे लोग उसमें काम करते हैं, सुबह से शाम तक अपने सिरों पर मिट्टी और पत्थर ढोते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, मकान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे लोग रात को अपने नन्हें-नन्हें बच्चों और बीबियों के साथ फुटपाथ पर सोते हैं। मजूरी की दर कम होने का प्रमुख कारण देश में बहुत अधिक बेरोजगारी का होना है। देश में मजूरी के स्तर में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक लाखों बेरोजगार लोग थोड़े से पैसों के लिये काम करने को तैयार न हों। तमिलनाडु में शिवकाशी में, कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य उम्र से कम उम्र के बच्चे आतिशबाजी तथा माचिसें बनाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिये सरकार ने कानून बनाया है।

इस कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये ताकि निर्धारित उम्र से कम उम्र के बच्चों को यह काम करने की अनुमति न दी जाये। पर हुआ क्या ? मां-बापों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया क्योंकि उनका कहना था कि अगर इन बच्चों को वहाँ काम करने से रोका गया तो परिवार की आय थोड़ा-बहुत बढ़ाने में बच्चे लोग जो कुछ कमाते हैं वह नहीं कमा पायेंगे और आमदनी का जरिया बंद हो जायेगा। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों को काम करने की अनुमति दी जाय। एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा कि इन बच्चों के तो स्कूल में पढ़ने के दिन हैं। इन नन्हें बच्चों को तो स्कूल में होना चाहिये। उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे भावी नागरिक बन सकें। लेकिन उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है।

श्री मूल चन्द डागा ने उन बच्चों की चर्चा की जो होटलों में तथा घरों में घरेलू नौकरों आदि के रूप में काम करते हैं। यह बिल्कुल ठीक कहा गया है। बहुत अधिक बेरोजगारी होने के कारण ऐसे लोगों को संगठित करना मुश्किल है। नियोक्ता अगर एक बच्चे या औरत को काम से हटा दे तो दस और उससे भी कम वेतन पर काम करने के लिये तैयार हो जायेंगे। बड़ी भयावह स्थिति है। श्रम मंत्रालय बड़े संगठित नियोक्ताओं या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि वे उसकी परवाह नहीं करते पर उसे कम से कम असंगठित श्रमिकों के कल्याण तथा उत्थान के लिए तो कुछ करना चाहिए। अगर इस संबंध में कुछ किया जाये तो हम बहुत आभारी होंगे और यथासंभव सहायता भी पहुंचायेंगे। कृषक मजदूर बहुत सालों से मांग कर रहे हैं कि उनके लिये व्यापक कानून बनाया जाये। संसद को इन मजदूरों की काम की दशा के बारे में व्यापक कानून पारित करना चाहिए। फिर देखें कि राज्य सरकारें कैसे उन पर अमल नहीं करतीं। लेकिन इस संबंध में व्यापक कानून नहीं है। कुछ राज्यों में कृषक श्रमिकों की काम की शर्तों के बारे में ठीक कानून बने हुये हैं। केरल राज्य में जो कानून है उसके तहत इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, मजूरी निर्धारण सांविधिक छुट्टी आदि की व्यवस्था है। लेकिन इस संबंध में व्यापक कानून के रूप में कुछ केन्द्रीय मार्गनिर्देश होने चाहिये। अन्यथा ये लोग सालों-साल गरीबी की रेखा से नीचे ही अपना जीवनयापन करते रहेंगे। सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि कुल जनसंख्या का लगभग 48.1 गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहा है। ऐसे में देश प्रगति कैसे कर सकता है ? ऊपरी तौर पर कुछ प्रगति हो रही है जैसे बड़े-बड़े कारखाने हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की दिशा में जो प्रगति हो रही है उस पर हमें गर्व है। जी हां, हमें गर्व है कि हमारे पास बढ़िया इजीनियर तथा तकनीशियन हैं। लेकिन देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पाते और अर्थव्यवस्था के लिए बोझ हैं।

भारत का घरेलू बाजार भी इसलिए प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि लोगों में खरीद क्षमता नहीं है। इसी कारण बहुत से कारखाने बन्द हो गये। वे अपना सामान नहीं बेच सकते। उनका सामान खरीदेगा कौन ? लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे साल में एक जोड़ा जूता ही खरीद लें। गांवों में गरीब लोग अपने घर की महिलाओं के लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद पाते। इस देश के उद्योग कैसे जीवित रह सकते हैं ? क्या निर्यात के बल पर ही उन्हें बनाए रखा जा सकता है ? निर्यात को एक चमत्कारिक नारा बना दिया गया है। "निर्यात के लिए सब चीजों का उत्पादन करो।" लेकिन जितना चाहे उतना निर्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेशी बाजार हमारे लिए खुले हुए नहीं हैं। एक प्रतिकूल माहौल में रहकर काम करना पड़ रहा है क्योंकि भारत जैसे देशों पर व्यापार प्रतिबंध, सीमा शुल्क आदि लगाए गए है। भारत

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

वस्तुएं तथा वस्त्र नहीं बेच सकता क्योंकि उन्नत देशों ने भारत को अपने बाजारों में सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं ? अपने देश में तो आप बेच नहीं सकते क्योंकि लोग इतने गरीब हैं कि वे इन वस्तुओं को खरीद नहीं सकते।

हाल ही में श्री दत्ता सामंत ने कपड़ा उद्योग में हड़तालों की चर्चा करते हुए ठीक ही कहा था कि बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम, जो वस्तुतः बाद में मध्यप्रदेश तथा गुजरात में भी लागू हुआ, हड़ताल के लिए जिम्मेवार है क्योंकि सरकार गुप्त मतदान को स्वीकार नहीं करेगी। श्रमिकों को अपनी इच्छानुसार मजदूर संघ चुनने के लिए किसी प्रजातंत्रिक प्रणाली की तो मंजूरी दी नहीं जाएगी। एक मजदूर संघ है जो सरकार तथा नियोक्ताओं का रबर स्टैम्प है। वह यूनियन श्रमिकों पर थोप दी गई है और आप जानते ही हैं कि बम्बई में क्या हुआ है। कुछ समय बाद श्रमिकों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वास्तव में मुझे विश्वास है श्री दत्ता सामंत ने इस प्रश्न पर भी प्रकाश डाला होगा कि भारत के सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केन्द्र में हड़ताल होने और डेढ़ साल तक 62 मिलों के बन्द रहने के बावजूद बाजार में कपड़े की कमी क्यों नहीं हुई।

हड़ताल के दौरान मैंने कुछ पत्र लिखे थे, श्री दत्ता सामंत को नहीं बल्कि उनके एक सहायक को। संभवतः श्री सामंत बड़े आदमी हैं इसलिए वे मेरे पत्र का जवाब नहीं देते। हम लोग हड़ताल का समर्थन कर रहे थे इसलिए मेरे और उनके बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था। मुझे किसी की परवाह नहीं है; मुझे केवल श्रमिकों की चिन्ता है। हड़ताल सफल कैसे हो सकती थी ? हड़ताल के बावजूद बाजार में कपड़े की कमी नहीं थी तो हड़ताल सफल कैसे होती ? मेरी समझ के अनुसार बहुत अधिक संख्या में विद्युत से चलने वाले करघों, जिनमें से ज्यादातर बड़े मिल मालिकों द्वारा चोरी-छिपे चलाए जा रहे हैं, द्वारा कपड़ा तैयार किया जा रहा है और मिल की मोहर लगाकर उनको बाजार में बेचा जा रहा है। विद्युत करघों में काम करने वाले श्रमिक संगठित नहीं है। इन करघों की संख्या बढ़ने के कारण ही हड़ताल असफल रही— वे मेरे द्वारा 'असफल' शब्द इस्तेमाल किए जाने पर एतराज करेंगे—देश के किसी भी मजदूर संघ के लिए हड़ताल का असफल होना बहुत दुखदायी है। यदि नियोक्ता इतनी बड़ी हड़ताल को जो कि बम्बई में कपड़ा-उद्योग में हुई खत्म कराने में सफल रहते हैं—आपने सुना ही होगा कि हड़ताल के बाद वे श्रमिकों से क्या व्यवहार कर रहे हैं —तो इस सबका असर अन्य प्रमुख कपड़ा केन्द्रों में स्थित कपड़ा उद्योग पर अवश्य पड़ेगा।

मंत्री महोदय को मैं बता दूं कि युक्ति संगतता के आधार पर श्रमिकों की संख्या कम करना, काम बढ़ाना आदि नियोक्ताओं के लिए भले ही लाभदायक हो लेकिन इससे देश में बेरोजगारी और बढ़ेगी। बेरोजगारी बहुत अधिक है और यह हर साल बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए आर्थिक विकास में स्थिरता नहीं आ रही। मजूरी की दर आप बढ़ा नहीं रहे हैं। आप बहु राष्ट्रीय कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों को यहां आने का निमंत्रण दे रहे हैं ताकि वे यहां उपलब्ध सस्ते श्रम से पैसा कमाएं। यह एक दुष्चक्र है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल दो-तीन मुद्दों पर और बोलना है। जो विधेयक आप तैयार कर रहे हैं उसे छोड़ क्यों नहीं देते ? मुझे मालूम हुआ है कि आप एक ऐसा विधेयक बनाना चाहते

हैं जिसके माध्यम से अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू न हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? वे भी कर्मचारी हैं। उन्हें उन सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जाए जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि उन्हें इससे वंचित क्यों रखा जाएगा। फिर तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा हड़ताल करने या काम रोको पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह विधेयक पिछली लोक सभा में विचाराधीन था और सारे देश में इसके खिलाफ भारी आन्दोलन हुआ था। लोक सभा भंग हो जाने के कारण उक्त प्रस्ताव पारित न हो सका। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विधेयक को पुनः न लाया जाए। इससे स्थिति में किसी तरह सुधार नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि बोनस पर आय-सीमा को समाप्त किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1600 रु० तक वेतन पाने वालों के लिए बोनस की व्यवस्था करके आपने बोनस अधिनियम में सुधार किया है। इससे पहले 750 रु० वेतन पाने वालों को बोनस मिलता था लेकिन अब 1600 रु० से अधिक पाने वालों को बोनस नहीं मिलेगा। 'श्रमिक' अथवा कर्मचारी' की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी लोगों को बोनस मिलना चाहिए। मैं प्रबंध वर्ग की वकालत नहीं कर रहा। लेकिन श्रमिक या कर्मचारी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को बोनस मिलना चाहिए। बहुत से व्यक्ति 1600 रु० की सीमा के अन्तर्गत आऐंगे। लेकिन कुछ लोग 2000 रु० या 2500 रु० कमा रहे हैं। आप लोगों को अब इन अति कुशल श्रमिकों से ईर्ष्या क्यों होती है। आप उद्योग का आधुनिकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको ऐसे कर्मचारी चाहिए। जो अपनी दक्षता में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कर रहे हों तथा जिन्हें अत्याधुनिकतम किस्म की मशीनरी पर काम करना आता हो। तो फिर केवल बोनस के मामले में उन्हें क्यों वंचित रखा जाए ? मेरा उनसे अनुरोध है कि 1600 रु० की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाए। प्रत्येक पात्र श्रमिक या कर्मचारी को बोनस मिलना चाहिए।

तीसरे, मेरी जानकारी के अनुसार गोवा में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय नहीं है। इसके लिए वहां से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। गोवा में बहुत सी खानें बन्दरगाह तथा गोदी हैं। वहां श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय होना चाहिए क्योंकि, खान, बन्दरगाह आदि क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी सीधे देखभाल होनी चाहिए।

अन्त में मैं एक सुझाव और दूंगा। भोपाल गैस कांड ने देश तथा लोगों की चेतना को झकझोरा है। इस कांड से पूर्व कोई भी प्रदूषण, रासायनों तथा गैसों से होने वाले खतरों आदि के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन भोपाल में जो कुछ हुआ उससे लोग अब इन बातों के प्रति अधिक जागरूक तथा सचेत हो गए हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि यही उपयुक्त समय है जब रसायन गैस या अन्य खतरनाक नशीले पदार्थ बनाने वाली कम्पनियों पर उसी तरह कर लगा दिए जाएं जिस तरह अन्य उद्योगों पर कर लगाया गया है। इस तरह के खतरनाक कारखानों पर कर लगाया जाना चाहिए तथा इससे प्राप्त होने वाली धनराशि को एक निधि में रखा जाना चाहिए। इस निधि का इस्तेमाल इस तरह के उद्योगों मे पर्याप्त सुरक्षा उपायों तथा एहतियाती उपायों की व्यवस्था करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी तथाकथित दुर्घटनाएं न घटें जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि आस-पास रहने वाले व्यक्तियों की

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मौतें हों। अतः मेरा अनुरोध है कि रासायनिक और जहरीली गैसें तथा अन्य नशीले पदार्थ बनाने वाले कारखानों पर कर लगाए जाएं तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि को प्रदूषण रोकने तथा सुरक्षात्मक उपायों में लगाया जाए ताकि भविष्य में लोग सुरक्षित रह सकें।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री गुप्ता जी ने कई ऐसे प्वाइन्ट इस सदन के सामने रखे हैं, जिनके कारण हम लोगों को फिर से कई बातों पर सोचना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा जोर देते हुए जिक्र किया है कि सीक्रेट बैलट के आधार पर ही मत-गणना कराकर कौनसी यूनियन रिप्रेजेन्टिव हो, कलैक्टिव बार्गेनिंग के लिए बार्गेनिंग एजेन्ट कौन से हो। कहने में बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार्गेनिंग एजेन्ट बनाना हो तो गुप्ता जी की बात 100 फीसदी सही हो सकती है, लेकिन यदि किसी संस्था को बनाना हो तो उसके बारे में गुप्ता जी को भी सोचना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कैसे उस संस्था को चुने जो कि उस संस्था का सदस्य न हो। अगर आप जैसे लोग उसका औचित्य सिद्ध करें तो यह बात मुनासिब नहीं मालूम पड़ती है। कलैक्टिव बार्गेनिंग के लिए सीक्रेट बैल्ट का मार्ग कभी नहीं अपनाया जाना चाहिए।

आई०एन०टी०यू०सी० का यह स्टैंड है कि यह वैरीफिकेशन द्वारा होना चाहिए। चैक आफ सिस्टम का तरीका भी होता है, उसे अपनाया जाना चाहिए। कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप सही मायनों में मजदूर की इच्छा की जानकारी प्राप्त कर सकें।

मजदूर फार्म भरकर देगा और मिल मालिक उसी फार्म के आधार पर उसकी तनख्वाह से काटकर, जो मैम्बरशिप का चन्दा है, वह यूनियन को देगा। इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं हो सकता है। मैं गुप्ता जी से कहूंगा कि सीक्रेट बैल्ट के आधार पर जो वह चुनाव की जिद् कर रहे हैं, उससे वह बाज आयें और मजदूरों के भले के लिए कुछ दूसरा रास्ता भी सोचें।

हमारे विद्वान मित्र जो अभी बोले हैं, उनको इम्पोटैंसी सब जगह दिखाई पड़ रही है। लेबर डिपार्टमेंट में कायदे-कानून के अनुसार जो कुछ वह कर सकते थे, वह करने का प्रयास किया है। यह जरूर है कि बहुत सी चीजें ना चाहते हुए भी हम अगर अपनी इच्छानुसार किसी जगह पर करने लगते हैं तो उसमें बाधा पड़ने लगती है।

750 से 1600 तक बोनस का रेशियो बढ़ाने की जो बात है, क्या यह गुप्ता जी को इस प्रकार की मालूम नहीं पड़ती है कि इस देश के इंडस्ट्रीयलिस्टस से लेबर लैजिस्लेशन के द्वारा मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाली बात है? यह इम्पोटैंसी की बात है या पौटैंसी की बात है? हम और आप दोनों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि 750 से 1600 ही सीमा क्या हो? इस सीमा को हटाने की बात सरकार को सोचना चाहिए और इस सदन को भी सोचना चाहिए। इस सदन को सोचना चाहिए और हमारे श्रम मन्त्री जो कि इस सदन में बैठे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रकार की जो व्यवस्थायें की गई हैं, हमेशा उन्हें यहां दोहरा कर सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ खास चीजों की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सन 1947 में जब हम आजाद हुए थे, उस समय जो लेबर लैजिस्लेशन हमारे मुल्क में बनाया गया, उनमें एक बुनियादी खामी मुझे यह प्रतीत होती है कि सैन्टर एक कानून बनाता है, फिर उसी का डुप्लीकेशन स्टेट में होता है, लेकिन यह जो डुप्लीकेशन होता है इसमें हमको लगता है कि एक मशीनरी सेन्टर के पैमाने पर और वही काम करने के लिए दूसरी मशीनरी उसी तरह की स्टेट के पैमाने पर जाती है। ऐसा होने से आपस में कई बातों में मतभेद पैदा हो जाते हैं, इसीलिए श्रमिकों के सम्बन्ध में जो कायदे-कानून हैं, उनको लागू करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं।

चन्द उदाहरण मैं इस सम्बन्ध में पेश करना चाहता हूँ और श्रम मन्त्री जी उस पर अवश्य विचार करेंगे। मान्यवर, कानपुर में आर्टिफिशल लिम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में श्रमिकों ने मांग की, उनके साथ समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते का पालन नहीं हुआ। यह बहुत बुरी बीमारी है। इसका श्रम मन्त्री जी को हल खोजना चाहिए। उस समझौते के न लागू होने के बाद फिर श्रमिकों ने मांग की तो 22 मार्च को तालाबन्दी कर दी गई। तालाबन्दी करने के पहले कायदे-कानून के मुताबिक श्रम विभाग से चूंकि केन्द्रीय सरकार की फैक्ट्री है, केन्द्र के रीजनल लेबर कमिशनर हैं, उनसे इसकी परमीशन लेनी चाहिए और उनसे राय मांगनी चाहिए, लेकिन राय मांगना तो दूर रहा, जब राय दी गई तो राय की अवहेलना की गई। इस मामले को निपटाने के लिए मुझे सूचना दी गई है कि लेबर डिपार्टमेंट ने, रीजनल लेबर कमिशनर ने कई बैठकें बुलायी थीं, उन बैठकों में अधिकारियों ने भाग नहीं लिया।

आज तमाम फैक्ट्रियां इस तरह की हैं जिनमें हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत पड़ रही है। हमें यह मालूम है कि प्राइवेट सैक्टर के लोगों को कहां गुदगुदी की जाये तो उन्हें हंसी या रुलाई आयेगी पर पब्लिक सैक्टर के लोगों को कहां गुदगुदी की जाये तो उन्हें हंसी या रुलाई आयेगी। यह समझ पाने में हम असमर्थ हैं।

जब प्राइवेट सैक्टर का मालिक हड़ताल के नोटिस की तरफ ध्यान देता था तथा बात करने की कोशिश करता था। वह या तो हमसे लड़कर हमको दबाने की कोशिश करता था या खुद दबने की कोशिश करता था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का अधिकारी जो कि पब्लिक सैक्टर के सर्वोच्च आसान पर बैठा है, उसे यह परवाह नहीं है कि मैन डेज का कितना नुकसान होता है, कितना प्रोडक्शन का लास होता है, कितने हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, उसको इसकी परवाह नहीं है। मुझे इसका तजुर्बा है! मैं सदन के मित्रों और श्रम मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मिर्जापुर के दक्षिण अंचल में जो बड़े-बड़े कारखाने लगे हैं पब्लिक सैक्टर के उन कारखानों में तथा जहां प्राइवेट सैक्टर के बहुत बड़े-बड़े कारखाने भी हैं उनमें 19 जनवरी 1984 को एक हड़ताल का काल कुछ ट्रेड यूनियनों ने दिया था। आज से दो साल पहले इस 19 जनवरी की स्ट्राइक में प्राइवेट सैक्टर के लोगों ने इस तरह की परिस्थिति वहां पैदा की कि एक यूनियन जिसने नोटिस दिया था, उसने अपने आप मालिक से बात करके, मजदूरों से बात करके नोटिस वापस ले लिया, लेकिन जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, उनसे जब हम लोगों ने इस हड़ताल के बारे में बात की और कहा कि आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जो हड़ताल करना चाहे करे। यदि यही दृष्टिकोण रखने वाले लोग पब्लिक सैक्टर को चलायेंगे तो सोचिये भविष्य क्या है। यही पब्लिक सैक्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह सदन चाहता है कि पब्लिक सैक्टर कायम रहे, पब्लिक सैक्टर फले और फूले, पब्लिक सैक्टर का हर काम अच्छा चले, हम

[श्री मदन पांडे]

उसके समर्थक हैं। लेकिन पब्लिक सैक्टर को सुधारने के लिए अगर कोई दुरुस्त कदम नहीं उठाया गया तो हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन्स हैं उनको तो आप अलग छोड़ दीजिए, इस मुल्क की एकोनामी बरबाद होने जा रही है। हमारे श्रम मन्त्री जी प्रशंसनीय हैं, उनकी नीतियों की और उनके कदमों की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर अमल दरामद वाला जो मामला है यह दुरुस्त नहीं हुआ तो जो कारखाने चल रहे हैं वह बैठ जायेंगे। इसलिए अगर आप कायदे-कानून बनाने की बात सोच रहे हों तो पैबन्द मत लगाइए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट जो 1948 के पहले के या 1948 के बने हुए हैं उनको फिर से नये सिरे से दोबारा बनाइए।

दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरे कारखाने कायम हो रहे हैं पब्लिक सैक्टर में उनके सम्बन्ध में भी उन डिपार्टमेंटस से और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से हमारे श्रम मन्त्री का तालमेल होना चाहिए। उन्हें उनसे यह कहना चाहिए कि मालिक की हैसियत से जो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है वह अपने आदमियों को हिदायत दे कि किसी भी तरह से श्रम कानून की अवहेलना नहीं हो।

मैं कहना बहुत कुछ चाहता था लेकिन चूंकि बार-बार घंटी बज रही है इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मांग का समर्थन करता हूँ और श्रम मन्त्री जी से मांग करता हूँ कि जिस तरह से आपने कुछ कदम उठाये हैं ऐसे ही एक बार नये सिरे से कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए।

4.28 म०प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

*श्री सी० सम्बु (बापतला) : सभापति महोदय, हम श्रम मंत्रालय की अनुदानों की माँगों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। खेतिहर मजदूरों की संख्या भी 60% से अधिक है, हांलाकि इनकी संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन अभी तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इन लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया है। सरकार कहती रही है कि वे इन लोगों को सभी सम्भव सहायता उपलब्ध करवा रही है। लेकिन वास्तव में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही कोई भी सहायता इन तक नहीं पहुँच पाई है। दुर्भाग्य से, आज तक वे असंगठित ही हैं। आज तक न तो उनको संगठित करने या उन्हें संगठित श्रमिक मानने के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मानव के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताएं भी इनको उपलब्ध नहीं हैं। उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। श्रीमन्, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये खेतीहर मजदूर साल में छह महीने बेरोजगार रहते हैं। खाली समय में, जब इनके पास कार्य नहीं होता, इनका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है। इनके लिए खाली समय में गुजारा कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। अतः, मैं सुझाव देता हूँ कि उनको छोटे उद्योग

*तेलुगु में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

और कुटीर उद्योग चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैंकों को उन्हें उदार शर्तों पर ऋण देना चाहिए ताकि उन्हें अन्य पेशें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करता हूँ कि जिस अवधि में कृषि सम्बन्धी गतिविधियाँ, कार्य आदि नहीं होते, उस अवधि में उन्हें एवजी रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रीमन्, जबसे तेलुगु देशम दल सत्ता में आया है, उसने लोगों को हर सम्भव सहायता दी है। उनको सस्ती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके आवास के लिए मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उनके बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त मुहैया कराया जाता है। केन्द्र को सारे राज्यों में इन कल्याणकारी उपायों को लागू करना चाहिए। माननीय श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है।

श्रीमन्, हमारे देश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग का स्थान आता है। हमारे माननीय मन्त्री श्री टी॰ अंजैया पहले आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे। वह हथकरघा मजदूरों की दयनीय स्थिति से अवगत हैं। वे काफी दयनीय जीवनयापन कर रहे हैं। श्रीमन्, इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। उनको रंग और धागे जैसा आवश्यक कच्चा माल भी उचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं कराया जाता। इन सब मुश्किलों को झेलते हुए भी, वे कपड़ा तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें उसका भी लाभदायक मूल्य नहीं मिलता। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। वे काफी कम मूल्य पर कपड़ा बेचते हैं। उन्हें अपने श्रम की उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है। वे सभी मुख्य बुनकर के अधीन होते हैं, जोकि उन्हें रोजगार देता है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती और इससे भी बढ़कर दुर्भाग्य यह है कि यह मजदूरी भी उन्हें समय पर नहीं मिलती। इतनी मेहनत और लग्न से तैयार किये गये कपड़े का उन्हें सही दाम नहीं मिलता। मिल द्वारा तैयार किये गये कपड़े को बढ़ावा दिये जाने से आजकल कोई भी हथकरघा कपड़ा खरीदना नहीं चाहता। इसके परिणामस्वरूप इन गरीब बुनकरों को अपना कपड़ा बेचने के लिए खरीददार नहीं मिलते, जिसके फलस्वरूप वे भूखों मर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ऐसे लाखों बुनकर हैं। ये सभी भूखों मर रहे हैं। ये बुनकर क्वालिटी जैकार्ड कपड़ा तैयार करते हैं। दुर्भाग्यवश अब जैकार्ड कपड़े का निर्यात नहीं किया जाता। अतः उनका रोजगार छिन गया है। इस अवसर पर मैं एक दफा पुनः माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस जैकार्ड कपड़े का निर्यात आरम्भ करें ताकि इस बुनकर समुदाय को बचाया जा सके। इससे इन बुनकरों को काफी लाभ होगा।

श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित चिराले भाई टी डी फैक्टरी बन्द पड़ी है, जिसके फलस्वरूप करीब 5000 लोगों का रोजगार छिन गया है। यह हैरानी की बात है कि इस देश में कुछ स्वार्थी उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों की रखने और निकालने की नीति अपनाई जा रही है। ये 5,000 मजदूर अब बेरोजगार हैं। वे प्रबन्धकों की दया पर हैं। ऐसा लगता है कि इस फैक्ट्री को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। यह घोर अन्याय है। ये मजदूर अब भूखों मरने वाले हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय, जो गरीब मजदूरों की मुश्किलों को अच्छी प्रकार जानते हैं वे ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। मुझे आशा है कि वे कम्पनी को दुबारा खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों को नौकरी पर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इन 5,000 विस्थापित मजदूरों को अन्य रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि बिना किसी देरी से माननीय मंत्री इस समस्या पर विचार करेंगे।

[श्री सी० सम्बु]

श्रीमन्, इस देश में बीड़ी उद्योग एक मुख्य उद्योग है, क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये गरीब बीड़ी मजदूर बिचौलियों की दया पर हैं। उनके पास पहचान-पत्र भी नहीं हैं। वे दिन रात केवल थोड़े से वेतन के लिए ही कार्य करते हैं। सरकार को ऐसी बातें और जारी नहीं रहनी देनी चाहिए। इन मजदूरों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार इस उद्योग पर उपकर के रूप में करोड़ों रुपये की उगाही कर रही है, लेकिन बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए ये वास्तव में कुछ नहीं कर रही है। सरकार को उन्हें चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसे कल्याण उपाय आरम्भ किये जाने चाहिए। सरकार को इन मजदूरों के लिए गृह-निर्माण आरम्भ करना चाहिए।

श्रीमन्, मछुआरों की हालत भी दयनीय है। आन्ध्र प्रदेश का समुद्रीतट काफी लम्बा है और इस उद्योग में हजारों लोग कार्यरत हैं। इन मछुआरों को पकड़ी गई मछलियों का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी, ये दोनों समय रोटी नहीं खा सकते। बिचौलिये यहां भी अपना दबदबा बनाये हुए हैं। बिचौलिये हर प्रकार से मछुआरों को दबा रहे हैं। वे मछुआरों को नावें और जाल सप्लाई करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वे पकड़ा गया अपना माल सस्ते दामों पर बेचें। इस प्रकार का शोषण और नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है उन्हें समय पर नावें और जाल सप्लाई किये जाएं। वित्तीय संस्थाओं और अन्य निगमों को आगे आकर मछुआरों को उदार शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए ताकि वे बिचौलियों पर निर्भर न रहकर, अपनी नावें और जाल आदि खरीद सकें। सरकार यह भी सुनिश्चित बनाये कि उन्हें मछलियों का अच्छा दाम मिलें। श्रीमान्, मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। आजतक मछुआरों को 5 कि० मी० सीमा तक ही मछलियां पकड़ने की अनुमति है। हालांकि यह 5 कि० मी० की सीमा केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है, कई दफा मशीन से चलने वाली नावें भी इस क्षेत्र में आकर मछलियां पकड़ लेती हैं, देशी नावों आदि को नुकसान पहुंचाती हैं जिनको ये मछुआरे प्रयोग करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 5 कि० मी० का क्षेत्र जो कि केवल इन मछुआरों के लिए सुरक्षित है, उसमें इन यांत्रिक नावों को न आने दिया जाए। छोटे मछुआरों के हितों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। छोटे मछुआरों को अपनी सीमा के भीतर ही मछलियां पकड़ने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध किये जाने चाहिए।

श्रीमन्, ग्रामोद्योग कार्यक्रम हमारे ग्रामीण शिक्षित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए है। अब यह कार्यक्रम केवल उन्हीं शिक्षित लोगों पर केन्द्रित है जो कि बेरोजगार हैं। अतः इससे बहुत कम लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना में आई टी आई प्रशिक्षित और निपुण कारीगरों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह वास्तव में उपयोगी साबित हो सके। इस कार्यक्रम में राज, मजदूर, बढ़ई आदि धन्धे में कार्यरत सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। बैंकों को ऐसे सभी लोगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो अपना धन्धा, कार्य आदि आरम्भ करके लघु या ग्रामीण उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इससे हमारे गांवों में ग्रामीण और लघु क्षेत्र के उद्योगों के नवीकरण में सहायता मिलेगी। इससे कुछ हद तक बेरोजगारी भी कम होगी। सही मायने में ग्रामोद्योग कार्यक्रम सार्थक बन सकेगा।

सुपारी उद्योग लघुक्षेत्र का ऐसा उद्योग है, जिसमें हजारों लोग कार्यरत हैं। इस उद्योग में लगे हुए लोगों की दशा भी दयनीय है। इन लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं होता। जहां एक ओर व्यापारियों और बिचौलियों ने इन लोगों का शोषण करके करोड़ों रुपये कमाये हैं, वहीं वे मजदूर जो दिन-रात कार्य करते हैं, भूखों मर रहे हैं। इस उद्योग में लगे लोगों की दशा में अवश्य सुधार होना चाहिए। इन लोगों को पहचान-पत्र जारी किये जाने चाहिए और उन्हें बिचोलियों के शोषण से बचाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री ऐसा करेंगे।

श्रीमन्, जब तक इस देश के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जाता, तब तक मजदूरों की बेरोजगारी संबंधी समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। सभी बड़े उद्योग कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े महानगरों के आसपास स्थित हैं। उद्योगों के इस प्रकार एक ही स्थान पर अधिक जमाव के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। अगर उद्योगों को उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश जैसे पिछड़े हुए प्रदेशों में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इससे न केवल पिछड़े लोगों का विकास होगा, बल्कि बेरोजगारी भी कम होगी। बम्बई कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण इसकी जलवायु और कपास उपलब्धता आदि है। श्रीमन्, मेरे राज्य में, प्रकाशम जिला कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। वहां काफी मात्रा में कपास पैदा की जाती है। क्योंकि यह पूर्वी तट के समीप है, इसलिए यहां कि जलवायु कपड़ा उद्योग के विकास के लिए सर्वोत्तम है। अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि कुछ कपड़ा मिलों को भविष्य में इस क्षेत्र में स्थापित किया जाए। देश में उद्योगों के एक-समान स्थापित होने से सभी क्षेत्रों का एक-समान विकास हो सकेगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों की श्रम समस्या को सुलझाने में भी सहायता मिलेगी।

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं एक दफा पुनः अपने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे जैकार्ड कपड़े के निर्यात के बारे में कदम उठायें, ताकि हथकरघा उद्योग के हमारे बुनकरों को बचाया जा सके। मैं यह भी अपील करता हूं कि ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी, कारीगरों, निपुण मजदूरों, और आई टी आई प्रशिक्षित लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद अदा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे श्रम मंत्रालय और भारत सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिये, उनकी भलाई के लिये सारे भारत में जो काम किये हैं उनकी जितनी सराहना करूं वह बहुत कम है। एक बहुत योग्य व्यक्ति, जो खुद मजदूरों के मसाएल के वाकिफकार हैं, आज कल हमारी इस मिनिस्ट्री का नेतृत्व करते हैं। यह देश के मजदूरों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

लेकिन, सभापति जी, कुछ तारीकी-पहलू इस देश में ऐसे हैं, कुछ बदनसीब मजदूर इस मुल्क में ऐसे हैं, जिनकी चर्चा यहां कोई नहीं कर पाया और मैं चाहूंगा विशेष रूप से उस तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं। सभापति जी, मैं मध्य प्रदेश के सतना निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूं। सतना वह क्षेत्र है जहां कई सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और सीमेंट फैक्ट्रीज के अलावा सैकड़ों की तादाद में लाइम फैक्ट्रीज (चूने के भट्टे) हैं जिनमें मजदूरों

[श्री अजीज कुरेशी]

के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जितनी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उनको बिरला, टाटा या उनसे सम्बन्धित कम्पनियां कन्ट्रोल करती हैं लेकिन इन फैक्ट्रीज ने आज तक कोई एन्टी-डस्ट मैंजर्स नहीं अपनाये हैं। चौबीस घन्टे हजारों मन धूल इन कारखानों से उड़ती रहती है जिसकी वजह से वहां के आस पास के क्षेत्रों में, जहां विशेषकर मजदूर और दूसरे गरीब लोग रहते हैं, यह धूल मौत का साया बन कर छाई रहती है।

सभापति जी, उस इलाके में वहां की फसल, वहां का पानी, वहां के लोग, वहां के मवेशी सभी धूल से प्रभावित हैं लेकिन दुःख की बात है कि आज तक इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं की। हम बात करते हैं एन्वाइरेन्मेंट की, पोल्यूशन रोकने की लेकिन मैं आप से कहता हूं कि हजारों लोगों का हम इस तरह से अहिंसक मर्डर करा रहे हैं। धूल और धुआं उन फैक्टरीज का पूरे सतना क्षेत्र में छाया रहता है। चाहे मैहर सीमेंट हो, चाहे कैमोर सीमेंट हो और चाहे सतना सीमेंट हो, उस इलाके के लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल कर दिया गया है। यही नहीं, इन टाटा और बिरला की सीमेंट फैक्टरीज के अलावा वहां पर सैकड़ों छोटे-छोटे चूने के कारखाने हैं, जिनके अन्दर मजदूरों के खून को चूसा जा रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि वहां पर 4 और 5 रुपये रोज पर मजदूर लाये जाते हैं और उनसे काम कराया जाता है और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई मौजूद नहीं होता। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह जो स्लो पायजनिंग हम करा रहे हैं, इससे जानबूझ कर हजारों लोगों, मजदूरों को, कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता को मौत की खाई की तरफ धकेल रहे हैं। श्रम मंत्री जी कृपया इस पर गौर करें और इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करें। सवाल उठेगा कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्रान्ति की मशाल, इन्कलाबी का मेशाल जलाने के लिए अगर भौगोलिक सीमाएं खड़ी करेंगे, तो इस देश के अन्दर क्रान्ति की मशाल नहीं जल सकती। मैं चाहूंगा कि "लेबर" को केन्द्र का सब्जेक्ट बनाया जाए और स्टेट लिस्ट से इसको हटाया जाए। या तो आप यह कीजिए और अगर यह नहीं कर सकते, तो कम से कम 'लेबर' को कान्क्रेन्ट लिस्ट में तो लाइए ताकि आपके हाथ बंधे न रहें और आप राज्य शासन के मोहताज न रहें।

बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह बहुत अहम है। इस क्षेत्र में सैकड़ों मजदूर इन फैक्टरियों में काम करते हैं चाहे सतना सीमेंट हो, चाहे मैहर सीमेंट हो, चाहे कैमोर सीमेंट या ऐस्बैस्टस हो और चाहे सतना केबिल्स हो। ये जो टाटा और बिरला के अपने कारखाने हैं, उनमें वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जाती और मजदूर तक, लेबरर्स तक बाहर से लाए जाते हैं ठेकेदारों के द्वारा, कान्ट्रेक्टर्स के द्वारा कमीशन के ऊपर। इससे वहां के लोगों में, नौजवानों में बड़ा असंतोष है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस असंतोष को समाप्त नहीं कर पाए, तो शायद इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे और अगर वहां पर कोई आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन इसके विरुद्ध चलेगा, तो मैं पहला आदमी हूंगा जो उसका नेतृत्व करूंगा और आवाज उठाऊंगा। इस देश के अन्दर हम बात करते हैं समाजवाद की और समानता की लेकिन अगर समाजवाद और समानता यही है और बिरला की तिजोरियां इन्सानी लाशों के खून से भरती रहें और हम खामोश खड़े रहें, तो क्या देश में क्रान्ति आएगी और प्रगति होगी। इसका मुकाबला किया जाएगा और देश के कोने कोने में इस अत्याचार

को हम समाप्त करायेंगे। हम लोग कमर कस कर इस अत्याचार को समाप्त करायेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस बात को एग्जामिन करायें और स्थानीय आबादी का कम से कम 75 परसेन्ट यानी वे लोग जो वहां पैदा हुए हों या जिनके मां-बाप वहां पैदा हुए हों, मजदूरों की जगहों पर रखे जायें। हमारा देश एक है और मैं यह नहीं कहता कि आप बिल्कुल दरवाजे बाहर वालों के लिए बन्द कर दीजिए लेकिन कम से कम अनस्किल्ड जाब्स में 75 परसेन्ट लोकल आबादी को लेने की बात कीजिए वरना बहुत कठिनाई के समय को आपको फेस करना पड़ेगा। इतना ही ही नहीं बल्कि मैं आपके नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि वे मजदूर जो वहां काम करते हैं, उनको इन फैक्टरीज में जिन्दा रहने के लिए बेसिक नीड्स भी मुहैय्या नहीं की गई। पीने का पानी तक नहीं मिलता है और यही नहीं बल्कि जो लोग खानों में काम करते हैं, यह दुःख की बात है कि अगर वहां उनकी मौत हो जाती है, वे मर जाते हैं, तो उनकी लाश तक गायब करा दी जाती है ताकि कम्पैंसेशन न देना पड़े और इंक्वायरी न करानी पड़े।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जीतने के बाद पहली बार अपने इलाके में जब महिर नगरी गया तो वहां एक सभा के अन्दर एक बुढ़िया औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक मांग करते हैं कि ये जो बिरला की पत्थर की खाने हैं इनमें अगर हमारा कोई मजदूर मर जाए तो उसकी लाश उसके रिश्तेदारों को मिल जाए ताकि वे उसकी लाश का दाह-संस्कार कर सकें। जहां इतना अत्याचार हो, इतना अन्याय हो वहां किसी प्रकार से भी कोई सिद्धान्त की बात करे तो वह बात चल नहीं सकती है। ऐसे अत्याचार और अन्याय के सामने हम अपनी केन्द्रीय सरकार से भी कोई सिद्धांत की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बातों की ओर आप तुरन्त ध्यान दीजिए और ऐसी बातों को रोकने और कानून पर सही ढंग से अमल करवाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाएं।

मेरे इलाके में स्टील मंत्रालय द्वारा एक यूनिट चलाया जाता है। कमाल की बात यह है कि जो यूनिट स्टील मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है उसमें दो तरीके से मजदूरों की भर्ती की जाती है। एक तो मेनेजमेंट के द्वारा की जाती है और दूसरे ठेकेदार के द्वारा की जाती है। जो भर्ती ठेकेदार के द्वारा की जाती है उसके मजदूरों को मेनेजमेंट द्वारा की गई भर्ती के मजदूरों से एक-तिहाई कम मजदूरी मिलती है जबकि वे तमाम मजदूर एक ही प्रकार का और बराबर का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि इन दोनों प्रकार के मजदूरों को एक-सी मजदूरी मिले। आप इस पर भी ध्यान दीजिए और यह देखिये कि स्थानीय आबादी के लोगों को कारखानों में अधिक से अधिक नौकरी दी जाए। वहां जो बेरोजगार लोग हैं, एजूकेटिड अनएम्प्लायड लोग हैं उनको अधिक से अधिक नौकरियां दी जाएं।

वहां जो धुएं से और डस्ट से पोल्युशन हो रहा है उससे हमें बहुत बुरी हालत का सामना करना पड़ रहा है। सभापति जी आज हालत यह है कि अगर हम वहां जाएं और जाकर के शहर में कहीं खड़े हों तो सीमेंट के कारखाने के धुएं और धूल के बादल छाये हुए हमें मिलेंगे जो कि हमारी रगों में मौत का जहर भर रहे हैं। ऐसी हालत में अगर वहां का कोई नागरिक हमसे पूछे कि आजादी के सूरज की कौन-सी किरण यहां पड़ी है तो उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस सवाल को इस देश और कौम के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया-निशान समझ कर देखें और इसका कोई जवाब तलाश करने की कोशिश करें।

[श्री अजीज कुरेशी]

मैं चाहूंगा और जैसा कि हमारे एक दोस्त ने भी राय दी : •

[अनुवाद]

"विपक्ष ने शिकायत की है कि श्रम मंत्रालय निस्सहाय बन गया है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह श्रम मंत्रालय के कार्य को और प्रभावशाली बनायें ताकि वह श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे मेरे मित्रों को सन्तुष्ट कर सकें।"

श्री दिलीप सिंह भूरिया (मनावुआ) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की जो मांगे यहां प्रस्तुत की गई हैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने मजदूरों के लिए बहुत सारे लाभ के काम किये हैं। मजदूरों के लिये बहुत से कानून बनाये हैं। चाहे एग्रीकल्चरल लेबर हो, चाहे उद्योगों में काम करने वाली लेबर हो, उन सबके लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किये हैं। हमारे युवा प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री राजीव गांधी जी की पूरी शक्ति मजदूरों के कल्याण की तरफ लगी है। वे लगातार हम लोगों से कहते हैं कि हम मजदूरों को जगाएं और जो राइट्स हमने उनको दिए हैं उनके लिए वे आगे आयें और उनका पूरा उपयोग करें।

अभी हमारे कुछ साथी और श्री गुप्त जी भी कह रहे थे कि मजदूरों की यूनियन के लिए वोटिंग होना चाहिए और वोट के जरिये से ही वह बननी चाहिए। सभापति महोदय, हम लोग यहां चुन कर आते हैं और फिर अपने क्षेत्र में जाते हैं और लगातार पांच साल काम करते रहते हैं। लेकिन जब वोटिंग का टाईम आता है तब बहुत जाते हैं। इसी प्रकार से, मैं मजदूर नेताओं की आलोचना नहीं करना चाहता, मजदूरों में भी ऐसे नेता पैदा हो गये हैं जो बात गरीबों की करेंगे और जब उनके लिये काम करने का वक्त आयेगा तो वे फाइव स्टार होटल में ठहरेंगे या कहीं और अच्छी जगह पर ठहरेंगे। हम चाहते हैं कि देश की जो मैनपावर है, जो मजदूर शक्ति है उसका सही उपयोग हो। अगर इस मैनपावर और शक्ति का हमने सही उपयोग किया तो उससे देश शक्तिशाली बन सकता है। नहीं तो हमको इस तरह की दिक्कत आ सकती है। हम किसी इंडस्ट्री को लें, रेलवे को लें, किसी प्राइवेट सेक्टर को लें और उसमें चुनाव करायें और उनके बीच से ही लोगों को लेकर आफिस बियरर बनायें दो-तीन साल के लिए तो उनके ऊपर जवाबदारी पड़ेगी और इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा काम होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर के आदमी आकर अपनी राजनीति वहां पर चलायेंगे, बाहर के लोग उसमें घुस जाते हैं और बिना पढ़े-लिखे लोगों को अपना राजनीतिक हथियार बनाकर उनका उपयोग कर लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे यहां हैं जहां हजारों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। आप लोग भी इस बात का विरोध करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसमें आपकी गलती नहीं है, आप सेंटेनरी सेलीबरेशन से आये हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : हम शताब्दि मनायेंगे, हमको 70 करोड़ जनता ने अपना मत भेजा है, जनता हमको चाहती है। हमारी अगली शताब्दि भी होगी, आप इसकी चिंता मत करिए।

तो ये जो तमाम मजदूरों की समस्यायें हैं, इनको हम सबको मिलकर हल करना होगा। उनको काम देने के लिये, उनको उचित वातावरण देने के लिये हमें काम करना होगा। श्रम विभाग की तरफ से आज बंधक मजदूर कानून बनाया गया है, लेकिन सारी शक्तियां राज्य सरकार के हाथ में दे दी गई हैं। मेरे क्षेत्र से कुछ बंधक मजदूरों को मुक्त कराया गया, लेकिन आज दो साल हो गये हैं, उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। आज तक उनको कोई मदद नहीं दी गई है। यह तो वही बात है कि बकरी को शेर से एक बार छुड़ाकर दोबारा फिर छोड़ दिया जाये, यह बात नहीं होनी चाहिये। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी मदद करिये और इस कानून में राज्य सरकार को बीच में मत लाइये। राज्य सरकार के अन्तर्गत लेबरर को कोर्ट, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेबर कोर्ट में जाना होता है, कमिश्नरी में जाना होता है, जिस मजदूर के पास बच्चों को खिलाने के लिये कुछ नहीं है वह कोर्ट में कैसे जा सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस बंधक मजदूर को मुक्त कराया जाए, उनको पैसा दें, रोजगार दें, तभी वह आपके सामने आएगा। अगर उनको मुक्त कराकर फिर जागीरदारों और जमींदारों, पैसे वाले लोगों के आगे छोड़ दिया गया तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके बारे में मंत्री जी को सोचना चाहिए, कानून बनाना चाहिए तभी काम चलेगा।

मुझे एक बात और कहनी है, आज देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश इक्कीसवीं शताब्दि में जाने वाला है, इस स्थिति में मजदूरों की व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि अमरीका में एक-दो घंटे काम करने पर मजदूर को दो सौ रुपये मिल जाते हैं, लेकिन यहां दिन भर काम करना होता है। आप इस तरह का कानून बनाइये कि जितने घंटे मजदूर काम करेगा, उतनी उसको मजदूरी मिलेगी। आज दिन भर काम लेने पर मजदूरों को 4-5 रुपया दिया जाता है, इतना तो चाय पीने में खर्च हो जाता है, बच्चों को वह क्या खिलायेगा।

असंगठित मजदूर जो गांवों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, जिनका अनाज की पैदावार बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है, उनकी भलाई के लिए आपको सोचना चाहिए। मजदूर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार से आते हैं, किस परिस्थिति में आते हैं, इसको देखिये। ट्रेन में उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। वे किसी तरह से अपने बच्चों को लेकर आते हैं, कई तो रास्ते में ही मर जाते हैं ····(व्यवधान)

4.54 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आप लोगों को उन पर दया नहीं आयेगी, क्योंकि आप लोग कलकत्ता में रहते हैं, इन चीजों के आदी हैं, लेकिन हम लोगों को उन पर दया आती है। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, रास्ते में कई मजदूर मर जाते हैं।

आज भविष्यनिधि की बात की जाती है, लेकिन वह भी संगठित मजदूर के लिए है। जो मजदूर गांवों में हैं, पिछड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं या दिल्ली में आकर फाइव स्टार होटल बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको रहने के लिए कोई घर नसीब नहीं है। कानून बनाये गये हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जो गरीब लोग हैं, जो रेलवे की पटरी

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

बनाते हैं, भवन बनाते हैं, जिन भवनों के अन्दर मीटिंग्स होती हैं, सब तरह की बात होती है, उसमें उस गरीब मजदूर को भी कुछ भाग मिले। इस तरह से मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे काम आन्ध्र प्रदेश में किये हैं। ऐसे सख्त कानून बनायें जिससे गरीब जो मेहनत करता है, उसको अपना हिस्सा मिल सके। उसको कम से कम दो वक्त की रोटी अवश्य मिलनी चाहिए। छह महीने के बाद जब वह घर जाए तो उसको सिर ढकने के लिए मकान भी मिलना चाहिए। आज यह ट्रेडीशन चल रहा है कि अगर बाप लेबर है तो उसका बेटा और आगे आने वाली पीढ़ी भी लेबर ही बनेगी। उसके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। उनके बच्चे पढ़ेंगे तो तभी वे आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप इन कामों के लिए कानून बनायें जिसका सख्ती से पालन हो सके। खानों में काम करने वालों के लिए आपने मिनिमम रेट फिक्स नहीं किया है। उसके बारे में विचार कीजिए। अभी डागा जी ने कहा था और मैं भी कहना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे होटलों में काम करते हैं। उनके माता-पिता को इन्सेन्टिव दीजिए ताकि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम लोग जब होटल्स में जाते हैं तो इन बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। जो ठेकेदार इनको रखते हैं उसके साथ एग्रीमेंट कराइए जिससे इनको मजदूरी तो मिल सके। आज जितने भी मजदूर संगठन हैं उनमें सबसे ज्यादा आदिवासी हरिजनों की पोजीशन खराब है। उनसे कोई बात नहीं करता है। एक ग्रुप में जायें तो दूसरे ग्रुप में भेज देते हैं। इस संबंध में कानून भी बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि इनके संगठनों से बात की जाये जिससे वे कानून का पालन कर सकें। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कानून फालो नहीं किया जाता। मंत्री जी इस बात को देखें कि यह देश मजदूरों का और श्रम शक्ति वाला देश है। हमारी पार्टी और हमारी सरकार इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। मंत्री जी हमारे और मजदूरों के बीच में को-आर्डिनेटर हैं। हमारी पार्टी इन मजदूरों को शक्तिशाली बनाना चाहती है। आप उनकी रक्षा कीजिये। मैं, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : शायद वे सब बातें, जो कि श्रम मंत्रालय की अनुदान की मांगों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिये कही जानी चाहिए, मेरे सहयोगी द्वारा अच्छी प्रकार से कह दी गई हैं। इसलिए मैं उन बातों को दोहराने में सभा का समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं अपने राज्य के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूँ।

5.00 म० प०

जहां तक श्रमिकों की समस्याओं का सम्बन्ध है मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तो उन्होंने माननीय मंत्री श्री अंजैया की यह कहते हुए प्रशंसा की कि वह अच्छे व्यक्ति हैं। और यदि मैंने ठीक से सुना है उन्होंने उन्हें ईमानदार व्यक्ति कहा है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ने हमसे जो कुछ सुना है, चूंकि उनके पास श्रमिकों की समस्याओं का निपटने का उन्हें व्यक्तिगत अनुभव है, उसका उन्हें सहानुभूतिपूर्वक और अनुकूल उत्तर देना चाहिये और मुझे आशा है कि उन्होंने नोट भी तैयार किये होंगे तथा उत्तर देते समय उन्हें हमारे बताये गये सुझावों के बारे में भी कुछ शब्द कहने चाहिए।

मैं ऐसे श्रमिकों की किसी समस्या की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो संगठित क्षेत्र से संबंधित हैं और जो केवल 10 प्रतिशत हैं लेकिन जहां तक देश में श्रमिक शक्ति के 90 प्रतिशत का सम्बन्ध है, जो असंगठित है, उनकी सैंकड़ों समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम को राज्यों में लागू नहीं किया गया है और जम्मू तथा कश्मीर राज्य एक इसी तरह का राज्य है। यदि यह केन्द्रीय श्रम मंत्रालय है तो इसे किसी मुख्य मंत्री, किसी राज्यपाल, किसी आयुक्त की सनक पर श्रमिक समस्याओं को नहीं छोड़ना है यह श्रम मंत्रालय की समस्या है। इस मंत्रालय को स्वयं सन्तुष्ट होना चाहिए कि श्रमिक के साथ बेहतर बर्ताव हो रहा है। मैं यहां इस सदन में दावे के साथ कहता हूं कि राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय श्रमिक की कुछ मुख्य समस्याओं में फंसा हुआ है और इसने राज्यों में स्थिति का जायजा लेने की परवाह नहीं की है श्रमिकों को जो वेतन मिलता है वह निर्वाह वेतन है लेकिन वह बहुत कम है। वह उनके लिये पूरी तरह से अपर्याप्त है। वे अपने आप जीवन निर्वाह का स्तर निर्धारित करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह गरीबी रेखा से नीचे ही नहीं है बल्कि यह भुखमरी स्तर से भी नीचे है। अतः मंत्रालय को उस भुखमरी स्तर की स्थिति को समझना चाहिये। जब हम महिला श्रमिक की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुर्भाग्यवश वे असंगठित क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन प्राप्त करती हैं। इसके बाद जैसा कि श्री डागा ने पहले बतलाया कि बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है। अतः कई सैकड़ों समस्याएं हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं और मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन यह तो इनको दोहराना ही होगा, क्योंकि इस मामले में हम दोनों पक्षों का मत एक है। यदि विभिन्न मांगों पर मैंने चर्चा को ध्यान से सुना है तो आज यहां दोनों पक्षों की बात से सहमति हुई है कि श्रमिक की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, मैंने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है और मंत्रालय के इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि कहीं भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक या दो क्षेत्र लाना चाहता हूं जिनको शायद आप अभी तक नहीं जान पाये हैं। उसमें से एक क्षेत्र हस्तशिल्प कालीनों, शालों के निर्माण कशीदाकारी आदि का है। इन कार्यों में बाल श्रमिक लगे है। और मुझे कालीनों, हस्तशिल्प की वस्तुओं शाल आदि के निर्माण में लगे बाल श्रमिकों के लिये घोर आपत्ति है। यह मुसलमान या हिन्दू में से कोई भी हो सकता है जो बाल श्रमिकों का शोषण करता है, क्योंकि जब आप श्रमिकों का शोषण करते हैं तो आप अपना धर्म भूल जाते हैं। अतः इन वस्तुओं के उत्पादन में जम्मू और कश्मीर में बाल श्रमिकों की नियुक्ति पर मुझे गम्भीर आपत्ति है। यह आपत्ति मेरी इस आस्था से है कि शिक्षा का स्तर महान है। वे कुछ मजदूरी, कुछ पैसा रुपया कमाने के लालच में आ जाते हैं और यह उनके जीवन को बर्बाद कर देता है तथा वे कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं मेरे राज्य में एक विवाद हुआ था। शायद किसी समय यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर आ जायेगा। कुछ लोगों का विश्वास है कि भारत एक पिछड़ा देश है और इसे आर्थिक दृष्टि से उन्नति करनी चाहिये। मैं अर्थ शास्त्र का छात्र रहा हूं लेकिन अर्थशास्त्र मूल वस्तु नहीं है। विकास के लिए शिक्षा एक मूल वस्तु है। यदि हमारे देश में अनपढ़ लोग होंगे तो उनके दिमाग में विश्वास की बात ही नहीं आएगी। अतः एक वर्ग के रूप में इन बच्चों को जिन्हें नियुक्ति, सरकारी मिलों में भी नियुक्ति, में प्राथमिकता दी जाती है, उनका शोषण किया जाता है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि वे बच्चों के लिये बहुत कम वेतन निर्धारित करेंगे। इसलिए छोटी उम्र में पैसा कमाने का लालच करने से उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है और उन्हें

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़]

कोई शिक्षा नहीं मिलती है। अतः श्रम मंत्रालय को उनकी शिक्षा पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि इस समस्या को ध्यान में रखा जाये तथा उन्हें मुक्ति दिलाने तथा शिक्षित करने के लिये प्रभावी उपाय किये जायें, केन्द्रीय श्रम मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। मंत्रालय को इस दिशा में विशेष उपाय करने चाहिये।

दूसरी समस्या रक्षा क्षेत्र में श्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर राज्य में सेना के श्रमिकों और स्थानीय लोगों के बीच बहुत मैत्री पूर्ण संबंध हैं। वहां दोनों के बीच प्रभावी समन्वय है। जब कभी सेना को लोगों की मदद की आवश्यकता होती हो तो उनको सेना की मदद करनी चाहिए लेकिन जहां तक श्रमिक का सम्बन्ध है मंत्री जी को तथ्य से अवगत होना चाहिए कि रक्षा विभाग द्वारा नियुक्त श्रमिक का बुरी तरह से शोषण किया जाता है। आप इसे किसी ब्रिगेडियर या एक कर्नल की इस सनक पर नहीं छोड़ सकते कि वेतन के रूप में कितनी धनराशि दी जाएगी। यही नहीं मुझे दो तार भी मिले हैं जिन्हें मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं उन्हें आज लाना भूल गया हूँ। कभी-कभी ये बातें शून्य काल में रंग और गर्मी लाती हैं लेकिन चूंकि यह बहुत गम्भीर समस्या है। मैं माननीय मंत्री के साथ इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। कल मैं आपको ये तार दिखाऊंगा। रक्षा सेवाओं द्वारा नियुक्त श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम ही नहीं है बल्कि उन्हें यह मजदूरी असाधारण विलम्ब से भी दी जाती है। एक तार मैंने उड़ी क्षेत्र से प्राप्त किया है और दूसरा बनयार से। इन तारों में यह उल्लेख है कि इस वर्ष के 15 अप्रैल तक उन्हें पिछले पांच महीनों की मजदूरी नहीं मिली एक तरफ तो दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम है और दूसरी तरफ कई महीनों से अनुदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में श्रमिक किस प्रकार जिन्दा रहेगा ?

प्रो॰ एन॰ जी रंगा (गुंटूर) : क्या उनकी नियुक्ति सीधे की गई है या ठेकेदारों के द्वारा की गई है ?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ : यह कोई बात नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से पैसा आना है। अन्यथा तार दिल्ली नहीं आते। उन्होंने चालाकी नहीं सीखी है। वे ईमानदार लोग हैं। वे गरीब लोग हैं। वे राजनीति नहीं जानते हैं। उन्होंने यहां तार इसलिये भेजे हैं कि पिछले पांच महीनों से इन्हें मजदूरी नहीं मिली। गुरेज, तुलोल, कन तथा करनाह के बारे में स्थिति यही है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री उनके लिये समुचित मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मैं उनसे कम से कम यह देखने के लिये अनुरोध करता हूँ कि जो कुछ मजदूरी पहले से नियत की गई है इसे यदि साप्ताहिक आधार पर नहीं तो कम से कम प्रत्येक महीने उसका भुगतान तुरन्त किया जाना चाहिए, क्यों कि यह वह वर्ग है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहा है। लेकिन यदि आप इसे साप्ताहिक नहीं कर सकते तो कम से कम यह देखें कि उन्हें प्रति महीने मजदूरी प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि वे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं।

अन्त में एक मुद्दा और है। आपने मेरे राज्य में अभी तक क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय नहीं खोला है। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास संगठित बैंक क्षेत्र, संगठित बीमा क्षेत्र है। निच्चाना क्षेत्र में हमारे पास खानें, कोयले की खानें भी हैं। इसलिए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए श्रम आयुक्त का कार्यालय आवश्यक है।

मैंने केवल दो या तीन सुझाव दिए हैं। मुझे आशा है कि आपका उत्तर बहुत सहानुभूतिपूर्ण और अनुकूल होगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, लेबर डिपार्टमेन्ट के बारे में माननीय मंत्री जी द्वारा रखी गई डिमांडज का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

आज देश के बेरोजगार कार्यालयों में जितने नाम भी दर्ज हैं, उन सबको रोजगार देने की कोशिश हम करें तो वह अच्छी बात होगी, लेकिन हो क्या रहा है ? आज मजदूरों के साथ भी रोजगार कार्यालयों में अन्याय हो रहा है। मुझे बताया गया है कि बहुत से लोग रिश्वत खाकर अपनी मर्जी के आदमियों को रोजगार कार्यालयों से साक्षात्कार के लिए भेजते हैं। यह बड़ा भारी अन्याय है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर ठीक ढंग से रजिस्टर मेन्टेन किया जाना चाहिए ताकि उन बेचारों को रोजगार प्राप्त हो सके जो उसके मुस्तहक हैं।

मैं हिमाचल से आता हूँ और मेरा क्षेत्र शिमला है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे श्री नामग्याल जी जैसे लद्दाख से चुनकर आते हैं उनका क्षेत्र भी, बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी उद्योग हिमाचल में स्थापित किए जा रहे हैं, वह सब बार्डर पर हैं। इनकी सीमाएं पंजाब, हरियाणा और यू० पी० से लगती हैं। हिमाचल के लोग लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं, उनको उसका लाभ नहीं पहुँच रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो सैंट्रल सैक्टर में आपने वहाँ कारखाने खोले हैं, चाहे सीमेन्ट का हो या कोई और बड़ा उद्योग हो, उनमें कम से कम वहाँ के आदमियों को रोजगार जरूर मिलना चाहिए। उनके लिए होटल होने चाहियें ताकि मजदूर वहाँ पर ठहर सकें। आजकल जिस तरह से क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया है, उसमें सारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को बड़ी बेकारी का सामना करना पड़ रहा है।

अगर किसी की कोई फसल पैदा होनी है तो दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र से सड़क तक लाने के लिये बहुत खर्चा उसे करना पड़ता है। एक क्विंटल आलू के लिए उसे 9, 10 रुपये खर्च करना पड़ता है, और दिल्ली तक पहुँचाने के लिये अलग भाड़ा देना पड़ता है। सारे के सारे लोग वहां पर इसके शिकार होते हैं, उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता है। भारत सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे काश्मीर का हो, नागालैंड, मिजोरम या सिक्किम हो या उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र हो, सब जगह सड़कों का अभाव है। वहां पर जो थोड़ी रेलवे लाइन बिछी हुई हैं, उसमें भी बाहर से आदमी आये हुए हैं, वह लोग रोज हमारे पास ट्रांस्फर के लिए आते रहते हैं। कोई बिहार का होता है, कोई बंगाल का होता है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र का कोई आदमी रेलवे में नौकर नहीं है। अगर हैं भी तो बहुत कम एक या दो परसैंट होंगे।

मेरा कहना है कि हमारे सीमा क्षेत्रों में आप कोई ऐसा बन्दोवस्त करिये कि उसमें उसी राज्य के लोग लगने चाहिए कर्मचारी के रूप में।

हमारी सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। खेती मजदूर को 5 बीघा जमीन एलाट की गई है, बंधुआ मजदूरी खत्म की गई है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं। बड़े-बड़े अच्छे स्कूलों में बड़े घरानों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मेरा कहना

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

है कि जो बच्चे गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, उनको भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा देने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये ताकि मजदूरों के लड़के भी बड़े-बड़े अफसर बन सकें और ऊंची जगह वह भी प्राप्त कर सकें। सबको इस प्रकार का मौका मिलना चाहिए।

जहां तक बैंकों का ताल्लुक है, उनमें भी हमारे राज्य के लोग कर्मचारी नहीं लगते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को नहीं रखा जाता है। सरकार को सोचना चाहिए कि क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो वहां के लोग वहां पर रह सकते हैं. उनको वहां पर जगह मिलनी चाहिए ताकि उन्हें फायदा हो। उनकी वहां पर नियुक्ति होनी चाहिए, उनके लिए अलग बोर्ड होना चाहिए ताकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का उनसे सम्बन्ध हो, ज्यादा से ज्यादा वहां के लोग बैंकों में भी लग सकें।

आजकल वहां बड़े-बड़े होटलों में कौन लोग ठहरते हैं? वह ठहरते हैं जो मजदूरों के नेता बनने की कोशिश करते हैं।

यह कहते हैं कि चुनाव इस तरह से होना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि यह सारे के सारे मजदूरों को दिखावा करते हैं। इनकी मजदूरों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यह केवल दिखाने के लिए ही आंसू बहाते हैं।

मान्यवर, अगर आप राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप मजदूरों को ऐजीटेशन की तरफ न ले जायें, बल्कि उनको समझायें कि उससे क्या बुरा असर पड़ता है। मैंने यह देखा है कि जहाँ कहीं भी ऐजीटेशन चलता है वहाँ पर उनका कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। उनको उस राज्य की सरकार के खिलाफ ही भड़का दिया जाता है, जिससे वह कहने लगते हैं कि यह सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए इसको भंग कर दिया जाये। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इससे अच्छी सरकार उन्हें और हक नहीं दिला सकती है। यह कांग्रेस की सरकार है। यह समाजवाद में विश्वास करती है। जितने भी हमारे बुजुर्ग नेता हुए हैं सबने इनके उत्थान के लिए आवाज उठायी है। इसी का नतीजा है कि आज उनका सम्मान है, वह अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मुझे गुप्ता जी की यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि यह विभाग नपुंसक है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर वह नपुंसक होती तो मजदूरों की भलाई के लिए उसने जो कार्य किया है, वह न होता। उन्होंने यह पार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग गलत तरीके से किया है। उन जैसे विद्वान को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता है। हमारे मन्त्री जी मजदूरों की भलाई बुराई को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने हमेशा मजदूरों का भला ही चाहा है। यह विरोधी दल वाले मजदूरों के दुख-दर्द को क्या जानेंगे, यह तो 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं।

महोदय, अगर आप चाहते हैं कि देश के निर्माण में मजदूर भागीदार हों तो उनको और ऊपर उठाने के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। हमारे डागा साहब ने जो कुछ कहा, मैंने उसको सुना। वह अखबार बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उसमें सरकार के खिलाफ लिख दिया जाता है, उसमें उन्होंने पढ़ लिया होगा।

यह मैं मानता हूँ कि विश्व भारती के साथ ज्यादती हुई है, उसको फंड मिलना चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर के जितने कारखाने हैं, उसमें घाटा इसलिए होता है कि मैनेजमेंट में मजदूरों को भागीदार नहीं बनाते हैं। उसमें वह भी भागीदार बन सकें, इसको आप देखें। आप उन जगहों में आई. ए. एस. अफसरों को नियुक्त कर देते हैं। जिनको मजदूरों की तकलीफों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आपको इस तरफ भी तवज्जह देनी चाहिए। हिन्दुस्तान में रोजगार प्राप्त करने के लिए करोड़ों आदमियों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में होंगे लेकिन कितने ही आदमी जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज में होंगे लेकिन कितने ही आदमी जो एम्पलायमेंट एक्सचेंज को नहीं जानते वह गांवों में घूमते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। आज भी फर्क यह है कि जो पक्का रेगुलर मजदूर है उसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है और जो बेचारा रेगुलर नहीं है उसको कम मिलती है। वह दस रुपये रोजाना की मजदूरी पर गुजारा करता है और जो रेगुलर होता है उसको 7-8 सौ रुपये महीने मिलते हैं। तो यह विभाजन जो है यह भी नहीं होना चाहिए। आप रेलवेज के मजदूर को ले लीजिए या बैंक के कर्मचारियों को ले लीजिए, माली को ले लीजिए या क्लास थ्री के एम्पलाई को ले लीजिए उन की तनख्वाह ज्यादा होगी और जिनको डेली वेजेज पर रखा हुआ है उनको कुछ और मिलता होगा। इसमें भी एक पालिसी होनी चाहिए ताकि सब लोगों को एक जैसा रोजगार प्राप्त हो सके। जिनको आप दफ्तरों में बाबू लगाते हैं उनको 14 रुपये पचास पैसे दिहाड़ी के देते हैं और जो पक्के होते हैं वह हजार, नौ सौ या बारह सौ लेते हैं। उनमें और इनमें क्वालिफिकेशन में फर्क नहीं होता है। क्वालिफिकेशन तो एक होती है। जो मास्टर रेगुलर है वह 11 सौ, 12 सौ मासिक तनख्वाह लेता है जो कि मैट्रिक होता है और जो बी. ए. करके मास्टर लगना चाहता है उस बेचारे को डेली वेजेज पर वही 14 रुपए पचास पैसे मिलेगा। इसको भी एक जैसा, एक समान करना चाहिए ताकि राष्ट्र में यह भावना पैदा न हो कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है।

हमारे और बहुत से साथियों ने बहुत सारी बातें अच्छी तरह से आपको बतायीं। एक बात जरूर मुझे कहनी है कि जो हमारे पहाड़ों में टेलीफोन के कर्मचारी काम करते हैं जिनको लाइन मैन कहते हैं, उनके लिए 9, 8 या 5 किलोमीटर निर्धारित है कि इतनी एरिया में जो टेलीफोन के खम्भे हैं उनको वह देखता है। अब वहां बरफ पड़ जाती है और फिर एक पहाड़ बहुत ऊंचा है, उस पर चढ़ने और नीचे उतरने में काफी परिश्रम लगता है तो वह तो कभी टेलीफोन व्यवस्था ठीक नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको ज्यादा मुलाजिम रखने चाहिए। इस तरफ भी लेबर मुहकमे को देखना चाहिए क्योंकि एक आदमी जिसको आपने कर्मचारी नियुक्त किया है उसको ठीक प्रकार से गरम वर्दी तक नहीं मिलती है। उसको ठीक वर्दी मिलनी चाहिए ताकि वह अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। इसी तरह रेलवे में भी मैंने देखा है। रेलवे जो कालका से शिमला चलती हैं या और भी जितनी छोटी-छोटी रेलवे लाइन पहाड़ों में हैं चाहे वह ब्रिटिश सरकार ने ही बनाई हुई हैं, आपने तो बहुत कम बनाई हैं, उनमें भी उन कर्मचारियों को ठीक वर्दी नहीं पहनायी जाती है जिससे वह सर्दी में अपना काम ठीक तरह से बिलकुल ही नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें मैंने कही हैं इनकी तरफ आप ध्यान दीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो आपने समय दिया है उसके लिये आभारी हूं। मैं दो तीन प्वाइंट्स रखना चाहता हूं। मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य ने अभी जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि लोकल लोगों को एम्पलाय-

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

मेंट नहीं मिलता है। यह सही बात है। चाहे एन. टी. पी. सी. हो या और दूसरा उद्योग हो, जितने भी केन्द्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से उद्योग खोले जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर के उद्योग होते हैं उनके अन्दर जो मैनेजमेंट होता है, जो उनके परसोनिल मैनेजर होते हैं वह अपने प्रदेश से या अपने गांवों से लाकर लोगों को वहां रखते हैं और स्थानीय लोगों को एम्पलायमेंट से वंचित रखा जाता है। इससे वहां के लोगों में काफी एजीटेशन हो रहा है।

कमलानगर, नगरम थापर कम्पनी की आन्ध्र प्रदेश की फैक्ट्रीज में एजीटेशन चल रहा है वहां पर नौ तारीख से माल देने से रोका जा रहा है। राज्य सरकार उद्योग को बढ़ाने के लिए जमीन और पानी कनसैशनल रेट्स पर देती है, जिससे लोकल लोगों को वहां पर रोजगार मिल सके। लेकिन मैनेजमेंट के लोग अपने-अपने लोगों को ले आते हैं, इससे वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। जिन लोगों की जमीनें गई हैं, उनको नौकरी न देने से वे लोग बहुत परेशान हैं। इसलिये उनको नौकरी देना बहुत जरूरी है।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि एक उद्योग में एक यूनियन होनी चाहिये। कई-कई यूनियन होने की वजह से और उनमें झगड़ा होने की वजह से वहां की मैनेजमेंट उसका फायदा उठाती है।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : आप सम्बन्धित मंत्रालय पर बोलिए।

....(व्यवधान)....

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं जब भी बोलता हूं, पनिका जी मेरे आड़े आ जाते हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक उद्योग में एक यूनियन होनी चाहिए। आपको ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे एक उद्योग में एक यूनियन हो और दो-तीन साल के बाद सरकार की ओर वैरीफाई कराकर मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत वर्ष में बीड़ी मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय है। इस एक्ट के अन्दर बीड़ी मजदूरों को आइडेंटीफाई कार्ड देकर उनको नौकरी देनी चाहिए। कपड़े के उद्योग के लिये भी आपको कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। एक सुझाव मेरा यह भी है कि आपको मजदूरों को उद्योगों में भागीदार बनाना चाहिये, इससे उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे बहुतसे दोस्तों ने काफी मशिवरा दिया है, इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक बात आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जो कारखाने हैं, वे तो बड़े पूंजीपतियों की मदद से चलते कारखाने हैं। लोकल कैपिटलिस्ट्स की इन्डस्ट्रीज यहां पर हैं। दूसरे मुल्कों में जो इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, यूरोप और एशिया के हिस्सों में, वह बड़ी इण्डस्ट्रीज में आया। 25-30 साल से हम लोग इन्डस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों

ही क्षेत्रों में। जहां तक मैं समझता हूँ, पब्लिक सैक्टर में मजदूरों की समस्यायें हैं और वे कलैक्टिव बारगेनिंग से तय हो रही हैं। वहां पर काफी फैसिलिटीज दी जा रही हैं और किसी प्रकार की कोई बाधा नहो हैं। यह ठीक है कि कुछ कैजुअल लेबरर्स की बात है, कुछ कान्ट्रैक्ट लेबरर्स की बात है, उसको एबालिश करने के बारे में हम इन्सिस्ट करेंगे और जहां तक हो सकेगा यह हमारी कोशिश रहेगी।

जहां तक पब्लिक सैक्टर का ताल्लुक है, वहां पर लेबर के साथ कोई अन्याय हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। यह ठीक है कि वहां कुछ मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से जितनी प्रोडक्शन मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। यह सुनकर मुझे अफसोस होता है कि कई पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्ज में लासेज कर रहे हैं। आज जो समस्या है वह ज्यादातर प्राईवेट सैक्टर की वजह से है ऐसी बहुत सी इण्डस्ट्रीज हैं जो करोड़ों रुपया कमाती आई हैं। हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वे लोग उन नैचुरल रिसोर्सेज को धन बनाने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कोयले के कारखानों का तो नेशनलाइजेशन हो गया है, लेकिन जैसे सीमेंट की इण्डस्ट्रीज हैं, वे पहाड़ खोदती जा रही हैं और इस तरह से पहाड़ खोदे जा रहे हैं तो आने वाली जैनरेशन को वहां पहाड़ नहीं मिलेंगे और उस वक्त सीमेंट का बनाना खत्म हो जायेगा। इस दौलत का फायदा मुल्क को होना चाहिए था, लेकिन आज वह दौलत मुल्क के पास आने के बजाय पूंजी-पतियों के हाथ में जा रही है और ये पूंजीपति उसका इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं। हमारे माइका-माइन्ज हैं, जिस तरह उनको खोद रहे हैं तो आने वाले जेनरेशन के वक्त ये हमें जुगराफिये में लिखना पड़ेगा कि यहां पर माइका-माइन्ज हुआ करती थी। इस तरह का काम आज मुल्क में हो रहा है। शुरु में इन लोगों की यह आदत रही है कि कम से कम वेजज दिए जायं। हिन्दुस्तान में इण्डस्ट्रीयल वर्कर्स और दूसरे वर्कर्स में कोई फर्क नहीं समझते हैं। जैसे बाण्डेड लेबर रखी जाती थी वैसे यहां भी मजदूरों को रखा जाता है। इन्दिरा गांधी की गवर्नमेंट की वजह से बाण्डेड लेबर को किसी हद तक रिहैबिलिटेट कर सके हैं, लेकिन जो लेबर प्राईवेट सैक्टर में है उसकी समस्यायें अभी भी हमारे सामने हैं। अभी जैसे हमारे कुछ साथी कह रहे थे— जो मल्टी नेशनल्ज हैं उनकी वजह से भी बहुत प्राबलम्ज हैं, जैसे तम्बाकू की फैक्ट्रीज कुछ बन्द हो गई हैं। यह तो वह हालत है कि मुनाफा तो खाते चलो, लेकिन जहां प्राब्लम आये तो शकुन्तला के बच्चे की तरह से कह दो कि मेरा नहीं है।

प्राईवेट सैक्टर की तो यह हालत है कि आज कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कुछ दिन मान लीजिए बिहार में लैबर सस्ती है या किसी और जगह सस्ती है तो वहां शिफट करने की कोशिश करते हैं। यह हमारे लिए बड़ी तकलीफ-दे बात है। हमारे इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कुछ कहा— आप मेहरबानी करके यह समझने की कोशिश कीजिए कि इस मुल्क में जवाहरलाल नेहरू एक पीसफुल रेवोल्यूशन लाये....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने नहीं कहा है।

श्री टी० अम्बैया : हम लोग कह रहे हैं। उस पीसफुल रिवोल्यूशन का हिन्दुस्तान की आजादी से ताल्लुक है। उस पीसफुल रिवोल्यूशन से हमने राजा-महाराजाओं, जमीदारों, जागीर-दारों को हटाया। अब इस मुल्क में सरमायेदार, सरमायेदारों से मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये खून चूसने का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से कैपिटलिज्म का तरीका है, अब हमारी लड़ाई उससे हो रही है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि यह काम कल ही हो

[श्री टी० अजैया]

जाने वाला है, मेरे पास कोई जादू-मन्त्र नहीं है । लेकिन मैंने सोशलिस्ट कन्ट्रीज के अन्दर देखा है वहां उद्योगों का नेशनलाइजेशन किया गया और उससे वहां का स्टैण्डर्ड बढ़ा है और इसके लिए मैं उनको मुबारकवाद देता हूं । मैंने सोवियत यूनियन में, ईस्ट जर्मनी में देखा है, लेकिन वहां की बात दूसरी है और यहां के हालत दूसरे हैं । आप जानते हैं कि यहां राजे-महाराजे, जमींदार, जागीरदार, कितने-कितने लोग थे जिनको हटाना पड़ा । तो यह आसान बात नहीं थी । आज हम इण्डस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें जो दूसरे मुल्क हैं, वे मुल्क हिन्दुस्तान की तरक्की पसन्द नहीं करते और उसके सामने हर तरह की तकलीफ पैदा कर रहे हैं ।

ये जो प्राईवेट सैक्टर वाले हैं, इनका दिमाग, इनकी बुद्धि सीधे ढंग से समझने वाली नहीं है क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि इन लोगों को हम लोगों का खून चूसना आता है । आप जानते हैं कि जिस तरीके से पं० जवाहरलाल नेहरू ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने काम किया और अभी जो हमारे नौजवान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैंने बात की और वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करते कि मिल बन्द हो जाए और उसमें लाक-आउट या क्लोजर हो जाए । इस चीज को रोकने के लिए हम कानून में तब्दीली करेंगे तो उसमें कुछ दिन लगेंगे और किस तरह से वह हो सकता है, यह देखना पड़ेगा ।

जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अफसर अच्छे भी हैं और कुछ पुराने ढंग के भी हैं और पुराने ढंग के जो लोग हैं, आप जानते हैं, वे अनएटेच्ड रहते हैं, नान-कमिटेड रहते हैं । जो अच्छे अफसर हैं, उनसे बार-बार हम स्थिति को सुधारने के लिए कहते हैं । जैसे प्रोवीडेंट फण्ड का केस है । हम जानते हैं कि इसमें 11 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 100 करोड़ रुपये का घोटाला है और वे कौन हैं जो ऐसा करते हैं । 99 पर सेंट प्राइवेट सैक्टर वाले हैं और जिनका बड़ा नाम है । वे दवाखाना बनाने के लिए या स्कूल के लिए पैसा नहीं देते हैं बल्कि वे बड़े बड़े मन्दिर बनवाते हैं । भगवान की मैं भी पूजा करता हूं मगर लोगों के सामने वे इस तरह का नक्शा पेश करते हैं ।

वेज पालिसी के बारे में कहा गया कि कलक्टिव बारगेनिंग हो । ठीक है, हम उसमें कोई दखल नहीं दे रहे हैं, मगर इस मुल्क में कलक्टिव बारगेनिंग कहां तक चल रही है । वह कितनी सक्सेसफुल हो रही है, यह आप मुझे बताइए । हम लोग जो गवर्नमेंट के हैं और मित्र देशों से सहयोग लेकर जो फैक्टरीज हमने लगाई हैं, आप जानते हैं कि वहां कोई झगड़ा नहीं है । मैं टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्री और हैण्डलूम इण्डस्ट्री की बात कहता हूं । क्या आप चाहते हैं कि स्टेट टू स्टेट अलग वेज पालिसी हो, जिससे मुल्क को फायदा न हो और वे लोग इधर उधर और उधर से इधर इंडस्ट्री शिफ्ट करते रहें और इस तरह से उनको पैसा कमाने का मौका मिले । हम चाहते हैं कि मजदूरों को ठीक वेजेज मिलें और इसलिए हम चाहते हैं कि तीन साल में वेज रिवीजन होना चाहिए । आप कहते हैं कि कलक्टिव बारगेनिंग में हम दखल कर रहे हैं । हम दखल कहां कर रहे हैं ? आप कोयला वालों से बात करते हैं, रेलवेज से बात करते हैं और सेटिलमेंट होता है, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं । जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट चला रही है, उन इंडस्ट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है मगर जो प्राईवेट इंडस्ट्री हैं, उनमें वेजेज का झगड़ा है । अब वेजेज के बारे में झगड़ा होता है, तो क्या हो रहा है । एक जगह एग्रीमेंट 50 रुपये देने का होता है और दूसरी जगह 40 रुपये देने का एग्रीमेंट होता है । यह क्यों होता है, इसके बारे में लेबर के लीडर्स को सोचना चाहिए ।

इस मुल्क के अन्दर अगर कोई टिकट लेकर चलेगा, तो उसकी कीमत सबके लिए बराबर रहेगी। कोई बाथ लेगा, तो उसकी एक ही कीमत होगी। और अगर कोई अलमारी लेगा, तो उसकी कीमत सबके लिए एक होगी। अब वेजेज के बारे में ट्रेड यूनियन लीडर्स कहते हैं कि हमारे ऊपर छोड़ दो, तो इसका मतलब क्या है। आप क्या इतने होली हैं कि आपके ऊपर सब छोड़ दें। अब अगर कोई बोर्ड बनता है या कमीशन बनता है, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, एम्पलायर्स रहेंगे, एम्पलाइज रहेंगे और एक्सपर्टस रहेंगे और उसके बाद वेज डिसाइड होगा। जो अच्छी इण्डस्ट्रीज हैं उनके एसेट्स और रेवेन्यूज को देख कर तन्खवाह मिलेगी लेकिन अगर आपके ऊपर छोड़ देते हैं, तो क्या इण्डस्ट्रिम पीस रहने वाली है। अगर—इण्डस्ट्रियल पीस लानी है, तो वर्कर्स को मालूम होना चाहिए कि क्या तन्खवाह मिलेगी। उसको मालूम ही नहीं है कि क्या वेजेज मिलने वाले हैं। किसान और मजदूर आज हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी प्राबलम्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए।

हमारे राव बीरेन्दर सिंह जी कहते हैं कि राइस की पालिसी है, ज्वार की पालिसी है, गेहूं की पालिसी है। क्या हम वर्कर्स के बारे में उनके मसलों को मालिकों पर ही छोड़ दें? जिससे कि वे आपस में झगड़ा करें और फैक्ट्री बन्द हो जाय, वह लिक्विडेशन में चली जाए। उनकी ग्रेच्युटी डूब जाए, और सब कुछ डूब जाए। इससे कोई मसला हल नहीं होता है।

आज कई इन्डस्ट्रीज हैं जो ग्रेच्युटी नहीं दे सकती हैं। वे लिक्विडेशन में ले गए हैं जहां ग्रेच्युटी मिलती नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ग्रेच्युटी कि ऐसी स्कीम बने जिस तरीके से प्रोविडेन्ट फण्ड जमा होता है ग्रेच्युटी भी हर साल की जमा हो जाए और अगर फैक्ट्री डूब जाए तो भी ग्रेच्युटी का पैसा तो मिल जाए। इसमें हम आप लोगों का सहयोग चाहते हैं।

जो इन्श्योरेंस स्कीम है उसमें बहुत सी खामियां हैं। उनके बारे में हमने स्टडी किया है। अब डाक्टर्स हमारे कन्ट्रोल में नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट के डाक्टर्स हमारे कन्ट्रोल में नहीं हैं। अगर किसी को कैंसर हुआ, या किसी को किडनी का ट्रांसप्लान्टेशन होना है, या किसी को टी. बी. हो गई है तो उसको डाक्टर कह देते हैं कि अस्पताल में जाइए। जब वह अस्पताल में जाता है तो अस्पताल वाले कहते हैं हम एडमिट नहीं करते। हम लोग इसके लिए भी कह रहे हैं कि आप फुल्ली इन्डीपेन्डेन्ट पेशियेन्ट स्कीम बनाइये जिसके जरिए से रिटायर होने के बाद भी उन लोगों को दवायें मिल सकें। रिटायर होने से पहले दवायें मिलती ही हैं लेकिन आफ्टर रिटायरमैंट भी मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है। उस वक्त उनको तन्खवाह भी नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्कीम बनायें जिसकी मदद से आफ्टर रिटायरमैंट भी मेडिकल एड मिले।

इसी तरीके से हम चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हैं। हमारे जो नए सैक्रेटरी श्री भटनागर हैं, उनसे हमने कहा है कि चिल्ड्रंस की इन्श्योरेंस स्कीम का पूरा पैसा देना है। ऐसा हम कोई कानून लाना चाहते हैं जिसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा भी हम सोच रहे हैं कि अगर चिल्ड्रन बीमार पड़े तो उसकी तन्खवाह भी मिल सके, दवायें भी मिल सकें।

इसी तरीके से हम वीमेंस के बारे में सोच रहे हैं। वीमेंस के बारे में भी हम एग्जेम्पशन कर सकते हैं।

अब हम कुछ सोशलिस्ट कन्ट्रीज की तरफ देखते हुए हम इस बात को करना चाहते हैं कि तमाम वर्किंग क्लास के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाय जिससे कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून बने जिसमें प्रोविडेण्ट फण्ड और दूसरी तमाम बातें आ जाएं।

[श्री टी० अंजैया]

जहां तक प्राईवेट सैक्टर का सवाल है, मैंने उन लोगों की मीटिंग बुलाई थी। प्राईवेट सैक्टर वालों का यह कहना है कि हमारे पास कुछ गुण्डे लोग हैं, लेबर को सताने वाले लोग हैं। वे यह भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छे लोग भी हैं। वे यह मानते हैं। मगर वे यह कहते हैं कि हमारे यहां वायलेंस की जरूरत नहीं है। यह बात मैं दत्ता सामंत या किसी और की तरफ देख कर नहीं कह रहा हूं। मगर इस मुल्क के अन्दर वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है। वायलेंस करने से इस मुल्क को कोई फायदा नहीं होता है। बल्कि वे लोग यूनियन के आफिस बियररर्स को डिस मिस कर देते हैं। आफिस बियरर्स को डिसमिस करने के बाद अपोलोजी देकर उनको फिर वापस लेने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि वर्कर्स को डिमान्ड्स दूर हो जाती है और एक दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। जब किसी यूनियन का जनरल सैक्रेटरी या कोई दूसरा आफिस बियरर डिसमिस हुआ होगा तो एग्रीमैंट कैसे होगा। ऐसी हालत में एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वायलेंस न हो।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य प्रदेश) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है। इस सदन में परसों और आज हुई चर्चा के दौरान, हमने कुछ विशिष्ट मामले उठायें हैं, न केवल स्वयं मैंने अपितु विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी विशिष्ट मामले उठायें हैं और वे ये हैं कि कपड़ा उद्योग के तीन लाख मजदूर बेकार हैं और बम्बई में ऐसे 50 कारखाने हैं जो बन्द कर दिए गए हैं। कामगारों की ओर से कोई आंदोलन नहीं किया गया है, परन्तु प्रबन्धकों ने स्थिति का दुरुपयोग किया है। मैंने उल्लेख किया है कि मजदूरों की सहायतार्थ किसी श्रम विधान को लागू नहीं किया जा रहा है। वह सहानुभूति रखते हैं और कह रहे हैं कि निज क्षेत्र बहुत से बुरे कार्य कर रहा है देश भर में लगभग 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त : मैंने अपने भाषण के दौरान विशिष्टि मामले उठाये थे, जिनको आपने नोट कर लिया है। मेरा कहना था कि देश में 50% ठेका श्रमिक हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मन्त्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री टी० अंजैया : मैं आपके बारे में स्पेसिफिकली कह रहा था। (**व्यवधान**) जहाँ तक हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि बगैर झगड़े के, बगैर हड़ताल के समस्याएं हल हों। लोगों ने कहा कि हम हड़ताल का राइट छीनने जा रहे हैं, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस तरह का कोई बिल नहीं लाया जा रहा, न ही ऐसा कोई बिल आगे आने वाला है। इस तरह की बातों की उम्मीद मत रखिए। हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें कैपटलिस्टों का सपोर्ट करने की बात नहीं है, शुरू से ही मैं यही कहता आ रहा हूं। इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्री चलानी होगी, जिस तरीके से दूसरे देशों में इंडस्ट्री चलती है, उसी तरह से यहां भी चलेगी। वेज पालिसी के बारे में जरूर कुछ करने की आवश्यकता है। कलेक्टिव बारगेनिंग में हम लोग बीच में नहीं आएंगे, मगर एक वेज पालिसी बननी चाहिए। अगर वेज पालिसी के बारे में हम आप

लोगों का कोआपरेशन चाहते हैं। स्टेचुटरी वेज बोर्ड बनाया जाए या मैनेजमेंट को प्रासीक्यूशन में लिया जाए, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। 500, 1000, 2000, 3000 रुपए देकर मैनेजमेंट छूट जाता है, उनको 6 महीने की या एक साल की जेल हो, इस किस्म का एक्ट लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अभी मैनेजमेंट पर प्रासीक्यूशन होता है तो वह पांच सौ या एक हजार रुपया देकर आ जाता है, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए इस तरीके का प्रासीक्यूशन होना चाहिए कि जो असर डाल सके।

आज वर्कर्स का 11000 करोड़ रुपया प्रावीडेंड फण्ड का पड़ा हुआ है, उसके ब्याज से हम पूरे हिन्दुस्तान की इंडस्ट्रीज को, जो बंद हो गई हैं, ले सकते हैं। यह ब्याज 1000 करोड़ रुपया बनता है। इससे हम इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी कहा था जब "हिन्द साइकल" बन्द हो गई थी तो हमने कहा था कि वर्कर्स ने नेशनल डेवलपमेंट में जो पैसा दिया है, वह भी कैपिटलिस्ट्स ने ले लिया है। 11000 करोड़ रुपए जो नेशनल डेवलपमेंट...।

डा० दत्ता सामन्त : वह पैसा सब आपके अधिकारी खा गए, सब वाइप आफ हो गया है। ....(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : आप जरा सुनिए। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। आपको नान-वायलेंस के बारे में सोचना चाहिए, हड़ताल करने का अधिकार सबको है, उसमें हम कोई रुकावट नहीं डालने वाले हैं। इसके लिए हम कोई कानून बनाने वाले नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे : हड़ताल वायलेंस है क्या ?

श्री टी० अंजैया : वायलेंस होता है या नहीं होता है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं।

जहां तक सिक इंडस्ट्रीज का सवाल है, सरकार ने अपनी पालिसी डिक्लेयर की है। इसके बारे में इन्क्वारी की जाएगी। इसके लिए इन्क्वारी कमेटी बनाकर सारी बातों पर विचार होगा। देश में जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, उसके सिक होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में इन्क्वारी करने की बात सोच रहे हैं। इस बारे में हम बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं। सिर्फ बात करने से काम नहीं होता, मजदूरों का काम इतना आसान नहीं है। मजदूर लीडर बने हैं तो उनको शांति से काम लेना चाहिए और सारी बातों को जानना चाहिए। टेक्सटाइल मिल्स के बारे में हर जगह यही झगड़ा है। मेरी कांस्टीट्वेंसी में भी एक मिल बन्द पड़ी है, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार को बार-बार कहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। इसी तरह और जगहों पर भी कई इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट को सोचनी हैं। अगर वर्कर भूखा मर रहा है तो जो वहां का मुख्यमन्त्री है, लेबर मिनिस्टर है इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन लोगों को पूरे तरीके से इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज अगर जूट और टैक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं तो गवर्नमेंट किसके लिए चलाते हो। आप लोग अगर इण्डस्ट्रीज नहीं चला सकते तो क्या करोगे। आप लोगों में जूट मिल्स को टेक-ओवर करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप लोग सामने आयेंगे तो बराबर ज्वाइन्ट सैक्टर या प्रमोटर के लिए तैयार हैं। आप लोग कुछ नहीं करना चाहते और ना ही कोई रास्ता निकालना चाहते हो। बंगाल की गवर्नमेंट कहती है कि जूट मिल्स ले लीजिए। क्या आप लोग नहीं संभाल सकते। दो करोड़

[श्री टी० अंजैया]

लोगों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज हैं यानी इतने लोग बेरोजगार हैं। लोग कहते हैं कि एम्पलायमैंट एक्सचेंज क्या करती है। हर स्टेट गवर्नमेंट को आज इस बात का चैलेंज है कि वह बेरोजगारी को नहीं बचा सकती। किसी ने यह पूछा था कि एम्पलायमेंट एक्चेंज में क्या रखा हुआ है। प्राईवेट सैक्टर वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर कानून नहीं लगाना। पब्लिक सैक्टर वाले कहते हैं कि हम एडवरटाइजमेंट से ले लेंगे इसी तरीके से बैंक्स और पोस्टल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। आज एम्पलायमेंट एक्सचेंज सिर्फ पीउन्स का दफ्तर बन गए हैं।....(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : अगर कोई परपज सर्व नहीं होता तो बंद कर दीजिए।

श्री टी० अंजैया : बंद करेंगे और खोलेंगे और यह भी सोचेंगे कि कानून लगाना होगा तो लगा देंगे।....(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : हम लोगों को ताला लेकर ताला लगाना पड़ेगा।.... (व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : इसमें रेलवे, पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ तथा दूसरे डिपार्टमेंट्स कवर नहीं होते। थोड़े पब्लिक सैक्टर जो बारह सौ के अन्दर काम करते हैं, वह कवर हो सकते हैं। आप कहते हैं कि बंद कर दीजिये और खोल दीजिए। वह बात होने वाली नहीं है।...(व्यवधान)

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : जो मर्जी खोलिए और जो मर्जी बंद कीजिए।... (व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : ठीक है, आपको समझने की जरूरत है। आप लोग समझते नहीं हैं। अंग्रेजों के जमाने में एम्पलायमेंट एक्सचेंज नाम रखा गया। असल में उसका नाम एम्पलायमेंट स्पानसरिंग एक्सचेंज ठीक रहेगा। इसका काम नौकरी देना नहीं है।...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : किसलिए है।....(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : उसका काम सिर्फ स्पान्सर करना है उसका नौकरी देने का काम नहीं है।... (व्यवधान)

5.52 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : बन्द कर दीजिए।....(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : यह सोच रहे हैं कि किस स्कीम के तहत और किस तरह से नौजवानों को नौकरी पर लगा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने "मे-डे" के दिन अवार्ड दिए। बहुत से हिन्दुस्तान के मजदूरों ने उसको वेलकम किया। जिस तरह से भारत रत्न और पद्म भूषण हैं, उसी तरीके से मजदूरों का भी सम्मान किया जायेगा। इस तरह का प्राईम मिनिस्टर ने एलान किया है। इण्डस्ट्रीज के बन्द होने से मालिकों को जो तकलीफ होती है, हम उसकी परवाह नहीं

करते हैं। कल किसी ने कहा कि पटना में डालमिया की इण्डस्ट्री बन्द हो गई है। अगर कोई स्वीन्डल करता है तो हमने उसका क्या करना है। कोई यह कहे कि उसकी मदद की जाए तो यह नहीं हो सकता। यह सरकार उसकी मदद करने वाली नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है जैसे कि दत्ता सामन्त जी ने कहा कि वायलेंस करेंगे। हम उनको वह मौका ही नहीं देना चाहते। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री बंद करने का बहाना ढूंढते हैं। जरा-सा कुछ हुआ तो फैक्ट्री बंद कर दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जोकि आर्डर्स या रॉ मैटीरियल के न होने पर उसी वक्त हड़ताल करवा देते हैं। मालिकों को उससे फायदा हो जाता है। आज सबसे ज्यादा इन्श्योरेंस स्कीम का पैसा हड़ताल के लिए काम आ रहा है, फैक्टरी और मालिक के लिए काम में आ रहा है। अभी कानपुर में मैंने देखा कि नौ करोड़ रुपए ले लिए हैं। आप कहें कि उन्होंने क्यों पैसा उठा लिया, कैसे उठाते जा रहे हैं, रोहतास मिल की बात आपने कही, तो उसका कारण यही है कि वे लोग भूख से मर रहे हैं, बीमार हैं और जब भी वे पैसा निकालने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो पैसा उठाते जा रहे हैं। इस मामले में वर्कर्स को प्रौसीक्यूशन करने का सवाल हीं नहीं है कि आपने क्यों पैसा उठाया। (व्यवधान) हम वही करना चाहते हैं जिससे कि सारे देश में एक वेज पौलिसी हो, और जो टैम्परेरी कान्ट्रैक्टर सिस्टम है, वह रहेगा। यदि परमानैंट करेंगे तो लोग परमानैंट बनाने की मांग रखेंगे। जहां तक कैजुअल लेवर का सिस्टम है उसको हम एबौलिश करना चाहते हैं, और वेजेज बढ़ाने की सोच रहे हैं। जहां तक डी ए बढ़ाने का प्रश्न है, पब्लिक सैक्टर में हमने अभी बढ़ाया भी है और सारे लेबन लीडर्स ने उसको माना भी है। चन्द ही दिनों में हम इन तमाम पौलिसीज को आपके सामने लायेंगे।

जहां तक एग्रीकल्चरल लेबर का प्रश्न है, जहां तक सम्भव हो सका, बौन्डेड लेबर को हमने दो हजार रुपये, चार हजार रुपये, बल्कि हम अगर बैंक से भी कर्जा लेंगे, इन्टरैस्ट पर तो उसमें भी 30-40 हजार रुपये तक मिल सकते हैं, उससे भी ज्यादा रिहैबिलिटेशन उनका हो सकता है, हम इस पौलिसी पर भी विचार कर रहे हैं। जहां तक लेडीज का सवाल है, ईक्वल रैमूनरेशन दिए जाने का सवाल है, उनके वेजेज का सवाल है, उन तमाम चीजों पर हम विचार कर रहे हैं और हर प्रश्न की गहराई में जा रहे हैं। बीड़ी वर्कर्स में हमने सैस के मामले में कुछ प्रावधान किया था, इसके अलावा जितनी दूसरी चीजें हैं, उनके लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यदि आप चाहें कि ये सब कुछ एकदम से हो जाए तो हमारा मुल्क डैवलपिंग कन्ट्री है, कोई यूरोप या जर्मनी नहीं है। और यहां हर चीज को करने में कुछ समय लग जाता है। यूरोप में तो तमाम इंडस्ट्रीज लगी हुई थीं। इसलिए आप उनसे तुलना मत कीजिए। जिस चीज में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ समय लगेगा। हमारी पूरी कोशिश है और हम चाहते हैं कि आप भी उसमें साझीदार बनें, अपने सुझाव हमें दें। किसी भी एम्पलायर के बारे में यदि कोई भी शिकायत है तो उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात का आप विश्वास रखें। इसलिए आप गवर्नमेंट की नई पौलिसी को सपोर्ट कीजिए, जिस इंडस्ट्रियल पौलिसी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

टैक्सटाइल मिल्स की पौलिसी के बारे में जैसा हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहबान ने कहा, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से कमेटी बिठाई जाए। हम लोगों को पूरी उम्मीद है, यदि आप लोगों को उम्मीद नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, वह बात दूसरी है। (व्यवधान) जहां तक हो सके, हम लोग चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी दूर हो जाए और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा यहां पर इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा........(व्यवधान)....

(श्री टी. अंजैया)

अध्यक्ष महोदय : बेरोजगारी तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोटा होने की कोशिश मत करिए ..

श्री टी०अंजैया : हम अपनी पूरी कोशिश करके भारत भर के मजदूरों के सामने इस वक्त जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं। जिन लोगों की बातें आपने प्रोविडेन्ट फण्ड या ई एस आई के बारे में कही हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और यह आप हम पर छोड़िए कि हम उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। उनकी रक्षा के लिए, जहां उनकी प्रोपर्टी होगी, पैसा होगा, उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। हम ये बातें आपको खुश करने के लिए ही नहीं कह रहे हैं, सदस्यों को खुश करने के लिए ही नहीं कह रहे हैं बल्कि हकीकत यह है कि जो लोग भाग रहे हैं, अपनी प्रोपर्टी को बढ़ाते जा रहे हैं। उन लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, इसका आप विश्वास रखें। (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में लेबर पौलिसी को सोशलिस्ट सिद्धांतों पर आधारित बनाया जाए (व्यवधान)... इसके अलावा मैं हमेशा आपसे विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हूं, आपने जिन प्वाइंटस को यहाँ उठाया, मेरे पास उन सबका रिकार्ड है, टाइप किया हुआ है, आप जब भी चाहते हैं, मुझसे आकर डिस्कस कर सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रम मन्त्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की माँगों को मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 और 66 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाये गये माँग शीर्षों के सन्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत श्रम मंत्रालय से संबंधित वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
65.	श्रम मंत्रालय	30,31,000	...	1,51,58,000	...
66.	श्रम और रोजगार	29,99,40,000	18,66,000	1,49,97,05,000	93,35,000

(ख) म०प०

(ढ) पर्यावरण और वन, वित्त, सूचना और प्रसारण, विधि और न्याय मंत्रालय आदि।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निम्नलिखित मांगों के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाए गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

(1) मांग संख्या 26 और 27, जिनके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय उत्तरदायी है;

(2) मांग संख्या 29 से 40 तक, जिनके लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है;

(3) मांग संख्या 60 से 62 तक, जिनके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय उत्तरदायी है;

(4) मांग संख्या 67 और 68, जिनके लिए विधि और न्याय संवालय उत्तरदायी है;

(5) मांग संख्या 69, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय उत्तरदायी है;

(6) मांग संख्या 70, जिसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय उत्तरदायी है;

(7) मांग संख्या 71 और 72, जिनके लिए योजना मंत्रालय उत्तरदायी है;

(8) मांग संख्या 73 से 77 तक, जिनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उत्तरदायी है;

(9) मांग संख्या 78 से 81 तक, जिमके लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय उत्तरदायी है;

(10) मांग संख्या 86 से 88 तक, जिनके लिए पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय उत्तरदायी है;

(11) मांग संख्या 89 से 93 तक, जिनके लिए निर्माण और आवास मंत्रालय उत्तरदायी है;

(12) मांग संख्या 94 से 96 तक, जिनके लिए परमाणु ऊर्जा मंत्रालय उत्तरदायी है;

(13) मांग संख्या 97 और 98, जिनके लिए संस्कृति विभाग उत्तरदायी है;

(14) मांग संख्या 99, जिसके लिए इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तरदायी है;

(15) मांग संख्या 100, जिसके लिए महासागर विकास विभाग उत्तरदायी है;

(16) मांग संख्या 101, जिसके लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तरदायी है;

(17) मांग संख्या 102, जिसके लिए अन्तरिक्ष विभाग उत्तरदायी है;

(18) मांग संख्या 103, जिसके लिए युवा कार्य और खेल विभाग उत्तरदायी है;

(19) मांग संख्या 104, जिसके लिए लोक सभा उत्तरदायी है;

(20) मांग संख्या 105, लिसके लिए राज्य सभा उत्तरदायी है;

(21) मांग संख्या 106, जिसके लिये उपराष्ट्रपति का सचिवालय उत्तरदायी है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अनुदानों की शेष रही मांगें भी पारित कर दी गई है।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत पर्यावरण और वन, वित्त, सूचना और प्रसारण, विधि और न्याय मंत्रालय आदि, आदि से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	पर्यावरण और वन मंत्रालय				
26.	पर्यावरण विभाग	4,73,79,000	....	36,58,97,000	...
27.	वन और वन्य जीवन विभाग	8,44,85,000	....	42,49,26,000	...
	वित्त मंत्रालय				
29.	वित्त मंत्रालय	2,18,90,000	6,000	10,94,51,000	32,000
30.	सीमा शुल्क	13,21,19,000	6,91,66,000	66,05,98,000	34,58,34,000
31.	संघ उत्पाद शुल्क	16,15,68,000	...	80,78,41,000	...
32.	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर, और दान कर	18,05,77,000	....	90,28,88,000	...
33.	स्टाम्प	7,25,61,000	1,12,75,000	36,28,08,000	5,63,75,000
34.	लेखा परीक्षा	21,96,24,000	...	1,09,81,23,000	...
35.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	26,76,79,000	16,36,41,000	1,33,83,96,000	81,82,05,000
36.	पेंशनें	26,63,87,000	....	1,33,19,39,000	...

1	2	3		4	
37.	अफीम और एल्केलायड के कारखाने	24,14,18,000	1,18,58,000	21,57,60,000	2,14,05,000
38.	राज्य सरकारों को अंतरण	7,65,83,49,000	...	16,31,16,10,000	...
39.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	1,70,80,37,000	5,71,56,08,000	8,48,89,86,000	3,57,76,40,000
40.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	20,68,50,000	...	1,03,42,50,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	27,21,000	...	1,36,08,000	...
61.	सूचना और प्रचार	7,72,19,000	30,50,000	38,61,00,000	1,52,50,000
62.	प्रसारण	28,70,19,000	20,45,14,000	1,43,50,55,000	1,02,25,73,000
	विधि और न्याय मंत्रालय				
67.	विधि और न्याय मंत्रालय	5,46,11,000	...	27,30,57,000	...
68.	न्याय प्रशासन	17,86,000	...	89,31,000	...
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
69.	संसदीय कार्य मंत्रालय	8,24,000	...	41,21,000	...
	पेट्रोलियम मंत्रालय				
70.	पेट्रोलियम मंत्रालय	42,71,000	45,23,31,000	2,38,60,000	2,26,16,58,000
	योजना मंत्रालय				
71.	आयोजन	1,28,25,000	...	6,41,30,000	...
72.	सांख्यिकी	4,46,83,100	...	22,34,20,000	...

1	2	3		4	
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	10,70,50,000	5,75,000	66,32,50,000	28,75,000
74.	भारतीय सर्वेक्षण	7 09,16,000	1,67,000	35,45,84,000	8,33,000
75.	मौसम विज्ञान	5,19,69,000	1,22,30,000	25,98,47,000	6,11,54,000
76.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	26,30,58,000	45,00,000	1,31,92,92,000	2,25,00,000
77.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	20,09,41,000	40,00,000	68,65,09,000	2,00,00,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय				
78.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,01,14,000	...	5,05,69,000	....
79.	सड़कें	38,44,17,000	45,49,94,000	1,92.20,87,000	2,27,49,75,000
80.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	17,20,24,000	21,07,48,000	89,51,19,000	1,14,62,38,000
81.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	2,25,27,000	26,50,02,000	11,26,39,000	1,04,50,14,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय				
86.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	22,64,000	...	1,13,21,000	....
87.	विमानन	10,95,57,000	15,13,50,000	54,77,90,000	75,67,50,000
88.	पर्यटन	3,03,40,000	2,23,63,000	15,17,02,000	11.18,17,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय				
89.	निर्माण और आवास मंत्रालय	37,17,000	...	1,85,88,000	....

1	2	3		4	
90.	लोक निर्माण कार्य	20,61,10,000	11,57,22,000	1,03,05,55,000	57,86,11,000
91.	जल पूर्ति और मल निकासी	50,16,66,000	....	2,50,83,34,000	....
92.	आवास और नगर विकास	6,00,77,000	14,46,85,000	30,03,85,000	72,34,23.000
93.	लेखन सामग्री और मुद्रण	10,31,32,000	....	51,56,62,000	....
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
94.	परमाणु ऊर्जा विभाग	22,41,000	...	1,12,06,000	...
95.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	32,46,76,000	71,94,39,000	1,62,33,85,000	3,78,03,50,000
96.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	75,94,03,000	32,96,20,000	1,55,59,16,000	1,64,81,01,000
	संस्कृति विभाग				
97.	संस्कृति विभाग	5,44,67,000	....	28,23,35,000	...
98.	पुरातत्व	2,65,83,000	...	13,29,17,000	...
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
99.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	9,32,50,000	8,40,83,000	47,97,50,000	43,89,17,000
	महासागर विकास विभाग				
100.	महासागर विकास विभाग	4,32,43,000	11,66,000	23,87,17,000	58 34,000
	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग				
101.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	2,54,85,000	....	12,74,30,000	...

1	2	3		4	
	अंतरिक्ष विभाग				
102.	अंतरिक्ष विभाग	24,59,26,000	18,36,44,000	1,01,96,33,000	67,63,20,000
	युवक कार्यक्रम और खेल विभाग				
103.	युवक कार्यक्रम और खेल विभाग	5,60,60,000	21,66,000	29,03,01,000	1,08,34,000
	संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय				...
	और संघ लोक सेवा आयोग				...
104.	लोक सभा	1,89,70,000	...	9,13,51,000	...
105.	राज्य सभा	66,49,000	....	3,32,49,000	...
106.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,88,000	...	9,42,000	...

6.02 म० प०

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक** 1985

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय,* मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और 4 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**दिनांक 7-5-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित / प्रस्तुत किया गया।

खण्ड 2, 3 और 4 तथा अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
—जारी

सीमा शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 147/85—सीमा-शुल्क और 148/85—सीमा-शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो 7 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो काली मिर्च पर निर्यात-शुल्क में 3 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 869/85]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 म० पू० समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 8 मई, 1985/18 वैशाख 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली—92